

With Best Compliments & Heart felt Good Wishes From:-

वनस्पति का

सर्वश्रेष्ठ

पुस्तकालय



क्योंकि जिसने एक बार
इस्तेमाल किया, उसी
की चाहत बन गया,
स्कूटर वनस्पति....
आखिरकार लाखों
परिवारों की सेहत, स्वाद
और खुशी से जुड़ा है
स्कूटर वनस्पति....

नटखट राहुल, लाडली मुनिया,
जिम्मेदार पति, कामगार आप
स्वयं की भिन्न-भिन्न जरूरतों
को पूरी करता है-

स्कूटर वनस्पति....
फिर भला सर्वश्रेष्ठ वनस्पति का
पुरस्कार क्यों नहीं पाता -
स्कूटर वनस्पति....



अगर होता तो
हमें ही मिलता



विजय सोल्वेक्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय :

भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर-301001

फोन : 332850, 332922, 332321, 20930
फैक्स : 332320

स्कूटर

वनस्पति
क्योंकि सबकी जिन्दगी अमूल्य है

आजादी का आन्दोलन और अलवर



सम्पादक

हरिनारायण सैनी
चुगमंदिर तायल : डॉ. जीवन सिंह मानवी



अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति

अलवर : राजस्थान

आजादी का आन्दोलन और अलवर AZADI-KA ANDOLAN AUR ALWAR

□

प्रकाशन समिति :

हस्तिनारायण सैनी
फूलचन्द गोठड़िया
जुगमंदिर तायल
जीवन सिंह मानवी
सुरेश पंडित
भागीरथ भार्गव
शची आर्य
राधेश्याम सोमवंशी 'चिरकिन अलवरी'

□

प्रकाशन : अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, अलवर

□

मुद्रक : भारत प्रिंटिंग प्रेस (ऑफसेट)
रामगंज, अलवर ☎ 0144-20522

कम्पोजिंग : भारत कम्प्यूटर्स
याईपास कम्पनी याग रोड, अलवर ☎ 0144-22102

□

आवरण चित्र : जितेन्द्र जीतू

□

संस्करण : अगस्त 1998

□

मूल्य : 200 रुपया (राजिल्ड संस्करण)
100 रुपया (राधारण संस्करण)

1. स्वाधीनता की आधी सदी
2. प्रतिवेदन

आजादी का आन्दोलन

1. राष्ट्रीय स्वाधीनता का आन्दोलन: एक विहंगावलोकन -डॉ. जीवनसिंह मानवी
2. राजस्थान में स्वाधीनता संघर्ष -प्रो. जुगमन्दिर तायल

अलवर: साम्राज्यवाद-सामन्तवाद से मुक्ति के लिए संघर्ष

1. अलवर रियासत में नवजागरण -डॉ. जीवन सिंह मानवी
2. स्वतंत्रता-संग्राम में अलवर का योगदान -हरिशंकर गोयल
3. अलवर में आजादी के आन्दोलन का शुरुआती दौर-
-हरिनारायण सैनी, हरिशंकर गोयल
4. अलवर-राज्य प्रजामंडल की संघर्ष-भाथा -हरिनारायण सैनी
5. नीमराणा का अलवर में वित्तय -हरिशंकर गोयल
6. गोवा-मुक्ति-आन्दोलन: अलवर का योगदान -हरिशंकर गोयल

स्वाधीनता संग्राम के सेनानी और सिपाही
आलेख एवं प्रस्तुति :- राधेश्याम सोमवंशी चिरकिन अलवरी

अलवर में स्वाधीनता संघर्ष: महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज
प्रस्तुति :- प्रो. जुगमन्दिर तायल, डॉ. जीवन सिंह मानवी

अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति के

सदस्य व पदाधिकारी

1.	श्री निरंजन लाल डाटा	अध्यक्ष
2.	श्री महेन्द्र शास्त्री	उपाध्यक्ष
3.	श्री फूलचन्द गोठड़िया	उपाध्यक्ष
4.	श्री जुगमंदिर तायल	मंत्री
5.	डॉ. जैवन सिंह मानवी	संयुक्त मंत्री
6.	श्री चिरावन अलवरी	सहा. मंत्री
7.	श्री बी. एम. शुक्ला	कोषाध्यक्ष
8.	श्री हरिनारायण सैनी	सदस्य
9.	श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल	"
10.	सुश्री कलावती शर्मा	"
11.	श्री सुरेश पंडित	"
12.	श्री चिरंजी लाल वर्मा	"
13.	श्री हरूमल तोलानी	"
14.	श्री अनन्तराम शर्मा	"
15.	डॉ. शाची आर्य	"
16.	श्रीमती कुसुम जोशी	"
17.	श्री जगदीश बेनीवाल	"
18.	श्री रामकिशोर कौशिक	"
19.	श्री अशोक शर्मा	"
20.	श्री भागीरथ भार्गव	"
21.	श्री भौलाना हनीफ खाँ	"
22.	श्री कामरेड मुंशी खाँ	"
23.	श्री रामस्वरूप गुप्ता	"
24.	श्री घिरंजी लाल वर्मा	"
25.	श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	"
26.	श्री सूर्य देव याठे	"
27.	श्री रामपन यादव (यहरेड)	"
28.	श्री अजय अग्रवाल	"
29.	श्री सेवाराम	"
30.	श्री विनय कुमार जैन	"
31.	श्री सरदार राम (यानसूर)	"
32.	श्री गोपीणम (टैरपल)	"
33.	श्री ओमप्रकाश गुप्ता	"
34.	टॉ. देव कुमारी	"
35.	श्री यो. जो. चान	"
36.	श्री हुजूमप्रद गोपल	"

स्वाधीनता की आधी सदी

15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजी-शासन की पराधीनता से मुक्त हुआ और 15 अगस्त 1997 को स्वाधीन भारत के पचास वर्ष पूरे हुए। आदमी की आयु को सौ वर्ष मानकर किसी भी स्थिति के सत्य का आकलन, पचास वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयन्ती के रूप में किया जाना जहाँ वस्तुसंगत होता है, वहीं आत्मिक स्तर पर उल्लास-विधायक भी। स्वाधीनता ने हमारे मन को उल्लसित किया। जब देश को आजादी मिली थी, तब सभी ने यह कल्पना की थी कि अब भारतीय जनता के दिन फिर जायेंगे और अब तक अन्याय एवं भेदभावों से भरा जो एक विषयम् समाज था, वह स्वाधीन समाज के रूप में एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज बनेगा। उसमें अच्छे-चुरे और बड़े-छोटे की कसौटी व्यक्ति के वर्ण, जाति, भाषा, पद, पैंजी आदि से न होकर उसके कर्म एवं आचरण से होगी। एक छोटी अवधि में इन सब बातों का आकलन करना तो ठीक नहीं होता क्योंकि किसी काम और ध्येय को पूरा होने में वक्त लगता है। इसलिए अब जब भारतीय समाज की स्वाधीनता की अवस्था पचास वर्ष की हो चुकी है तो इस तरह का आकलन किया जाना आवश्यक हो गया है। इस पूरे वर्ष - 15 अगस्त 1997 से 15 अगस्त 1998 तक की अवधि में इस तरह के आकलन किये गये हैं। अखबारों, पत्रिकाओं आदि ने इस विषय पर विशेषांक प्रकाशित किये हैं। सभा-सम्मेलनों-संगोष्ठियों में इन सवालों को ढाया गया है। इस तरह हमने स्वाधीनता पाने के बाद की पचास वर्षों की सचाई को समझने का प्रयास किया है, जिसमें भौतिक स्तर पर देश की समृद्धि और विकास-गति की सराहना की गई है, भले ही वह समृद्धि, विषयम् समृद्धि ही क्यों न रही हो, साथ ही देश की आत्मिक-सामूहिक संस्कृति के निर्माण की दिशा में कोई महत्वपूर्ण काम न हो पाने पर अफसोस जाहिर किया गया है। आज भी हमारे देश की लगभग आधी जनता पढ़-लिख नहीं सकती, तीन चौथाई जनता को पीने को स्वच्छ पानी तक सुलभ नहीं है। करोड़ों युवाओं के पास रोजगार नहीं है। डब्ल्यूसीवी सदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अनेक दार्शनिक-राजनीतिक मनीषियों ने भारत की चेतना को विस्तार दिया था, लेकिन आज बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हम देख रहे हैं कि हमारी चेतना पहले की तुलना में संकुचित हुई है। स्वाधीन भारत के राजनीतिक बातावरण में पैंजी की प्रभुता बढ़ी है, जातिवाद बहुत उभरकर अपने उग्र रूप में प्रस्तुत हुआ है, धर्म ने अपने सहज मानवतावादी मार्ग को छोड़कर साम्रादीयिकता के रूप में राजनीति के सरोवर को विषाक्त किया है। इस सबसे मूल्यहीनता और मूल्यशून्यता बढ़ी है। हमारे पुराने सांस्कृतिक मूल्य सुरक्षित-संरक्षित नहीं रह पाए हैं तथा चेतना के संकोची बातावरण में नए सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति सम्मान और स्वीकृति का भाव अजन्मा रह गया है। इतिहास और संस्कृति का बोध भी स्वार्थ की परिधियों में सिमटने को मजबूर है। इसलिए यह महसूस किया गया कि स्वाधीनता आंदोलन की अपनी संघर्षचेता परम्पराओं का स्मरण, वर्तमान पीढ़ी को कराया जाय। स्थानीय स्तर पर चले मुक्ति-आन्दोलन की जो कड़ियाँ अभी तक जुड़ नहीं पा रही थीं, उन्हें जोड़ते हुए लिपिबद्ध किया जाय। इस काम को यहाँ करने का प्रयास किया गया है।

स्थानीय स्तर पर चले आजादी के आंदोलन में अलवर के स्वाधीनता सेनानियों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। उन्होंने अलवर की जनता को संगठित कर नई लोकतांत्रिक चेतना

का विस्तार किया तथा इस काम को करते हुए तत्कालीन सामंज्ञी सत्ता की प्रताड़नाएँ, उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार व यातनाओं को भोगा। उन सभी का इतिहास इस पुस्तक में पढ़ने में अनुभव मिलेगा। हमारे अंचल का स्वाधीनता आंदोलन, पूरे देश और प्रदेश के आंदोलनों की एक कड़ी है, इसलिए यह आवश्यक माना गया कि पूरे देश के मुक्ति आनंदोलन के संदर्भ में अलवर में चले मुक्ति आंदोलन को देखा-परखा जाय। इससे पूर्व भी, यद्यपि इस तरह के प्रयास किये गये हैं, तथापि हमारा यह प्रयास रहा है कि उन प्रयासों की शृंखला में हमारा यह प्रयास उनकी अगली कड़ी के रूप में सामने आए। ऐसा कितना हो पाया है, हम नहीं जानते। इसे तो हमारा पाठक वर्ग ही हमको बतला सकेगा।

इस पुस्तक को मूर्त रूप प्रदान करने में हमारे वरिष्ठ साथी पत्रकार एवं स्वाधीनता आंदोलन के वरिष्ठ नेता श्री फूलचंद गोठड़िया की मुख्य प्रेरणा रही है। इस ग्रन्थ को प्रकाशित कराने के प्रति उन्होंने हमको निरन्तर सजग एवं सक्रिय बनाए रखा। अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्णजयन्ती समारोह समिति के अध्यक्ष तथा अलवर के प्रतिष्ठित समाजसेवी श्री निरंजन लाल डाटा ने अपने सभी तरह के सक्रिय सहयोग से न केवल इसको पूरा करवाया बल्कि अपनी दिलचस्पी से हमारे उत्साह को शिथित नहीं होने दिया।

सबसे बड़ी कठिनाई पुस्तक-लेखन की थी। समस्या यह थी कि यत्र तत्र बिखरी हुई सामग्री को संयोजित कर उसे लेखन का सुसम्बद्ध रूप कैसे प्रदान किया जाय? इस काम को पूरा किया- प्रो. जुगमंदिर तायल, डॉ. जीवनसिंह मानवी, हरिशंकर गोयल एडवोकेट तथा चिरकिन अलवरी ने। हमारे वरिष्ठ लेखक साथी श्री भागीरथ भार्गव का भी इस काम में सहयोग रहा है।

हमने अलवर के स्वाधीनता-आंदोलन से सम्बद्ध उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को एक स्थान पर जुटाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो इस इतिहास के सांक्षी हैं।

समिति के कोषाध्यक्ष श्री दी. एम. शुक्ला ने पूरी तत्परता, निष्ठा और संलग्नता से पुस्तक-प्रकाशन के लिए विज्ञापन जुटाए हैं, इस काम के लिए उनको धन्यवाद देना मात्र औपचारिकता होगी। पूर्व विधायिका श्रीमती पुष्पा शर्मा तथा स्वाधीनता सेनानी श्री महावीर प्रसाद जैन व श्री चिरंजीलाल वर्मा ने अलवर के स्वाधीनता आंदोलन से सम्बंधित महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान कर इस काम की सहायता में श्रीवृद्धि की है। हम उनके प्रति आभारी हैं।

भारत प्रिंटिंग प्रेस के मालिक श्री रामसिंह व उनके सुपुत्र श्री विष्णु कुमार ने इसको आकर्षक रूप प्रदान किया है। उसकी हम सराहना करते हैं।

अपने अन्य समस्त सहयोगियों एवं साधियों के प्रति फृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम आज 31 अगस्त, 1998 के दिन आपको यह पुस्तक सौंपते हुए प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। जय हिन्द !!

अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति: प्रतिवेदन

अलवर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं स्वाधीनता प्रेमियों ने अनुभव किया कि जब पूरा देश अपनी स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती मना रहा है तो अलवर में भी इस स्वर्ण जयन्ती वर्ष में विभिन्न आयोजनों के लिए एक समिति का गठन किया जाये। देश की नई पीढ़ी जिसका जन्म आज्ञाद भारत में हुआ, वह वस्तुतः अपनी आज्ञादी के संघर्ष व आजादी के रण-बाँकुरों की कुर्बानियों से भली भौति परिचित नहीं है। आवश्यकता है कि यह परिचय उन्हें विभिन्न माध्यमों से दिया जाये, विशेषकर अलवर जिले के संदर्भ में तो उनकी जानकारी बहुत ही सीमित है। इस दृष्टि से कुछ नागरिकों की अपील पर इस सम्बन्ध में विचार विमर्श व समिति का गठन कर भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने के लिए 19 अक्टूबर, 97 रविवार को गिरधर आश्रम में एक आम बैठक आहूत की गई। इस बैठक की अध्यक्षता समाजसेवी निरंजनलाल ढाटा ने की। इस प्रथम आम बैठक में सभी उपस्थितों ने समिति गठन के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए समिति के भावी कार्यक्रमों के लिए जो सुझाव, दिशा निर्देश सामने आये, उनका विवरण इस प्रकार है-

1. आजादी का आन्दोलन और अलवर शीर्षक से एक पुस्तक लिखी जाए।
2. राता गोलीकाण्ड, खेड़ा मंगल सिंह, नीमूचाणा काण्ड, जैसे आन्दोलनों की सृति में सभा-संगोष्ठियाँ आयोजित की जायें।
3. अलवर नगर के विभिन्न मार्गों के नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर किया जाय।
4. अलवर जिले के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी विश्वभर दयाल शर्मा व भवानीसहाय की प्रतिमाएं चौराहों पर स्थापित की जायें।
5. स्वाधीनता आन्दोलन में महिलाओं के योगदान को भी रेखांकित किया जाय।

बैठक में सर्वसम्मति से अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति का गठन इस प्रकार से किया गया-

1. निरंजन लाल ढाटा (अध्यक्ष), महेन्द्र शास्त्री व फूलचन्द गोठड़िया (उपाध्यक्ष), जुगमंदिर तायल (मंत्री), चिरकिन अलवरी (सहा. मंत्री), डॉ. जीवन सिंह मानवी (संयुक्त मंत्री), बी. एम. शुक्ला (कोषाध्यक्ष) इसके अतिरिक्त कार्यकारिणी में हरिनारायण सेनी, लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, सुश्री कलावती शर्मा, सुरेश पंडित, लार्ड सत्रू खाँ मेवाती, हरूमल तोलानी, अनन्तराम शर्मा, गोपालशरण माथुर, (अब दिवंगत), डॉ. शची आर्य, श्रीमती कुसुम जोशी, जगदीश बेनीवाल, रामकिशोर कौशिक, आशोक शर्मा, भागीरथ भार्गव को लिया गया। आगामी बैठकों में कार्यकारिणी का विस्तार कर मौलाना हनीफ खाँ, कामरेड मुंशी खाँ, रामस्वरूप गुप्ता, चिरंजीलाल वर्मा, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, सूर्य देव बाँठ, रामधन यादव (बहरोड़) अजय अग्रवाल, सेवाराम, विनय कुमार जैन, सरदार राम (बानसूर) गोपीराम (खैरथल), ओमप्रकाश गुप्ता, डॉ. वेद कुमारी, बी. जी. खान व हुक्मचन्द गोयल को भी सदस्य के रूप में लिया गया। समिति द्वारा समय-समय पर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये, उनका विवरण इस प्रकार है-

- (1) अलवर के मुख्य स्थानों जैसे होप सर्कंस का नाम 'गाँधी सर्किल' किये जाने का प्रस्ताव किया गया। केडल गंज का 'आजाद गंज' और अलवर नगर विकास न्यास भवन का नाम शोभाराम भवन रखे जाने का प्रस्ताव लिया गया।
- (2) सड़क नं. 2 का पुराना नाम 'जय मार्ग' है अतएव इस मार्ग को जय मार्ग के रूप में प्रचलित किया जाय। इसी तरह पुराने कट्टले का नाम सुभाष चौक है, इस स्थान पर सुभाष चौक की नाम पट्टिका लगाई जाय तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाई जाय। इसके अलावा अलवर नगर के विभिन्न वेनामी भागों का नामकरण व चौराहों के नामकरण अलवर अंचल के स्वाधीनता सेनानियों एवं संतों के नाम पर किया जाय। इस नामकरण हेतु एक पैनल भी बनाया गया जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंचल के सन्तों, कलाकारों, कवियों, समाज सेवियों के नामों को भी समिलित किया गया।
- (3) स्वतंत्रता सेनानी पं. भवानी सहाय शर्मा और अमर शहीद विश्वंभर दद्याल शर्मा की नगर के चौराहों पर प्रतिमा लगाए जाने का निर्णय लिया गया। पाकों के नामकरण भी इन सेनानियों के नाम पर किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

उपर्युक्त निर्णयों की क्रियान्विति के लिए भागीरथ भार्गव के संयोजन में एक उपसमिति का भी गठन किया गया। इस उपसमिति के अन्य सदस्य थे- गोपाल शरण माथुर, लार्ड सन्तू खाँ मेवाती, अशोक शर्मा व राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल।

उपर्युक्त निर्णयों की क्रियान्विति- जिला प्रशासन एवं नगर विकास न्यास के सहयोग से निर्णयों को मूर्तरूप देने के लिए सार्थक प्रयास किए गये। समिति का एक प्रतिनिधिमण्डल जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष यू. आई.टी. से भिला और उपर्युक्त क्रम में एक ज्ञापन दिया गया। यू. आई.टी. सचिव से भी समिति के पदाधिकारियों ने विचार-विमर्श किया। इन प्रयासों का सुफल शीघ्र ही सामने आने वाला है।

(4) आजादी का आन्दोलन और अलवर :

ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु एक उपसमिति का गठन इस प्रकार किया गया-

हरिनारायण सैनी (संयोजक) व सदस्य- फूलचन्द गोठिड़िया, प्रो. जुगमंदिर तायल, सुरेश पंडित, भागीरथ भार्गव, जीवन सिंह मानवी, डॉ. शची आर्य व चिरकिन अलवरी।

संयोजक हरिनारायण सैनी के सम्पादन व सतत प्रयासों से ग्रन्थ का प्रकाशन संभव हो पाया है। यह ग्रन्थ एक ओर अलवर अंचल के स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष से परिचित करायेगा वहों दूसरी ओर राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में भी अलवर के योगदान को जाना जा सकेगा। इस ग्रन्थ के माध्यम से निश्चय ही युवा पीढ़ी, जो देशभक्तों के नाम और उनके बहादुराना कारनामों के बारे में परिचित नहीं है, बहुत कुछ जान सकेगी। वस्तुतः कांतिकारियों और देशभक्तों के बलिदान से ही जनता में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति जागरूकता आई और वह अंग्रेजों के जुल्मों के खिलाफ उठ खड़ी हुई। अलवर के अंचल के क्रांतिवीरों को तो सार्वतराही के खिलाफ भी मोर्चा लेना पड़ा, जो किन्हों अर्थों में अंग्रेजों से भी अधिक जुल्मी थी। आज उजनीतिक मूल्यहीनता, आर्थिक पिछड़ेपन, व्यापक भष्टाचार, साम्राज्यिकता, जातिवाद,

क्षेत्रवाद, और दृष्टे मन के अंदर बैठे जहरीले सांप को नथने के लिए इन क्रांतिवीरों के आदर्श जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।

(5) राष्ट्रीय सेमीनार हेतु उपसमिति :

राष्ट्रीय सेमीनार किसी राष्ट्रीय विषय से संबंधित आयोजित किए जाने के लिए एक उपसमिति श्री महेन्द्र शास्त्री के संयोजन में गठित की गई। अन्य सदस्य रहे प्रो. जुगमंदिर तायल, जगदीश बेनीवाल, अशोक शर्मा व सन् खाँ मेवाती।

(6) वित्तीय उपसमिति :

वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्त जुटाने के लिए एक उपसमिति का गठन निम्नांकित रूप में किया गया-

निरंजन लाल डाटा - संयोजक व अन्य सदस्य सूर्य देव बारैठ, अजय अग्रवाल, बी. एम. शुक्ला व सेवाराम।

महिला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान :

अलवर अंचल की महिलाओं का स्वाधीनता आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सामंतशाही के डस युग में जब महिलाओं में साक्षरता भी कम थी और महिलाओं का घर से बाहर आकर सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना एक अजूबा ही होता था तब अलवर नगर की अनेक महिलाओं ने आन्दोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने जुलूस में भाग लिया। सामन्त शाही, साप्रज्यशाही के विरोध में अपनी आवाज उठाई, वे धरने पर भी बैठी। इसी प्रकार एक धरने पर बैठी महिला आन्दोलनकारी महिलाओं का एक सामूहिक चित्र भी उपलब्ध हुआ। इस चित्र को आधार बनाकर जीवित महिलाओं से समर्पक किया गया व उनके अनुभव सुने गये। महिला स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपना आदर भाव व्यक्त करने के लिए एक सार्वजनिक सभा दिनांक 4 जनवरी 1998 को आयोजित कर सुश्री कलावती देवी, श्रीमती शांति गुप्ता, रामप्यारी, रामेश्वरी, शांति गोठड़िया, विमला शर्मा, कमला जैन, शोभा भार्गव, कौशल्या देवी, रुकमणी देवी, गुलाब देवी, उमा माधुर, कमला डाटा, शांति देवी उर्फ सुन्दरी एवं सत्यवती उर्फ सत्या को समिति अध्यक्ष निरंजन लाल डाटा ने प्रशस्ति पत्र, श्रीफल, आन्दोलन के दौरान लिए गये सामूहिक चित्र की प्रति के साथ शाल उढ़ाकर संम्मानित किया गया। सार्वजनिक सभा में भारी संख्या में स्त्री-पुरुषों की उपस्थिति ने सम्मान समारोह को गरिमामय बनाया। सम्मान समारोह का संचालन भागीरथ भार्गव ने किया।

राष्ट्रीय रैली व दौड़ का आयोजन :

मार्च 1857 में अमर शहीद भगत पाण्डे द्वारा सेना में प्रारंभ किये गए विद्रोह से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का श्री गणेश हुआ। इसके समर्थन में 10 मई 1857 को भेरठ में विद्रोह की शुरूआत हुई। इस दिन की स्मृति में 10 मई 1998 को एक विशिष्ट आयोजन राष्ट्रीय रैली व राष्ट्रीय दौड़ के आयोजन का निश्चय किया गया। नयी धीढ़ी को राष्ट्रीय धारा में सक्रिय करने का मकसद विशेष रहा। निर्णयानुसार 10 मई को प्रातः श्री रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रैली व स्वतंत्रता दौड़ का भव्य आयोजन हुआ। दौड़ शुरू होने से पूर्व विशाल रैली को संबोधित करते हुए पूर्व विदेश भंडी व सांसद कुं. नटवर सिंह ने अपने उद्घोषन में कहा कि स्वाधीनता संग्राम हमारी राष्ट्रीय धरोहर है तथा इसकी स्मृतियों को संजोए रखना हम सभी का पुण्य कर्तव्य है।

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी एवं अमर शहीदों के उन आदर्शों पर अमल करना होगा तब ही देश आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष निरंजन लाल डाटा व मंत्री प्रो. जुगमंदिर तायल ने भी संबोधित किया। रैली का संचालन भागीरथ भार्गव ने किया।

स्वतंत्रता दौड़ :

रैली के पश्चात स्वतंत्रता दौड़ का शुभारम्भ कु. नटवर सिंह ने झण्डी दिखाकर किया। दौड़ में हजारों की संख्या में सम्मिलित वच्चों, युवाओं व बुजुर्ग स्त्री पुरुषों ने भाग लिया जिनमें अधिकांश ने पचासवाँ वर्षगांठ के प्रतीक चिन्ह की टोपियाँ व टी-शर्ट पहनी हुई थी व हाथों में तिरंगी झण्डियों व आजादी से सम्बन्धित प्रेरक आदर्श वाक्यों की तखियां थीं। समिति की ओर से यह समस्त सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराई गई थी। स्वतंत्रता दौड़ रामलीला मैदान से शुरू होकर होप सर्कस, पंसारी बाजार, टाऊन हॉल, केड़लगंज, सामान्य विकित्सालय एवं अशोक सर्किल होती हुई कम्पनी बाग के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। दौड़ का नेतृत्व खुली कार में बैठे अलवर के बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी कर रहे थे जिनमें प्रमुख थे- फूलचन्द गोठड़िया, डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा, चिरंजीलाल वर्मा, हारूमल तोलानी, लक्ष्मी नारायण खण्डेलवाल, मोतीलाल शर्मा, कलावती देवी व कमला जैन। दौड़ के सफल आयोजन में सहस्रिव चिरकिन अलवरी के अतिरिक्त जगदीश बेनीवाल, बी. एम. शुक्ला, राजीव सैनी आदि का योगदान महत्वपूर्ण रहा।

रैली व दौड़ ने अलवर नगर में आजादी के संघर्षों की स्मृतियाँ ताजा की वहाँ दूसरी ओर युवा पीढ़ी की विशेष भागीदारी ने अपनी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति निष्ठा व सम्मान को दोहराया।

गोवा आंदोलन के सत्याग्रहियों का सम्मान :

समिति की ओर से गोवा मुक्ति दिवस- 18 जून, 1998 को गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने गये अलवर के सपूत्रों का भावभीना सम्मान आयोजित किया गया। गोवा की मुक्ति के लिए 15 अगस्त, 1955 को गोवा की सीमा पर अहिंसक सत्याग्रह किया गया था। इस सत्याग्रह में दो जट्ठों में अलवर से शम्भू दादा, नवनीत भाटिया, किशनचन्द शर्मा, अमर सिंह, लक्ष्मीचन्द बजाज, दयाराम गुप्ता, ठण्डूराम, डॉ. जगमाल सिंह, गुरुदयाल सिंह, हजारी सिंह, जयशिवलाल भास्कर व कमलेश जोशी ने भाग लिया था। इन सत्याग्रहियों में जीवित शम्भू दादा, किशनचन्द शर्मा, गुरुदयाल सिंह व जयशिवलाल भास्कर का वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी कृपादयाल माधुर ने तिलक लगाकर माल्यार्पण किया व श्री फल भेंट कर व शॉल उढ़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर समिति के उपाध्यक्ष फूलचन्द गोठड़िया द्वारा शॉल उढ़ाकर कृपादयाल माधुर का भी अभिनन्दन किया गया। 85 वर्षीय शंभुदादा सत्याग्रही जिनमें आज भी चीते जैसी स्मृति है, वे जब अपने संस्मरण सुनाने खड़े हुए तो उपस्थितों ने उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया और उनके संस्मरण सुनकर सभी भावविभोर हो गए। श्री किशनचन्द शर्मा व जयशिवलाल भास्कर ने भी अपने संस्मरण सुनाये। सम्मान समारोह को भागीरथ भार्गव ने संचालित किया।

समिति उपर्युक्त आयोजनों व कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी यहुत कुछ करना, चाहती थी किंतु कई अपरिहार्य कारणों से वैसा संभव नहीं हो सका। समिति को अपने सदस्यों, नागरिकों, पिजापन दाताओं, दानदाताओं और विशेषकर स्वतंत्रता सेनानियों से जो सहयोग प्राप्त हुआ वह उत्साहवर्धक व प्रेरक रहा। मैं इन सभी के प्रति अपना विनम्र आभार व्यक्त करता हुआ कृतज्ञता जापित करता हूँ।

आजादी का आन्दोलन



1. राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन :

एक विहंगावलोकन

- डॉ. जीवन सिंह मानवी

2. राजस्थान में स्वाधीनता-संघर्ष

- प्रो. जुगमंदिर तायल



राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन : एक विहंगावलोकन

□ डॉ. जीवन सिंह मानवं

अठारहवीं सदी भारतीय इतिहास में बिखरने-टूटने की सदी है। इस सदी के आरम्भ में मुगल सप्ताह औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही एक केंद्रीय शक्तिशाली सामन्ती राजसत्ता की शोराजा बिखरने लगता है तथा पूरे देश में छोटे-छोटे सामन्ती सत्ता-केन्द्रों के रूप में कहाँ राजपूत, कहाँ मराठा, तो कहाँ सिख एवं जाट तो कहाँ नवाब राजसत्ता पर अपना अधिकार जमाते हैं। ये सत्ता केन्द्र, मुगल सत्ता के पतन के विकल्प के रूप में उभेरे। लेकिन आपस में भी अपने सत्ता-विस्तार एवं व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि के लिए एक दूसरे के खून के व्यासे बढ़ रहे। जिसका परिणाम हुआ-सतत युद्ध, लड़ाई, झगड़ा-फसाद एवं कलह की स्थिति। यह शताब्दी छोटे-छोटे अदूरदर्शितापूर्ण लड़ाई-झगड़ों से भरी हुई शताब्दी है। यह आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ने की नहीं, पीछे हटने की शताब्दी है। इसी कमजोरी को भाँप कर चूरोप कर्ता 'दूरदर्शितापूर्ण' एवं चालाक व्यापारी वर्ग की आर्थिक-राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ, राजनीतिक सत्ता केन्द्र को भी अपने कब्जे में ले लिया। अर्थ सत्ता जिसके अधिकार में होती है, वही राजनीतिक सत्ता का भी स्वामी होता है। भारत में अंग्रेज राजसत्ता का इतिहास यही है, जिसने अपनी व्यापार-व्यवस्था को राजनीतिक सत्ता के लिए काम में लिया है जब उसने राजनीतिक सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया तो दुनिया को दिखाने वे लिए इस तरह के नियम-कानून बनाए, जिससे वह अपने अधीन समाज के श्रम एवं भौतिक साधनों का खुला शोषण एवं दोहन कर सके। अंग्रेजी राजसत्ता ने अपने लगभग दो सौ वर्षों के शासन काल में भारत में यही किया।

हमें यह मालूम है कि अंग्रेजों का भारत पर अधिकार होने से पूर्व, विभिन्नताओं के बावजूद हमारा समाज सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग एक सोचवाला था। हमारे देश की सामान्य जनता को सांस्कृतिक मान्यताएँ एवं दिनचर्मा एक जैसी थी, भले ही उसके ऊपर शासन करने वाली राजनीतिक सत्ताओं के रूप कितने ही भिन्न क्यों न रहे हों? यही सांस्कृतिक सूत्र था, जो स्वाधीनता आंदोलनों के समय में भारतीय समाज को उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम में एकजुट करता था। औरंगजेब की साम्राज्यिक कटूरता एवं अदूरदर्शितापूर्ण राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक दृष्टि के बावजूद निचले स्तर के मेहनतकश एवं उत्पादक भारतीय समाजों में हिन्दू-मुस्लिम जैसा साम्राज्यिक वैमनस्य नहीं था। आम जनता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने सम्बंधों का निर्वाह करती थी और उसकी समृद्धियों एवं संस्कारों में अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय की उदारतापूर्ण तथा धार्मिक आजादी की संस्कृति का इतिहास अब तक मौजूद था। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय समाज से अठारहवीं सदी में ही विदेशी एवं दूसरे धर्मों के समाजों का सम्पर्क पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ बाहर विदेशों से आने वाली विभिन्न कौमों और समाजों का सिलसिला बहुत पुराना है लेकिन उनमें फर्क यह है कि बहुत पहले बाहर से आने वाली अन्य कौमें, भारतीय समाज में घुलमिलकर उसकी विविधता को समृद्ध करती रहीं। वे अपने जन्म, कर्म और मरण में पूरी तरह भारतीय हो गई।

राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन : एक विहंगावलोकन

□ डॉ. जीवन सिंह मानवी

अठारहवीं सदी भारतीय इतिहास में विखरने-टूटने की सदी है। इस सदी के आरम्भ में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही एक केंद्रीय शक्तिशाली सामन्ती राजसत्ता का शीरजा विखरने लगता है तथा पूरे देश में छोटे-छोटे सामन्ती सत्ता-केन्द्रों के रूप में कहीं राजपूत, कहीं मराठा, तो कहीं सिख एवं जाट तो कहीं नवाब राजसत्ता पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। ये सत्ता केन्द्र, मुगल सत्ता के पतन के विकल्प के रूप में उभरे। लेकिन आपस में भी, अपने सत्ता-विस्तार एवं व्यक्तिगत अहंकार की तुष्टि के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे। जिसका परिणाम हुआ-सतत युद्ध, लड़ाई, झगड़ा-फसाद एवं कलह की स्थिति। यह शताब्दी छोटे-छोटे अदूरदर्शितापूर्ण लड़ाई-झगड़ों से भरी हुई शताब्दी है। यह तत्कालीन भारतीय उच्च वर्ग के छोटे एवं घटिया मन की शताब्दी है। यह आर्थिक-सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि से आगे बढ़ने की नहीं, पीछे हटने की शताब्दी है। इसी कमज़ोरी को भौप कर यूरोप की 'दूरदर्शितापूर्ण' एवं चालाक व्यापारी वर्ग की आर्थिक-राजनीतिक महस्त्वाकांक्षा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ, राजनीतिक सत्ता केन्द्र को भी अपने कब्जे में ले लिया। अर्थ सत्ता जिसके अधिकार में होती है, वही राजनीतिक सत्ता का भी स्वामी होता है। भारत में अंग्रेजी राजसत्ता का इतिहास यही है, जिसने अपने व्यापार-व्यवस्था को राजनीतिक सत्ता के लिए काम में लिया है जब उसने राजनीतिक सत्ता पर पूरा अधिकार कर लिया तो दुनिया को दिखाने के लिए इस तरह के नियम-कानून बनाए, जिससे वह अपने अधीन समाज के श्रम एवं भौतिक साधनों का खुला शोषण एवं दोहन कर सके। अंग्रेजी राजसत्ता ने अपने लगभग दो सौ वर्षों के शासन काल में भारत में यही किया।

हमें यह मालूम है कि अंग्रेजों का भारत पर अधिकार होने से पूर्व, विभिन्नताओं के बावजूद हमारा समाज सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग एक सोचवाला था। हमारे देश की सामान्य जनता की सांस्कृतिक मान्यताएँ एवं दिनचर्याएँ एक जैसी थी, भले ही उसके ऊपर शासन करने वाली राजनीतिक सत्ताओं के रूप कितने ही भिन्न क्यों न रहे हों? यही सांस्कृतिक सूत्र था, जो स्वाधीनता आंदोलनों के समय में भारतीय समाज को उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम में एकजुट करता था। औरंगजेब की साम्राज्यिक कट्टरता एवं अदूरदर्शितापूर्ण राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक दृष्टि के बावजूद निचले स्तर के मेहनतकश एवं उत्पादक भारतीय समाजों में हिन्दू-मुस्लिम जैसा साम्राज्यिक वैमनस्य नहीं था। आम जनता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने सम्बंधों का निर्वाह करती थी और उसकी स्मृतियों एवं संस्कारों में अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ के समय की उदारतापूर्ण तथा धार्मिक आजादी की संस्कृति का इतिहास अब तक मौजूद था। यहाँ पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि भारतीय समाज से अठारहवीं सदी में ही विदेशी एवं दूसरे धर्मों के समाजों का सम्पर्क पहली बार नहीं हुआ था। यहाँ बाहर विदेशों से आने वाली विभिन्न कौमों और समाजों का सिलसिला बहुत पुराना है लेकिन उनमें फर्क यह है कि बहुत पहले बाहर से आने वाली अन्य कौमें, भारतीय समाज में घुलमिलकर उसकी विविधता को समृद्ध करती रहीं। वे अपने जन्म, कर्म और मरण में पूरी तरह भारतीय हो गई।

उनका विदेशी स्वरूप, देरी स्वरूप में घदलकर भारतीय बन गया। धार्मिक रूप में इस्लाम का भारत में आगमन, भले ही एक यहु़ समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को आज भी एक भिन्न रूप दिये हुए है किन्तु आर्थिक-राजनीतिक तथा कला-संस्कृति के दोष में यह पूरे भारतीय समाज का अभिन्न अंग बन गया है। यह याहर से आकर भी भारतीय समाज का अपना अंग बन गया। यह यहीं जन्म सेता है, यहीं कमाता-याता है और यहीं अपनी सूजनकारी भूमिका अदा करता है और यहीं अपनी जीवन-लीला का समापन करता है। यह अंग्रेजों की तरह भारतीय समाजों और संसाधनों को लूटकर पूँजी को किसी अन्य देश में नहीं से जाता। भारत से भिन्न उसका कोई अपना इतिहास नहीं। भारत और उसका इतिहास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं।

इस इतिहास में अठारहवीं सदी में बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्प-स्वतंत्र शक्तियों के रूप में घंगाल, अवध, हैदराबाद और मैसूर में नवाबी राजसत्ताएं उठ खड़ी हुई तो उत्तर में राजपूत, जाट, सिख, जैसी नई स्वतंत्र राजसत्ताएं अस्तित्व में आईं। इससे पहले दक्षिण में मण्डा राज्य से पतनोन्मुख मुगल राजसत्ता को चुनौती मिली थी इस काल में यह भारत की सबसे शक्तिशाली राजसत्ता थी, लेकिन इस राजसत्ता के आपसी संघर्ष एवं अन्तर्धिरीधों के कारण यह उस केंद्रीय मुगलसत्ता का विकल्प होते हुए भी उसका स्थान न से सकी। पानीपत में अहमदशाह अव्दाली से 1761 में हुई मराठों की पराजय ने, अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी को घंगाल और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता के विस्तार का एक अच्छा अवसर प्रदान कर दिया। इसी नई उदीयमान ब्रिटिश सत्ता ने अन्ततः मराठों को पराजित कर भारत में अपनी सत्ता कायम की।
अठारहवीं सदी और अलवर रियासत का जन्म

अठारहवीं सदी की इन्ही राजनीतिक-आर्थिक परिस्थितियों का साभ उठाकर तथा अपनी दूरवृण्टि, निःरता, साहस तथा गहरी राजनीतिक समझ से जग्पुर राज्य के दाई गाँव के जागीरदार रावराजा प्रतापसिंह नरुका ने 1775 ई. में एक नई राजसत्ता अलवर रियासत का निर्माण कर लिया था। इस समय तक अंग्रेजी सत्ता भी भारत में अपना निरन्तर प्रसार कर रही थी। मराठों से उसका सीधा संघर्ष चल रहा था। उसने उन्नीसवीं सदी के आरंभ में मराठों को पराजित कर अपना प्रभाव कायम कर लिया था। महाराजा प्रतापसिंह नरुका के बाद उनके उत्तराधिकारी अलवर-नरेश बखावर सिंह ने 1803 ई. में अंग्रेजों से संधि कर, अंग्रेजी-सत्ता के बढ़ते वर्चस्व को स्वीकार कर लिया था। इस तरह, अलवर रियासत का राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, अंग्रेजी सत्ता की छव छाया में आरंभ हुआ। 1803 ई. में अंग्रेजी-शासनों से की गई संधि में बखावर सिंह को राजकाज चलाने की स्वाधीनता थी लेकिन 16 जुलाई 1811 ई. की दूसरी संधि में महाराव राजा बखावर सिंह अंग्रेजी-शासन की सहमति या जानकारी के बिना किसी अन्य राज्य से राजनीतिक व्यवहार नहीं रख सकता था। इस तरह अंग्रेजी शासन का शिकंजा धीरे-धीरे भारतीय देशी रजवाड़ों के शासक वर्ग पर कसता जा रहा था। अलवर के तीसरे नरेश विनय सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी-शासन का नियंत्रण पहले की तुलना में अधिक बढ़ गया था। इस नियंत्रण और अंग्रेजी शासन के सम्पर्क का दूसरा पक्ष यह है कि महाराजा विनयसिंह के शासन काल में ही अंग्रेजी-पद्धति की तर्ज पर देशी आधुनिक स्कूल 1842-43 ई. में अलवर में खोला गया। इससे सांस्कृतिक स्तर पर अंग्रेजी सभ्यता के

प्रभाव कायम होने आरंभ हुए, जो अच्छे और बुरे दोनों तरह के थे। उनसे सांस्कृतिक गुलामी के दोज बोए जाने आरंभ हो गए थे।

1857 का विद्रोह

सन् 1857 का भारतीय इतिहास में स्वाधीनता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सन् सत्तावन में जहाँ एक ओर यहाँ के हिंदी रियासतों के राजा-महाराजाओं की पुरानी तलबारें अंग्रेजी-शासन के बढ़ते शोषण, उत्पीड़न एवं नियंत्रण के विरुद्ध चमक उठी थीं। वहाँ इन्हीं इलाकों के किसानों और उनके बेटे अंग्रेजी फौज के सिपाहियों में अंग्रेजी शासन की विधर्मिता के प्रति तीव्र आक्रोश असंतोष एवं विद्रोह की लहर उठ खड़ी हुई थी। अंग्रेज इतिहासकारों ने जिसे सिपाही-विद्रोह या गदर नाम देकर उसकी भावना को बहुत छोटा करके दिखाने का प्रयास किया है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया है कि सन् 1857 का यह विराट विद्रोह, भारतीय समाज की स्वाधीनता की चेतना की पहली बड़ी एवं सामूहिक अभिव्यक्ति था। इसी आधार पर इसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस स्वाधीनता संग्राम की मुख्य विशेषता थी कि इसमें तत्कालीन भारतीय सामन्तवर्ग द्वारा हिस्सा लिये जाने पर भी, इसका चरित्र सामन्तवाद विरोधी था। भारतीय सिपाहियों की इस संग्राम में मुख्य भूमिका थी और वे अपनी समझ के अनुसार दिल्ली, अबध, बिहार के आंदोलनों को एक दूसरे से जोड़कर, उनको अन्तर्जनपदीय स्वरूप प्रदान कर रहे थे। यह लड़ाई लगभग दो साल तक चली। किसी युद्ध, संग्राम, लड़ाई या आंदोलन का इतने बड़े पैमाने पर दो साल तक चलना इस बात का सूचक है कि उसकी पृष्ठभूमि में कोई व्यापक जन-असंतोष है और उसका व्यापक जनाधार भी है। इस संग्राम की एक विशेषता यह थी कि इसमें भारत के सभी घर्गों ने हिस्सा लिया था। इसमें हिंदू-मुसलमानों की जैसी एकता देखने को मिली, वैसी कभी बिरले ही अवसरों पर मिली हो। इस संग्राम का नेता बहादुरशाह जफर को बनाया गया था। इस तरह भारतीय सेना ने सभी को एक सूत्र में बाँधे रखने की एक अच्छी तरकीब सोची थी, जिसने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। इस संग्राम के लोकसत्तात्मक चरित्र की बारीकी और सैन्य-सीमा को डॉ. रामविलास शर्मा ने इन शब्दों में व्यक्त किया है-

“भारत के बादशाह, नवाब, थेगमें, राजे-महाराजे, जर्मांदार साधारण आदमियों के समान कभी पहले ऐसे न दूके थे, जैसे अब सिपाहियों के सामने दूके। इज्जत उन्हीं की थी, जो रानी लक्ष्मीबाई और राणा वेनी माधो की तरह बीरतापूर्वक अंग्रेजों से लड़े। अंग्रेजों के पास थेहिसांव युद्ध सामग्री, तोपें और एनफील्ड राईफलें, अनुभवी अफसर, भारी सैन्यदल, रसद और लूट का माल था। बड़े-बड़े सामनों की भदद से उन्होंने दिल्ली, झाँसी, पटना के त्रिकोण में भारतीय सेना को धेर लिया। विषम परिस्थितियों में सिपाहियों ने स्वाधीनता, राष्ट्रीय एकता और नई लोकसत्ता के लिए जो संघर्ष किया, वह भारतीय इतिहास का अत्यन्त गौरवपूर्ण अध्याय है।”

इस संग्राम में तत्कालीन राजपूताने के देशी रजवाड़ों के शासकों की भूमिका, यद्यपि अंग्रेज-समर्थक रही तथापि कुछ छोटे सामन्त, जागीरदार, भूस्थामी व सिपाही तथा आम जनता की पूरी सहानुभूति भारतीय सेना के विद्रोही सिपाहियों के साथ थी। समय आने पर उन्होंने अपनी भावनाओं को सक्रियता में बदला। अलवर के तत्कालीन शासक विनयसिंह ने अंग्रेजी

फौज की सहायता के लिए आगरा अपनी सेना को भेजा, लेकिन उस सेना के एक सैनिक चिमन सिंह किलाणौत ने विद्रोह कर, अछनेरा में हुई लड़ाई में भारतीय विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। इससे पता चलता है कि राजपूताने में भी स्वाधीनता संग्राम के प्रति साधारण जनता में सहानुभूति थी।

इस संग्राम में भारतीय विद्रोही सेना पराजित हुई, लेकिन इसका लाभ यह हुआ कि तत्कालीन अंग्रेज-शासकों की निरंकुशता, नृशंसता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीड़न एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार पर कुछ अंकुश लगा। अंग्रेजी-शासक जैसा करना चाहते थे, वैसा करते रहने की अब वे नहीं सोच सकते थे। इतिहास गति की आंतरिक सचाई के बतौर पराजय के पीछे भी, विद्रोह और विरोध में जीत का एक आंशिक पक्ष छिपा हुआ रहता है। इस संग्राम के पश्चात् अंग्रेजों ने अपनी शासन-नीति में बुनियादी परिवर्तन किया। वे अब हिंदुस्तानियों को तन से नहीं 'मन' से जीतना चाहते थे। दरअसल, मन की विजय ही असली विजय होती है। निस्सन्देह, अंग्रेजी-सभ्यता और संस्कृति ने भारतीयों के 'मन' को जीता है और उनकी यह विजय, उनके शासन में उतनी प्रतीत नहीं होती थी, जितनी कि आज स्वाधीनता प्राप्ति के इन पद्धास वर्षों में महसूस होती है। आज हम चाहे कितने ही स्वदेशी के राग अलाएं, सभ्यता और संस्कृति के स्तर पर, अंग्रेजी सभ्यता हमारे मानस पर कहीं गहरे तक अपना अधिकार जमाती चली जा रही है। इसलिए भगवान् गांधी के नेतृत्व में जो स्वाधीनता आन्दोलन चला था, उसमें गांधी जी ने तन से अधिक मन पर जोर दिया था। अंग्रेजी-सभ्यता और संस्कृति की अच्छाइयों का प्रभाव गांधी जी के मन पर भी था, लेकिन उसकी अपसंस्कृति, असभ्यता, अमानवीयता, अन्याय, दम्भ-कपट गांधी के मन को नहीं जीत सके थे। गांधी जी ने अपने इसी शक्तिशाली भन और आत्मबल से स्वाधीनता आन्दोलन का नेतृत्व किया था। और उन्होंने 'सर्वोदय' की भावना के साथ राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के हक्‌ में स्वाधीनता आन्दोलन को दिशा दी थी।

यह इतिहास की विडम्बना और जटिलता की सूचक है कि अठारहवीं सदी के मध्य तक भारत, औद्योगिक विकास में इंग्लैण्ड और पश्चिमी यूरप से पिछड़ा हुआ नहीं था। यदि वह पिछड़ा हुआ होता तो इंग्लैण्ड और यूरप का व्यापारी यहाँ की मण्डी से माल खरीदकर अपने देशों में वेचने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आता। इस समय तक उस समय के प्रमुख उद्योग-वस्त्र उद्योग में इंग्लैण्ड, भारत से बहुत पीछे था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारी यहाँ से कपड़ा खरीद कर ले जाते थे। 1757 ई. में कलाइव ने जब मुर्शिदाबाद देखा तो उसने लिखा—“यह शहर उतना ही फैला हुआ, घनी आवादी वाला और धनी है, जितना लंदन का शहर है। फर्क़ यह है कि वहाँ की तुलना में यहाँ के व्यक्ति कहीं अधिक सम्पत्तिशाली हैं।” (रजनी पामदत्त, आज का भारत)

सबाल उठता है कि इंग्लैण्ड और यूरप की तुलना में भारत अपने औद्योगिक विकास और पूँजी-अर्जन की विद्या में कुशल एवं अग्रगामी होने के बावजूद, उन पिछड़ी हुई शक्तियों का गुलाम क्यों बन गया? इन्हीं बड़ी और विराट जनशक्ति होने के बावजूद, भारत उन मुट्ठीभर लोगों द्वारा क्यों हस्तगत कर लिया गया? इन सवालों का उत्तर हमारे देश के उस पिछड़ेपन में है, जो सामाजिक-राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर रहा है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि

इतिहास-गति में पैंडी की केन्द्रीय भूमिका होने पर भी, सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय समाज अठारहवीं सदी तक पैंडी-निर्माण और उसके संचय की कला में कितना ही कुशल क्यों न रहा हो, अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी परिस्थितियों में इंग्लैण्ड की तुलना में पिछड़ा हुआ था। हिन्दू समाज जातिवाद की क्रूर एवं अमानवीय सामाजिक व्यवस्था की वजह से इतना विखरा हुआ एवं विभाजित था कि उसका संख्यावल इसकी वास्तविक ताकेत नहीं बन पाता था। दूसरे, सामन्ती शासक वर्ग एवं सामान्य मेहनतकर जनता में इतना अलगाव और दूरी थी, कि जो एक राष्ट्रीय शक्ति के निर्माण की संभावनाओं को कमज़ोर करती थी। सामन्तों, साहूकारों की समृद्धि और सामान्य जनता की भुखमरी-दरिद्रता के बीच इतनी चौड़ी एवं गहरी छाई थी कि उसे पाटने की न किसी को फिक्र थी और न वह तत्कालीन राजनीतिक चिन्तन की जरूरत बन पाती थी। तीसरे, देश के भीतर हिन्दू-मुस्लिम समाजों के स्तर पर एक तरह का धार्मिक-सांस्कृतिक अलगाव था। यह अलगाव गंभीर वैज्ञानिक एवं मानवीय दृष्टि तथा उससे पुष्ट शिक्षा एवं नवजागरण से ही दूर हो सकता था, जिसका अभाव भारत में पहले से चला आ रहा था। इतिहास की इन दो महत्वपूर्ण धार्मिक-सांस्कृतिक हिन्दू-मुस्लिम धाराओं में, 1857 को राष्ट्रीय एकता के बावजूद अलगाव बना हुआ था। दरअसल, संकटकाल की एकता का अपना महत्व होने के बावजूद, इतिहास की गति को शान्तिकाल की एकता ही आगे ले जाती है। सृजन और निर्माण शान्तिकाल में ही होता है।

कहने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय समाज की इन अलगाववादी परिस्थितियों को निरन्तर हवा दी थी और इतिहास की फिरकापरस्त स्थापनाओं से इस कमज़ोरी को इतना उभारा था कि उनके शासन की जरूरत, भारतीयों को निरन्तर बनी रहे। चूंकि औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों किसी देश, समाज और राष्ट्र की राजनीति, समाजनीति और संस्कृति की दुनियाद होती हैं, इसलिए अंग्रेजी सत्ता ने सबसे पहले भारत की देशी उद्योग एवं व्यापार व्यवस्था को तबाह किया। सन् 1857 में जब गदर की शुरूआत हुई, तब 25 अगस्त 1857 को उस विप्रोह के सेनापति बहादुर जफर की ओर से एक इश्तहार निकाला गया, जो तत्कालीन आंदोलनकारियों की समझ के व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है। दरअसल, ये आंदोलनकारी केवल राजनीतिक स्वाधीनता के लिए संघर्ष न करके मुकम्मल आजादी के स्वातंत्र्य को लेकर इस संग्राम में उत्तरे थे। वहादुरशाह जफर का यह इश्तहार इस बात का सबूत है। इश्तहार के एक भाग का संबंध भारत के देशी व्यापार की दुर्दशा से है। इसमें बतलाया गया है- “यह बात साफ है कि दगावाज और काफिर विटिश हुकूमत ने सभी नफीस और कीमती चीजों का व्यापार, जैसे कि नील, कपड़ा और जहाजों में भेजी जाने वाली दूसरी चीजों का व्यापार अपनी मुद्दी में कर रखा है। यहाँ के लोगों के लिए छोटी-छोटी चीजों का व्यापार ही छोड़ा है और इसके मुनाफे में भी वे हिस्सा बैठते हैं। कस्टम्स के जरिए, दोवानी के मुकदमों में स्टाम्प फीस बौरह के जरिए, अपना हिस्सा बसूल करते हैं। लोगों के पास व्यापार नामचार को रह जाता है। इसके अलावा ढाक खर्च, चुंगी, स्कूलों के लिए चन्दे बौरह के रूप में व्यापारियों के मुनाफे पर टैक्स लगाते हैं। इस सब रिआयतों के बावजूद व्यापारी किसी ऐरे गेरे की शिकायत या इशारे पर जेल में डाले जा सकते हैं। या उन्हें नीचा दिखाया जा सकता है।”

यह है अंग्रेजी हुक्मत की असलियत और आंदोलनकारियों की तत्कालीन आर्थिक परिषेक्ष्य की समझ का एक प्रमाण। ये आंदोलनकारी केवल ब्रिटिश हुक्मत की आलोचना करने तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि जब उनका अपना स्वदेशी राज्य कायम हो जायेगा तो वे क्या करेंगे, यह भी इसी इश्तहार का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है— “ जब बादशाह की सरकार कायम होगी, तब धोखाधड़ी की ये सारी बातें खत्म कर दी जायेंगी और भी चौज छोड़े बिना हर माल का जल और थल का व्यापार खुला रहेगा। इसके सिवा अपना माल ढोने के लिए भाड़ा दिए बिना उन्हें सरकारी, भाप के जहाजों और भाप की गाड़ियों की सुविधा मिलेगी। जिन व्यापारियों के पास खुद की पूँजी नहीं है, उन्हें सरकारी खजाने से सहायता मिलेगी। ”

यह करने के लिए व्यापारी वर्ग का क्या कर्तव्य है, यह भी साफतौर पर बतला दिया गया है “ इस लिए हर व्यापारी का यह कर्तव्य है कि वह लड़ाई में शमिल हो और जैसी उसकी हालत हो, उसे देखते खुलकर या छिपकर आदमी और रुपये-पैसे से, बादशाही सरकार की मदद करे और ब्रिटिश हुक्मत के लिए अपनी बफादारी खत्म करे। ”

नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इस पहले चारण में सामन्तशाही की छत्रछाया में लोकहित के संदर्भ स्पष्ट हो रहे थे, जो भावी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए किये जाने वाले संघर्ष की पूर्व-पीठिका थे। इस चरण के नेताओं की यह साफ समझ थी कि अंग्रेजी साम्राज्यवादी सत्ता, भारतीय उद्योग और देशी अर्थव्यवस्था को निरन्तर तथाह कर रही है। यहाँ ब्रिटिश सरकार ने जो अपना प्रशासनिक ढाँचा कायम किया, वह इंग्लैण्ड में घनी वस्तुओं को पूरा संरक्षण देता था तथा भारतीय उद्योगों में घनी वस्तुओं पर भारी आवात शुल्क लगाकर उनको तथाही के कगार पर पहुँचाता था। इसी का परिणाम यह हुआ कि जो भारतीय समाज अपनी देशी एवं स्वाभाविक ऐतिहासिक गति से अपना विकास करता, अंग्रेजी-सत्ता ने उस स्वाभाविक गति में तीव्र एवं गंभीर अवरोध पैदा किये। इससे मुगलकालीन शासन की उन समस्त उपलब्धियों पर पानी फिर गया, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विश्व के नक्शे पर ला रही थी और जिसकी औद्योगिक ऊँचाई की पूरे विश्व में थाक थी। अंग्रेजों से पूर्व भारतीय सामनों के आत्मरिक गृहकलह और अहं भावना और बाद में स्वयं अंग्रेजी सत्ता ने विकास की उस स्वाभाविक धारा को बहने से रोककर नए कर दिया। उस धारा के ऊपर उन्होंने अपनी उस धारा को बहाया, जो भारतीय समाज के स्वाभाविक प्रवाह के प्रतिकूल थी। यद्यपि अंग्रेजी सभ्यता से जुड़े ज्ञान-विज्ञान और पूँजीयादी समाज की नई आधुनिक समझ एवं विदेक से एक नई तरह का रशान, भारतीय समाज के जागहक, विकेन्सम्पन्न एवं संवेदनशील तथके में उत्पन्न हुआ, जो पर्याप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक नवजागरण के सूर्य के रूप में उदित हुआ। जिसके फलस्वरूप तथापालीन भारतीय समाज के अज्ञान, अविदेक, रुद्धिवाद एवं मध्यकालीन नजरिये से संघर्ष की गंभायताएं जन्मीं और जिन्होंने आधुनिक विदेक को ताकत से लोकतांत्रिक मूल्यों की पीठिका पैदार की। इससे भारत में एक नई संस्कृति घनपने लगीं और इस तरह अंग्रेजी-सभ्यता के रक्षणात्मक आर्थिक यर्थावधि के साथ-साथ भारतीय समाज पर सांस्कृतिक वर्चस्व भी फायदम दूँगा। अंग्रेजी-सभ्यता के सांस्कृतिक यर्थावधि में मुक्त होना आसान नहीं था। यही कारण है कि

अंग्रेजी-साम्राज्यवाद से 1947 ई. में राजनीतिक मुक्ति मिलने के बावजूद भारतीय समाज पर उनका सांस्कृतिक वर्चस्व कायम रहा। स्वतंत्र भारत में वह वर्चस्व, कम होने के बजाय दूनी रात चौंगुनी गति से बढ़ा है। आज हमारी अपनी जनभाषाएँ, अंग्रेजी के सामने खड़ी हो पाने में लज्जा का अनुभव करती हैं। पूँजी-निर्माण और शासन-प्रशासन के सारे बड़े काम अंग्रेजी में ही होते हैं। देशी भाषाएँ, भारतीय समाज की निरक्षरता और निर्धनता के कारण उसकी विवशता हैं। नए ज्ञान-विज्ञान और नई तकनीकों के लिए वह अंग्रेजी के प्रभुत्व से आज भी मुक्त नहीं है। इस बजह से उस सभ्यता और संस्कृति का रौब-दाब भारतीय समाज पर आज अंग्रेजी-शासन काल से भी ज्यादा है।

उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध से ही, अंग्रेजी-सभ्यता और ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क के कारण, भारत में जो सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण की एक लहर चली थी, उसने भारतीय समाज को 'नई कर्जा और स्फूर्ति' से भरकर एक नई राह पर चलाया। समन्वयवाद और भव्यमार्ग पर चलकर भारतीय समाज धीरे-धोरे भीतर से अपने स्वरूप को बदलने के लिए तैयार होने लगा। इस जागरण के प्रमुख व आधुनिक भारत के पहले महान सांस्कृतिक नेता राममोहनराय के मन में जहाँ एक ओर भारत की प्राचीन दर्शनिक मान्यताओं और विचारों के प्रति बहुत प्रेम एवं सम्मान था, वहाँ दूसरी ओर वे इस बात को स्वीकार करते थे कि भारतीय समाज और संस्कृति को नया विवेक पाश्चात्य संस्कृति से ही दिया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि परिचमी सभ्यता की बुराइयों को छोड़ते हुए उनके पास हम को सीखने और अंगीकार करने के लिए बहुत कुछ है। हमें अपनी विकृतियों को छोड़ना होगा और अपनी अच्छाइयों को बचाते हुए परिचमी सभ्यता की उन अच्छाइयों को अपने समाज का अंग बनाना होगा, जो आज के बल उनके ही पास हैं। राममोहनराय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे नवजागरण के प्रणेता अपनी संस्कृति के सुपक्ष के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव रखते हुए भी पाश्चात्य संस्कृति के अंधविरोधी नहीं थे। इन सांस्कृतिक नेताओं की यह विशेषता थी कि ये किसी भी तरह की संकीर्णता एवं कटूरता की ग्रन्थि से सर्वथा मुक्त थे। यही कारण है कि इनके विचारों को मान्यता देकर सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन करने के लिए एक नया वर्ग भारत में तैयार हुआ। उसे समय के नवजागरणकर्ताओं में डेविड हेअर, स्काटिश धर्म प्रचारक अलेकोडर डफ्फ, ट्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, चंद्रशेखर देव और तोहाचन्द्र चक्रवर्ती ने भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण करने में राममोहन राय की बहुत मर्दद की थी। उन्नीसवीं सदी के तीसरे दशक के अन्त में और चौथे दशक में एक एंग्लो इंडियन नौजवान हेनरी विवियन डेरोजिओ ने हिंदू कालेज, कलकत्ता में एक शिक्षक के रूप में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उसने अनेक छात्रों को एकत्र कर उनको विवेकपूर्ण व मुक्त ढंग से सोचने, सभी आधारों की प्रमाणिकता की जाँच करने, स्वाधीनता, समानता और मुक्ति से प्रेम करने तथा सत्य का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। इनका आन्दोलन 'यंग बंगाल' के नाम से मशहूर हुआ। बंगाल में एक विवेक संपत्ति पीढ़ी को प्रेरित करने में इस आन्दोलन की बड़ी भूमिका है। डेरोजिओ की क्रांतिकारी मान्यताओं और व्यवहार के कारण उन्हें कॉलेज से हटा दिया गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने भी इस नवजागरण में उल्लेखनीय भूमिका अदा की। उन्होंने 1843 ई. में ब्रह्मसमाज का पुनर्गठन किया, जिसने नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह का उन्मूलन, रैयत की दशा में

सुधार तथा आत्म संयम पर विशेष बल दिया। इसी धारा में बंगाल में नवजागरणकर्ता दूसरा बड़ा व्यक्तित्व उभरा-ईश्वर चन्द्र विद्यासागर। ये एक बड़े संस्कृत मनीषी थे, साथ ही पाठ्यात्य चिन्तन के सर्वोत्तम को स्वीकार करने में भी इनके मन में कोई ज्ञानक नहीं थी। ये आत्माभिमानी तो थे किन्तु अपनी परम्पराओं के प्रति श्रेष्ठता का दंभ इनमें नहीं था। इनके जैसा संतुलित और सर्वसमावेशी व्यक्ति विरला ही होता है। बंगाल में आज तक भी इनके उदात्त चरित्र, व्यवहार, नैतिक गुणों और अगाध मानवतावाद की अनेक कहानियाँ कही जाती हैं। इनकी प्रेरणा से ही भारत की सर्वर्ण जातियों में पहला हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून कलकत्ता में 7 दिसम्बर 1856 को लागू हुआ।

पाश्चात्य शिक्षा और विचारों का प्रभाव पश्चिमी भारत से पहले पूर्वी भारत में खासकर बंगाल में कायम हुआ। पश्चिमी भारत ब्रिटिश नियंत्रण में उन्नीसवीं सदी के दूसरे दशक में आया। इसलिए पश्चिम में नवजागरण किंचित विलम्ब से प्रारंभ हुआ। 1849 ई. में महाराष्ट्र में परमहंस मण्डली की स्थापना हुई। इसके सदस्य एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, तथा जातिवर्धनों को तोड़ने के पक्षधर थे। जोतिवा फुले और उनको पल्ली ने 1851 ई. में पूजे में एक बालिका विद्यालय खोलकर नारी तथा दलित वर्ग के लिए शिक्षा का प्रसार करने में बहुत उल्लेखनीय भूमिका निभाई। विष्णुशास्त्री पंडित ने इन्हीं दिनों 'विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन' की स्थापना की। उत्तर एवं मध्य भारत में इन दिनों में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के प्रति अंसतोष एवं आक्रोश तो बहुत अधिक था, लेकिन नवजागरण की कोई बड़ी शुरूआत इस बड़े भूभाग में हुई हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर बदलाव के कुछ प्रयत्न महर्षि दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद द्वारा किये गये जो सुधारात्मक कार्यों के रूप में सामने आते हैं। दरअसल, हिंदी-प्रदेश में अंग्रेजी-राज के प्रति आरंभ से ही विरोध का स्वर प्रमुख रहा। उनकी आधुनिक सभ्यता और शिक्षा की तुलना में उनके द्वारा किये गये जो सुधारात्मक कार्यों के रूप में सामने आते हैं। दरअसल, हिंदी-प्रदेश में अंग्रेजी-राज के प्रति आरंभ से ही विरोध का स्वर प्रमुख रहा। उनकी आधुनिक सभ्यता और शिक्षा की तुलना में उनके द्वारा किये गये छल-कपट, घड़यांत्र, दगावाजी, शोषण, उत्पीड़न, दमन, और उनकी क्रूरता की पराकाष्ठा ने हिंदी-प्रदेशों के नागरिकों के मन में उनकी चेतना, विवेकपरम्परा, ज्ञान विज्ञान व नई शिक्षा-व्यवस्था के प्रति सम्मान के अंकुर जमने ही नहीं दिए। जब कि बंगाल एवं महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हुआ। वहाँ उनके विरोध एवं समर्थन की दोनों भागाएं साथ-साथ वहीं। बंगाल में अंग्रेजी सभ्यता की अच्छाइयों को स्वीकार कर, अपनी बुराइयों से लड़ने वाले लोगों की एक परम्परा है। डॉ. रामविलास शर्मा ने लिखा है कि "बंगाल में दो तरह के नवजागरण हुए: (1) अंग्रेजी राज बना रहे, उसमें रहते हुए हम शान्तिपूर्वक समाज सुधार करते रहे और (2) अंग्रेजी राज में लाखों आदमी भूख से दम तोड़ रहे हैं; इस राज को हर संभव उपाय से खत्म करो।" यह विदित है कि हिंदी-प्रदेशों में 1857 का पहला स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। उसमें किसान, दस्तकार, सैनिक, छोटे सामन्त, कुछ राजा-नवाब आदि ने भाग लिया लेकिन नई सभ्यता की आधुनिकता को स्वीकार करने के लिए जिस तरह के नवजागरण और नए विवेक की आवश्यकता होती है, उसका अभाव इन क्षेत्रों में बना रहा। इसी का परिणाम है कि ये इलाके रुद्धिवाद और संकीर्णता को संरक्षण देने में आज तक पीछे नहीं हैं। इस हिन्दू इलाके में अंग्रेजी-शासन के प्रति गुस्सा और नाराजगी तो बहुत थी, लेकिन एक विदेशी चालाक और नई सभ्यता की नई तकनीकों से युक्त शासक वर्ग के विरुद्ध उस नाराजगी का एक बड़ा विकल्प तैयार कर पाना मुश्किल था। यह तभी संभव था, जबकि पूरे देश की

जनता में आधुनिक मूल्यों पर आधारित एक नए तरह के समाज के निर्माण का लक्ष्य भी नेतृत्व के मन और आचरण में हो। इस तरह के नए समाज के निर्माण का आधुनिक स्वरूप स्वाधीनता आंदोलन के दूसरे चरण में निर्मित हुआ, जिसकी आधारभूमि उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में चलने वाले नवजागरण तथा नई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के निर्माण से बनी। निससंदेह, इस नयी चेतना को निर्मित करने में अंग्रेजी-सम्पर्क, उनकी शिक्षा का स्वरूप और ज्ञान-विज्ञान की आधुनिक चेतना की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब कि दूसरी ओर अंग्रेजी-शासक वर्ग के मन में भारतीय समाज के अवाध शोषण के लिए इसे लम्बे समय तक पिछड़ा हुआ रखने की दुरुभिसंधि लगातार चल रही थी। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अंग्रेजी शासक वर्ग भारत का शोषण करके अपने देश की समृद्धि के लिए यहाँ शासन कर रहा था, न कि भारतीय समाज को एक प्रगतिशील एवं विकसित समाज बनाने के लिए। यह अलग बात है कि उनके साथ आने वाले और शोषण का माध्यम बनने वाले नए ज्ञान-विज्ञान के सम्पर्क से भारतीयों के विचारों में सामन्ती एवं पूर्व-पूँजीवादी सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर एक नए तरह के स्वराज्य और सुराज्य का सपना निर्मित हुआ। अंग्रेजी शासक वर्ग अपनी कूरता, अहम्मन्यता और अत्याचारों के लिए बहुत बदनाम था। लेकिन उसे अपना साम्राज्य चलाने के लिए भारतीय कर्मचारियों, अनुचरों, सेवकों, सैनिकों की भी बड़ी ज़रूरत थी। ये सभी उसे यहीं तैयार करने थे। ये तभी तैयार हो सकते थे, जब कि ये अपने देश इंग्लैण्ड जैसे प्रशासनिक ढाँचे का निर्माण यहाँ करें। इसी ढाँचे में कहीं 'स्वाधीनता' का वह बीज भी था जो साम्राज्यवादी क्लूर व्यवस्था के विरोध में अंकुरित हो रहा था। इस नये ढाँचे के निर्माण के लिए 1857 के पहले अंग्रेजी-शासक वर्ग ने बहुत आधे-अधूरे मन तथा हिचकिचाहट से भारत को आधुनिक बनाने की कोशिश की थी, मगर 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद वे बदले की भावना से 'फूट डालो और राज करो' की दुर्नीति पर खुले आम आ गए। यहाँ की साम्राज्यिक और जातिप्रथा पर आधारित सामाजिक विभाजनकारी व्यवस्था को वे हवा देने लगे। इस काम को करने में उन्होंने शिक्षा की उस नई पद्धति को प्रमुख माध्यम बनाया जो भारतीय समाज के अन्दरूनी विभाजन को तथ्यों के विरुद्ध मनमाने तरीके से प्रस्तुत कर रही थी। इतिहास को उन्होंने साम्राज्यिक एवं जातीय रंग देकर हिन्दुओं के मन में मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों के मन में हिन्दुओं के प्रति नकरत के बीज बोए। इसी तरह हिन्दुओं में सामाजिक स्तर पर विभिन्न जातियों के घृणाप्रक अलगाव को भी उन्होंने भड़काने एवं उकसाने का औजार बनाया। इससे उनका निर्णायिक भूमिका में बने रहकर शासन करना आसान हो गया। तीसरे, यहाँ की देशी रियासतों के सामन्ती शासकों को शोषण करने व खिलास करने की छूट देकर सामनवाद को जीवित रख कर अपनी भंजिल को आसान बनाया। जहाँ सीधे-सीधे ब्रिटिश शासन था, वहाँ भी अंग्रेजी शासक वर्ग ने जर्मांदारी व्यवस्था कायम करके सामनवाद को सुदृढ़ किया।

1857 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गये थे, इससे उच्च शिक्षा का प्रसार इन क्षेत्रों में तैजी से हुआ। हिंदी इलाकों में इस तरह की शिक्षा का कोई बड़ा केन्द्र अभी नहीं बना था। 1857 तक आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय शिक्षित वर्ग ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने से इन्कार कर दिया था, जिसकी ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रशंसा की थी, लेकिन इनमें से कुछ ने उसके बाद इस ज्ञान का उपयोग ब्रिटिश शासन के साम्राज्यवादी

चरित्र का विरलेपण करने तथा प्रशासन में भारतीय भाषीदारी की माँग रखने के लिए किया। इससे अंग्रेजी शासक वर्ग तथा शिक्षित भारतीय वर्ग के बीच टकराहट की शुरूआत हुई। इस टकराहट को शाना य समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने दिसंप्यर 1885 ई. में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब ब्रिटिश शासक वर्ग इन नए शिक्षितों का विरोधी बनकर यहाँ के पुराने जर्मांदारों, भूस्यामियों, सामन्तों की तरफदारी करने लगा। इसी तरह उन्होंने समाज-सुधारों के प्रवल्लों का साथ न देकर भारत के तत्कालीन राष्ट्रियादी एवं प्रतिक्रियावादी वर्गों को उकसाना आरंभ कर दिया। जब्तक साल नेहरू ने अपनी पुस्तक 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' में लिखा है कि "भारत के प्रतिक्रियावादियों के साथ ब्रिटिश सत्ता के इस स्थाभाविक गठजोड़ के कारण, अंग्रेज उन अनेक कुरीतियों और कुप्रधारों के संरक्षक बन गए, जिनकी अन्यथा ये निन्दा करते थे।" साथ ही फौज एवं नागरिक प्रशासन पर ये अधिकांश भूराजस्य को उच्च करने लगे, जिससे सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन आदि की उपेक्षा हुई और इनमें अत्यन्त पिछड़ापन बना रहा। श्रमिकों और कारखानों की दशा बहुत शोचनीय थी। प्रेस पर पार्वदियाँ थीं। दूसरी ओर तत्कालीन शिक्षित एवं राजनीतिक-सामाजिक रूप से जागरूक भारतीय वर्ग गढ़ीय आंदोलन को खड़ा करने में प्रेस को बहुत बड़ी भूमिका के रूप में देख रहा था। इसलिए राममोहन राय से लेकर तिलक, मालवीय जी, लाला लाजपतराय, गांधी जी आदि सभी ने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इससे प्रेस राष्ट्रीय आंदोलन के हाथों में एक बड़ा हथियार बन गया। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 ई. में भारतीय प्रेस को प्रतिवर्धों से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पास करके भारतीय भाषाओं के सामाचार पत्रों पर सख्त पार्वदियाँ लगा दी गईं। उस समय के जाग्रत जनमत ने इसके विरुद्ध आवाज ढाई और यह नया कानून 1882 में रद्द कर दिया गया। इसके बाद जब राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन गति पकड़ने लगा तो उसके दमन के लिए 1908 और 1910 में दमनकारी प्रेस कानून बनाए गए। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करते हुए एक नस्लवादी शासन चलाया। इससे अंग्रेजों और भारतीयों का मन कभी एक न हो सका।

ब्रिटिश शासन का हमारी देशी अर्थव्यवस्था के विघटन करने और दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बर्बादी करने में बहुत बड़ा हाथ था। भारतीय किसानों के शोषण-उत्पीड़न, दरिद्रता व भुखमरी का एक अमानवीय इतिहास, अंग्रेजी शासन की देन रहा है। शोषण-दमन करने के मामले में अंग्रेजी शासक वर्ग, यहाँ के देशी शासक वर्ग से चार कदम आगे था। अंग्रेजों ने यहाँ नए कानून बनाकर एक ऐसी नवी जर्मांदारी व्यवस्था कायम की, जो उनको कानूनी लूट के अधिकार दे सके। कानून बनाकर कानूनी ढंग से समाज का शोषण करने एवं लूटने की प्रथा चलाने का 'श्रेय' अंग्रेजी शासक वर्ग को है। लेकिन यह भी सत्य है कि इस अंग्रेजी कुशासन के प्रति भारतीय जनता के आक्रोशस्वरूप विद्रोह, विरोध और आंदोलनात्मक कार्यवाही सतत चलती रही। अपने शासन को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश शासक वर्ग ने जहाँ एक और विरोधियों का क्रूर दमन किया, वहाँ दूसरी ओर अनेक प्रकार के समझौते किये।

1885 : कांग्रेस का जन्म

उश्मीसर्वी सदी का जागरूक भारतीय मध्यवर्ग अब तक इतना जान गया था कि संगठित विरोध और सामूहिक जागृति द्वारा ही ब्रिटिश शासन की ज्यादतियों का मुकाबला किया जा

सकता है। इसके लिए 1837 से ही विभिन्न वर्गहितों से सम्बद्ध संस्थाएँ गठित की जाने लगी। वंगाल, विहार, उड़ीसा के जर्मीदारों के हितों की रक्षा करने वाली पहली सार्वजनिक संस्था 'लैंड होल्डर्स सोसायटी' का गठन 1837 में किया गया। इसके बाद 1843 में सामान्य सार्वजनिक हितों को साधने के उद्देश्य से 'वंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी' का गठन किया गया। इन संस्थाओं को भूमिका विरोधात्मक न होकर सुधारात्मक एवं निवेदनप्रक थी। 1857 के बाद शिक्षित भारतीयों और अंग्रेजी-शासकों के बीच की खाई चौड़ी होती गई। दादाभाई नौरोजी ने अपने अर्थशास्त्र सम्बन्धी लेखों में यह स्पष्ट किया कि भारत की दरिद्रता का कारण है- ब्रिटिश शासक वर्ग द्वारा भारत का शोषण। इन्होंने 1866 में 'ईस्ट इंडियन एसोसिएशन' नामक संस्था की स्थापना की और राष्ट्रीय आनंदोलन के लोकप्रिय नेताओं में प्रमुख बने। 'पूना सार्वजनिक सभा' की स्थापना करके जस्टिस रानाडे ने राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्ति दी। वंगाल में 1876 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में 'इंडियन एसोसिएशन' नामक संस्था की स्थापना की गई। 1881 में 'मद्रास भाजन सभा' और 1885 में 'बाब्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन' बनी। इस तरह क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएँ बनीं, किन्तु अखिल भारतीय स्तर के संगठन के रूप में पहला संगठन- 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस' दिसम्बर 1885 में बना। इतिहास की यह विडम्बना और विचित्र गति ही है कि इसकी स्थापना का श्रेय एक रिटायर्ड अंग्रेज अफसर ए.ओ. ह्याम को है। दिसम्बर 1885 में बाब्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों में मुख्य थे- देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच एकता कायम करना, जाति, धर्म या क्षेत्र (प्रांत) की संकीर्ण भावना के विरुद्ध राष्ट्रीय आधार पर सभी की एकता का विकास, जनता की मौगों का सूचीकरण और उनका सरकार के सामने प्रस्तुतीकरण तथा देश में जनमत का प्रशिक्षण व संगठन करना। दरअसल, इस संगठन के माध्यम से अंग्रेज शासक वर्ग यह चाहता था कि भारतीय जनता के असंतोष को पहचान कर, शिक्षित वर्ग को संतुष्ट रखते हुए किसी तरह के जन-विद्रोह को न भड़कने दिया जाय। किन्तु इतिहास की गति सदैव शासक वर्ग के अनुसार ही नहीं चलती है। सत्य तो यह है कि उसे चलाने में उत्पादन-कार्यों में लगी हुई मेहनतकर जनता का योगदान ही मुख्य होता है। जागरूकता एवं चेतना के अभाव, संगठन विहीनता और शासन-सत्ता के दण्ड-दमन के डर और कुछ लोगों को सत्ता द्वारा पद और पैंजी के प्रलोभन से भेदनीतिकृत विभाजन की वजह से सामान्य जनता सत्ता के आदेशों का पालन करने को वाध्य होती है। जब उसके भीतर चेतना आ जाती है, वह संगठित हो जाती है, तथा कुछ लोग अपने जीवन तक का बलिदान करने को तैयार हो जाते हैं, तो सत्ता का सिंहासन डोलने लगता है। हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आनंदोलन के दूसरे चरण की कहानी यही है।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में एक ओर तो भारतीय जनता की राजनीतिक चेतना का अभ्युदय हुआ, दूसरी ओर सामाजिक-वैद्यारिक स्तर पर सुधारात्मक एवं जागरणात्मक उपायों का एक गंभीर सिलसिला आरंभ हुआ। इन दिनों एक तरह से मुक्ति का एक समग्र आनंदोलन चला। अब केवल पुरुष वर्ग ही नहीं, पढ़-लिखकर स्त्रियाँ भी मुक्ति-आनंदोलन में भाग लेने लगीं। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस

अधियेशन को सम्मोहित कर यह दिखला दिया कि इस मुक्ति आंदोलन से सदियों से समाज की क्रूर प्रथाओं और अमानवीय मान्यताओं के कुटिल पारा में जकड़ी हुई स्थियों की मुक्ति भी जुड़ी हुई है। हमारा यह स्वाधीनता आंदोलन इस बात का प्रमाण भी है कि अब सामाजिक अन्याय के रूप में सदियों से चली आती धूणा व अपमान पर आधारित जाति-व्यवस्था के बन्नों पर भी गाज गिरने याली है। यह सच है कि कोई भी बड़ा आन्दोलन तभी बड़ा होता है, जबकि समाज, शोषक-उत्पीड़क पक्ष की आलोचना करने के साथ-साथ, आत्मलोचना करने की सामर्थ्य भी अपने भीतर पैदा करे। महर्षि दयानंद, विवेकानंद जैसे मनीरिंयों ने समाज में यह सामर्थ्य पैदा की। भारत के राष्ट्रीय प्रेस ने भी इस काम में महस्यपूर्ण भूमिका निभाई।

1885 से 1905 तक की अधिकि में संवैधानिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधार तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा जैसे कार्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने कराये। इस काल के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं में दादाभाई नौरोजी, बद्रुद्दीन तैयब जी, फिरोजशाह भेहता, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, पी० आनंद, आनंद मोहन घोस, गोपालकृष्ण गोखले, महादेव रानाडे, बालगंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय आदि थे। सांस्कृतिक शेत्र की राष्ट्रीय मुक्तिभारा में अग्रणी थे- महर्षि दयानंद, गोपाल हरि देशमुख, आर० जी० भंडारकर, गोपाल गणेश आगरकर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्रीमती एनीवेसेंट, सैयद अहमद खाँ, मुहम्मद इक्याल आदि। ये सभी समाज सुधारक, विचारक और परिवर्तन के समर्थक थे और तर्कवुद्धि एवं मानवतावाद के पोषक थे। यद्यपि इनकी अपनी सीमाएँ थीं लेकिन इन सुधारखादी प्रयत्नों से जहाँ एक ओर भारतीय जनता में आत्मगौरव व आत्मसम्मान का भाव पैदा हुआ, वहीं उसे अपनी खामियों, कमियों और कमजोरियों की पहचान भी हुई। इन्होंने जातिप्रथा के विरुद्ध संघर्ष चलाकर शिक्षा के प्रसार तथा नारी मुक्ति के लिए विशेष प्रयास किये।

गरमपंथियों का प्रभाव

1905 से 1918 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलनों का चरित्र अपेक्षाकृत जु़झारू हो गया। इससे पूर्व जो नरमदलीय राजनीति चल रही थी, इस काल में वह गर्मदलीय राजनीति में बदल गई। इसे इतिहास में जु़झारू राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। 1905 में इसकी पहली अभिव्यक्ति बंगभंग के विरुद्ध आंदोलन के रूप में हुई। इस आंदोलन के शीर्षस्थ नेता थे लोकमान्य बालगंगाधर तिलक।

इस काल में बंगभंग के विरुद्ध व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय एकता का बातावरण बना। उस समय राष्ट्र प्रेम की भावना ने पूरे देश की जनता को सराबोर कर दिया। उस समय बंगाल के नेताओं ने यह महसूस किया कि जनभावनाओं की तीव्रता को लम्बे समय तक बनाये रखने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया जाए। इस आंदोलन को अपार सफलता मिली। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इस स्वदेशी भावना के विकास का चित्रण इन शब्दों में किया है-

“अपने उत्कर्ष के दिनों में स्वदेशीवाद ने हमारे सामाजिक और धरेलू जीवन की संरचना को रंग दिया था। शादी के उपहारों में मिली ऐसी विदेशी वस्तुएँ चापस कर दी जाती थीं, जिनके १-५५.. के अन्दर तैयार की जाती थीं। पुरोहित ऐसे यज्ञों को कराने से इन्कार कर देते

थे, जिनमें नैवेद्य के रूप में विदेशी वस्तुएँ चढ़ाई जाती थी। अतिथि उन आनंदोत्सवों में भाग लेने से इन्कार कर देते थे, जिनमें विदेशी नमक या विदेशी चीजों का इस्तेमाल होता था।”

इस आन्दोलन से उत्पन्न स्वदेशी व स्वराज्य के नारे को अन्य भारतीय प्रान्तों ने भी अपनाया। बंगभंग के विरोध और स्वदेशी के समर्थन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में बम्बई, मद्रास तथा उत्तरी भारत में भी आनंदोलन चलाए गए। देश के अन्य भागों में स्वदेशी और स्वराज्य के समर्थन में सबसे प्रभावकारी भूमिका लोकमान्य तिलक की रही। उन्होंने लड़ाकू-राष्ट्रवादी आनंदोलन को खड़ा किया- जिसमें उनके साथ बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय का अग्रणी योगदान रहा। इसी बीच क्रान्तिकारी आतंकवाद भी पनपा। बंगाल के अनेक नवयुवक इस काम में आगे आए। इससे राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलने का अवसर मिला। त्याग और वलिदान की भावना के ऊंचे उदाहरण इस क्रान्तिकारी आतंकवाद से सामने आए।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दो राष्ट्रवादी धाराओं के रूप में नरम पंथी और गरमपंथी आमने-सामने आ गये थे। इन दोनों धाराओं में फूट डाले रखने के उद्देश्य से 1909 में ‘इंडियन कार्डिनल्स एक्ट’ के जरिए संवैधानिक रियायतों की घोषणा विट्ठि शासन ने की। 1911 में बंगभंग रद्द करने की घोषणा की गई। दरअसल 1909 के एक्ट की इन रियायतों का उद्देश्य, रियायतें देना उतना नहीं था, जितना कि हिन्दू-मुसलमानों की राष्ट्रवादी जमातों में फूट डालना। इन रियायतों के अन्तर्गत मुसलमानों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में रखा गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि नरमपंथियों का जन-समर्थन कमज़ोर पड़ा और लोकमान्य तिलक जैसे लड़ाकू राष्ट्रवादियों के नेतृत्व को उभरने का अवसर मिला।

अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से साम्प्रदायिकता के बीज भारतीय राजनीति में बो दिए थे, जो विट्ठि शासक वर्ग भारतीय मुसलमानों की 1857 के विद्रोह का मुख्य अपराधी मानकर उनकी ओर उपेक्षा कर रहा था, उनकी कुटिल प्रशासन-नीति ने अब उनके प्रति एक बनावटी सहानुभूति का नाटक करना आरंभ कर दिया था। अंग्रेज-शासक वर्ग दरअसल यह अच्छी तरह समझ गया था कि भारत के इन दो बड़े धार्मिक समुदायों- हिन्दू-मुसलमान को आपस में लड़ाते-भिड़ाते रहकर अपनी मंजिल को आसान किया जा सकता है। बंगभंग से ही इसकी शुरूआत हो गई थी। 1906 में आगा खाँ, दाका के नवाब तथा नवाब मोहसिन उल-मुल्क के नेतृत्व में कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय एवं धर्मनिरपेक्ष संगठन के प्रतिरोध स्वरूप ‘आल इंडिया मुस्लिम लीग’ की स्थापना हुई। यद्यपि देश के अनेक सवयुलर मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस में रहकर, अकबर- जहाँगीर-शाहजहाँ के समय की तथा 1857 काल की राष्ट्रीय एकता एवं सर्वधर्मसम्पादकी भाव-प्रभाव का निर्वाह किया। मौलाना अब्दुल कमाल आजाद का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इसके बावजूद अंग्रेजों की कुटिल भेदनीति तथा कुछ उच्चवर्गीय मुस्लिम सामनों, नवाबों और जर्मांदारों के स्वार्थ ने राष्ट्रीय एकता को तोड़ने में अगुआई की। इससे देश के समस्त नागरिकों की समस्याएँ एक न रहकर, हिन्दू-मुस्लिम समस्याएँ हो गई।

इस संदर्भ में हमारे प्रबुद्ध इतिहासकारों ने यह ठीक लिखा है कि “इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते हमें, यह भी जानना चाहिए कि जिस तरह उन दिनों स्कूलों और कॉलेजों में भारतीय

भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक बड़ा समझौता- कॉंग्रेस-लीग समझौता हुआ, जिसे 'लखनऊ समझौते' के नाम से जाना जाता है। इससे पूरे देश में उत्साह का बातावरण एवं जोश पैदा हुआ। इस समझौते का प्रभाव ब्रिटिश शासक वर्ग पर इतना हुआ कि उसने 20 अगस्त 1917 को घोषणा की "ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न भाग के रूप में जिम्मेदार भारत सरकार की उत्तरोत्तर स्थापना की दृष्टि से स्वायत्त संस्थानों के क्रमिक विकास" जुलाई 1918 में मार्टिन्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों की घोषणा की गई, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाएँ इतने से संतुष्ट नहीं हुईं। यहीं से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का तीसरा एवं आखिरी दौर आरंभ हुआ, जिसकी बागडोर युगपुरुष महात्मा गांधी ने संभाली।

गांधी और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन

मार्टिन्यू-चेम्सफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत संवैधानिक सुधारों के फलस्वरूप 'गवर्नरमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट 1919' बना। इस समय तक भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन स्वराज्य और स्वाधीनता की स्थिति तक आ गया था, केवल कुछ रियायतों तक सीमित रहने से उसकी तुष्टि संभव नहीं थी। उधर दूसरी ओर ब्रिटिश शासक वर्ग तुष्टि एवं दमन दोनों नीतियों पर चल रहा था। उसका असली चेहरा तो दमनकारी था। दमनकारी कदमों को विधि सम्मत रूप देने के लिए सरकार ने रैलट एक्ट पास किया, जो ब्रिटिश शासन के दमनकारी कानूनों में एक कुख्यात कानून के रूप में जाना गया। इस एक्ट से भारतीय जनता ने खुद को धोर अपमानित महसूस किया। इसके खिलाफ पूरे देश में एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा हो गया, जिसका नेतृत्व संभाला- मोहन दास कर्मचंद गांधी ने। इससे पहले गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में विदेशी पराधीनता और अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष चलाकर लगभग दो दशकों तक सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह की तकनीक को विकसित कर लिया था। गांधीजी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष को जरूरी मानते थे लेकिन उसके साथ सत्य, प्रेम और अहिंसा को जोड़कर देखते थे। जो संघर्ष या आंदोलन- सत्य और अहिंसा जैसे जीवन मूर्खों से सम्बद्ध नहीं होता, गांधी जी को ऐसा संघर्ष मान्य नहीं था। उन्होंने 1920 में अपने साताहिक पत्र 'यंग इण्डिया' में लिखा- "अहिंसा उसी प्रकार मानव जाति का नियम है, जैसे हिंसा पशुजाति का।" मगर "जहाँ केवल कायरता और हिंसा के बीच चुनाव करना हो..... वहाँ मैं चाहूँगा कि अपनी बैइज़ती को असहाय नजरों से देखते रहने के बदले भारत अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए हथियारों का सहारा ले।"

गांधी जी 1915 में 46 साल की अवस्था में भारत लौटे थे। पहले 1915 में उन्होंने अंहमदाबाद में सावरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में विहार के चम्पारन जिले में नील की खेती करने वाले किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर उसमें सफलता प्राप्त की। 1919 में रैलट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक जागृति की लाहर दौड़ गईं और हिन्दू-मूस्लिम एकता कायम हुई। 1919 में 13 अप्रैल को अमृतसर का जलियाँ बाला हत्याकाण्ड, गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का दमन करने के उद्देश्य से किया गया, लेकिन इससे भी भारतीय जनता की जागृति का प्रबाह रुक न सका। इसमें अनेक लोग शहीद हुए।

1919 से 1922 तक की अवधि में घले 'खिलाफत एवं असाह्योग आंदोलन' से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक नए तरह का राजनीतिक एवं भावनात्मक उभार आया। हिन्दू-मुस्लिम एकता के अनेक ठोस प्रमाण इस समय सामने आए- एक कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद से तत्कालीन मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवर्गन-मंच से उपदेश देने का आग्रह किया, जबकि डॉ० सैफुद्दीन किंचलू को अमृतसर में सिखों के परिवास स्थान स्वर्णमंदिर को चायियाँ सौंप दी गई। हिन्दू-मुसलमानों के बीच पनपी इस सज्जी एवं भावनात्मक एकता ने खिलाफत आंदोलन को पुष्ट किया। भारत के लोगों ने तुक्कों के खलीफा के समर्थन और ब्रिटेन की नीतियों के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया। गाँधी जी ने इसमें सक्रिय हिस्सेदारी की। 1921-22 में भारतीय जनता ने जो आंदोलन चलाया, उसमें सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरी और वकीलों ने अपनी यकालत छोड़ दी। इस समय सारे देश में बिदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी और स्वावलम्बन का आंदोलन चलाया गया। पूरे देश में आंदोलनों और संघर्ष के प्रति भारी जोश और उत्साह पैदा हुआ, सेकिन 5 फरवरी को चौरी-चौरा काण्ड में 22 पुलिस वालों को कुछ भीड़ द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाने के कारण गाँधी जी ने अपने आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। जनता में इस निर्णय की दोनों तरह की प्रतिक्रियाएँ हुईं।

यद्यपि ऊपर से देखने पर तो यह आंदोलन असफल दिखाई देता है तथापि इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की सहर देश के गाँव-गाँव में पहुँच गई और भारतीय जनता का भीतर का डर बहुत कुछ निकल गया। अब यह अंग्रेजी शासक वर्ग का सामना करने को तैयार हो गई थी। इसके बावजूद देश में फिर अनुत्साह और निराशा का एक दौर कुछ समय के लिए चला।

1927 में पुनः उत्साह की लहर तथ्य दौड़ी, जबकि जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस में वामपंथी समाजवादी राजनीति का उदय हुआ। इससे पूर्व 1917 में रूस में क्रान्ति हो चुकी थी और वहाँ समाजवादी राज्य के रूप में एक नए मजदूर किसान राज्य की स्थापना हो चुकी थी। हमरे नेताओं का ध्यान इस क्रान्ति और उससे सम्बन्धित विचारों की ओर खिंच चुका था। भारतीय जनता भी उन विचारों से प्रभावित हुई। 1936-1937 में इसी प्रभाव के फलस्वरूप नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और उनके बाद 1938 एवं 1939 में सुभाषचंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। इससे पूर्व 1925 ई. में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म भी हो चुका था। इन विचारों का परिणाम यह हुआ कि स्वाधीनता आंदोलन के साथ देश का मेहनतकर किसान-मजदूर वर्ग भी जुड़ने लगा। उसे स्वाधीनता आंदोलन में अपनी समस्याओं के समाधान की आशा और विश्वास जाग्रत हुआ। यद्यपि स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व देश के बुर्जुआ वर्ग के हाथों में ही रहा। गाँधी जी के मानवतावादी सिद्धांतों के बावजूद कांग्रेस की बांगड़ोर बुर्जुआ वर्ग के हाथ में ही थी। उसकी आकांक्षाएँ देश के पूँजीपति वर्ग के पक्ष में रहीं।

बुर्जुआ वर्ग के कांग्रेसी नेतृत्व और मानसिकता के विरोध में देश में उन क्रान्तिकारी आंदोलनों का जन्म हुआ, जो आतंकवाद का सहारा लेने को भी न्यायसंगत मानते थे। इन क्रान्तिकारी आतंकवादी आंदोलनों की भावना 'समाजवाद' के पक्ष में थी। ये उस समाजवाद के

समर्थक थे, जो मेहनतकश के राज्य के लिए प्रयत्नशील रहता है। देश के नवयुवक सशस्त्र क्रान्ति से, स्वाधीनता के सपने को पूरा करने के प्रयत्न में आगे बढ़ रहे थे। इनमें काकोरी के शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाखाँ, रोशन सिंह का नाम सभी जानते हैं। इन क्रान्तिकारियों की परम्परा को चंद्रघेखर, भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, बदुकेश्वर दत्त आदि ने आगे बढ़ाया और सोती हुई भारतीय जनता का ऐसेम्बली में घम का धमाका करके जगाने का हौसला दिखलाया। इनके क्रान्तिकारी त्याग और वलिदानी गतिविधियों से भारतीय जनता में निडरता एवं जोश उत्पन्न हुआ।

नवम्बर 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक भारतीय संवैधानिक आयोग की नियुक्ति संवैधानिक सुधारों के उद्देश्य से की थी, लेकिन इस आयोग के सभी सदस्य अँग्रेज होने के कारण देश की जनता ने एक स्वर से इसका तोत्र विरोध किया। इस आयोग को 'साइमन कमीशन' के नाम से जाना जाता है। पूरे देश में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इस समय हिन्दू और मुसलमान नेताओं के बीच साम्रादायिक भावनाओं का ज्वार भी पैदा हुआ, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। नेताओं के साम्रादायिक स्वार्थों और ब्रिटिश शासकों की 'फूट डालो और राज करो' की भेदनीति ने इस तरह की साम्रादायिक भावनाओं को उकसाया।

साइमन कमीशन के बहिष्कार के फलस्वरूप लाहौर में इस कमीशन के विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले अत्यन्त प्रखर एवं लोकप्रिय नेता लाला लाजपतराय पर ब्रिटिश पुलिस ने अंधाधुध लाठी प्रहार किया। लाला लाजपतराय इसमें दुरी तरह ज़ख्मी हुए और उनका निधन हो गया। इससे पंजाब के क्रान्तिकारी युवकों में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के उद्देश्य से पंजाब नौजवान भारत सभा के नेता भगतसिंह ने लाठी चार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक सांडर्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इन क्रान्तिकारी युवकों की मान्यता थी। इस तरह व्यक्तिगत बहादुरी और वलिदान की आतंकवादी कार्यवाइयों के माध्यम से जनता को अपनी स्वाधीनता के लिए जाग्रत किया जा सकता है।

1931 से 1940 के बीच के समय में स्वाधीनता का यह संघर्ष काफी आगे बढ़ा। इससे पूर्व 1928 में ही देश में 203 हड़तालें हुईं, जिनमें 5 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने हिस्सा लिया। समाजवादी विचारधारा को मानने वाले कीर्ति, मजदूर, किसान और क्रान्ति जैसे समाचार पत्रों का प्रसार हुआ। इस तरह स्वाधीनता संघर्ष का विस्तार भारतीय निम्नवर्ग तक हुआ। ब्रिटिश शासक वर्ग को भी यह समझ आने में देर न लगी कि अब यह आंदोलन वामपंथी दिशा में आगे बढ़ रहा है।

26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता का एक घोषणा पत्र जारी किया गया और माना गया कि इस तिथि को नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू होगा। इस तिथि को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। इस आंदोलन को शुरू करने का प्रमुख कारण बतलाया गया था- “भारत की ब्रितानी सरकार ने भारतीयों को न केवल उनकी स्वतंत्रता से बंचित रखा है। बल्कि वह जनता के शोषण पर टिकी हुई है। उसने भारत को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बरबाद कर दिया है। अतः हम मानते हैं कि भारत को निश्चय ही ब्रिटेन से सम्बंध तोड़कर पूर्ण स्वराज प्राप्त करना चाहिए।”

अब गांधी जी ने 'नमक सत्याग्रह' के लिए दौड़ी मार्च करके जनता में एक नए उत्साह और उभार को पैदा कर दिया था। इस समय महिलाएँ भी आनंदोलन में कूद पड़ीं, इसके लिए गांधी जी ने चरखे, स्वदेशी और नशावर्दी आंदोलन को माध्यम बनाया। नमक सत्याग्रह में गांधीजी और तैयब जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे राष्ट्रवादी नेता सरोजिनी नायडु के नेतृत्व में पूरा किया गया। ब्रिटिश पुलिस ने निहत्थे और प्रतिक्रियाविहीन सत्याग्रहियों पर निर्ममता और क्रूरता से लाठी प्रहर कर 320 व्यक्तियों को बुरी तरह धायल कर दिया, इसमें 2 की मृत्यु हो गई। इससे बम्बई में कई जगह दंगे भड़क उठे। बंगाल, विहार उड़ीसा में विदेशी वस्त्रों का भहिष्कार हुआ। मद्रास-आनंदोलन का भी पुलिस ने दमन किया। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने पठानों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का कार्य कर उनको शिक्षित एवं संगठित किया। इस तरह पूरे देश में जगह जगह नए नए आंदोलन एवं विद्रोहात्मक कारवाइयाँ की गईं।

नवम्बर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इसी क्रम में 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ। इसी समय कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके बाद के दिनों में ब्रिटिश शासक वर्ग ने मुस्लिम साम्राज्यिक शक्तियों को उकसा कर पूरे राष्ट्रीय आनंदोलन की एकता को जबरदस्त धक्का पहुँचाया। इरविन की जगह आए नए वायसराय लार्ड विलिंगडन ने उदारतावादी रुख की बजाय दमनकारी उपायों एवं भेदनीति को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के प्रयास किये। अंग्रेज-शासकों ने अपनी 'फूट डालो राज करो' की भेदनीति के अन्तर्गत हिन्दुओं, हरिजनों और मुसलमानों के लिए संघीय विधान परिषद में पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की थी, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण हिन्दुओं और हरिजनों को अलग न मानकर हिन्दुओं के भीतर ही आरक्षण की व्यवस्था की गई।

1935 का गवर्नरमेंट ऑफ इंडिया एक्ट :

नवम्बर 1932 में लंदन में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने भाग नहीं लिया था, हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप गवर्नरमेंट आफ इण्डिया एक्ट 1935 पास हुआ। इस एक्ट में भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतीय स्वायत्ता के आधार पर प्रांतों के लिए सरकार की एक नई प्रणाली की व्यवस्था का प्रावधान था। लेकिन इस एक्ट में अंग्रेज-शासकों के लिए इतने नियंत्रणकारी एवं निरंकुशता के अधिकार प्राप्त थे कि यह एक्ट भी राष्ट्रवादी नेताओं की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। कांग्रेस ने इसको विलुप्त निराशा जनक कहकर इसकी निन्दा की। फिर भी प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस को 1937 में हुए चुनावों में असाधारण सफलता मिली। कांग्रेस ने ग्यारह में से सात प्रांतों में अपने मंत्रिमण्डल बनाए। दो राज्यों में संयुक्त मंत्रिमण्डल बनाए तथा बंगाल एवं पंजाब में गैर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बनाए। उस समय के कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपनी सादगी के उदाहरण प्रस्तुत किये।

देशी राज्यों में स्वाधीनता आनंदोलन

कांग्रेस ने पहले तो देशी राज्यों को स्वाधीनता आंदोलन से इसलिए मुक्त कर रखा था कि यहाँ सोधे सोधे देशी राजाओं-नवार्दों का शासन था। साप्राज्यवादी ब्रिटिश सत्ता का, यद्यपि

उनकी रियासतों में से इखल था और पूरा शोपण-उत्पीड़न भी था तथापि वे दिखलाते यही थे कि देशी राज्यों में देशी राजाओं-नवाबों-सामन्तों का ही शासन है। एक तरह का आवरण पड़ा हुआ था। देशी राज्यों में अशिक्षा, गरीबी और भुखमरी के कारण स्वाधीनता आंदोलनों का जन्म हो पाना भी आसान काम नहीं था। इसके बावजूद जब ब्रिटिश भारत में स्वाधीनता संघर्ष तीव्र गति से आगे चढ़ने लगा और उसको खिरें देशी राज्यों की बेकश प्रजा तक पहुँचने लगी तो सभी देशी राज्यों के संवेदनशील, जागरूक एवं शोपित लोग अपनी एकजुटता कायम कर स्वाधीनता के बारे में सोचने लगे। इस काम के लिए दिसम्बर 1927 में अखिल भारतीय प्रजामंडल की स्थापना की जा चुकी थी। धीरे-धीरे देशी राज्यों में जगरूकता घटी। इसके फलस्वरूप जयपुर, कश्मीर, ब्रावनकोर, हैदराबाद, और राजकोट रियासतों में जन-आन्दोलन हुए। राजाओं ने इन्हें दबाने का पूरा प्रयास किया। दरअसल, वे अंग्रेजी-शासकों की छप-छाया में अपना वैभव-विलास भोग रहे थे और अंग्रेज, उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। देशी राज्यों के राजाओं-नवाबों ने जनसंघर्षों को कुचलने के लिए जहाँ हिंसक दमन किया, वहाँ परिस्थितियाँ के अनुसार साम्प्रदायिक उन्माद फैलाकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ा गया। इसके बावजूद वे स्वाधीनता की जनभावना के ज्वार को पूरी तरह नहीं दबा सके। दमन होता रहा और आंदोलन भी चलते रहे। 1938 में कांग्रेस ने देशी राज्यों में आंदोलन चलाने की इजाजत दे दी और 1939 में जवाहर लाल नेहरू 'अखिल भारतीय प्रजामंडल' के अध्यक्ष बने। इससे देशी राज्यों में भी स्वाधीनता की चेतना की नई लहर फैल गई।

अलवर में 1937 में यहाँ के महाराजा जयसिंह के देश निष्कासन और राजगद्वी के उत्तराधिकार के सावाल पर जन्मे विवाद के फलस्वरूप एक नए तरह के संघर्ष ने जन्म लिया। 1937 में महाराजा जयसिंह का पेरिस में निधन हो गया, इससे उत्तराधिकार का जो विवाद पैदा हुआ, उसमें यहाँ के स्वाधीनता आन्दोलन के नेता महाराजा जयसिंह की भावनाओं और विचारों के साथ थे। प्रजा में भी महाराजा जयसिंह अत्यन्त लोकप्रिय थे। उनके आकस्मिक निधन से भी उनकी मान्यताओं के प्रति सहानुभूति पैदा होना स्वभाविक था। इसका लाभ तत्कालीन स्वाधीनता संघर्ष के समर्थकों को मिला। वैसे अलवर में स्वाधीनता आंदोलन 1943 से सतत एवं सक्रिय रूप से चला।

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन

1939 में दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ गया। इसमें ब्रिटेन भारत का पूरा सहयोग चाहता था। इसलिए ब्रिटेन के एक तेजतरीर और समाजबादी नेता स्टैफोर्ड क्रिप्स को यहाँ एक धोपणा के मसौदे के साथ भेजा गया। उसमें यह प्रस्ताव था कि युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को उपनेवेशिक दर्जा दे दिया जायेगा। लेकिन इस धोपणा को सभी राजनीतिक दलों ने नामंजूर कर दिया। क्रिप्स मिशन असफल हो जाने से भारतीय नेताओं में निराशा एवं क्रोध पैदा हुआ। एकमात्र मुस्लिम लीग इसका अपवाद रही। वह इस समय तक साम्प्रदायिक भावनाओं के उभार का केन्द्र बन चुकी थी।

अगस्त 1942 में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें "अंग्रेजों भारत छोड़ो" जैसा ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने 'करो या

'मरो' का नारा देकर एक घड़े पैमाने के आंदोलन की शुरूआत की। ब्रिटिश सत्ता ने इसका प्रूरता से दमन किया, लेकिन इससे अंग्रेजी सत्ता की चूलें हिल गईं। अब तक वे जान गए थे कि अब भारत में उनके दिन गिने चुने हैं। अब केवल यह प्रश्न शेष रह गया था कि सत्ता का हस्तान्तरण किस तरीके से हो तथा स्वाधीनता के बाद सरकार का स्वरूप क्या हो?

आजाद हिन्द फौज

1942 से 1945 के बीच देश के नेताओं के जेल में बंद कर दिये जाने के कारण देश का राजनीतिक बातावरण ठंडा रहा। सुभापचंद्र बोस 1941 में चुपचाप देश से चले गए थे। पहले वे रूस गए, फिर जर्मनी और इसके बाद जापान। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए 'आजाद हिन्द फौज' का गठन किया। उनके नेतृत्व में जापानियों के साथ मिलकर भारत की तरफ इस फौज ने बढ़ना शुरू किया, लेकिन 1945 में जापान-जर्मनी की पराजय हो जाने के बाद आजाद हिन्द फौज की योजना भी असफल हो गई।

1946 में नौसेना ने विद्रोह कर दिया, जो देश में बढ़ते हुए समाजवादी विचारों एवं आंदोलन की अभिव्यक्ति था। अब तक अंग्रेज शासकों की रीढ़ ढूट चुकी थी, और वे अपने भावी हितों की दृष्टि से देश के उस वर्ग को सत्ता सौंपकर जाना चाहते थे, जो उनकी तरह की राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था यहाँ कायम कर सके। वे अपने फूट डालो-राज्य करो, की भेदनीति में सफल हुए। हिन्दुस्तान दो टुकड़ों में विभाजित हुआ। 14 अगस्त 1947 को एक धार्मिक देश के रूप में पाकिस्तान बना। 15 अगस्त, 1947 को दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहरा दिया गया और भारत एक संप्रभुतासम्पन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में विश्व के नक्शे पर उदित हुआ। ●

18 चौं शताब्दी के शुरू में मुगल वादशाह आँरंगजेब की मृत्यु (1707 ई.) के बाद केन्द्रीय मुगल-सत्ता निर्वल होने लगी। केन्द्रीय सत्ता के निर्वल होने से, राजस्थान के राजपूत राजा-महाराजा अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण परस्पर विवाद-युद्धों में उलझने लगे। इन विवाद-युद्धों से फायदा उठाकर राजा-महाराजाओं के अधीन रहने वाले सामन्त भी अपनी शाक्ति बढ़ाने में लग गये। इन विवादों में राजस्थान के शासकों ने स्वयं ही पहले तो मराठा-सेनापतियों को सहायता के लिए युलाया, फिर बाद में जब राजस्थान में मराठा सेनापतियों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और अपने शृण या चौथ वसूली के लिए वे बार-बार आक्रमण करने लगे तो राजस्थान के शासक उनसे त्रस्त होने लगे। 18 चौं सदी का अन्त होते-होते राजस्थान के शासक पूरी तरह अशक्त-निर्वल होकर अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो गये थे। वे न तो मराठा-सेनापतियों के आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सकते थे और न ही अपने विद्रोही सामन्तों को दबाने में समर्थ थे।

अंग्रेजी-प्रभुत्व की स्थापना

इन हालातों में 19 चौं शताब्दी के आरम्भ में राजस्थान के शासकों ने स्वेच्छा से ईस्ट-इंडिया कम्पनी की सरकार से मैत्री-सम्झियाँ की और अंग्रेजी प्रभुत्व को स्वीकार किया। सबसे पहले सितम्बर 1803 ई. में भरतपुर राज्य ने और फिर नवम्बर 1803 ई. में अलवर राज्य ने कम्पनी सरकार से सम्झियाँ की। जयपुर और जोधपुर राज्यों से भी सम्झियाँ की गई, लेकिन उन्हें बाद में रद्द कर दिया गया। कम्पनी सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण अगले 14 वर्ष तक किसी भी राज्य से सम्झियाँ नहीं की गयी। 1817 ई. में नीति-परिवर्तन के बाद कम्पनी-सरकार ने राजस्थान के शासकों को मैत्री-सम्झियाँ के लिए आमंत्रित किया। 1818 ई. के अन्त तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कम्पनी सरकार से मैत्री-सम्झियाँ करली थी। जोधपुर राज्य ने सिरोही-राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व पर आपत्ति की थी। उसे अमान्य कर 1823 ई. में कम्पनी-सरकार ने सिरोही राज्य से भी मैत्री-सम्झियाँ कर ली।

इन सम्झियों द्वारा कम्पनी-सरकार ने आन्तरिक शासन के बारे में देशी राज्यों के शासकों के पूरे अधिकार को मान्यता दी, किन्तु बाहरी सम्बन्धों (अन्य राजाओं से सम्बन्ध) का अधिकार कम्पनी सरकार ने अपने पास रखा। देशी राज्यों में कम्पनी सरकार अपना प्रतिनिधि पोलिटिकल एजेण्ट के रूप में रखेगी, इसे देशी नरेशों ने मान्यता दी। संकट अथवा झेलत के समय कम्पनी-सरकार को सहायता देने का वचन भी देशी-नरेशों ने दिया।

राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजी-शासन नहीं था, किन्तु राजाओं की अयोग्यता एवं शक्तिहीनता के कारण राज्यों के आंतरिक शासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ता गया और देशी-नरेशों की तुलना में अंग्रेजी रेजीडेण्ट या पोलीटिकल एजेण्ट की शक्ति बढ़ती गयी। इन परिस्थितियों के चलते साधारण-जन को दुहरी-तिहरी गुलामी का भार झेलना पड़ा। एक गुलामी राजा-

महाराजा की थी तथा दूसरी अंग्रेज रेजीडेण्ट की और उसके माध्यम से अंग्रेज-सरकार थी। जागीरदारी क्षेत्र में तीसरी गुलामी सामन्त-जागीरदार को बढ़ जाती थी। उस समय सारे राजस्थान में सामन्ती शासन एवं शोषण का घोलबाला था। विदेशी सरकार इस शोषण की रक्षक ही नहीं पोषक भी थी।

अंग्रेजी-प्रभुत्व की स्थापना के कुछ समय बाद ही राजस्थान में उसका विरोध शुरू हो गया। सन्धि के बाबजूद कुछ नरेंगों ने (जैसे जोधपुर के राजा मानसिंह) अंग्रेज-विरोधी रुद्ध अपनाया। याँकीदास तथा अन्य चारण कवियों ने अंग्रेजी प्रभुत्व स्वीकार करने वाले राजाओं की निन्दा की और साधारण-जन को विदेशी गुलामी के प्रति सचेत किया। अंग्रेज अधिकारियों ने महाराजा-महाराणाओं का समर्थन करते हुए उनके सामन्तों के अधिकारों को कम करने का प्रयत्न किया तो इससे अनेक सामन्त अंग्रेज विरोधी हो गये। 1857 ई. के जन-विद्रोह में इन सामन्तों ने खुलकर अथवा छिपे तौर से विद्रोहियों की सहायता की। देरारा-राज्यों में बढ़ते अंग्रेजी हस्तक्षेप को साधारण जन ने भी पसन्द नहीं किया। अंग्रेजी सुधारों (जैसे सती-प्रथा पर रोक) और विदेशी पादरियों द्वारा हिन्दू व इस्लाम धर्मों की निन्दा करते हुए ईसाई धर्म के प्रचार ने भी साधारण जन को शंकित बनाया। अंग्रेजी राज्य में बार-बार अकाल पड़े और महामारियाँ फैली। इन सब कारणों से साधारण-जन अंग्रेजी राज के विरोधी हो गये। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अंग्रेज शासक उनके धर्म तथा परम्परागत सामाजिक जीवन-पद्धति के विरोधी हैं और उसे नष्ट करना अथवा बदलना चाहते हैं।

1857 ई. के विद्रोह से पहले भी राजस्थान में अनेक घटनाओं के माध्यम से अंग्रेज-विरोधी भावनाएँ प्रकट होती रही। जयपुर में पोलीटिकल एजेण्ट के सहायक क्षतान ब्लेक को हत्या कर दी गयी। जोधपुर में भीष जी राठोड़ नामक सामन्त ने वहाँ के पोलीटिकल एजेण्ट लुडलो पर हमला किया। जन-साधारण में अंग्रेज विरोधी भावनाएँ इतनी प्रबल थी कि अंग्रेजी छावनियों पर हमला कर उन्हें लूटने वाले शेखावाटी के राजपूत-बीर हूँगर सिंह व जवाहर सिंह को जनता ने लोक-नायकों जैसा सम्मान दिया। उनकी बीरता की प्रशंसा में गीत लिखे गये और उन्हें लोकगीतों के रूप में गाया जाने लगा।

राजस्थान में 1857 का जन-विद्रोह

1857 के जन-विद्रोह की शुरूआत 10 मई को मेरठ-छावनी में भारतीय सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। उन दिनों संचार के साधन आज की तरह उन्नत नहीं थे, अतः राजस्थान तक विद्रोह के समाचार पहुँचने में विलम्ब होना स्वाभाविक था। 28 मई को नसीराबाद की छावनी में 15 वर्षी नेटिव इन्डेन्सी के सैनिकों के विद्रोह से राजस्थान में जन-विद्रोह की शुरूआत हुई। छह दिन बाद नीमच-छावनी के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। 21 अगस्त को आबू पहाड़ पर जोधपुर लोजियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। पहाड़ से नीचे उतर कर उन्होंने एरिनपुरा की छावनी को लूटा। यहाँ मौजूदा सैनिक भी उनके साथ मिल गये। जब ये विद्रोही सैनिक पाली पहुँचे तो आठवा के ठिकानेदार खुशालसिंह ने उनकी सहायता की और उन्हें अपनी जागीर आठवा दे गया। इसके बाद आठवा राजस्थान में विद्रोह का एक मुख्य केन्द्र बन गया। मारवाड़ राज्य के अन्य अनेक सामन्तों ने भी खुशालसिंह तथा विद्रोहियों का साथ दिया और अपने

सैनिक आउवा में भेजे। जनवरी 1858 ई. में ही मारवाड़ राज्य तथा अंग्रेजों की सेनाएँ आउवा पर कब्जा कर सकी। खुशालसिंह वचकर मेवाड़ राज्य में चला गया।

15, अक्टूबर 1857 ई. को कोटा नगर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और नगर पर अधिकार कर लिया। छह माह तक कोटा-नगर पर विद्रोहियों का अधिकार रहा। कोटा-नगर के निवासियों ने विद्रोही सैनिकों का पूरा समर्थन किया। इस विद्रोह का नेतृत्व काँमा (भरतपुर) के निवासी जयदयाल भटनागर ने किया। वे कोटा के महाराव के दरवार में वकील थे। छह माह बाद मार्च 1858 ई. में ही अंग्रेजी-सेना कोटा-नगर पर फिर से अधिकार कर सकी। नीमच के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जाते हुए टोंक पहुँचे तो वहाँ के अधिकांश सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया और वे अपने शस्त्रों सहित नीमच-छावनी के सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर चले गये।

पूर्वों राजस्थान के राज्य भी विद्रोह से प्रभावित हुए। भरतपुर में लगातार अशान्ति बनी रही। विद्रोहियों के भय से वहाँ के पोलीटिकल एजेण्ट मारीसन को राज्य छोड़कर आगरा जाना पड़ा। भरतपुर राज्य के मेव तथा गूजरों ने विद्रोहियों का पूरा साध दिया। अलवर राज्य में मेवों ने रामगढ़-नौगांवा में राज्य की सेना का मुकाबला किया। अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए राज्य के सैनिकों का एक दल आगरा भेजा था। आगरा के पास अछनेरा गांव में जब इस दल का मुकाबला नसीराबाद-नीमच छावनी के विद्रोही-सैनिकों से हुआ तो अलवर के अधिकांश सैनिक विद्रोहियों के साथ मिल गये। अक्टूबर 1857 में इन्दौर व ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों ने धौलपुर राज्य में घुसकर नगर पर अधिकार कर लिया। दो माह तक नगर पर विद्रोहियों का अधिकार रहा।

जयपुर और मेवाड़ राज्यों में प्रत्यक्ष विद्रोह नहीं हुआ किन्तु दोनों राज्यों के साधारण-जनों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। जब विद्रोही सैनिक जयपुर राज्य के गाँवों से गुजरे तो जनता ने जगह-जगह उन्हें रसद आदि देकर सहायता की। जयपुर के सामोद ठिकाने के रावल शिवसिंह ने तो दिल्ली जाकर मुगल बादशाह को नजर भेट की। इसके कारण उसे प्रधान-मंत्री के पद से हटाया गया। आउवा का विद्रोही सामन्त खुशालसिंह जब मेवाड़ राज्य में आया तो सलूम्बर के रावत कीरतसिंह और कोठारिया के रावत जोधसिंह ने उसे शरण एवं सहायता दी। 1857 के विद्रोह का प्रसिद्ध नायक तात्या टोपे जब मेवाड़ राज्य में आया तो इन दोनों ठिकानेदारों ने उसको भी सहायता दी। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक चितौड़, हमीरगढ़, घनेड़ा होते हुए जब शाहपुरा पहुँचे तो वहाँ के शासक ने उन्हें दो दिन तक अपने राज्य में रखा और रसद देकर उनकी सहायता की।

1857 में सारे उत्तरी-भारत में अंग्रेजी सेनाओं के भारतीय सैनिकों में असन्तोष फैला हुआ था। राजस्थान में स्थित सेनाओं के सैनिकों की मनोदशा भी ऐसी ही थी। इन सैनिकों ने ही राजस्थान में विद्रोह की शुरूआत की। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर राज्यों के कुछ सामन्तों ने भी इन सैनिकों की सहायता की क्योंकि वे निजी कारणों से अपने राज्य के शासकों से नाराज थे और वे शासक अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि साधारण-जन ने सब जगह विद्रोही-सैनिकों का समर्थन किया और उनकी सहायता की। प्रजा के दबाव के कारण बीकानेर

के महाराजा को नाना-साहब की सहायता करनी पड़ी। तात्पा टोपे ने साधारण-जन तथा स्थानीय सैनिकों की मदद से ही बांसवाड़ा और झालरपाटन (झालायाड़) नगरों पर अधिकार करने में सफलता पाई थी।

विद्रोहियों के चीच व्यापक-समन्वय एवं समर्थ-नेतृत्व का अभाव था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास बेहतर साधन थे तथा उनका रण-कौशल भी उत्तम था। इस कारण विद्रोह का असफल होना स्वाभाविक था। विद्रोह की असफलता से राजस्थान में सामन्ती-शासन को नया जीवन मिला। विद्रोह से पहले गवर्नर-जनरल स्टार्ट हलहौजी ने देशी राज्यों को धीरे-धीरे समात कर सारे भारत में प्रत्यक्ष अंग्रेजी शासन स्थापित करने की नीति अपनायी थी। इस नीति से प्रभावित होने वाले राजा-महाराजा तो नाराज हुए हो, अपने शासकों के प्रति निपुण रखने वाले साधारण जन भी अप्रसन्न हुए। विद्रोह में इन लोगों ने सक्रिय भाग लिया। राजस्थान में, संघोंग से इस नीति से कोई शासक प्रभावित नहीं हुआ था। यहाँ के सभी शासकों ने अंग्रेजों का पूरा साथ दिया, उनकी रक्षा की और उन्हें सहायता दी। विद्रोह के बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा में सभी देशी राज्यों को बनाये रखने तथा उनके शासकों के साथ मैत्री-सम्बन्धों के निर्वाह का आश्वासन दिया गया। अंग्रेजी राज्य से सुरक्षा का आश्वासन पाकर राजस्थान के शासक अपने भविष्य के प्रति निश्चन्त हो गये।

राजस्थान में सामाजिक-बदलाव

1857 ई. के बाद राजस्थान में व्यापक परिवर्तन हुए। देशी शासकों को सुरक्षा का आश्वासन देने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने उनके आंतरिक प्रशासन को अपने प्रभाव में लाने का पूरा प्रयत्न किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों में अपने अनुकूल अधिकारियों की नियुक्ति की। ये अधिकारी प्रायः अंग्रेजी-प्रान्तों से लाये जाते थे। शासन की नीतियों में भी बदलाव किये गये। पुलिस की व्यवस्था में सुधार किया गया। राज्यों में अंग्रेजी ढंग के न्यायालय स्थापित किये गये। विद्रोह के समय राजस्थान में एक भी रेल-मार्ग नहीं था। विद्रोह के बाद रेल मार्ग और नवी सड़कें बनायी गयी। डाक-तार की व्यवस्था का भी विस्तार किया गया। किसी भावी संकट का सामना करने के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए भी यातायात एवं संचार के बेहतर साधन जरूरी थे।

राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भी यी गयी। सबसे पहले 1842 ई. में अलबर राज्य में अंग्रेजी ढंग का स्कूल खोला गया। विद्रोह से पहले इसमें हिन्दी व उर्दू की शिक्षा दी जाती थी। विद्रोह के बाद 1858 ई. से स्कूल में आंग्रेजी भी पढ़ायी जाने लगी। जयपुर में 1844 ई. में महाराजा स्कूल स्थापित किया गया था। विद्रोह के बाद 1873 ई. में इसे कॉलेज बना दिया गया। अजमेर के सरकारी स्कूल को 1868 में इन्टर कॉलेज और 1869 ई. में डिग्री कॉलेज बनाया गया। राजपूत नरेशों को यूरोपीय ढंग की शिक्षा देने व आधुनिक आचार-विचार सिखाने के लिए अजमेर में एक विशेष कॉलेज 'मेयो कॉलेज' स्थापित किया गया। अलबर के महाराजा मंगलसिंह इस कॉलेज के पहले छात्र थे। बाद में सभी राज्यों के भावी शासकों ने यहाँ शिक्षा पायी। इस शिक्षा विस्तार के माध्यम से अंग्रेज पुराने सामन्ती-वर्ग के मुकाबले में अपने विचार-आदर्श एवं जीवन-पद्धति में ढले नये शिक्षित-वर्ग का विकास करना चाहते थे। इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इस नये वर्ग के योग्य-व्यक्तियों को ही आगे चलकर महत्वपूर्ण प्रशासनिक

दिये गये।

राजस्थान का पहला समाचार-पत्र जयपुर से 1856 में प्रकाशित 'रोजे-ठल-तालीम अथवा राजपूताना समाचार' था। इसके सम्पादक मास्टर कन्हैया लाल थे और यह हिन्दी-ठर्डू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। विद्रोह के बाद राजस्थान में पत्रकारिता का तेजी से विकास हुआ। उस युग में भी इन पत्रों के सम्पादक-प्रकाशकों ने तत्कालीन शासकों एवं प्रशासन की आलोचना करने का साहस दिखाया और राजस्थान जैसे पिछड़े प्रदेश में नवीन चेतना को आगे बढ़ाया। भारतेन्दु हरिधन्द्र द्वारा प्रकाशित 'हरिधन्द्र चन्द्रिका' का प्रकाशन जब आर्थिक कारणों से स्थगित हो गया तो 1881 ई. में विष्णुलाल मोहनलाल पंड्या ने नाथद्वारा (उदयपुर) से उसे नये रूप में 'हरिधन्द्र चन्द्रिका-मोहन चन्द्रिका' के नाम से प्रकाशित करना शुरू किया। यह पत्र साहित्यिक लेख-रचनाओं के साथ सामाजिक-राजनीतिक समाचार भी प्रकाशित करता था। अजमेर अंग्रेजी सत्ता का केन्द्र होने से सामाजिक-शैक्षणिक प्रगति में शेष राजस्थान से आगे था। 1885 ई. में हनुमान सिंह ने अंग्रेजी में 'राजपूताना हेराल्ड' और मौलवी मुराद अली ने हिन्दी-ठर्डू में 'राजपूताना गजट' का प्रकाशन अजमेर से आरम्भ किया। 1889 ई. में अजमेर से ही मुंशी समर्थदान ने 'राजस्थान समाचार' का प्रकाशन आरम्भ किया। यह राजस्थान का पहला दैनिक पत्र था।

विद्रोह के बाद राजस्थान में बड़े सामाजिक बदलाव हुए। व्यापार-वाणिज्य के विकास तथा अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ नये सामाजिक-वर्गों का विकास हुआ। नये सामाजिक-वर्गों का बड़ा हिस्सा अंग्रेज समर्थक था, किन्तु उसके विरोधी भी इन वर्गों से ही उभर कर आये। स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द की यात्राओं का भी राजस्थान में बड़ा प्रभाव हुआ। 1865-66 में स्वामी दयानन्द राजस्थान में पहली बार आये। 1875 ई. में आर्य समाज की स्थापना के बाद 1881 ई. में उन्होंने राजस्थान की दूसरी यात्रा की। अगले वर्ष वे फिर राजस्थान आये और इस यात्रा का अंत अक्टूबर 1883 ई. में अजमेर में उनके देहान्त के साथ हुआ। स्वामी दयानन्द ने जोधपुर एवं उदयपुर के नेशनों को विशेष रूप से प्रभावित किया। जन साधारण पर भी उनके विचारों का गहरा असर हुआ। उनके देहान्त के बाद राजस्थान के अनेक नगरों में आर्य-समाज की स्थापना हुई। स्वामी जी जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास तथा धार्मिक पाखण्डों के विरोधी थे। वे स्वदेश प्रेमी, स्वर्धम और स्वदेशी भाषा (हिन्दी) के समर्थक थे। राजस्थान के अनेक क्रांतिकारी तथा प्रजामण्डल प्रजा-परिषदों के नेताओं ने स्वामी दयानन्द के विचारों से प्रेरणा पायी। स्वामी विवेकानन्द ने फरवरी 1891 ई. में अलवर से अपनी राजस्थान यात्रा आरम्भ की। बाद में वे जयपुर, अजमेर, आदू और खेतड़ी गये। खेतड़ी के तत्कालीन शासक अजीत सिंह उनसे बहुत प्रभावित हुए और स्वामी जी वहाँ काफी समय रहे। अलवर में उन्होंने महाराजा मंगलसिंह को अपनी निर्भीकता एवं नये विचारों से प्रभावित किया।

राजस्थान में क्रान्तिकारी गतिविधि

बीसवीं शताब्दी के शुरू में राजस्थान में क्रांतिकारियों की नयी पीढ़ी सामने आयी। इस पीढ़ी के महत्वपूर्ण नेता थे- बारैठ केसरीसिंह, राव गोपालसिंह खरवा, दामोदरदास राठी, अर्जुनलाल सेठी, और विजयसिंह पथिक। बारैठ केसरीसिंह के पिता बारैठ कृष्णसिंह उदयपुर में स्वामी दयानन्द के सम्पर्क में आये थे और उनसे प्रभावित होकर स्वदेश-प्रेमी बन गये थे।

1903 ई. में बौरेठ के सरीसिंह ने अपनी रथना 'चंद्रावर्जी - रा चूंगदस' के हाथ उदयपुर के महाराणा फतहसिंह को प्रभावित किया और उन्हें कुल-गौरव की याद दिलाकर लाई फर्जन के दिल्ली दरबार का बहिष्कार करने की प्रेरणा दी। उदयपुर के महाराजा हारा वाथसराय के दरबार का यह बहिष्कार उस समय की परिस्थितियों में बड़ा साहसिक फार्य था और सारे देश में उसकी चर्चा हुई। बौरेठ के सरीसिंह भी सारे देश में प्रसिद्ध हो गये। बाद में 1914 ई. में यारेठ जी को राजनीति हें एवं जोधपुर के एक महत्व प्यारोराम की हत्या का पठमंत्र रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 20 वर्ष के कारावास की सजा दी गयी। बौरेठ जी का पूरा परिवार क्रांतिकारी कार्यों में शामिल था। उनके छोटे भाई जोरावरसिंह ने 1912 ई. में दिल्ली में साईं हार्डिंग पर बम फैक्ने के कार्य में भाग लिया। उन्हें नीमाज (विहार) के एक धनी महन्त की हत्या के आरोप में भी अपराधी घोषिया गया था। जोरावरसिंह कभी पकड़ में नहीं आये और 1939 ई. में फरारी अवस्था में ही उनका देहान्त हुआ। बौरेठ के सरीसिंह के पुत्र प्रतापसिंह भी क्रांतिकारी दल में शामिल थे। 25 वर्ष की छोटी आयु में उनका देहान्त घरेली जेल में कठोर अत्याचारों के कारण हुआ। बौरेठ जी के दामाद इश्वरदान आशिया भी क्रांतिकारी कार्यों में शामिल रहते थे।

अंजुनलाल सेठी का जन्म जयपुर के एक प्रतिष्ठित जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा पाने के बाद जयपुर राज्य में पदाधिकारी बनने के स्थान पर देश-सेवा का व्रत लिया। 1905 ई. में उन्होंने जयपुर में 'वर्धमान-पाठशाला' की स्थापना की। यह पाठशाला बाहर से एक शिक्षा-संस्था, लेफिन हकीकत में क्रांतिकारी समिति थी। इसके सभी अध्यापक एवं छात्र क्रांतिकारी कार्यों में भाग लेते थे। सेठी जी दिल्ली तथा राजस्थान के क्रांतिकारियों के बीच मुख्य सम्बन्ध-सूत्र थे और उनका अनेक क्रांतिकारियों से सम्पर्क था। मार्च 1913 ई. में 'वर्धमान-पाठशाला' के छात्रों ने क्रांतिकारी कार्यों के लिए धन एकत्र करने हेतु विहार में आग जिला के नीमाज के धनी महन्त पर हमला किया। महन्त हमले में मारा गया, लेफिन तिजोरी नहीं खुलने के कारण क्रांतिकारी धन पाने में असफल रहे। बाद में सेठी जी को पाठशाला के एक छात्र ने मुख्यिर बनकर इस काम का भेद खोल दिया। पाठशाला के अनेक छात्र गिरफ्तार किये गये। मोतीचन्द नामक छात्र को फैसी और अन्य छात्रों को लाल्हो अवधि के कारावास की सजा मिली। दिल्ली में वाथसराय पर बम फैके जाने के बाद सेठी जी इन्दौर जाकर रहने लगे थे। इस वमकाण्ड के सम्बन्ध में जय दिल्ली में गिरफ्तारियाँ हुई और खोजबीन हुई तो सेठीजी का नाम भी पुलिस को मिला। इस पर उनके इन्दौर निवास-स्थान की तलाशी ली गयी। सेठी जी सजा रहते थे, इस कारण उनके निवास पर पुलिस को कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। नीमाज महन्त हत्याकाण्ड में भी सेठी जी को आरोपी घोषिया गया, पर उनके विरुद्ध कुछ सिद्ध नहीं हो पाया। तब अंग्रेज सरकार ने जयपुर राज्य पर दबाव डालकर उन्हें नजरबंद कराया। 1914 ई. के अंत में उन पर जयपुर राज्य का विरोध करने के लिए मुकदमा चलाया गया और पांच वर्ष की सजा दी गई। कुछ समय जयपुर जेल में रखने के बाद उन्हें सुदूर बेलूर (मद्रास) जेल में भेजा गया। अंग्रेज सरकार उन्हें राजस्थान से दूर रखना चाहती थी। 1920 ई. के शुरू में सेठी जी जेल से मुक्त होकर बापस आये। इसके बाद वे कांग्रेस के कार्यों में भाग लेने लगे, यद्यपि क्रांतिकारियों से उनके सम्बन्ध फिर भी घने रहे। चन्द्रसेन्द्र आजाद जब अजयेर आये तो के पास ही छुपकर रहे।

1907 ई. में राव गोपालसिंह खरवा और दामोदरदास राठी बंगाल के क्रांतिकारियों से सम्पर्क करने के लिए कलकत्ता गये। अगले वर्ष प्रसिद्ध क्रांतिकारी अरविन्द व्यावर आये और राठी जी के पास रहे। राठी जी नये युग के उद्योगपति थे। राजस्थान में पहली सूती मिल कृष्ण मिल राठी जी ने ही व्यावर में स्थापित की थी। राव गोपाल सिंह अजमेर के पास स्थित खरवा के ठिकानेदार थे। बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में राजस्थान में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुईं, उनमें राव गोपालसिंह ने बहुत सहयोग दिया। विजयसिंह पथिक भूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पिता की मृत्यु के बाद वे अपने बहनोई के पास इन्दौर आये। इन्दौर में उनका क्रांतिकारियों से सम्पर्क हुआ और वे क्रांतिकारियों के दल में शामिल हो गये। जब राजस्थान में अंग्रेजी सेना की पुरानी तोड़ेदार बन्दूकों को बेचा जाने लगा तो पथिक जी को क्रांतिकारी दल की ओर से इन बन्दूकों को खरीदने के लिए भेजा गया। पथिक जी ने अजमेर आकर पहले रेल्वे चर्कशॉप में नौकरी की, फिर राव गोपालसिंह के सचिव बनकर उनके पास रहने लगे।

1914 ई. के अन्त में रासविहारी बोस ने सारे भारत की सैनिक छावनियों में एक साथ विद्रोह करने की योजना बनायी। पहला महायुद्ध शुरू हो चुका था। अंग्रेज सैनिक-अधिकारी पूरा ध्यान युद्ध में लगा रहे थे। भारत से भी काफी सैनिक युद्ध में भाग लेने यूरोप भेजे गये थे। क्रांतिकारी इस स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजी शासन का अंत करना चाहते थे। क्रांति की तिथि 21 फरवरी 1915 निश्चित की गयी थी। दुर्भाग्य से, अंग्रेज अधिकारियों को इस योजना की जानकारी पहले मिल गयी और 19 फरवरी को ही क्रांति-योजना में शामिल सैनिक-नेताओं को बन्दी बना लिया गया।

राजस्थान में नसीराबाद की छावनी और अजमेर पर कब्जा करने की योजना बनायी गयी थी। इस कार्य के प्रमुख राव गोपालसिंह थे। 20 फरवरी की रात राव गोपालसिंह और पथिक जी अपने साथियों को लेकर खरवा के पास जंगलों में छुप गये। पूर्व-योजना के अनुसार एक क्रांतिकारी को रेत से यात्रा करते हुए निश्चित स्थान पर विस्फोट कर कार्य आरम्भ करने की सूचना देना था। योजना असफल हो जाने के कारण वह क्रांतिकारी नहीं आया। राव गोपालसिंह और पथिक जी ने सारी रात प्रतीक्षा की। दूसरे दिन जब उन्हें नयी परिस्थिति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने हथियार जंगल में छुपा दिये और सभी क्रांतिकारी इधर-उधर चले गये।

कुछ समय बाद अजमेर के कमिश्नर को इस योजना का पता चल गया। वह 500 सैनिक लेकर खरवा की ओर गया। कमिश्नर ने जंबरदस्ती करने के स्थान पर राव गोपालसिंह और पथिक जी को समझाया कि उनके विरुद्ध सरकार के पास कोई पक्षे प्रमाण नहीं है। गोपाल सिंह, उनके चाचा मोड़सिंह तथा पथिक जी ने कमिश्नर की बात मानली और उन्हें मेवाड़ राज्य की सीमा के पास ताडगढ़ के किले में नजरबन्द कर दिया गया। कुछ दिन बाद यह सूचना मिली कि अंग्रेज सरकार पथिक जी को लाहौर पड़ंयत्र केस में शामिल करना चाहती है। तब पथिक जी छुपकर ताडगढ़ किले से निकल मेवाड़ राज्य में चले गये। कुछ दिन चाद राव गोपालसिंह और मोड़सिंह भी ताडगढ़ से भाग निकले लेकिन बाद में पकड़ गये। पथिक जी कुछ दिन मेवाड़ राज्य के गाँवों में छुपकर रहे फिर विजोलिया चले गये। वहाँ उन्होंने विजोलिया के किसान आन्दोलन का नेतृत्व कर सारे देश में प्रसिद्ध पाई।

1921 ई. में असहयोग आन्दोलन आरम्भ होने पर सारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ, यद्यपि 1920 के याद सभी प्रदूषक क्रांतिकारी पथिक जी, सेठी जी, बारैठ जी, राव गोपालसिंह आदि जेल से बाहर आ गये थे। वीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में राजस्थान के अनेक क्रांतिकारियों ने चन्द्रसेहर अजमैद और भगतसिंह के साथ 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी' में काम किया। इनमें अलवर राज्य के पं. भवानी सहाय शर्मा और रुद्रदत्त मिश्र भी थे। 1932 ई. में अजमेर में इसी दल के क्रांतिकारी रामचन्द्र नरहरि वापट ने जेल महानिरेशक गिर्वान की हत्या का प्रयत्न किया, किन्तु गिर्वान बच गया। वापट को 11 वर्ष ये जेल की सजा मिली। 1935 ई. में ज्याला प्रसाद, रमेश चन्द्र व्यास और रामसिंह ने अजमेर के कुख्यात हो.एम.पी. प्राणनाथ डोंगरा की हत्या करने की योजना बनायी। डोंगरा धायल तो हुआ किन्तु बच गया। ये तीनों पकड़े गये। रामसिंह को सात साल की सजा देकर काला पानी भेजा गया। ज्याला प्रसाद को पहले अजमेर और फिर बोरेली जेल में नजरवांद रखा गया। व्यास जी पर आतोष प्रमाणित नहीं हुआ। 1942 ई. में उदयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर आदि अनेक स्थानों पर युवकों ने क्रांतिकारी तोड़फोड़ की। कोटा में पांच दिन तक एक तरह से जनता का अधिकार रहा। पुलिस को जोतवाली में बंद कर दिया गया और बाहर से सहायता आने के सभी रास्ते रोक दिये गये।

राजस्थान में किसान-आन्दोलन

वीसवीं शताब्दी की शुरूआत के साथ राजस्थान में किसान-आन्दोलनों की शुरूआत भी हुई। इनमें विजोलिया का किसान आन्दोलन सबसे महत्वपूर्ण था। विजोलिया मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। सारे राजस्थान में किसान सामन्ती शोषण से परेशान थे। उन्हें बेगार करने के साथ कितने ही तरह के कर व लाग भी देने पड़ते थे। जागीरदार जब मनवाहे तब नवी लाग बसूल करने लगते थे। उनके दुख-ददों की कहाँ सुनवाई नहीं थी। विजोलिया के किसानों की भी यही दशा थी। पहले उन्होंने उदयपुर के महाराणा तक अपनी शिकायतों को पहुँचाने का प्रयत्न किया, पर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1916 में पथिक जी किसानों के निर्मंडण पर विजोलिया आये। उन्होंने पहले धीरज के साथ किसानों में चेतना जगायी, फिर 'किसान पंच-बोर्ड' का गठन किया। आन्दोलन का संचालन इसी बोर्ड के माध्यम से किया गया।

पथिक जी ने आन्दोलन को पूरी तरह अहिंसक बनाया। किसानों ने सब तरह की बेगार और लाग देने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी जमीन जोतना भी छोड़ दिया। इससे ठिकाने की आमदनी बन्द हो गई। पथिक जी के निर्देश पर किसानों ने युद्ध के लिए ऋण या चंदा देना भी बन्द कर दिया। ठिकाने की कच्छहरी का भी बहिष्कार किया गया। ठिकाने ने बल प्रयोग द्वारा किसानों को डारने-दबाने की कोशिश की, किन्तु किसान अपने निर्णय पर अड़े रहे। पथिक जी ने आन्दोलन के प्रचार की भी अच्छी व्यवस्था की। इसमें गणेश शंकर विद्यार्थी और उनके पत्र 'प्रताप' का विशेष योगदान रहा। 'प्रताप' के माध्यम से पथिक जी और विजोलिया का किसान आन्दोलन सारे देश में प्रसिद्ध हो गये। धीरे-धीरे भारत सरकार भी चिन्तित हुई। आन्दोलन का प्रभाव दूसरे देशों में भी होने लगा था। फरवरी 1922 ई. में भारत सरकार ने ए. जी. जी. कर्नल ० को किसानों से वार्ता करने के लिए विजोलिया भेजा। किसानों के प्रतिनिधियों ने भारत

सरकार के प्रतिनिधि के साथ बरावर की हैसियत से बात की। 35 लाग-बाग माफ करने पर समझौता हो गया। यह किसानों की बहुत बड़ी विजय थी।

किन्तु कुछ समय बाद ठिकाने ने समझौते को तोड़कर किसानों पर फिर नये कर लगा दिये। तब 1927 में आन्दोलन फिर शुरू किया गया। 1929 ई. में मेवाड़ के बन्दोबस्त अधिकारी ट्रैच ने फिर समझौता कराया। 1931 ई. में फिर समझौते का उल्लंघन किया गया और किसानों को आन्दोलन करना पड़ा। किसानों की समस्या का समाधान 1941 ई. में ही जाकर हो पाया। विजोलिया के किसानों ने 20 वर्ष तक अहिंसात्मक ढंग से और पूरी एकता के साथ आन्दोलन किया। स्वयं महात्मा गांधी ने पथिक जी के नेतृत्व और विजोलिया के किसानों की प्रशंसा की। इस आन्दोलन से अनेक नये नेता सामने आये जिनमें माणिक्यलाल वर्मा का नाम सबसे प्रमुख है।

विजोलिया के किसानों द्वारा आन्दोलन करने के बाद, पास के दूसरे ठिकाने बेगूं के किसानों ने भी आन्दोलन शुरू किया। यहाँ के किसानों को भी पहले बल प्रयोग से डराने-दबाने के प्रयत्न किये गये। जुलाई 1923 ई. में गोविन्द पुरा नामक गाँव में किसानों पर गोली चलायी गयी। जिसमें दो किसान मारे गये। औरतों को भी अपमानित किया गया। लगभग पाँच सौ किसानों को गिरफ्तार किया गया। पर किसान डोरे-दबे नहीं। मेवाड़-सरकार ने पथिकजी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें राजद्रोह के आरोप में पाँच साल की सजा दी गयी।

इसी समय कोटा और बूँदी राज्यों में भी बेगार तथा अनुचित लाग-बागों के खिलाफ किसानों ने आन्दोलन किये। इनका नेतृत्व पं. नवनूराम शर्मा ने किया। बूँदी रियासत के डाबी नामक गाँव में किसानों की एक शांति-पूर्ण सभा पर गोली चलायी गयी, जिसमें नानक भील नामक युवक मारा गया। इस आन्दोलन में महिलाओं ने भी पुलिस से संघर्ष किया। गोलीकाण्ड के बाद बहुत से किसान गिरफ्तार किये गये।

1925 ई. में अलवर राज्य के नीमूचाणा क्षेत्र के किसानों ने लगान बढ़ाने के खिलाफ आन्दोलन किया। इससे नाराज होकर मई 1925 में अलवर के महाराजा ने नीमूचाणा के किसानों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। सैनिकों ने गाँव की नाकेबन्दी करके गोलियाँ चलायी और किसानों की झोपड़ियों को भी जला दिया। लगभग 100 किसान मारे गये। बड़ी संख्या में पशु तथा अन्य सम्पत्ति आग में नष्ट हुई। राज्य सरकार ने इस घटना को हुएने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु 'प्रताप' और 'तरुण राजस्थान' जैसे अखबारों ने घटना का विवरण प्रकाशित कर दिया। नीमूचाणा के हत्याकांड को दूसरा जलियावाला बाग हत्याकांड कहा गया और सारे देश में इसकी निन्दा हुई। महात्मा गांधी ने इसे 'दोहरी ढायरशाही' कहकर निन्दा की।

1932-33 में अलवर राज्य के मेव-किसानों ने राज्य के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन किया। इस आन्दोलन में गोविन्दगढ़ भाग करने वाले राज्य-सेना ने गोली चलायी जिसमें बड़ी संख्या में मेव-किसान मारे गये। धीरे-धीरे यह आन्दोलन अलवर राज्य के सारे मेवाती क्षेत्र में फैल गया और भरतपुर राज्य तथा तत्कालीन पंजाब (अब हरियाणा) के मेवाती क्षेत्र भी इससे प्रभावित होने लगे। तब अंग्रेजी सरकार ने हस्तक्षेप किया। शांति स्थापित करने के लिए राज्य में अंग्रेजी सेना भेजी गयी और मेव-प्रधान क्षेत्र का शासन-प्रबन्ध अंग्रेज अधिकारी ने संभाल

। 1933 ई. में अलवर के महाराजा को राज्य छोड़कर याहर जाने के आदेश दिये गये।

शेखावाटी के जाट-किसानों ने भी सामन्ती शोषण के विरुद्ध आन्दोलन किया। पहले य संगठन बनाकर जाति-सुधार एवं समाज सुधार के काम किये गये, फिर चौथे दशक के में कृषि-भूमि के बन्दोबस्त को लेकर लगानवन्दी का आन्दोलन चलाया गया। उस समय नर के ठिकाने और जयपुर के महाराजा के घीच विवाद चल रहा था। 1935 ई. में जयपुर राजा ने सीकर के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की। इससे किसानों को फायदा हुआ। सोकर के नानेदार को जयपुर महाराजा के सामने दबना पड़ा और किसानों को माँग मानी गयी।

दक्षिणी राजस्थान के भील आन्दोलन का उल्लेख भी जरूरी है। भीलों में सामाजिक न्यूति के काम की शुरुआत गोविन्द गुरु ने 19 वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में की। गोविन्द स्वामी दयानन्द के शिष्य थे। उन्होंने 1883 में 'संप-सभा' की स्थापना की तथा भीलों के ब शराब व मास छोड़ने, कृषि एवं मजदूरी से परिवार का पालन पोषण करने, शिक्षित बनाने, देशी बस्तुओं को अपनाने और देशगर आदि नहीं करने का प्रचार किया। 1903 ई. से उन्होंने नवाड़ा जिले के मानगढ़ पहाड़ी पर वार्षिक मेला एवं यज्ञ की शुरूआत की। भीलों में गोविन्द का प्रभाव तेजी से बढ़ा और उनका आन्दोलन उदयपुर तथा सिरोही राज्यों के साथ गुजरात ईंडर, विजयनगर आदि राज्यों में फैलने लगा। 1908 ई. में मानगढ़ पहाड़ी के वार्षिक मेले के बासर पर अंग्रेजी सेना ने भीलों पर आक्रमण किया। गोलीकाण्ड में लगभग 1500 भील मारे गए। गोविन्द गुरु पर गुजरात के एक धानेदार की हत्या में भाग लेने का आरोप लगाया गया। ले उन्हें फौसी की सजा दी गयी, फिर अपील में उसे दस वर्ष की जेल में बदल दिया गया।

बीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में मोतीलाल तेजावत ने भीलों में जागृति के काम की गई बढ़ाया। वे पहले उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे। भीलों के शोषण को बताकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और गरीब भीलों के घीच काम करने लगे। उन्होंने भीलों को गठित कर 'एकी' आन्दोलन चलाया। महाराणा पर विश्वास कर भील-पंचों को साथ ले वे उदयपुर आये और भीलों की समस्या को महाराणा तक पहुँचाया। महाराणा ने भीलों की 18 माँग नली किन्तु देशगर बन्द करने आदि से सम्बन्धित तीन मुख्य माँगें अस्वीकार कर दी। तेजावत पने साधियों को लेकर झाड़ोल क्षेत्र में वापस आ गये और भीलों को आन्दोलन के लिए तैयार होने लगे। भीलों ने देशगर करना बन्द कर दिया। मार्च 1922 ई. में विजयनगर राज्य के ललितरिया गाँव में भील-किसानों की सभा पर भील-कोर रेजीमेण्ट के सैनिकों ने हमला किया और हजारों भील-किसानों को मार डाला। इसके बाद तेजावत अज्ञातवास में रहकर आन्दोलन चलाने लगे। मई 1922 ई. में सिरोही राज्य के दो गाँवों बालोलिया एवं भूला में राज्य के सैनिकों ने किसानों पर गोली चलायी और गाँव में आग लगा दी। 1929 ई. में गाँधीजी के नेंदेश पर तेजावतजी ने आत्मसमर्पण कर दिया। उदयपुर राज्य ने गिरफतार कर उन्हें सात वर्ष की सजा दी।

राजस्थान में किसान आन्दोलन के दिनों में दो भहत्वपूर्ण संगठनों का विकास हुआ। 1918 ई. में दिल्ली में कांग्रेस के अधिवेशन के समय 'राजपूताना-मध्यभारत सभा' की हुई। सभा का कार्यालय कानपुर में रखा गया। जमनालालजी द्वाज को सभा का

अध्यक्ष और गणेश शंकर विद्यार्थी को उपाध्यक्ष चुना गया। मार्च 1920 ई. सभा का अधिवेशन अजमेर में हुआ। पथिक जी के प्रयत्नों से अक्टूबर 1920 ई. में 'राजस्थान सेवा संघ' की स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्यालय अजमेर में था। पथिक जी इसके अध्यक्ष और रामनारायण चौधरी मंत्री थे। देशी राज्यों में जन-जागृति फैलाने में संघ ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। जहाँ से भी अत्याचार-गोलीकाण्डों की खबर आती थी, संघ वहाँ अपने प्रतिनिधियों को भेजकर जाँच करता था और तथ्यों को जनता के सामने प्रस्तुत करता था। विद्यार्थीजी का पत्र 'प्रताप' इस काम में बहुत सहायक था। शीघ्र ही प्रान्त भर में संघ की शाखाएँ खुल गयी। देशी राज्यों के अत्याचारी शासक तथा अधिकारी सबसे ज्यादा संघ के नाम से डरते थे। राजस्थान के किसान आन्दोलनों में संघ ने सक्रिय काम किया और हर तरह से किसानों की सहायता की।

इन किसान-आन्दोलनों ने राजस्थान में सामन्त-विरोधी चेतना फैलाने का महत्वपूर्ण काम किया तथा सामन्ती-आतंक को कम कर सुदूर गाँवों तक में नयी चेतना का प्रसार किया। इन आन्दोलनों का प्रत्यक्ष उद्देश्य अंग्रेजी-शासन का अंत करना नहीं था, लेकिन राजस्थान में सामन्ती शासन (जो विदेशी साम्राज्यवाद का मुख्य सहायक था और जिसके माध्यम से विदेशी साम्राज्यवाद राजस्थान पर नियंत्रण किये हुए था) का अंत इन आन्दोलनों से उत्पन्न नयी चेतना के द्वारा ही संभव हुआ। इन आन्दोलनों से जो नेता और कार्यकर्ता सामने आये, आगे चलकर उन्होंने ही प्रजामंडल-प्रजापरिषदों का नेतृत्व किया।

जन-जागृति की शुरूआत

देशी राज्यों के स्वेच्छाचारी सामन्ती-शासन में राजनैतिक-संगठनों की स्थापना तथा उनके विकास की संभावनाएँ न्यूनतम थी। अजमेर सीधा अंग्रेजी-शासन में था, अतः वह सामन्ती-शासन की निरंकुशता से मुक्त था। राजस्थान में कांग्रेस समिति की स्थापना सबसे पहले अजमेर में ही 1920 ई. में हुई। 1921 ई. के असहयोग आन्दोलन के समय अजमेर में विदेशी-वस्त्रों के वहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया। 1930 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय अजमेर सत्याग्रह आन्दोलन का मुख्य केन्द्र बना। राजस्थान के सभी प्रमुख नेता यहाँ सत्याग्रह करते गिरफ्तार हुए। 1932 में गांधीजी के लद्दन से वापस आने के बाद जब पुनः सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हुआ तो अजमेर में भी फिर सत्याग्रह किया गया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में इस सत्याग्रह में भाग लिया और जेल गयी।

'राजस्थान की देशी रियासतों में सामाजिक-संस्थाओं के माध्यम से जन-जागृति का कार्य आरम्भ हुआ। चूरूल में 1907 ई. में चं. क. नैया लाल दूँठ तथा स्वामी गोपालदास ने 'सर्वहित-कारिणी सभा' स्थापित की और वालिकाओं एवं हरिजनों के बीच शिक्षा-प्रचार के लिए काम किया। धौलपुर में यमुनाप्रसाद वर्मा ने पहले 1910 ई. में 'आचार सुधारिणी सभा' की स्थापना की, फिर आर्य समाज की स्थापना कर उसके माध्यम से समाज-सुधार के काम किये। आर्य समाज के बढ़ते प्रभाव से ध्वराकर राज्य के अधिकारियों ने जब आर्य-समाज मन्दिर पर कब्जा कर लिया तो उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया गया। लागभग एक हजार सत्याग्रही आन्दोलन में शामिल हुए। अन्त में राज्य को झुकना पड़ा और आर्य समाज मन्दिर पर से कब्जा हटाना पड़ा। भरतपुर में 1912 ई. में महन्त जगन्नाथ दास अधिकारी तथा उनके साथियों ने 'हिन्दी साहित्य'

'समिति' की स्थापना की। इस संस्था के माध्यम से ही शुरू में भरतपुर में जन-जागृति का कार्य आगे चढ़ा। भरतपुर के महाराजा किशनसिंह ने भी संस्था को सहयोग दिया। जोधपुर में घांटल सुराणा तथा उनके साधियों ने 'मारवाड़ सेवा-संघ' स्थापित कर 1920-21 में राज्य में 80 तोला के अंग्रेजी सेर के प्रचलन का विरोध किया। उस समय मारवाड़ में 100 तोला का सेर प्रचलन में था। संघ ने 1922-24 में राज्य से मादा-पटुओं की निकासी के विलक्षण भी आन्दोलन किया। 1924 ई. में संघ के स्थान पर 'मारवाड़ हितकारिणी सभा' का गठन किया गया। श्री जयनारायण व्यास इस सभा के माध्यम से ही सार्वजनिक चीयन में आये।

करौली में कुंवर मदनसिंह ने 1927 ई. में किसानों को दशा सुधारने के लिए घोगर-विरोधी आन्दोलन चलाया। उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए भी आन्दोलन किया। प्रतापगढ़ में रामलाल मास्टर तथा उनके युवा साधियों ने 1931-32 में खादी और स्वदेशी वस्तुओं के प्रसार के लिए आन्दोलन चलाया। राज्य ने उनके इन कामों को भी खतरनाक माना और तीन युवकों को गिरफ्तार कर तीन-तीन माह की सजा दी। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी प्रधान क्षेत्र में पहले गोविन्द गुरु और फिर मोतीलाल तेजावत ने भीलों को संगठित कर उनके बीच समाज-सुधार के काम किये। झूँगरपुर राज्य में श्री उक्कर वापा की प्रेरणा से 1935 ई. में भोगीलाल पंड्या ने 'हरिजन-सेवा समिति' की स्थापना की और अद्यूतोद्धार का काम किया। याद में श्री माणिक्य लाल वर्मा ने 'धांगड़ सेवा-मन्दिर' की स्थापना कर भीलों के बीच शिक्षा-प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों के निवारण का काम किया।

महात्मा गांधी पहले देशी राज्यों में कांग्रेस द्वारा हस्तक्षेप किये जाने के पक्ष में नहीं थे। इसी कारण अल्लवर राज्य के नीमूचाणा गोलीकाण्ड की निन्दा करते हुए भी उन्होंने कांग्रेस द्वारा इस प्रसंग में कोई कार्यवाही करने का समर्थन नहीं किया था। 1938 ई. में कांग्रेस के हारिया अधिवेशन में इस सम्बन्ध में नया निर्णय किया गया और कांग्रेस-जनों को देशी राज्यों में सामन्तशाही का विरोध करने के लिए संगठन बनाने को अनुमति दे दी गयी। यह निर्देश दिया गया कि देशी राज्यों में प्रतिनिधि-मूलक उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आन्दोलन चलाने के काम में कांग्रेस के नाम का उपयोग नहीं किया जाये।

प्रजामंडल-प्रजापरिषदों की स्थापना

देशी राज्यों में जन जागृति का कार्य 20 वीं शताब्दी के आरम्भ से ही शुरू हो गया था। कांग्रेस अधिवेशनों के समय देशी राज्यों के कार्यकर्ता भी एकत्र होते थे और अपनी समस्याओं पर विचार-विमर्श करते थे। 1927 ई. में ऐसे कार्यकर्ताओं ने मिलकर 'अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद' की स्थापना की। अगले वर्ष राजस्थान में इसको शाखा 'राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद' के नाम से स्थापित की गयी। कुछ देशी राज्यों में 1938 ई. से पहले ही कांग्रेस समिति अथवा प्रजामंडल की स्थापना के प्रयत्न भी किये गये। 1931 ई. में जयपुर में कपूरचंद पाटनी ने प्रजामंडल की स्थापना की लेकिन वे अधिक सहयोग भाने में सफल नहीं हुए और प्रजामंडल निर्जीव हो गया। 1936 ई. के अंत में श्री जयनालाल वजाज की प्रेरणा से प्रजामंडल का मुकर्गठन हुआ। चिरंजीलाल मिश्र एडवोकेट प्रजामंडल के अध्यक्ष और हीरालाल

सचिव चुने गये। पं. नवनूराम शर्मा ने 1934 ई. में 'हाड़ौती प्रजामंडल' की स्थापना की,

लोकिन कुछ समय बाद यह संस्था बेजान होगयी। बीकानेर में महाराम वैद्य ने 1936 ई. में 'बीकानेर प्रजामंडल' की स्थापना की। बीकानेर के महाराजा गंगासिंह ने तत्काल कार्यवाही और वैद्यजी को 6 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया गया। बीकानेर में प्रजामंडल बनाने का पहला प्रयत्न असफल हो गया। अलवर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के नेताओं के सहयोग से 1937 ई. में कांग्रेस-समिति की स्थापना की गयी। यहाँ भी राज्य शासन ने तत्काल कार्यवाही कर नवगठित कांग्रेस समिति के नेताओं को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक से दो वर्ष तक के कारावास की सजा दी गयी। भरतपुर में भी 1937 ई. में कांग्रेस-मंडल की स्थापना हुई।

हरिपुर कांग्रेस के निर्णय के बाद राजस्थान के देशी राज्यों में प्रजामंडल-प्रजापरिषदों स्थापना के काम को नयी दिशा मिली और अगले चार-पाँच वर्षों में लगभग सभी देशी राज्यों में ऐसी संस्थाओं का गठन हो गया। मेवाड़ (उदयपुर) में श्री माणिक्यलाल वर्मा के प्रयत्नों से अप्रैल 1938 ई. में 'मेवाड़ प्रजामंडल' का गठन हुआ। श्री बलवत्तीसिंह को प्रजामंडल का अध्यक्ष और वर्माजी को सचिव चुना गया। महाराजा की सरकार ने मई में प्रजामण्डल को अवैध घोषित कर दिया। इस पर अक्तूबर से प्रजामण्डल के नेताओं ने सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया। सत्याग्रह में सभी नेता गिरफ्तार कर लिये गये तथा वर्मा जी को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। वे अजमेर जाकर रहने लगे और वहाँ से सत्याग्रह का संचालन करते रहे। फरवरी 1939 में राज्य के जासूस छल से वर्मा जी को पकड़ लाये। उनके साथ मारपीट की गयी और देशद्रोह के आरोप में दो साल की सजा दी गयी। दो-ढाई वर्ष के संघर्ष के बाद फरवरी 1941 में ही प्रजामण्डल से पावन्दी हटाई गयी।

मई 1938 ई. में जोधपुर में 'मारवाड़ लोक-परिषद' की स्थापना की गयी। परिषद का उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1939 ई. में मारवाड़ में अकाल पड़ा तो परिषद के कार्यकर्ताओं ने अकाल पीड़ितों की मदद करने के लिए खुब काम किया। इससे जनसाधारण में परिषद की लोकप्रियता बढ़ी। परिषद की लोकप्रियता से घबराकर राजशाही ने फरवरी 1940 ई. में परिषद को अचानक गैर-कानूनी घोषित कर दिया और जयनारायण व्यास तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजशाही के इस कार्य के विरोध में आन्दोलन शुरू किया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। गांधीजी ने भी अपने समाचार पत्र 'हरिजन' में राजशाही की निन्दा की। अन्त में परिषद और राजशाही के बीच में समझौता हो गया। परिषद ने अपना पंजीकरण कराना स्वीकार किया तथा राजशाही ने परिषद के उद्देश्य (उत्तरदायी शासन की स्थापना) को मान्यता दी। समझौते के बाद सभी गिरफ्तार नेता-कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया।

जयपुर में श्री जमनालाल बजाज की प्रेरणा से 1936 के अंत में प्रजामण्डल का पुर्णगठन हुआ था। 1938 ई. में प्रजामण्डल का पहला खुला सम्मेलन जयपुर में ही हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता जमनालाल जी ने की। 1938-39 में जयपुर में अकाल पड़ा तो प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन से अकाल पीड़ितों की सहायता की। जमनालाल जी इन कार्यों में भाग लेने के लिए जब जयपुर आने लगे तो सरकार ने राज्य में उनके प्रवेश पर अचानक पावन्दी

लगा दी। कुछ समय बाद सरकार ने प्रजामण्डल को भी गैर-यानुनी घोषित कर दिया। फरवरी 1939 में जमनालाल जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रजामण्डल के बाहर रह गये नेताओं ने तब सत्याग्रह आरम्भ किया जिसमें 600 से अधिक सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। मार्च में गांधीजी की सलाह पर सत्याग्रह घोषित कर दिया गया और सरकार से यातं आरम्भ हुई। कई माह की यातीरी के बाद आगस्त में समझौता हुआ जिसके अनुसार एक और प्रजामण्डल ने अपना पंजीकरण कराना स्वीकार किया तो दूसरी ओर सरकार को भी प्रजामण्डल के काम करने के अधिकार को स्वीकार करना पड़ा। 1940 ई. में होरलाल शास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष बने।

राजस्थान के अन्य राज्यों में भी लगभग ऐसी ही घटनाएं हुई। बीकानेर में रघुवर दबाल गोयल ने 1942 ई. में बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद की स्थापना की जिस पर श्री गोपल को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। 1939 ई. में श्री नयनूराम शर्मा ने कोटा राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की। अक्टूबर 1941 ई. में शर्मा जी को किसी गिरोह ने हत्या कर दी। भरतपुर में भी 1938 ई. में प्रजामण्डल बनाया गया। अप्रैल 1939 में मंडल ने राज्य सरकार से मान्यता पाने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। 6 माह तक सत्याग्रह आन्दोलन चला जिसके बाद सरकार से समझौता हुआ। प्रजामण्डल का नाम बदलकर 'प्रजा परिषद' कर दिया गया तथा सरकार ने उसे मान्यता प्रदान कर दी। अलवर में कांग्रेस कमेटी ने 1938 ई. में स्कूलों में फीस लगाने के विरुद्ध आन्दोलन किया। राज्य में इससे पहले शिक्षा निशुल्क थी। फीस-विरोधी आन्दोलन में कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें राजदोह के आरोप में सजाएं दी गई। कुछ नेता 1937 के मुकदमों में सजा पाकर पहले से ही जेल में बन्द थे। सभी प्रमुख नेताओं के जेल चले जाने पर कांग्रेस कमेटी निप्पिय हो गयी। 1939 ई. में बाहर रहे नेताओं ने प्रजामण्डल की स्थापना की। राजशाही सरकार से लम्बे पत्र-व्यवहार के बाद अगस्त 1940 ई. में अलवर प्रजामण्डल का पंजीकरण कर उसे मान्यता दी गई। करोली में सितम्बर 1938 में कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई। धीलपुर में 1938 ई. में प्रजामण्डल की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिजामु और जौहरीलाल इन्दु ने की। सिरोही में प्रजामण्डल की स्थापना श्री गोकुल भाई भट्ट द्वारा जनवरी 1939 ई. में की गई। शाहपुरा और किशनगढ़ जैसे छोटे राज्यों में भी 1938-39 ई. में प्रजामण्डल बने।

सामन्तशाही के विरुद्ध अन्तिम-संघर्ष

पाँचवा दशक देश में स्वाधीनता के लिए अन्तिम संघर्ष का दशक था। राजस्थान के विभिन्न देशी राज्यों में प्रजापरिषद या प्रजामण्डल स्थापित हो चुके थे और शुरुआती संघर्षों के द्वारा उन्होंने सामन्तशाहियों को ऐसे संगठनों की वैधता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था। पंजीकरण अवधार मान्यता प्राप्त करने के बाद प्रजामण्डल तथा प्रजापरिषदों ने उत्तरदायी शासनों की स्थापना के लिए संघर्षों की शुरुआत की। देश की परिस्थिति तेजी से बदल रही थी। यह समय राजनैतिक-चेतना के तीव्र विकास का समय था। राजनैतिक-चेतना के इस तीव्र विकास ने ही अंत में राजस्थान को शताब्दियों पुराने सामंती-शासन से मुक्त किया।

जोधपुर में 1941 ई. में नगर-पालिका के चुनाव हुए जिसमें मारवाड़ लोक परिषद को बहुमत मिला। व्यास जी नगरपालिका के अध्यक्ष यने, किन्तु सरकारी हस्तक्षेप के कारण उन्हें कामकाज में चाधा होने लगी। जोधपुर का प्रधानमंत्री उस समय एक अंग्रेज अफसर डोनाल्ड फोल्ड था। वह लोक परिषद का घोर विरोधी था। उसके हस्तक्षेप से विवश होकर अंत में, लोकपरिषद को नसे हटाने के लिए आन्दोलन की शुरूआत करती पड़ी। मई 1942 में व्यासजी तथा अन्य नेताओं ने नगर-पालिका से स्तोफा दे दिया और सत्याग्रह शुरू किया। शीघ्र ही व्यास जी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महिलाएं भी बड़ी संख्या में गिरफ्तार हुई। यन्दियों के साथ दुर्व्यवहार के विरुद्ध व्यास जी तथा अन्य नेताओं ने जेल में भूख हड़ताल की। जून में बाल मुकद्दमे विस्सा भूख हड़ताल करते शहीद हो गये।

अगस्त में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन शुरू होने के बाद जोधपुर में सत्याग्रह और तेज हो गया। जोधपुर के नौजवान विद्यार्थी भी अब सक्रिय हो गये। अक्टूबर में छात्रों ने पहला बम विस्फोट किया जिसके बाद अनेक छात्र नेता पकड़े गये। अप्रैल 1943 ई. में छात्रों के एक अन्य समूह ने स्टेडियम तथा अन्य स्थानों पर बम विस्फोट किये और फिर बहुत से छात्र नेता पकड़े गये। अगले वर्ष 1944 ई. में लोक-परिषद तथा राज्य सरकार के बीच वार्ता आरम्भ हुई और मई में व्यास जी एवं अन्य नेता जेल से छोड़े गये। परिषद ने अपनी ओर से यह आश्वासन दिया कि वह महायुद्ध सम्बन्धी कार्यों में चाधा नहीं ढालेगा।

अक्टूबर 1945 ई. में जवाहरलाल नेहरू जोधपुर आये। महाराजा उमेदसिंह उनसे भेंट करने उनके निवास पर गये और कांग्रेस के कामों के लिए उन्हें पच्चीस हजार की धैरी भेंट की। नेहरू जी के सुझाव पर उन्होंने डोनाल्ड फोल्ड के स्थान पर एक भारतीय अधिकारी सी एम बैंकटाचारी को जोधपुर का प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया। इससे राज्य-सरकार और परिषद के बीच सम्बन्धों में बड़ा सुधार हुआ। किन्तु, 1947 ई. के आरम्भ में महाराजा उमेद सिंह का अचानक निधन ही गया। नये महाराजा हनुवन्त सिंह ने परिषद विरोधी रुख अपनाया। उन्होंने सामंती-तत्व तथा जागीरदारों को परिषद-विरोधी कार्य करने के लिए भी उकसाया। मार्च 1947 ई. में नागौर जिला के डावड़ा गांव में सामंती-तत्वों ने परिषद द्वारा आयोजित किसान-सम्मेलन पर हमला किया जिसमें पांच कार्यकर्ता मारे गये। राज्य सरकार ने हमलावरों पर कार्यवाही करने के स्थान पर परिषद के नेताओं पर मुकद्दमे दायर किये।

विदेशी सरकार ने भारत को स्वाधीनता देने के निश्चय के साथ देशी राज्यों के शासकों को यह अधिकार दिया कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय स्वयं करेंगे। जोधपुर राज्य की सीमा पाकिस्तान के सिन्ध प्रांत से मिलती थी। महाराजा ने इस भाँगोलिक परिस्थिति का लाभ उठाकर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता जिन्ना से वार्ता आरम्भ की। अनेक नाटकीय घटनाओं के बाद 14 अगस्त को ही महाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होने की सन्तुष्टि पर हस्ताक्षर किये। भारतीय-संघ में शामिल होने के बाद भी वे अपने को जोधपुर का निर्कुश राजा मानते रहे। अक्टूबर में उन्होंने प्रधानमंत्री बैंकटाचारी को हटाकर अपने एक चाचा को प्रधानमंत्री बना दिया। 18 वर्ष के एक राजपूत युवक को गृहमंत्री बनाया गया। जनता में इसकी उग्र प्रतिक्रिया हुई। भारत सरकार के रियासती विभाग के सचिव बी.पी. मेनन

ये समझने पर महाराजा ने प्रत्याग्री 1943 में खलग ली औ द्वितीय विश्व युद्ध-पर्वत इन ग्रामों का विद्यानुकूल मंत्रिमण्डप बनाया। विद्यापर्व में खलग ली ने भगव मंत्रिमण्डप यद्यन चिस्तमें पठली यार छाँसी हरिहर गी यद्यमा निकृ।

'आत दोषो' आनंदीत दुर्ग ही के घार में एक दृश्यमात्र हो भी आनंदीत दुर्ग किया। श्री महिसुधात यज्ञ में आते महिलों में इस विषय-विवरण नारों द्वेरा ऐसे भट्टाचार्य पो अल्टीमेटम दिया गया था 24 घटि में बड़े दूषण से महाम विषय-विवरण की तो आनंदीत दिया जायेगा। यथ महात्मा ने यज्ञ जी पो विषयम घर दिया। दोष ही मारे भेदाद् एव्य में आनंदीत धैर्य गया। अपेक्ष दिनें तक उत्तमुर में रह गए। एवं और दिय सम्पाद्य घंट रही। यद्यो रात्रि यज्ञ में विषय तथा धार विषयम दिये गये। 1943ई. में मौक्के में प्रधानमंत्री सर टी. विजयरामकान्तर्य में श्री गगांधराहार्य जो उत्तमुर आनंदीत घर उन्ने माध्यम से प्रजामण्डुस में समझौता करने पा प्रधान दिया, दिनु महादीप वही हो गता। 1944ई. में गरकार ने पोरे-धीरे सद्यग्रहियों पो मुख फरता दुर्ग दिया।

1945 ई. के अन्तिम दिन (31 दिसम्बर) 3 और 4 जनवरी 1946 को उदयपुर में अधिष्ठित भारतीय देशी राज्य प्रजा-परिषद या एटों अधिवेशन हुआ। श्री जगद्गुर रामजीराम ने अधिवेशन की अध्यक्षता की। उदयपुर के महाराणा भूजग्लसिंह ने नेहरू जी को भेट के लिए जलदमद आमंत्रित किया और फांग्यून के लिए पांचास हजार रुपये भेट किये। परवरी 1947 ई. में महाराणा ने राज्य में विधान-सभा स्थापित करने वाला उनमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधित्वों को शामिल करने की पोषणा की। ग्राम्य में भावी संविधान की रूपरेखा की पोषणा भी की गई। इसके अनुसार विधान-सभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों का यनुकान रोना था। पर प्रजामण्डल ने इसे स्वीकार नहीं किया एवं विधान-सभा में मनोनीत राज्यों की संछित कानूनी अधिक रुटी गई थी। महाराणा ने फिर प्रसिद्ध विधिवंता और फांग्यूसी नेता श्री के. एम. मुंशी को अपना वैधानिक सलाहकार घनाया तथा उन्हें मैथाड़ का नया संविधान घनाने का दायित्व सौंपा। मई में महाराणा ने नये संविधान को लागू पर प्रजामण्डल के दो तथा क्षत्रिय-परिषद के एक सदस्य को सेकर अन्तरिम मंत्रीमण्डल का गठन किया। अगस्त में महाराणा ने भारतीय संघ में शामिल होने की संधि पर भी हस्ताक्षर कर दिये।

फरवरी 1948 में विधान-सभा के चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई। मार्च में महाराष्ट्रा और प्रजामण्डल के द्वीच यात्तीत के बाद प्रजामण्डल के यहुमत याले मंत्रीमण्डल भानाने का समझौता हुआ। प्रधानमंत्री का पद भी प्रजामण्डल को मिला। मार्च के अन्तिम सप्ताह में नये मंत्रीमण्डल की नियुक्ति की घोषणा भी कर दी गई। अप्रैल में महाराष्ट्रा ने मेयाङ्ग राज्य को संयुक्त राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया।

बीकानेर के महाराजा गंगासिंह बड़े प्रखुद्ध शासक थे। अपने राज्य के विकास तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किये। पर वे निरंकुश शासक भी थे और अपने राज्य में किसी तरह की राजनैतिक गतिविधि को सहन नहीं करते थे। उनके राज्य में तिरंगा झण्डा फहराना भी अपराध था। दिसम्बर 1942ई. में राज्य के कार्यकर्ताओं ने झण्डा सत्याग्रह किया।

अपरी 1943 ई. में महाराज गंगासिंह के देहान्त के बाद शार्टूलसिंह नये महाराजा बने। उन्होंने

जनैतिक वन्दियों को तो रिहा करना शुरू कर दिया किन्तु प्रजा-परिषद पर पायन्दी बनी रही। जुलाई 1946ई. में ही बीकानेर में प्रजा-परिषद का कार्यालय खुले रूप में स्थापित हो सका।

1946ई. के मध्य तक देश को स्वाधीनता मिलना निश्चित हो चुका था। बीकानेर में भी अब परिस्थितियां बदली। अगस्त 1946 में शासन सुधार के लिए दो समितियाँ नियुक्त की गईं। दिसम्बर में राज्य में नया संविधान भी लांगू किया गया। मार्च 1947 में प्रजा-परिषद तथा राज्य सरकार के बीच वातचीत के बाद अन्तर्रिम सरकार बनाने तथा नयी विधान-सभा के चुनाव करने के लिए समझौता हुआ। अप्रैल में बीकानेर राज्य ने देश की संविधान सभा में अपना प्रतिनिधि भेजा। अगस्त में बीकानेर राज्य भारतीय संघ में शामिल हो गया।

जयपुर में 1942ई. में प्रजामण्डल की ओर से कोई आन्दोलन नहीं हुआ। उस समय श्री हीरालाल शास्त्री प्रजामण्डल के अध्यक्ष थे। जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल और उनके बीच अच्छा तालमेल था। तब यादा हरिशचन्द्र के नेतृत्व में प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने 'आजाद-मोर्चा' बनाकर आन्दोलन शुरू किया। आन्दोलन में बहुत से नेता गिरफ्तार हुए। 1943ई. में जयपुर में अगस्त-क्रांति का उभार कम होने लगा तो जयपुर की सरकार ने धीरे-धीरे गिरफ्तार नेता एवं सत्याग्रहियों को छोड़ना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1945ई. में नेहरू जी जयपुर आये। उनकी पहल से प्रजामण्डल में फिर एकता स्थापित हुई और आजाद मोर्चा के नेता प्रजामण्डल में वापस शामिल हो गये। मई 1946ई. में जयपुर में विधान-सभा एवं विधान-परिषद की स्थापना की गयी। प्रजामण्डल के प्रतिनिधि के रूप में श्री देवीशंकर तिवारी को राज्य मंत्रीमण्डल में भी शामिल किया गया। मार्च 1947ई. में राज्य के नये मंत्रीमण्डल में शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके अलावा प्रजामण्डल की ओर से तीन अन्य नेता भी मंत्रीमण्डल में शामिल किये गये।

राज्य सरकार से पंजीकरण मिलने के बाद अलवर प्रजामण्डल ने जन-साधारण की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया। जून 1941ई. में राजगढ़ में जागीरी-क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन किया गया। अक्टूबर में अलवर शहर में खादी-प्रदर्शनी का आयोजन हुआ जिसका उद्घाटन महादेव भाई देसाई ने किया। 1942ई. के आन्दोलन के समय कुछ युवक डाकखाना जलाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। 1943ई. में कस्तूरबा गांधी के निधन पर छात्रों ने हड्डताल की। प्रजामण्डल का पहला खुला अधिवेशन 1944ई. में खैरथल कस्बे में हुआ। अगले वर्ष अलवर में मध्यभारत एवं राजपूताना के देशी-राज्यों के नेताओं-कार्यकर्ताओं का एक शिविर हुआ जिसमें देशी-राज्यों में उत्तरदायी शासन के लिए किये जाने वाले आन्दोलनों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। 1946ई. की शुरुआत में खेड़ा मंगलसिंह नामक गांव में विशाल किसान सम्मेलन किया गया। सम्मेलन को असफल करने के लिए राजशाही ने सम्मेलन से पहले ही अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरोध में अलवर शहर में कई दिन तक हड्डताल रही। अगस्त माह में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए सत्याग्रह किया गया, जिसमें लगभग 400 सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

1947ई. के आरम्भ से राज्य में साम्राज्यिक तनाव बढ़ने लगा। प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने अब साम्राज्यिक शांति की स्थापना पर ध्यान दिया और ग्रामीण-क्षेत्रों के दौरे

करने लगे। जुलाई में राज्य सरकार ने भारतीय संविधान-सभा में अपना प्रतिनिधि भेजने को घोषणा की। अक्टूबर में महाराजा की ओर से सोकप्रिय मंत्रीमण्डल याने का प्रस्ताव किया गया किन्तु प्रजामण्डल ने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि प्रजामण्डल को मंत्रीमण्डल में एक ही स्थान दिया गया था। दिसंबर में महाराजा ने दो वर्ष की अधिक में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने की घोषणा की। 1948ई. की शुरूआत के साथ राज्य में भट्ठा चक्र तेज़ी से घला। जनवरी में महाराजा ने 25 सदस्यों की अन्तरिम परामर्शदात्री समिति स्थापित करने की घोषणा की। महात्मा गांधी की हत्या के बाद यह सन्देह किया गया कि हत्या के पड़यंत्र में अल्यवर राजशाही का भी कुछ हाथ था। परवर्ती के शुरू में जनता ने राजशाही के विस्तृद्वारा प्रदर्शन किये। भारत सरकार ने महाराजा तथा राज्य के प्रधानमंत्री को दिल्ली युलाया और फिर सैनिक कार्यवाही कर अल्यवर राज्य का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अल्यवर के नागरिक सामंती शासन से मुक्त हुए।

‘भारत-छोड़ो’ आन्दोलन शुरू होने के बाद कोटा में जनता ने पुलिस को धौरकों में बद्द कर दिया तथा नगर में जनता-प्रशासन की स्थापना की। लगभग दो सप्ताह बाद महारायल छारा किसी प्रकार का दमन नहीं किये जाने के आशासन पर पुलिस को मुक्त किया गया। इसके बाद कोटा राज्य में शांति रही। राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ अगस्त 1947 में कोटा भी भारतीय-संघ में शामिल हो गया। 1948ई. में महारायल ने सोकप्रिय मंत्रीमण्डल का गठन करने की भी घोषणा की। भरतपुर प्रजा-परिषद ने भी अगस्त 1942ई. सत्याग्रह शुरू किया किन्तु राज्य में बाढ़ आने के कारण आन्दोलन स्थगित करना पड़ा और परिषद के कार्यकर्ता बाढ़-धीड़तों की सहायता में जुट गये। अक्टूबर में परिषद तथा राज्य के प्रधानमंत्री के बीच भातचीत हुई। राज्य ने निर्वाचित बहुमत वाली विधान-सभा बनाना स्वीकार कर लिया। समझौते के बाद गिरफ्तार सत्याग्रहियों को मुक्त कर दिया गया। 1943ई. में द्वंद्व जया प्रतिनिधि-समिति (विधान-सभा) के चुनाव हुए जिसमें प्रजा-परिषद को बहुमत मिला। 1945 में एक बार फिर संघर्ष की स्थिति यनी जब कि राजशाही के हस्तक्षेप से परेशान होकर परिषद ने प्रतिनिधि-समिति का बहिष्कार कर दिया। पहले तो सरकार ने दमन किया और नेताओं को गिरफ्तार कर उन्हें राज्य-द्वारा में सजा दी गई, किन्तु बाद में परिषद और राजशाही के बीच समझौता हो गया और गिरफ्तार नेता रिहा कर दिये गये। जनवरी 47 में वायसराय लाई बेवल के भरतपुर आगमन पर फिर संघर्ष हुआ। परिषद ने बेगार लेने के विरुद्ध आन्दोलन किया तो सरकार दमन पर उत्तर आई। भुसावर कस्बे में एक प्रमुख कार्यकर्ता रमेश स्वामी सत्याग्रह करते रहीं हुए। बहुत से अन्य नेता भी सत्याग्रह में घायल हुए। बाद में देश की बदलती स्थितियों को ध्यान में रख कर सरकार ने अपनी नीति बदली। नेताओं को धीरे-धीरे छोड़ दिया गया। दिसंबर 1947ई. में परिषद के प्रतिनिधियों को मंत्रीमण्डल में भी शामिल किया गया।

राजस्थान के अनेक छोटे राज्यों में प्रजामण्डल अथवा प्रजा-परिषदों का गठन काफी देर से हुआ। तब तक देश की स्थिति बदल चुकी थी और भारत की स्वाधीनता तथा अंग्रेजी-राज का अंत निश्चित हो चुका था। इस कारण इन राज्यों में अधिक संघर्ष नहीं हुआ। झालावाड़ के महाराजा हरिशचन्द्र सिंह तो स्वयं प्रजामण्डल में शामिल हो गये और उनके नेतृत्व में वहां उत्तरदायी मंत्रीमण्डल का गठन हुआ। शाहपुरा में 1946ई. में वहां के नेता श्री गोकुल

लाल असावा की अध्यक्षता में संविधान-सभा बनायी गयी। संविधान सभा ने जो जनतांत्रिक संविधान बनाया, महाराजा ने उसे स्वीकार कर लिया। 14 अगस्त 1947 को वहाँ प्रो. असावा के नेतृत्व में मंत्रीमण्डल भी बन गया।

दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी-प्रधान राज्य झूँगरपुर में अगस्त 1944 ई. में प्रजामण्डल का गठन हुआ। अप्रैल 1946 में प्रजामण्डल का पहला खुला सम्मेलन हुआ। इसी वर्ष प्रजामण्डल ने अकाल-पीड़ित आदिवासी किसानों से लेवी-वसूली करने के खिलाफ आन्दोलन किया जिसमें अनेक नेता गिरफतार हुए। जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया, किन्तु बाद में मेवाड़ के प्रमुख नेताओं के हस्तक्षेप से प्रजामण्डल और सरकार के बीच समझौता हो गया तथा गिरफतार नेता छोड़ दिये गये। झूँगरपुर में वांगड़ सेवा-संघ द्वारा संचालित पाठशालाओं को राज्य द्वारा बंद करने पर भी संघर्ष हुआ जिसमें दो आदिवासी नाना भाई खाट और कालीबाई शहीद हुए। दिसम्बर 1947 में झूँगरपुर के महारावल ने प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को मंत्रीमण्डल में शामिल किया। अप्रैल 1948 में प्रजामण्डल के नेता श्री गौरीशंकर उपाध्याय को प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया। वांसवाड़ा राज्य में प्रजामण्डल की स्थापना 1943 ई. में हुई। शुरू में प्रजामण्डल और राजशाही के बीच संघर्ष हुआ किन्तु फिर समझौता हो गया। 1946 ई. में राज्य में विधान-सभा के चुनाव कराये गये जिनमें प्रजामण्डल को बहुमत मिला। प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को इसके बाद मंत्रीमण्डल में भी शामिल कर लिया गया। 1948 ई. के आरम्भ में प्रजामण्डल के नेता भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। एक और आदिवासी-प्रधान राज्य प्रतापगढ़ में प्रजामण्डल का गठन 1945 ई. में हुआ। 1948 ई. में वहाँ भी मंत्री-मण्डल में प्रजामण्डल के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। बूँदी में 1944 ई. में लोक-परिषद की स्थापना हुई। उसी वर्ष बूँदी के महाराव ने राज्य में विधान-सभा बनाने और लोकप्रिय मंत्री-मण्डल का गठन करने की घोषणा कर दी।

सामन्तशाही का अन्त

15 अगस्त 1947 ई. से पहले राजस्थान के सभी देशी राज्यों ने भारतीय-संघ में शामिल होने की संधियों पर हस्ताक्षर कर दिये थे। बदली हुई परिस्थितियों को समझकर 1947 ई. के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे सभी राज्यों में प्रजामण्डल या प्रजा-परिषदों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर लोकप्रिय मंत्रीमण्डलों का गठन किया गया। यद्यपि महाराजा-महाराणा बने रहे किन्तु शासन में जनता को भागीदारी बढ़ गई। 1948 ई. के आरम्भ में भारत-सरकार ने राजस्थान के विभिन्न देशी राज्यों को परस्पर मिलाकर नये राज्यों के गठन की प्रक्रिया आरम्भ की। यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम था। इसके साथ राजशाही के पूर्ण अन्त की प्रक्रिया आरम्भ हुई। सबसे पहले मार्च 1948 ई. में पूर्वी राजस्थान के चार राज्यों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य-संघ का निर्माण हुआ। अलवर प्रजामण्डल के नेता श्री शोभाराम मत्स्य-संघ के प्रधानमंत्री बने और धौलपुर के महाराजा को संघ का राजप्रमुख बनाया गया। इसी माह दक्षिणी राजस्थान के नौ राज्यों को मिलाकर संयुक्त-राजस्थान बनाया गया। इनमें कोटा सबसे बड़ा राज्य था, अतः कोटा के महाराव को राजप्रमुख बनाया गया। शाहपुरा के नेता प्रो. गोकुललाल असावा प्रधानमंत्री बने। कोटा तथा शाहपुरा के अलावा संयुक्त-राजस्थान में बूँदी, झालावाड़,

टोंक, किशनगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बाँसवाड़ा राज्य शामिल थे। अप्रेल में महाराणा भूपालसिंह ने भैवाड़ा राज्य को भी संयुक्त-राजस्थान में सम्मिलित करने पर सहमति दे दी। तब महाराणा को संयुक्त-राजस्थान का महाराजा-प्रमुख बनाया गया और श्री माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में नये मंत्रीमण्डल का गठन किया गया। उदयपुर नये राज्य की राजधानी बना।

राजस्थान के सभी राज्यों को मिलाकर एक वृहद् राजस्थान के निर्माण का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। जयपुर, बीकानेर तथा जोधपुर जैसे बड़े राज्य और सिरोही एवं जैसलमेर के छोटे राज्य अभी संयुक्त राजस्थान से बाहर थे। सिरोही राज्य का प्रबन्ध मई 1948 में बम्बई राज्य को दे दिया गया। जैसलमेर पाकिस्तान का सीमावर्ती राज्य था और वहाँ पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने का खतरा था। अतः भारत सरकार ने राज्य का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। 1948 ई. के अन्त में भारत सरकार के रियासती विभाग ने जयपुर, जोधपुर तथा बीकानेर के महाराजाओं से राजस्थान में विलय की वातचीत आरम्भ की। शीघ्र ही तीनों महाराजा विलय के लिए सहमत हो गये। 30 मार्च 1949 ई. को सरदार वल्लभभाई पटेल ने जयपुर में वृहद् राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया। जयपुर के महाराजा मानसिंह को नये राज्य का राजप्रमुख बनाया गया और श्री हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। जयपुर नये राज्य की राजधानी बना। मई 1949 ई. मत्स्य-संघ का विलय भी राजस्थान में हो गया। जनवरी 1950 में सिरोही राज्य के राजस्थान में विलय के बाद अजमेर के केन्द्र शासित भाग को छोड़कर सारा राजस्थान एक राज्य बन गया। यद्यपि महाराजप्रमुख तथा राजप्रमुख जैसे औपचारिक पद अभी बने हुए थे किन्तु राजस्थान में सामन्ती शासन समाप्त हो गया। 1956 ई. में राज्य पुनर्गठन आयोग को सिफारिशों के अनुसार अजमेर भी राजस्थान में शामिल हो गया और राज-प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। अब सारा राजस्थान एक था और सामन्ती शासन का कोई चिन्ह शेष नहीं रह गया था। ①

अलवर :

साम्राज्यवाद-सामंतवाद से मुक्ति का संघर्ष



1. अलवर रियासत में नवजागरण

-डॉ. जीवन सिंह मानवी

2. स्वतंत्रता-संग्राम में अलवर का योगदान

-हरिशंकर गोयल

3. अलवर में आजादी के आन्दोलन का शुरुआती दौर

-हरिनारायण सैनी

-हरिशंकर गोयल

4. अलवर-राज्य प्रजामंडल की संघर्ष-गाथा

-हरिनारायण सैनी

5. नीमराणा का अलवर में विलय

-हरिशंकर गोयल

6. गोवा-मुक्ति-आन्दोलन: अलवर का योगदान

-हरिशंकर गोयल



अलवर रियासत में नवजागरण

□ डॉ. जीवन सिंह मानवी

अलवर का इतिहास बहुत पुराना है। इस अंचल ने इतिहास में न जाने कितने घटनाचक्रों और उनके नायकों को देखा है। इसलिए इसका कोई एक तरह का इतिहास न होकर विभिन्नताओं एवं विविधताओं का सतत बदलता हुआ इतिहास है। पौराणिक काल से लगाकर ऐतिहासिक काल तक की अनेक कहानियाँ अलवर के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। अलवर-दुर्ग की पहाड़ियों के बगल में प्रतापबंध से ऊपर की छोटी-सी उपत्यका में आज भी 'रावण देवरा' के खंडहर इसके बसने-उजड़ने के ऐतिहासिक प्रमाण हैं।

भारत के प्राचीन इतिहास में उल्लिखित 'मत्स्य जनपद' का संबन्ध इस अंचल से माना जाता है। 10 वीं 11 वीं सदी में इस अंचल पर गुर्जर-प्रतिहारों का शासन रहा। मध्यकालीन राजपूत काल तथा मुगलकाल से इसके इतिहास की कढ़ियाँ स्पष्टतः जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। इसके 'बाला किला' से क्षत्रियों की एक पुरानी शाखा 'निकुंभों' का सम्बन्ध रहा है। हसन खाँ मेवाती और उसके पिता अलावलखाँ का अधिकार भी इसे किले पर रहा। मुगल राजसत्ता के संस्थापक बाबर को भी परिस्थितियों ने इस किले में विश्राम करने को विवश किया। मुगलसत्ता के पतन के बाद यह जयपुर के अधीन रहा। इसके बाद जब भरतपुर रियासत बनी तो इस पर भरतपुर के राजाओं का अधिकार रहा। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह से 1775 ई. में इसको छीनकर, अलवर रियासत के संस्थापक महाराजा प्रतापसिंह ने अठारहवीं सदी के उतार पर एक नये राजपूत-राज्य को जन्म दिया। पूरे भारत के इतिहास में यह समय विशृंखलता एवं अराजकता का समय है। ऐसी परिस्थितियों का लाभ उठाकर पूरे देश में अनेक जातिप्रक एवं साम्राज्यिक सामन्ती राजसत्ताओं का अभ्युदय इस काल में हुआ। इसी सदी में मराठा-शक्ति का दबदबा कायम हुआ, लेकिन उनके शासक-वर्ग के मन में कोई एक 'राष्ट्रीय' दृष्टि न होने के कारण वे लूट-मार, चौथवसूली जैसे कारनामों तक ही सीमित रहे। इससे यहाँ विदेशी ब्रिटिश व्यापारी वर्ग को अपनी राजसत्ता कायम करने का मौका मिला। 1757 में उनकी पलासी की विजय से भारत पर अंग्रेजी शासन की शुरूआत हुई, जो धीरे-धीरे पूरे देश की पराधीनता में बदल गई।

जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है कि महाराजा प्रतापसिंह अलवर रियासत के पहले स्वतंत्र शासक बने। उनके पश्चात् महाराजा बख्तावर सिंह, महाराजा विनयसिंह, महाराजा शिवदान सिंह तथा महाराजा मंगलसिंह ने उन्नीसवीं शताब्दी में अंग्रेजों से सन्धि तथा बाद में उनकी औपनिवेशिक शासन-व्यवस्था के अधीन रहकर अलवर रियासत का शासन-प्रबंध चलाया। महाराजा विनय सिंह के शासन काल में सन् 1857 में अंग्रेजी राजसत्ता के विरुद्ध, भारतीय सामन्ती शासक वर्ग तथा आमजनता के प्रतिनिधि सिपाहियों व किसानों ने स्वाधीनता के लिए युद्ध छेड़ा, जिसमें यदि सभी देशी राजा अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हो जाते, तो भारतीय इतिहास का नवरात्र ही आज दूसरा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन राजपूताने के अनेक राजाओं ने

अपनी सेनाओं यों अंग्रेजी सत्ता के पक्ष में युद्ध में भेजा। अलवर ये तत्कालीन शासक महाराजा विनयसिंह भी इसके अपवाद नहीं थे। यद्यपि महाराजा विनयसिंह अंग्रेजों सत्ता की अधीनता से खुश नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति के विस्तृद्वारा जाने की ताकत भी उसके पास नहीं थी, विवरता में उसे अंग्रेजी सत्ता के आदेशों या पालन करना पड़ता था। वह उनके विस्तृद्वारा हते हुए भी, अपनी सत्ता की सुरक्षा की बजह से उनके विस्तृद्वारा नहीं जा सकते थे। ऐसा माना जाता है कि 1857 के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महाराजा विनयसिंह ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता, अपने विगड़े हुए सम्बन्धों को सुधारने के लिए दी थी। उसने चिमनसिंह किलाणीत के नेतृत्व में 800 पैदल सैनिक, 400 घुड़सवार सैनिक तथा 4 टोपों यों अपनी सेना को आगरा में अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए भेजा था। आगरा से पहले पढ़ने याले अट्टनेहा नामक स्थान पर अलवर की इस सेना का नीमच और नसीराबाद छावनी के विद्रोही भारतीय सैनिकों से युद्ध हुआ। इस युद्ध में अलवर की सेना का कमांडर चिमनसिंह किलाणीत, अंग्रेजों के पक्ष में लड़ने के विरुद्ध था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिये लड़ रहे विद्रोही भारतीय सैनिकों के साथ था, इसलिए यह सेना अंग्रेजों के पक्ष में पूरे जोश व उत्साह से न लड़ सकी। इस युद्ध में अलवर के 55 सैनिक मरे तथा अलवर की सेना को मैदान छोड़ना पड़ा। इस तरह हम देखते हैं कि 1857 ई. के स्वाधीनता संग्राम में अलवर के सैनिकों ने, अन्य भारतीय विद्रोही सैनिकों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के प्रति किये गए विद्रोह के प्रति सहानुभूति रखी। इसके अलाप्य अलवर रियासत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोह की आग लगातार सुलगती रही। दैसे अंग्रेजी सत्ता के प्रति अलवर के शासकों में आन्तरिक रूप से कभी आदर भाव नहीं रहा, किन्तु उसकी ताकत के सामने उनकी अधीनता को स्वीकार किये रखने के अलावा अन्य कोई रास्ता भी नहीं था। शिक्षा-संगठन तथा नए विचारों के अभाव के कारण जनता में जागृति नहीं आई थी। यद्यपि राजपूताने की तत्कालीन रियासतों में सन् 1842 ई. में पहला आधुनिक स्कूल खोलने का श्रेय अलवर के महाराजा विनयसिंह और भरतपुर में वहाँ के राजा बलबंत सिंह को प्राप्त है। इस समय तक तत्कालीन राजपूताने की जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसी बड़ी रियासतों तक में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल नहीं खुला था।

1842 ई. में तत्कालीन अलवर-नरेश विनयसिंह द्वारा खोले गए स्कूल को 1870 ई. में उनके पुत्र तत्कालीन अलवर-नरेश शिवदान सिंह ने हाईस्कूल तक क्रमोन्नत किया। 1842 ई. से 1857 ई. तक इसमें हिन्दी-उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था थी। जिसमें 1857 ई. के प्रथम राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के बाद से अंग्रेजी भी पढ़ाई जाने लगी, इसके माध्यम से अलवर में आधुनिक वौध सम्पन्न एक नयी पीढ़ी तैयार होने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अंग्रेजी तथा अन्य विषयों के अध्ययन से एक नई विश्वचेतना का आगमन इस अंचल में हुआ। उस अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के सम्बन्ध में हिन्दी-नवजागरण के सूचधार भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने 'अंग्रेजी पढ़ि' के जद्यपि सब गुन होत प्रबोध' जैसी घात कही थी। दरअसल, अंग्रेजी माध्यम को इस नयी शिक्षा व्यवस्था से दोनों बातें ही पैदा हुई। एक ओर तो भारतवर्ष की नई शिक्षित पीढ़ी को अपने विकास के लिए नया क्षितिज मिला तथा जो बातें, वह पुरानी देशी शिक्षा पद्धति से नहीं समझ एवं जान पायी थी, उन्हें जान सकी। वह विध के देशों को नई लोकतांत्रिक राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्थाओं से परिचित हुई, जिससे अपने देश की व्यवस्था को बदलकर एक लोकतांत्रिक राजनीतिक-सामाजिक

आर्थिक व्यवस्था बनाने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई तथा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शोपण-उत्पीड़न की व्यवस्था के प्रति उसके मन में धृणा का भाव जन्म लेने लगा। दूसरी ओर, इस नई शिक्षा व्यवस्था ने उसके मन में स्वदेशी के प्रति हीनता-बोध भी पैदा किया। वह आत्महीनता जैसी ग्रन्थि का शिकार हुआ।

अलवर रियासत का अंग्रेजी शासकों से सम्पर्क उन्हींसबीं सदी के आरंभ में ही 1803 की उस सन्धि के समय में हुआ था, जबकि अलवर रियासत के संस्थापक महाराजा प्रतापसिंह के उत्तराधिकारी महाराजा बख्तावरसिंह ने मरठों की लूटमार से बचने और आस-पढ़ौस की देशी रियासतों- खासकर जयपुर से अपनी सुरक्षा के लिए एक बड़ी एवं राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर रही ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कम्पनी से समझौता किया। इससे अलवर को सुरक्षा मिली, लेकिन पराधीनता का अध्याय भी यहाँ से आरंभ हो गया। अंग्रेज-शासकों की ताकत का यह शिर्कजा इतना कसा कि देशी रियासतों के इन राजाओं के आपसी विवादों के फैसले अंग्रेज-शासक करने लगे। महाराजा बख्तावर सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा विनयसिंह एवं मूसी महारानी के पुत्र महाराजा बलवंत सिंह के बीच राजसत्ता के अधिकार को लेकर चला लम्बा विवाद अंग्रेज-शासकों के हस्तक्षेप से ही तब सुलझ गया, जबकि उन्होंने अलवर रियासत को विभाजित कर उसमें से एक नयी रियासत तिजारा का निर्माण कर इसका राज्याधिकार महाराजा बलवंत सिंह को सौंप दिया। अंग्रेजी ताकत और उनकी केंद्रीय सत्ता का ही दबाव था कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों की रक्षा करने के लिए अलवर की फौज को महाराजा विनयसिंह ने आगरा भेजा। महाराजा विनयसिंह के बाद महाराजा शिवदानसिंह, महाराजा मंगलसिंह, महाराजा जयसिंह और महाराजा तेजसिंह के शासनकाल में अंग्रेजी-सत्ता का दबाव उत्तरोत्तर इतना बढ़ गया, था कि वे शासन में सीधा हस्तक्षेप करने लगे। बीसबीं सदी के चौथे दशक में तो उन्होंने महाराजा जयसिंह जैसे 'लोकप्रिय' राजा को देश निकाला दे दिया। लेकिन यह इतिहास का एक पक्ष है। इसी पक्ष के साथ सामान्य जनता का वह पक्ष भी है, जो इसके भीतर प्रतिरोध और विरोध की जमीन तैयार कर उस बहुत बड़ी ताकत को एक दिन इस जमीन से अपने देश को भागने को विवश कर देता है। उसकी सारी सत्ता की ताकत धरी रह जाती है। जनता की संगठित और जाग्रत ताकत के समक्ष वह पराजित हो जाती है। जनता की इस ताकत को हम अपने स्वाधीनता आंदोलन के समग्र इतिहास में देख सकते हैं।

जनता की शिक्षा के लिए भी नए स्कूल खोले गए, जो जन-जागृति के बाहक बने। महाराजा जयसिंह के शासन काल- 20 बीं सदी के पूर्वार्द्ध में राज से बाहर के कृशल एवं योग्य प्रशासकों की नियुक्ति की गई। राज्य में रेल लाइन बिछ जाने से देश के अन्य देशी राज्यों तथा अंग्रेजों के अधीन राज्यों की जनता से अलवर की जनता का सम्पर्क बढ़ा। इससे नए विचारों की साझेदारी कायम हुई। स्वयं महाराजा जयसिंह नई चेतना को स्वीकार कर सके। महाराजा जयसिंह के अनेक कार्यों का भी अलवर के नवजागरण में योगदान रहा। अलवर रियासत के नागरिक शिक्षा प्राप्ति के लिए बाहर जाने लगे। इससे जनता की जागृति बढ़ी और वह अपने अधिकारों के बारे में सोचने लगी तथा उसे अपनी संगठित सामूहिक ताकत का अहसास हाने लगा। इसके फलस्वरूप जनता ने 'संगठित सामूहिक विद्रोह' भी किये। इस संदर्भ में अलवर रियासत का 'नीमूचाणा कांड' (1925 ई.) भारतीय इतिहास की एक अत्यन्त-चर्चित घटना बना।

औपनिवेशिक विटिश सत्ता तथा देशी सामनी राजसत्ता की दुहरी ओरी में पिस्तने यत्ती रियासती प्रजा सत्य समय से भाग्य के भरोसे अपना जीवन यापन कर रही थी। अल्पर रियासत की जनता भी इसका अपवाद नहीं थी। सैकिन जय नई आधुनिक शिक्षा, प्रेस तथा रेल एवं सड़क मार्ग बने और माध्यम एवं लापु उद्योगों का विकास हुआ तो औपनिवेशिक एवं सामनी शोषण की जनता का जागरूक वर्ग पहचानने लगा। नई चेताना से प्राप्त विवेक उभे भीतर से मुक्ति के लिए झकझोरने लगा। दूसरे देशों की मुक्ति के इतिहास पढ़कर यह अपने भीतर उस इतिहास की आहट सुनने लगा। यह स्थृत भीतर से मुक्ति की आकांक्षा से भरने लगा। निवल्लै, अपार्य एवं भोगविलास की कीचड़ में सने हुए सोगों के प्रति, उसके मन में घृणा का भाव पैदा होने लगा। उसे शोषण और अत्याचारों की अनगिनत फहानियाँ असह्य होने लगी। उसे सामनी एवं औपनिवेशिक पराधीनता के विकल्प के रूप में स्वराज्य की कल्पना अच्छी लगने लगी। उसे लगा कि जैसे कोई बन्द रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसे अपनी सभी सीमाओं को लाँघ कर एक नई दुनिया को वसाने का संकल्प पूरा होता हुआ नजर आने लगा। शिक्षा अब उसे बहुत जरूरी लगने लगी। नई शिक्षा ने उसकी सीमाओं के सारे बंद दरवाजे एक साथ ढोल दिए। नई शिक्षा ने उसे जगाया, नया विवेक दिया और जीवन-सम्बंधों को जनने-समझने की एक ऐसी दृष्टि दी, जहाँ मनुष्य-मनुष्य के बीच खड़ी की गई कृत्रिम भेद की दीवारें ढहती हुई नजर आने लगी। उसे अपने शासकों और उनके दरवारी-चाटुकारों, के कारनामों की असलियत का पता चल गया। उसे उस धर्म, की असलियत भी मालूम हो गई, जो सामनी राजसत्ता को बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसके अलावा उत्पादन के नए तरीके और व्यापार की नई गतिविधियों से उसकी चेताना में यदलाव हुआ। आधुनिक वोध वाले इस नए मनुष्य को जाति, सम्प्रदाय, भाषा और क्षेत्र के भेद, कृत्रिम दिखाई देने लगे। इसी का परिणाम था कि बीमर्वी सदी के दूसरे-तीसरे दशकों में पूरे देश में स्वाधीनता का नया जोश एवं उत्साह पैदा हुआ। इसका प्रभाव दूरस्थ अंचलों तक हुआ।

उत्तीर्णी सदी भारत के इतिहास में जहाँ एक और अंग्रेजी-शासन के सुदृढ़ होने की सदी है, वहाँ दूसरी और यहाँ भारतीय नवजागरण और अंग्रेजी-शासन के प्रति विद्रोह एवं विरोध की सदी भी है। 1835ई. में अंग्रेज-शासकों ने भारत में यह निर्णय लागू किया कि वह पाक्षात्य विजानों व साहित्य को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से यहाँ पढ़ाने का काम करेगी। लार्ड मैकाले की भूमिका इस मामले में बहुत अग्रणी रही। राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे आधुनिक विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया कि पाक्षात्य शिक्षा में "आधुनिक पश्चिम के वैज्ञानिक तथा जनतांत्रिक चिन्तन के खजाने की कुंजी है।" इस नीति के तहत, यद्यपि अंग्रेज-शासक भारतीय जनता को शिक्षित नहीं करना चाहते थे। इसलिये उसने जनशिक्षा का काम हाथ में न लेकर, बेवज़ल सीमित उच्चशिक्षा का प्रबंध किया, जिससे तत्कालीन उच्च एवं मध्य वर्ग के कुछ लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकें। असलियत तो यह थी कि विटिश शासक वर्ग भारतीय जनता की अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़ि, संकीर्णता आदि का लाभ उठाकर उसका शोषण करते रहना चाहता था, किन्तु परिस्थितियों और जलरतों का यह दबाव था कि उसे अपने काम के लिए देशी सहायक वर्ग की ज़हरत थी। वे अकेले सारा शासन-प्रशासन नहीं चला सकते थे। जबकि

हमारे देश के आधुनिक दृष्टि सम्पन्न लोग यह चाहते थे कि आधुनिक शिक्षा द्वारा भारतीय जनता को उसकी रूढ़ियों, संकीर्णताओं, दक्षियानूसीपन, अंधविद्यासों से मुक्ति मिले और उसके भीतर जनतांत्रिक सोच-विचार उत्पन्न हो, जिससे वह सामन्तवाद और साम्राज्यवाद दोनों के क्रूर वंधनों से मुक्त हो सके। विटिश शासक वर्ग द्वारा लागू इस नयी शिक्षा नीति के पीछे उसकी दृष्टि मैकाले के इस निर्देश में छिपी हुई है:

“हमें ऐसा वर्ग बनाने के लिये जी जान से प्रयत्न करना चाहिए जो हमारे और उन करोड़ों लोगों के बीच, जिन पर हम शासन करते हैं, दुभाषिण का काम कर सकें, यह उन लोगों का वर्ग हो जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय मगर रुचि, विचारों, आचरण तथा बुद्धि की दृष्टि से अंग्रेज हों।”

कहना न होगा कि अंग्रेज अपनी शिक्षा-व्यवस्था की इस कुटिल नीति में सफल रहे किन्तु इसी का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष वह भी है, जिसका रास्ता स्वाधीनता एवं मुक्ति की ओर जाता है। अंग्रेजी-शासक वर्ग की इच्छा भी पूरी हुई और ऐसा एक बड़ा शिक्षित उच्च वर्ग देश में तैयार हुआ, जो रूप-रंग में भारतीय था लेकिन अपनी मानसिकता में पूरा अंग्रेज था। इसके साथ ही इस इतिहास का दूसरा बड़ा सच यह भी है कि इसी वर्ग में कुछ लोग ऐसे भी थे, जो पश्चिमी शिक्षा एवं सभ्यता के महत्व को जानते हुए भी उसके गुलाम नहीं थे। वे उस नयी शिक्षा का उपयोग अपने समाज की मुक्ति एवं परिवर्तन के लिए करने की इच्छा रखते थे। वे जितने रूप रंग से भारतीय थे, उतने ही अपने भन से। ऐसे ही लोकनायकों के प्रयत्नों से उन्नीसवीं सदी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण की लहर चली। इसमें दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्तरों पर प्रयत्न किये गए। देश में नवजागरण की शुरूआत बंगाल से हुई जो महाराष्ट्र तक फैली। अंग्रेजों द्वारा किये गए शोषण-उत्पीड़न के विरोध में हिन्दी क्षेत्र में 1857 का विद्रोह हुआ, जो आगे चलकर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर विकसित हुआ। नवजागरण के परिणामस्वरूप ही उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी में आधुनिक बोध से सम्पन्न गद्य साहित्य का सृजन हुआ। इसी से हिन्दी-पत्रकारिता का विकास हुआ।

सांस्कृतिक-सामाजिक दृष्टि से अलवर रियासत हिन्दी-प्रदेश का ही एक हिस्सा रही है, इसलिए ‘हिन्दी-नवजागरण’ का प्रभाव ही यहाँ पर विशेष रूप से हुआ। हम देखते हैं कि बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब एवं दक्षिणी राज्यों की तुलना में ‘हिन्दी-नवजागरण’ कमजोर रहा है। इसके सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक कारण रहे। इसके अधिकांश भूभाग पर देशी राजा-महाराजाओं-नवाबों के शासन के साथ-साथ साम्राज्यवादी विटिश शासकों के साम्राज्यवाद का दुहरा शिकंजा कसा रहा था। 1857 का विद्रोह इस अंचल के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिसकी असफलता से यह इलाका अंग्रेजी शासक वर्ग की सभी तरह की उपेक्षा एवं धूणा का शिकार हुआ। उन्होंने जानबूझ कर इस इलाके को पिछड़ेपन की गिरफ्त में इसलिए भी बनाए रखा कि यहाँ के लोग 1857 जैसा दूसरा विष्वव न कर सकें। नयी चेतना के विकास से नए उद्योग धंधों का विकास जुड़ा हुआ है। किसी भी नई चेतना के विकास की पृष्ठभूमि में उसका आधारभूत आर्थिक पक्ष होता है। नयी आधुनिक चेतना के बल कृषि-व्यवस्था पर विकसित नहीं हो सकती थी। उसके लिए जरूरी होता है उद्योग-धंधों का विकास। जिन्हें यहाँ

आकर अंग्रेज पहले ही नष्ट एवं तथाह कर चुके थे। इस तरह यह इलाका विशुद्ध रूप से कृपि-व्यवस्था, वह भी अत्यन्त पिछड़ी हुई कृपि-व्यवस्था बाला इलाका था। थोड़े यहुत उद्योग थंथे जो यहाँ विकसित हो सकते थे, उन्हें अंग्रेजी शासन की उद्योगनीति ने विकसित नहीं होने दिया। इस बजह से यहाँ अंधविश्वास, रुद्धिवाद एवं संकीर्णता के लिए ही उर्वर जमीन हो सकती थी। ऐसा ही यहाँ हुआ भी, लेकिन जैसा कि हर चीज का दूसरा पक्ष भी होता है, इन इलाकों में भी वह दूसरा पक्ष विद्यमान है। इसके पिछड़ेपन के भीतर से ही वह आग पैदा हुई, जो मुक्तिसंग्राम में सहायक बनी।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अलवर के महाराजा मंगलसिंह अजमेर के भेयो कॉलेज के प्रथम विद्यार्थी बने। उनके पुत्र और राज्य के उत्तराधिकारी महाराजा जयसिंह की भी यही शिक्षादीक्षा हुई। इसी तरह योसवीं सदी के चौथे-पाँचवे दशकों में अनेक लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलवर से कानपुर, बनारस, आगरा, दिल्ली, अजमेर आदि स्थानों पर गए। जब वे शिक्षा प्राप्त करके अलवर लौटे तो नयी आधुनिक एवं जनतांत्रिक चेतना के संवाहक बनकर यहाँ आए। नयी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल दिया। वे भारतीय मुक्ति संग्राम के एक सिपाही के रूप में अलवर में आए। ऐसे लोगों में लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, भवानी सहाय शर्मा, रामजीलाल अग्रवाल, शोभाराम, रामचंद्र उपाध्याय, बद्रीप्रसाद गुप्ता, डॉ शान्तिस्वरूप डाटा, रुद्रदत एवं रामानंद अग्रवाल, कृपादयाल माथुर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने विभिन्न राजनीतिक-सामाजिक माध्यमों से नयी जनतांत्रिक चेतना व मूल्यों का प्रचार-प्रसार अलवर रियासत की प्रजा में किया। इस काम के लिए इनको अभाव, पीड़ा, मानसिक एवं शारीरिक यातनाएँ भी सहनी पड़ीं। इनके अलावा स्वाधीनता-संघर्ष में भाग लेने वाले अनेक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नयी जनतांत्रिक चेतना का दूर-दूर तक प्रसार किया।

अलवर में जो थोड़ा-यहुत नवजागरण का काम हुआ, उसमें राजनीतिक नेताओं के अलावा 'आर्य समाज' द्वारा किये गए सामाजिक सुधारों का योगदान रहा। सच तो यह है कि हिन्दी-क्षेत्र के अन्य इलाकों जैसी ही शोचनीय हालत अलवर रियासत की प्रजा की भी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि से संबंधित समस्याएँ भाग्य-भरोसे से हल होती थीं। महाराजा जयसिंह ने ऐसे कई प्रयास अवश्य किये थे, जो प्रजा को कुरोतियों से मुक्ति दिलाने वाले थे। उन्होंने 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए 'भूमपान नियेथ' की राज्याज्ञा प्रसारित कर प्रजा के स्वास्थ्य के प्रति अपनी सजगता जाहिर की। बाल-विवाह और वृद्ध विवाह पर रोक लगाकर उन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया। न्यायप्रक्रिया को पंचायती स्वरूप प्रदान कर सुविधाजनक एवं भरल बनाया। उन्होंने धाँध बनवाए और शिक्षा को निःशुल्क बनाया। 1930 ई. में उच्च शिक्षा के लिए राजपर्य कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलोगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा प्रयाग विश्वविद्यालय को आर्थिक सहयोग देकर शिक्षा के प्रति अपना आदरभाव प्रदर्शित किया। अलवर रियासत में नवजागरण को दृष्टि से उनका महत्वपूर्ण फार्म है- 1905 में राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को लागू करना। उन्होंने अपने राज्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुन्शी प्रेमचंद एवं कुंवर मुहम्मद अशरफ जैसे सहित्य-मनोनितों द्वारा उज्जीवनिक विद्यारकों को आमंत्रित किया। इनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल व कुंवर

मुहम्मद अशरफ तो कुछ समय के लिए यहाँ आकर रहे भी, लेकिन सामन्ती परिवेश में उनका मन यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रख सका। महाराजा जयसिंह की राजशाही की सारी सीमाओं के बाबूजूद 1937 में जब उनका निधन हुआ, तब यहाँ के प्रजामंडल के नेता महाराजा जयसिंह के पक्ष में थे और वे बीजवाड़ नरुका के कल्याण सिंह को राजगढ़ी दिये जाने के समर्थक थे। इस घटना ने यहाँ प्रजामंडल के आनंदोलन को बल दिया, जिससे सामंतशाही के विरोधी नेता उभर कर आए।

नवजागरण और प्रेस :

किसी भी समाज के नवजागरण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में भी उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में होने वाले नवजागरण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन दिनों राष्ट्रीय भावनाओं और विचारों से ओतप्रोत राष्ट्रीय अखबारों व पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन बड़ी संख्या में हुआ। इन अखबारों में अंग्रेजी-शासन के शोषण-उत्पीड़न व जनविरोधी नीतियों की आलोचना की जाती थी और ये अखबार एवं पत्र-पत्रिकाएँ देशी राज्यों में होने वाले दमन-उत्पीड़न की आलोचना करने से भी नहीं चूकते थे। 1925ई. में अलवर रियासत में हुए नीमूद्धाणा कांड़ की खबर दूर-दूर तक राष्ट्रीय अखबारों में छपी। महात्मा गांधी ने भी इस काण्ड की तीव्रतम शब्दों में निन्दा की। राष्ट्रीय प्रेस तत्कालीन शासन-व्यवस्था की जनता-विरोधी नीतियों की आलोचना करने के साथ-साथ भारतीय दृष्टिकोण को भी सामने रखता था। इन अखबारों एवं पत्रपत्रिकाओं के माध्यम से जनतंत्र, स्वराज्य, समानता, स्वाधीनता, औद्योगिकीकरण के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाता था, जिससे जनता के सामने सामन्तवादी एवं साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था का एक विकल्प सामने आताथा। इस तरह प्रेस ने पूरे देश की जनता को राष्ट्रीय विचारों के एक सूत्र में बांधने का उल्लेखनीय काम किया। अखबारों के अलावा तत्कालीन साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय विचारों एवं आधुनिक धोध का प्रसार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अब वह समें आ गया था, जब कि देशी राज्यों के शासकों को भी यह अनुभव होने लगा था कि अपनी भावनाओं, विचारों और कार्यों को प्रजा तक पहुँचाने के लिए कोई ऐसा अखदार निकले, जो यह काम आसानी से कर सके। इस उद्देश्य से 19 सितम्बर 1937 को अलवर से 'तेजप्रताप' नाम का अखबार निकाला गया। इस अखबार में तत्कालीन सरकार के पक्ष को व्यक्त किया जाता था। लेकिन अभी भी यहाँ एक ऐसे अखबार की जरूरत थी जो शासन की नहीं, जनता की भावनाओं और आशा-आकांक्षाओं को व्यक्त कर सके। 7 जनवरी 1944 को इसकी पूर्ति मोर्दी कुंजविहारी लाल गुप्त के ओर्खेवां 'अलवर पत्रिका' से हुई। यह अखबार तत्कालीन जनभावनाओं को प्रस्तुत करने वाला था। इसके सम्पादक मोर्दी कुंज विहारी लाल स्थंय प्रजामंडल के एक महत्वपूर्ण नेता भी थे। इनके अतिरिक्त अलवर के जागरूक नागरिकों का सोधा सम्पर्क राष्ट्रीय प्रेस से था। प्रजामंडल एवं कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता स्वाधीनता सेनानी मास्टर भोलानाथ ली, कानपुर के 'प्रताप', दिल्ली के बीर अजुन और हिंदुस्तान, अलमेर की नवज्योति, बनारस के 'आज' आदि अखबारों के स्थानीय संचादादाता थे और इनमें अलवर में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन पर लेख आदि भी लिखा करते थे। इस तरह अलवर रियासत

की प्रजा का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सम्पर्क काथम हुआ था और यह जनतांत्रिक विधार्गे को जानकर उनकी समर्थक बनने लगी।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि अलवर रियासत में नए आधुनिक जनतांत्रिक विचारों को फैलाने में उन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अलवर से याहर जाकर कानपुर, बनारस, आगरा, दिल्ली, अजमंर आदि जगहों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर यहाँ आए और महां आकर राजनीतिक कार्य किया। इन नेताओं में रामजीलाल अग्रवाल ऐसे थे, जो अपने विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थियों द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व करने स्थगे थे। उन्होंने कानपुर में अपने विद्यार्थी जीवन में कॉलेज छात्रावास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के लिए निकलने वाले जुलूस का नेतृत्व करते हुए विटिश पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों को झेला। इस संघर्ष में उनके साथ शिक्षा पाने वाले उनके एक कनिष्ठ साथी प्रो. गुलजारी लाल जैन ने मुझे घतलाया कि- 1942ई. के आरंभिक दिनों में रामजीलाल अग्रवाल कानपुर में बी.कॉर्म के विद्यार्थी थे। उस समय प्रो. जैन भी वहाँ थे। प्रो. जैन ने घतलाया कि उस समय कानपुर में जाह-जगह राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराये जाने की घटनाएँ हो रही थीं। विद्यार्थी वर्ग इन घटनाओं में यढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा था। श्री रामजीलाल अग्रवाल इन घटनाओं में बहुत अगुआ होकर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साक्षी के रूप में घतलाया कि एक दिन निश्चय किया गया कि श्री रामजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में एस.डी. कॉलेज, कानपुर के भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज, फहराया जायेगा। इसमें कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के हजारों विद्यार्थी जुलूस के रूप में जाकर ध्वज फहरायेंगे। ध्वज फहराने का दायित्व श्री रामजीलाल अग्रवाल को दिया गया। वे जुलूस के आगे-आगे चले। थोड़ी दूर चलकर ही अंग्रेजों की अस्वशस्त्रधारी पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया। प्रतिरोध करने और आगे बढ़ने का हठ और हौसला दिखाने पर रामजीलाल जी पर पुलिस ने इतना लाठी-प्रहार किया कि वे येहोश हो गये, किन्तु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। प्रो. जैन ने घतलाया, कि तब हम लोग उनको डाककर गंगापार ले गए, जहाँ होश में आने केबाद उनको तिलक हॉल में होने वाली मीटिंग में ले जाया गया, जिसे उन्होंने सम्पोषित भी किया। स्वाधीनता आंदोलन के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता भौताना आजाद, जचाहरताल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की मध्यस्थता से समझीता हुआ कि तिरंगा झण्डा, कॉलेज-भवन पर न फहराकर छात्रावास भवन पर फहराया जायेगा। इससे नई पीढ़ी में स्वाधीनता के प्रति नया जोश एवं उत्साह पैदा हुआ तथा सत्ता के भय तथा आतंक के विरुद्ध सुख वर्ग में निरंतरता जन्मी, देश और समाज के लिए किसी भी तरह का त्याग एवं बलिदान करने का हौसला बढ़ा और नई पीढ़ी, नए जीवनमूल्यों से सुसज्जित होने लगी।

. यहाँ देखने की बात यह है कि कोई बड़ा व्यक्तित्व एक दिन में अचानक नहीं बनता। उसके बनने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जितनी परिस्थितियों की भूमिका होती है, उससे अधिक बड़ी भूमिका उस व्यक्ति की स्वयं की होती है। उस समय कानपुर में अलवर के 45 विद्यार्थी पढ़ रहे थे लेकिन उनमें दो-चार ही ऐसे निकल कर आए, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी की। श्री रामजीलाल अग्रवाल इनमें पहले स्थान पर थे। कानपुर से अलवर

लौटकर भी वे अलवर में स्वाधीनता आनंदोलन के लिए पहले से निर्मित परिस्थितियों को अपनी सक्रिय भूमिका से उर्वर बनाने के महत्पूर्ण कार्य में लग गये। उनकी विशेषता यह थी कि उस समय के अलवर के स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं की तुलना में उनका वैचारिक आधार बहुत सुदृढ़ था। वे स्वाधीनता और नवजागरण में अटूट सम्बन्ध देखते थे। कानपुर में रहते हुए बड़े नेताओं के सम्पर्क तथा स्वाध्याय से उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन की नवीनतम विचारधाराओं को गहराई से समझने और उन्हें विश्लेषित करने तथा उनसे सही निष्कर्ष निकालकर जनसंघर्ष चलाने की योग्यता हासिल की थी। वे स्वाधीनता के साथ-साथ, गैर-वरावरी वाले भारतीय समाज में 'समता' जैसे जीवनमूल्य को केंद्रीय स्थान देते थे। वह समता के बिना स्वाधीनता को अधूरा मानने वाले लोगों में थे तथा स्वाधीनता के बिना समता को अधूरा मानते थे। उनके साथ काम करने वाले मा. हरिनारायण सैनी तथा श्री फूलचन्द्र गोठड़िया बतलाते हैं कि अलवर में समाजवादी विचारों का दीजारोपण करने वाले दो-चार नेताओं में श्री रामजीलाल अग्रवाल का स्थान नम्बर एक पर है। यद्यपि, वे कभी समाजवादी दल के सदस्य नहीं रहे लेकिन रूसी क्रांति के बाद दुनिया में प्रचारित समाजवादी विचारों और सिद्धान्तों पर उनका गहरा विश्वास बन गया था। और वे मनुष्यता की अगली मंजिल इन्हीं विचारों के व्यवहार में देखते थे। उनके व्यक्तित्व की खासियत थी कि वे अपने सिद्धान्तों को अपने आचरण में उतार कर उनका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इसलिये उनका सहयोगी-साथियों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने जन-आनंदोलनों के माध्यम से जन-चेतना का विकास करने तथा आम जनता से राजसत्ता के आतंक को दूर करने के लिए जहाँ एक और जेल की यातनाएँ सहीं बहीं अपने जीवन में निर्लोभी रहकर त्याग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये। दरअसल, वह स्वाधीन भारत के सत्तापिपासु तथा भ्रष्ट 'नेताओं' की पाँत के नेता न होकर, उन जननेताओं की कतार में थे, जो अपना सर्वस्व दाव पर लगाकर सच्चे अर्थों में जनकल्याण का कार्य करते हैं।

विवेकानन्द एवं आर्य समाज

अलवर में स्वामी विवेकानन्द का आगमन अलवर के नवजागरण के इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है। वे महाराजा मंगलसिंह के शासन काल में यहाँ आए। विवेकानन्द के विचारों का महत्व इसलिए है कि उन्होंने वेदान्त और हिंदू धर्म का विवेचन-विश्लेषण आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधारों पर किया, जिससे हमारी जाति-बिरादरी एवं सम्प्रदायगत संकीर्णताएँ समाप्त होती हैं। इसी तरह 1892 से अलवर में आरंभ होने वाले आर्य समाजी सामाजिक सुधारों ने हिंदू-समाज में एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया।

इस सबके बावजूद हिंदी-इलाकों में नवजागरण का स्तर बहुत कमज़ोर एवं सतही रहा। सामंती व्यवस्था, गरीबी, असमानता, अज्ञानता, पिछड़ेपन, और अशिक्षा ने यहाँ रूढ़िवाद और जड़ता की जड़ों को इतने गहरे में रोपा है कि उनको उछाड़ने के लिए सतत गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। एक दूसरे नवजागरण की आवश्यकता यहाँ आज भी बनी हुई है।

की प्रजा का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सम्पर्क कायम हुआ था और यह जनतांत्रिक विचारों को जानकर उनकी समर्थक बनने लगी।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि अलवर रियासत में नए आधुनिक जनतांत्रिक विचारों को फैलाने में उन लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अलवर से बाहर जाकर कानपुर, बनारस, आगरा, दिल्ली, अजमेर आदि जगहों से उच्च शिक्षा प्राप्त कर यहाँ आए और यहाँ आकर राजनीतिक कार्य किया। इन नेताओं में रामजीलाल अग्रवाल ऐसे थे, जो अपने विद्यार्थी जीवन में ही विद्यार्थियों द्वारा संचालित राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व करने लगे थे। उन्होंने कानपुर में अपने विद्यार्थी जीवन में कॉलेज छात्रावास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के लिए निकलने वाले जुलूस का नेतृत्व करते हुए विटिश पुलिस के द्वारा लाठी प्रहारों को झेला। इस संबंध में उनके साथ शिक्षा पाने वाले उनके एक कनिष्ठ साथी प्रो. गुलजारी लाल जैन ने मुझे बतलाया कि- 1942ई. के आरंभिक दिनों में रामजीलाल अग्रवाल कानपुर में बी.कॉम के विद्यार्थी थे। उस समय प्रो. जैन भी वहाँ थे। प्रो. जैन ने बतलाया कि उस समय कानपुर में जगह-जगह राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराये जाने की घटनाएँ हो रही थी। विद्यार्थी वर्ग इन घटनाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहा था। श्री रामजीलाल अग्रवाल इन बातों में बहुत अगुआ होकर नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना के साक्षी के रूप में बतलाया कि एक दिन निश्चय किया गया कि श्री रामजीलाल अग्रवाल के नेतृत्व में एस.डी. कॉलेज, कानपुर के भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज, फहराया जायेगा। इसमें कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ के हजारों विद्यार्थी जुलूस के रूप में जाकर ध्वज फहरायेंगे। ध्वज फहराने का दायित्व श्री रामजीलाल अग्रवाल को दिया गया। वे जुलूस के आगे-आगे चले। थोड़ी दूर चलकर ही अंग्रेजों की अस्त्रशस्त्रधारी पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया। प्रतिरोध करने और आगे बढ़ने का हठ और हौसला दिखाने पर रामजीलाल जी पर पुलिस ने इतना लाठी-प्रहार किया कि वे बेहोश हो गये, किन्तु अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। प्रो. जैन ने बतलाया, कि तब हम लोग उनको उठाकर गंगापार ले गए, जहाँ होश में आने केबाद उनको तिलक हॉल में होने वाली मीटिंग में ले जाया गया, जिसे उन्होंने सम्बोधित भी किया। स्वाधीनता आंदोलन के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित की मध्यस्थता से समझीता हुआ कि तिरंगा झण्डा, कॉलेज-भवन पर न फहराकर छात्रावास भवन पर फहराया जायेगा। इससे नई पीढ़ी में स्वाधीनता के प्रति नया जोश एवं उत्साह पैदा हुआ तथा सत्ता के भय तथा आतंक के विरुद्ध युवा वर्ग में निडरता जन्मी, देश और समाज के लिए किसी भी तरह का त्याग एवं यत्निदान करने का हौसला बढ़ा और नई पीढ़ी, नए जीवनमूल्यों से सुसज्जित होने लगी।

. यहाँ देखने को यात यह है कि कोई युद्ध व्यक्तित्व एक दिन में अचानक नहीं बनता। उसके बनने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें जितनी परिस्थितियों की भूमिका होती है, उससे अधिक युद्धों भूमिका उस व्यक्ति को स्वयं की होती है। उस समय कानपुर में अलवर के 45 विद्यार्थी पढ़ रहे थे लेकिन उनमें दो-चार ही ऐसे निकल कर आए, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हिस्सेदारी की। श्री रामजीलाल अग्रवाल इनमें पहले स्थान पर थे। कानपुर से अलवर

लौटकर भी वे अलवर में स्वाधीनता आंदोलन के लिए पहले से निर्मित परिस्थितियों को अपनी सक्रिय भूमिका से उर्वर बनाने के महत्पूर्ण कार्य में लग गये। उनकी विशेषता यह थी कि उस समय के अलवर के स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं की तुलना में उनका वैचारिक आधार बहुत सुदृढ़ था। वे स्वाधीनता और नवजागरण में अदृष्ट सम्बन्ध देखते थे। कानपुर में रहते हुए बड़े नेताओं के सम्पर्क तथा स्वाध्याय से उन्होंने राजनीतिक एवं आर्थिक दर्शन की नवीनतम विचारधाराओं को गहराई से समझने और उन्हें विश्लेषित करने तथा उनसे सही निष्कर्ष निकालकर जनसंघर्ष चलाने की योग्यता हासिल की थी। वे स्वाधीनता के साथ-साथ, गैर-बराबरी वाले भारतीय समाज में 'समता' जैसे जीवनमूल्य को केंद्रीय स्थान देते थे। वह समता के बिना स्वाधीनता को अधूरा मानने वाले लोगों में थे तथा स्वाधीनता के बिना समता को अधूरा मानते थे। उनके साथ काम करने वाले मा. हरिनारायण सैनी तथा श्री फूलचन्द्र गोठड़िया बतलाते हैं कि अलवर में समाजवादी विचारों का बीजारोपण करने वाले दो-चार नेताओं में श्री रामजीलाल अग्रवाल का स्थान नम्बर एक पर है। यद्यपि, वे कभी समाजवादी दल के सदस्य नहीं रहे लेकिन रूसी क्रांति के बाद दुनिया में प्रचारित सामाजिकवादी विचारों और सिद्धान्तों पर उनका गहरा विश्वास बन गया था। और वे मनुष्यता की अगली मंजिल इन्हीं विचारों के व्यवहार में देखते थे। उनके व्यक्तित्व की 'खासियत' थी कि वे अपने सिद्धान्तों को अपने आचरण में उतार कर उनका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। इसलिये उनका सहयोगी-साधियों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। उन्होंने जन-आंदोलनों के माध्यम से जन-चेतना का विकास करने तथा आम जनता से राजसत्ता के आतंक को दूर करने के लिए जहाँ एक ओर जेल की यातनाएँ सहीं वहाँ अपने जीवन में निलौंभी रहकर त्याग के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये। दरअसल, वह स्वाधीन भारत के सत्तापिपासु तथा भ्रष्ट 'नेताओं' की पाँत के नेता न होकर, उन जननेताओं की कतार में थे, जो अपना सर्वस्व दाव पर लगाकर सच्चे अर्थों में जनकल्याण का कार्य करते हैं।

विवेकानन्द एवं आर्य समाज

अलवर में स्वामी विवेकानन्द का आगमन अलवर के नवजागरण के इतिहास की एक उल्लेखनीय घटना है। वे महाराजा बंगलसिंह के शासन काल में यहाँ आए। विवेकानन्द के विचारों का महत्व इसलिए है कि उन्होंने चेदान्त और हिंदू धर्म का विवेचन-विश्लेषण आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधारों पर किया, जिससे हमारी जाति-विरादरी एवं सम्प्रदायगत संकीर्णताएँ समाप्त होती हैं। इसी तरह 1892 से अलवर में आरंभ होने वाले आर्य समाजी सामाजिक सुधारों ने हिंदू-समाज में एक नई सामाजिक चेतना को जन्म दिया।

इस सबके बावजूद हिंदी-इलाकों में नवजागरण का सार बहुत कमज़ोर एवं सतही रहा। सामंती व्यवस्था, गरीबी, असमानता, अज्ञानता, पिछड़ेपन, और अशिक्षा ने यहाँ रूढ़िवाद और जड़ता की जड़ों को इतने गहरे में रोपा है कि उनको उछाड़ने के लिए सतत गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। एक दूसरे नवजागरण की आवश्यकता यहाँ आज भी बनी हुई है।

स्वतंत्रता संग्राम में अलवर का योगदान

□ हरिशंकर गोयल एडवोकेट

1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम का सम्प्ला इतिहास रहा है, जिसमें अनेक योद्धाओं के बलिदान एवं प्राणों की आहुतियाँ देने की कहानियाँ हैं।

प्रिटिश सत्ता के विरुद्ध सन् 1857 की क्रान्ति के पुरोधा भंगल पांडे को माना जाता है। घैरकपुर छावनी में कारतूस घनाने का कारणाना था। इसमें मातादीन सफाई कर्मचारी था, जिसने भंगल पांडे से पानी पीने को लोटा भोगा जिस पर मंगल पांडे ने कहा, “नौच जाति को लोटा देने से धर्म भ्रष्ट हो जायेगा।” मातादीन ने कहा, “जो कारतूस तुम दाँत से तोड़ते हो, इसमें ‘सुअर-गाय’ की चर्चा लगी होती है, तब तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता? तब तुम्हारा धारणत्व कहाँ चला जाता है?”

मातादीन ने यह कर जो चिंगारी लगाई, वह आग घन गई। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को गदर नाम देकर विद्रोही सेनानियों पर राजद्रोह का भुक्तहमा चलाया। इस मुकदमे का अनुवान सरकार घनाम मातादीन मेहतार था जिसमें मातादीन सहित अन्यों को पांसी दी गई।

अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में लड़ा गया वह संग्राम संगठित और दिशामुखी न होने के कारण हार में परिणत हो गया। बादशाह को घंटी घनाकर रंगून भेजा गया और उसके शाहजादों के सिर काट कर उन्हें सजाकर बादशाह को अंग्रेजों ने पेश किया। झांसी की रानी, अवध के नवाब, राव तुलाराम रेवाड़ी, नारनील के शेख खैराती, नाना साहब पेशवा, तांत्या टोपे, नाना फड़नवीस, नाहर सिंह, रंगे बापू जी गुप्त, अजीमुल्ला खाँ, लाला जयदयाल आदि इस संग्राम की धुरी थे। शुरू में इन सेनानियों को कुछ सफलता मिलती रही। अंग्रेजों की जगह-जगह हार हो रही थी, और उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसी समय हमारे देश के कुछ ग़दारों ने अंग्रेजों की सहायता कर, उनकी ढूबती नाव को बचा लिया। राजपूताना के राजाओं ने उन्हें सहयोग दिया, अपनी सेनायें और धन देकर। हालांकि यहाँ की जनता और छोटे रजवाड़ों और कुछ जागीरदारों ने अंग्रेजों से देश की मुक्ति के लिये लड़ाइयाँ लड़ीं, कुछ भरे और अपनी भारी जोखियाँ उठाईं, जिसके प्रमाण हैं।

1857 की क्रान्तिकारी गतिविधियाँ और अलवर :

इस संग्राम में अलवर के राजा विनयसिंह अंग्रेजों के पक्षधर थे जिन्होंने अपनी सेना के साथ एक लाख रुपया अंग्रेजों को सहयोग में दिया, वहीं जनता का एक चर्चा अंग्रेजों के विरोध में दख़ा हुआ।

अलवर के सूयेदार (सैनिक) चिम्मन सिंह भाटी, जो नसीराबाद छावनी में थे, ने 40 सिपाहियों सहित विद्रोह में हिस्सा लिया, जिसमें एक अंग्रेज मारा गया और ये सभी फरार हो गये।

बाद में अंग्रेज सैनिकों के साथ मुठभेड़ में इनमें से अनेक सिपाही शहीद हुये। अछनेरा तक इन विद्रोही भाटी (गुर्जर) सिपाहियों का पीछा किया गया। जो बच गये वे आजीवन जंगलों में भटकने व साधु बनने को मजबूर हुये। इस तरह के सैनिकों को भगोड़ा घोषित करने के लिये राजपूताने के रैजीडेंट की ओर से एक पत्र राजा अलवर को भेजा गया। वारंट की जानकारी क्रम सं. 856 अलवर राज्य रिकार्ड से ली जा सकती है।

बहरोड़ के कर्ण त्रिपाठी :

स्वतंत्रता सेनानी पं. लक्षण स्वरूप त्रिपाठी के चचेरे दादा कर्ण त्रिपाठी ने मेरठ छावनी के सशस्त्र विद्रोह में हिस्सा लिया। वे अंग्रेज सेना में ऊचे औहदे पर थे- घुड़सवारों के सिपह-सालार! वे ग्रिटिंग सैनिकों से लोहा लेते हुये लाल किले तक पहुँचे और वहाँ बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने उन्होंने झँडा फहराया। बाद में आन्दोलन कुचल दिया गया और मेरठ छावनी के आजादी के दीवानों के साथ कर्ण त्रिपाठी भी शहीद हुये।

बहरोड़, कोटकासिम क्षेत्र (1.11.1859) से पूर्व रेवाड़ी में, बाद में जयपुर रियासत में और स्वतंत्रता के बाद अलवर जिले में था। तिजारा-मुँडावर वासियों, विशेषतः महाजन और अहीर समुदायों ने मिलकर राव तुलाधर (रेवाड़ी) के नेतृत्व में इस क्रान्ति के दौरान इस इलाके के लड़ाकू सिपाहियों ने नुसीबपुर गाँव में अंग्रेज सेना का डटकर मुकाबला किया। सैकड़ों सिपाही इस युद्ध में शहीद हुये। (यादव इतिहास-सुधानंद योगी)

12 मई 1857 को क्रान्तिकारियों ने गुड़गाँव पर आक्रमण कर दिया और 7,84,000 रु. लूटे। अलवर के मेव क्रान्तिकारियों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सदरुद्दीन, मैंदारी नसीधा, समद खाँ, भरतपुरी और नीकच रघुनाथगढ़ कोलानी (मुवारिकपुर के पास) के मेवों ने इसमें हिस्सा लिया क्योंकि इस क्षेत्र के मेव महाराजा विनयसिंह से काफ़ी नाराज थे। बाद में सारे मेवात क्षेत्र के 52 मेव प्रमुखों को, विशेषतः हरियाणा क्षेत्र में फौसी दी गई।

नाहर सिंह जाट, बलभगढ़ का जागीरदार, जिसका निकास भरतपुर से था इसने दिल्ली में अलवर भरतपुर के सिपाहियों को काफ़ी सहयोग दिया।

अलवर के जंगल और पहाड़ क्रान्तिकारियों की संरक्षण-स्थली रहे जिनमें करीब 100 क्रान्तिकारियों को अलवर के सधन जंगलों में पकड़कर या तो मार गया अथवा गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने दिल्ली के खूनी दरवाजे पर फँसी दी।

प्रसिद्ध शायर मिर्ज़ा ग़ालिब (जिनके पिता यहाँ सिपहसालार थे) ने अपने पत्रों में यह सांकेतिक जानकारी अंकित की है।

लाला जयदयाल कायस्थ (कामों वाले), जिन्होंने कोटा में क्रान्तिकारियों की सरकार बनाई, सैनिक हार के बाद साधु बनकर अलवर-धैराठ के सधन जंगलों में समय काटा और धैराठ में पकड़े जाने पर जिन्हें 17 सितम्बर 1860 को कोटा एजेंसी में फौसी दी गई। यदि शोध किया जाय तो और भी नवे तथ्य जानकारी सहित सामने आ जायेंगे।

आइये, हम इन शहीदों को स्मरण कर, उन्हें नमन करें।

सन्दर्भः

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली।
2. राजस्थान अभिलेखागार, चौकानेर।
3. पं. लक्ष्मण स्वरूप ग्रिपाठी परिवार-गाथा
4. गजट, अलवर, भरतपुर, गुडगाँव, रेवाड़ी।
5. गालिय की जुबानीः दिल्ली की कहानी से. रामरारण जोशी
6. सन्दर्भ राठ- रामानन्द राठी
7. यादव इतिहास से. स्वामी सुधानन्द योगी।

क्रान्तिकारी विरासत :

1857 ई. की क्रान्ति के असफल हो जाने के बाद भी अलवर में द्विटिश साम्राज्य बाद के विरुद्ध स्वतंत्रता की लौ जहाँ तहाँ जलती रही।

अलवर के लाडले सपूत्रों, पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा, पं. भवानी सहाय शर्मा, पं. रमदत्त शर्मा, ने सशस्त्र क्रान्तिकारियों का साथ देकर, क्रान्ति की लौ को तेज किया।

I. पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा :

सबलपुरा बहरोड़ के नवयुदक पं. विश्वम्भर दयाल शर्मा यहाँ से जाकर दिल्ली में अपने चाचा के साथ कट्टु अशारफी में रहते थे। 23-12-1912 को उसविहारी घोस व अन्य क्रान्तिकारियों के साथ वनी एक योजनानुसार दिल्ली के चाँदनी चौक में इन्होंने क्रान्तिकारियों के साथ वायसराम हाडिंग पर एक राजकीय जुलूस के समय वम फैंका। वायसराम घायल हुआ और उसका छत्रधारी अंगरक्षक वर्हों ढेर हो गया। केशरी सिंह बारैठ के भाई जोरावर सिंह व पुत्र प्रतापसिंह, मा. अमीर चन्द, भाई बाल मुकुन्द, वसन्त कुमार विश्वास तथा अवध विहारी भी इस कांड में शामिल थे। पकड़ में आये चार लोगों को इस कांड के सिलसिले में फांसी हुई तथा बाकी लोगों को फरार घोषित कर दिया गया। पं. विश्वम्भर दयाल 19 वर्ष तक फरार रहते हुये, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि में क्रान्तिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। 25.1.1930 को पर्वं चौटे गये। 6.7.1931 को चन्द्रशेखर आजाद, काशीराम धनवन्तरी आदि के साथ दिल्ली के चाँदनी चौक में गाड़ोदिया स्टोर (चैंक) में डैकेती डाली। 16.3.1931 को एक पुलिस मुठभेड़ में पं. विश्वम्भर दयाल घायल हो गये। 22.4.1931 को पुलिस हिरासत में गोलियों से जख्मी इस महान् क्रान्तिकारी ने अन्तिम सांस ली।

सन्दर्भः

1. राजस्थान के अमर शहीदों की कहानियाँ
अमर शहीद ग्रन्थमाला,
प्रकाशक, इतिहास शोध संस्थान, महरोली, नई दिल्ली।
2. पं. विश्वम्भर दयाल - भारत की सशस्त्र क्रान्ति के राजस्थानी महानायक
-रामानन्द राठी

4. परिवारजनों से प्राप्त जानकारी

II. पं. भवानी सहाय शर्मा :

पं. भवानी सहाय शर्मा का जन्म 21.3.1909 को पं. रामदयाल रेलवे गार्ड के यहाँ राजगढ़ में हुआ। शिक्षा राजगढ़, बाँदीकुई और दिल्ली में। 1926 में रामजस कॉलेज दिल्ली में 9 वीं कक्षा में अध्ययन के दौरान ही 'आनन्दमठ', उपन्यास व कांकोरी केस की अखबारी रिपोर्ट पढ़कर क्रान्तिकारी गतिविधियों में रुचि लेने लगे। छात्रावास में कई क्रान्तिकारियों के समर्क में आये, प्रेरणा ली। इस प्रकार 6 माह में सम्पर्कों से वह कैलाशपति, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के दिल्ली शाखा के आर्गनाइजर के काफी निकट आये। 1927 में सहायक आर्गनाइजर, दिल्ली बनाये गये। तब इनका नाम 'रामप्रसाद' था। 1926 से 29 तक इस रूप में आपको काफी काम करने का भौका मिला। तब तक आप पुलिस की नजरों में नहीं आये थे। लाहौर पड़यंत्र के समर्क में जयदेव कपूर और शिव वर्मा को सहारनपुर में गिरफ्तार कर लिया गया तब इनका नाम पर्चा-पुलिस रिकार्ड में आया। पुलिस ने आपके बड़े भाई को दिल्ली लाकर जानकारी ली, पर्चे से लिखावट मिलाई। न मिलने पर और कपूर व शिव वर्मा से सम्बन्ध न होने की कहने पर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया, पर निगरानी पूरी रखी जाने लगी।

26.8.31 को दिल्ली पड़यंत्र के समर्क में गिरफ्तार किये गये और ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किये गये। 11 महीनों तक गवाहों के बयान चलते रहे। नये अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिये फिर बयान हुये। पुनः परीक्षण होता तो और समय लगता, अतः दिल्ली पड़यंत्र के समर्क से पंडित जी का नाम हटाकर 110 D.P.C. -सी.आर.पी.सी. में चालान किया गया और 10 हजार रु. को जमानत पर छोड़े गये। अगली पेशी पर आने पर इन्हें पुलिस ने लोथन कमीशन के नेता लोथन की गाड़ी के नीचे बम रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। केस में प्रमाणों के अभाव में 26.1.32 को इमरजेंसी पावर्स आर्डिनेंस के अन्तर्गत उन्हें नजर बन्द रखने का आदेश दिया गया। 2 महीने बाद इन्हें 21.4.32 को रेग्युलेशन 3, 1818 के अन्तर्गत अनिश्चित काल के लिये नजरबन्द कर दिया गया।

24.1.33 से 1.2.38 तक नैनीताल जेल में बन्द रहे, जहाँ से पुनः दिल्ली जेल लाये गये। यहाँ पर वी.पी. वैश्वामयन के साथ "नजरबन्दी कारण बताओ या रिहा करो" को शोपणा के साथ भूख हड़ताल की।

महात्मा गांधी क्रान्तिकारियों के मामले में बायसराय से मिले। उनके प्रदास से 19-3-1939 को विना शर्त रिहाकर दिया गया। घूटने पर अलवर आने पर पंडित जी का स्वागत हुआ। इसके साथ ही आप स्थानीय कांग्रेस में शामिल हो गये।

आप सन् 1946 के खेड़ा भंगल सिंह तथा गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसरी ढोड़े आन्दोलनों में जेल गये।

आप सन् 1952 से 1957 तक थानागाजी से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

पं. रुद्रदत्त शर्मा

31 जूनार्द 1911 को जन्मे थे, रुद्रदत्त शर्मा नाम समीक्षा (भवनेता) में देहा 1926 में थे आजी यादा में पहला लकड़ार (लार्टिपर) लार्टर रहने साथे। आजी यादा वर्षानिवार महानार्थी के नियोगी महानार्थी थे। लार्टिपर प्रधानमंत्री के दोषने ही अनार्थी लार्टिनार्थी दशे के बारे में जानकारी नियोगी। नार्थी में राज्य आजी एटेट पर उत्तरों दो असुन लाला गोदी के गमनार्थी में रुद्रदत्त आजाद, भारतीयनार्थी, य यार्थी के खंड, विध्वंसा इत्यादि असुन लार्टिनार्थीरियों के मंगलदर्श, 'तितुली' नार्थी सोक्षलास्त्र रिविवारन असुनों' के गरम्भ यन गये। इन के गिरेशतुगार आजी दिनों में राज्य 'केलारा' एच नाम से दशे के ग्रानितार्थीरियों वाँ। गोला मार्क फूटने वा जोरीम भर गविन कार्य रखोता। दिनों की रातों के ग्रमुक्य येलानार्थी पितारी मुकुरा, जो 1930 में मुकुर्यर यन, की गिरकारी और उग्रों मुकुर्यर यन जनों में पुर्विता को इनारी गतिविधियों वा प्रत्यक्ष्यों की गूणना मिली और परिकाम्यरूप 11.11.30 को गिरनार हुए। इन्हें जन में यारी करने पे झेतानों पढ़ी। पर ये दो नहीं। जमानत पर छूटों ही दमांजों सारोर, जो ग्रानितार्थीरियों का गढ़ था, घसे गये और टो. ए. यो. फॉलेज में प्रवेत लिया। पुर्विता को पता लगने पर 24 पटे में हातोर छोड़ने का आदेश मिला। याँ से निकलतर यह युपक यनारास पहुंचा। यनारस विध्वंसा इत्यादि में पढ़ने लगे। यनारस में ग्रानितार्थीरों गतिविधियों के कारण ये पुनः गिरफ्तार कर लिये गये। दो यर्म का कठोर कारावास का दंड लिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रुद्रदत्त अनेक यर्मों तक अलवर जिला अत्युर्येद चिकित्सालय में अधीक्षक रहे। 4.1.1980 यो आजादी के इस योगी सेनानी का देहान्त हो गया।

यदि हम सरारथ ग्रानितार्थीरियों के बारे में गहनता से दोनों फरं तो पता हुआ तो कि अलवर जिले के और जिले के बाहर प्रयास करने वाले अलवरियों के बारे में पता लगेगा कि ऐसे ग्रानितकारियों ने महान ग्रानितकारियों को तन, मन, धन से देश के स्वयंत्रता संग्राम में पूरा योगदान किया। अलवर के ग्रानितकारियों जैसे खंड, विध्वंसा दयाल, भवानी सहाय, रुद्रदत्त शर्मा आदि 'सन्देहास्पद व्यक्ति' शीर्पक फाइलों में 37 व्यक्तियों के बारे में राज्य सरकार और अंग्रेजी रेजीडेंसी के बीज जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसमें भी भूमिगत और ग्रानितकारी गतिविधियों का चाहे अलवर केन्द्र नहीं रहा, पर संरक्षण-स्थल अवश्य रहा है।

प्रसिद्ध ग्रानितकारी श्याम जी कृष्ण घर्मा, सरदार भगतसिंह, सुखदेव, चन्द्रशेखर आजाद, फुं, विजय सिंह पथिक और कितने ही अनाम ग्रानितकारियों को शारणस्थली, सरिस्का, बहरोड़ (सबलपुरा) और अलवर राहर के किले के भोठे के जंगल एवं ऐकानिक स्थल रहे हैं। ऐसी जानकारी सरकारी पत्राचार, पुलिस डायरियो, विविध फाइलों, राष्ट्रीय अभिलेखागार, दिल्ली, राज्य अभिलेखागार, घीकानेर, पुस्तकों, निजी डायरियों आदि से मिलती है।

स्वतंत्रता सेनानी बुजुर्ग नरेन्द्रपाल चौधरी (मावली-उदयपुर), श्री शोभालाल गुप्त आदि के पास ऐसे पत्र और जानकारियों उपलब्ध हैं। यदि उनका अवलोकन किया जाय तो एक नया अध्याय, एक भया आयाम, हमारे सामने आ जायगा।

फाइल नं. 27 रुद्रदत्त
रेजीडेंट एजेंट, अजमेर।

इसी प्रसंग में काफी जानकारी हमें हरिभाऊ उपाध्याय अभिनंदन ग्रन्थ पृष्ठ 91 से मिलती है, जहाँ इन क्रान्तिकारियों के बारे में इस प्रकार मूल्यांकन किया गया है-

"नौजवान सभा के सुखदेव और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन के चन्द्र शेखर आजाद, राजस्थान में अपने समर्पक स्थापित कर चुके थे। अर्जुन लाल सेठी, विजयसिंह पथिक, केसरी सिंह बारैठ के मार्ग-दर्शन से अजमेर, व्यावर, जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, के शहरों में नवयुवकों को क्रान्तिकारी संगठनों में लाने के प्रयत्न किये गये।"

अलवर वासियों ने यहाँ से बाहर जाकर अनेक स्थानों पर राजनैतिक गतिविधियों में भाग लिया, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी और उनमें से कई लोगों को सजायें तक हुईं। इनमें से कुछ के बारे में हम यहाँ संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं-

1. श्री गौरी सहाय जैमन और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती कमला जैमन

श्री गौरी सहाय अर्थात् जी. एस. जैमन, राजगढ़ के रहने वाले थे। वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु दिल्ली गये। वहाँ पर वे चाँदनी चौक स्थित खादी भंडार में कार्य करते थे। उनकी पत्नी श्रीमती कमला जैमन ने तो गांधी जी के शशाव विरोधी सत्याग्रह आन्दोलनों में भाग लिया। श्रीमती जैमन को राजनैतिक कार्यों में भाग लेने के कारण 21 दिनों की जेल यात्रा भी करनी पड़ी। जब जैमन साहब एम. ए., एल. एल. बी. पास कर राजर्य कॉलेज में प्रोफेसर लगे, तब भी उन पर निगरानी रखी जाती थी। बाद में राज्य सरकार की अधिक पावन्दियों के कारण उन्होंने राजनीति से पूरी तरह नाता तोड़ लिया और पूरी तरह सरकारी सेवक रहकर कार्य करते रहे।

2. श्री रामसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह

ये पहले 'अलवर स्टेट वर्कशॉप' में मास्टर थे। बाद में ये नौकरी छोड़कर दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। हिन्दी प्रचार कांग्रेस का कार्यक्रम का अंग था। अतः इस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। वहाँ से इन्हें करनाल जेल में बन्द रखा गया, जहाँ से वे फरार हो गये। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया चराते हैं। ये 23 दिनों के लिये गुरुदासपुर जेल में भी रहे।

(सूत्र-पोलिटीकल एजेंट-स्टेट ऑफ राजपूताना द्वारा भरतपुर सरकार को लिखा गया पत्र)

3. श्री गौरी शंकर भार्गव

सी. आई. डी. रपट में जानकारी है कि श्री गौरी शंकर भार्गव पुत्र मा. फूल चन्द अजमेर में प्रमुख सत्याग्रही थे। ये एक पारिवारिक विवाह में शामिल होने अलवर आये और यहाँ 24-11-33 से 28-11-37 तक रहे। इस दौरान राजनैतिक चर्चायें की। ये यहाँ के कुछ नवयुवकों को लगातार सलाह भशविरा दिया करते थे। इनकी ऐसी गतिविधियों पर निगरानी रखने को कहा गया।

4. श्री धुवसिंह पथीना

ये हिन्दी साहित्य परिपद के कार्य के साथ-साथ, कांग्रेस की गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट सी. आई. डी. द्वारा दी गई।

5. श्री चिरंजी लाल झाटीया

ये नीमच कांग्रेस कमेटी के महामंत्री थे, अलवर में मार्च के शुरू में आये और 30.3.35 को यहाँ से गये। अंग्रेज अधिकारियों ने इनके बारे में गुप्तचर विभाग से जानकारी मांगी।

6. श्री चिरंजी लाल पालीवाल

ये आगरा वासी थे। दिल्ली से अलवर आये। इनके बारे में भी जानकारी देने के लिये आगरा के अधिकारियों ने यहाँ की सी. आई. डी को जानकारी प्राप्त कर रिपोर्ट देने को कहा।

7. श्री पृथ्वीनाथ भार्गव एडवोकेट

इनके बारे में जयपुर रेजीडेंसी की ओर से अलवर के चौफ मिनिस्टर को सूचित किया गया कि पृथ्वीनाथ भार्गव बकील बाहर से आकर 15.11.35 को अलवर अपने रिस्टेदार के यहाँ ठहरा। अब आगे आयेगा, अपने एक रिस्टेदार के यहाँ शादी में। यह शाष्ट्र अलवर शहर में अपने धन्ये के लिये जमना चाहता है। इनके बारे में यह कहा गया कि इन्हें कानपुर में 4.11.1930 में 2 साल की सजा हुई और 50/- जुर्माना किया गया। भार्गव साहब यहाँ आकर बसे। बकालत की। इनके पिता भी नामी बकील थे। ये मूलतः खेड़े के रहने वाले थे। ये सन् 1946 में लाला काशीराम के बाद अलवर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और प्रजामंडल की गतिविधियों में भी भाग लेने लगे। इन्होंने खेड़ा मंगल सिंह की भीटिंग में नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अध्यक्षता की।

8. श्री मूलचन्द शर्मा दीवान

ये अलवर के वासी थे जो, जयपुर में जाकर बस गये थे। इन्होंने राजपूताना स्टेट प्लॉपिल्स कन्वेशन में 23.11.1928 को भाग लिया। इसी कन्वेशन के बावर जलसे में आपने 1.1.1934 को भाग लिया। वहाँ इन्होंने अपने असली नाम की बजाय छद्म नाम से भाग लिया।

अलवर की राजगढ़ व खेड़ली मंडियों में दिल्ली के कांग्रेसी अक्सर आते रहते थे। दिल्ली के लाला शंकर लाल जो तो यहाँ पर कांग्रेस के सदस्य बनाने के लिये आते रहते थे। उस समय अलवर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का संगठन के रूप में जिला बनाया हुआ था। अतः यहाँ के सदस्यों के आधार पर वे संस्था का चुनाव लड़ते थे।

इसी प्रकार आगरावासी श्री रामावतार अग्रवाल 1937 में यहाँ से खेड़ली आये और राजनीतिक प्रचार करते रहते थे।

यह स्मरण रहे कि 30 मई 1934 को अलवर राज्य सरकार को अजमेर के रेजीडेंट ने लिखा कि अलवर राज्य में कुछ बंगाली ग्रान्तिकारी गुप्त रूप से रहते हैं। राज्य के बंगाली अधिकारों द्वारा मिले हुये हैं। इसकी जांच कर रेपट भेजी जाय।

अलवर राज्य सरकार ने जवाबी पत्र में 19 बंगाली अधिकारियों की एक सूची देते हुए कहा कि इनमें से किसी का भी न तो क्रान्तिकारियों से सम्बन्ध है और न ही कांग्रेस के सत्याग्रहियों से।

इसके बारे में पुनः एक पत्र आया जिसमें अलवर के आई.जी. एफ.एस. महमारा से कहा गया कि "सन्देहात्मक व्यक्ति नं. 9" उपेन्द्रनाथ चौधरी (बंगाली बाबू) महाराज साहब का हैडक्लर्क है। इस व्यक्ति को राज्य सेवा से मुक्त किया जाय।

ऊपर से लिखे जाने वाले पत्रों में यह भी हिदायतें की जाती थी कि राज्य के सिख अधिकारियों के पास उनके समे-सम्बन्धी बाहर से आते हैं। इन पर खास निगाह रखी जावे। पत्र में यह भी कहा गया कि सिख मोना (विनावाल वाले) हैं। ये पंजाब के बागी हैं जो यहाँ पनाह पाते हैं।

रैजीडेंट जयपुर ने सुमन्त (प्राइम मिनिस्टर) अलवर को 15.9.1934 को पत्र भेजा और कहा कि अक्टूबर 1934 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में यहाँ से कौन व्यक्ति भाग लेंगे? यहाँ कितनी कांग्रेस कमेटियाँ हैं? राज्य के प्रमुख क्रान्तिकारी और सन्देहात्मक व्यक्ति (सस्पैक्टेड) व्यक्तियों की लिस्ट भेजें।

इसके जवाब में अलवर राज्य सरकार ने डत्तर दिया कि अलवर से कोई भी डेलीगेट्स नहीं जा रहे हैं। अलवर में कोई कांग्रेसी नहीं है।

इसके साथ ही सरकार ने लिखा कि अलवर से बाहर जो लोग सक्रिय हैं और जो सन्देहास्पद हैं वे इस प्रकार हैं:-

- (1) रुद्रदत शर्मा (मिश्रा) बहरोड़ वाले हैं। ये अजमेर रहते हैं।
- (2) रामसिंह अलवर के हैं। ये बनारस विश्वविद्यालय में एम ए. फाइनल के छात्र हैं।
- (3) दीवान मूलचंद उर्फ मूलचंद हैं। ये जयपुर रहते हैं।
- (4) सुमेर चन्द्र ओमवाल- बुक सेलर- ये जयपुर रहते हैं।
- (5) निरंजन नाथ राजगढ़ वासी हैं।
- (6) कर्णेयालाल, ये भी राजगढ़ वासी हैं।
- (7) ठेकेदार छोटे लाल (चक्खन लाल) टप्पल वाले।
- (8) मोतीलाल रिटायर्ड कर्मचारी हैं।
- (9) लच्छीराम सौदागर, होप सर्केस, अलवर।
- (10) मामराज खाती, नारायणपुर।
- (11) मनसूर शाह, व्यावर व अजमेर में सक्रिय हैं।
- (12) डॉ. एच. एम. बद्धा।
- (13) गुरु वृजनारायण शर्मा, माफिदार।
- (14) जगन्नाथ दूसर (भार्गव) बकील।

राज्य लेखागार, अलवर के यहाँ, स्वतंत्रता आन्दोलन सम्बन्धी विविध फाइलों में फरग व्यक्तियों को जानकारी पत्र व्यवहार देखने चोय है। इनकी फाइलों में सौहनलाल नामक व्यक्ति का जिक्र है, जिसने मास्को में ट्रेनिंग ली। यह यहाँ अलवर में आकर रहा है।

राज्य सरकार से उक्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी माँगी गई। इसके जवाब में गव्य सरकार ने जवाब भिजवाया कि हमारे यहाँ इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रैजीटेंट ने यह भी जानकारी देने को कहा कि, अलवर के इन्द्राहीम उर्फ भूरेण्ठा, क्रान्तिकारी गतिविधियों में लिप्त रहते हुए 15 मई 1934 को कावुल में मर गया। सूचित रहे।

इसी प्रकार श्री नारायण पुत्र बसन्त लाल, वासी गली गंडन, नमक भंडी, नगर परिषद अमृतसर- वहाँ से फरार है। सन्देह है कि वह अलवर राज्य में कहाँ शरण लिये हुए है। उसकी तलाश की जावे। यह ध्यान रहे कि उस समय अलवर राज्य की सीमा, पुराने पंजाब राज्य (आज का हरियाणा), पंजाब, हिमाचल प्रदेश, से नौगांवों से आगे 3-4 मील पर लगती थी। इसीलिये इस सारे क्षेत्र के बारे में जो भी सम्पर्क या व्यवहार था वह पंजाब से ही होता था।

अतः यह स्वाभाविक था कि यहाँ के रहने वाले अलवर वासियों पर अपने यहाँ से बाहर गये व्यक्तियों के माध्यम से उन पर भी राजनैतिक- सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता। बाहर रहने वाले अलवरिये तन, मन, धन से वहाँ सहयोग करते, गतिविधियों में भाग भी होते, पर अपने को बचाकर भी रखते थे। उनके मन में गांधी जी और अहिंसक सत्याग्रहियों अन्य राजनैतिक कर्मियों और सशस्त्र क्रान्तिकारियों के प्रति सहानुभूति रखते, उन्हें नमन करते रहते थे। इन बातों के अनेक प्रमाण हैं।

इसी प्रकार श्री महावीर प्रसाद जैन का कहना है लक्ष्मणगढ़ के ग्राम भनोखर के एक युवक कल्याण सहाय गुप्ता पुत्र श्री गंगासहाय सन् 1931 पुष्कर कांग्रेस सम्मेलन में गये जिसमें बड़े-बड़े नेता आये। वहाँ उनकी भेट कांग्रेस नेता श्री हरिश्चन्द्र से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने गांव में कांग्रेस का कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने ही उन्हें एक गांधी टोपी और गांधी जी के चित्रों के तीन घोज दिये। श्री हरिश्चन्द्र उनके साथ भनोखर आये। उनके घर पर ठहरे। उन्होंने वहाँ पर एक मिटिंग की जिसमें लगभग 125-150 आदमी आये। मीटिंग में राजाशाही व जागीरदारों जुल्मों के बारे में श्री हरिश्चन्द्र व उनके साथ ही कल्याण सहाय के मित्र मदन लाल के ओजस्वी भाषण हुये। वे बाहर से आये साथी दूसरे दिन वापिस चले गये।

गांव के लम्बरदार ने इस मीटिंग की रिपोर्ट नाजिम को की। इस पर नाजिम ने कार्यकारी करने के लिये 26-12-1931 को धानेदार को तीन चार घुड़सवारों के साथ गांव में भेजा। धानेदार ने जांच कर श्री कल्याण सहाय व श्री मदन लाल को गिरफ्तार कर हथकड़ी लगाई और कदूमर धाने में घन्ट कर दिया। इन दोनों के खिलाफ जावली ठिकाना परिवार का एक सदस्य शम्भूसिंह मुख्यिर बना। उसने दोनों के खिलाफ जम कर गवाही दी। इस पर दोनों को दो साल की सजा हुई। इन्हें 17.7.1933 को महाराजा की सालगिरह पर रिहा किया गया। श्री कल्याण सहाय सम्प्रवातः अलवर के प्रधम स्वतंत्रता सेनानी हैं। जिस दिन इन्हें पकड़ा गया उसी दिन इनकी सगाई पकी करने बाहर से लोग आये थे। गिरफ्तारी के कारण वे वापिस चले गये। इसका परिणाम यह हुआ कि वे आजीवन अविवाहित रहे। ●

अलवर में आजादी के आन्दोलन का शुरुआती दौर

- हरिनारायण सैनी
- हरिशंकर गोयल

नीमूचाणा (1925) और गोविन्दगढ़ (1933) के दो किसान आन्दोलनों के बीच के काल से ही अलवर राज्य की जनता के कानों में आजादी की, उसको प्राप्त करने के लिये काम करने वाले देश के नेताओं एवं बीर सेनानियों की खबरें, सशस्त्र क्रान्तिकारी नवयुवकों की गतिविधियों की चार्चायें, अंग्रेजी राज्य के जुल्म, दमन, लूट के कासनामों की साफ-साफ गैंजें, पूरी तरह पहुँच कर कुछ-कुछ असर करने लग गई थी। चाहे उस जमाने में यहाँ के नागरिकों की जानकारी के लिये इतने अखबार भी नहीं थे और मीडिया के अन्य साधनों का तो विकास क्या जन्म भी नहीं हुआ था। जो अखबार राष्ट्रीय घटनाओं को खुलकर समर्थन देते थे, उनका तो यहाँ प्रवेश तक बर्जित था। पर हृदय को छूने वाली बातें किसी न किसी माध्यम से- एक मुख से दूसरे मुख के माध्यम से पहुँचकर भी सुनने वालों में भारी रोमांच सा भर जाती थी। चाहे आजादी की बातें लोग छिप-छिपकर ही सुनते और सुनाते थे, पर उस समय जो तल्लीनता, पूर्ण विह्लता और औत्सुक्य भाव, दिखाई देता था, वह गहरा असर करता था। इस प्रकार की चार्चाओं से और अखबार आदि के माध्यम से जिज्ञासु जन को यह पता लगने लगा था; कांग्रेस क्या है? वह क्या कर रही है? गांधी-नेहरू कौन हैं? शहीद भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद आदि क्रान्तिकारियों के नामों और उनके शूरबीरता के कार्यों से भी कुछ नवयुवक परिचित होते जा रहे थे।

राज्य की प्रजा का बड़ा भाग, जो यहाँ के राजा सवाई जयसिंह को 'प्रभुदेव' कहकर पूजा योग्य मानता था और उसके बहुत से जन विरोधी कार्यों और नीतियों का दर्शक होते हुये भी उसके प्रति असीम आदर भाव रखता था, उसमें भी देश की स्वाधीनता के लिये भी आदर भाव जाग रहा था- राष्ट्रीय चेतना के अंकुर प्रस्कुटित होने लग गये थे। प्रजा की इस चेतना को जगाकर विकसित करने में उन लोगों का बड़ा योगदान था जो धाहर से यहाँ आते थे, चाहे थोड़े समय के लिये ही, पर वे ग्रिटिश भारत में क्या हो रहा है, इसके बारे में काफी बता जाते थे। धाहर के लोगों में ऐसे लोग भी थे जो अधिक पढ़े-लिखे होने के कारण यहाँ आकर नौकरी-धन्ये करते थे, पर वे अपनी जानकारी और ज्ञान से यहाँ के लोगों को बहुत कुछ बताते रहते थे।

हमारे यहाँ से बहुत से अलवर वासी बाहर जाकर दूकानदारी, व्यापार आदि के धन्ये, दिल्ली, पंजाब, बंगाल आदि में करते थे। उनमें बहुत से वहाँ राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़ जाते थे और जब वे 'देश' में आते तो कुछ न कुछ असर नई बातों का यहाँ के लोगों पर छोड़ जाते थे। यहाँ के छात्र उच्च शिक्षा हेतु आगरा, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर आदि शहरों में जाते रहते थे, उनमें से काफी बड़ी संख्या में छात्र आन्दोलनों के अनुभव लेकर आते थे। उन दिनों के छात्र-संगठन पूरी तरह राष्ट्रीयता से जुड़े हुये होते थे। जब वे यहाँ पर आते और अपने लिये रोजगार के लिए बकालत आदि का धन्या अपनाते तो उनके लिये राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ना स्वाभाविक था। वकील वर्ग-प्रबुद्ध नागरिक होता है और जनता से उसका दैनिन्दन सम्बन्ध होता है। अतः यहाँ पर 20 वाँ सदी के चौथे दशक में गये विद्यार्थी वर्ग ने यही भूमिका

अदा यो। ये द्वाव अपने आध्ययन पालत में कभी जलियांपाला याग के नरसंहार की गृज़ मुनी, कभी सॉलट एम्प के गिरेप में आयोजित विरेप प्रदर्शन देखते, कभी 'साइमन पापिस जाओ' के नाम सुनते, कभी गांधी, नेहरू, नुभाप घोष, भौताना आजाद, भारतीजिनी नायदू, सरदार पटेल, हजेन्द्र यायु के भाषण सुनते, उनके जुलूस देखते, कभी फ्रान्सियारियों की आतंकवादी गतिविधि के फिरसे मुनते, उनके थम विरमग्रे यों ध्यन से रोमांचित होते, कभी गांधी जी के असहेत्ता आन्दोलन को देखते, कभी शरायबन्दी, घाटों यिक्रो करती आजादी की दीयानी सतताओं को सड़कों पर कायं करते देखते, कभी आन्दोलनों को नृत्रांसता के साथ कुचले जाते देखते। कभी पुलिस को ढंडे बरसाते हुये देखते थे। इतना सब कुछ देखकर, सभी तो मात्र दर्दक नहीं रह सकते थे। उनका नौजान घून चूलता और ये द्वाव संगठनों के माध्यम से उन में कूद पड़ते थे।

ऐसे नवयुवक जब अलवर आते, निरवय ही उनमें से काफी होग अपने यहाँ भी वही करने के लिये मैदान में कूद पड़ते, जो ये बाहर देखकर और अनुभय लेकर आते थे। यहाँ पर भी राष्ट्रीय गतिविधियों के लिये उर्वरा भूमि पहले से ही तैयार होती जा रही थी। राजाराही सरकार के जनता पर बढ़े हुये टैक्स, कस्टम और आवागमन तथा व्यापार धन्ये के मार्ग में भारी अवरोधक सैस टैक्स, कस्टम और एक्साइज टैक्स, राज्य भर में छोटे-छोटे कस्तों तक बना दी गई 32 नगर पालिकाओं के चुंगी टैक्स, किसानों के लगानों में घृङ्गि, लाग बेगार और राजा की शिकार, दौरों के समय जबरन लो जाने वाली भजदूरी और हव्यू-येगां आदि ऐसी थी, जिनके कारण आम आदमी का जीवन धोर संकटों में फँसता जा रहा था। वैसे भी 20 वर्षों सदी के तीसरे दशक में जो भारी अन्तर्राष्ट्रीय मंदी थी, उससे भी अलवर कहाँ बचा था। उधर लगातार पड़ने वाले अकाल, शीत लहर, टिड़ी दल के आगमन आदि से किसानों की दशा बद से बदतर होती जा रही थी। ये सब बातें चाहे राजनीतिक समस्यायें नहीं थी, पर जीवन को गुलामी के अनेक बँधनों में घाँथने वाली होने के कारण, राजनीति के लिये मैदान तैयार कर रही थीं। यहाँ का राजा चाहे कितना ही अपने आप को प्रजा बत्सल, उदार दानबोर और धर्म परायण बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, प्रजा की हर तरह की बाहवाही लूटने के काम शुरू करने पर भी वह था तो पूरा सामन्त ही और उसकी शासन व्यवस्था भी पूरी तरह जनता को अपने बास्तविक अधिकारों से बंचित करती जा रही थी। उसने विकास और निर्माण के नाम पर राज्य के धन को घुरी तरह स्वाहा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। राजा का स्वयं का निजी खर्च सभी सीमाओं को लांघ रहा था। जुबिली के जशन पर पानी की तरह रुपया बहाया गया। ये जनसमस्यायें ही आर्थिक से राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करने लग गई थी और जैसा कि ऊपर शुरू में ही नीमूचाणा और मेवात के आन्दोलनों का जिक्र किया गया है, वे राजनीतिक बातावरण बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन दोनों ही आन्दोलनों ने अलवर को भारत भर में चर्चित कर दिया था।

ऐसे ही कारणों से राजा सवाई जयसिंह को अंग्रेज-हुकूमत ने अलवर से बाहर चले जाने के आदेश दिये थे। पर राजा के निष्कासन से यहाँ की जनता को आधात लेगा, गहरा आधात लगा। इस राजा ने, अपनी किजूल खचों और अन्य हरकतों से बजाय आम आदमी को नाराज करने के, उसकी हमदर्दी ही अधिक अर्जित की। उसका काशी विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीयों को बड़ी दान राशियाँ देना, लाहौर को सनातन धर्म सभा में अध्यक्षीय भाषण देना और उसको भारी आर्थिक सहायता देना, गंगाजी की सवारो के साथ रेलवे स्टेशन से

गंगा मंदिर और शहर महल तक पैदल जाना, अलवर शहर में नया कॉलेज राज्य के अन्य भागों में हाई स्कूल आदि खोलना, होली आदि के जश्न मनाते हुये प्रजा को उसमें शामिल करना, रघुनाथ जी की भक्ति में एक साधारण सेवक की तरह लगना, कभी गरीबों, बृद्धों की सहायता हेतु धन राशियाँ लुटाना आदि ऐसी बातें थीं, जिनके कारण लोग उन्हें प्यार करते थे। वह विलायत से और आदू शिमला आदि पहाड़ी स्थानों से प्रजा का दिल जीतने के लिये पातियाँ लिखकर भेजता, कविताओं और गीतों की रचनायें कर पहुँचाता, खेलकूद और अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन करवाकर उनमें पूरी तरलीनता से भागीदारियाँ कर वह ऐसा जाताता रहता था कि जैसे उसके तन में अपनी प्रजा के लिए एक बड़े पालक पिता का दिल है। इसीलिये उसके निष्कासन ने प्रजा को आहत और दुखी किया। उसका निष्कासन अंग्रेजी सत्ता के हाथों किया गया था, अतः देशभक्त और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के भावों से प्रभावित लोगों को लागा कि उमंका जो महाराजा, प्रजा की सेवा करना चाहता है, जो अपनी हिन्दू और मुस्लिम प्रजा को बराबरी का दर्जा देकर पालना चाहता है, उससे अंग्रेज ईर्ष्या रखता है, इसीलिये उसका निर्वासन किया गया है। प्रजा के एक भाग ने उस के निष्कासन को इसी रूप में लिया। राजा भी जनभावनाओं का कुशल और पारखी चित्तेरा था। अतः वह प्रथम निष्कासन पर मालवीय जी द्वारा आयोजित यूनिटी कन्वेंशन में गया- वहाँ भाषण दिया। लोगों ने समझा वह कांग्रेस में शामिल हुआ है। अपनी अल्पावधि के निष्कासन के बाद वह गंगा जल लाया और उस गंगा जल के कलश को सवारी के रूप में लेकर गंगा मंदिर गया- जो दलित वर्ग का मंदिर था। सवारी के साथ रामनामी ओढ़कर नंगे पैर सोरे रास्ते गर्मी के मौसम में पैदल ही गया।

यह राजा खेलों में नटवर नागर कृष्ण की सी कला वाजियाँ दिखाने में भी माहिर था। चाहे पोलो हो या क्रिकेट, घुड़सवारी हो या शिकार, इन सब में वह असाधारण था। ऐसे व्यक्ति के प्रति घीर-पूजा के भाव स्वतः ही जागते हैं। अतः आम लोग तो उसके प्रशंसक बन गये।

इसे संयोग ही कहिये कि शुरू में जब यहाँ कोई संगठित गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई थीं, उन दिनों अलवर को कांग्रेस संगठन की दृष्टि से एक देशी रियासत होते हुए भी दिल्ली प्रान्त का एक जिला, यानि संगठन की एक इकाई के रूप में शामिल किया हुआ था। ट्रॉपिकल कम्पनी के सर्वेसर्वा ला० शंकर लाल, जो प्रायः दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते थे, वे संगठन के चुनावों से पूर्व कांग्रेस सदस्यता भर्ती के लिये अलवर आते और अलवर शहर, राजगढ़, खेड़ली और कुछ गाँवों में जहाँ भी उन्हें यहाँ के उनके परिचित ले जाते थे, कुछ लोगों को कांग्रेस के मेम्बर बनाकर ले जाते। उन कांपियों के आधार पर उनमें से कुछ को डेलीगेट नियुक्त करवा देते और उनके मतों की मदद से वे पार्टी के पदाधिकारी बनते थे। जो लोग उन दिनों कांग्रेस का फ़ारम भर देते थे, वे अपने आप को आजादी का सिपाही मानकर संस्था के प्रति पूरी बफादारी निभाते थे। चूंकि लाला जी (शंकर लाल जी) को तो सिर्फ़ अपने चुनाव और दिल्ली के संगठन तक ही दिलचस्पी थी, अतः यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कोई इकाई नहीं बन सकी।

राजा के विरुद्ध कार्यवाही क्यों ?

राज्य में मेव आन्दोलन के उग्र हो जाने और राज्य सरकार द्वारा उसे सही ढंग से शान्त नहीं कर पाने पर और अंग्रेजों के अपने ही भेजे लोगों के इशारे पर अंग्रेजी फौज ने यहाँ

19 जनवरी 1933 को कैपटेन इयटसन के संघालन में मेयात को अपने नियंत्रण में से लिया और फरवरी 33 में सेना ने तिजारा, रामगढ़, गोयिन्दगढ़ और सद्गुरुगढ़ थेट्र का समस्त कार्पं भार संभाल लिया। 16 मई 33 को अंग्रेज हुकूमत ने महाराजा को कहा कि ये अपनी सारी शक्तियाँ राज्य के प्राइमिनिस्टर एफ० यौ० याद्वीपी, आई. सी. एस. को सौंपकर दो वर्ष के लिये 48 परे में राज्य की सीमा से से बाहर हो जायें। राजा ने फेन्ड्रसन्ता से टकराने की बजाय, उन्होंने निष्कासन खीकार किया और ये बाहर चले गये। याद में अंग्रेजी हुकूमत ने राज्य के हालात को दो वर्ष की अत्याधिक में संभाल नहीं पाने की आड़ में भारतीय के निष्कासन को 15 साल के लिए बढ़ा दिया।

महाराज पहले कुछ समय देश के विभिन्न भागों में घूमते हुये लन्दन जाकर रहने लगे। लन्दन प्रवास के दौरान ये कुछ समय के लिये प्रांती की राजधानी पेरिस गये जहाँ 19 मई 1937 को एक होटल की सीढ़ी से फिसल जाने के कारण उनका असामिक निधन हो गया। उनके निधन के इस दुःखद समाचार से साया राज्य शोक से अभिभूत हो गया। इस घटना से अंग्रेज सत्रा के प्रति सारी जनता में तीव्र प्रतिक्रिया और भारी आक्रोश छा गया।

यह ध्यान रहे, महाराजा के स्थान पर राज्य की गद्दी पर कौन बैठे ? यह प्रश्न अनुत्तरित रह गया, क्योंकि महाराज के कोई पुत्र नहीं था और ये भी स्पष्ट तौर पर अपना उत्तराधिकारी चयनकर नहीं गये थे। लोगों की धारणाओं के अनुसार ये बीजबाड़ के ठा. कल्याण सिंह को चाहते थे और चंशपरम्परा के अनुसार श्रीचंद्रपुरा के ठा. गंगासिंह जो उनके चाचा होते थे, उनका पुत्र ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी यनता था। राजा की अपने इन चाचा से नारजगी जगजाहिर थी। अतः राज्य की जनता और राज्य के अधिकारी गण इस मामले में बैठे हुये थे। इस विवाद को लेकर दोनों की ही ओर से दिल्ली की सरकार के समक्ष दावे पेश कर दिये गये। दोनों तरफ की बातें सुन सरकार ने किसी भी तरह सही, फैसला श्री तेजसिंह के हक में कर दिया, जिसको सुनकर पूर्व महाराज के प्रर्शसक और श्री कल्याण सिंह समर्थक क्षुब्ध हो गये। ये लोग जाहिर तौर पर लगता था, श्री तेजसिंह समर्थकों से ज्यादा थे और सक्रिय व अधिक मुखर थी। ये जब भी अवसर आता, "कल्याण सिंह को गद्दी दो ! तेजसिंह को भट्टी में दो" के नारे लगा देते थे।

13 जून 37 को शहर महल में स्वर्गीय महाराज की तीये की बैठक में ही अंग्रेज सरकार के फैसले को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें वही स्वर गौंजने लगे। महाराज को श्रद्धांजलियाँ देने के क्रम में स्थानीय जगन्नाथ जी के मंदिर में एक शोक सभा और हुई जिसमें मुख्य वक्ता रमाबाई कथा बाचक द्वारा महिलाओं को संबोधित किया गया और महाराज को श्रद्धांजलि दी गई।

श्री तेजसिंह को उत्तराधिकारी घोषित करने के विरोध में एक पर्चा डॉ० मोहम्मद अली और श्री सालिगराम नाजिम ने छापे जाने के लिए शर्मा प्रेस को दिया, जिसमें जनता से इसका जोरदार विरोध करने के लिए अपील की गई। इसकी खबर सरकारी अधिकारियों को लगी और वह पर्चा रोक दिया गया, पर्चा निकालने वाले दोनों ही मौन हो गये।

यहाँ यह बात स्मरण रहे कि महाराजा तेजसिंह के विरोध में सक्रियता से काम करने वालों में कांग्रेस समर्थक, हिन्दू सभाई और मुसलमान सभी थे। उस समय एक हिन्दू सभाई और

कांग्रेसी में कोई फर्क भी नहीं था, एक व्यक्ति दोनों का ही एक साथ सदस्य हो सकता था। सरकार का गुप्तचर विभाग उसे यह सूचनायें अवश्य देने लग गया था कि अलवर में कांग्रेस का संगठन बन गया है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, डॉ० मोहम्मद अली कांग्रेस के अध्यक्ष, रामजी लाल पूर्व सरिश्तेदार उपाध्यक्ष, पूर्व नाजिम सालगराम सैक्रेटरी और अब्दुल गफकार जमाली नरल सैक्रेटरी बताये गये थे। सी० आई० डी० ने यह भी बताया कि इस प्रकार के संगठन से हिन्दू-मुसलमान एक मंच पर आ गये हैं। सी. आई. डी. ने अन्य जानकारियाँ देने के साथ ही यह भी रपट दी कि नागरिकों की एक सभा ता. 3-6-37 को स्व. महाराज के द्वादशे पर हुई जिसमें हिन्दू और मुसलमानों की एक समान राय थी।

महाराज तेजसिंह, जो गद्दी-नशीन हो चुके थे, ने सी० आई० डी० की रिपोर्टों के आधार पर ठा० कल्याण सिंह और उनके समर्थकों पर कड़ी निगरानी शुरू करवा दी। इस आधार पर सरकार को यह सूचना मिली कि ठा० कल्याण सिंह से श्री रिसालसिंह, श्री बुधसिंह, पं. नारायण विहारी पूर्व महाराजा जयसिंह के निजी सचिव, डॉ० मोहम्मद अली, श्री मुश्ताक, हकीम मोहम्मद अली आदि मिले और आपस में गुफागू की।

सी.आई.डी. ने यह भी रिपोर्ट दी कि श्री सालगराम नाजिम, श्री जयशिव को लेकर मोहम्मद जैदी से मिले और सुझाव दिया कि हिन्दू-मुस्लिम एकता कमेटी बनाओ ताकि इसके द्वारा दोनों समुदायों में एकता आये। मौ. जैदी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और तय हुआ कि वहरोड़, राजगढ़ थानागाजी में पहले कार्य हो। यह बात सुझाओं तक ही रह गई कोई निर्णय कमेटियों बनाने का नहीं हो पाया।

28.6.37 को कांग्रेस के पहले सदस्य बनने वालों में सर्व श्री सालगराम पूर्व नाजिम, मोदी कुंजविहारी लाल, लाला गौरी चरण गुप्ता बजाज, इन्द्रसिंह आजाद, शिवचरण लाल भार्गव, अब्दुल गफकार जमाली, डॉ० मोहम्मद अली, ओमकार विहारी पूर्व पुलिस कर्मचारी पं. राम लाल पूर्व सरिश्तेदार, रणजीत सिंह व पं. गोपी कृष्ण थे।

यह स्मरण रहे कि राजगढ़ी के मामले में श्री तेजसिंह विरोधी तथा श्री कल्याण सिंह समर्थकों की एक मीटिंग फरवरी 1, 1937 को कम्पनी बाग में हुई जिसमें सर्वश्री पं. हरनारायण शर्मा, मोदी कुंजविहारी लाल, अब्दुल गफकार जमाली, पं. सालगराम नाजिम आदि ने अंग्रेज सरकार के फैसले के खिलाफ जोरदार भाषण बाजी की व नारे लगाये, जिसके कारण इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं के साथ स्कूलों में तोड़-फोड़ के आरोप लगाकर श्री इन्द्र सिंह आजाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री टीकाराम पालीवाल इन लोगों की पैरवी करने के लिए अलवर आये, पर उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई।

श्री सालगराम नाजिम, मोदी कुंजविहारी लाल आदि को राज्य सरकार ने अनेक अरोप लगाकर पहले ही नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। अतः ये लोग कांग्रेस संगठन बनाने की ओर प्रयासरत थे। इसी हेतु इन लोगों ने मन्त्री का बड़ के पास एक शिव मंदिर में, जिसके बारे में विभिन्न लोगों की विभिन्न धारणायें और रायें हैं, अपने समान विचार बाले लोगों की एक मीटिंग की जिसमें पं. हरिनारायण शर्मा, पं. गुरु वृजनारायणचार्य, श्री इन्द्र सिंह आजाद शामिल हुये। श्री सालगराम की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति बनाई गई, जिसके श्री इन्द्र सिंह आजाद मंत्री बनाये गये।

सन् 1937 की गिरफ्तारियों के विरोध में कांग्रेस की ओर से एक आम सभा की गई जिसमें दिल्ली कांग्रेस की ओर से बहिन सत्यवती अलबर आई। सभा में उनका बड़ा ओजस्वी भाषण हुआ। उनके भाषण से जनता में काफी जोश आया और राज्य सरकार की दमननीति के प्रति भारी आक्रोश पैदा हुआ।

कांग्रेस को इस जमाने में महाराजा जयसिंह के प्रशंसकों व कल्याण सिंह समर्थकों और हिन्दू सभाई विचार धारा से प्रभावित लोगों का समर्थन था। कुछ मुसलमान नेता भी कांग्रेस से जुड़े हुये थे और यह भी सच्चाई है कि उनमें से कुछ खास तौर से मेवात के मुसलमान चौ. यासीन खाँ के प्रभाव में थे जो प्रच्छन्न रूप से अंग्रेज सरकार की नीतियों के अनुसार काम कर रहे थे, क्योंकि वे महाराजा जयसिंह विरोधी थे।

अलबर शहर के तथा कुछ तहसीलों के मुसलमान नेता हिन्दू मुस्लिम एकता की वजाय अपनी ही अलगाव बादी नीति पर चल रहे थे। ये लोग अपने सम्प्रदाय के अलग-अलग नामों से संगठन खड़े कर अपनी गतिविधियाँ चला रहे थे और साम्राज्यिक माहौल भी विगड़ कर छुट-पुट ऐसी घटनायें भी करा देते थे जिनके कारण, कहीं किसी मजार पर चादर चढ़ाने के मामले में तो, कहीं ताजियों के जुलूस को लेकर या इसी तरह के मुद्दे उठाकर झँगड़े करा देते थे जिनमें कुछ हत्यायें तक हो जाती थी, कहीं किसी मुसलमान की तो कहीं किसी हिन्दू की। हिन्दू तो हिन्दू सभा के नाम से अपनी गतिविधियाँ चलाते थे और मुसलमान, अंजुमन इस्लाम आदि के नाम से। इस प्रकार के झगड़े तिजारा, बहरोड़, अलबर शहर, रामगढ़ गोविन्दगढ़ आदि में हुये।

एक तरफ हिन्दू-मुसलमानों को लड़ाकर अलग-अलग रखने की गतिविधियाँ चल रही थीं तो दूसरी तरफ एकता के लिए भी कार्य चल रहे थे। कांग्रेस इसका माध्यम थी। इन सबके साथ राजा तेजसिंह की सरकार की ओर से भी अपने हक में, अपनी सरकार को मजबूत बनाने तथा जनता में अपनी साख व प्रभाव बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे थे। राजा की सरकार ने तो महाराजा जयसिंह के समर्थकों को बढ़ाने देना चाहती की ओर न ही वह कांग्रेस की जमती हुई जड़ों को गहरी होने देना चाहती थी। वह हिन्दू मुस्लिम एकता को भी नहीं चाहती थी। इसके लिये उसने अपनी ही रणनीति अपनाई। जहाँ उसने एक ओर महाराजा जयसिंह समर्थकों को कुचला, नौकरी से निकाला, वहीं साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति का पालन करते हुए अनेक सक्रिय लोगों को लम्ही-लम्ही सजायें मामूली सी बातों को लेकर दी और जेल भेजा। उधर उसने हिन्दू सभा के विचार के लोगों को अपनी ओर खेंचा। चौ. यासीन खाँ जो अंग्रेज समर्थक था, को अपनी ओर किया। उसे मेवात में राजा के पक्ष में काम कराने के लिये लगाया। मेवों के पुराने गुस्से को शान्त करने के लिए मेव पंचायत के माध्यम से कुछ राजस्व सुधारों की घोषणा की। मुस्लिम लीग, अंजुमन-ए-इस्लाम आदि संस्थाओं को बढ़ावा दिया। इसी तरह हिन्दू सभा के विचारों के लोगों को भी संभाला। इसके लिये अपनी सरकार के हक में प्रचारात्मक फाम घरने के लिए श्री कांति चन्द्र मोदी य उनके पुत्र श्री अवतार चंद्र जोशी को "तेज-प्रताप" नाम से एक पत्र निकालने के लिए 2000/- रुपये की सरकारी सहयोग राशि देकर सासाहिक निकालना शुरू करवाया। अद्यतार ये नाम से ही जाहिर हैं यह पत्र महाराजा तेजसिंह के प्रताप पर उजागर करने के लिए प्रकाशित किया गया था। अद्यतार के लिए भरपूर सहयोग देने के लिए

सरकारी विज्ञापनों के द्वार पूरी तरह खोल दिये गये। सरकार इस अखबार की 2000 हजार प्रतियाँ भी एक आना प्रति की दर से खरीदकर लाभ देती थी।

तेज प्रताप सासाहिक का प्रथम सम्पादक पं. नन्दकिशोर शास्त्री को 19.9.1937 को बनाया गया, जो बाद में स्थानीय स्कूलों में काफी समय तक अध्यापक रहे। इस पत्र के सह-सम्पादक पं. नाथराम शर्मा भारद्वाज, साहित्यरत्न बनाये गये। पं. कान्ति चंद्र जोशी पत्र के प्रकाशक-मुद्रक बने। पत्र की मुद्रण व्यवस्था के लिये मुंशीबाजार में 'राधाकान्त प्रेस' लगाई गई। इस अखबार का मूल्य एक आना था। इस पत्र के पहले ही अंक में महाराणा प्रताप का घोड़े पर सवार चित्र छापा गया, जो उनके चित्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय एवं वह प्रसारित है। इसमें अलवर के सभी पूर्व राजाओं की जानकारी देते हुये महाराजा तेजसिंह के 9.7.39 के सांय 6 बजे सिंहासनारूढ़ होने का विस्तार से विवरण छापा गया। इस अखबार के दूसरे अंक से ही इसके प्रकाशक श्री कांतिचन्द्र जोशी के पुत्र श्री अवतार चन्द्र जोशी सम्पादक बन गये। इस तरह तेज प्रताप पूरी तरह जोशी परिवार का निजी पत्र बन गया, जो राजा का गुणगान करता था और कांग्रेस की छवि को धूमिल करता रहता था।

तेज प्रताप सासाहिक ने अपने एक अंक में यह समाचार छापा कि 30.9.39 को 'सायंकाल पुरजन विहार (कम्पनी बाग) में कांग्रेस की एक आम सभा हुई जिसमें काफी लोगों ने भाग लिया। सभा में झंडारोहण और राष्ट्रगान के पश्चात कार्यवाही हुई। इस सभा की अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह सचिव श्री दामोदर लाल ने की, सर्व श्री कुंजविहारी लाल मोदी, पं. वद्रा प्रसाद व्यास, रामकिशोर, लाला गौरीशरण गुप्ता, मा. गौरी चरण (राधाचरण) आदि के भाषण हुये। सभा में कई प्रस्ताव भी पास किये गये।

1937 में अक्टूबर मास की 2,4,6,8 तारीखों में कुछ राजनैतिक गिरफ्तारियाँ हुई जिनमें डॉ. मोहम्मद अली, मोहम्मद जमाली, हकीम मोहम्मद महमूद, पं. रामजी लाल, लच्छी राम सौदागर, पं. हरनारायण शर्मा 'लद्धमार' जानकी प्रसाद, जयराम जाट, पं. सालगराम नाजिम को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। इन गिरफ्तारियों के बारे में कहा यह जाता था, कि ये 30.9.37 की कांग्रेस मीटिंग के कारण की गईं, जबकि कुछ लोग यह चर्चा करते थे कि महाराज जयसिंह के तीये की मीटिंग के दिन गदी के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में नारे बाजी और आपसी विवाद के कारण की गईं।

गिरफ्तारियों के समाचार सुनकर ता. 7 अक्टूबर 37 को सायंकाल कुछ कांग्रेसी नेता दिल्ली से आये। उन्होंने एक मीटिंग की, इस मीटिंग में लगभग 1500 आदमियों ने भाग लिया। मीटिंग स्थल कर झंडारोहण हुआ। ठेकेदार केदार नाथ गोयता, पुराना पोस्ट ऑफिस अलवर के पास, ने सभा की अध्यक्षता की। प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति एवं वहिन सत्यवती जी के ओजस्वी भाषण हुये। इन दोनों ने अपने भाषणों में कांग्रेस के उद्देश्यों, नीतियों, खादी प्रचार, छुआछूत उन्मूलन आदि विषयों पर प्रकाश डाला। इनके भाषणों में इन बातों के अलावा मुख्य जोर राज्य सरकार की कांग्रेस को कुचलने और विना वजह गिरफ्तार कर कड़ी सजाओं की कड़ी निन्दा की गई। इन नेताओं ने इस बात पर भी भारी अफसोस जताया कि सरकार जेल में राजनैतिक वंदियों को कत्ल आदि जुर्मों के केंद्रियों की तरह घेड़ी हथकड़ी और जौलान डालकर रखती है। उन्सी

तरह के यापदे पहनाती है उत्तर भंडिं फल्डी मेट्रोना यत्तरी है, 20 मेर अम देस थग्गे चतुरवाती है।

उच्च नेताजिओं रो साथ भाषण देने वालों में श्री गोपाल प्रसाद जी भाद्र दुआ दर्दों गिरफ्तार घंटियों में प्रति रात्रिमुभूति पूर्णक घन्हनाहर करने की इस अपसर पर कहा की। इन अपसर पर दिल्ली के धैय दामोदर दास जी, फूलापन्द जी बीत, श्री कन्हैया साहा गाँव के भी भाषण हुये। सभा यों कार्यवाही समाप्त कर दिल्ली से आये नेता गल यापिस रह दी ही लौट गये।

इस सभा के भाषणों में उठाये गये मुद्दों का जवाब देते हुए राज्य सरकार ने 8.10.37 को यह सफाई दी कि आपसी जनक य भट्काक मीटिंग करने के अपारप में फैनून के प्रवापने के अनुसार "सिटीशास मीटिंग एक्ट" की धारा के 10/4 वी अनुधालन में ही 8 गिरफ्तारियों की गई जो इस प्रकार हैं, ठा. मोहम्मद अली, अद्वित ग़फूर जमाली, हकीम मोहम्मद महमूद, पं. रामजी लाल, जयगंग जाट, पं. हरनारायण शर्मा, पं. जानकी प्रसाद, लख्नीराम सौदागर। याद अर्थात् 8 अक्टूबर को पं. सालिगणम ने अपने आपको स्थिर पुलिस को सुपुर्द किया है मंत्री कुंजविहारी लाल अभी फरार हैं।

10 अक्टूबर 37 को उक्त गिरफ्तार शुदा घंटियों में से पं. रामजीलाल और हकीम मोहम्मद महमूद को जमानत पर रिहा कर दिया गया। शेष घंटियों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

इसके बाद 16.10.37 को पुरजन विहार में पं. रूपकिशोर को अध्यक्षता में कांग्रेस की एक और सभा हुई जिसमें मौलाना इमदाद अली, सरदार सादरी, लाला शंकर लाल, पं. गोपाल प्रसाद के भाषण हुये। इन वक्ताओं ने भी कांग्रेस के उद्देश्य पर विचार व्यक्त किये।

उन्होंने राजनीतिक घंटियों के बारे में घोलते हुये कहा, "इन घंटियों को राज्य द्रोह के अपराधी करार देते हुये गिरफ्तार किया गया, बताते हैं, परन्तु अलवर सरकार को चाहिये कि वह ऐलान निकालकर यह स्पष्ट करके दे ताकि जनता में कांग्रेस के सम्बन्ध में गिरफ्तारियों होने की गलत फहमी दूर हो।"

आश्वर्य की बात है कि सरकार इन लोगों को गिरफ्तार तो राजनीतिक कारणों से कर रही और वर्ताव उनके साथ हत्यादि जैसे संगीन जुमों में घंटी बनाये लोगों की तरह करते हुए पूरी तरह हथकड़ियों में जकड़ कर हर तरह परेशान कर रही है।

17-10-1937 को राजनीतिक घंटियों की जमानतों नामंजूर हो जाने पर श्री कुंज विहारी लाल मोदी ने अपने आप को गिरफ्तार करा लिया। वे अब तक अजमेर में जातीय संस्था के कार्य के सिलसिले में लगे हुये थे। अजमेर से अलवर आते ही वे गिरफ्तार हो गये। वक्ताओं ने आगे कहा कि हमारी राय में वहाँ अलवर में कोई विद्रोहात्मक कार्य नहीं हुआ। फिर भी गिरफ्तारियाँ व्याप्त हुईं? यहाँ की आगर्स्क जनता जानना चाहती है, वह अपना दुर्ख दूर कराना चाहती है। अपने दिवंगत राजा को ब्रह्मांजलि देना कोई गुनाह नहीं है। दिल्ली के दैनिक समाचार पत्र अर्जुन में समाचार छपा है कि देहली में कुछ लोग राष्ट्रपति (कांग्रेस अध्यक्ष) श्री जवाहर लाल नेहरू से मिले थे। उन्होंने तीन मास में आने का कहा था।"

22-10-1937 को स्थानीय कांग्रेस की बैठक श्री केदारनाथ गोयल ने की जिसमें नये पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई जो इस प्रकार हुई-

1. श्री काजी सरफराज अली : अध्यक्ष
2. श्री पं. राम किशोर जयशिव : उपाध्यक्ष
3. श्री रूपनारायण : जनरल सैक्रेटरी
4. श्री लक्ष्मण सिंह सुनार : कार्य कारिणी सदस्य
5. श्री सम्पत राम सेठ : कार्य कारिणी सदस्य

25.10.37 को स्थानीय जेल पर तत्कालीन कलैक्टर कुं. रघुवीर सिंह ने राजबन्दियों से मुलाकात की और उनकी सुनवाई की। आई. जी. और शहर कोतवाल शिवशंकर के बयान हुये। मुलजिमों के भी बयान लिये गये। पं. हरनारायण शर्मा, श्री जानकीशरण, श्री लच्छीराम सौदागर के अलावा संब ने 13.6.37 को हुई मीटिंग में शामिल होने को स्वीकार किया। डॉ. मोहम्मद अली और पं. रामजीलाल ने अपने बयान लिखित में पेश करने की पेशकश की। इसके बाद अभियुक्तों के विरुद्ध प्रीवेंशन ऑफ सिडोशस मीटिंग्स एक्ट की दफा 4, 8 व 10 के अन्तर्गत फर्द जुर्म लगा दी गई जिससे स्पष्ट है कि इन बन्दियों का कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं था। सफाई के लिये 26.10.37 की तारीख लगा दी गई। इस तारीख को निर्णय सुनाते हुये डॉ. मोहम्मद अली, मोदी कुंजबिहारी लाल, पं. सागलगराम को दो-दो साल की सजा सुनाई गई और पं. हरनारायण शर्मा व श्री लच्छीराम सौदागर को, 1-1 साल की सख्त कैद की सजा दी गई। पं. रामजी लाल, हकीम मोहम्मद महमूद, पं. जानकी चरण को 2 वर्ष की फैल जमानत पर रिहा किया गया। सन् 1937 में जेल भेजे गये स्वतंत्रता सेनानियों को 1 एक माह पूर्व जेल से छोड़ दिया गया। (तेज प्रताप - 28.10.38)

फीस विरोधी आन्दोलन और गिरफ्तारियाँ :

सन् 1938 में अलवर राज्य में छात्रों पर फीस लगा दी गई। इससे पहले शिक्षा खर्च हेतु मालागुजारी पर ही 2 पैसा प्रति रुपया शिक्षा कर लिया जाता था। कांग्रेस के कार्यकर्ता इन वृद्धियों से चिन्तित थे। वे खास तौर से छात्रों से सम्पर्क कर रहे थे। फीस वृद्धि उस समय, जब शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ था, लोगों को अशिक्षित रखने का ही कदम माना गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की छात्रों के साथ कई मीटिंगें होती रही। छात्रों में और उनके अभिभावकों में तो इस फीस वृद्धि के प्रति रोप होना ही था, अध्यापकों ने भी इसे अच्छा नहीं माना। ऐसे अध्यापकों में मा. भोलानाथ पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी आदि थे। कॉलेज के अध्यापक भी इससे रुट थे।

इसी समय राजपर्क कॉलेज के पुस्तकालय में 27.5.1938 को रेड की गई। कुछ पुस्तकों का पुस्तकालय में रखा जाना आपत्ति जनक माना गया और यह आदेश दिया गया कि प्रतिबंधित और सरकार की नीतियों का विरोध करने वाले साहित्य को परखा जाये। रेड के दौरान पाया गया कि कॉलेज की मैगज़ीन 'चिनय' में कुछ सामग्री भी आपत्ति जनक मानी गई जिसमें एकलेख 'भारत की गरीबी' शीर्षक से भूषण प्रसाद जैन का तथा दूसरा 'भूख हड़ताल' रामचरण अवस्थी विद्यार्थी कक्ष XII का और कांग्रेस का बजट आलोख था तथा प्रो. जी. एस. जैमन के दो होट

थे—एक 'राष्ट्रीय नाद' और 'आत्मकथा' जो गांधी जी की जीवनी के बारे में थे। रेडपार्टी ने ऐसी सामग्री को विनय में आइन्दा न छापने के साथ हिदायत दी और इसके लिये कड़ी ताड़ना दी गई। कॉलेज में भगवत् स्वरूप भार्गव और कुछ अन्य छात्रों को प्रवेश नहीं देने के आदेश दिये।

इस रेड की भी शिक्षा जगत में काफी प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस के लोगों के लिये इन मुद्दों को लेकर आम जनता तथा छात्रों में जाने का अच्छा अवसर मिला। अतः कांग्रेसी की ओर से फीस विरोधी आन्दोलन की शुरूआत "दयूशन फीस माफ करो" के नारे के साथ कर दी गई। इस आन्दोलन की रणनीति मा. राधाचरण गुप्ता ने निर्भारित की। उन्होंने एक ज्ञापन तैयार किया जिसे विद्यार्थियों की ओर से प्रिंसीपल राजर्षि कॉलेज तथा सम्बन्धित अधिकारियों को देना तय हुआ। मांगें भाने नहीं जाने पर कक्षाओं का बहिष्कार तथा हड्डतालें, आम सभायें आदि कर आन्दोलन को तेज करने का फैसला किया गया। आन्दोलन के संचालन कर्त्ताओं की यह नीति थी कि हर कदम को पूरी तैयारी से उठाकर आगे बढ़ा जाय। आन्दोलन के पक्ष में पूरी तरह बातावरण बनाने के लिये 14.6.38 से 28.6.38 तक सभायें, सम्पर्क आदि के कार्यक्रम चलते रहे।

आन्दोलन के बारे में प्रशासन अपने गुप्तचर विभाग तथा अन्य भाघ्यमों से पूरी जानकारी लेकर नजर रखे हुये था। उसे पता था कौन लोग इस आन्दोलन में राजनैतिक तौर पर और कौन सरकारी सेवा में होते हुये भी इसके लिये काम कर रहे हैं। इसी आधार पर प्रशासन ने 29.6.1938 को 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर संख्या 63/38 दर्ज कराई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी थे, जिन्होंने जेल में बन्दियों के साथ अमानुषिक व्यवहार के विरोध में भूख हड्डताल कर दी। इसकी खबर लगते ही राजपूताना के उस समय के मूर्धन्य नेता श्री जयनारायण व्यास उनसे मिलने के लिये अलवर आना चाहते थे। महाराजा तेज सिंह की सरकार ने उन्हें यहाँ आने से इंकार कर दिया और कड़ी पाबन्दी लगा दी। उन्हें अलवर स्टेशन से ही वापिस जाने को मजबूर कर दिया। राजर्षि कॉलेज तथा स्कूलों के छात्रों की जारी हड्डताल को दबाने के लिये छात्रों के संरक्षकों से बाउण्ड भरवाये जाने लगे।

राज्य के विशेष न्यायिक भजिस्ट्रैट श्री आनन्द नारायण कौल ने ता. 11 जुलाई 38 से 18 जुलाई 38 तक गिरफ्तार शुदा बन्दियों के मामले की सुनवाई की। पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. हरनारायण शर्मा लट्टमार, श्री इन्द्र सिंह आजाद को दो साल की सपरिश्रम कैद की सजा सुनाई। इनके साथ मा. राधाचरण गुप्ता (टप्पलवाले) श्री नवद्यूराम मीदी को 1-1 साल की सपरिश्रम जेल की सजा दी गई। छात्र नेता शिवचरण भार्गव, सम्पत्तगम सोमवंशी, नाथसिंह, (लाला घनवारीलाल) को 500 रु. के प्रतिभूति वॉउड्स एक साल के लेकर रिहाफर दिया गया।

सजा भुगातने वालों ने मजिस्ट्रेट के फैसले के विरुद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील की, जिन्होंने 2.9.1938 की अपील स्वीकार करते हुये अभियुक्तों की सजायें घटाकर इस प्रकार कर दी-

1. श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की 1 वर्ष की सपरिश्रम कारावास की सजा को घटाकर 8 माह की घर दी।

- पं. हरनारायण शर्मा व श्री इन्द्रसिंह भार्गव (आजाद) इन दोनों की सजाओं को माधारण कारावास में बदल दिया गया।
- . मा. राधाचरण गुप्ता की एक साल की सपरिश्रम सजा को घटाकर 4 मास साधारण कैद में बदल दिय गया।
- . श्री नत्थु राम मोदी को सजा को भी एक साल से 4 माह की साधारण कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया।

इस प्रकार श्री राधाचरण गुप्ता व मोदी नत्थुराम जी 19.11.38 को अपनी सजा की अवधि पूरी कर रिहा किये गये। इसके बाद 16.3.39 को रात्रि के समय पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. हरनारायण शर्मा, श्री इन्द्र सिंह आजाद की सजा की अवधि पूरी होने पर छोड़ा गया। दूसरे दिन 17 मार्च को प्रातः 8 बजे स्थानीय सुगनावाई धर्मशाला (केडलगंज) में इनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया। स्वागत के बाद यहाँ से केडलगंज, पंसारी बाजार बजाजा बाजार होता हुआ एक जुलूस, प्रिपोलिया होता हुआ कांग्रेस के मुंशी बाजार स्थित कार्यालय पर जाकर पहुँचा। इस जुलूस में 250 व्यक्ति थे और 30 छात्र व उनके नेता थे। श्री छोटू सिंह आर्य छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे।

अलवर में यह आन्दोलन जन चेतना को आन्दोलित कर कांग्रेस को जमाने और आगे चलकर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना के लिये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के रूप में मानी जाती है। इससे उस समय का युद्धजीवी और मध्यम श्रेणी का चर्चा राष्ट्रीयथारा से जुड़ता चला गया। कांग्रेस या प्रजामण्डल को जो कर्मठ और जागरूक नेता मिले उनमें इस आन्दोलन का हिस्सा संबोधित हैं।

अब इस आन्दोलन के, सिलसिले में, जो पत्र व्यवहार रियासत सरकार तथा अंग्रेज सरकार, राजपूताने की रेजीडेंसी के बीच हुआ उसकी भी धोड़ी चर्चा कर ली जाय, जो राजनीतिक विश्लेषण-कर्त्ताओं के लिये काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसमें सबसे पहला पत्र अलवर के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मि. सी. जी. प्रायर का है, जो उन्होंने जे.एच. थामसन, रेजीडेंट जंयपुर को डी. ओ. न. 30, मार्च 1938 को लिखा जिसमें उन्होंने उन्हें सूचित करते हुये कहा कि “प्रजामण्डल दुःख देगा। स्कूलों में हड़ताल होने पर 6 व्यक्ति-शिवनाथ सिंह, इन्द्र सिंह आजाद, बनवारी लाल गुप्ता, शिवचरण भार्गव, हरिनारायण शर्मा, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को गिरफ्तार किया जाव, इससे सहमत हूँ।” इसी के साथ श्री रघुवीर सिंह जावली चाले ने जो उस समय अलवर कलैक्ट्रर थे, ने आदेश पारित किया कि इन 6 व्यक्तियों के साथ मा. राधाचरण गुप्ता, नत्थुराम महाजन (मोदी), सम्पत्तराम कलाल को भी गिरफ्तार किया जावे, मात्र बनवारी लाल को छोड़ दिया जावे।

दैनिक हिन्दुस्तान दिल्ली के 3 व 4 जुलाई 1938 के अंकों में ये खबरें छापी गई कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी के महासचिव कृष्ण नैयर, श्रीमती सत्यवती देवी, और मौलाना इमाम सादरी सचिव कांग्रेस अलवर पहुँचे और प्रजामण्डल की गतिविधियों की जानकारी लेकर 3 जुलाई को दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यह भी बताया कि कल यानी 2 जुलाई को कांग्रेस के

अध्यक्ष प. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और सचिव पं. हरनारायण शर्मा ये श्री लक्ष्मीनारायण हड्डताल के घारण्ट गिरफ्तारी जारी हुये हैं।

सिडीशस मीटिंग्स एकट को धारा 410 के कारण श्री नायर जी को मुलाकात न तो जेल के बंदियों से हो पाई और न ही यारंट शुदा लोगों से। जेल में कई बंदियों की भूख हड्डताल जारी है। इस घावत कांग्रेस सचिव दिल्ली प्रदेश, श्री नायर जी ने श्री जमना लाल वजाज को तार दिया कि, "नये घटना क्रम पर हस्तक्षेप करें।" यह ध्यान रहे कि उन्होंने यह इसलिये किया कि उस समय तक अलवर का कांग्रेस संगठनात्मक ढाँचा दिल्ली प्रदेश के अन्तर्गत एक जिला के रूप में था। जेल के बन्दियों की हड्डताल को सेकर स्कूल व कालेज के छात्रों में पुनः हड्डताल शुरू हो गई। श्री लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी को पत्री श्रीमती सुशीला त्रिपाठी भी हड्डताल कराने गई और वे भी आन्दोलन में सक्रिय हो गई हैं।

इसी क्रम में 15 जुलाई 1938 को अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद के महासचिव श्री जयनारायण व्यास ने व्यावर से एक पत्र अलवर के प्राइम मिनिस्टर को भेजा था, जिसमें बंदियों के मामले में जिक्र किया। सुनवाई 'कैमरा प्रोसीडिंग' कर्मर में हो रही है, वह अन्यायपूर्ण है। उनकी ओर से मुकद्दमों की पैरवी के लिए 100 रु. प्रतिदिन के भेहनताने पर श्री सत्यनारायण सर्वाफ एडब्ल्यूकेट को नियुक्त किया गया है। बंदी भूख हड्डताल पर चैठे हैं अतः मामले में हस्तक्षेप करें। हम भूख हड्डताल को समाप्त कराने के प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में श्री रामनारायण चौधरी अजमेर वाले अलवर आये और राजा तेजसिंह से मुलाकात के लिये अनुमति चाही। उन्होंने पत्र में आन्दोलन को जानकारी देते हुए कहा कि "(1) कांग्रेस के नेताओं को राजनैतिक बन्दी माना जाय। (2) उनके मामले की सुनवाई कैमरा प्रोसीडिंग की वजाय, खुली अदालत में चलाई जाय, जेल में नहीं। (3) बन्दियों की पैरवी करने के लिये बाहर के वकीलों को लाने की अनुमति दी जाय। पर राज्य सरकार ने इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यह भी कहा गया कि संयुक्त पत्र के श्री प्यारेलाल शर्मा, तथा तीन अन्य वकीलों ने अलवर राज्य सरकार के बंदियों की पैरवी करने की आज्ञा चाही है। इस पर भी आज तक कोई कार्यकाही नहीं की गई है। और न ही उनको कोई उत्तर ही भिजवाया गया है। जेल में बंदियों को कोई सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। भूख हड्डताली कमज़ोर हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। दो बंदी तो निरन्तर बेहोश पड़े रहते हैं। इनमें श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी को तो 15-7-38 की सुनवाई के लिये होश में लाने के लिए 3 बार इंजेक्शन लगाये गये हैं। यही नहीं उनकी पत्री श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के घर पर पुलिस का 24 घंटे का पहरा लगा हुआ है। उनसे मिलने वाले आते जाते व्यक्तियों का पीछा किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है रियासत में नागरिक अधिकारों का पूरी तरह हनन किया जा रहा है।"

श्री चौधरी के इस पत्र के बारे में तथा यहाँ के हालात के बारे में दैनिक हिन्दुस्तान के उन दिनों के अंकों में प्रायः समाचार उपते रहते थे। 16 जुलाई 38 के ही अंक में त्रिपाठी जी की भूख हड्डताल तथा उनकी चिन्ता-जनक हालत तथा भूख हड्डताल की जवरदस्ती तुड़वाने के प्रयासों की विपलता के बारे में छापे गये। समाचार में बताया गया कि उनका वजन 32 पौंड पट गया। यह खबर 19 जुलाई 38 के अंक में छपी।

मा. भोलानाथजी का इस्तीफा और राजनीति में प्रवेश

मा. भोलानाथ जी अलवर राज्य के सरकारी स्कूल में अध्यापक थे। वे अपनी नौकरी के दौरान ही कांग्रेस की गतिविधियों में रुचि लेते रहते थे और फीस विरोधी आन्दोलन की गतिविधियों से सम्बन्ध बनाये हुये थे। उनकी इन गतिविधियों की रिपोर्ट सी. आई. डी. द्वारा उच्चाधिकारियों को मिलती रहती थी। अतः उनका अलवर से तबादला हरसौली में कर दिया गया। वे तबादले पर इयूटी देने की घजाय, अलवर शहर में रह सक्रियता से कांग्रेस तथा फीस विरोधी आन्दोलन में भाग लेने लग गये। उन्होंने पहले तो अपना तबादला रद्द करने की कोशिश की। इसमें सफल नहीं होने पर उन्होंने 7.9.1938 को राज्य सेवा से त्याग पत्र दे दिया।

मास्टर जी के तबादले के साथ ही कुछ छात्रों का स्कूल व कालेज से रैस्ट्रीकेशन कर दिया गया। इनमें श्री हजारी लाल जैन, कालेज छात्र तथा भगवत स्वरूप भार्गव आठवीं कक्षा का छात्र आदि थे। एक छात्र और थे जिनको स्कूल से निकाला गया थे, श्री प्रभुदयाल। इन लोगों ने इसकी शिकायत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी तक की। वे 27.8.38 को दिल्ली भी गये। यह सी. आई. डी. रिपोर्ट पृष्ठ 326 पर सन् 1938 में दर्ज है। उन दिनों गुप्तचर विभाग खड़ा सक्रिय था, जो पोलीटिकल विभाग के रेजीडेंट जमियुर के पत्र (कॉन्फीडेंशियल ब्रांच) की फाइल से ज्ञात होता है कि-

- (1) ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री जयनारायण व्यास ने 27.6.38 को व्यावर से एक पत्र बलवन्त भाई को लिखा जिससे जाहिर होता है कि अलवर राज्य प्रजामंडल ने अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद से अपने आपको 5/- रुपक जमा कर सम्बद्ध करा लिया था और स्कूलों व कालेज की फीस वृद्धि आन्दोलन की सफलता के लिये अधिक तैयारी के साथ काम में उसके सभी कार्यकर्ता लग गये थे।
- (2) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कृष्ण नैयर ने अपने अलवर प्रवास से ता. 3.7.38 को श्री रामनारायण चौधरी को एक पत्र भेजकर उनसे कहा कि आप अलवर आइये। यहाँ के संगठन को पैरों पर खड़ा कीजिये। हम दिल्ली के समाचार पत्रों में पब्लिसिटी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे कलैक्टर रघुवीर सिंह से मिलने आये। मुलाकात नहीं हो पाई। भूख हड्डताल पर वैठे साधियों के घरों पर सहायता के लिये आर्थिक सहायता की व्यवस्था कीजिये। मुकद्दमे में पैरखी के लिये बकील तैयार करें। यह ध्यान रहे कि कुछ चालाक लोग इस आन्दोलन की दिशा बदल कर तोड़ भी सकते हैं।
- (3) इसीलिये दिल्ली कांग्रेस के नेता श्री नरसिंह दास ने ला. रामनारायण चौधरी को 9.7.38 को पत्र लिखा जिसमें बताया, "मैंने श्री जयनारायण व्यास को अलवर भेजा है। अलवर के कार्यकर्ता यह गलती दोहरा रहे हैं कि वे राजा को सहयोग दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने दूसरे राजा के लिये उत्तराधिकार के मामले में काम किया था। कांग्रेस और प्रजामंडल के दोनों ही कार्यकर्ता महाराज तेजसिंह का जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं। वे गिरफ्तारियाँ इसी कारण से हुई हैं। कृपया अपने प्रभाव का उत्तरदायी सरकार की राज्य में स्थापना के लिये आम जनता से जुड़ें। मुझे लगता है पं. हरनारायण इस नीति के लिये जिम्मेदार है।"

पं. लक्ष्मण स्थृत्य एक साध्य और प्रगतिशील विचार भारा का व्यक्ति है। पर मेरी सन्दर्भ में नहीं आता कि यह वयों दूसरों के पोछे चलता रहा है। ग्रिपाठी की पत्नी को आर्द्धक सहयोग, जब तक वह जेल में रहें, देने का प्रयत्न करें।"

यह पत्र कांग्रेस की स्थिति के बारे में यड़ा महत्वपूर्ण है और आन्दोलन की भाँती जानकारी देता है। यह कांग्रेस के य उसके नेतृत्व की मनोदशा तथा उनके राजा से बाद में बन गये सम्बन्धों की ओर भी संकेत देता है। शायद यही कारण है कि जो लोग यड़े जोश खोश के साथ कांग्रेस के द्वारा आन्दोलन में उतरे थे और उनसे बड़ी आशायें थीं, वे शायद जेल से बाहर आने के बाद उन्हें सक्रिय नहीं रहे। ये विखर गये। खास तौर से ग्रिपाठी जो तो धीरे धीरे अलवर की राजनीति से निराश होकर बाहर ही चले गये, व्यांकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने हरिपुर अधिकेशन में सन् 1937 में ही यह निर्णय ले लिया था कि देशी राज्यों में कांग्रेस की इकाइयाँ अपने अधीन स्थापित न कर उनके यहाँ काम करने की पूरी जिम्मेदारी अ. भा. देशी राज्य प्रजा परिषद पर छोड़ दी जाय। इसके अन्तर्गत मा. भोलानाथ के राजनीति में आ जाने पर अलवर में भी जयपुर जोधपुर भरतपुर आदि के साथ साथ ही अलवर राज्य प्रजामंडल स्थापित करने की गतिविधियाँ चलती रही। उधर प्रजामंडल के साथ साथ कांग्रेस भी काम करती रही। सन् 1938-39 का एक समय वह रहा था, जब दोनों ही संगठन बराबर से काम करते रहे। दोनों के संचालन अलग अलग केन्द्रों से होते थे। कांग्रेस का संगठन दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों के संचालन में चलता था और प्रजामंडल का देशी राज्य प्रजापरिषद के नेतृत्व व मार्गदर्शन में। यह भी मजेदार बात है कि दोनों ही संगठनों से कुछ व्यक्ति एक साथ जुड़े हुये थे। दोनों के पदाधिकारी अवश्य अलग थे। इस बारे में अधिक जानकारी मास्टर भोलानाथ जी के लेख महात्मा गांधी और अलवर से प्राप्त की जा सकती है। जो इसी पुस्तक में छापा गया है। कांग्रेस के निर्माण की यह प्रक्रिया चल ही रही थी और एक प्रकार से वह पूरी तरह सही रूप में एक व्यवस्थित व प्रभावी क्रियाशील संगठन के रूप में बन पाया था कि उसके कार्यों में दिलचस्पी लेने के लिये आगे आने वालों को किसी न किसी रूप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता था, कभी महाराजा जयसिंह समर्थक होने पर तो कभी उत्तराधिकार के मामले में अपनी आवाज रखने के कारण। अलवर में राजा तेजसिंह की सरकार ने अन्य देशी राजा और उनके अंग्रेज शासकों के द्वारा प्रजामंडलों के मामलें में तब क्या नीति अपनाई हुई उसका एक अच्छा और रोचक विवरण पूज्य महात्मा गांधी ने अपने एक लेख Kicks & Kisses में दिया है जो उन्होंने 31.1.39 को बारोली से लिखा और जो उनके 31.2.1939 के हरिजन में छापा गया उसका अलवर से सम्बन्धित अंश निम्न प्रकार है-

"The question of Praja Mandals was then discussed. In this connection H.H. the Maharaja of Bikaner, Sir Kailashnarin Haksar, R.B. Pt. Amar Nath Atal of Jaipur, Pt. Dharamnarain of Udaipur and Major Harvey of Alwar made valuable contributions to the discussions. Mr. Robertson of Bundi and Mr. McGregor of Sirohi also asked a few questions. Mr. Atal narrated at great length the origin and growth of the Praja Mandal at Jaipur. It was evident that

the founders and promoters of these Praja Mandals were disgruntled subjects and dismissed petty officials of the State. A note of caution and warning was sounded. It was agreed that they should be watched very carefully and their activities, however slight or extensive, should be fully reported. It was stated that these Praja Mandals should be crushed immediately and that they should not be allowed to gather strength or to attain the status of an influential body. If they had gained any, an effort should be made to direct adroitly their activities into social channels such as the Sarda Act, etc."

बापू द्वारा नरेन्द्र मंडल की बम्बई भीटिंग के निर्णय का यह जो अंश दिया गया है, वह इन संगठनों के रास्तों की विकट स्थिति की कहानी की एक साफ तस्वीर देता है। यही कारण था कि प्रजामंडल के नेताओं ने अलवर राज्य प्रजामंडल को रजिस्टर्ड कराने में कितना संघर्ष और पापड़ घेलने का काम किया। महाराजा बीकानेर ने तो अपने साथी राजाओं और उनकी ओर से राज्यों का शासन चलाने वालों को तब कितना सारांगर्भित संदेश दिया था, जो बापू के उक्त सेख में इस शब्दावली में अंकित है "Be responsive, but no responsible government." H H. the Maharaja of Bikaner was emphatic in his policy towards the congress and his words can be crystallized the following mottos: Be just, but be firm; follow the policy of 'repression' and 'reconciliation' as stated in the famous letter of Lord Minto in 1908; 'the policy of kicks and kisses'."

उपर के उद्धरणों का पूरा अनुकाद देने की आवश्यकता नहीं समझते हुए हम पाठकों को यही बता देना पर्याप्त समझते हैं कि बम्बई में नरेन्द्र मंडल में राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी इकट्ठे हुये। उस समय प्रजामंडलों के मामलों में विचार किया गया। अलवर की ओर से राजा नहीं गये सिर्फ यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मि. हार्वे गये जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुशाव दिये। इन लोगों की धारणा थी कि प्रजामंडलों में राज्यों के कुछ असन्तुष्ट और राज्य सेवाओं से निकाले गये तुच्छ अधिकारी कर्मचारी हैं। ऐसे लोगों की गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक निगाह रखी जाय। चाहे उनके काम कितने छोटे और व्यापक हों। यह सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इन प्रजामंडलों को तत्काल कुचल दिया जाय और उन्हें शक्ति और प्रभाव बढ़ाने की छूट न दी जाय, ताकि वे इस योग्य बन जाय कि प्रजा उन्हें अपनाने लग जाय यदि वे ऐसा करे तो उन्हें उनकी गतिविधियों के मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर उन्हें शारदा एक्ट जैसी कानून की गतिविधियों की ओर मोड़ा जाय।

बीकानेर के राजा गंगासिंह ने तो यहाँ तक सलाह दी अपने राजाओं को राज्य की प्रजा की ओर ध्यान तो दो, पर उत्तरदायी सरकार देने की बात मत करो। उन्होंने अपनी बात के बारे में एक बात बहुत ही भजेदार कही कि हमारी यह नीति होनी चाहिये कि, न्यायप्रिय यनों, मजबूत रहे, और दमन और मेल-मिलाप के रास्ते पर चलो। उन्होंने लार्ड मिंटो के एक पत्र के इन शब्दों को दुहराया कि हमें लात मारो और चूम लो की नीति का अनुसरण करते हुये चलना चाहिये।

गंधीजी ने राजाओं और उनके सलाहकार दीवानों की नीति का सारांश अन्त में इस प्रकार दिया- (1) राज्यों के लिए युप पुलिस (2) प्रजामंडलों को तत्काल कुचल दिया जाय

(3) प्रजा के उचित अभाय अभियोगों का निराकरण हो (4) याहरी आन्दोलनकारी ही ठहरों के साथ कठोरता से वर्ताव करो और उन्हें याहर फैक दो (5) सामाजिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दो, पर राजनीतिक गतिविधियों को नहीं (6) राज्य की प्रजा की सही सलाहकार समितियों को घटावा, (7) मेल मिलाप और दमन की नीति, न्याय प्रिय यन्म, किन्तु फठोर भी।

प्रजामंडल, प्रजापरिषद आदि के यारे में राजाओं की सरकारों की ऐसी ही नीति थी। इसका सही मूल्यांकन गांधी जी से ज्यादा कौन कर सकता था। उन जैसे व्यक्ति के द्वाएँ राजाओं को अपनी प्रजा और उनके संगठनों के यारे में ऐसा आचरण यह सिद्ध करता है राजाओं ने अपने राज्यों में क्या किया? उनके राज्यों में अन्य राज्यों में क्या हुआ वह तो दूर की बात होगी- हमारे राजपूताने की रियासतों में कितने सागरमल गोपा जिन्दा जलाये गये, कितने रमेश स्वामियों को शहादतें हुई यह क्या किसी से छिपा है?

श्री जयनारायण व्यास का पत्र: आत्मधात के विरुद्ध चेतावनी

श्री जयनारायण व्यास ने एक पत्र बलबन्त भाई को दिनांक 10 जुलाई 1938 को लिखकर बताया-

“मैं दिल्ली अलवर के मित्रों के सहमोग के लिये गया था। सत्यनारायण वकील तैयार नहीं हुये। व्यारे लाल शर्मा (पूर्व शिक्षा मंत्री संसुक्ष प्रांत सरकार 1937) और दिल्ली के कुछ मित्र मुकदमें लड़ने आये।

बचाव समिति निम्न प्रकार बनायी गयी-

(1) सेठ केदारनाथ गोयनका, (2) श्री आनन्द राज सुराणा(कोपाध्यक्ष) और (3) श्री कृष्ण नैव्यर महामंत्री, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और (4) श्री रामनारायण चौधरी, सम्पादक नवज्योति अजमेर -कनवीनर

इसके लिये एक मीटिंग हुई जिसमें वहिन सत्यवती, दुर्गाभाई बोहरा, श्री बाबूल सिंह, श्री नरसिंह दास, श्री बृजकिशोर चांदी वाला तथा कुछ और साथी हैं। सम्मिलन: ऐसे सहयोगी या साथी जो नाम जाहिर करना नहीं चाहते थे, को और से मौके पर 500 रु. इकट्ठे हुये, जो भेजे जा रहे हैं। अलवर की राजाशाही ने कुछ व्यक्तियों को नियोजित कर लिया है जो इस आंदोलन को आत्मधात (संवोटाज) कर रहे हैं। हमें (इनसे) निपटना होगा।”

श्री जयनारायण व्यास ने 10 जुलाई 1938 को ही एक प्रेस कॉर्नेस की जिसमें उन्होंने जो बयान दिया वह अलवर के तत्कालीन कांग्रेस संगठन के भीतरी धात पर अच्छा प्रकाश डालता है उन्होंने कहा, “मेरी जानकारी में यह बात आई है कि डॉ. सुमेर चन्द जैन स्वयं-भू अपने को अलवर राज कांग्रेस का महामंत्री बताता है और उसने एक आम सभा करके प्रजामंडल और कांग्रेस की गिरफतारियों को डिनाउन्स (भर्त्सना) किया है, जबकि यह कांग्रेस का मंत्री चुना ही नहीं गया। पं. हरनारायण शर्मा कांग्रेस के महामंत्री हैं। डॉ. कांग्रेस के पदाधिकारी बने थे पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और दूसरे व्यक्ति उनकी जगह पदाधिकारी बने। मैं जानता हूँ कि कौनसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय ध्वज और रिकॉर्ड कांग्रेस ऑफिस से हटाया

(दरसअल तो कांग्रेस ऑफिस को आग लगायी गयी थी) किंतु उनकी चाल सफल नहीं हुई, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी की साहसिकता के कारण। और राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस ऑफिस पर फहरा रहा है।

श्री जयनारायण व्यास ने श्री नरसिंह दास को एक पत्र 14 जुलाई 38 को लिखा उसके आधार पर 10-7-38 को सभी बंदी भूख हड़ताल पर थे। बकीलों को अनुमति (मिलने व पैरवी करने की) नहीं दी गई। हर दूसरे दिन मुकदमे की सुनवाई होती थी। इतवार को मिलनी हुई। पत्र व्यवहार पर सेंसर तार पर भी सेंसर। श्री रामनारायण बकील हिसार से बकालत के लिये आ रहे हैं। उन्होंने बकालत के लिये अपलाई (आवेदन) किया है। दिल्ली के मित्रों को कहें श्री बहलसिंह, वर्मा जी, पंडित प्यारे लाल शर्मा को अलवर भेजें। व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री (राज्य के प्राइममिनिस्टर) को कहें कि, 'बयान-कार्यवाही को होने दें।'

तारीख 7 जुलाई 38 को श्री जमनालाल बजाज ने एक पत्र प्रधानमंत्री को आंदोलन की पूरी जानकारी पर श्रीमती सुशीला देवी के पत्र दिनांक 17-8-38 पर सुनाई पर ध्यान देने देने को लिखा। (समाचार नेशनल काल)

व्यास जी का अलवर आगमन और निर्वासन

तारीख 17-7-38 को श्री जयनारायण व्यास अलवर के हालात की जानकारी लेने के लिये आये। उन्हें रेलवे स्टेशन से ही बाहर चलें जाने को कह दिया गया। उनके आने के दूसरे दिन 18 जुलाई तक श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी का बजन 32 पौँड घट गया। सरकार द्वारा उन्हें जवरन खाना खिलाया। इसी दिन 29 जून 1938 को फीस विरोधी आंदोलन में गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में निर्णय हुआ, जिसमें 14 से 28 जून के बीच हुई आम सभाओं को ही सिडीशस एक्ट में माना गया।

I सन्दर्भ सूत्र

सी. आई. डी. रपट 1938 पेज 167 के अनुसार राजपर्व कॉलेज की विनय में प्रकाशित लेख पर रोक पढ़ने-छापने की लगाते हुए, उसकी कापियाँ जब्त की गई जिसमें भारत की गरीबी-लेख भूषण प्रसाद जैन तथा भूख हड़ताल-लेख रामनारायण अवस्थी छात्र कक्षा XII का लेख छापे गये थे।

- II राजपर्व कॉलेज पुस्तकालय में रेड- (सी. आई. डी. डायरी 17-5-38)
- III अलवर राज्य प्रजामंडल उद्देश्य और कार्यक्रम (पुलिस डायरी 17.5.38)
- IV 26 मई 1938 की प्रजामंडल की जो सभा हुई, जिसमें प्रजामंडल को अ. भा. देशी लोक राज्य परिषद से सम्बद्ध करने का निर्णय लिया गया, उनकी रिपोर्ट सी. आई. डी. ने की।
- V प्रो. जो. एस. जैमन के आपत्ति जनक लेख जो विनय में छापे गये पर सुलतान सिंह होम मिनिस्टर ने मेजर प्रायर को 2.6.38 को पत्र लिखकर प्रो. जैमन को मात्र चेतावनी देने की सिफारिश की।

- VI नेहस्जी, गांधीजी की जीवनी आदि के संवाध में जिन पुस्तकों द्वा मैगजीनों में लेख थे, उन्हें कॉलेज पुस्तकालय में न रखकर महाराज तेज सिंह के निजी पुस्तकालय विभाग मंदिर में भेज दिये जाने का सुझाव दिया।
- VII राजगढ़ में प्रजामंडल की शाखा 4-6-38 को खोली गयी,
- VIII फ्लैक्टर अलवर श्री रघुवीर सिंह ने 15-6-38 को एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा जिसमें उन्होंने यह जानकारी दी गई कि छात्रों के फीस विरोधी आंदोलन की पूरी तैयारियों के लिये कांग्रेस जुट गई है। इस सिलसिले में 14.6.1938 को कंपनी वाग में लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा, इन्द्र सिंह आजाद, शिवचरण आदि ने एक सभा पौर्ण माफी के लिये की, जिससे लगता है कि इस वर्ष स्कूल खुलते ही कुछ हो कर रहे। कृपया ध्यान दें, 14.6.38 की हुई मीटिंग की रपट 21.6.38 को हिन्दुस्तान टाइम्स में ढूपी थी।

अलवर कलेक्टर को प्रधान मंत्री की ओर से निर्देशित किया गया कि, जो 19.6.38 को मीटिंग होगी, यदि तीन बार ऐसा करें तो चालान करें। इसी समय गुप्तचर विभाग ने सरकार को रपट दी कि स्वामी नरसिंह राव व श्री जयनारायण व्यास अलवर आयेंगे। इसे परे प्रधानमंत्री की ओर से जिसमे पुलिस को आदेश दिये गये कि वे यहाँ 19.6.38 की सभा के लिये आये उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से राज्य निर्वासित करने का घारण थमा दिया जाय। मीटिंग हुई पर वे नहीं आये। 21.6.38 को नत्य सिंह, इन्द्र सिंह भार्गव, बनवारी लाल, शिवचरण भार्गव, पं. हरनारायण शर्मा, लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी ने सभायें की। इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के पर्वास सबूत हैं (सी. आई. रिपोर्ट 22.6.38)।

22 जून से 28 जून 38 को शहर के हर गली मौहल्ले में सभायें हुईं। सी. आई. डी. ने इसकी अपनी रिपोर्ट में पूरी जानकारियाँ दी।

प्रजामंडल के मंत्री पंडित हरनारायण शर्मा के बारे में कुछ टिप्पणियाँ-

ये राजाशाही समर्थक भाने जाते थे। हिन्दू विचार धारा के प्रौढ़क व स्वभाव से अक्षय और गर्म मिजाज थे और हमेशा ही लटु हाथ में रखने के कारण इन्हें जनता ने लटुभार की उपाधि दे रखी थी। इन्होंने एक तार तेजसिंह को दिया को "हम महाराजा साहब का स्वागत करना चाहते हैं, महाराज कुमार के जन्म दिवस पर। अतः हमें मुलाकात की अनुमति दी जाय।"

प्रजामंडल का प्रतिनिधि मंडल 26 जून 38 को महाराज से नहीं मिल पाया क्योंकि अनुमति नहीं दी गयी। ब्लिंक आई. जी. पुलिस ने 24.6.38 को निर्देश रिपोर्ट दी की इन 6 व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जावें। साथ ही सुशीला देवी त्रिपाठी के खिलाफ भी कार्यवाही किये जाने की हिदायत दी।

इस प्रकार जैसा कि व्यास जी ने अपने ऊपर दिये पत्र में लिखा था अलवर के आंदोलन में आपसी भत्तभेद व रसाकशी थी। उनमें किसी प्रकार का तालमेल भी नहीं था। यह बात सही है कि ये भत्तभेदों के बावजूद आंदोलन में कूट पड़ते थे और जेल भी जाते थे।

सन् 1938 से 1941 तक कांग्रेस सदस्यों की संख्या

सन् 1938 में, जबकि कांग्रेस कई आन्दोलनों व संघर्षों से गुजर रही थी, तब उसकी कुल सदस्य संख्या मात्र 71 थी, जिसमें सरदार नाथसिंह, काजी शैफुद्दीन, पं. हरनारायण शर्मा, डॉ. सुमेर चन्द जैन, श्री लच्छीराम सौदागर, पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, पं. रामचन्द्र उपाध्याय, श्री रामकिशोर उर्फ जयशिव, श्री गोपीकृष्ण, पं. नाथूराम भारद्वाज, मा. राधा चरण गुप्ता टप्पलवाले, श्री शिवचरण लाल भार्गव, श्रीमती सुशीला देवी त्रिपाठी, श्री इन्द्रसिंह आजाद, श्री सम्पत्तराम सोमवंशी, श्री रूपकिशोर, श्री नाथसिंह, श्री रवीन्द्र नाथ चौबे, (बाटा शू कम्पनी)

यह भी एक कटु सत्य है कि कांग्रेस के इस शुरुआती दौर में इतनी कम संख्या होते हुए भी, उसकी कार्यकारिणी के सदस्यों में एक बार तो 11 में से 8 सी. आई. डी. के आदमी मर गए थे। यह तब हुआ जब प्रमुख सक्रिय लोग जेल में थे।

सन् 1939 में यह संख्या 46 रह गई जबकि 1940-41 में बढ़कर 398 हो गई। सन् 1939 से कांग्रेस के स्थान पर अलवर राज्य प्रजामंडल अस्तित्व में आ गया, इसलिये कांग्रेस की सदस्य संख्या कम हो गई और 40-41 में वह पूरी तरह प्रजामंडल में बदल गई।

सन् 1939 का घटना-क्रम

सन् 1939 का साल कांग्रेस और प्रजामंडल दोनों की दृष्टि से काफी महत्व का साल था। कांग्रेस के इस समय तक पिछले छात्र विरोधी आन्दोलनों तथा स्व. महाराज जयसिंह की मृत्यु के बाद के अलवर की गदी के उत्तराधिकार के मामले में जो प्रतिरोधात्मक कार्यवाहियाँ चली उनके कारण बहुत से उत्साही नवयुवक कांग्रेस से जुड़े। इसी काल में तब के कांग्रेसी नेता पं. सालगराम के पुत्र श्री रामचन्द्र उपाध्याय अपना अध्ययन बनारस में पूरा कर अलवर में आये और अपने पिता के पदचिन्हों पर कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल हो गये। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, श्री कृपादेयाल माथुर आदि भी अपनी पढ़ाई पूरी कर यहाँ आकर बकालत करने लगे। इस तरह वकीलों का कांग्रेस में प्रवेश होने लग गया। पं. लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी और मा. भोलानाथ, पं. वृजनारायणचार्य की भाँति राज सेवा से त्याग पत्र देकर राजनीति में सक्रिय हो गये। ये शुरू से ही प्रजामंडल की स्थापना के लिये विशेष प्रयत्नशील रहे। इस तरह इसका साल (1938) से 1940-41 तक यहाँ पर आजादी के लिए काम करने वाले, कांग्रेसी और प्रजामंडल दोनों में ही कहीं समानान्तर तो कहीं एक ही छत्री तले काम करते रहे।

आइए, अब सन् 1938 की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर ढाल लें-

(1) कांग्रेस कार्यालय की स्थापना

दिनांक 4.1.39 को अलवर राज्य कांग्रेस कमेटी का दफ्तर खोला गया। यह दफ्तर मुश्ती बाजार में मुसम्मात तंशी एवं फूलबाई देवी यख्तावर से 2 रु. मासिक किराये पर मा. भोलानाथ के नाम से लिया गया। इस समय कांग्रेस के अध्येता मौ. अब्दुल गफ्कार जमाली, मंत्री श्री राधाचरण गुप्ता, कोपाध्यक्ष श्री नथूराम मोदी, मा. भोलानाथ कार्यकारणी सदस्य थे।

ता. 23.1.39 को श्री मोहन सिंह सेंगर, सम्पादक, अग्रसर हिन्दी सासाहिक प्रिण्टिंगों से श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के यहाँ आकर रहे, श्री जमनालाल बजाज की जयपुर में हुई गिरफ्तारी के विरोध में आयोजित सत्याग्रह, जो 1.2.1939 से होना था, में सहयोग और तैयारी के लिये आये थे। उन्होंने अलवर के श्री जमाली, मा. भोलानाथ, गुरु बृजनारायण आचार्य से जयपुर सत्याग्रह के लिये सहयोग का प्रस्ताव किया जिस पर इन लोगों ने सहानुभूति तो दिखाईं पर जयपुर जाकर भाग लेने में अपनी विवशता बताई।

दिनांक 21 जनवरी 1939 को मी. अब्दुल गफ्फार जमाली, मा. भोलानाथ, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी, श्री राधाचरण गुप्त, श्री गंगाराम हलवाई, पं. गोपी कृष्ण आदि स्वतन्त्रता दिवस मनाने के लिये कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुये और शहर के बाजारों और गलियों में झड़ा लेकर प्रभात-फेरी निकाली।

श्री जमना लाल बजाज का स्टेशन पर स्वागत

दिनांक 1, जनवरी 1939 को दिल्ली से जयपुर थ्रीअप से गुजरने पर अलवर स्टेशन पर 300 व्यक्ति जिनमें 200 छात्र थे, उनका स्वागत करने के लिये पहुँचे, जिनमें जमाली जी, मा. भोलानाथ, राधाचरण जी, सम्पत्तराम जी, पं. गोपीकृष्ण, श्रीमती सुशीला देवी, पं. सालाराम नाजिम, श्री नव्वूराम मोदी, श्री लक्ष्मीराम सौदागर आदि फूलमालायें व गुलदस्ते लिये हुये, इनकलाव जिन्दाबाद। भारतमाता की जय, महात्मा गांधी की जय, पं. नेहरू की जय, नारे लगाते रहे। रेल के आने पर बजाज साहब, प्लेटफार्म पर खड़े हुये। सभी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में इतना ही कहा “हमारी मांग हैं, अंग्रेजों को राज्यों में मत भेजो। और सरकार से मत टकराओ। राजकोट व जयपुर की स्थिति देखकर आगे चढ़ो।”

श्री बजाज का राजगढ़ स्टेशन पर स्वागत

अलवर से आगे चलकर राजगढ़ स्टेशन पर श्री जमना लाल बजाज का स्वागत 150 व्यक्तियों ने किया। यहाँ उन्हें खादी भंडार से लाई गई खादी की माला पहनाई गई। श्री बजाज से श्री कर्नेया लाल पंड्या ने श्री लालराम सेठ, श्री रामेश्वर दयाल महाजन, श्री निरंजन लाल प्रधान आदि का परिचय कराया।

बजाज को जयपुर में गिरफ्तार कर अलवर छोड़ना

श्री जमना लाल बजाज को फरवरी 1939 में शुरू हुये सत्याग्रह के सिलसिले में जयपुर में गिरफ्तार कर उन्हें एस.आई. भौतेलाल एक कार में बैठाकर अलवर के जंगलों में छोड़ने के लिये लाया। युद्ध लोगों का घायल है, वह उन्हें दिल्ली सेकर जा रहा था। अलवर प्रजासंघल के युद्ध पुराने गांधियों का कहना है कि श्री बजाज यों गिरफ्तारी कर उन्हें घाया घाँटोल तक राने की छायर जय अलवर के कांग्रेस यार्लों को हांगी तो ये इस प्रकार गिरफ्तार कर अलवर रोडों में छोड़ने का विरोध करने के लिये घायलार्जी होते हुये घाया घाँटोल पटुंये। ये सभी छायर नेता य घायलर्जी थे जिनमें जर्व श्री रामेश्वर भारतीय, कर्णाल राहम, गुरुदयाल माधुर, महानंद प्रधान त्रै, रामगण्य पाटक, छोटू मिं, रामशीलाल राम राजगढ़, विजय मिंह भारतीय भर्ती दुला थे। इन लोगों ने उन्हिंना अधिकारी का मंहथ कर यह विरोध जताया कि

सेठ जी को अलवर क्षेत्र में यांचों छोड़ा। इस विरोध के कारण पुलिस वाले उन्हें वापिस जयपुर ले गये। इस तरह हम देखते हैं कि जयपुर के आन्दोलन में जय कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं दिया वही यहाँ छात्रों ने बजाज साहब के अलवर में निर्वासित किये जाने का विरोध किया।

राजर्पि कॉलेज के छात्रों को हड़ताल व राजा का घेराव

जयपुर प्राजमंडल के आन्दोलन के सिलसिले में सेठ जमना लाल बजाज को गिरफ्तार कर अलवर की सीमा में न छोड़ने देने की कामयादी तथा वहाँ के प्रजामंडल के समर्थन व राज्य सरकार के दमन के विरोध में राजर्पि कॉलेज के छात्रों ने 8 फरवरी को हड़ताल की। इस हड़ताल का संचालन पूरी तरह क्रांतिकारी छात्र कर रहे थे। इस सिलसिले में 12 फरवरी की सी.आई.डी.रपट यतायी है कि राजर्पि कॉलेज के छात्रों की भीटिंग अभी हुई है। प्रिंसिपल छात्रों की भीटिंग, शनिवार को जस्टर-जस्टर करें अन्यथा, 13 फरवरी को छात्र विद्रोह (विस्फोट) करेंगे। यह ता. 8 फरवरी 1939 की घटना की पुनरावृत्ति होगी। छात्र नेताओं में 29 विशेष सक्रिय हैं जिनमें यूजिकिशोर, रथामलाल रामस्वरूप, रामनारायण सिंह, सत्यभान स्वरूप, कृष्ण चन्द्र, विजय सिंह अनावड़ा। श्री अनावड़ा बाद में 1977 में बांदीकुई व पूर्व में 1967 में गैगानगर से विधायक बने। इनके साथ ही यनवारी लाल शर्मा आदि हैं। इन छात्रों को मा. राधाचरण, मा. भोतानाथ, कुंजविहारी लाल मोदी, अब्दुल गफ्फार जमाली आदि कांग्रेसियों का वरदहस्त है। प्रिंसीपल ने छात्र यूनियन को बैठक नहीं बुलाई। अतः छात्रों का 13 फरवरी को सत्याग्रह कॉलेज गेट पर हुआ। जब महाराजा तेजसिंह उधर से गुजरे, उन्होंने कार निकाली, छात्रों ने उन्हें देखा और घेराव कर लिया। महाराज ने छात्रों की बात सुनी। कॉलेज की 12वीं कक्षा के छात्र महेश चन्द्र ने कहा कि ता. 8 को छात्रों पर जो जुर्माना किया गया है, उसे वापिस लिया जाय। महाराजा ने कहा तुम अपना, प्रतिवेदन शिक्षा मंत्री को दो, तभी कार्यवाही होगी। इसकी खबर पाने पर बाद में शिक्षा मंत्री ठा. मुलतान सिंह गृहमंत्री आये। उन्होंने कहा, पहले छात्र अपनी कक्षाओं में जायें। वे वहाँ आधा घंटे तक रुके रहे। छात्रों की हाजिरी ली गई। इस पर भी 55 छात्र अनुपस्थित रहे। यह स्मरण रहे उस समय कॉलेज की कुल छात्र संख्या में यह अच्छी गिनती थी। प्रिंसीपल साहब ने अपना संयत भाषण देकर छात्रों को संयत किया और राज्य सरकार से टकराने से अलग रहने की सलाह दी। बाद में वह जुर्माना माफ कर दिया गया।

दिनांक 25 फरवरी 39 को श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के पास एक पत्र जयपुर आन्दोलन के लिए धन भेजने के बारे में आया। साथ ही आदमी भी भेजने को कहा गया। उनको लिखे पत्र को दिखाकर मा. राधाचरण चन्दा इकट्ठा करने लगे। धन और जन भेजे गये या नहीं पता नहीं चला।

‘इसी बीच अंजुमने इस्लाम को रजिस्टर्ड कराने हेतु अब्दुल अजीज, अब्दुल गफूर आदि 10 व्यक्तियों ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। यह राजनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण घटना थी।

दिनांक 5 मार्च 1939 को मोदी कुंजविहारी लाल ने एक हैंडबिल छपवा कर बाँटा कि कांग्रेस के रजिस्ट्रेशन के लिये शर्तों की वाध्यता गलत है। इस बाबत श्रीमती सुशीला त्रिपाठी के घर पर एक भीटिंग हुई जिसमें श्री जमाली, श्री मोदी कुंजविहारी लाल, नथूराम जी मोदी, मा. राधाचरण जी, द्वारका प्रसाद गुसा आदि ने भाग लिया।

मीटिंग के बाद छात्र नेता छारका प्रसाद झंडा लेकर शहर में होते हुये पुरजन विहार दफ्तर गये। इसके बाद 13 मार्च 39 को श्रीमती त्रिपाठी व श्री राधाचरण ने त्रिपोलिया में एक इरिताहा चिपकाया कि श्री लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी, श्री इन्द्र सिंह आजाद की जेल से छूटने की तारीख आ रही है। इन राष्ट्र भक्तों का स्वागत करो। स्वागतार्थ 15 रुपये का चंदा भी मिला है। तदनुसार 16 मार्च को इन नेताओं की रिहाई हुई और घोषणानुसार 17 मार्च को उनका स्वागत किया गया। गांधी जी के अलवर होते हुये जाते समय स्वागत के लिये भीड़..

कांग्रेस जनों की ओर से अलवर की जनता से अपील की गई कि महात्मा गांधी 14 मार्च 1939 की फोरडाउन ट्रेन से अलवर होते हुये जायेंगे। अतः जनता उनका स्वागत करने के लिये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे। इस हेतु कांग्रेस जन झंडे लेकर लगभग 1500 आदिमियों को लेकर गये जिनमें 150 छात्र थे। कुछ राज्य कर्मचारी व पुलिस वाले भी पहुँचे। ट्रेन आने के साथ ही कांग्रेस जन बड़े उत्साह के साथ नारे लगाने लगे। पर अफसोस कि महात्मा जी इस ट्रेन से नहीं आये। स्वागतार्थ और भीड़ के साथ छात्र नेता बनवारी लाल व सम्पत राम सोमवंशी भी थे जो एक-एक साल की जेल के दौरान अच्छे आचरण की जमानत पर पावन्द होते हुये भी शामिल थे। उस समय इनी पाबन्दियों और सरकार की कड़ी निगरानियों के बावजूद गांधी जी के दर्शन पाकर धन्य होना हर आदमी की कामना थी। रात को टू डाउन ट्रेन पर भी गांधी जी को देखने के लिए लोग गये। पर महात्मा जी 15 मार्च 1939 को श्री अप ट्रेन से आये। इस अवसर पर सी.आई.डी. के एक पूर्व कर्मचारी ने फ्लैग सैल्यूट रेलवे स्टेशन पर दिया। बाहर नारे लग रहे थे, गांधी जी जिन्दावाद, भारतमाता की जय आदि। गांधी जी के निजी सचिव ने बाहर आकर उन्हें जागाने से भना कर दिया, यह कहकर कि बापू सो रहे हैं, वे बहुत थके हुये हैं। पर पं. सालिगाराम नाजिम, मा. भोलानाथ, अब्दुल गफकार जमाली, श्रीमती सुशीला त्रिपाठी आदि तेजी से धक्का-मुक्की कर डिव्वे में धूस गये। उन्होंने सोये हुये महात्मा जी के चरणों में फूल भालायें और गुलदस्ते चढ़ाकर उन्हें प्रणाम किया। उनके निजी सचिव ने विश्वास दिलाया कि तीसरे दिन 18 मार्च को अपनी वापिसी यात्रा पर श्री अप से अते समय बापू आप सब लोगों से मिलेंगे। गांधी जी के दर्शनार्थ आने वालों में प्रभुख लोग थे- नथासिंह, गौरी चरण गुप्त यजाज, मिश्री लाल (श्री इन्द्र सिंह के भाई), गंगा दीन मोदी, प्रभुदयाल मोदी (अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री) गंगा सहाय तेली, गंगा राम हलवाई, हीरालाल यादव, छात्र बनवारी लाल, हजारी लाल जैन, दुलीचन्द, गिरंज छात्र, जिनके साथ छात्र संघ व छात्रावासों के विद्यार्थी थे, गांधी जी के दर्शनार्थ आये। यह ध्यान रहे श्री प्रभुदयाल मोदी का गांधी जी के दर्शनार्थ आना इसलिये महत्वपूर्ण था कि ये इसी समय हाल में बने चैम्बर आफ़ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष बने थे। ऐसी संस्थाओं के पदाधिकारियों का सरकार की नियाह में गलत कामों में भाग लेना, उन दिनों कितनी जोखिम का काम था।

नगरपालिका के चुनाव और कांग्रेस

अलवर नगर पालिका के चुनाव 17.7.39 को होने लगे थे। इस बारे में चुनावी रणनीति तथा फसने के लिये 14 मई फों कांग्रेस को एक मीटिंग हुई जिसमें पं. हरनारायण शर्मा लट्टमार श्री नम्भमिंह, मोदी कुंजपिटारी लाल, श्री जमाली, मा. गोपीकृष्ण, मा. भोलानाथ, गंगाराम हलवाई

आदि ने भाग लिया। वाद विचार कांग्रेस ने चुनावों का अहिंस्कार करने का निर्णय लिया। यह इसलिये कि सरकार ने पालिका के कुल 10 वार्ड चुनाकर यह कहा कि अमुक वार्ड से हिन्दू उम्मीदवार लड़ेगा और अमुक से मुसलमान। कांग्रेस ने इस प्रकार के विभाजन को घातक माना। पर वाद में पता नहीं, कांग्रेस के ही लोगों ने यह होते हुये चुनाव लड़ा। वार्ड नं. 3 से पं. रामचन्द्र उपाध्याय, वार्ड नं. 9 (तीज की मौहल्ला) से जमाली, वार्ड नं. 4 से नत्थूराम मोदी व एक अन्य वार्ड से मोदी कुंजविहारी लाल चुनाव लड़े और जीते। इन चुनावों में कांग्रेसी उम्मीदवार श्री नत्थूराम मोदी के मुकाबले में श्री शोभाराम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे हारे। यह स्मरण रहे ये ही वा. शोभाराम महात्मा गांधी द्वारा 21 दिनों की भूख-हड़ताल के समर्थन में 13 दिनों की भूख-हड़ताल कर प्रजामंडल में आये और उसके एक छत्र नेता वन कर वाद में राजस्थान के 4 बड़ों में माने गये।

चुनाव सम्पन्न होने पर उपाध्याक्ष पद के लिये चुनाव हुये। अध्यक्ष के चुनाव नहीं कराकर राज्यसरकार इस पद पर अपनी ओर से मनोनयन करती थी। उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार छाड़ा किया जो श्री चिरंजीलाल पूर्व मुंसिफ के मुकाबले में हारा।

वाद में मोदी नत्थूराम के पालिका की सदस्यता से इस्तीफा देने पर चुनाव हुये और शोभाराम जी ने चुनाव लड़ा और वे विजयी हुये।

जमाली रिश्वत के मामले में फँसे

नगरपालिका के सदस्य श्री अब्दुल गफ्कार जमाली को 100 रुपये की रिश्वत, एक कार्निवाल कम्पनी से लेते हुये पुलिस ने रंगे हाथों 21.12.1939 को पकड़ा। यद्यपि श्री जमाली ने इसका विरोध किया और जांच की मांग की। वे गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। उनके साथ ही तीन व्यक्ति भी थे इस मामले में पर वे फरार हो गये। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मुसलमान समुदाय की एक भीटिंग हुई और एक पर्चा विरोध करते हुए बाँटा गया, सत्याग्रह की धमकी दी गई। शायद इसी बात से डरकर सरकार ने उन्हें छोड़ दिया। पर इसके बाद वे प्रजामंडल व कांग्रेस की ओर नहीं मुड़े और राजनीति से दूर हो गये।

श्री जमाली ने वाद में यहाँ पर हो रहे हिन्दू मुसलमान दंगों और झगड़ों के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट लिखी जो 'जमाली रिपोर्ट' के नाम से भशहर है। उसमें मुसलमानों के साथ नौकरियों आदि में भेदभाव घरते जाने तथा उनके साथ होने वाले अत्याचारों, दमन आदि के अनेक मामले दिये। रिपोर्ट छापी गई। इसके बाद वे मुसलमान नेता के रूप में कुछ समय सक्रिय रहे।

यहाँ एक घटना का जिक्र कर इस लेख को समाप्त करना चाहेंगे। सन् 1937 में राज्य प्रशासन ने श्री इन्द्रसिंह आजाद को उनकी स्मष्टवादिता एवं निङरता पूर्ण जूझारू प्रवृत्ति के कारण जय दयाल नामक व्यक्ति के इस्तगासे के आधार पर आई. पी. सी. की धारा 336व 488 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में मामले में समझौता हुआ श्री आजाद को बाइजत वरी कर दिया गया। ●

अलवर राज्य प्रजामंडल की संघर्ष गाथा

□ हरिनारायण तेज़ी

अलवर प्रजामंडल को विधिवत मान्यता 1 अगस्त 1940 के स्तरकार के रिजस्ट्रेशन के फैलने के बाद निन गई। प्रजामंडल को इस दौरान दूसरे विवर मुद्दे में अंग्रेजों की मदद के लिए राज्य सरकार की वारफ़ार वसूली की जौर जबरदस्ती की कार्यकाहिंचों का मुकाबला कर पड़ा। इन विरोध के कारण कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रजामंडल के नेतृ भौतानाथ और पं. हरिनारायण शर्मा भी इस सिलालिले में गिरफ्तार किये गये। इसी काल में नगरपालिका के दूनरे चुनाव 1941 में हुये। सन् 1941 में ही कम्नी बाग में प्रतिष्ठ द्वारा ग्रटगंगी हुई। यहाँगढ़ में जागीर भाफो काङ्केस, खादी भंडार की स्थापना, घहते नौदी नदीजूलन जौ के खादी भंडार के स्वयं में हुईं इन सब घातों को हम विस्तार से चर्चा न कर यही कहा जाएंगे कि इसके लिए जानकारी चाहने वाले सा. भौतानाथ जी का लेख पढ़ें, जो इसी पुस्तक में 'गंभी जी और अलवर' शीर्षक से धारा गया है। इस काल में जन 1942 के भारत दोषी आन्दोलन के दौरान अलवर के घाजों को उसके समर्थन में विश्वाल हड्डताल और यही के प्रांतिकारी घाजों द्वारा अंग्रेजी शासन और उसके प्रतोक डाकखानों-रेल पटरियों को जलाने-उद्धारने की घोषणायें याद रखें। इन घाजों ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरूआत ले गन् 1939 में गो पर दो थीं। और यही घारन है कि इन लोगों ने श्री जमना साल घजान की अलवर में घोटने पा यिहेथ कर कामयामी हासिल की।

एवं आन्दोलनके एवं यही पो क्रांतिकारी गतिविधियों के सूप्रथार नेताओं में सर्व श्री मरातीर प्रसाद तेज़, हीरालाल भारतीय यथर्जीताल यर्मा थे। एवं नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में कुछ अन्य महानी भी इस प्रकार की गतिविधियों से जुड़े हुये थे, जिनमें सर्व श्री पृष्ठ चन्द्र चंद्रमदाम, हाराज उमाद युग, शर्मिद थे। युग रूप से ही ये लोग अलग गुणों में अन्तरी-

काम को इतने समर्पित थे कि इन्होंने अपने घर से जेवरात की जोरी कर कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता को हथियार तथा वम बनाने की सामग्री लाने को उसे दे दिया। पर नेताजी ने उन्हें सामान न लाकर सारा माल घम्पत कर अलवर से ही बाहर चले गये।

इन क्रांतिकारी छात्रों ने ही गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं की घम्बई में 8 अगस्त के कांग्रेस के भारत छोड़े आन्दोलन के कारण गिरफ्तारी के विरोध में राजदूत कॉलेज व स्कूलों की हड़ताल कराई, जबकि प्रजामंडल के नेताओं ने कोई आन्दोलन नहीं किया। इन छात्रों ने ही बापू के सन्देश ‘करो या मरो’ के जवाब में अपनी समझ के अनुसार डाकखाने आदि जलाने, रेल पटरियाँ उखाड़ने, टेलीफोन, टेलीग्राम के तार काटने आदि की योजनायें बनाई। इन्हें इसमें आने वाली दीवालों के दिन कुछ डाकखानों में विस्कोट सामग्री रखकर जलाने में सफलता मिली। इस कार्यवाही में तीन साथी गिरफ्तार हुए सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय और चिरंजी लाल वर्मा। इन पर मुकदमे चलाने पर ये जेल गये। श्री चिरंजीलाल वर्मा अपनी आगरा में पढ़ाई छोड़कर अलवर में आकर इनके साथ हो गये थे और आग लगाने में शामिल हुए। श्री वर्मा श्री शोभाराम के छोटे भाई हैं। आप अपने यशस्वी भाई से भी पहले कांग्रेस की गतिविधियों में कूद पड़े थे।

क्रांतिकारी साथियों में से काफी सुवक कांग्रेस और प्रजामंडल से जुड़कर काम करने लगे। धीरे-धीरे उनकी समझ में आ गया कि भाव कुछ आतंकवादी और तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों से स्वाधीनता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए पूरे देश की जनता को एक संगठन से जोड़कर ही वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

प्रजामंडल में श्री महावीर प्रसाद जैन, कृष्ण चंद्र खंडेलाल, छोटू सिंह आदि नवयुवक तो छात्र संघर्षों एवं क्रांतिकारी गतिविधियों के रास्ते आये ही, इनके अलावा संगठन में बाहर से शिक्षा प्राप्तकर आने वाले श्री रामचन्द्र उपाध्याय, श्री कृपादयाल माथुर, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता आदि भी सक्रियता से उनके साथ जुड़ गये। ये लोग चूंकि पेशे से वकील थे, इसलिए संगठन को काफी प्रतिष्ठा दिलाने वाले सिद्ध हुये। पर यह विडम्बना ही कही जायगी कि जहाँ संगठन में नये लोग आ रहे थे, वहाँ पुराने संघर्षशील व्यक्ति धीरे-धीरे उससे दूर होते चले गये। इनमें सबसे पहले पं. लक्ष्मण स्वंरूप त्रिपाठी थे, जो अलवर छोड़कर बाहर चले गये। बाहर जाकर वे पहले पत्रकारिता एवं लेखन कार्य में लगे और बाद में शिक्षा क्षेत्र में सेवारत रहकर सदैव के लिए यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य से ओझल हो गये। इसी प्रकार कुछ समय के लिये श्री इन्द्रसिंह आजाद भी दिल्ली जाकर अपने बहनोई श्री दीनानाथ दिनेश के साथ काम करने लगे। यह दूसरों बात है कि वे थोड़े समय बाद ही अलवर आकर निजी तौर पर काम करने लगे। वे हरिजन स्कूलों में शिक्षण कार्य में भी कुछ समय के लिए लगे, पर संगठन में उन्हें जिम्मेदारी का कोई काम नहीं मिला। हाँ वे आगे जब प्रजामंडल का आन्दोलन या संघर्ष हुआ उसमें पूरी शक्ति से लगे और जेल भी गये। इसी प्रकार श्री मोदी कुंजबिहारी लाल भी अपनी पत्रकारिता एवं प्रेस के धन्ये में लगकर संगठन से दूर होते गये। वे भी प्रजामंडल के आन्दोलनों आदि में आजाद की ही तरह सक्रिय हो जाते थे। उनके प्रजामंडल नेताओं से अक्सर सम्बन्ध अच्छे नहीं रहते थे, अतः उनकी उनसे पर्टी नहीं बैठती थी।

कांग्रेस और प्रजामंडल के कुछ नेता, पं. हरनायण शर्मा, मोदी नत्यूणम्, श्री लक्ष्मणराव द्वांडलवाल, श्री भावनी सहाय शर्मा, आदि संस्था में यने रहे और अपने दंग से सक्रिय भी होते गये। सन् 1942 के आनंदोलन के बाद प्रजामंडल में एक साध यहुत से साधियों का प्रवेश हुआ। इनमें सर्व श्री लाला काशीराम, दयाराम गुप्ता, मायाराम चालोनी आदि प्रमुख हैं। श्री शोभाराम ने 1943 में महात्मा गांधी छाता पूना के आगा यां पैसेस में 21 दिनों की भूष्ट हड्डाल करने पर स्वयं 13 दिनों की भूष्ट हड्डाल पर चैठे और उसके बाद प्रजामंडल में शामिल हो गये। उनके आने के थोड़े दिनों बाद ही श्री रामजीलाल भी यहाँ आकर यस गये। इसी प्रकार कुछ और साथी भी अधिकतर बाहर से आकर कांग्रेस में शामिल होकर अलग-अलग मोर्चों पर काम करने लगे। प्रजामंडल के इस विवरण को हम संक्षेप में रखते हुये यहाँ कहना चाहेंगे पाठक आगे की घटनाओं के साथ इस काल की घटनाओं का विवरण अन्यत्र देख सकते हैं। इसके लिये मा. भोलानाथ जी का लेख काफी जानकारी देगा, यासतौर से प्रजामंडल को स्थापना, कांग्रेस दफ्तर के ताला तोड़ने का मामला, अलवर की खादी प्रदर्शनी, राजगढ़ की जागीर माफी कांग्रेस जादि के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। कुछ बातें, इसी लेख के अगले भाग में विस्तार दी गई हैं यहाँ उन्हें दोहराना उचित नहीं होगा।

प्रजामण्डल का नया नेतृत्व :

अलवर राज्य में स्थानीय प्रजामण्डल के नेतृत्व में राजनीतिक गतिविधियों का सिलसिला मही रूप में सन् 1943 के साल से एक निश्चित उद्देश्य और लक्ष्य की लेकर तब चला, जब संस्था के नेतृत्व की बागडोर सर्व श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, लाला काशीराम, फूलचन्द गोटडिया आदि नये आने वाले उत्साही एवं कर्मठ लोगों के हाथ में आ गई। मा. भोलानाथ यथापि सन् 1938-39 से ही प्रजामण्डल से जुड़ गए थे, पर वे संस्था को अलवर शहर और प्रजामण्डल से आगे बढ़ाने में कामयाव नहीं हो पाये। उनका जोर संस्था को बाहर के नेताओं से सम्बन्ध रख, चलाते रहने का था।

सन् 1943 में श्री रामजीलाल अग्रवाल कानपुर, इन्दौर आदि स्थानों में अपने अध्ययन के दौरान छात्र आनंदोलनों तथा भजदूर संगठनों में काम करने का पूरा अनुभव लेकर अलवर में आकर रहने लगे। यहाँ आते ही उन्होंने यहाँ के नवयुवकों एवं छात्रों से सम्पर्क कर प्रजामण्डल से जोड़ना शुरू किया। श्री शोभाराम यथापि प्रजामण्डल में श्री अग्रवाल के आने से पूर्व ही आ गये थे और नगर पालिका के सदस्य भी बन गये थे, पर उन्हें काम करने वाली सही टीम नहीं मिल पाई थी। श्री शोभाराम ने 1942 के अंतिम दिनों में श्री रामचन्द्र उपाध्याय एवं श्री कृपादयाल माधुर के साथ निर्णय किया कि वे भविष्य में बकालत नहीं करेंगे। यही साल यह था जब लाला काशीराम भी अलवर में अपना स्लेट का धन्धा शुरू करने के उद्देश्य से अलवर में, महावर प्रेस के सामने लाला चिरंजीलाल टेकेदार का मकान जिराये पर लेकर रहने लगे। वे धूंकि दिल्ली से यहाँ आये थे और वहाँ पर ही दिल्ली के स्कूल व कालेज में शिक्षा ली थी, अतः यहाँ पर राजनीतिक तौर पर वे प्रजामण्डल से और जातीय तौर पर महावर समाज की गतिविधियों से जुड़े चले गए। महावरप्रेस की स्थापना तथा यहाँ से महावर नवजोवन नामक मासिक पत्र की चलवाने में उनका योगदान सर्वोपरि था। श्री रामकुमार राम ने यह कार्य उनके सहयोग से किया था।

श्री रामजीलाल अग्रवाल की प्रजामण्डल में सक्रियता के साथ ही उसकी गतिविधियाँ जहाँ अलवर शहर में युवकों और छात्रों में तेज होने लगी थी वहाँ वे श्री शोभाराम, श्री रामचन्द्र उपाध्याय, पं. हरिनारायण शर्मा, श्री भोलानाथ मास्टर के साथ गांवों की ओर चल पड़े और जगह-जगह पर धूम-धूम कर स्थानीय कमेटियों का गठन करने लगे। इन गतिविधियों के मार्फत उन्होंने शहर के नवमुवकों में सर्व श्री फूलचन्द गोठड़िया, दयाराम गुप्ता, हरिनारायण सैनी, नारायण दत्त गुप्ता, शादीलाल गुप्ता, चन्दगीलाल गुप्ता आदि को संस्था की गतिविधियों से जोड़ा।

श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल की सक्रियता को देखकर वे प्रजामण्डल के अध्यक्ष व मंत्री बना दिये गये। इन नए साधियों से पूर्व प्रजामण्डल में सर्व श्री रामचन्द्र उपाध्याय, लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, कृपादयाल माथुर, मा. भोलानाथ, कुंज विहारीलाल मोदी, इन्द्रसिंह आजाद, पं. हरिनारायण शर्मा लट्ठमार, मोदी नन्थराम, सालिगाराम नाजिम, महावीर प्रसाद जैन, पं. भवानीसहाय आदि अपने अपने ढंग से संस्था से जुड़े हुए थे। यह स्मरण रहे, इनकी सक्रियता जहाँ अपने अपने ढंग से काफी सराहनीय एवं महत्वपूर्ण थी, वह संगठन के तौर पर प्रायः असम्बद्ध एवं छुट्टुपट गतिविधियों तक ही सीमित थी। जैसे श्री मोदी कुंजविहारी लाल अपने सामाजिक अखबार अलवर पत्रिका व जातीय पत्र खण्डेलवाल जगत के मुद्रण प्रकाशन में अति व्यस्त थे, श्री इन्द्रसिंह आजाद व नन्थराम मोदी हरिजनों आदि के शिक्षा कार्यों में अधिक समय देते थे।

श्री रामजीलाल अग्रवाल के साथ उनके एक अनन्य साथी श्री मायाराम बालोनी थे जो कानपुर में उनसे दो कक्षा पीछे पढ़ते थे, वे वहाँ पर श्री रामजीलाल अग्रवाल की देखेख और संरक्षण में अध्ययन करते थे। भूलतः वे टिहरी गढ़वाल के रहने वाले थे। जब श्री रामजीलाल अग्रवाल अलवर आ गए तो वे अपनी इण्टरमीडियेट परीक्षा सनातन धर्म कालेज कानपुर से पास कर अलवर आ गए। अलवर में उन्हें प्रजामण्डल का कार्यालय सचिव लगा दिया गया। वे श्री रामजीलाल अग्रवाल के परिवार में एक सदस्य के रूप में रहते थे। उन दिनों श्री अग्रवाल अलवर के टोली का कुआ मोहल्ला में डॉ. गंगाबख्श जी के मकान में किराये पर रहते थे। इस मकान में उनके साथ श्री फूलचन्द गोठड़िया भी अपने रामगढ़ कस्बे को छोड़कर वहाँ पर रहने लगे। श्री अग्रवाल का मकान एक प्रकार से साधियों का एक संयुक्त परिवार (कम्यून) था। इसका लगभग पूरा खर्च श्री अग्रवाल ही उठाते थे। यहाँ पर इनके परिवारों की स्थियाँ भी अपने पतियों की भाँति मिल-जुल कर रहती थीं। श्री रामजीलाल अग्रवाल, उनके छोटे भाई श्री सूर्यप्रकाश, श्री फूलचन्द गोठड़िया, श्री हरसहाय विजय आदि भी रहते थे। ये लोग तो शादीशुदा थे, और श्री मायाराम भी इन परिवारों के साथ रहते थे जो सन् 1948 तक अविवाहित थे। बाद में उनका विवाह मत्स्य संघ में भरतपुर के कोटे से बने मंत्री श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी की बेटी इन्दिरा से हुआ। श्री मायाराम, श्री शोभाराम के मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनने पर उनके निजी सचिव के पद पर सत्कारी सेवा में लगा दिये गये और मत्स्य संघ के बृहद राजस्थान में विलिनीकरण पर राजस्थान राज्य सेवा में आ गए। बाद में उन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास कर ली। इस सेवा में कार्य करते हुए प्रोमोटी कोटे से आई.ए.एस. बने और कई जिलों में जिलाधीश तथा कई महकमों में निदेशक आदि पदों पर कार्य करते हुये एक प्रतिष्ठित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त

हुए। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इन्दिरा मायाराम शुरू से ही युवा कांग्रेस में सक्रिय रही और पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए राजस्थान विधान सभा की सदस्य भी सन् 1993 में चुनी गई। श्री मायाराम ने अलवर का एक गजेटियर भी काफी त्रैयार किया।

श्री रामजीलाल अग्रवाल तथा उनके साथियों की यह दैनिक दिनचर्या का अंग था कि वे सभी साथी प्रातः 8-9 बजे अपने घर से नहा थोकर प्रजामण्डल के द्वाजा वाजार स्थित कार्यालय में आ जाते थे और अपने-अपने काव्यों में लग जाते थे। जिन्हें बाहर जाना होता था, वे गांवों के दौरें पर निकल जाते थे। उन दिनों गांवों पर दौरें के लिये जाने का मतलब था, दो-तीन दिनों के लिए शहर से बाहर जाना जो अति कठिन कार्य था। आने जाने के साथन इन्हें नहीं थे कि घंटे-दो घण्टे में जिले के किसी भी दूर से दूर के अंचल में पहुंचा जा सके और देर तक अपना कार्य कर वापिस लौट कर आया जा सके। ऊट गाड़ियों या तांगों से ही जाया जा सकता था, जिनमें अलवर से रामगढ़ जैसी जगहों पर पहुंचने में ही आधा दिन लग जाता था। दोपहर पहले चले हुये लोग शाम तक पहुंच पाते थे। वहाँ पर लोगों से सम्पर्क करते शाम ही जाती अतः वहों अपने मिलने वालों के घर खाते पीते और रात को विश्राम कर दूसरे दिन सम्पर्क के लिए निकल पड़ते थे। 5-7 गांवों में सम्पर्क करने पर 2-4 दिन लग जाना मामूली बात थी।

यह स्मरणीय है कि श्री शोभाराम भी श्री रामजीलाल अग्रवाल के पांस ही टोली का कुआ पर अपने परिवार के पुश्टैनी मकान में रहते थे। श्री शोभाराम भी इन साथियों के साथ-साथ अपने घर से प्रजामण्डल के दफ्तर तक आपस में राजनीतिक मामलों में बहसें करते हुए आते थे। इन बहसों में कभी कभी बड़ी तेज आवाज में चर्चायें होती जिन्हें बाजार में बैठे दुकानदार बड़ी दिलचस्पी और उत्सुकता से सुनते। वहसों के विषय होते थे- कम्युनिस्टों ने द्वितीय महायुद्ध को लोक युद्ध क्यों कहा? सन् 1942 का आंदोलन कितना अनुचित कितना उचित था। भारत को आजादी गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से मिलेगी या भगतसिंह जैसे क्रान्तिकारियों की सशस्त्र लड़ाई के द्वारा या कम्युनिस्टों की गुरिल्ला युद्ध तकनीक से।

श्री रामजीलाल अग्रवाल को श्री शोभाराम आदि के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। वे उन दिनों पूरी तरह कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से बड़े-बड़े नेताओं से उनकी निजी मित्रता और सम्पर्क थे। इनमें कामरेड एस. जी. संरदेसाई, कॉ. पी. सी. जौशी, कॉ. के. एम. अशरफ, अब्दुल हैं आदि प्रमुख थे। वे पार्टी के मेम्बर भी थे- गुप्त रूप से। क्योंकि सन् 1942 के भारत छोड़े आन्दोलन के मामले में कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। श्री अग्रवाल धीरे-धीरे प्रजामण्डल में रहते हुए पूरे कांग्रेसी घन कर रह गए और उनका एक प्रकार से 3-4 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी से कोई सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं रह गया।

श्री रामजीलाल अग्रवाल को हम उस समय को प्रजामण्डल के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में इसलिए जोर देकर बाद करना चाहते हैं कि श्री शोभाराम को राजनीतिक गतिविधियों की ओर भूरी तरह प्रवृत्त करने वालों में वे सबसे ऊपर थे। वे रोजाना कोई न कोई नया कार्यक्रम यानकार लाते जो प्रजामण्डल को जनता के बीच से जाने के लिए बड़े उपयोगी होते थे। श्री शोभाराम जो अपनी यकालत छोड़ कर पूरी तरह राजनीति में कूद पड़े थे, उनके लिए भी

प्रजामण्डल को आगे बढ़ाना अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया था। श्री रामजीलाल अग्रवाल अनुभव और अपनी लान व काम के प्रति जुनूनी जोश के कारण ऐसे साधक के रूप में उभर कर आगे आये जिसे न पहनने की सुध थी न खाने की।

अलवर प्रजामण्डल ने जागीर माफी जुलमों के विरुद्ध जनता को लामबद्ध करने को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु बना कर अपनी राजनीतिक समझदारी का परिचय दिया। इसके साथ ही प्रजामण्डल ने व्यापारी एवं दूकानदार वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिये राज्य सरकार के कस्टम टैक्स, तम्बाखू आदि के उत्पादन कर, बारफण्ड की वसूली में जो जोर जवरदस्ती हो रही थी उसको भी अपने राजनीतिक कार्यक्रमों का अंग बना कर संस्था को जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले संगठन का रूप दिया। उस समय प्रजामण्डल के कार्यालय में राज्य के विभिन्न अंचलों से इसी प्रकार की शिकायतें दुःख तकलीफों की फरियाद लेकर लोग आते थे कि अमुक गांव में तहसीलदार कानूनगो तथा अन्य अधिकारी दूकानदारों को अपने कार्यालय में बुलाकर बड़ी-बड़ी धनराशियाँ अंग्रेजों की मदद करने के लिये बारफण्ड में देने के लिए मजबूर कर रहे थे। छोटे छोटे व्यापारियों को भी इस वसूली से बख्ता नहीं जाता था। जो थोड़ी भी आनाकानी करता उसकी सरे आम वेइज़ित करना, उस पर तरह-तरह के इल्जाम लगाकर परेशान करना उन दिनों की आम बात थी। राज-राजा का, राजा के अधिकारी अपने आपको बिल्कुल निरंकुश मानकर मनमानी हरकतें करने से बाज नहीं आते थे। बारफण्ड न देने वालों को थानों तक में बैठा कर देर रात छोड़ना, तहसीलदार के कार्यालयों में बैठा लेना तो आम बात थी। उन व्यापारियों को तो दबोचना और कसना बहुत सरल था, जो युद्ध के जमाने में कट्टोल का कपड़ा, चीमी, कैरोसीन, चावल, आदि का धंधा करते थे और जिन्हें राज्य में बाहर से उन बस्तुओं को लाने के लिए राज्य की ओर से लाइसेंस आदि दे रखे थे।

प्रजामण्डल के नेताओं का गांवों के साधियों को जाकर सक्रिय करने का यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि सन् 1943 में रामगढ़ कस्बे में एक घटना हो गई। वहाँ के थानेदार अविनाश जोशी ने किसी मामले में लालूराम कुम्हार नाम के एक व्यक्ति से 30 रुपये की रिक्षत लेली। वहाँ पर प्रजामण्डल की एक शाखा पहले ही कार्यरत थी जिसकी स्थापना में स्व. इन्द्रलाल मित्तल ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। श्री हरलाल मित्तल जो श्री फूलचन्द गोठड़िया के अंतरंग साथी थे, वे श्री मित्तल के रिशेदार थे, उन्होंने की प्रेरणा से श्री हरलाल मित्तल प्रजामण्डल में आये थे। बाद में वे रामगढ़ प्रजामण्डल के काफी समय तक अध्यक्ष रहे।

यह रिक्षत का मामला प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के सामने आया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामले को गंभीर मानते हुए फटाफट एक भोपू लेकर पूरे बाजार में इसका प्रचार किया और एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया। कार्यकर्ताओं में थानेदार द्वारा एक गरीब आदमी से इस प्रकार बड़ी रिक्षत लेने पर भारी रोपथा। अतः तत्काल काफी भीड़ जमा हो गई जो थानेदार के खिलाफ नारेबाजी करती हुई पूरे बाजार तथा कस्बे के मोहल्लों में घूम गई। अन्त में प्रदर्शनकारी एक स्थान पर इकट्ठे होकर आम सभा करने लगे, जिसमें वकारों के काफी जोशीले भाषण हुये। उस जमाने में पूरे रामगढ़ कस्बे में वह पहली घटना थी-कार्यकर्ताओं और जनता के लिए तथा राज्य के निरंकुश युलिस अधिकारियों और युलिस कर्मचारियों के लिए भी, जिनके सामने किसी

की जुबान तक नहीं खुलती थी, यद्दिक तथा तो आम परों की स्थियाँ अपने बच्चों को "सिपाही आ गया," कह कर चुप कराया करती थी।

प्रजामण्डल के साहसी कार्यकर्त्ताओं की इस कार्यवाही का यह असर हुआ कि थानेदार अपने कार्यालय के पिट्ठवाड़े से चुपचाप निकल कर अलवर भाग आया। दूसरे दिन जनता पर रौब गालिय करने तथा आतंकित करने के लिये पुलिस का एक दल मय राइफलों व हथियारों के 15-20 जवानों के साथ रामगढ़ पहुँचा। इस दल ने मय हथियारों के प्रभुत्व वाजारों में गत लगाई ताकि लोग यह समझें कि सरकार की कितनी ताकत है और अगर किसी ने आगे से ऐसा किया तो उसे हथियारों से भून दिया जायेगा।

पुलिस की इस कार्यवाही का यही असर हुआ जो सरकारी अधिकारियों का मकसद था। लोग बुरी तरह भयभीत हो गए और सोचने लगे, पता नहीं थे सिपाही किसको अपनी गोलियों का निशाना बनायेंगे और किसे पकड़ कर जेल में डालकर परेशान करेंगे। जनता को इस प्रकार भयभीत और आतंकित देखकर प्रजामण्डल के साधियों ने इसके असर को कम करने के लिए एक मीटिंग अपने कार्यकर्त्ताओं की, की और एक आम सभा करने का फैसला किया। सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया गया और प्रजामण्डल का झण्डा फहरा कर आम सभा की जो पहले से काफी बड़ी थी। वक्ताओं ने बड़े जोर-शोर से भाषण दिये। सरकारी अधिकारियों और पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। मीटिंग की सफलता का जनता पर अच्छा असर पड़ा, क्योंकि उसकी आशंकाएँ सभी निर्मूल सिद्ध हुईं।

इस घटना के 2-3 दिनों बाद अलवर से रतन सिंह नामक एस. पी. रामगढ़ पहुँचा। उसने प्रजामण्डल के पदाधिकारियों को बुलाया और थानेदार के रिश्तत वाले भासले में बयान लिए। श्री फूलचन्द गोठड़िया और हरलाल मित्तल आदि ने थानेदार के खिलाफ लिखित में ज्ञापन दिया और बयान दिये। जाँच व पूछताछ में पुलिस अधीक्षक ने सारी बातें सही खाई जिसको देखते हुए वह थानेदार को मुअत्तिली के आदेश दे गया। थानेदार ने चुपचाप रिक्षत के 30 रुपये लालूराम कुम्हर के पास भिजवा दिये। यह प्रजामण्डल वालों की राजनैतिक और नैतिक विजय थी। इससे पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्त्ताओं में भारी जोश आ गया और काम करने के लिए उनके हौसले बुलन्द हो गये और जनता में भी भारी प्रभाव पड़ा।

इससे प्रभावित होकर प्रजामण्डल की टीम तहसील के आसपास के गांवों में जाकर सदस्य बनाने के कार्य में तेजी से जुट गई। गाँव के लोगों में यह बात जादू का सा प्रभाव डाल गई कि प्रजामण्डल वाले इतने बहादुर और निंदर हैं कि वे पुलिस वालों से ली गई रिश्त भी उगलवा लेते हैं। अतः बड़े उत्साह से लोग प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ता बनाकर आजादी के सिपाही बनने लगे। योड़े ही दिनों में अलावड़ा, नौगांवा, मुबारिकपुर आदि कस्तों में प्रजामण्डल की स्थानीय कमेटियाँ बन गईं। लोग अपनी समस्याओं के लिये प्रजामण्डल के बड़े नेताओं को खुलाने के लिए आग्रह करने लगे। कस्तों के दुकानदार तथा अन्य लोग यारफण्ड की बसूली तथा छीनी, फैरोसीन, सूतों कफड़े आदि जो कफ्ट्रोल से मिलते थे और अधिकारी इस प्रकार की सामग्री देने में भारी रिश्त लेते थे तथा जिसे चाहते उसे परमिट देते थे, इन परेशानियों को लेकर प्रजामण्डल की सभाएँ करवाने के लिए आते थे। वे समझते थे प्रजामण्डल वाले रिश्ताएँ

अफसरों के काले कारनामों की खोल खोलेंगे और उन्हें जरूरत का सामान मिलेगा। प्रजामण्डल उन दिनों सामन्तशाही जुल्मों और अफसर शाही के अन्यायों और अत्याचारों से जनता को राहत दिलाने का एक सशक्त संगठन बनता जा रहा था।

जागीरदारों के जुल्मों और किसानों की लूट पर अंकुश लगाने के लिए किसान जनता भी प्रजामण्डल की ओर देखने लग गई थी।

इस घटना के कुछ समय बाद राज्य भर में प्रजामण्डल का व्यापक जनाधार बढ़ाने व कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने के लिए एक दिन श्री रामजी लाल अग्रवाल व श्री कृपादयाल माधुर के भतीजे श्री कैलाश नारायण माधुर रामगढ़ पहुँचे। वे वहाँ पर शाम को देर से पहुँचे थे, अतः देर हो जाने के कारण दोनों ही रात को वहाँ ठहरे जहाँ उन्होंने प्रजामण्डल के सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को एकत्रित कर रात को देर तक एक लम्बी मीटिंग की और तत्कालीन राजनीति तथा संगठन सम्बन्धी बातों की जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को दी। वे उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रातः जल्दी उठ कर सर्व श्री फूलचन्द गोठड़िया, हरलाल मितल साराचन्द जैन, नन्द किशोर शर्मा आदि कार्य कर्ताओं को लेकर कस्बे के गांवों में पहुँचे। जब ये लोग एक गाँव में पहुँचे तो वहाँ के एक मेव ने कार्यकर्ताओं से कलेवा-पानी (नाश्ता) की बात की तो सभी उसके घर की राबड़ी खाने को तैयार हो गये, जबकि वह तो उन्हें किसी हिन्दू या उच्च जाति के आदमी के यहाँ से कुछ सामान मंगवा कर उन्हें कलेवा करने की कह रहा था; पर ये सारे ही साथी उसी के घर की राबड़ी खाने के लिए तैयार हो गये। वह संकोच कर रहा था और ये आग्रह कर रहे थे। उस समय किसी हिन्दू का उसमें भी ब्राह्मणों और बनियों के नवयुवकों को इस तरह एक मुसलमान या अन्य छोटी जाति के घर की कच्ची रसोई आदि ग्रहण करने का प्रश्न ही नहीं था। इन सभी साधियों ने राबड़ी और मिस्सी रोटी तथा कैरी के अचार के साथ कलेवा किया, पूरा छक कर खाया। सभी को उसके घर का यह भोजन बड़ा रुचिकर लगा। भगव इस मजेदार भोजन या भारी नाश्ते की बात एक कान से दूसरे कान होती हुई उस गाँव के हिन्दू-मुसलमान सभी घरों के लिए तो एक कौतुहल के साथ चर्चा का विषय तो बनी ही, वह कस्वा रामगढ़ में एक गर्म खबर (Hot-news) बन गई। लोगों की जुवान पर एक ही बाक्य तैर रहा था- “पंडित गोठड़िया को छोरो (अर्थात् पं. नानग राम गोठड़िया जो काफी इज्जतदार व समानित ब्राह्मण थे और पंडिताई के लिए प्रसिद्ध भी) मेवन की राबड़ी खा आये। और दोपहर की रोटी भी उन्होंने के घर खा आयो।” इन साधियों ने यह भोजन आदि बया कर लिया मानो धर्म विरोधी बड़ा पाप कर लिया। श्री फूलचन्द गोठड़िया बताते हैं कि उनके खिलाफ रामगढ़ कस्बे के सीताराम जी के मंदिर के सामने गांव तथा आसपास के ब्राह्मणों की पंचायत जुड़ी। “बारी” के द्वारा बुलाव दिये जाने पर विरादरी के लगभग सभी लोग उस पंचायत में आये। पर फूलचन्द नहीं आये। उनके न आने पर पंचायत में दो गुट हो गये। एक गुट कहता था कि फूलचन्द गोठड़िया ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरे गुट के लोग सीना तान और ताल टोक कर कह रहे थे कि यह बात सोलहों आन सच है, अगर गलत है तो दोषी खुद क्यों नहीं आता। गोठड़िया जो का जोरदार विरोध करने वाला में एक व्यक्ति सबसे मुख्य था, वह था श्री मोतीलाल उर्फ जिन्ना। इन्हें जिन्ना कुछ लोग इसलिए कहते थे कि वह कट्टर पंथी हिन्दू था।

और बड़ा अंडियल भी। इसलिए कस्बे के नये और प्रगतिशील युवक जो प्रायः सभी प्रजामण्डली थे वे इस हिन्दू सभाई कट्टर व्यक्ति को जिप्रा व्यंग रूप में कहते थे। वह नाम उनके साथ अन्त तक चला। वह तब भी और बाद में भी हमेशा ही गोठड़िया, कांग्रेस य कम्युनिस्टों का कट्टर विरोधी था। फूलचन्द जी को नीचा दिखाने और प्रजामण्डल की छवि खएव करने के लिए ही उसने कस्बे के द्वाह्यों को उकसाकर वह सभा करवाई थी।

इस मामले पर श्री फूलचन्द ने पूरी तरह मौन रहकर सभी को रान्त कर दिया। पंचायत दो गुटों में बैट जाने के कारण थोड़ी देर आपसी बहस के बाद समाप्त हो गई।

उधर श्री रामजीलाल अग्रवाल व श्री कैलाश नारायण माधुर कस्बे के आसपास के गाँवों में सम्पर्क कर अलवर आ गये। इस दौरान उन्होंने अलावड़ा, दौहली आदि गाँवों के लोगों से सम्पर्क किया। वे श्री फूलचन्द गोठड़िया को इसी दौरे के समय यह कह कर तैयार कर आये थे कि वे अब पूरी तरह रामगढ़ ढोड़ कर, अपना परिवार लेकर अलवर शहर में रहें और प्रजामण्डल का कार्य उनके साथ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में करें। जैसा कि ऊपर कहा गया है वे तभी से अलवर में श्री रामजीलाल अग्रवाल के साथ उनके टोली का कुओं बाला निवास स्थान पर रहने लगे।

श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल के पूरी तरह सक्रिय हो जाने पर अलवर राज्य प्रजामण्डल एक जीवन्त संगठन बन गया। राज्य भर से लोग अपनी समस्यायें लेकर संगठन के दफ्तर में आने लगे। वह चौंकि द्वितीय महायुद्ध के तेजी से एशिया, और यूरोप के देशों में फैलने के कारण, वह हमारे देश को भी पूरी तरह प्रभावित करने लगा था। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस पहले जर्मनी आदि देशों में जाकर भारत की आजादी के लिए वहाँ के बड़े नेताओं और सरकारों से सम्पर्क कर रहे थे, जिसमें उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। तब वे जापान आ गए और एशिया के पूर्वी-दक्षिणी देशों में रह कर भारत की आजादी के लिये वहाँ के भारतीयों सहित उन देशों के लोगों से सम्पर्क बना रहे थे। उन्होंने आजाद हिन्द फौज का संगठन भी शुरू कर दिया था, जिसकी खबरें सुन कर भारत के स्वतंत्रता प्रेमी युवकों में उत्साह व खुशी के भाव पूरी तरह भर रहे थे। हमारे जिले में भी नवयुवक इन खबरों से ये आशाएँ लागाने लग गये थे कि सुभाष बाबू विदेशों की मदद से भारत को अपनी सेवाओं के द्वारा आजाद करायेंगे। ऐसे ही समय में जहाँ देश में क्रान्तिकारियों की गतिविधियाँ भी चल रही थीं और लोकनायक जय प्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली आदि जो उन दिनों भूमिगत होकर देश भर में आजादी के दीवाने युवकों को प्रेरणा दे रहे थे, इन सब बातों का असर हमारे यहाँ के शहर और कस्बों के लोगों में तो हो ही रहा था, दूर दराज के गाँवों तक में इसकी हवा फैल रही थी। प्रजामण्डल के नेताओं को अपने देहात के दौरों में इस लहर का काफ़ी लाभ मिल रहा था और इसके साथ ही प्रजामण्डल के नेताओं ने जो कार्यक्रम अपने संगठनों को करते और गांवों की जनता के बीच से जाने के लिए अपना रखे थे उनमें विशेषतः बार फण्ड की ज्यादतियों का विरोध, बस्तुली में जो सरकारी अधिकारी जोर जवार्दस्ती करते थे, उनके विहळ स्थानीय और केन्द्रीय प्रजामण्डल के कार्यकर्ता और नेता स्तोगों की मदद कर रहे थे। वे अधिकारियों के काले कारनामों का भण्डा फोड़ते, प्रदर्शन करते और आम सभायें कर जनता को अन्याय का विरोध करने के लिये तैयार करते थे।

युद्ध के कारण कैरोसीन (मिट्टी का तेल) जो उस जमाने में हर घर की जरूरत की सबसे बड़ी संहयोगी वस्तु थी, क्योंकि उस समय अलवर शहर तक भी आंशिक क्षेत्रों में ही बिजली के लट्टूओं का प्रकाश पहुँचा था, तब रोशनी का वही एक साधन था जो नहीं मिलता था। चीनी और कपड़ा भी नहीं मिलते रहे थे क्योंकि ये वस्तुएँ युद्ध में मोर्चों पर लागी सेना के जवानों की आपूर्ति में लगी हुई थी। ये बहुत ही कम मात्रा में नागरिकों की जरूरतों के लिए कण्ट्रोल रेट पर मुहैया कराई जाती थी, जिसमें राज्य के अधिकारी बड़ी धांधली करते थे। इससे दुकानदार बड़े परेशान थे, आम नागरिक भी परेशान थे। बड़ी सिफारिशों पर कुछ गज कपड़ा, शादियों व अन्य कार्यों के लिये, चीनी एक भन मांगो तो 5-10 सेर ही परमिट द्वारा दी जाती थी। गरीबों के लिये उन दिनों नालीदार लोहे की चढ़दरें भी बड़ी आवश्यकता की वस्तु थी, तब जब कि किसी गांव में आग लग जाती थी और ऐसा होना उन दिनों आम बात थी, क्योंकि गाँव के गाँव और कस्बों के मोहल्ले के मोहल्लों में एकाध पक्के घरों को छोड़ कर शेष घर छान से ढंके होते थे, जिनमें गर्मी के दिनों में एक घर में गलती से लगी आग पूरे गाँव को पार उतार जाती थी।

ऐसे अभावों और परेशानियों के जीवन को युद्ध के अभावों ने और बेहाल कर दिया था। आज कल्पना मात्र की जा सकती है, पर उस समय प्रजामण्डल के नेताओं के लिए जनता के ये अभाव अभियोग और उनसे जुड़ी अनेक समस्यायें दुरी तरह तोड़ रही थीं। प्रजामण्डल के नेता सर्व श्री शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, मा. भोलानाथ, कृपादयाल माथुर, फूलचन्द गोठडिया, रामचन्द्र उपाध्याय आदि गांवों का बुलावा आते ही, गांवों में जा पहुँचते थे। जन समस्याओं के लिए आम सभाओं आदि के मार्फत संघर्ष किये जाते और इनके माध्यम से कस्बों और गांवों में प्रजामण्डल की स्थानीय खानाएँ खोली जाती थी जिनमें युक्त बड़ी संख्या में पूरे जोश के साथ जुड़ते थे और आजादी की भावना मन में लिये काम करते थे। उस समय किसी के भी मन में यह भाव तो आता ही नहीं था कि उनके कार्यों की बदौलत उन्हें कुर्सी मिलेगी या अपने आपको सम्पन्न बनाने का अवसर मिलेगा। उस समय तो कार्यकर्ताओं में कुछ करने और खोने का भाव था।

ऐसी लग्न और निष्ठा से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सेना, आजादी तथा जनाधिकारों के लिये लड़ने वालों की एक संगठित शक्ति अलवर के पूरे अंचल में हजारों कार्यकर्ताओं के रूप में उभर कर आगे आ रही थी। क्या अलवर शहर, राजगढ़, तिजारा, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, थानागांजी, बहरोड़ सभी तरफ एक तूफानी लहर सी उठती नजर आती थी।

जैसा कि हम ऊपर लिख चुके हैं अलवर के केन्द्रीय संगठन में जहाँ एक बड़ी टीम खड़ी हो गई थी, वहीं तहसील स्तर पर भी वहाँ के संगठनों को चलाने वालों की टीम पूरी तरह अपने काम को संभालने में लगी हुई थी।

तिजारा में बाबू शोभाराम जी के साथ बकालत छोड़ने वाले श्री कृपादयाल माथुर वहाँ जाकर बकालत करने लगे। वहाँ पर उनके इर्द गिर्द सर्व श्री लाला धासीराम, गोपाल शरण माथुर, मित्रसेन, सुआलाल जैन आदि प्रजामण्डल से जुड़ कर सक्रियता से काम करने लगे। ये लोग स्थानीय किसानों तथा व्यापारियों दुकानदारों तथा आम जन के मसलों को उठाते और उनके लिए कार्य करते थे। जब श्री शोभाराम आदि क्षेत्र का दौरा करने जाते, उनके साथ गाँव गाँव पहुँच

कर स्थानीय लोगों से परिषद्य फरता, उन्हें संगठन का सदस्य बनाते और गाँव का कस्बे की प्रजामण्डल की शाया ठोलते। तिजारा राहसील के मेव किसानों में छास तौर से भी कृषिदयाल माधुर के भारत सम्पर्क हुआ। मेवों में उन्हें उस समय श्री मौलवी इमारीम और श्री सुलेमान आदि काफी उत्तराही य पढ़े लिये यार्यकार्ता मिले जिन्हें मौलवी होने के कारण मेव यहाँ आदर देते थे।

राजगढ़ में तो शुरू से ही कांग्रेस के नाम पर काफी यहाँ संटाना में सोग जागरक थे। श्री भवानी राहाय शर्मा जो दिल्ली में काफी दिनों से क्रान्तिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे और कई मामलों में उन्हें सम्मीलान्नी सजावें भी सुनाई गई थी जेल से छूटने पर ये अमर उन्हें परिवार चालों तथा यहाँ के कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करने आया करते थे। वे अलवर राज्य प्रजामण्डल के उपाध्यक्ष भी थे। राजगढ़ कस्बे के ही श्री जी, एस. जैमन भी अपने छात्र दिनों में दिल्ली में कांग्रेस से जुड़े हुये थे। यहाँ के कई कार्यकर्ता आदी य ग्रामोद्योग य अन्य रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए थे। सन् 1942-43 से ही श्री रामस्वरूप गुप्ता उनके भाई श्री कर्णेया लाल गुप्ता, श्री रामजीलाल खादी भण्डार याते श्री रामशरण शर्मा आदि यहाँ पर प्रजामण्डल की गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने लगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं ने हरिजनों में शिक्षा प्रचार तथा छुआदूत की भावना की समाप्त करने के लिये हरिजनों के मोहल्लों में शिक्षा प्रचार का कार्य शुरू किया। श्री रामावतार मास्टर, हैपी स्कूल में कार्य करने से पहले राजगढ़ में और चाद में अलवर शहर के गंगा मन्दिर मोहल्ले में हरिजन पाठशालायें कांग्रेस के सहयोग से चलाते थे। राजगढ़ की सार्वजनिक लाइब्रेरी भी श्री जैमन आदि के प्रयासों से बनाई गई जिसके मूल प्रेरणा स्रोत राजगढ़ हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री रामजस राय थे।

यह याद रहे कि अलवर जिले में राजगढ़ हाई स्कूल सबसे पुराना स्कूल है जिसमें अलवर जिला कांग्रेस के नेता और अन्य राजनीतिक स्कूलों से जुड़े लोग पढ़े थे। इनमें सर्व श्री बाबू शोभाराम, पूर्व मंत्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, उमराव लाल एडवोकेट, प्रोफेसर जी. एस. जैमन जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय, पं. भवानी सहाय शर्मा आदि प्रमुख हैं।

साला काशीराम, जो अलवर राज्य के मांडण के पास घीलोट गांव के रहने वाले थे, वे यद्यपि अलवर में नहीं पढ़े थे, पर सन् 1941-42 से ही अलवर आने लगे थे। उनकी पूरी शिक्षा दिल्ली में हुई थी जहाँ उन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा पास की थी। वे अपनी दिल्ली की कपड़े की दुकान पर काम न कर कुण्ड और अटेली में स्टेट का कारखाना चलाते थे। इस लिए उनका अलवर में आना जाना रहता था। दिल्ली में ही उन्हें राष्ट्रीय गतिविधियों से लगाव हो गया था। अतः वे अलवर में आकर यहाँ शहर में ही स्लेट बनाने का काम करना चाहते थे। उन्होंने मन्त्री का बड़ा पर छोटा सा काम भी शुरू किया था, साथ ही जंगलात की लकड़ी काटने का टेके का काम भी करते थे। वे प्रजामण्डल की गतिविधियों में अवसर दिलचस्पी लेते थे और यहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं से पूरी तरह घुल मिल कर रहते-रहते स्वयं अपना निवास अलवर की बना कर प्रजामण्डल के सक्रिय सदस्य बने। उनके प्रजामण्डल में आने पर व्यापारी वर्ग में संस्था को समर्थन मिलने लगा। शुरू में लालाजी का सम्पर्क राज्य के बड़े-बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों से भी बड़ा सौहार्द पूर्ण रहता था। धीरे धीरे वे जैसे जैसे प्रजामण्डल

में सक्रिय होते गये, वे भी अन्य राजनेताओं की तरह सरकार और उच्चाधिकारियों के उतने ही कोप भाजन होते गये। लाला जी के आने से प्रजामण्डल वालों को दुकानदारों से आर्थिक सहायतायें भी मिलने लगी। लालाजी यहाँ के हरिजन सेवक संघ को अपनी पाठशालायें चलाने में पूरा सहयोग देते और दिलाते थे।

लालाजी गांधीजी के रचनात्मक कार्यों में अधिक विश्वास करते थे। वे मूलतः सुधारवादी विचारों के व्यक्ति थे। जब भी प्रजामण्डल के बड़े आंदोलन होते वे उनमें पूरी सक्रियता से भाग लेते थे। उनको देखकर जिले भर में दुकानदार और व्यापारी वर्ग के लोग भी प्रजामण्डल से जुड़ते चले गये। लाला प्रहलाद राय धातरिया, हजारीलाल गुस्ता, सियाराम, लाला गूजरमल गुस्ता, आदि ऐसे ही नाम हैं जो प्रजामण्डल संगठन में पूरी दिलचस्पी से कार्य करते थे।

यहाँ की केडल गंज मण्डी के लोगों में श्री प्रभुदयाल गुस्ता, मिश्री लाल, श्री प्रभुदयाल मोदी, श्री छोटूसिंह, उनके बड़े भाई श्री रामजीलाल आर्य, श्री श्योप्रसाद नेता, बर्फखाना परिवार के श्री शादीलाल, श्री चंदगीलाल, श्री रामदयाल हलवाई व श्री रामकुमार राम आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं जो लालाजी से प्रेरणा लेते थे।

थानागाजी में प्रजामण्डल का प्रवेश- खट्टे-मीठे अनुभव :

प्रजामण्डल के नेताओं ने राज्य के सभी अंचलों में संगठन को प्रसार देने के लिये अपना ध्यान थानागाजी क्षेत्र की ओर दिया। राजगढ़ की ही भाँति, यद्यपि इस अति पिछड़े अंचल से भी कुछ लोग अलवर से बाहर दिल्ली आदि में जाकर अपने धंधे करते थे। उनमें प्रतापगढ़ के श्री सियाराम भी एक थे, जो दिल्ली में बैटरी का धंधा करते थे। वे श्री भवानी सहाय जी शर्मा की तरह दिल्ली में अपनी दुकान चलाते थे और कांग्रेस की गतिविधियों में हिस्सा लेते थे तथा खादी पहनते थे। इस प्रकार और भी लोग थे। श्री रामजीलाल अग्रवाल बानसूर तहसील के नीमूचाणा गाँव के रहने वाले थे और थानागाजी की सीमा से थोड़ी दूरी पर ही उनके गाँव की सीमा थी, अतः उनका थानागाजी के व्यापारी वर्ग के लोगों से अच्छा परिचय था और कुछ बकील भी प्रजामण्डल से सम्बद्ध होना चाहते थे। अतः श्री शोभाराम व श्री रामजीलाल अग्रवाल ने एक घटना को लेकर यहाँ के दौरे का कार्यक्रम बनाया।

प्रजामण्डल के कार्यालय में एक दिन यह खबर मिली कि थानागाजी का तहसीलदार रिश्तखोरी के अनेक मामलों में बुरी तरह लिप्त है और उसकी आदत लोगों को हर तरह तंग करने की है। उसका आमजन और किसानों के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार रहता है। इस तहसीलदार के ऐसे कारनामों की खबर देने के लिये एक दुकानदार आया। उसके बुलाने पर बाबू शोभाराम, पं. हरनारायण शर्मा, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, श्री फूलचन्द गोठड़िया, 1944 की हल्की सर्दियों के दिनों में थानागाजी पहुँचे। ये लोग थानागाजी दोपहर पीछे पहुँच सके। वहाँ पहुँच कर पहले तो कस्बे के लोगों से सम्पर्क किया और शाम होने पर एक भौंपू लेकर इनमें से कुछ साधियों ने बारी-बारी से कस्बे भर में भौंपू से मीटिंग के लिए ऐलान किया। कुछ अंधेरा सा होने पर बाजार में ही बिना लाउड स्पीकर के ही चक्काओं ने भाषण दिये। कस्बे में यह पहली मीटिंग थी जिसमें राज्य सरकार तथा उसके स्थानीय तहसीलदार के

भ्रष्टाचार तथा अन्य अत्याचार य जुलमों के खिलाफ यन्दाओं ने जोशीले भाषण दिये। वारकर्ड की जबरन यसूली, मिट्टी का तेल, धीनी, कपड़ा, लोहे की चदरों के दिये जाने में भारी धंधली तथा लोगों को उससे होने वाली परेशानियों के बारे में यिस्तार से प्रकाश डाला गया। उत्सुकतानन्द काफी लोग मीटिंग को सुनने के लिये आये। जब मीटिंग समाप्त हो गई तो मीटिंग बुलाने वाले ने अलवर से पहुँचे नेताओं को पास के ही एक हलवाई की दुकान में पूरी व साग यनवा का भोजन करवाया। भोजनादि तो सभी ने कर लिया, पर उनके सामने यह समस्या आई कि अलवर वापिस लौटने का कोई साधन नहीं था और पूरे कस्बे में एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो इन सभी को अपने घर सोने और आराम करने के लिये ले जाता। उन दिनों प्रजामण्डल के इन्हें नेताओं को अपने घर ले जाने के जो खतरे थे, उनको देखते हुए 'चचो भाई' की नीति अपना कर एक-एक कर सभी खिसक लिये। बुलाने वाले ने भी स्थानाभाव की अपनी विवराता बता कर क्षमा मांगी और अपने घर चला गया।

ऐसे में उपरोक्त सभी नेताओं ने, जिनके पास थोड़ी सर्दी हो जाने के कारण साथ में कम्बल थे, वे उसी दूकान के सामने के चबूतरे पर अपने-अपने कंबल ओढ़ कर दुकानदार की बिछो बोरियों पर पसर गये। वे सोये तो घया, रात को काफी देर तक बातें करते रहे। चुटकुले, किससे सुनाते हुए समय काटते रहे। आधी रात के बाद किसी की थोड़ी बहुत देर के लिये बमुशिकल आंखें लगी होंगी। आज उस समय के हालात के बारे में और तब के पिछड़े सामाजिक रहन सहन आदि का पता लगता है कि आगे चलकर जो लोग राजस्थान के एक समय चार पाँच बढ़ों में गिने जाते थे और श्री शोभाराम जो किंग मेकर कहलाते थे, उन्हें भी शुरू के दिनों में कितनी तपस्या करनी पड़ी थी।

थानागाजी में ही दूसरी मीटिंग :

उपरोक्त मीटिंग की चर्चा तथा उसका असर अधिकारियों तथा जनता में काफी पड़ा। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि कस्बे के उस समय के सबसे बड़े बकील पं. नन्द किशोर शर्मा प्रजामण्डल की ओर बढ़े। वे अलवर आये और प्रजामण्डल के नेताओं और बकील साधियों से मिले। उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि जानकारी के अभाव में वे पहली मीटिंग में नहीं आ पाये, और इतने सज्जनों का स्वागत नहीं कर पाये। उन्होंने नेताओं के सामने प्रस्ताव रखा कि वे शीघ्र ही कार्यक्रम बना कर थानागाजी आयें ताकि एक बड़ी आम सभा कराई जा सके और प्रजामण्डल की तहसील कमेटी का भी गठन किया जा सके।

दूसरी मीटिंग में लगभग वही टीम पुनः थानागाजी पहुँची। पं. नन्द किशोर शर्मा की अध्यक्षता में काफी बड़ी और सफल सभा हुई। पंडितजी ने सबको अपने घर से जाकर भोजन घराया और रात को आराम से ठहराया। मीटिंग के बाद उनके घर पर वे तथा कस्बे के काफी सोग प्रजामण्डल के सदस्य बने। कुछ दिनों बाद सदस्यता बढ़ने पर श्री नन्दकिशोर शर्मा की अध्यक्षता में तहसील प्रजामण्डल का गठन कर दिया गया। पंडितजी के प्रभाव से द्वारपुर नारायणपुर, प्रतापगढ़ आदि कस्बों व गांवों में स्थानीय कमेटियाँ बनने लगी। सर्व श्री पंडित आनन्दी लाल, नित्यानन्द शर्मा एडवोकेट, बालासहाय, गूजरमल गुप्ता, सियाराम आदि धीरे प्रजामण्डल यी गतियिधियों में सक्रियता में आगे बढ़ कर भाग लेने लगे।

बानसूर में प्रजामंडल की स्थापना की शुरूआत :

यूं तो बानसूर तहसील में अपने अपने तरीके से कुछ लोग राजनीतिक तौर पर चेतनाशील थे, पर संगठन की दृष्टि से वे अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रहे थे। इनमें से कई साथी, अलवर राज्य से बाहर जाने पर राष्ट्रीय भावनायें और आजादी की तड़प लेकर आते और अपने राज्य की जनता को इस ओर प्रेरित करने के प्रयास करते रहते थे। इन सज्जनों में सर्वे श्री रामकिशोर कौशिक, दुर्गाप्रसाद पुरेहित, प्रकाश चंद शर्मा (कॉ. विश्वेन्द्र शर्मा के पिता) मंगतीराम पंसारी, छीतरमल, सूरजभान भार्गव, लीलाराम आदि हैं।

इनमें श्री रामकिशोर कौशिक अलवर शहर में स्थायी रूप में अपना पुस्तक भंडार शुरू करने से पूर्व लखनऊ, दिल्ली आदि में साहित्यिक पुस्तकों के विक्रय का कार्य करते थे। सन् 1945 के अन्तिम दिनों में एक बार वे अपने निवास स्थान गूँता (शाहपुर) जो बानसूर तहसील का छोटा सा गाँव है, आये। आपने गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठाकर उन्हें प्रजामंडल की शाखा खोलने की प्रेरणा दी। इस पर श्री कौशिक तथा कुछ ने अपने मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया। ऐसा करने वालों में एक श्री छीतरमल थे। उन्हें आतंकित करने के लिये बानसूर के तत्कालीन धानेदार श्री पृथ्वी सिंह ने उन्हें थाने में बुलाकर मुर्गा बनाया।

इस पर श्री कौशिक, इस बात की सूचना देने अलवर आये। वे पहले ला. काशीराम से मिले, क्योंकि इससे पूर्व उनका, उन्हीं से सम्पर्क था। लाला जी ने उन्हें यह सब बताने के लिये श्री शोभाराम के पास भेजा। इस प्रकार के व्यवहार की भर्तसना करने तथा जनता में पुलिस के आतंक को कंठ करने के लिये, उन्होंने वहाँ पहुँचकर एक सभा करने का कार्यक्रम तय करके दे दिया। तदनुसार श्री शोभाराम, ला. काशीराम, श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल आदि गूँता गये। वहाँ पर मीटिंग की। मीटिंग में उक्त धानेदार भी अपने दलबल सहित सभास्थल पर पहुँचा। श्री शोभाराम ने राज्याधिकारियों के जुल्मों तथा पुलिस के अत्याचारों की घोर शब्दों में निन्दा करते हुए कहा, "भाइयो ! आपको पता होना चाहिये, शीघ्र ही देश आज्ञाद होगा। राजाशाही हुक्मत खत्म होगी। आज जो धानेदार आम जनता को मुर्गा बना रहा है, प्रजा का राज्य आयेगा, तब इस जैसे अधिकारियों को मुर्गा बनाया जायेगा।"

आम सभा बड़ी सफल रही। लोगों के मन से भय तथा आतंक समाप्त हुआ। बड़ी संख्या में लोग प्रजामंडल के सदस्य बन गये और एक स्थानीय कमेटी, प्रजामंडल की बना दी गई।

इसके बाद बानसूर कस्बा, हरसोरा, नीमूचाना, ज्ञानपुरा आदि में भी संगठन की इकाइयाँ स्थापित कर दी गईं।

यह स्मरण रहे कि बानसूर अंचल के गाँवों के छात्र स्थानीय स्कूलों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर जयपुर रियासत के कोटपूतली हाईस्कूल में पढ़ने जाते थे। स्व. रामजीलाल अग्रवाल भी वही पर पढ़ने गये थे। वही से श्री रामकिशोर कौशिक आदि ने हाईस्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री रामजीलाल अग्रवाल के सम्पर्क में आने पर वहाँ पर राष्ट्रीय विचारधारा के अनेक साधियों को देश प्रेम की लग्न लगायी। उनके ऐसे अंतरंग साधियों में सर्वे श्री उमराव प्रसाद अग्रवाल, रामेश्वर प्रसाद भारद्वाज, रघुनन्दन शर्मा एडवोकेट आदि थे। बानसूर तहसील के संगठन को बढ़ाने में श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल ने काफी सहयोग दिया।

बहादुरपुर की सभा और उसके अनुभव :

सन् 1944-45 के वर्षों में बहादुरपुर कस्बे में वहाँ के थाना प्रभारी श्री सोहनलाल तलवार थे। ये अपने समय के बहुत तेज तर्फ़ार, निरंकुश और अहंकारी पुलिस अधिकारी थे। आम जनता उनके तेज मिजाज और यंत्रणाओं से पूरी तरह भयभीत थी। उनको देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। उनके जुल्मों से कस्बे के तथा आस पास के गांवों के लोग काफ़ी परेशान थे। कस्बे के कुछ लोग हिम्मत कर प्रजामण्डल के दफ्तर में उनके जुल्मों की शिकायतें लेते पहुँचे। उनके बारे में शिकायतों की जांच करने तथा लोगों की हिम्मत बढ़ाने और राहत दिलाने के उपायों की तलाश में प्रजामण्डल के नेताओं ने बहादुरपुर में जाकर आमसभा करने का फैसला किया। सर्व श्री शोभाराम, मास्टर भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़ी आदि वहाँ पहुँचे। सीतारामजी के मंदिर के सामने जो कस्बे के मुख्य बाजार में था, उसके सामने खुले स्थान पर एक बड़ा सा डहला लेकर उसको स्टेज के रूप में काम लेते हुए आम सभा करना शुरू किया।

थानेदार सोहनलाल ने अपने आदमी पूरे कस्बे में फैला दिये। और इस बात की पूरी तरह तैयारी कर ली कि लोग प्रजामण्डल के नेताओं को सुनने के लिये सभा स्थल पर पहुँचे ही नहीं ताकि सभी नेतागण निराश होकर अलवर लौट जावें। यही नहीं वह स्वयं भी 5-6 सिपाहियों को लेकर जिनके हाथों में हथकड़ीयाँ और डंडे थे, उनके साथ सभा स्थल के आस पास घूमने लगा। उसकी इन हरकतों का यही मकसद था कि लोग यह समझें कि थानेदार मीटिंग में आने वाले नेताओं को गिरफ्तार करेगा और सभा में भाग लेने वालों पर डंडे भी बरसा सकता है।

थानेदार की इस तरह की रणनीति का असर यह हुआ कि सभा में बमुश्किल 60-70 श्रोता ही जमा हो पाये। थानेदार श्री सोहन लाल तलवार, प्रजामण्डल के नेताओं को पूरी तरह जानता था और कुछ के साथ उसके निजी संबंध भी थे। अतः वह इस कारण ही बक्ताओं के नाम लेकर, चिल्हा-चिल्हा कर बोलने लगा, “देख भोलानाथ, बन्द कर दे तेरे इन लीडरों को, वर्ना मैं इन्हें अभी गिरफ्तार कर धाने ले जाऊँगा और इनकी ऐसी मरम्मत करूँगा कि सारी हेकड़ी भूल जायेंगे। मार उसकी उन धमकियों का बक्ताओं पर कोई असर नहीं हुआ, अटिक ये तो और भी जोर और उत्साह से बोलने लगे और कहने लगे थे कि, भाइयो, देख लो, यह गुस्ताख अफसर कितना जालिम है कि इसमें अपने बारे में सचाई को सुनने का भी सब्र नहीं है। बक्ताओं ने उसकी इस प्रकार की गीदड़ भभकियों की जम कर खिल्ली उड़ाई। मीटिंग काफ़ी देर तक चली और कामयाव रही। लोगों में काफ़ी हिम्मत आई। उसकी हर चाल की लोगों ने परवाह न कर प्रजामण्डल के सदस्य बनना स्वीकार किया। कुछ दिनों में बहादुरपुर में एक स्थानीय प्रजामण्डल का गठन किया गया। लाला मदनलाल पंसारी उसके अध्यक्ष बनाये गये। वे काफ़ी समय तक प्रजामण्डल की हर गतिविधि के साथ जुड़े रहे। वे पंचायती राज्य के प्रथम चुनावों में बहादुरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच बने, जिम घर ये काफ़ी समय तक रहे।

ग्राम मौजपुर में संगठन :

तहसील राधमण्ड के गांवों में मौजपुर सबसे बड़ा गांव है। इस गांव के नीचे जितनी

राजस्व भूमि है, उत्तरी पूरे अलवर जिले में कुछ ही गांवों में होगी। मास्टर भोलानाथ जी का जन्म इसी गांव में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहाँ हुई। उनके साथ इस गांव के बहुत से लोग राष्ट्रीय विचारों में पहले से रंगे हुए थे। इनमें पंडित रेवढ़राम मास्टर उनके सबसे निकट के साधियों में एक थे। बाबू शोभाराम के सुझाव पर यह तथ्य हुआ कि नेताओं व राठ के क्षेत्रों की भाँति लक्ष्मणगढ़-कटूमर में भी प्रजामण्डल का प्रसार-प्रचार कार्य शुरू किया जाय।

इस निष्ठय के साथ सर्व श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोवड़िया आदि मौजपुर पहुँचे। कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। स्वागत करने वाले स्थानीय सज्जनों में खेड़ापति रामजीलाल, मा. रेवढ़राम, कन्हैयालाल गोपालपुरा आदि मुख्य थे। शाम को एक आम सभा करने के लिए भोंपू से ऐलान किया गया।

एक बड़ी रोचक बात इस मीटिंग में देखी गई कि स्थानीय लोगों को अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए उस दिन कहीं से भी फूल या मालायें उपलब्ध नहीं हुई। अतः उन्होंने आक (आकड़ा) के फूलों को इकट्ठा कर उन्हीं को पिरोकर मालायें बनाई और उन्हीं को पहना कर अपने प्रिय नेताओं का स्वागत किया। स्वागतकर्ता लगभग 50-60 थे और सभी जोश में थे।

आम सभा का स्थान कस्बे के बाहर की एक बगीची के पास खुले स्थान में रखा गया। इस बगीची में अन्दर एक बाबा रहते थे जो कहीं बाहर संभवतया विहार आदि की तरफ से आकर यहाँ धूनी लगा कर तप करते थे। वे बदन पर भस्म लगा कर तथा मूँज के रस्से का मोटा धेरा अपनी कमर में बांध कर, कोपीन लगा कर पूरे तपस्वी लगते थे। आयोजकों ने, अलवर के नेताओं के सुझाव पर उन्हीं की अध्यक्षता में वह सभा करने का तय किया क्योंकि स्थानीय लोगों में, संकोचवश कोई भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं था। अतः बाबाजी के पास लोग गये और कहा "महाराज, आज की सभा की अध्यक्षता आप करें तो बड़ी कृपा हो।" बाबाजी इसके लिए तैयार हो गये। बाद में बाबा जिनका नाम रामप्रियदास था, प्रजामण्डल के काफी सक्रिय नेता बन गये। मीटिंग काफी देर तक चली और काफी सफल भी रही। स्वागत कर्ता सभी साथी प्रजामण्डल में भर्ती हो गये। इस मीटिंग की सफलता और इतने साधियों के एक साथ पार्टी में शामिल होने का असर यह हुआ कि लक्ष्मणगढ़ कस्बे के लोग भी अपने यहाँ प्रजामण्डल बनाये जाने के जिले बड़ी उत्सुकता दिखाने लगे। यह स्मरण रहे कि लक्ष्मणगढ़ और कटूमर क्षेत्र में मोदी कुंजविहारी लाल, उनके छोटे भाई श्री बाबू प्रसाद और कटूमर के ही श्री रोशनलाल जैन आदि पहले से ही राष्ट्रीय विचारों तथा कांग्रेस के बड़े नेताओं के भक्त थे। इनमें से कई साथी पूरी तरह खादी पहनते थे। अतः उनका आग्रह था कि लक्ष्मणगढ़ में भी प्रजामण्डल की शाखा खोली जाये। मौजपुर की सभा में जिन साधियों ने भाग लिया थे भी लक्ष्मणगढ़ में काम करने में विशेष दिलचस्पी लेने लगे। श्री बाबूप्रसाद मोदी तथा उनके परिवार के लोगों के साथ सर्व श्री सेठ थानसिंह लीली वाले, विहारीलाल शर्मा, अनन्तराम शर्मा, खेड़ली के अजीराम आदि इस तहसील के काफी प्रभावशाली नेताओं के स्वप्न में बन कर उभेरे।

लक्ष्मणगढ़ कटूमर में प्रजामण्डल :

कटूमर कस्बे के मोदी परिवार के कई सदस्य राजनैतिक गतिविधियों से जुड़ चुके थे।

इनमें श्री कुंज विहारी लाल मोदो उनके छोटे भाई यादू प्रसाद मोदी व रंगविहारी मोदी, भोज
श्री कृष्ण चन्द्र खण्डेलवाल आदि अलवर तथा लक्ष्मणगढ़-कटूमर अंचल में सक्रिय थे। इनके
साथ ही सेठ धानसिंह, श्री विहारीलाल शर्मा, श्री हजारीलाल जैन, श्री रामसिंह भी इस क्षेत्र के
कार्यकर्ताओं में अग्रणीय थे। इनके प्रयास से प्रजामंडल यहाँ बढ़ा। गाँव गाँव में संगठन की
इकाइयाँ स्थापित हो गईं।

पद्माढा काण्ड ने प्रजामंडल को राठ क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया:

द्वितीय महायुद्ध के लिये वार फंड वसूली में राज्य सरकार के अधिकारी राज्य भर में
पूरी कठोरता और जोर-जबरदस्ती कर ही रहे थे, पर मुण्डावर के नाजिम (तहसीलदार) श्री
रामचन्द्र हरित ने पद्माढा गाँव के लोगों के साथ जिस तरह का अमानुषिक कार्य किया, उसने
लोगों में भारी दहशत फैला दी।

यह तहसीलदार गाँव के दुकानदारों और व्यापारियों को बड़ी-बड़ी रकमें वार फंड में
देने के लिये जबरन वसूली करने लगा। जो जरा भी आना-कानी करता, उसे ढांटना, गाली देना
उसकी आदत थी। उसकी इस तरह की हरकतों से परेशान लोगों ने एकत्र कर उसे गाँव से भगा
दिया। इससे वह बड़ा कुछ हुआ। अतः वह दूसरे दिन पुलिस के जवानों के साथ गाँव में गया।
जाते ही उसने लोगों को डराने, धमकाने और ललकारने की घले से ज्यादा हरकतें की। इस पर
गाँव के कुछ लोगों ने उसको अपनी इस प्रकार की बातें बढ़ करने तथा लोगों में हिम्मत के
साथ, उसकी बातें को रोकने के लिए एक होकर कुछ कहना शुरू किया। उस समय जनता की
यात कहने वालों में से श्री उमरावसिंह बारैठ, श्री शिवनारायण तथा अन्य लोग जो उसके साथ
थे, को उसने पुलिस के जवानों को हुकम देकर बुरी तरह पिटवाया। इस पिटाई में श्री बारैठ
यो काफी चोटें आई। पिटाई करने के बाद उसने बारैठ सहित कई लोगों को धर्मशाला में बद
कर दिया।

इस काण्ड की खबर लोगों ने अलवर राज्य प्रजामण्डल के दफ्तर में पहुँचाई। खबर पाने
पर सर्व श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, डॉ. डाटा, दयाराम गुप्ता, फूलचन्द्र गोठड़ीया, आदि
काफी लोग बड़े जोश के साथ पद्माढा पहुँचे। वहाँ जाकर प्रजामण्डल की ओर से एक आम
सभा हुई जिसमें आसपास के हजारों किसान पद्माढा की इस सभा में अपना रोप जताने तथा
प्रजामण्डल के नेताओं के भाषण सुनने के लिए पहुँचे। लोगों का अनुमान है कि उस सभा में 7-
8 हजार आदमी इकट्ठे हो गये थे, जो उस समय की शायद वह ग्रामीण अंचल की सबसे बड़ी
आम सभा थी। इनी यही संख्या में उस सांघ में इतने लोगों का थोड़े से समय में विनाकोई
यात्र प्रधार के इकट्ठे हो जाना इस यात्र का संयूत है कि लोग वार फंड में जबरन वसूली से
कितने तंग आ चुके थे और अपने घटों के निवारण में ये प्रजामण्डल की शक्ति और क्षमता में
कितना विश्वास याते थे।

पद्माढा यों इस घटना ने मुण्डावर तरमील के फैज़ कर्मठ यार्यकर्ता एवं निर्भीक लोगों
यों प्रजामण्डल से जोटा जिनमें सर्व श्री विश्वभारदयाल शर्मा, उमराय सिंह बारैठ, परभागीलाल
दादव, श्योनलालन शर्मा, लाल जी जाट, श्री राम यादव एवं लालता प्रसाद माधुर, रामपुराय
श्याम, रंगिन महालाल, योमराम जाट, युद्धराम जाट, धायर महान् युद्धर, रंगिन रामप्रताप,

पंडित महादेव प्रसाद, प्रभुदयाल अंग्रवाल, पंडित दीपचन्द, जयनारायण गुप्ता, राम देवाजाट, रामलाल जाट आदि अनेकों लोग थे।

पदमाड़ी की जुल्म और तेशहुद की घटना के विरोध में न सिर्फ पदमाड़ी में मीटिंग हुई - राज्य सरकार और पूरे प्रशासन व आमजन को ऐसे अन्याय और जुल्मों से अवगत कराने के लिए अलवर शहर में भी एक आम सभा प्रजामण्डल की ओर से की गई जिसमें पदमाड़ी के घायल श्री उमराव सिंह बारैठ को पढ़ी बांधे हुए, स्टेज पर आम लोगों के सामने पेश किया गया। श्री बारैठ ने, जिन्हें शायद पहले कभी बोलने का अभ्यास नहीं था, तो भी उन्होंने अपने साथ तथा गाँव के अन्य लोगों के साथ नाजिम रामचन्द्र हरित तथा पुलिस बालों ने किस बेरहमी और बर्बरता के साथ व्यवहार किया, बन्दी बनाया और अपमानित किया, इसका बड़े ही जोश व रोप के साथ चिवरण सुनाया जिसको सुनकर लोग राज्य के अधिकारियों की 'शेम-शेम' के साथ भर्तना करने लगे।

राज्य सरकार के जुल्मों के विरोध में ऐसी मीटिंग उससे पहले शायद ही हुई हो। होपसर्कस से लेकर बजाजा बाजार तक हजारों की संख्या में लोग काफी देर तक बक्काओं के भाषणों को पूरी तल्लीनता से सुनते रहे।

इस घटना की गूंज पूरे राज्य में, काफी दिनों तक आमसभाओं और जलसों में गूंजती रही। प्रजा के सभी खर्च-व्यापारी, दूकानदार, बुद्धिजीवी, छात्र, किसान, मजदूर इसको सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि राज्य सरकार जनता की कितनी बड़ी शत्रु होती जा रही है और उसके अधिकारी कितने जालिम हैं।

प्रजामण्डल को इस घटना के द्वारा, अपने संगठन को जनता में ले जाने का एक खास बिन्दु मिल गया। उस समय वार फण्ड की वसूली का मामला ही एक समस्या नहीं, सुदूर के कारण सभी उपभोक्ता सामग्री का अभाव, चीजों की आसमान छूने वालों मंहगाई तथा ब्लेक मॉर्केटिंग ने तो जनता की कमर ही तोड़ दी थी। जनता की बात करने वाला और उसके सवालों के लिए लड़ने वाला प्रजामण्डल के अलावा कोई संगठन नहीं था। अतः जहाँ भी वारफण्ड की वसूली के मामलों में ज्यादती होती, किसानों और आम जनता पर जुल्म होते थे प्रजामण्डल की ही ओर दौड़ते थे।

प्रजामण्डल के प्रति गाँव-गाँव और कस्बे कस्बे में विश्वास बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय भावना, आजादी की प्यास, प्रपीड़न के अनेक सवाल, ये सभी शक्ति और प्रेरणा के बड़े स्रोत थे, जिनके कारण प्रजामण्डल की लोकप्रियता बढ़ रही थी और इस सबको संगठन की महानशक्ति के रूप में जमा करने के लिये प्रजामण्डल का नेतृत्व तेजी से समृद्ध और विकसित हो रहा था। जनता की चेतना का विकास बड़ी तेजी से एक भावना और विश्वास के साथ बढ़ रहा था। यह जोश का सैलाब आगे बढ़ा :

पदमाड़ी की चिंगारी ने राज्य के सभी अंचलों में वह ऊर्जा और रोशनी फैला दी, जिसके कारण राजगढ़, रामगढ़, तिजारा, थानागाजी, बानसूर तक में नई जागृति होने लगी और लोगों में अन्याय का प्रतिकार करने की हिम्मत बढ़ने लगी।

श्री शोभाराम, श्री रामजीलाल अग्रयाल, श्री फूलपन्द गोठडिमा, श्री हरलाल मिट्टि आदि पहले पूरी रामगढ़ तहसील के गांवों में घूमे। नौगांवा में जाकर मीटिंग की, यहाँ पर कर्नवी कायम की। यैद्य विधनाथ य श्री नमू लाल जैन स्थानीय कमेटी के पदाधिकारी थे, जिन्होंने काफी लोगों को प्रजामण्डल का सदस्य बनाया।

नौगांवा में पदमाड़ा कांड तथा अन्य मामलों को सोकर एक आम सभा की गई जिसमें अध्यक्षता यैद्य विधनाथ ने की।

यहाँ की गतिविधियों से प्रेरणा सेकर पास के मुवारिकपुर गांव के लोगों ने भी जनने दर्द पर आने और सभा करने का निमंत्रण दिया। मैसर्स फुन्डनलाल प्यारेलाल फर्म के श्री सोदामन य रामजीलाल (नेताजी) श्री मगनलाल अग्रयाल, मध्यान हाल आदि ने अपने गांव मुवारिकपुर में भ्रष्टाचार तथा मंहगाई य अन्य जन समस्याओं के मामलों में एक आम सभा करवाई। उन दिनों वहाँ का एक पटवारी गांव के किसानों को द्युरो तरह लूट रहा था। यह तहसीलदार का प्रिय पद था। इसी बजह से उसके खिलाफ कोई कार्याधारी नहीं होती थी। मीटिंग के याद उपरोक्त सभी साथी प्रजामण्डल के सदस्य यन गए और ग्राम प्रजामण्डल की स्थापना हो गई। यह स्मरण है कि मुवारिकपुर के श्री सोताराम और रामजीलाल आगे चल कर काफी आगे आये और राजनैतिक गतिविधियों में लगभग 40-50 सालों तक पूरी तरह सक्रिय रहे।

पदमाड़ा की घटना का सबसे अधिक असर मुण्डावर और बहरोड़ की जनता पर पड़ा। यह कहें की पूरे राठ के इलाके को जगाने और संगठन से जोड़ने में इस घटना ने सबसे बड़ी शक्ति दी। यह ध्यान रहे कि बहरोड़ क्षेत्र पहले से ही पंजाब, हरियाणा क्षेत्रों के पास होने के कारण आर्य समाज के प्रभाव में रहा जिसके कारण लोगों में स्वाभाविक रूप से अंध विवासी, रुद्धियों के खिलाफ वातावरण था। इसकी बजह से राजनैतिक चेतना में बड़ी सहायता मिली। राष्ट्रीय भावना, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और हिन्दी, हिन्दुस्तान से प्रेम आर्य समाज के मूल मंत्र हैं। अतः अन्याय और जुल्म का प्रतिकार करने की भावना इन सबके कारण बढ़ना स्वाभाविक है। पदमाड़ा काण्ड ने उसे और भी अधिक तेजस्विता दी।

तिजारा में प्रजामण्डल का विस्तार :

यह स्मरण रहे कि अलवर में प्रजामण्डल के तीन बकीलों - सर्व श्री शोभाराम, रामचन्द्र उपाध्याय और कृपादयाल माथुर ने बकालत छोड़ दी, उनमें से श्री कृपादयाल माथुर ने तिजारा में आकर अपनी बकालत शुरू कर दी। इसका प्रचलन रूप से यह लाभ हुआ कि कर्त्त्वे में उनके इर्द गिर्द, राष्ट्रीय भावना वाले व्यक्तियों का एक अच्छा ग्रुप बनता गया। इनमें सर्व श्री लाला धासीराम गुप्ता, मित्रसेन, महावीर प्रसाद, सुआलाल, महाशय चुनीलाल आदि प्रमुख थे।

श्री कृपादयाल माथुर एक अध्ययन शील, प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति रहे हैं। वे हमेशा ही, अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा कर अपनी बात बड़े रोचक और प्रभावशाली ढंग से रखते हैं। वे चूंकि पेशे से हमेशा बकालत के धन्ये में रहे हैं अतः उन्हें किसान तथा आम जन से रोजाना सम्पर्क होता रहता है। उन्हें किसान हों चाहे मजदूर सभी को अपनी बात कहने और समझाने की आदत रही है। इसलिए वे तिजारा में जब तक रहे वहाँ के मेवों और आम किसानों को अपनी

बातों से प्रभावित करते रहते थे। मौलवी सुलेमान, मौ. इब्राहीम तथा कई और मेय कार्यकर्त्ता एक प्रकार से उनके ही बनाये हुए लोग हैं।

सन् 1946 के खेड़ा मंगलसिंह में जहाँ वहाँ पर मौके पर श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल आदि की गिरफ्तारी हुई वहीं तिजारा से भी श्री कृपादयाल आदि को पकड़ कर इसलिए जेल भेजा गया कि कहीं खेड़ा मंगलसिंह की गिरफ्तारियों के कारण तिजारा में जनान्दोलन जोर न पकड़े। सन् 1946 के ही “गैर जुम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो” आंदोलन में भी तिजारा के इन साथियों ने सत्याग्रह में बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

श्री कृपादयाल माथुर के नेतृत्व में तिजारा तथा टपूकड़ा क्षेत्र की जनता के उत्साह व लग्न के कारण अलवर राज्य प्रजामण्डल की तहसील इकाई का गठन कर दिया गया था। श्री कृपादयाल तिजारा में इतने लोकप्रिय हो गये थे कि इन्हें उन दिनों “शेरे मेवात” के नाम से सम्बोधित किया जाता था।

राजगढ़ में प्रजामण्डल :

राजगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना का विकास कई कारणों से काफी समय पूर्व ही शुरू हो गया था। यह स्मरण रहे, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वहाँ का हाई स्कूल काफी अच्छा और स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का केन्द्र था। यहाँ के स्कूल ने अच्छे राजनैतिक कार्यकर्त्ता, प्रशासनिक अधिकारी, अच्छे शिक्षक, घटकील आदि दिये जो यहाँ से पढ़ कर ही चमके।

राजगढ़ में ही प्रजामण्डल की स्थापना के मात्र 13 महीने बाद नवम्बर 1941 में जागीर माफी कांग्रेस हुई जिसमें अलवर राज्य के अलावा भरतपुर व जयपुर तथा आसपास के कार्यकर्त्ता शामिल हुए। इस कांग्रेस का उद्घाटन दिल्ली के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। गुरु ब्रजनारायणाचार्य जो स्वयं एक माफीदार थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। उनका एक बड़ा ही ओजुस्वी भाषण हुआ।

यहाँ के पंडित भवानी सहाय शर्मा तो दिल्ली में रहकर राष्ट्रीय गतिविधियां में पूरी तरह सक्रिय रहे। वे लम्बी जेल यातना काट कर आये। वे भागतसिंह आदि क्रान्तिकारियों के संगठन से भी जुड़े रहे। यहाँ से कई कार्यकर्त्ता खादी तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में जीवन के सभ्य समय तक जुड़े रहे। यहाँ से ही हरिजनों में कार्य करने के, शिक्षा प्रचार तथा जन जागृति एवं चेतना को बढ़ाने के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई।

बाद में प्रजामण्डल की स्थापना के बाद भी यहाँ अनेक कार्यकर्त्ता आगे आये। उनमें सर्व श्री रामस्वरूप गुप्ता, उनके छोटे भाई कन्हैयालाल गुप्ता, रामजीलाल शर्मा, रामशरण शर्मा, केदारनाथ धामाणी, रामस्वरूप शर्मा गौड़, नव्यूराम, छगनलाल, रामजीलाल शर्मा आदि विशेष रूप से सक्रियता से प्रजामण्डल के आंदोलनों में लगे रहे और उनमें से अधिकांश जेल गये। किसानों में प्रजामण्डल को ले जाने की ओर :

धीरे-धीरे दो साल से भी कम समय में अलवर राज्य प्रजा मण्डल, राज्य के लगभग सभी भागों में अपना विस्तार करता हुआ तेजी से बढ़ने लगा। जन समस्याओं के बारे में संगठन की गहरी दिल-चस्पी और उन्हें मुद्दे बना कर, जनता के बीच से जाने में नेताओं की पकड़ और

पीर-गीर उनमें अनुभव होते जाते थे। प्राचीन, अग्रजन में प्रजामंडल आने से लिए पूरे अन्दर और विश्वास का स्थान यना गुहा था। यत्यों और गांतों के इतारायों और दृश्यतायों, छाँटे और खुलकों के साथ शाश्वत भर थे। किसान भी गंगाटन परी और यदुने सांगे थे। हर जगह प्रजामंडल की सभा में भाग होने के लिए यहाँ गंगा में घोड़े हो रहे समय में भाष पर्णों द्वारा मृदु होते हुए किसान अपने ढंगों और गाटियों पर चाकर हो, एक जगह और जांग के गाप उनमें निर्मल कर लेते आते थे। उसका फारण यह था कि प्रजामंडल के ठग्नारी और शियारी लाल कार्डकर्ट यहाँ संख्या में गांव-गांव में उठ गये हुए थे।

इस प्रकार का उत्साह घर्षक यातायात साकर पांचिंग के नेताओं ने देश में अन्दर पकड़ और पैठ पक्षी करने के लिए नियमित रूप से मर्हाने की हर अमावस्या के दिन बिल्ले न किसी घटे फस्ये में आस पास के धोत्र के किसानों के सम्मेलन करने की तुरंजत की। इन किसान सम्मेलनों को सफल याने तथा उनमें अधिक से अधिक लोगों के सम्मिलित होने के लिए, सम्मेलन की तारीख से सप्ताह भर पहले से ही प्रजामंडल के नेता और कार्यकर्ता अत्यन्त अलग गुप्त बनाकर देहात में निकल पड़ते थे। ये दिन रात गूमों हुए इस गांव से उस गांव जूले, रात को किसी घटे गांव या फस्ये में उत्तर कर कार्यकर्ताओं की भोटिंग होते। उन्हें उन समस्याओं तथा संगठन के बारे में जानकारी देते। सदस्यों की भरती करते और आयरथकतानुसार संगठन की इकाइयाँ स्थापित कर देते। यह स्मरण रहे इस असे में पूरे राज्य में प्रजामंडल की लाभभग एक रौप्यालयों बना दी गई। संगठन की ये इकाइयाँ आज की तरह मात्र सदस्यता भरती कर, सदस्यों की फागजी इकाइयाँ न होकर जनता के धीर के लानरील और निष्ठायांत समर्पित कार्यकर्ताओं की जीवन्त संरक्षण भी, जिनके सामने, देश की आजादी, किसानों की उनकी समस्याओं से मुक्ति और जनसाधारण के मसलों के लिए अनेक उत्साह घर्षक कार्यक्रम थे।

प्रजामंडल के इन सम्मेलनों में संक्रान्ति आदि पव्यों और त्वीहारों के आसपास के कार्यक्रम तो इतने घड़े होते थे, जिनमें हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। इन सम्मेलनों में भरतापुर आदि से आए हुए किसानों के लिए वारहमासी आदि के गीत और भजनों को पेश करने वाले जनकवि भी शामिल होते थे। इनमें सर्व श्री नानक चन्द, रथामल प्रसाद चतुर्वेदी, गिर्वर्ज सिंह निडर, आदि होते थे। कभी जाट बहोड़ में तो कभी गण्डाला, बीबीरानी, कोट कासिम, नीमराणा, माँढण आदि में सम्मेलन होते रहे।

इस सम्मेलनों और किसान कान्फ्रेंसों के माध्यम से प्रजामंडल के राठ क्षेत्र से अनेक कार्यकर्ता मिले जो बड़े जुङालू थे। इनमें से बहुत से साथी प्रजामंडल के सन् 1946 के अंदोलनों में जेल गए। बहोड़ के इन कार्यकर्ताओं में सर्व श्री प्रभुदयाल डवानी, श्री दुर्गाप्रसाद मंत्री, श्री श्योनारायण, श्री लेखराम अग्रवाल एडवोकेट आदि के नाम डल्लोखनीय हैं।

बहोड़ क्षेत्र तो श्री शोभाराम का सबसे अधिक प्रभावी क्षेत्र था उनके साथ श्री रामजीलाल अग्रवाल व लाला काशीराम विशेष रूप से साथ जाते थे। कांशीराम का भी बहोड़ क्षेत्र में काफी प्रभाव था। उनका क्षेत्र के साथ के कांशीराम के था। वे स्थानीय जनता से शारी भाषा में काफी घुलमिल करते हैं में दिलचस्पी लेते थे।

प्रसार प्रचार के लिए प्रेस व समाचार-पत्र की योजना बनी :

सन् 1945 में प्रजामंडल के नेताओं ने यह महसूस किया कि संस्था जिस तेजी से काम कर रही है उसके अनुरूप न तो किये गए कार्यों की जनता को जानकारी होती है और न ही राज्य भर के कार्यकर्त्ताओं की जानकारी वैज्ञान को बढ़ाने के लिए, शिक्षित व प्रशिक्षित करने के लिए सामग्री दी जा रही है। उस समय केवल दो ही सासाहिक पत्र अलवर शहर से प्रकाशित होते थे। उनमें एक तो राजाशाही का पूरा समर्थक था जो प्रजामंडल की गतिविधियों को प्रकाशित नहीं करता था, बल्कि विरोध ही करता था। दूसरा पत्र यद्यपि कांग्रेसी विचारधारा के व्यक्ति ही निकालते थे पर उनकी प्रजामंडल के तत्कालीन नेताओं से कभी भी नहीं बनी। अतः उनके पत्र में मैं सहयोगी सामग्री का आभाव रहता था। इस समाचार पत्र का विशेष रूप से श्री शोभाराम और मा. भोलानाथ के प्रति व्यक्तिगत रूप से कटाक्ष पूर्ण रूख ही रहता था, समाचारों को देने में।

अतः योजना यह बनाई कि सिंगापुर के लिए एक टीम जाय जो वहाँ पर रह रहे अलवर राज्य के धनी मानी व्यवसायों से धन इकट्ठा करके लाये।

प्रजामंडल के दो बड़े नेता श्री शोभाराम तथा मा. भोलानाथ मलाया गये, वहाँ पर अलवर बड़ोंद ग्राम के सेठ मक्खन लाल का बड़ा कारोबार था। वे वैसे भी नेताजी सुभाष चन्द्र घोस के अत्यन्त विश्वास पात्र राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे।

जैसा कि अनुमान और विश्वास था, उस समय के हिसाब से अच्छा स्वागत हुआ और प्रेस व अखबार चलाने लायक धन मिल गया। अलवर आते ही फटाफट प्रेस की भशीन खरीद ली गई, पर प्रेस चालू करें उससे पहले ही प्रजामंडल के कुछ लोगों ने कई तरह के प्रश्न खड़े कर एक विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद में प्रजामंडल के तत्कालीन पदाधिकारियों के विरुद्ध वे लोग एक जुट हो गए जो प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व उससे पूर्व की कांग्रेस से जुड़े हुए थे और उनमें से कई 1937 के छात्रों के फीस विरोधी आंदोलन में जेल गये थे तथा अन्य मामलों में लाम्बी व कड़ी सजावें काट कर आये थे। वे लोग किन्हीं कारणों से प्रजामंडल की गतिविधियों से जुड़ने में पिछड़ते गए अथवा उन्हें धकेल दिया गया, यह एक विवाद का विपय है। विरोध करने वालों में थे मोदी कुंज विहारी लाल, श्री प्रभुदयाल गुप्ता, श्री इन्द्रसिंह आजाद, श्री रामदयाल जैन हलवाई, श्री पन्नालाल चौबे, श्री रंगबिहारी लाल मोदी थे। इन लोगों ने सिंगापुर से आई धन राशि आदि के बारे में काफी आरोप लगा कर पर्यंत बाजी की। शहर में जगह-जगह पर इन्होंने प्रजामंडल के नेताओं के खिलाफ मीटिंग कर कार्यकर्त्ताओं में भ्रामक प्रचार किया। थोड़े दिनों तक काफी कटुता पूर्ण चातांवरण रहा, किन्तु कुछ समय बाद धीरे-धीरे विरोधी सिमट कर घर बैठते गए। मगर इसका परिणाम यह हुआ कि प्रजामंडल का न प्रेस चालू हुआ और न ही अपना अखबार ही शुरू किया जा सका। समाचार पत्र शुरू नहीं होने का कारण तो राज्य सरकार द्वारा प्रजामंडल की बार-बार की कोशिशों के बोवजूद इसके ढापने की स्वीकृति नहीं देना था।

अलवर में मध्य भारत व राजपूताना के कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन :

सन् 1944 की सर्दियों के शुरू में मध्य भारत में राजपूताना की देशी रियासतों के कार्यकर्त्ताओं का एक सम्मेलन अलवर शहर के गिरंथर आंध्रम में हुआ, जिसमें बाहर के काफी

पढ़े-महेरा न प्रजामंडल के लक्षण भी नहीं है वह जिता। ग्राम भवन से रांग की गोदान प्रियदर्शीय, मुख लाल विद्युती, हाँ-हाँ जोड़े हाथ और उपर भारी भारी बाल के लेहें में दूरी पूछता रहा था, वो ग्राम भवन बाहर आई है, वही ग्रामीण के लोग लेहें में रांग के जपानीय लक्षण, लोकुम भाई भट्ट, और, लोकुम लाल आदा, अपोदीय राज, मुनोरा गोरी, अंदर इमुत थे।

इस गम्भीरता में देखा गया भी ग्राम भवन प्रजामंडल, प्रजामंडल की भी चांगलामार समाज में वाराणीर जिसने रिपा लगा। गम्भीरता दो दिनों तक चला। गम्भीरता के साथ ही एक विधि गम्भीरता भी हुआ जिसमें ग्रामीण लक्षण रहा रहा था अंदेरा गम्भीर चीज़ों पाठों। इस गम्भीरता से अलावा के प्रजामंडल के लक्षण भी भारी रुदाह भर गए। दो दिनों पूर्ण इतने घटे नेताओं को देखो का सौभाग्य गहरी दिल था।

राजा की ग्रामीण जिसने प्रजामंडल को लक्षण देते रामग जो कही गई ताक दो दीर्घि प्रजामंडल वा बाहरी संगठनों में गम्भीर नहीं होगा, प्रजामंडल वा अनन्त घोड़े झाला नहीं होगा, और यह डारादामी शासन की मांग करते वी ग्रामीण राज्य प्रजामंडल में प्रगतिशील समझ करेगी- इन तीनों शर्तों को उग्र गम्भीरता में पूरी तरह नवारले हुए रामी वाद्यकाहिनी पड़ती। प्रजामंडल ने अब पूरी तरह तिरंगे को अपना हिला था, जो कि कांग्रेस का चर्टे वाला झंडा था। याहर के इतने घटे नेताओं का आना और रायकर्ता डारादामी शासन की मुरज्जेर मांग करना, अब प्रजामंडल का एक बड़ा नाम यह उद्देश्य बन गया था। प्रजामंडल अब एक राज्य (अलवर) ही ही सीमित टापू न रह कर, पूरे देश के राष्ट्र जुद गया था। पूरे देश को देशी रियासतों को आवाज ही उसकी आवाज थी। कांग्रेस के नेता पूर्ण यापू सर्व श्री जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि ही इसके प्रेरणा रूपों व भागी दर्दीं थे। प्रजामंडलों की किसानों के प्रति नीति :

अलवर राज्य प्रजामंडल के नेता एवं कार्यकर्ता देश की जहाँ आजादी तथा अपने राज्य की जनता के लिए उपरादायी शासन के संपर्क को तेज करने में सभी हुए थे, वे राज्य के किसान जो, खुदकाशत खालसा, जागीर व माफी की ब्रेंजियों में विभक्त थे, उनकी अपनी समस्यायें थी। खास तौर से जागीरदारों और माफीदारों का शोषण उसकी रोड़ को हट्टो को तोड़ चुका था। अलवर राज्य प्रजामंडल का नेतृत्व किसानों के मामलों में राजस्थान के सबसे सुलझे हुए और प्रगतिशील नेताओं का संगठन था। उसके बारे में सन् 1945-46 के दिनों की घटनाओं के कुछ मामले इसकी अच्छी मिसालें हैं।

बरखेड़ा ग्राम के किसानों का यहाँ के माफीदार से बेदखली के मामले को लेकर केस चल रहा था। किसानों की ओर से श्री रामचन्द्र उपाध्याय तथा श्री कृपादयाल माधुर बकील थे। मामला गंभीर था अतः माफीदार ने अपनी ओर से पैरवी करने के लिए कांग्रेस के एक बड़े नेता तथा मूर्धन्य बकील श्री के. एन. काटजू को नियुक्त किया। प्रजामंडल बालों को पता लगा तो उन्होंने उन्हें न आने के लिए आग्रह किया। वे फिर भी अपने मुखिकल की पैरवी करने की जिद करते रहे। इस पर प्रजामंडल की ओर से उन्हें यह सूचित किया गया कि यदि वे अलवर में एक

माफीदार को पैरबी करने आयेंगे तो उनको काले झण्डे दिखा कर विरोध किया जायेगा। इसे देख कर उन्होंने अलवर आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया और पैरबी करने से इंकार कर दिया।

काली पहाड़ी में भेवों को भी वहाँ के जागीरदारों द्वारा हर तरह से सताया जा रहा था। प्रजामंडल के नेताओं ने गांव में जाकर आम सभा की, प्रदर्शन किया और किसानों को जुल्मों से राहत दिलाई।

गढ़ी के जागीरदार जो उस समय राज्य सरकार में आई, जी. थे, उन्होंने गांव के एक व्यापारी को अपना मकान देचने से यह कह कर मना कर दिया कि तुम मेरी जागीर के अन्तर्गत अपना मकान नहीं बेच सकते क्योंकि जमीन हमारी है तुम्हारा तो सिर्फ मकान के निर्माण के अन्दर काम में लिया गया मलबा है जिसे चाहो तो उठा कर ले जा सकते हो।

इस पर मकान मालिक गुलाब घन्द नामक महाजन प्रजामंडल के कार्यलय में आया। प्रजामंडल वालों ने उसके अधिकार दिलाने के लिए गांव में आम सभा की और महाजन को राहत दिलाई।

ऐसे ही मामलों से प्रजामंडल की आम जनता, व्यापारी वर्ग तथा किसानों में एक साख बनती जा रही थी। संस्था उस समय जनता के अभाव अभियोगों में एक मुक्तिदाता संगठन के रूप में तेजी से उभर रही थी।

उदयपुर में देशी राज्य प्रजा परिषदों का अधिवेशन :

अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद का छठा अधिवेशन उदयपुर शहर के सलैंटिया मैदान में दिनांक 31 दिसम्बर 1945 से 1 जनवरी 1946 तक हुआ जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में भारत की लगभग सभी देशी रियासतों के प्रजामंडलों, परिषदों आदि के नेता तथा कार्यकर्त्ता सम्मिलित हुए जिनमें सबसे प्रमुख शेरे काश्मीर शेख अब्दुल्ला थे जो अपने साथ 30 डेलीगेट लेकर आये थे। अलवर से भी यहाँ की आबादी आठ लाख होने के कारण, एक लाख के पीछे एक होने के हिसाब से आठ डेलीगेट गये, जिनके नाम इस प्रकार हैं:-

श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री भवानी सहाय शर्मा, लाला काशीराम, पंडित हरिनारायण शर्मा, श्री कृष्ण दयाल माधुर, लाला धासीराम गुप्ता और श्री फूलचन्द गोठड़िया।

इनके अलावा दर्शकों में, श्री दयाराम गुप्ता, कुमारी शोभा भार्गव, सेठ हजारी लाल, व उनकी धर्म पत्नी, स्वर्गीय श्री रामजीलाल अग्रवाल की धर्म पत्नी श्रीमती रामेश्वरी देवी, श्रीमती रामप्यारी देवी, श्री मायाराम, श्री रोशन लाल आदि।

यह सम्मेलन बहुत ही जोश व उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ। राजपूताना के सभी कार्यकर्त्ताओं को एक दूसरे से मिलने व उनके विचार जानने का अंवसर मिला। इस सम्मेलन में उत्साह व प्रगतिशील विचारों के कार्यकर्त्ताओं ने अपने विचार रखे। अलवर के साधियों को इस सम्मेलन से बड़ी प्रेरणा व कार्य करने की दिशा मिली।

अधिवेशन में साथसे महत्वपूर्ण प्रमाणय यह पारित हुआ कि रिपोर्टों के लालक घटनाएँ हुईं परिस्थितियों को देखते हुए अधिवेशन आठों-अपनी रिपोर्टों में उत्तरदायी शासन स्वीकृत करें। साथ ही सम्मेलन में किमानों की रामस्वागतों तथा जनाधिकार के मामलों में ईर्ष्य प्रस्तुत पारित हुए।

इस अधिवेशन से जुड़ी दो घटनायें काफी रोचक हैं, जिनका यहाँ प्रसंग यह जिनका अनुचित न होगा-

पंडित नेहरू देहसी से उदयपुर जा रहे थे तब उन्हें दो ऐसे लोगों से धन निकाले जाए फाफी दिलचस्प हैं। पहला यह कि जब पंडित जी उदयपुर से उदयपुर जा रहे थे तो उसे में डाकुओं ने घंटूक तान कर उनकी कार को रोक लिया। डाकू दल के नेता लक्ष्मण सिंह खरया ने नेहरूजी को 10 हजार की धैली भेंट करनी चाही। पंडित जी ने यह कह कर यह धन लेने से इकार कर दिया कि यांग्रेस समाज विरोधी तत्वों से धन नहीं लेती। डाकू नेता ने कहा कि कांग्रेस सेटों से धन लेती है और हमारे पास भी सेटों का ही धन है। यैसे हर भारतीय को, घरे वह अच्छा है या युद्ध देश की आजादी के लिए अपनी ओर से यह जो भी कर सकता है, करने का अधिकार है। हम यही कर सकते हैं। पंडित जी के साथ अजमेर के प्रसिद्ध घफील व कांग्रेस के नेता श्री मुकुट बिहारी लाल भारंग थे। उन्होंने नेहरू जी को बताया कि डाकू नेता और कांग्रेस नहीं, यह सुप्रसिद्ध फ्रांतिकारी स्व. डाकुर गोपाल सिंह खरया परिवार में से है एवं परिस्थितियों वश ऐसा जीवन विता रहा है। यह जानकर पंडित जी ने उसकी वह धैली स्थीकार कर ली। डाकू दल बहुत प्रसन्न हुआ और 'जयहिन्द' का उद्घोष करता हुआ घोहड़ चनों में गायब हो गया।

दूसरा यह कि उदयपुर के महाराणा ने पंडित जी को अपने महल में बुलाकर 25 हजार रुपये की एक धैली भेंट की जिसे पंडित जी ने सहर्ष स्थीकार कर लिया।

उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजापरिषद के अधिवेशन का यह असर हुआ कि भेवाड़ सरकार ने दिनांक 16 फरवरी 1946 को ही उत्तरदायी शासन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी और एक विधान निर्मात्री परिषद की स्थापना की घोषणा स्वयं महाराणा ने अपने जन्म दिन पर कर दी।

इस सम्मेलन के कर्णधार व संचालक स्व. जयनारायण व्यास थे जो उस समय देशी राज्य प्रजा परिषद के जनरल सीक्रेटरी थे।

गढ़ी में सभा बुलाने वाले का विचित्र रवैया :

गढ़ी ग्राम के जिस गुलाब महाजन के मकान थेचने के मामले में प्रजामंडल ने अविलम्ब कार्यवाही की और गांव में जाकर उसके पक्ष में वहाँ जागीरदार तथा राज्य सरकार के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ मीटिंग का माहौल बनाया, वही नेताजीं के वहाँ पहुँचने पर आशंकित खतरों से घबराकर यह शिकायत कर्ता विचित्र व्यवहार करने लगा। उसके बुलाने पर ही अलवर से सर्वे श्री शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़िया, रामस्वरूप गुप्ता, रामशरण शर्मा दिनांक 1 फरवरी 1946 को मीटिंग करने के लिए 31 जनवरी को गढ़ी पहुँच गये। साथ में आल्हा गायक श्री नानक चन्द भी थे। पर गुलाब महाजन ने उन्हें अपने घर रहने की बजाय

धर्मशाला भेज दिया और उसकी चाबी तक नहीं दी। वहाँ जगह नहीं मिलने पर जब उसे यह बताया तो उसने अपने एक कमरे में जिसमें मिर्चे भरी हुई थी, सोने को जगह बता दी। अपने घर पर ठहराने या खाना खिलाने के लिए पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर साफ करनी काट गया।

श्री शोभाराम तो अन्य साथियों को दूसरे दिन मीटिंग करने को कह कर खेड़ा मंगलसिंह के लिए चले गये और मीटिंग समाप्त कर वहाँ आने के लिए कह गए। अतः निश्चयानुसार दूसरे दिन 1 फरवरी को मीटिंग करने के लिए लोगों से सम्पर्क करना शुरू किया गया। शाम की मीटिंग के लिए ऐलान किया गया। यह देखकर जागीरदार के लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि आज शाम को मीटिंग में बोलने वालों पर फर्सियों से हमला होगा। पर प्रजामंडल के साथी डरे नहीं और शाम को मीटिंग की कार्यवाही शुरू हुई। श्री फूलचन्द गोठडिया का पहले भाषण प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने भाषण में एक बात उकसाने वालों और झगड़े की अफवाह फैलाने वालों के मनसूबों पर पानी फेरने के लिए यह कही कि “भाइयो, आपका यहाँ का जागीरदार जो सरकार में आई. जी. है, वह हमारे प्रजामंडल के दफ्तर में आया और कहने लगा, आप मेरे गांव में मत जाओ, वहाँ राम राज्य है। अगर कोई गलत कार्य हो रहा होगा, तो जैसा आप कहोगे वैसा ठीक कर दूंगा।” इसके बाद श्री नानक चन्द के आलहा गीत हुए और अन्त में श्री रामजी लाल अग्रवाल का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, हम प्रजामंडल वाले किसानों और आम नागरिकों के डर और आंतक को समाप्त करते हैं, जागीरी जुलमों, लाग-येगार का विरोध करते हैं। आपके यहाँ क्या ये जुलम आदि नहीं हैं? उनका ओजस्वी भाषण सुनकर जनता तो बड़ी प्रभावित हुई ही, साथ ही जो लोग जागीरदार के कामदार के उकसाने पर मीटिंग में झगड़ा कर मार पीट करने आये थे, वे माफी मांग कर प्रजामंडल के नेताओं के पास स्टेज पर ही पहुँचे और बड़े उत्साह के साथ वहाँ कहने लगे, आप तो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। हमें तो कामदार और जागीरदार के लोगों ने झूटी वातें बताकर आपको पीट कर भगाने के लिए यहाँ भेजा था। हमने सचाई जान ली है। आप हमें प्रजामंडल का सदस्य बना लौजिए। यह कहते हुए अनेक लोगों ने तत्काल प्रजामंडल की संदस्यता ग्रहण कर ली।

इस प्रकार गढ़ी में प्रजामंडल के काफी सदस्य बन गये और बाद में वहाँ स्थानीय कमेटी का गठन कर दिया गया।

खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन की ओर :

दूसरे दिन अर्थात् 2 फरवरी 1946 को श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री नानक चन्द, श्री रामस्वरूप गुप्ता आदि सभी साथी अलावा श्री फूलचन्द गोठडिया के खेड़ा मंगलसिंह के लिए रवाना हो गए। श्री गोठडिया अलवर आ गए, खेड़ा मंगल सिंह में होने वाले सम्मेलन के लिए फशों, शामियानों, तख्त बल्ली आदि जुटाने के लिए। जब वे प्रजामंडल के बजाजा बाजार स्थित केन्द्रीय दफ्तर में गये तो उन्हें वहाँ पर अलवर राज्य के प्राइम मिनिस्टर का एक पत्र मिला जिसमें उन्होंने प्रजामंडल के 4 बड़े नेताओं सर्व श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल, तथा पं. हरनारायण शर्मा को बुलाया और यह भी कहा गया कि प्रजामंडल की सेवा किये जाने वाले जल्से आदि के कार्यक्रम विलुप्त बन कर दिये जायें। चूंकि इनमें से भी नेता अलवर में नहीं था अतः वह पत्र कार्यालय में छोड़ कर श्री गोठडिया उन्नते

काम में लग गए। ये श्री सृष्टिनारायण घण्टेश्वराल से टूक लेकर और साथ आवश्यक सामग्री जुटाकर सर्वं श्री पृथ्वीनाथ भार्गव यकोल, लाला कारोहम गुप्ता, श्री केलारा विहारी उपदेश, श्री मायाराम, महायीर प्रसाद जैन, दयाराम गुप्ता, हरसहाय लाल विजय आदि साधियों को दोपहर खोड़े लगभग 4 बजे खेड़ा मंगल सिंह के लिए रवाना हुए। रात्से में लक्ष्मणद्वारा से श्री विहारी लाल शर्मा को साथ लिया। रात को लगभग 8 बजे खेड़ा मंगल सिंह पहुंचे, जहाँ एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में श्री शोभाराम य अन्य साधी खाना खा रहे थे। खाना चनना जारी था अतः आने वाले तथा अन्य सभी खाना खा कर सो गये।

खेड़ा मंगलसिंह में रात में गिरफ्तारियाँ :

जिस टूक से अलवर से सामान तथा कार्यकर्ताओं को ले जाया गया था, पुलिस वाले उसके आस पास जमा होने लगे। रात को लगभग 1 बजे राजगढ़ के नाजिम रामचन्द्र हरित ने घेर लिया। इसी बक्त रात को पं. भवानी सहाय शर्मा, जो दिल्ली से लाठड़ स्पीकर लेकर आये थे, उन्हें गिरफ्तार कर, मंदिर में सो रहे सर्वं श्री शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, लाला कारोहम को गिरफ्तार कर लिया गया, योंकि इन सभी के नाम बारंट थे। बारंट मा. भोलानाथ के भी थे मगर वे उस दिन दिल्ली थे और वहाँ से रात को महुआ भुंडावर होते हुए दिन में खेड़ा मंगल सिंह पहुंचने वाले थे। उन्हें गिरफ्तार होने से बचाने के लिए, बारंट न होने के कारण गिरफ्तारी से बचे कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले यह व्यवस्था करने का निर्णय किया कि मास्टर भोलानाथ जी को खेड़ा मंगल सिंह पहुंचने से रोका जाय। इसके लिए महायीर प्रसाद जैन तथा श्री हरसहाय लाल विजय को मास्टर जी को घांटीकुई से ही बापिस भेज दिये जाने को कहा गया ताकि वाहर रहकर वे आन्दोलन का संचालन कर सकें।

उधर खेड़ा मंगल सिंह में दूसरे दिन जो मीटिंग होने वाली थी, उसको पूर्वं कार्यक्रम के अनुसार करने का निश्चय किया गया। सुबह से ही दोपहर को मीटिंग करने के लिए ऐलान किया गया और दोपहर को 1 बजे से मीटिंग की गई। रात को अचानक हुई गिरफ्तारी का असर यह हुआ कि किसान तथा आम जनता बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आई। लगभग 15 हजार लोग सम्मिलित हुए। सभा की अध्यक्षता श्री पृथ्वीनाथ भार्गव ने की। सभा में श्री फूलचन्द गोठड़िया, श्री के. बी. रायजादा, श्री दमाराम गुप्ता आदि के बड़े ओजस्वी भाषण हुए।

मीटिंग की भारी भीड़ तथा जोश को देखकर राज्य सरकार ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। अलवर में आन्दोलन का विगुल बजा : श्री डाटा ने कमान संभाली :

खेड़ा मंगल सिंह में जिस समय रात को गिरफ्तारियाँ की गई, उसी समय अलवर, तिजारा आदि में भी प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं की गिरफ्तारियाँ की गईं। इनमें तिजारा से श्री कृष्णदयाल माधुर तथा श्री धासीराम गुप्ता, अलवर से सर्वं श्री कुंजविहारी लाल मोदी, रामावतार गुप्ता एट्टोकेट, इन्द्रसिंह आजाद, पं. रामचन्द्र उपाध्याय, बद्री प्रसाद गुप्ता, पं. हरिनारायण शर्मा आदि को गिरफ्तार किया गया।

मास्टर जी को श्री हरसहाय लाल विजय व श्री महायीर प्रसाद जैन ने दिल्ली रवाना कर दिया। उधर श्री फूलचन्द गोठड़िया खेड़ा से सीधे रामगढ़ पहुंचे और वहाँ हड़ताल करा दी।

बाकी साथी अपने-अपने ढंग से सौट आये और आंदोलन में जुट गए।

इन गिरफ्तारियों के विरोध में अलवर, राजगढ़, तिजारा आदि में भी हड़तालें हुईं। अलवर शहर में तो बाजार पूरे आठ दिनों तक बन्द रहे।

अलवर के आंदोलन की कमान डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा ने संभाल ली, क्योंकि प्रजामंडल के लगभग सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे और जो बचे थे, उन्हें आंदोलन चलाने का इतना अनुभव नहीं था। ऐसे में डाक्टर डाटा का गुडगांवा, दिल्ली में राजनीतिक आंदोलन को चलाने का अनुभव काम आ गया। इस बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक “सृति के बातायन से” में जो विवरण दिया है वह इस प्रकार है-

सन् 1946 के फरवरी महीने में अलवर प्रजा मंडल में लछमणगढ़ के खेड़ा मंगलसिंह गाँव में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। मैं सभा में तो नहीं जा सका था, लेकिन शाम को सात बजे के करीब जबकि मैं अपने किलनिक पर बैठा था, तब शहर कोतवाल श्री बालूसिंह मेरी दुकान पर आए और कहा कि खेड़ा मंगल सिंह में सरकार ने सर्व श्री शोभाराम पं. भवानी सहाय आदि कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के राजनीतिक आंदोलन में, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मेरा यह पहला मौका था। मैंने श्री बालूसिंह के जाते ही अपने किलनिक को बन्द किया और तीन-युवकों को साथ लेकर अलवर के जितने भी कॉलेज व स्कूलों के छात्रावास थे, उनमें रात भर साइकिल लेकर घूमता रहा। अलवर की तमाम सड़कों पर खड़िया मिट्टी से अलवर में कल हड़ताल है ऐसा लिखवा दिया। मा. भोलनाथ जी जो प्रजामंडल के नेताओं में थे और जिन्होंने किसी समय, फीस विरोधी आन्दोलन में अपने अध्यापक पद से त्याग-पत्र देकर सार्वजनिक जीवन अपनाया था और वर्तमान में कुछ समाचार पत्रों के सम्बाददाता के रूप में काम करते हुए अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, वे किसी तरह से खेड़ा मंगल सिंह से पुलिस की निगाहों से बचकर बाँदीकुई पहुँच गए थे। उनको मैंने रात को एक आदमी को ट्रेन से भेज कर अलवर के पूरे समाचार, समाचार पत्रों में छापने हेतु अर्जुन, दैनिक हिन्दुस्तान, विश्व मित्र आदि के लिए भेज दिए। उसी रात मुलतानी मिट्टी का एक सांचा बनाकर, उससे साइक्लो स्ट्राइल का काम लिया। रात में ही प्रभुदयाल जी मोदी व बरफ खाने में जाकर श्री चन्दगी लाल गुप्ता व शादीलाल जी गुप्ता से 500 रु. आर्थिक सहायता ली। उस रात में जो भी सुवक मेरे साथ थे, उन्होंने अद्भुत काम किया और रात भर जागकर शहर में ऐसा बातावरण बना दिया जैसे अलवर में किसी क्रान्ति की तैयारी की जा रही हो।

अगले दिन सारा अलवर पूरी तरह बन्द हो गया। प्रजामंडल के दफ्तर में जो कि बजाजा बाजार में पालावत की दुकान के ऊपर था, वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मैंने सुबह ही, अलवर की सभी तहसीलों में अलग-अलग कार्यकर्ता भेजकर सन्देश भेजा कि वे अपने-अपने जत्थे बनाकर अलवर आयें।

भारत में, देश की अनेक रियासतों में उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए अनेक संघर्ष हुए, लेकिन अलवर में अचानक यह संघर्ष बिना किसी योजना के तैयार हुआ, वह वेमिसाल था। सारा अलवर निरन्तर तीन दिनों तक बन्द रहा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (All India States People's Conference) के श्री हीरालाल शास्त्री और श्री जयनारायण

जी व्यास से सम्पर्क किया गया। टॉ. पट्टमि सीतारम्भैया उस समय अ. भा. देशी उन्हें परिपद के अध्यक्ष थे। साथ ही पं. जवाहरलाल नेहरू की भी श्री जयनारामण व्यास और मं हीरालाल शास्त्री ने अलयर की पूरी स्थिति से अयगत करा दिया था।

तोन चार दिनों तक अलयर में जुलूस और जलसे निन्तर होते रहे। सभी रियासत के कार्यकर्त्ता अलयर में यही संख्या में एकत्रित हुए और 20-20 हजार की आम सभाये पुजा विहार, होप सर्केस और सुभाष घोक में हुईं। इस सारे आन्दोलन के संचालन करने का दायित्व और भार मुझ पर आ पड़ा, जिसको आम जनता और कार्यकर्त्ताओं के सहयोग से मैंने बख्तीं निभाया। आन्दोलन के सातवें दिन आल इण्डिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस के प्रधान मंत्री पं. हीरालाल शास्त्री को पं. जवाहर लाल नेहरू ने, यहाँ की पूरी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। श्री शास्त्री पहले जयपुर में, जो यहाँ की प्रजामंडल ने आन्दोलन किया था, उसके सर्वमान्य नेता थे और वनस्थली विद्यापीठ नामक वालिकाओं को शैक्षणिक संस्था के संस्थापक थे, इसलिए न सिर्फ राजस्थान में अपितु राजनीतिक क्षेत्र में, उनका नाम था।

श्री हीरालाल शास्त्री सर्व प्रथम रियासत के शासक महाराज तेजसिंह से मिलने के लिए विजय मंदिर के भहल में गए। वहाँ से आने के बाद वे मुझे लेकर अलवर केन्द्रीय कारागृह में, उन राजनीतिक बंदियों से मिलने गए जो खेड़ा भंगलसिंह में, सात दिन पूर्व गिरफ्तार किए गए थे।

हम दोनों की श्री शोभाराम व अन्य कार्यकर्त्ताओं से खुलकर बात हुई। मुझे जेल में जाकर ही पता लगा कि प्रजामंडल के जो कार्यकर्त्ता जेल में बन्द थे, उनको लक्ष्यीनाराम खंडेलवाज जैसे कार्यकर्त्ता ने पिछले दिनों जेल में उनसे मिलकर उनको मेरे खिलाफ बहुत भड़काया हुआ है। मुझे उन्होंने कहा कि आपने विना पूछे अपने आप को इस आन्दोलन का संचालक (Dictator) कैसे घोषित कर दिया। मैंने बहुत शान्त भाव से सारी परिस्थिति की छहें जानकारी दी और कहा कि मैंने अपने कपर जो दायित्व ओढ़ा है, वह बहुत मजबूरी में ही ऐसा किया है। आखिर इस आन्दोलन के चलाने के लिए किसी एक व्यक्ति को तो आगे आना ही पड़ता। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी पूरी निष्ठा और योग्यता से अपने दायित्व को निभाया है और जिन लोगों ने आपको भ्रमित किया है, वे प्रजामंडल के निष्ठावान कार्यकर्त्ता नहीं हैं। लेकिन मुझे अत्यन्त दुःख व शोभ इस बात का हुआ कि पिछले छः सात दिन जो मैंने अलवर रियासत में जन जागरण का अभूत पूर्व बातावरण पैदा किया, वह कुछ लोगों की स्वार्थ-लिप्ता के कारण मेरे लिए राजनीति के क्षेत्र में बहुत कड़वे बीज बो गया।

शास्त्री जी ने अपनी चतुराई से सब राजवन्दियों को यह बात मनवा ली कि वे महाराज की छत्रधाया में उत्तरदायी शासन को स्वीकार कर लेंगे और महाराज उन्हें अंखवार निकालने, प्रेस आदि चलाने की सुविधाएँ दे देंगे।

हम जब केन्द्रीय कारागृह से वापिस लौटकर आए तभी सभी राजवन्दियों को छोड़ने का आदेश जेल पहुँच गया और उनको एक बड़े जुलूस की शक्ति में सारे नगर में घुमाया गया। ऐसा भव्य जुलूस अलवर के राजनीतिक इतिहास में एकाध बार ही निकला होगा।

शाम को अलवर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर सिरेमल व्यापना ने मुझे अपनी खोटी पर आमंत्रित किया और यहाँ पर आधा घंटा चर्चा के बाद एक मस्विदा तैयार हुआ जिस

पर मेरे और सर सिरेमल बापना के हस्ताक्षर हुए। उस मसविदे में मुख्य रूप से प्रजामंडल को अपना अखबार निकालने का अधिकार दिया गया था।

इस आन्दोलन में लोगों में उत्साह तो बहुत था, लेकिन आन्दोलन को जिस प्रकार श्री हीरालाल जी शास्त्री ने महाराज से मिलकर समाप्त कराया उससे लोगों में शंकाएं बहुत हो गई। तरह-तरह की अफवाहें फैली, और कहा गया कि शास्त्री ने बनस्थली विद्यापीठ के लिए महाराज से एक बड़ी आर्धिक सहायता प्राप्त की, हालांकि इस बात का जाहिरा तौर पर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। कुछ दिनों तक प्रजा मंडल में कुछ लोगों का रोष भेरे प्रति भी बना रहा, लेकिन अगली लड़ाई की, जो उत्तरदायी शासन के नाम से लड़ी जाने वाली थी, उसकी तैयारी करनी थी, इसलिए वह, रोष अधिक दिनों तक टिक नहीं सका।

इस आंदोलन को जहाँ कुछ कमियाँ रहीं, वहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी रहीं। राज्य भर के प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं में भारी जोश था। उनमें संगठन के प्रति विश्वास और संघर्ष करने की भावना बहुत बढ़ गई। तहसीलों में कार्यकर्ता कोफी तेजी से बढ़ने लगे।

राता का टैक्स विरोधी आंदोलन :

राज्य सरकार ने सन् 1946 में तम्बाखू तथा कुछ अन्य कृषि उत्पादों पर आबकारी कर (Excise Duty) में कोफी बढ़ि कर दी; इससे राज्य भर के किसानों में खास तौर से मेव किसानों में तीव्र असंतोष बढ़ गया। उनके असंतोष को और अधिक बढ़ाने में 'अहरार पार्टी' के एक नेता अयुंसमद कुहूस ने बड़ी भूमिका निभाई। यह शाखा कश्मीर क्षेत्र के पुँछ क्षेत्र का रहने वाला था, किसी कारण से अलवर में आया हुआ था। यह मेवात को अपनी गतिविधियों का केन्द्र बनाने की गर्ज से ही शायद इधर आया था। इसके लिए इसने किशनगढ़-खैरथल मार्ग के पास पढ़ने वाले 'राता' गांव में अपना जमावड़ा किया। यहाँ 60-70 युवाओं को चुन कर इसने फौजी ट्रेनिंग देने के लिए बन्दूक चलाना, घुड़सवारी के अभ्यास आदि कराने शुरू किये। थोड़े ही समय में इसका प्रभाव इलाके के मेव किसानों में तेज़ी से बढ़ने लगा। मेवात क्षेत्र में जगह-जगह इसकी आम सभाएँ होने लगीं। सरकार इसकी गतिविधियों से भय खाने लगी।

प्रजामण्डल के नेताओं ने भी किसानों पर टैक्स के विरोध में बढ़े असंतोष को उनकी जायज मांगों के कारण सही पाया और इस टैक्स के विरोध में एक पर्चा मौलवी इब्राहीम, श्री रामजीलाल अग्रवाल तथा श्री फूलचन्द गोठड़िया, इन तीनों के नाम से निकाला और किसानों की बड़ी मीटिंग रामगढ़ कस्बे में करने की सूचना दी। इसमें मौलवी कुहूस को भी आमंत्रित किया गया। रामगढ़ की इस सभा में 5000 से ज्यादा लोग आये। मीटिंग में, जिसकी अध्यक्षता श्री गोठड़िया ने की, मौलाना कुहूस एक ऊंट पर ऊँचा झण्डा जो लाल रंग का था, जिस पर कोई चिह्न नहीं था, लगा कर 2-2 की पंक्तियाँ बाले साठ घुड़ सवारों के साथ आया जिनके सभी के पास देरी बन्दूकें थीं। वे "नारा-ए-तदबीर, अल्ला हो अकबर", "अंग्रेज सरकार मुर्दाबाद" "राजा के जुलमो-सितम बन्द करो" "तम्बाखू टैक्स खत्म करो" "कस्टम हटाओ" आदि नारे लगा रहे थे। उस दिन की आम सभा पूरे जोश के साथ हुई। प्रजा मण्डल के नेताओं सहित मौलवी कुहूस के भी भाषण हुए।

सभा समाप्ति के ऐन वक्त रामगढ़ के पास के दौहली गांव का एक रियर्ड सेना था सुधेदार आया और उसने सभी नेताओं को अपने घर पर एक दावत में आमंत्रित किया। मौलिक कुदूस से उसकी दावत में शामिल होने के लिये फहा गया तो वह गुस्से में गालियाँ देते हुए बोला, “यह साला अंग्रेजों का कुत्ता है। रुजा का सी. आई. डी. है। यह दावत के बहाने हम सधको बुला कर गिरफ्तार करवा देगा।” इस पर सब तरफ से इन्कारी हो गई और वह अपना सा मुँह लेकर चला गया।

मौ. कुदूस के भाषण की कुछ खास उल्लेखनीय बातें :-

“लोग कहते हैं, कुदूस हिन्दुओं के हाथों विक गया। मैं कहता हूँ, अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं। हिन्दू उसके साथ लड़ते हैं। कहावत है, दुश्मन के खिलाफ कुत्ता भी भाँकता है, उसे चुपड़ी रोटी दो। मैं इसी पालिसी से हिन्दुओं के साथ आता हूँ।

मीटिंग की समाप्ति पर, वहाँ से, उसी तरह जुलूस बना कर अपने साधियों के साथ श्री कुदूस चले गए। उसके सभी फायर करते और नारे लगाते हुए गए। इधर श्री रामजीलाल अग्रवाल अलवर आ गए।

मौलिकी इब्राहीम और श्री फूलचन्द गोठडिया रामगढ़ में रह गये। श्री मोतीलाल उर्फ जिन्ना ने गांव के व्यापारियों को भड़काया कि कांग्रेसी लोग इन मुसलमानों को यहाँ लाकर नुकसान पहुँचायेंगे। कुछ लोगों को छोड़ किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया।

उस दिन मौलिकी इब्राहीम कस्बे में ठहर कर शाम को दौहली गांव की ओर चले गए। उनके जाने के थोड़ी देर बाद मिलिट्री उनका पीछा करती हुई उधर गई। वे गांव में पहुँच कर एक पटवारी के यहाँ ठहरे। वहाँ जाकर उनका पता लगा कर, मिलिट्री ने पटवारी के घर को घेर लिया और मौलिकी इब्राहीम को पकड़ कर अलवर में ले आये। वहाँ लाकर उन्हें रातें रात प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया। उनसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, “हमें कुदूस की जरूरत है, उसे गिरफ्तार करवा दो।”

मौलिकी इब्राहीम ने कहा, “मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह आवाम के हकूक के लिए लड़ रहा है। चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर लें।” पर प्राइम मिनिस्टर यही कहते रहे, “हमें कुदूस की जरूरत है।” मौलिकी साहब ने वही उत्तर दिया, मैं गिरफ्तार होने को तैयार हूँ।” आखिर सुबह, मौलिकी साहब को रामगढ़ पहुँचा दिया गया।

29 मार्च को फिर रामगढ़ में मीटिंग हुई। कुदूस राता में था। उसे गिरफ्तार करने के लिए मिलिट्री खैरथल, किशनगढ़ में उसकी तलाश करती हुई, राता गांव में पहुँची। कुदूस के सभी बन्दूक धारी जवान व लैंट आदि वर्षीये थे। सबने कुदूस को बन्दी बनाने से बचाने के लिए मजबूत धेर बन्दी कर ली। एक भोर्चा सा खुल गया।

इस बात की खबर जब प्रजामण्डल कार्यालय में पहुँची कि राता में मेव भारी संख्या में जमा हो गए हैं और मिलिट्री हर हालत में कुदूस को गिरफ्तार करने पर आमादा है, तो इससे भारी खून खराबे का अंदरशा मानकर सर्वे श्री शोभायम, नत्यू राम मोदी, रामजीलाल अग्रवाल, मौलिकी इब्राहीम, मौलिकी सुलेमान, दयाराम गुप्ता आदि वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि मेव गांव के इर्द गिर्द

मैदान में जमा होते जा रहे थे और पहाड़ी पर मिलिट्री ने मोर्चा से रखा था। कांग्रेस के नेताओं ने मेवों को समझाया कि, "हथियारों से काम नहीं चलेगा, कुदूस को गिरफ्तार हो जाने दो।" यह कह कर थे मिलिट्री की ओर जा रहे थे। यह देख कर मिलिट्री वालों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। वे सभी जमीन पर लेट गए। इस फायरिंग में 'बंदर' नाम का एक मेव मारा गया व अन्य छः घायल हुए। कई तो काफी गंभीर हालत में थे। फायरिंग देख भीड़ तिर-बितर हो गई। भीड़ के छंटने पर मौलवी सुलेमान व कुदूस को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मिलिट्री वालों ने मौलवी इब्राहीम को बंदूक की घट से गिरा कर उनका पैर तोड़ दिया और जल्मी हालत में ही उन्हें जेल भेज दिया। यह ध्यान रहे कि गोली बारी के समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बिल्कुल पास से गोलियाँ निकली खास तौर से दया राम गुप्ता तो बाल-बाल बचे।

अलवर में तीनों को सेन्ट्रल जेल में बंदी बना कर बन्द किये जाने पर उनको खाना, कपड़े आदि पहुंचाने के लिए श्री फूलचन्द गोठड़िया व श्री दया राम गुप्ता जाते थे, जिनके द्वारा उनके पढ़ने के लिए कुरान शरीफ भी पहुंचाई गई।

मौलवी इब्राहीम को चोट लगने से उनके पाँव में फ्रेक्वर हो गया था जिसके इलाज के लिए उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में शिफ्ट कर दिया और ठीक होते ही पुनः जेल में भेज दिया गया। जेल में उन्हें कई महिनों तक रहना पड़ा। राज्य सरकार की मेहरबानी के कारण मौलवी सुलेमान को कुछ ही महिने बाद छोड़ दिया गया, पर कुदूस को अवैध हथियार रखने के जुर्म में ढाई साल की सजा सुनाई गई।

मौलवी इब्राहीम को भी कई महिने जेल में रखा गया। उन पर सरकारी अधिकारियों द्वारा माफी मांग कर रिहा होने के लिये दबाव डाला गया। इस बीच उनका एक छोटा लड़का गंभीर रूप से बीमार हो कर मरणासन्न स्थिति को पहुंच गया। इसलिए इतवार की मुलाकातों में उनकी पत्नी मिलने नहीं जा सकी। उसने, उनसे मिलने जाने वाले श्री फूलचन्द गोठड़िया व श्री दयाराम से अपने संदेश में कहलवाया कि, "लड़के की बजह से मौलवी साहब कमज़ोर न पड़ जायें, वे जुल्मी राजा के सामने घुटने न टेक दें। लड़का खुदा का दिया हुआ है, खुदा को मंजूर होगा तो वो ही बचायगा।" और वह लड़का आखिर में मर ही गया। इस पर भी उन्हें पैरोल पर नहीं छोड़ा गया, बगैर माफी मांगे। सजा पूरी होने पर ही वे रिहा हो पाये।

श्री कुदूस के रिहा होने का समय पूरा होने से पहले ही सन् 1947 में देश आजाद हो गया। आजादी मिलने पर उनकी इच्छानुसार उन्हें मुसलमान आबादी की अदला बदली में पाकिस्तान भेज दिया गया।

खेड़ा मंगलसिंह के आंदोलन के सफलता पूर्वक एक समझौते के साथ सम्पन्न हो जाने से प्रजामण्डल के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी जोश था। वे इस आंदोलन की उपलब्धियों को लेकर अपने संगठन को पूरे राज्य में और भी तेज़ी से व्यापक और प्रभावी बनाने की योजनाएँ बना रहे थे, क्योंकि राजा की सरकार ने श्री हीरालाल शास्त्री के माध्यम से प्रजामण्डल के नेताओं के साथ जो समझौते की शर्तें मंजूर की थीं, उनमें से किसी को भी पूरा करने की दिशा में ईमानदारी से कोई दिलचस्पी नहीं दिखलाई, बल्कि किया यह कि, प्रजामण्डल के साथ समझौते में जनता के 2 प्रतिनिधियों को, जहाँ राज्य मंडल में लेने की बात स्वीकार की थी, उस पर

जले पर नमक इंदू कने के लिए प्रजामण्डल की सलाह या सुझाय का कोई मंगी देने की वजह, अपने ही एक तरफा और पर हिन्दू महासभा ये एक व्यक्ति श्री रामचन्द्र व्यास को जन प्रीति विषये के रूप में लेकर मंगी थना दिया। श्री व्यास यहुत ही मोथे-सापे व्यक्ति थे। उनसे न हो राजनीतिक के रूप में और न ही प्रशासक आदि के रूप में कोई धर्मी थी। ये पूरी तरह "जै हुजूर" और "यस मैन" थे। राज्य सरकार ने प्रजामण्डल की दूसरी भाँग अपना अवधार निकालने यो भी रखीकार नहों की। न ही उसने किसानों पर हो रहे जुल्मों और अन्याय के मामलों को सुलझाने की तरफ कोई ध्यान दिया। ऐसी भूत में प्रजामण्डल ने एक प्रस्ताव पाठ्य कर अप्रैल 1946 के आसपास तथा किया कि एक नया आंदोलन शीघ्र ही किया जाए और उससे सफलता के लिए पहले से ही बड़े राष्ट्रीय नेताओं तथा जनता पर अपना असर ढोड़ने वाले हस्तियों को अलायर लाया जाए। इनमें कांग्रेस के बड़े नेता, आजाद हिन्द फौज के प्रमुख सेनानी राजा महेन्द्र प्रताप जैसे क्रान्तिकारी हो सकते थे। प्रस्ताव की क्रियान्विती के तौर पर प्रजामण्डल ने अपने कुछ कार्यकर्ताओं को इन नेताओं से सम्पर्क कर, कार्यक्रम तैयार करने के लिए जुम्मेदारियों सौंपी। मा. भौलानाथ ने राजस्थान के बड़े नेताओं से सम्पर्क किया, जिनमें सर्वे श्री जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल घर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय आदि प्रमुख हैं। इन नेताओं से प्रजामण्डल वालों ने आंदोलन आदि के बारे में पहले ही चर्चा कर निर्णय लिया था।

किन्तु स्मरण रहे यह वह समय था, जब देश के प्रायः सभी बड़े नेता शामला तथा दिल्ली में द्वितीय सरकार से तत्कालीन गवर्नर जनरल लाई बावेल से आपसी चर्चाओं और परमर्शों में अत्यधिक व्यस्त थे, अतः उनमें से किसी के भी आने की बातें नहीं हो पा रही थीं।

इधर डॉ. शान्तिस्वरूप ढाटा ने अपने ऊपर यह जुम्मेदारी ली कि वे आजाद हिन्द फौज के तीन बड़े सेनानियों जनरल शाहनवाज, कर्नल ढिलों व कर्नल सहगल तथा झांसी की गढ़ों के नाम से विख्यात कैप्टन लक्ष्मीबाई को लाने में पूरी सफलता की आशा रखते हैं। उन्हें यह जुम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें पता था कि जनरल शाहनवाज लाल किले से आजाद होने के बाद कांग्रेस के प्रतिष्ठ नेता श्री हंसराज सोदी, जो केन्द्रीय सभा के सदस्य थे, उनके साथ दिल्ली में फिरोजशाह रोड़ पर रहते थे। उन्हें विश्वास था कि पंजाब के दो बड़े नेता श्री ठाकुरदास भार्गव व लाला श्यामलाल की भी वे इसमें सहायता लेने में सफल हो जायेंगे। श्री ढाटा इस विश्वास के साथ दिल्ली गए और कर्नल शाहनवाज से अलवर आने का कार्यक्रम तय कर आये। शेष सेनानी दिल्ली में नहीं थे, अतः उनका कार्यक्रम नहीं बन पाया।

डाक्टर ढाटा ने अलवर आकर इसकी सूचना दे दी। जनरल शाहनवाज के साथ अलवर आने के कार्यक्रम के अनुसार उन्हें लाने के लिए प्रजामण्डल की ओर से श्री रामावतार गुमा एडब्ल्यूकेट को, जो बाद में राजस्थान सरकार के एडब्ल्यूकेट जनरल बने, उनके निवास स्थान पर भेजा।

उनके स्वागत के लिए प्रजामण्डल की ओर से बड़े जोर शोर के साथ तैयारियाँ की गई थीं। इसके लिए पूरे राज्य के चारों कोनों से लोगों के आने के लिए प्रचार किया गया। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा उनकी आजाद हिन्द फौज के प्रति लोगों के दिलों में अपार श्रद्धा एवं प्रेम था। बच्चा-बच्चा उनके साथ देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी बड़ी कुर्बानी देने वाले उन

बीरें को अपनी आँखों से देखने की सभी के मन में भारी प्यास व उत्सुकता थी। अतः उनके आने की नियत तिथि के पहले दिन शाम से ही शहर में गाँवों और कस्बों से आने वाले लोगों का ताँता लग गया। जनरल शाहनवाज रेल से अलवर आये थे। उनके जुलूस के आगे-आगे एक जीप में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक अति आकर्षक आदमकद चित्र जो, अलवर के ही प्रसिद्ध कलाकार 'जी. ओझा' ने खड़े परिश्रम एवं मनोयोग से बनाया था, सजाकर इस तरह लगाया था, मानो साक्षत नेता जी ही उस दिन भव्य एवं अविस्मरणीय जुलूस की अगवाई द्वारा रहे थे। प्रजामण्डल के सैकड़ों युवक व प्रजामण्डल के स्वयं सेवक संघ वाले अपनी पोशाकों में जुलूस का संचालन कर रहे थे। इनमें सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, मोतीलाल शर्मा, राजेन्द्र अग्रवाल आदि प्रमुख थे। जनरल शाहनवाज एक दूसरी खुली जीप में खड़े शहर की सड़कों पर भारी भीड़ का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। उसके बावजूद अलवर की सड़कों पर जुड़ा वह अभूतपूर्व जन समुदाय पूरी तरह व्यवस्थित और अनुशासित था। महिला स्वर्ण सेविकाएँ तथा दर्शक महिलायें भी जुलूस में शामिल थीं।

रेल्वे स्टेशन से सुवह का चला वह जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सुभाष चौक तक गया। गर्मी के दिन होने के बावजूद उसकी रौनक और उत्साह में कहीं भी कमी नहीं दिखाई दी। लोग, राष्ट्र भक्ति और आजादी पाने के जुनून के आगे गर्मी की तपन को भूले हुए, आजाद हिन्द फौज के नारों और गीतों की धुन के साथ बढ़े जा रहे थे। त्याग और कुर्बानी की भावना से भरे लोग न जाने कब पूरे शहर का लम्बा रास्ता पार कर सुभाष चौक (पुराना कट्टला) तक पहुँच गये, जहाँ जुलूस के पूरा होने पर एक आम सभा हुई जिसमें जनरल शाहनवाज का भाषण हुआ।

'आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को लाकर उनका स्वागत सम्मान कर प्रजामण्डल वालों ने जिस उद्देश्य के लिए यह आयोजन किया था, उसका पूरा लाभ मिलने लगा। जनता में उत्तरदायी शासन को प्राप्त करने की भावना तेजी से बढ़ने लगी और इसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उत्तरदायी शासन की मांग को एक आंदोलन के रूप में शुरू करने के लिए जो तारीख 26 अगस्त 1946 तय की गई, उसके 4 दिन पूर्व ता 22 अगस्त को भारत के महान क्रान्तिकारी नेता राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को अलवर में एक महती सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह स्मरणीय है कि राजा महेन्द्र प्रताप सिंह, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, रास विहारी बोस, आदि की भाँति बहुत समय तक जापान आदि देशों में भारत की आजादी के लिए विदेशों में समर्थन जुटाने के लिए धूमते रहे थे। पुराने कट्टले में उनका ओजस्वी और प्रभाव शाली भाषण हुआ जिसमें प्रजामण्डल के नेताओं के "गैर जुम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो" की सफलता के लिए उन्होंने कामना करते हुए अपना समर्थन दिया। उस सभा में मधुरा के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हकीम बृजलाल का भी भाषण हुआ और हजारों नागरिकों ने इस बात की शपथ ली और अपना यह संकल्प दुहराया कि वे राजाशाही और जागीरदारी जुलमों और अन्यायों का मुकाबला करने तथा 'उत्तरदायी शासन प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। उस सभा में अलवर प्रजामण्डल के लगभग सभी नेताओं को अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया गया। मोदी कुंजविहारी लाल से प्रजामण्डल के पदाधिकारियों के गहरे मतभेद होने के बावजूद उन्हें भी

बोलने का अवसर दिया गया। इस आमसभा की अध्यक्षता वायू शोभाराम ने की। इस सभामें ही सभी तहसीलों से आये कार्यकर्ताओं को मौजूदगी में सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की गई कि आंदोलन को प्रारम्भ करने के लिए तहसील केन्द्रों पर प्रदर्शन, जुलूस निकालने का कार्यकर्ता अपने तौर पर करें। ऐसी तैयारियाँ करने के पूरे निर्देश प्रजामण्डल को एक बिंदु वैठक में कार्यकर्ताओं को दिये गये जो आमसभा के बाद कार्यालय में की गई थी। इसमें उन्होंने किया गया कि स्थानीय कमेटियाँ अपने वहाँ से सत्याग्रह के लिए जर्त्ये तैयार कर भेजेंगी, जिन दिन के लिए उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाय। कार्यकारिणी ने यह भी पूरी रणनीति बताई कि कौन नेता किस दिन के सत्याग्रह का नेतृत्व करेगा तथा वायू शोभाराम जिन्हें पूरे एवं संगठन की शक्ति और कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह के लिए भेजने की क्षमता का पता था, उल्लंघन की सीमा से बाहर जाकर वहाँ से आंदोलन को संचालन को जुम्मेदारी संभालने वाले जिसके लिए उन्हें नाभा रियासत के एक गांव 'कांटीखेड़ा' को अपना केन्द्र बनाने का तप मिल गया। निर्णयानुसार वे दूसरे दिन ही वहाँ के लिए रवाना हो गए। इस काम में उन्हें नीमराणा नाभा रियासत के कार्यकर्ताओं ने पूरा सहयोग दिया जिनमें नाभा के श्री मनोहर शर्मा जै और बाबत के श्री विश्वभरदयाल एडवीकेट के नाम उल्लेखनीय हैं।

जैसा कि प्रजामण्डल को ओर से तहसीलों की कमेटियों को ये निर्देश दिये गये थे वे अपने-अपने तहसील केन्द्रों पर प्रदर्शन व भीटिंग आदि कर कार्यकर्ताओं को तैयार करें, क्रम में अलवर, रामगढ़, राजगढ़ आदि निजामत मुख्यालयों पर ता। 24 से ही स्थानीय कमेटियों ने अपने कार्यक्रम प्रारम्भ किए। इन सब बातों को देखकर राज्य सरकार पूरी तरह सावधान चौकंपी हो चुकी थी। उसने आंदोलन को विफल करने के पूरे इंतजाम कर लिए थे। अतः वे 24 तारीख के ही प्रदर्शनों को न करने देने के लिए प्रदर्शनकारियों और सभा आदि करने वाले पर लाठीचार्ज आदि कर गिरफ्तारियाँ प्रारम्भ कर दी।

यह ध्यान रहे कि राजगढ़ में स्थानीय कार्यक्रम में एक विशेष घटना हो गई। प्रजा मन्दिर के कार्यकर्ता वहाँ से अपनी तैयारियाँ कर रहे थे कि पुलिस बालों ने उन्हें पचें लगाने आदि कर रोका। इस पर उनमें श्री रामस्वरूप गुप्ता एवं श्री बालाराम को 18 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिन्हें आंदोलन के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ छोड़ा गया।

दिनांक 24 अगस्त की राजगढ़ में पंडित भवानी सहाय शर्मा के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने की अपनी कार्यवाही शुरू की जिससे लोगों का जोश भड़क उठा और उसी दिन आंदोलन की आग सुलग उठी। पंडितजी के नेतृत्व में उत्साही कार्यकर्ताओं की भीड़ ने तहसील को घेर लिया। उत्साही लोगों ने तहसील का रियासती झंडा उतार कर फाल दिया। पुलिस का दमन चक्र शुरू हुआ। पंडित भवानी सहाय शर्मा सहित सर्व श्री गणेश प्रसाद शर्मा, रामकिशोर शर्मा, छगन लाल, कहनैया लाल गुप्ता, केदार नाथ, रामगण, नवदूलाल आदि लगभग 13 व्यक्तियों को हथकड़ियाँ लगा कर गिरफ्तार कर लिया गया।

उपर रामगढ़ में भी यही हाल हुआ। वहाँ तारीख 23 अगस्त को श्री फूलचन्द गोठडिया व श्री चिरंजीलाल शर्मा, अलवर से “गैर जुम्मेदार मिनिस्टरों कुसों छोड़ो” के स्टेसिल फट्टा

कर रामगढ़ पहुंचे। रात भर दीवारों पर उन्हें चिपकाया-छापा गया तथा तारीख 24 को पूर्व कार्यक्रमानुसार प्रदर्शन व सभायें करने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूरी तहसील भर से कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। 3000 से भी ज्यादा की भीड़ श्री फूलचन्द गोठडिया के नेतृत्व में तहसील के सामने जमा हो गई। उनके साथ आगे पंक्ति में सर्व श्री हरलाल मित्तल, रोशनलाल जैन, रमेशचन्द जैन, नन्द किशोर शर्मा, बुद्धलाल मित्तल आदि साथ थे। भीड़ नारे लगा रही थी और उत्तरदायी सरकार की अपनी मांग को दोहरा रही थी। इसी बीच विना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं पर घेरहमी से लाठी चार्ज कर पशुओं की भाँति पीटना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप श्री रोशन लाल जैन का सिर फट गया, श्री नन्द किशोर शर्मा, जिनके हाथ में ऐलान करने का भोंपू था, उस पर पुलिस की लाठी का इतना भारी प्रहार हुआ कि वह ढुकड़े होकर गिर पड़ा। श्री गोठडिया के दोनों हाथों और कंधों व पीठ पर चोटें के घाव हो गए, खून वह निकला, कंधे उतर गए। श्री रोशन लाल जैन के भाई श्री रमेश चन्द जैन के हाथों से खून का फव्वारा फूट पड़ा जिससे उनके हाथ की डँगलियाँ टूट गईं। इन सब साथियों को जखमी होने पर, पहले रामगढ़ के अस्पताल ले जाया गया जहाँ फर्स्ट एड के बाद चोटें गम्भीर होने के कारण अलवर के बड़े अस्पताल में भेज दिया। उन्हें जब अलवर लाया गया तो सैकड़ों साथी उन्हें देखने तथा हालचाल पूछने विजलीधर के चौराहे से अस्पताल तक गए। अस्पताल में दाखिल करने से पूर्व उन्हें पुराने कटले तक जुलूस के रूप में ले गए। रास्ते में यह संख्या हजारों में हो गई। श्री रोशनलाल जैन आदि को 4-5 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। श्री फूलचन्द गोठडिया को 15 दिनों तक इलाज के लिए भरती रखा गया।

अलवर शहर में राज्य सरकार ने तारीख 23 अगस्त से ही धारा 144 लगा दी। पर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के पूर्व निक्षयानुसार अपना प्रदर्शन और सभा करने का कार्यक्रम चलाने के लिए निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर अपने प्रदर्शन का जुलूस होप सर्कस से शुरू किया। जब प्रदर्शनकारी जिनमें सर्व श्री रामजीलाल अग्रवाल, छोटूसिंह आर्य, मायाराम बालोनी, नारायणदत्त गुप्ता, दयाराम गुप्ता आदि को गिरफ्तार किया गया हजारों की भीड़ प्रदर्शनकारियों के साथ थी। इन गिरफ्तारियों के साथ ही सरकार ने सर्व श्री रामचन्द्र उपाध्याय, लाला काशीराम, श्री कैलाश विहारी माथुर, श्री शादीलाल गुप्ता आदि को अलवर में तथा तिजारा में लाला धासीराम गुप्ता व श्री कृपादयाल माथुर, श्री उमराव सिंह बारैठ को पदमाड़ा में तथा श्री सिवाराम को प्रतापगढ़ में गिरफ्तार किया गया।

राज्य सरकार ने प्रजामण्डल के लगभग उन सभी बड़े नेताओं को 26 अगस्त 1946 से शुरू होने वाले आंदोलन से पूर्व 24 व 25 अगस्त को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिनके नेतृत्व में सत्याग्रही योलियाँ बना कर उनके नेतृत्व में प्रजामण्डल के कार्यालय से जुलूस बना कर नारे लगाते हुए लादिया गेट प्रवेश कर गिरफ्तारियों देने के लिये जाना था। अतः मा. भोलानाथ जिन्हें श्री शोभाराम के सत्याग्रह के लिए 'कांटी' रह कर बहरोड़, बानसूर व मुण्डावर आदि की तरफ से भेजने के लिए बाहर चले जाने के बाद अलवर केन्द्र पर रह कर प्रतिदिन के लिए एक नेता को उस दिन का नेता बना कर उनके साथ गिरफ्तारियों देने वालों को भेजना तथा सारी व्यवस्थां अन्त तक देखने का भार सौंपा गया था, उन्हें प्रजामण्डल के दफ्तर से दूसरे दिन ही उस

समय गिरफ्तार करने के बारण्ट आ गये जब वे कार्यकर्ताओं से चातवीत कर रहे थे। उस समय के सिटी मजिस्ट्रेट श्री मुकुट विहारी लाल माथुर बाटण्ट लेकर पूरे पुलिस लावाजामें के साथ पहुँचे। मास्टर जी ने प्रजामण्डल के कार्यालय के छज्जे से ही कार्यालय के जाने वाले भड़ी भरी भीड़ को सम्बोधित कर अपनी गिरफ्तारी दी।

उनकी गिरफ्तारी के बाद अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एजपूतना शाही के श्री धी. जी. देशपाण्डे को सत्याग्रह का संचालन करने के लिए भेजा। उन्होंने अलवर के इस सत्याग्रह का संचालन तारीख 26 अगस्त से 3 सितम्बर 1946 तक किया। प्रतिनिधि बाहर से सत्याग्रही गिरफ्तारियों देने के लिए आने लगे। श्री शोभाराम सत्याग्रही तैयार कर भेजते थे। श्री श्योप्रसाद घर्मा नेता उनके साथ सहायता के लिए रहते थे। इधर हरसौली, तिजारा, राजद, रामगढ़ से भी प्रजामण्डल के कार्यकर्ता वड़ी संख्या में अपने आप अलवर आकर गिरफ्तारियों देने के लिए पेश करते थे।

महिलाएँ भी वड़ी संख्या में सत्याग्रह के लिए तैयार हो कर गिरफ्तारियों देने के लिए जाती थीं। उनके जत्थों को पुलिस वाले गिरफ्तार तो कहते थे, पर जेल नहीं भेज कर, शहर से काफी दूर कभी पहाड़ों के पीछे तो कभी धानागाजी और सरिस्का के जंगलों में छोड़ आते। बाद में जब जेल में काफी सत्याग्रही, हो गए और सत्याग्रह तेजी से जोर पकड़ने लगा, सरकार पुल्ल सत्याग्रहियों को भी 30-30 और 40-40 मील की दूरियों पर ढोड़ कर आने लगी।

इन सत्याग्रहियों के पीछे, चाहे वे पुरुष हों अथवा महिलाएँ, उनका पीछा करते हुए प्रजामण्डल के स्वयं सेवक पहुँच जाते और उन्हें वापिस लाने की व्यवस्था करते थे। बाहर के सत्याग्रहियों के लिए प्रजामण्डल की ओर से एक हवेली में खाने की व्यवस्था कर रखी थी और कई धर्मशालाओं और निजी मकानों में उन्हें ठहराया जाता था।

जेल में बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार न कर उन्हें हर तरह से अपमानित और परेशान किया जाता था। जेल में राजनीतिक बंदियों के लिए बहुत ही कम स्थान होने के कारण, उन्हें दैतों की कोठरियों तथा ऐसी बैरकों में रखा जाता था जो पूरी तरह अंथेरी और सीलन भरी थी। एक-एक कोठरी में उसकी क्षमता से दो गुने, तीन गुने व्यक्तियों को दूँस कर रखा जाता था। यह स्मरणीय है कि उन बैरकों में न तो पेशाव के लिए जगह होती थी और न ही शौचादि के लिए।

जेल में एक दिन हेड चार्डन श्री सुगनसिंह ने श्री रामजीलाल अग्रवाल तथा श्री सियाराम प्रतापगढ़ वाले को जरा सी चात पर जोर से थप्पड़ भार दिया जिससे सेठ मियादाम का घरमा टूट गया।

डॉ. शान्तिस्वरूप डाय, श्री रामजीलाल अग्रवाल व श्री रामचन्द्र उपाध्याय को काल कोठरियों में इसलिए बन्द किया कि वे लोग, अपने साथ भद्रता से पेश आने की बात करते थे। इस सत्याग्रह में धातरिया परिवार के सेठ प्रहलादराय जो उस समय के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और राज्य सरकार ने जिन्हें 'देशोपकारक' का खिताब दे रखा था वो भी जेल गए और वह खिताब लौटा दिया। इसी प्रकार सेठ हजारी लाल मांडण वाले जो प्रजामण्डल के नेताओं को हर प्रकार से आर्थिक सहायता दिया करते थे वे भी जेल में थे। राज्य सरकार प्रजामण्डल के सत्याग्रहियों के साथ चाहर और जेल में जो अमानुषिक अत्याचार कर रही थी उसके विरोध में अलवर राज्य के हाईकोर्ट के तत्कालीन रजिस्ट्रार श्री उमादत्त शर्मा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया।

प्रजामण्डल के नेताओं के साथ किये जाने वाले जुल्मों के बारे में महाराज तेज सिंह से शिकायत करने अलवर को महिलाओं का एक प्रतिनिधि मण्डल तांगों में ढैठकर विजय मन्दिर पैलेस पहुँचा। उनके साथ प्रजामण्डल के स्वयं सेवक भी जिनमें मा. हरिनारायण सैनी तथा कई अन्य साथी साइकिलों पर उनकी सहायता के लिए गए।

राज्य सरकार सत्याग्रहियों के साथ ऊपर गिनाये अत्याचारों तक ही सीमित नहीं रही, उसने गांवों से आने वाले सत्याग्रही जत्थों को घोच में ही रुकवा कर, पुलिस के कब्जे में रखवाने लगी। वह जांदोली घाटी तथा अन्य नाकों पर सत्याग्रहियों को रोकने लगी ताकि वे समय पर न पहुँचें और प्रजामण्डल के जत्थों का नियमित कार्यक्रम न चल पाये और उसे यह कहने का मौका मिले कि आंदोलन टांय-टांय फिस हो गया।

प्रजामण्डल के दफ्तर में उस समय भी कार्यकर्त्ताओं और स्वयं सेवकों की काफी बड़ी दीम रात और दिन दफ्तर में रहती थी। देशपाण्डे जी और अन्य कार्यकर्त्ता दूसरे दिन के लिए साथी जुटाने का काम करते। ऐसे अवसर पर स्वयं सेवक शहर तथा आस पास के गांवों से सत्याग्रही तैयार करके लाते और ठीक समय पर उन्हें दफ्तर से बाकायदा किसी कन्या अथवा महिला से तिलक लगवा कर रखाना करते।

ऐसे अवसरों पर कई बार अलवर की हीरा आइस फैक्ट्री में काम करने वाले मिस्थियों और मजदूरों को सत्याग्रही बनाकर भेजा गया। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि पुलिस ने अपनी जबरदस्त नाकाबन्दी कर चारों तरफ से सत्याग्रहियों का प्रवेश बन्द कर दिया। मा. हरिनारायण सैनी और कुछ साथी जो श्री फूलचन्द गोठड़िया से मिलने अस्पताल गए, और उनके सामने इस स्थिति का जिक्र किया तो उन्होंने सुझाव दिया कि मा. हरिनारायण सैनी चोरीटी गांव साइकिल से जायें और वहाँ से श्री सुख राम सैनी तथा अन्य साथियों को पैदल के रास्ते अलवर लाकर सत्याग्रही टोली बनवायें। ऐसा ही किया गया और चोरीटी गांव से लगभग एक दर्जन से भी ज्यादा साथी रात तैयार होकर आये और उस दिन का कोटा अच्छी तरह पूरा हुआ।

यह आंदोलन इतना व्यापक और सफल रहा कि इसमें लगभग 400 सत्याग्रही जेल गए। काफी लोग, महिलाओं सहित सत्याग्रही बनकर गिरफ्तारियाँ देने गए जिन्हें, गिरफ्तार किया जाता था और अंगस्त के महिने की उस बरसात, तेज ऊमस और गर्मी के मौसम में पहाड़ों में

दरिद्रों के थीं औढ़ दिया जाता था। पर्याप्ति गये सौंगों को जेत भेजा जाता तो यह संख्या दुगनी से भी अधिक होती। सत्याग्रह और भी सत्य घलता व्यक्तियों में आंदोलन के लिए जोश कम नहीं था, अल्प यह दिनों दिन बढ़ रहा था। पर इस समय चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में एक अंतरिम सरकार अगले साल 15 अगस्त को देश की सत्ता हस्तांतरण की ओजना घन धूको थी, अतः श्री जयनारापण व्यास के द्वारा पंडित नेहरू के थीच में पढ़ने से अलवर के नेताओं भी आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार कर लिया गया। इसके लिए पिर दुर्यारा श्री हीरालाल शास्त्री को महाराजा से यात्रे करने के लिए अत्यन्त भेजा गया। उन्होंने महाराजा की सरकार तथा अलवर प्रजामण्डल के नेताओं के थीच आंदोलन को समाप्त करने का समझौता करा दिया। दिनांक 2 सितंबर 1946 को सारे ही प्रजामण्डल नेता व कार्यकर्ता रिहा कर दिये गये। नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के रिहा होने पर एक बड़ा भाषे जुलूस निकाला गया जिसमें हजारों लोग शामिल थे। उस दिन एक बड़ा ही विचित्र कार्य राज्य सचिव ने किया। राज्य के कर्मचारी जुलूस के थीच उस राजपत्र की प्रतियाँ थांट रहे थे जिसमें द्यावा गया था कि महाराज ने मेहरबानी कर राजकुमार के जन्म दिन की खुशी में कैदियों को रिहा किया है।

आंदोलन समाप्तन के दूसरे दिन बाद बाबू शोभाराम कांडी खेड़ा ग्राम से अलवर रेल ट्रेन आये। उनका रेल्वे स्टेशन से ही जुलूस निकाला गया। रास्ते भर लोग 'प्रजामण्डल जिंदाबाद', 'महात्मा गांधी जिंदाबाद', 'अलवर के गांधी जिंदाबाद', के नारे लगा रहे थे।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जहाँ आंदोलन ने प्रजामण्डल को जनता के थीच अधिक लोक प्रिय बना दिया, वहाँ इसको इस प्रकार एक दम अप्रत्याशित रूप से थीच में ही समाप्त कर देने से लोगों में भारी निराशा फैलने लगी, अल्प अलवर के एक ही साल में होने वाले उपरोक्त दोनों आंदोलनों में श्री हीरालाल शास्त्री की समझौता करने में जो भूमिका रही उसकी आमजन तथा राजनीतिक हल्कों में तरह तरह की चर्चाएँ चलने लगी, जो एक बहुत लम्बे असें तक लोगों के मन में छाने रही। इस तरह की अफवाहों में यह भी कहा जाता था कि श्री शास्त्री ने खेड़ा मंगल सिंह आंदोलन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार से बनस्थली विद्यावीठ के लिए बड़ी अर्थिक सहायता ली है। कुछ लोग यह भी कहते थे कि श्री शास्त्री ने अलवर से बाहर भेजने के लिए तिली का परमिट लिया। उनका सैक्रेटरी बनस्थली विद्यावीठ से अलवर आया और महाराजा के आदेश पर राज्य सरकार के तत्कालीन सप्लाई अधिकारी श्री लक्ष्मण ने इसका परमिट जारी किया, जिसे शास्त्रीजी का आदमी यहाँ की केडलगंज की एक फर्म को दे गया। इस सौदे में कहते हैं लाभ न होकर घाटा हुआ, जिसकी पूर्ति शास्त्री जो से होने का प्रश्न हो नहीं था।

महिलाओं की आजादी के आंदोलनों में भूमिका :

प्रजामण्डल के उक्त दोनों आंदोलनों के थीच के काम में प्रजामण्डल के अन्तर्गत कांग्रेस विचारभारा की महिलाओं का एक सशक्त संगठन बन गया, जिसने आंदोलनों में तो भाग लिया ही यह महिलाओं को शिक्षा तथा रचनात्मक कार्यों से जोड़ने में भी काफी सक्रिय रहा। महिलाओं में संगठन की ओर लाने में श्री दी.जी. देशपाण्डे की पत्नी श्रीमती रमा देशपाण्डे, कुमारी जगरानी आदि बाहर से यहाँ आकर कार्य करने वाली महिलाओं की बड़ी प्रेरणा रही।

श्रीमती शान्तिगुप्ता, श्रीमती कमला जैन, सुश्री कलावती देवी, कु. शोभा भार्गव, कु. उमामाधुर, श्रीमती रामेश्वरी देवी अग्रवाल, श्रीमती रामप्यारी, श्रीमती शान्ति गोठड़िया, श्रीमती कमला डाटा, कुमारी विमला शर्मा, श्रीमती इमरती देवी खण्डेलवाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सही अर्थों में किसी भी विचारधारा या दल को जनता के बीच पहुँचाने का अवसर तभी मिल पाता है, जब महिलाओं का उसके प्रसार-प्रचार में पूरा सहयोग मिलता है। पुरुषों के साथ जिस घर में स्त्रियों के माध्यम से बातें जाती हैं, वे गहराई तक जाती हैं और सच्चा प्रभाव ढालती हैं। कांग्रेस कहें या प्रजामण्डल, इसको आजादी की लड़ाई शुरू होने से आज तक यदि कोई शक्ति उसे जीवित रखे हुए है, तो उसके पीछे मातृ शक्ति की वरदछाया और पालन की शक्ति रही है। महिलाएँ जब से धर्म के नाम पर, कांग्रेस से हटने लगी हैं उसकी शक्ति भी क्षीण होती चली गई है।

'स्वतंत्र भारत' का प्रकाशन :

अलवर प्रजा मंडल बहुत समय से अपना एक समाचार पत्र निकालने की कोशिश करता आ रहा था। इसकी बजह यह थी कि यहाँ पर जितने भी समाचार पत्र निकल रहे थे, वे प्रजामण्डल की गतिविधियों को उचित प्रकाशन देने की बजाए, उसे अपने ही ढंग से पेश करते थे। यहाँ के दो समचार पत्र उस समय चलते थे एक था तेज प्रताप, जो पूरी तरह से राज सरकार का पक्ष धर था, अतः उससे तो कोई आशा या अपेक्षा की ही नहीं जा सकती थी। दूसरा पत्र मोदी कुंज बिहारी लाल जी गुप्त का अलवर पत्रिका था। यह पत्र राष्ट्रीय विचारों का एक कांग्रेसी परिवार का होते हुये भी, उसके प्रजामण्डल के नेताओं से गहरे मतभेद थे। मोदी जी प्रजामण्डल के उन नेताओं में से थे, जिनका उसकी स्थापना से पूर्व से ही कांग्रेस को बनाने में बड़ा योगदान था, पर श्री शोभाराम व श्री भोलानाथ जी के संस्था पर अपना वर्चस्व बना लेने पर वे संस्था से एक प्रकार से अलग थलग पटक दिये गये थे। इसीलिये, उनके विचार व प्रजामण्डल के नेतृत्व से सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। अतः प्रजामण्डल इस पत्र के प्रकाशन के लिए विशेष प्रयत्नशील था पर बड़ी कोशिश के बाद पत्र सन 1947 के प्रारंभ में ही प्रकाशित किया जा सका। पत्र के पहले सम्पादक श्री भोलानाथ थे। पत्र की छपाई, प्रजामण्डल के तीन नेताओं के हारा स्थापित सर्वोदय प्रेस में होने लगी। इस प्रेस के तीन स्वामी थे— सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री नारायण दत्त गुप्त तथा डॉ. शान्ति स्वरूप डाटा। पत्र के सम्पादक मा. भोला नाथ मत्स्य के निर्माण तक रहे। उनके मंत्रिमण्डल में स्थान पा जाने पर श्री रामानन्द अग्रवाल स्वतंत्र भारत के सम्पादक बने। श्री रामानन्द ने पत्र को अपनी पत्रकारिता की गहरी दिलचस्पी से काफी अच्छा और लोकप्रिय स्थान दिया।

श्री अग्रवाल उच्च शिक्षा प्राप्त कार्यकर्ता के अलावा पर पत्रकारिता में एक उच्च डिप्लोमा लिये हुए थे। उनका एक कॉलम 'हुक्के की गुड़-गुड़' बहुत ही लोकप्रिय था।

पत्र में सहयोगी कार्यकर्ताओं में सर्व श्री मायाराम, श्री मदन लाल गुप्ता, हरिनारायण सैनी आदि प्रमुख थे। सैनी प्रेस के मैनेजर भी थे इसलिए पत्र की अच्छी छपाई और साजसज्जा में उनका हमेशा सक्रिय योगदान रहता था।

हरिजनों में प्रजामंडल के कार्य:

अलवर राज्य प्रजामण्डल की स्थापना से पूर्व ही जो गढ़वाली कार्यकर्ता देश की अमर्त्यता महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते थे, ये हरिजनोंसार तथा दुआदृष्ट एवं साम्राज्यिकता के प्रवण विचारी रहे और इसके लिए ये रचनात्मक गतिविधियों से भी जुड़ते रहे। अलवर में हरिजनों में शिक्षा प्रचार, उनके मंदिरों में प्रवेश तथा दुआदृष्ट को समाज फरने के लिए सन् 1932-33 से ही प्रयास शुरू हो गए थे। इसमें राज्यवाली आर्य समाजियों का भी एक बड़ा योगदान रहा। प्रजामण्डल य कांग्रेस के शुरू के नेताओं में श्री नव्यूराम मोदी, पं. हरिनारायण शर्मा, पं. लक्ष्मण स्वस्त्रप्रियाणी आदि ने राजगढ़ व अलवर में हरिजनों के मोहल्लों में जाकर उनके बीच ठंडाई बर्मेरह पोना, उनके घर्षों व प्रौदों को साक्ष करने के लिए स्कूल चलाने आदि के काम शुरू से ही किये। राजगढ़ के कांग्रेस भक्त कायंकर्ताओं के साथ उत्तर प्रदेश से वहाँ आकर यसने वाले श्री रामावतार यादव ने पहले राजगढ़ में हरिजन पाठशालायें चलाई और बाद में अलवर में। इन पाठशालाओं को राजस्थान हरिजन सेवक संघ से कुछ अर्धिक मदद मिलती थी। मोदी नव्यूराम, पं. हरिनारायण शर्मा, श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल आदि दुआदृष्ट मिटाने को राष्ट्रभक्ति का एक काम समझ कर उसमें अपने आपको लगाते थे। कुछ साल चलने पर यह काम ठप्प पड़ गया। प्रजामण्डल की स्थापना के बाद यह काम फिर चला। श्री इन्द्रसिंह आजाद और श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री नव्यूराम मोदी आदि ने यहाँ पर पुनः हरिजन संघ की स्थापना की और मोहल्ला खदाना व तीजकी में पाठशालाएँ चालू की जिनमें सन् 1942-43 तक श्री महावीर प्रसाद जैन व इन्द्रसिंह आजाद ने अध्यापकों के रूप में पाठशालाएँ चलाई।

सन् 1943 में श्री नारायण दत्त गुप्ता ने मोगा (पंजाब) से अलवर आने पर इस काम में विशेष दिलचस्पी ली। उन्हें अलवर राज्य हरिजन सेवा संघ का मंत्री बना दिया गया। उन्होंने गंगामंदिर मोहल्ले में स्वयं कुछ समय वहाँ के हरिजन भाइयों को पढ़ाने का काम भी किया।

सन् 1944 में श्री नारायण दत्त गुप्ता की प्रेरणा से हरिनारायण सैनी जिन्होंने इसी वर्ष हाई स्कूल परीक्षा पास की थी, को मोहल्ला खदाना व तीजकी मोहल्लों की पाठशालाएँ चलाने की जिम्मेदारी दी गई। सैनी ने इन दोनों मोहल्लों में नियमित रूप से लगभग ढेढ़ साल तक पाठशालाएँ चलाई, जिनमें मेहतर भाइयों के 5-7 साल के बच्चों से लेकर 40-45 वर्ष के बयस्क तक बड़ी संख्या में पढ़ने आते थे। इन पाठशालाओं में मोहल्ले की लड़कियाँ व बड़ी महिलाएँ तक पढ़ने आती थीं। इन पाठशालाओं में पढ़े हुए बहुत से युवकों में से आगे पढ़कर सरकारी नौकरियों में लगे, तथा स्थानीय नगर पालिका में जमादार आदि पदों पर उनमें से कई युवक काम करते हुये आगे बढ़े।

बाद में तीजकी मोहल्ला की पाठशाला, जो दिन में लगाई जाती थी बन्द कर उसके स्थान पर मोहल्ला लाल छान में लगाई जाने लगी। वह काफी समय तक चली।

हरिजन मोहल्लों में काम करने का अनुभव य शिक्षा क्षेत्र में काम करने का प्रशिक्षण सेने के लिए मा. हरिनारायण सैनी को हरिजन सेवा संघ की ओर से अजमेर में चलाये गये हरिजन

कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में माह जून जुलाई 1945 में एक महिने के लिए भेजा गया, जहाँ पर श्री हरिभाऊ उपाध्याय कार्यकर्ताओं की बौद्धिक कक्षायें प्रतिदिन लेते थे। समय समय पर श्री गोकुल भाई भट्ट, हरिभाई किंकर आदि भी प्रशिक्षणार्थियों को अपने अनुभवों से उनका ज्ञान वर्द्धन करते थे।

यह याद रहे हरिजन सेवक संघ को लाला काशीराम गुप्ता अपनी ओर से मुफ्त स्लेट व पेन्सिल आदि देते थे। छात्रों को स्कूल में नहा धोकर आने के लिए साबुन, बर्दी और पुस्तकें, पेंसिल और कापियाँ भी संघ की ओर से ही दी जाती थीं। संघ उसके लिए शहर के धनी मानी सज्जनों से मासिक धन एकत्रित करता था जिसको एकत्रित करने में श्री नारायण दत्त गुप्ता, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री दयाराम, हरिनारायण सैनी आदि वाजारों में घूमा करते थे।

सन् 1946 में श्री नारायण दत्त गुप्ता अपना प्रेस का धंधा करने के लिए अलबर से भरतपुर चले गए। उनके स्थान पर श्री कैलाश विहारी रायजादा मंत्री बने। उन्होंने भी संघ के लिए काफी परिश्रम किया।

प्रजामण्डल के उस समय के बड़े नेता सर्वश्री शोभाराम, लाला काशीराम गुप्ता, पं. हरिनारायण शर्मा, रामजीलाल अग्रवाल, छोटू सिंह आर्य, इन्द्रसिंह आजाद आदि पाठशालाओं के कार्यों में दिलचस्पी लेते थे और हमारे समाज का जो सबसे पिछड़ा और दलित वर्ग है, और जो अपनी गरीबी और अज्ञानता के कारण अत्यन्त गंदी बस्तियों में रहता है और गंदगी और अस्वच्छता को ही जो अपनी नियति समझे बैठा है, जिसे छूना भी, ऊपर के बर्णों के लोग पाप समझते हैं, इसके लिए प्रजामण्डल वालों ने तीजकी, लालखाना आदि मोहल्लों में अपने हाथों से बस्ती की गलियों, नालियों की सफाईयाँ कर सफाई अभियानों के भी आयोजन किये। ऐसे अवसरों पर वे हरिजन भाइयों के युवकों से डोल, बल्टियां, रस्सी आदि मंगवा कर उन्हें साफ करवा कर कुओं से पानी मंगवाते और सबके बीच पानी पीते।

यह स्मरण रहे कि पं. हरिनारायण शर्मा ने अपने घर का मंदिर भी हरिजनों के प्रवेश के लिए खोल दिया था, जिसके लिए उन्हें न सिर्फ पूरे ब्राह्मण समाज का बरन् सभी सर्वर्णों का कौप भाजन बनना पड़ा।

इस कड़ी में यह भी कहना ठीक होगा कि सन् 1946 में अक्टूबर मास में दीवाली के अवसर पर केढ़ल गंज के रामलक्ष्मण मंदिर पर अन्नकूट गोवर्धन पूजा के दिन रखा गया, जिसका आयोजन प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं ने रखा जिसमें सर्व श्री हरिनारायण शर्मा, रामजीलाल अग्रवाल, छोटूसिंह आर्य, नारायण दत्त गुप्ता, फूलचन्द गोठड़िया, दयाराम, हरिनारायण सैनी आदि प्रमुख थे।

अन्नकूट को परोसने वालों में मोहल्ला खदाना, तीजकी, हजूरी दरवाजा के महन्तगण सर्व श्री कहैयालाल, बनालाल, बुद्धसाध, किशनलाल, तोताराम आदि थे और गंगा मंदिर मोहल्ले के श्री देवी सहाय व श्री बाला राम आदि थे।

इस अन्नकूट में सैकड़ों सर्वर्णों ने भाग लिया और हरिजन भाइयों के साथ पांगत में मिलकर भोजन किया। यह खेद है कि कुछ स्वार्थी तत्वों ने अन्नकूट का विरोध किया। वे

लाउटर्स्पोकर लगामर लांपायोद्धा, मंगा मंदिर, दाउदपुर आदि मोहल्लों में लोगों को मना करते गए। उसमें अधिकतर हिन्दू महासभा य राजा के लोगों और कट्टर पंथी लोगों का हाथ था।

यह इस ही का फल है कि दलितों य पिछड़ों का प्रयत्न समर्थन कांग्रेस की कार्रवाई तक मिलता रहा है।

प्रजा मण्डल और छात्र :

प्रजामण्डल को छात्रों का समर्थन इसकी स्थापना से पहले ही मिलता रहा था, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के नाम पर संगठन की गतिविधियाँ सन् 1937 से ही प्रारम्भ हो गई थीं। यहाँ राजपिं कॉलेज के छात्र उसमें अगुवा थे। स्कूलों में कुछ छात्र देश की राजनीतिक गतिविधियों में दिलचस्पी सेते थे। ऐसे छात्रों को मा. भोलानाथ जी, श्री नन्दकिशोर बघोनिया, श्री रमेशचन्द्र पंत, श्री रेयड़राम, श्री विश्वंभर दयाल आदि अध्यापक होते हुए भी प्रेरित करते रहते थे।

सर्व श्री इन्द्रसिंह आजाद, महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारतीय, छोटू सिंह आर्य, द्वारका प्रसाद गुप्ता, गुरुदयाल माथुर, रामस्वरूप पाठक, विशम्भर दयाल विजय जो घाद में रा. रा. वि. मण्डल के मुख्य अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। आदि ऐसे छात्र थे जो सन् 1937 से 1940 तक की छात्र एवं राजनीतिक गतिविधियों में पूरी सक्रियता से भाग लेते थे। इन छात्रों में से कुछ तो 1938 के फीस विरोध आंदोलन में काफी सक्रिय रहे और जेल भी गए।

सन् 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी इनमें से अधिकारी ने हड्डतालें कराई, अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए डाकखाने जलाये। डाकखाना जलाने के मामले में श्री चिरंजीलाल वर्मा भी इनमें शामिल हो गये जो राजगढ़ में पढ़ते थे।

डाकखाने जलाने के मामले में सर्व श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरालाल भारती, और चिरंजीलाल वर्मा को 12 नवम्बर 1942 को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमे चलाये गये जिसमें इन्हें 2-2 वर्ष की सजायें सुनाई गई। पर महाराज की साल गिरह के अवसर पर बीच में ही 25-3-1943 को रिहा कर दिये गये। सन् 1942 की तोड़ फोड़ की गतिविधियों में यद्यपि और भी छात्र शामिल थे पर वे गुस्से रूप से रह कर बचे रह गये। इनमें श्री महेश विहारी उर्फ़ छुट्टन माथुर, श्री प्रीतम चन्द्र, श्री द्वारका प्रसाद आदि मुख्य थे।

श्री मायाराम के अलवर आ जाने पर और उनके कॉलेज में प्रवेश लेने पर प्रजामण्डल के छात्र कार्यकर्ताओं का स्टूडेण्ट्स फैडरेशन बना जिसके श्री मायाराम मंत्री थे। श्री छोटूसिंह आर्य, हरसहाय लाल विजय, श्री राजेन्द्र अग्रवाल आदि विशेष रूप से सक्रिय थे।

ये छात्र नेता प्रजामण्डल के साथ जुड़े रह कर हर आंदोलन व उसके रचनात्मक कार्यों में अपनी निष्ठापूर्वक भागीदारी निभाते थे। इनमें से आगे चलकर राजनीति और प्रशासनिक सेवाओं व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़े।

जैसे-जैसे प्रजामण्डल की शक्ति पूरे अलवर राज्य में बढ़ने लगी, अलवर महाराजा ने यहाँ तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉ. एन.बी. खोरे के इशारे पर हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वर्ण सेवक संघ को तेजी के साथ बढ़ावा देना शुरू किया। डॉ. खोरे यद्यपि पहले एक कांग्रेसी नेता थे

पर बाद में वे कांग्रेस और खास तौर से महात्मा गांधी के कट्टर विरोधी बन गये। उन्होंने महाराजा तेजसिंह पर हिन्दुत्व का ऐसा रंग जमाया कि वे पूरी तरह उनके हाथों की कठपुतली बन गये। राजा को वे जैसे हिन्दुओं का महान सप्राप्त बनाने का स्वप्न दिखाने लगे। वे स्वयं भी अपने आपको मानों बड़ा पेशवा मानते थे। उन्होंने पूरे प्रशासन और राजतंत्र को राष्ट्रीय स्वयं सेवक रांग की कट्टर हिन्दुत्व वादी विचारधारा में ढालना प्रारम्भ कर दिया। इसके लिए वे कभी इस या उस बड़े हिन्दू नेता को युलाकर उसकी आम सभा करवाते। ऐसी सभाओं में वे पेशवाई पगड़ी और वैसा ही लिवास धारण कर आते और भाषण देते जिनमें कांग्रेस और गांधी जी को जम कर गालियाँ दी जाती थी। खुले आम राज्य सरकार के संरक्षण में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखायें लगने लगी। सरकारी कर्मचारी और अध्यापक संघ के सदस्य बन कर ऐसी शाखाओं में भाग लेते और प्रातः काल गणवेश में कवायद कर शहर की सड़कों पर घूमते हुए निकलते थे। यही कारण था, अलवर राज्य का लगभग 90% कर्मचारी वर्ग घोर साम्राज्यिक और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य बन गया। सरकार के पूरे सहयोग और अधिकारियों की देख रेख में अलवर में आर.एस.एस. की जम्बूरी हुई जिसमें उसके बड़े-बड़े नेता और संघ संचालक से लेकर प्रधारक अधिकारी गण भी आये। शहर में लगभग सभी कर्मचारी निकर धारी और काली टोपी बाले बन चुके थे।

... हिन्दू सभा के बड़े नेता मौलिकचन्द्र शर्मा यहाँ पर एक बड़ी सभा को सम्बोधित करने आये जिसमें खेरे और शर्मा ने गांधी जी के बारे में ऐसी ओछी-ओछी और चरित्र हनन की बातें कहीं जिनको सुन कर शर्म के मारे सिर गड़ जाता था। यही नहीं उन्होंने राज्य को पुराने हिन्दुत्व के गौरवशाली स्वरूप में ढालने और चलाने के लिए एक सामंत इनफेंट्री की स्थापना की जिसके लिए नारायण विलास को केन्द्र बनाकर हथियार बनाने का कारखाना चलाने की योजना बनाई।

अलवर के सामाजिक व राजनीतिक व्यक्तियों जैसे पं. गिरधर शर्मा सिद्ध, लाला उमराब लाल गुप्ता एडवोकेट, पं. अवतार चन्द्र जोशी, श्री किशन चन्द्र डोरोली, श्री शंभूदादा, श्री भोती लाल जैन उर्फ जिन्ना जैसे लोगों की खेर की कोठी और कार्यालय में खुली आवाजा ही रहती थी।

राज्य के पूरे प्रशासन को इस प्रकार साम्राज्यिक बना दिया गया था कि प्रशासन पूरी तरह मुसलमान विरोधी हो गया था।

उधर पाकिस्तान बनाने के मामले में लोग की सीधी कार्यवाही की हवा चल रही थी। स्वाभाविक था कि जब हिन्दुत्व वादी जुनून को यहाँ पर इस प्रकार फैलाकर उन्माद की स्थिति पैदा कर दी हो, तब मुस्लिम सम्प्रदाय का भी हरकत में आना स्वाभाविक था। लोग के नेता यहाँ आकर मुसलमानों को भड़काने लगे। पाकिस्तान की मांग के समर्थन में यहाँ भी सभाएं की जाने लगी, जुलूस निकाले जाने लगे। उनमें एक प्रकार से भय और असुरक्षा के भाव बढ़ते जा रहे थे। पंजाब, बंगाल आदि में लोग के 'डाइरेक्ट एक्शन' की सीधी कार्यवाही के कारण हिन्दू-मुस्लिम दंगे होने लगे।

केन्द्र की अन्तरिम सरकार साम्राज्यिक दंगों को दबाने में पूरी तरह असमर्थ होती जा रही थी। लोग जो उस समय अन्तरिम सरकार में थी, वह स्थिति को कावू लाने में भदद देने की

बजाय लोगों को उकसा रही थी। कलकत्ता शहर दंगों की आग में जल रहा था। गांधी जो पहले वहाँ गये और उसके बाद नोआखाली।

भारत को जिस दिन अर्थात पन्द्रह अगस्त 1947 को आजादी मिली, उस दिन गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। वे भाई-भाई के बीच हो रहे दंगों को चंद कराने के लिए नोआखाली में थे। इन सम्प्रदायिक दंगों से हमारा अलवर भी नहीं बचा। यहाँ तो और भी दुरा हाल देखने को मिला। यहाँ के लोग आपस में नहीं लड़े। यहाँ पर जो सम्प्रदायिक दंगे हुए उनमें राज्य के अधिकारियों तथा सेना के जवानों तक का हाथ था। अलवर में फौज के लोगों ने गांधी के लोगों को भगाया, उन्हें मारा और लूटा। उनके धार्मिक स्थलों, मजारों आदि को तोड़ा। मुसलमानों के घरों का सामान जेवर लूटा। बल्कि यह कहा जाय कि उन दिनों लोगों ने अपना यह पन्थ ही बना लिया था कि वे गत को बड़ी भीड़ लेकर जाते, तोड़-फोड़ करते और जो हाथ लगता, लेकर आते। उस लूट में खास तौर से मेवात की लूट में जहाँ अनेक हिन्दू व्यापारियों, दूकानदारों और साहूकारों की उधारें आदि अपने आसामियों के कारण ढूब गई, क्योंकि मेवात क्षेत्र के दूकानदार आदि शहरों में आ चुके थे और मेव अपना चतन, अपना सामान छोड़कर पाकिस्तान के लिए यहाँ से जा रहे थे। उधर उस स्थिति में लाभ उठाते हुए अनेकों लोगों ने रातों रात लूट के माल से अपने आपको मालामाल कर लिया।

पूरे हिन्दुस्तान में कोई 563 देशी रियासतें थीं जिनमें कुछ बहुत बड़ी थीं और कुछ बहुत छोटी, पर इन सभी राजाओं को अंग्रेजों के भारत छोड़ने के साथ आजादी मिल गई थी कि वे भारत के दो देशों के बैंटवारे में, चाहे भारत के साथ रहें या पाकिस्तान में मिल जायें और चाहें तो अपना अस्तित्व स्वतंत्र राज्य के रूप में रखें। डॉ. खेर के द्वारा महाराजा तेजसिंह को इन तीनों विकल्पों के बीच खूब नचाया। वे कभी उन्हें स्वतंत्र राज्य का सप्त्राट बन जाने का स्वप्न दिखाते तो कभी पाकिस्तान के साथ मिलने के फायदे गिनाते। हाँ वे उन्हें भारत में मिलने की कभी सलाह नहीं देते थे, क्योंकि कांग्रेस और उसके एक छत्र नेता गांधी जी को तो वे अपना शत्रु नम्बर एक मानते थे।

अलवर में फैले सम्प्रदायिक उन्माद के पीछे चूंकि यहाँ की राज्य सरकार का हाथ या और उसके पीछे उसके प्रधान मंत्री डॉ. खेर का उसमें पूरा सहयोग था, इसलिए राज्य में यहाँ इन दंगों के नाम पर जो कुछ भी हुआ, उसे महज दो सम्प्रदायों के बीच का झगड़ा न कहकर उसे सरकार की शह पर कराया गया रूप खराया और राज्य की आवादी के बड़े भाग, मेव और पूरे मेवात क्षेत्र को उजाड़ने का एक सुनियोजित पड़यंत्र हुआ, जिसके प्रमुख सूप्रधार डॉ. खेर थे।

हमारे राज्य की भाँति ही पड़ोसी राज्य भरतपुर में भी मेयों को राज्य से भगाने का काम यहाँ के राज-परिवार के सीधे सहयोग से हुआ। यहाँ के राजा : यज्ञूसिंह सेना और

मार्ग पर से तिजारा जाने के लिए, किशनगढ़ पैदल जाते हुए मिलिट्री वालों ने अपनी गोली से भून दिया था, महज इस भ्रम में कि वे मुसलमान थे क्योंकि वे तीन मुसलमान अधिकारियों के साथ जा रहे थे।

अलवर शहर तथा पूरे राज्य के देहाती क्षेत्रों में इन साम्राज्यिक दंगों का असर इतना हुआ कि जहाँ पर भी दोनों सम्प्रदायों के लोग थे, वहाँ पर रहने वाले पूरी तरह भयभीत हो चुके थे और अपने आप को असुरक्षित मानते थे। अतः दोनों ही लोग अपने-अपने लिए सुरक्षा के स्थानों की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। शहर से मुसलमान और देहात से मेव अलवर राज्य से बाहर पलायन करने लग गये थे।

गांवों में रहने वाले हिन्दू भी शहरों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ अपना सामान भेजने में लगे हुए थे और कुछ लोग रहने भी लग गए थे। इस अदला बदली में मुसलमानों को जहाँ अपनी तरह की बर्बादी और भयंकर विनाश का मुँह देखना पड़ा, वहाँ हिन्दू व्यापारियों और दूकानदारों को भी भारी हानियाँ उठानी पड़ी। उनका गांवों का कारोबार बर्बाद हो गया, दूकानें बंद हो गईं। किसानों और जरूरत मंद लोगों को दी गई उधारें ढूब गईं।

उधर इन दोनों तरफ के सम्प्रदायों के लोगों की बर्बादी से भी लाभ उठाने वाले हजारों लोग थे, जो सरकारी अधिकारियों मिलिट्री वालों के संरक्षण में 'दहाड़' बनाकर जाते थे, और शान्तिप्रिय लोगों को हल्ला खोल कर अपने घरों से खदेड़ते, उनके घरों में आग लाते, जो भी सामने आता उसे मारते और कत्ता कर उनका धन-माल लूट कर ले आते। कुछ लोगों के लिए उस जमाने में इस प्रकार लूट कर अपना धर भरना एक पेशा हो गया था। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कई महिनों तक लगातार दिल खोल कर लूट पाट की और मालामाल हो गए।

अलवर शहर भी उस साम्राज्यिक आग में पूरी तरह जलने लगा। दोनों ही तरफ से अलग-अलग साम्राज्यिक दंगों के उस उन्माद में यदि एक तरफ से 'अल्लाहो अकबर' के नारे सुनाई देते तो दूसरी तरफ से उसके जवान में 'हर हर महादेव' के नारों का रात-रात भर एक दूसरे के जवाब में भारी शोर गुल सुनाई देता। शायद उन दिनों सोता कोई नहीं था। 'दहाड़' में जाने वाले, कत्ता करने और माल लूटने में धूमते रहते थे तो शान्ति की कामना करने वाले, अपनी रक्षा में, पूरी वस्ती के लोग एक साथ जाग कर सड़क व गलियों के नुककड़ों पर पहरा देते रहते थे।

प्रशासन की सीधी कार्यवाही और भागीदारी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि जिस रात को अलवर शहर की बजाजा बाजार स्थित जामा मस्जिद टूटी, उसका 'शुभारम्भ' करवाने स्वयं तत्कालीन कलैंकटर श्री मूल चन्द वधावर भौंके पर आये। वह भीड़ के बीच से निकलकर मस्जिद में गया और कुरान शरीफ की प्रतियाँ लाया और उन्हें सड़क पर फाड़ कर फैंक दिया। फिर क्या था, सैकड़ों की संख्या में 'दहाड़' वाले अपनी सब्बलों, गेंतियों और हथौड़ों से टूट पड़े और देखते ही देखते वह बड़ी लम्बी छौड़ी इमारत मलवे का ढेर बन गई। उसका सामान, दरवाजे, खिड़कियों तक को लूटकर लोग ले गए।

प्रजामण्डल के नेता इस मस्जिद के पास स्थित प्रजामण्डल के दफ्तर से यह सब देख रहे थे, जिनमें सर्व श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, गुमजी लाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़िया, मायाराम

आदि थे। प्रजामण्डल के नेताओं में कुछ इस काण्ड से दुखी थे और कुछ मुसलमानों ने आदि थे। पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ किये जाने याते ऐसे कारनामों की आड़ में उसे बदले जैसे कार्यवाही कहकर एक प्रकार से ठचित थता रहे थे।

ऐसा माहील देखकर राजा को मिलिट्री यहाँ के तत्कालीन सेनापति श्री अब्दुल रहमान के साथ एक सुरक्षा गार्ड भेज कर उन्हें दिल्ली पहुंचा आई। इसी रात को खटानों के पास जुलाहों के मौहल्ले में तथा नला शीशगारान पर लोगों के घर जला दिये गए और अनेक पुरुषों ने इसी और चालकों को कत्ल कर दिया गया।

शहर के साथ-साथ तिजारा में भी यही दृश्य चल रहा था। वहाँ एक घर में अपनी जन बचाने के लिए एकवित 35 जनों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। यह स्टायर्ड फैज के अधिकारी का भक्तान था।

उधर मेवों को एक भीड़ ने बदले की भावना में एक हवेली में इसी तरह एकवित बनियों व हिन्दुओं को मार दिया। इन मेवों के पास हथियार थे।

रामगढ़ में भी इसी प्रकार दंगों का उग्र रूप देखने को मिला। रामगढ़ का तहसीलदार इधर कस्बे तथा आसवास के गांवों में मेवों को मरवा रहा था तो उधर नौगांवों में नूह आदि की तरफ से आई मेवों की भीड़ ने हिन्दुओं पर हमला कर बदले की कार्यवाही करने के लिए 'दहाड़' बनाकर पत्थरी, हथियारों आदि से हमला किया। अपनी रक्षा में कस्बे के बनियों व मालियों आदि ने पत्थरीं व लाठियों से मुकाबला किया।

स्मरणीय है कि अलवर और भरतपुर के इस प्रकार के दंगों की खबर महात्मा गांधी के पास लगातार पहुंच रही थी। वे उन दिनों दिल्ली में ही थे। वे अपने विश्वस्त लोगों को भेजकर शान्ति कायम करवाने के लिए प्रयासरत थे, पर नतीजा कोई खास नहीं निकल पा रहा था। घरबार छोड़ कर भागने वाले मेवों को तसल्ली देने और पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए महात्मा जी एक दिन नूह के पास घासेड़ा गांव में आये। उनसे मेवों के नेता चौधरी अब्दुल हैं, यासीन खाँ, सैयद मुतली आदि मिले। वे लोग भी इसी पक्ष में थे और कोशिश में थे कि अलवर व भरतपुर के मेवात क्षेत्र में भड़काये गए दंगों को रोका जाय और मेव अपने घरन को न छोड़ें। गांधी जी के आने की खबर सुनते ही अलवर से मौलावी इद्राहिम गये और उन्हें यहाँ के हालात से अवगत कराया तथा उनसे शान्ति कायम करवाने के लिए प्रार्थना की।

इधर प्रजामण्डल के नेताओं ने अलवर राज्य प्रजामण्डल की एक विशेष धैठक कर यह प्रस्ताव पारित किया कि यहाँ पर दंगों को तब ही रोका जा सकता है जब यहाँ पर जनता के प्रतिनिधियों को एक उत्तरदायी हुक्मत कायम कर दी जाय। डॉ. खरे तथा उनके गैर जयावदार तथा नाम मात्र के मंत्रियों के रहते इस साम्रदायिकता की विभीषिका से मुकाबला करना असंभव है।

प्रजामण्डल के इस प्रस्ताव को लेकर मा. भोलानाथ तथा श्री शोभा राम दिल्ली गये। वे पहले दिल्ली में 22 फौरोजशाह रोड पर, जो देशी राज्य प्रजा परिषद का मुख्यालय था, गए और परिषद के महामंत्री श्री गोकुल भाई भट्ट को साथ लेकर प्रातःकाल 5 बजे सरदार घल्लभ भाई

पटेल से उनके प्रातः कालीन भ्रमण के समय मिलने लोदी गार्डन पहुँचे, जहाँ वे नियमित रूप से धूमते थे।

सरदार पटेल ने महाराज तेजसिंह को बुलाया। वे हवाई जहाज से दिल्ली गये जहाँ श्री पटेल ने उनसे उत्तरदायी शासन कायम करने की दिशा में कदम उठाने की बात की। महाराजा ने उनके सामने तो हाँ भरली। इस काम को सम्पन्न कराने के लिए प्रजामण्डल और महाराजा के बीच बात कराने के लिए श्री गोकुल भाई भट्ट को मध्यस्थ बनाया। तदनुसार श्री गोकुल भाई भट्ट राजा से बातें करने अलवर आये। भट्ट जी ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे प्रजामण्डल द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को स्वीकार न करने में तरह-तरह के तर्क देते रहे। उनका यह कहना था “भट्ट जी आप देखो, हम इन छोटे लोगों को कैसे अपने साथ मंत्री बनाकर बैठा सकेंगे, अगर इन प्रजामण्डल वालों ने ‘कुम्हार’ और ‘भराडे’ जैसे लोगों को मंत्री बनाने के लिए भेज दिया तो?”

महाराजा की इस तरह की हास्यास्पद और भद्री बातों को सुन कर कोई क्या कर सकता था। भट्ट जी आखिर निराश होकर चले गये।

अलवर राज्य प्रजामण्डल की कार्यकारिणी ने ऐसी स्थिति में अपनी एक विशेष बैठक बुलाकर पुनः एक आंदोलन 2 फरवारे सन् 1948 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया, जिसमें साम्प्रदायिकता से संघर्ष के साथ कस्टम हटाने को भी एक मुद्दा बनाकर संघर्ष का आङ्गान करने का निश्चय था।

आंदोलन की तैयारी के लिए, ऊपर का समर्थन जुटाने के लिए मा. भोलानाथ को भेजा गया। वे अखिल भारतीय देरी राज्य लोकपरिषद के कार्यालय में जाकर जम गए।

इधर प्रजामण्डल के बाकी नेता व कार्यकर्ता अपनी तैयारी में लग गये। इस बार यह तय किया गया कि सत्याग्रह के तहत अधिकारियों को घेरना, कण्ट्रोल का कपड़ा, मिट्टी का तेल, पैट्रोल आदि निर्यातित रेटों पर दिये जाने के लिये कार्यबाही करवाना भी कार्यक्रम में शामिल था।

सन् 1947 के इन हिन्दू-मुस्लिम दंगों के दौरान नौगांव वासी हिन्दुओं को तत्कालीन पंजाब और अब हरियाणा के मेवों के आ जाने की आशंका बनी रहती थी। उसके लिए अपने लिए सुरक्षा के विशेष इन्तजाम करने के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से चन्दा इकट्ठा कर छ हजार रुपये में एक जीप खरीद कर श्री चन्द्रशेखर नाजिम को दी ताकि मेवों को खदेड़ने में मिलिट्री की सहायता करवा सकें। वे यह काम क्या करवाते अलावा इसके कि साम्प्रदायिक मारकाट करवाते और तनाव पैदा कर वातावरण बिगाड़ते। इसके विरोध में श्री फूलचन्द गोठड़िया ने रामगढ़ में 11 दिनों की भूख हड़ताल सरकारी स्कूल के सामने के मैदान में की। उनका विरोध करने और हिन्दुओं को उकसाने को पं. गिरधर शर्मा सिंह, लाला उमरावलाल एडवोकेट, श्री अवतार चन्द्र जोशी, श्री रमेश मिश्रा और श्री मोती लाल जैन उर्फ जित्रा ने भड़काने वाले भाषण दिये।

श्री गोठड़िया की सहायता के लिए अलवर से श्री रामजी लाल अग्रवाल, श्री मायाराम व श्री दयाराम गये। श्री शोभाराम यह कह कर टाल गये कि यह भूख हड़ताल विना कार्यकारिणी

के लिए बहुत ज्यादा चाही है। वह अपनी जगत् भवान में अपनी आपों के लिए उपर्युक्त
में को भवानों को बना दी गई है। इसके लिए वह अपनी में आवश्यकी सी। उद्देश्य रह
जाता था। वह अपनी जगत् भवान में अपना [लिखे]

में अपारा उत्तरे हुए थीं जो भावाम या गम्भीर विषयों को बतानेमें दूर्लभ थीं ऐसी विद्या
में अपारा चलता। उन्होंने सबको यह दिला कि उस दोनों में युद्ध विषय जैसे यह एक
इकाया दर खेड़ता। इस पार गांव की जो भावाम, विषयों, विद्याम उन्हिं जो दरवारे तक
उपग्रहित हों वह याकाद़ दर्श और भीगांव दर्शते। भीगांव के हांसों में याने पर याने विद्यार
सी और वायांविद्यार में याने चाहे। वायांविद्यार द्वारा जीव वृष्ट जाने की याद हम नहीं हुए हैं।
उन्होंने उसे भीगांव कालों को वरिष्ठ कर दी जिसके पश्चात्याकृत और गोट्टिकृत ने भूत इकाय
कीदू दी। युद्ध दिनों के याद की युद्धाकृत गोट्टिकृत कीगांव काल। लोगों ने युद्ध जैसे का क्या
फरें? इस पर विचार कर यह तब हुआ कि जीव ये विद्या इसके देसे से एक मूल भवन यह
दिला जाग। यहाँ के युद्ध गांव पर विद्या राष्ट्रीय विद्यालय भवन उसी जैव की विद्या का
प्रतिष्ठान है।

श्री घट्टप्रसाद गुप्ता पर जारीरदारों का कातिलाना हमला :

रान् 1947 के दिसम्बर मास में धारागाँड़ी रहस्योत्तम के नाम संपुर्णांग में वहाँ किलों
तथा आम जनता की वातिष्य समस्याओं परी होकर प्रजामण्डल की ओर से एक मीटिंग हुई। उसे
राभा में कुछ राजपूतों और जागीरदारों के आदिमियों ने उन पर उस भवय परिसंको और धारादा
हथियारों से कातिलाना हमला किया, जब ये भाषण दे रहे थे और जागीरदारों और राजसरका
के अधिकारियों के दमन घफ के बारे में योल रहे थे। उनके तिर तथा शरीर के कई भागों पर
गंभीर छोटे आई और गहरे जल्म हुए जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक अस्थान में रहा पड़ा।
महात्मा गांधी की हत्या और यहाँ की राजनीति में मोड़:

प्रजा मण्डल थाले, जैसा कि कपर कहा गया है अपने 27 जनवरी 1948 के प्रस्ताव की तैयारी कर ही रहे थे और मा. भोलानाथ दिल्ली में समर्थन व सहयोग जुटाने में नेताओं से समर्पक में ही थे कि 30 जनवरी को शाम को 5 बजे, प्रार्थना सभा में मंच पर जाते हुए भीड़ में से उन्हें अभिवादन करने के बहाने, अपनी छिपी पिस्तौल से आर.एस. एस. के एक सक्रिय कार्यकर्ता नाथूराम गोडसे नामक महाराष्ट्र के एक आहारण ने उन्हें अपनी गोली का निशाना बनाकर उनकी नृशंस हत्या कर दी। ये 'हरे राम' कहते हुए वहाँ धराशायी हो गये। इस हदय विदारक और वेदना पूर्ण समाचार को सुनकर पूरा देश ही नहीं सारा संसार स्तव्य रह गया। शान्ति के दूत का, जो जनता के बीच तथागत गौतम बुद्ध की भाँति खून के प्यासे अंगुलिमाल का मुकाबला अपने आत्म बल से करता था, उसका ऐसा अन्त, वह भी हजारों की भीड़ के बीच, देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जहाँ भारत सरकार के सभी बड़े नेता थे। यदि ऐसा, नोआखली या कलकत्ता में उस समय होता जब वहाँ सुहरावर्दी के दरिन्दे जुनून में भरे कल्पे आम कर रहे थे और वे वहाँ उनके बीच शान्ति का संदेश लेकर, मारकाट बन्द करने की अपील कर रहे, हो गया होता तो आश्चर्य नहीं होता। पर यहाँ, एक हिन्दू और वह भी ब्राह्मण ने ऐसा किया था।

उनके निधन पर पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा, "वह रोशनी बुझ गई जो हमें मार्ग दिखाती थी।" महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा, "आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें कि धरती पर ऐसा भी हाड़ मांस का आदमी था जो शान्ति के लिए इस प्रकार प्रयास करता हुआ मारा गया।"

अलवर में भी रांटूपितों के ऐसे आकस्मिक निधन से शोक की लहर छा गई। जहाँ देखो लोग सड़कों पर भीड़ के रूप में जमा होकर यही चर्चा करते रहे कि, "बापू कैसे मारे गए, किसने मारा?" पल पल के समाचार जानने को उत्सुक भीड़ यहाँ के उन रेडियो सैटों पर लगी रही, जो कुछ ही लोगों की दुकानों या घरों में थे। 31 जनवरी, 1948 को उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें अपार भीड़ थी, जिसमें भारत के तत्कालीन वायंसराय लार्ड माउण्टवेटन से लेकर जन साधारण वहाँ यमुना के किनारे जमा हो गए। विदेशों से भी अनेक बड़े नेता आये, बापू को अपनी विदाई और श्रद्धा सुमन अर्पित करने।

अलवर के हालात, यहाँ के राजा तथा प्रधानमंत्री डॉ. खरे के कारनामों के बारे में भारत सरकार और गृहमंत्री सरदार पटेल को पहले ही अवगत करा दिया गया था। केन्द्र को पता हो गया था कि यहाँ की राज्य सरकार साम्प्रदायिक दंगे करवा कर शान्ति और सद्भाव को बिगड़ कर, दो सम्प्रदायों को लड़ा कर मार काट करवा रही थी।

अतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से ता. 1 फरवरी की रात को पुलिस का एक ट्रक, हथियारों से लैस होकर टोली का कुआ पर आया और यहाँ के नेताओं से सम्पर्क कर स्थिति की जानकारी ली। दूसरे दिन 2 तारीख को वह ट्रक जावली भवन गया, जहाँ से पं. गिरधर शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। श्री सिद्ध को प्रजामण्डल के कार्यकर्त्ताओं ने बापू की हत्या के लिए प्रचार करने वाले 'बाबाजी' को घर पर ठहराने के कारण घर पर घेर लिया था और वहाँ से रात को भीड़ से ऊँच बचा कर वे जावली भवन में शरण लिए हुए थे। हिन्दू सभा के अन्य नेता फरार हो गये। तारीख 2 को ही दिल्ली से पुलिस का दूसरा दल आया जो सरदार पटेल का यह आदेश लेकर आया कि सिद्ध को दिल्ली भेज दिया जाये। इसी दिन शाम को 3 बजे महाराजा तेजसिंह की ओर से एक आमसभा कम्पनी बाग में बुलाई गई जिसमें भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। प्रजामण्डल के बड़े नेताओं ने इस शोक सभा में जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि यह आम सभा महाराजा ने एक प्रकार से अपने अपराध को छुपाने के लिये भय के कारण की थी। हाँ, कुछ साथी जिनमें सर्व श्री डॉ. शानितस्वरूप डाटा, पृथ्वी नाथ भार्गव, फूलचन्द गोठड़िया, मायाराम, देयाराम, हरसहाय लाल विजय आदि वहाँ पहुँचे। कम्पनी बाग के गणगौरी मैदान की इस सभा में बमुश्किल दो मिनट का भाषण दिया और अपनी ओर से श्रद्धाजलि अर्पित कर महाराज अपनी कार में बैठ कर भाग गये। उनके जाते ही सभा के माइक और मंच पर प्रजामण्डल के उक्त कार्यकर्त्ताओं ने कब्जा कर लिया। इन सभी वक्ताओं ने महाराजा तथा डॉ. खरे के उन सारे कारनामों पर विस्तार से प्रकाश ढाला, जो महात्मा गांधी की हत्या के कारण बने थे। वक्ताओं ने साफ तौर पर उन पर यह आरोप लगाया कि गांधी जी की हत्या में इन लोगों का पूरा-पूरा हाथ है। भीटिंग में सारी बातों को सुन कर उपस्थित भीड़ पूरे जोश और गुस्से में भर गई। सब लोग एक साथ यह कह उठे, "बापू के हत्यारे खरे को अलवर से भगाओ!", 'डॉ. खरे मुर्दायाद',

'गांधीजी के हत्यारे मुदायाद', यह नारे सुनाते हुए हजारों लोग सभा स्थल से सीधे डॉ. डोंडी कोठी की ओर दौड़ पड़े। अतः प्रजामण्डल के ये सभी कार्यकर्ता तथा नेता जो वहाँ थे वे, भीड़ के साथ गये। कोठी पर पहुँचते-पहुँचते तो भीड़ और भी अधिक बढ़ गई और चाहें तरफ से उसे धेर लिया। लोग अन्दर घुसने लगे। उग्र भीड़ के कम्पनी बाग से खरे की कोठी की ओर बढ़ने की बात सुनते ही अलयर फे तत्कालीन कलैक्टर श्री खेमचन्द ने प्राइम मिनिस्टर की सुशि के लिए चारों ओर मिलिट्री लगा दी। पर भारी भीड़ को देख कर उसने किया कुछ नहीं। उधर उत्तेजित भीड़ की ओर से ये आवाजें लग रही थीं, "बापू के हत्यारे खरे को बाहर खोच कर लाओ।" घबरा कर खरे ने 5-7 आदमियों को बात करने के लिए अन्दर बुलाया। दरवाजा खुलते ही 15-16 आदमी अन्दर घुस गए जिनमें सर्व श्री डॉ. डाटा, पूलचन्द गोठड़ीया, रामकुमार 'राम', प्रभुदयाल गुप्ता, पन्नालाल चौधे, दयाराम गुप्ता, हर सहाय लाल, मायाराम आदि थे। इन लोगों ने पहले तो खरे को काफी फटकारा, लताड़ा और अन्त में उनसे यही कहा, "आप 24 घण्टे के अन्दर अलवर छोड़ जाओ। हम तुम्हें अलवर में नहीं रहने देंगे।"

डॉ. खरे ने कहा, "मैं पहले ही जाने की तैयारी कर रहा हूँ।" उसके यह कहते ही भीड़ वहाँ से हट गई। जब भीड़ स्टेशन की तरफ से लौट रही थी, महाराजा स्टेशन के पास महाराजा तेजसिंह की कार बड़ा बाग, राजपिंडी कालेज की ओर से विजय मन्दिर की ओर जाती हुई मिली। कुछ लोगों ने उनकी ओर धूल और कंकड़ फेंके।

भीड़ का एक हिस्सा जो होम सर्कंस की ओर गया, वह राजा की सरकार में हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि मिनिस्टर श्री रामचन्द्र व्यास के मकान पर उससे इस्तीफा देने के लिये नारे लगाने लगा।

इस घटना के बाद तारीख 5 फरवरी 1948 को अलवर के महाराजा तेजसिंह को दिल्ली बुलाकर नजर बन्द कर दिया गया। डॉ. खरे जो दिल्ली पहुँच चुके थे, उन्हें भी उनके साथ वहाँ रोक लिया। राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लेने के लिए भारत सरकार ने 6 फरवरी को श्री के.बी.लाल को हवाई जहाज से अलवर भेजा। उन्होंने प्रजामण्डल के नेताओं को बुलाया और उन्हें सूचना दी कि वे प्रशासक बन कर गृह मंत्रालय की ओर से अलवर भेजे गये हैं। उन्होंने कहा कि उनको यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए दो एडवाइजर (सलाहकार) दीजिए। प्रजामण्डल ने इसके लिए लाला काशीराम और मास्टर भोलानाथ के नाम दिये। श्री शोभाराम अपना नाम देने पर तैयार नहीं हो रहे थे। अंत में श्री कृष्णदयाल माधुर व श्री रामजीलाल अग्रवाल के बार-बार जोर देने पर उन्होंने सलाहकार बनना स्वीकार कर लिया। इस तरह श्री शोभाराम और लाला काशीराम को सलाहकार नियुक्त किया गया।

इसी रात को दिल्ली से मिलिट्री के टैंक अलवर आ पहुँचे। उनके साथ उच्च अधिकार प्राप्त फौजी अफसर थे, जिन्होंने गृह मंत्रालय छारा जारी आदेशों के अनुसार अलवर राज्य के मिलिट्री केन्द्रों पर कब्जा कर लिया और सारे शहर में 3 दिनों के लिए कफर्यू लगा दिया गया। राज्य के पूरे प्रशासन ये मिलिट्री को अपने अधिकार में ले लिया।

उधर सरदार पटेल तथा गृह मंत्रालय ने महाराजा से अलयर का शासन केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय को सौंपने के कोवनेंट (समर्पण के मसौदे) पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसी तरह

अलवर के साथ, भरतपुर, धौलपुर - फ़ॉर्मों के राजाओं को भी अपना शासन केन्द्र सरकार को सौंपने के समर्पण पत्रों पर हस्ताक्षर करवा लिए, जिसके फलस्वरूप इन चारों राजाओं ने अपनी रियासतों को मिला कर एक संघ बनाने का फैसला किया। काफी विचार-विमर्श के बाद इनके संघ का नाम मत्स्य संघ रखा गया। धौलपुर के महाराजा जिन्हें मत्स्य संघ का महाराज प्रमुख बनाया गया। उनका सुझाव था कि इस संघ का नाम 'स्टेट आफ अभधौक' रखा जाये जिसमें चारों रियासतों के प्रथम अक्षर हैं।

स्मरणीय है कि बाबू शोभाराम ने 5 फरवरी 1948 को लक्ष्मणगढ़ तहसील के हरसाणा ग्राम में "गांधी विद्यालय" की स्थापना की। विद्यालय के लिए ग्राम के सेठ श्री प्यारेलाल जैन ने अपनी भूमि दी। इस विद्यालय में कांग्रेस के कई अच्छे कार्यकर्ता अध्यापक लगे जिसमें श्री रामस्वरूप गुप्ता, श्री अनन्तराम, श्री गोपालशरण भाथुर कमला जैन आदि थे।

अलवर के हालात का पूरा जायजा लेने के लिए सरदार पटेल 17 फरवरी 1948 को अलवर आये। हवाई जहाज के उत्तरने के लिए हवाई पट्टी न होने के कारण वे छोटे हवाई जहाज से आये। राजर्षि कालेज के खेल के मैदान में उनकी एक विशाल सभा हुई। सरदार पटेल का भाषण हुआ जो कई प्रकार से देशी राज्यों की राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक था। उन्होंने कहा कि यह बड़े खेद का विषय है कि राजपूतों की जो तलबार लोगों की रक्षा किया करती थी आज वह जनता का दमन करती है। उन्होंने कहा आज के युग में महतर की झाड़ू राजपूत की तलबार से कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए राजा लोग समय की नब्ज को पहचान कर अपने आपको राष्ट्रीय धारा में मिला लें। इससे सरकार परस्त लोग काफी तिलमिलाये पर कर कुछ नहीं सके।

सरदार पटेल की इस चेतावनी का ऐसा असर हुआ कि मत्स्य के बाद और भी छोटी रियासतों के संघ बनते चले गए और बड़े राज्यों ने अपने यहाँ जन प्रतिनिधियों को सत्ता सौंप कर प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली को कबूल कर लिया।

पूर्व निर्णयानुसार मत्स्य संघ का निर्माण कर उसकी पूरी रूप रेखा गृह मंत्रालय द्वारा तैयार कर 19 मार्च 1948 को अलवर में मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। राजस्थान की देशी रियासतों के एकीकरण का यह पहला लोकप्रिय शासन इकाइयों का संघ था। धौलपुर के महाराज को महाराजा प्रमुख बनाये जाने के बाद अलवर राज्य के महाराजा तेजसिंह को राजप्रमुख बना गया। संघ की राजधानी कहाँ हो, इस बारे में सरदार पटेल ने इसका निर्णय चारों राज्यों के नेताओं पर छोड़ दिया। अलवर के नेता बाबू शोभाराम को लोकप्रिय शासन का प्रधान मंत्री बनाया गया। मंत्रियों में प्रत्येक राज्य को मंत्रि-मंडल में राज्यों के आकार की दृष्टि से इस प्रकार स्थान दिया गया-

- (1) श्री शोभाराम (अलवर), मुख्य मंत्री
- (2) श्री भोलानाथ मास्टर (अलवर) सार्वजनिक निर्माण विभाग व रसद विभाग मंत्री
- (3) श्री युगल किशोर चतुर्वेदी (भरतपुर) शिक्षा मंत्री
- (4) श्री गोपीलाल यादव (भरतपुर) राजस्व मंत्री

(5) डॉ. मंगल सिंह (भौतपुर) रायस्थ मंत्री

(6) श्री चिरंजी साल शर्मा (कर्हीली) उद्घोग मंत्री

मत्स्य संघ के निर्माण का उद्घाटन भरतपुर में किया गया, जहाँ उद्घाटन के बड़ी भरतपुर के किले पर केन्द्र सरकार का तिरंगा झंडा फहराया गया जिसका विरेप झलं के निरुच स्थानीय जाटों ने धूमसिंह के नेतृत्व में हिंसक प्रदर्शन करने का प्रयत्न किया। पुलिस इंतजाम के कारण ये सफल नहीं हो सके। मत्स्य यूनियन का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री एम. वो. गाडगिल आये थे।

भरतपुर में संघ के उद्घाटन के बाद दूसरे दिन अलवर में उद्घाटन के उपलक्ष्मि एक स्वागत य सहभोज का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्रिमण्डल के सदस्यों का अभिनन्दन किया गया। उस स्वागत समारोह य सहभोज में शहर के अनेक गण-मान्य नागरिकों य कार्य कर्ताओं ने भाग लिया।

मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाने का निर्णय काफी विवाद के बाद श्री के.वी. लला की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के रियासती विभाग ने कर दिया। इस प्रकार मत्स्य संघ भी बन गया और उसको राजधानी भी अलवर बन गया।

मत्स्य संघ बन जाने के बाद भी नीमराणा जो अपने आप में एक ठिकाना था और श्री राजेन्द्र सिंह उसके शासक थे, वे मत्स्य संघ में शामिल होने से रह गये। श्री शोभाराम ने उन्हें श्री राजनि स्वरूप डाला छारा चुलावाकर उनको अपना ठिकाना संघ में विलोन करने के लिए तैयार कर लिया गया।

इस सारे राजनीतिक घटना क्रम में एक बात विधान निर्माणी परिषद में अलवर से प्रतिनिधि भेजने के मामले में बड़ी ही विचित्र घटी जिसका जिक्र भी यहाँ कर देना उचित रहेगा।

हुआ यह कि यहाँ के एक सरकारी कर्मचारी श्री बलदेव प्रकाश अलवर में सप्लाई विभाग में कलंके थे, उन्होंने चने की निकासी में अखिल भारतीय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. पट्टाभी सीतारमैया के पुत्र को नीमराणा ठिकाने की मदद से निकासी का परमिट दिलाया उसके फलस्वरूप वे अलवर से विधान निर्माणी परिषद के लिए प्रतिनिधि बनाये जाने को नियुक्त करा लाये। उसका पता लगने पर कांग्रेस उच्च सत्ता से उसकी शिकायत की गई जिसके आधार पर श्री बलदेव प्रकाश का नाम हटवा कर श्री रामचन्द्र उपाध्याय एडवोकेट को उसके स्थान पर विधान निर्माणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया।

यह भी बात बड़ी विचित्र और दिलचस्प है कि इस बलदेव प्रकाश ने नीमराणा जो 12 गांवों का ठिकाना था और अधिक से अधिक जिसकी उस समय सालाना आमदनी 12,000 रु. (बारह हजार) सालाना थी, उसे अलग इकाई बनाने का आदेश दिला दिया था।

जहाँ अलवर देशी रियासत से लोकतान्त्रिक प्रणाली के अन्तर्गत एक संघ का अंग बन गया था, वहाँ अलवर की सारी स्वाधीनता को लड़ाई को लड़ने वाला संगठन, अलवर राज्य प्रजामंडल कांग्रेस में परिवर्तित कर मत्स्य कांग्रेस के साथ विलोन कर दिया गया जिसका अध्यक्ष भरतपुर

के नेता मास्टर आदित्येन्द्र को तथा अलवर के श्री रामानन्द अग्रबाल तथा भरतपुर के श्री राजवहादुर को महामंत्री घनाया गया।

चारों राज्य, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के नेताओं में सामंजस्य वैठाने के लिए अलवर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ जिसमें बाहर के अनेकों कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अलवर में आकर अधिवेशन में भाग लिया। विशेष रूप से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एवं आचार्य कृपलानी भी पधारे।

अलवर की प्रमुख एवं दूर-दूर तक ख्याति प्राप्त नाट्य संस्था श्री राजर्षि अभय समाज ने, कम्पनी बाग के सामने यज्ञ भूमि जहाँ आजकल पुराना सूचना केन्द्र है, स्वर्गीय पंडित नन्दकिशोर शर्मा द्वारा लिखित नाटक 'पद चिन्हों पर' का मंचन किया। इस नाटक के दो दृश्यों ने दर्शकों को बड़ा अभिभूत किया। एक वह जिसमें पर्दे पर छाया चित्र में महात्मा गांधी को दिखाया गया था, और श्री मदनलाल गुप्ता द्वारा रचित गीत "तमसावृत भारत दिव्य ज्योति युग पुरुष तुम्हारी जय" गया गया था तथा दूसरा परदे पर बने पुल को तोड़ने का दृश्य। जिसे देखकर यहाँ के पी. डब्ल्यू. डी के अभियन्ता ने अन्दर आकर निर्देशक महोदय से पूछा कि इस पानी का निकास कहाँ किया है कहीं यह पाण्डाल में न आ जाए। इस नाटक का निर्देशन भी श्री मिश्रा ने किया। उस समय अलवर रंगकर्मी श्री जयनारायण भार्गव "मुखिया जी," छोटे लाल कपूर, ग्यारसीराम, श्यामलाल सक्सेना आदि को अच्छी ख्याति प्राप्त थी।

मत्स्य संघ के बाद सरदार पटेल राजस्थान की छोटी रियासतों के संघ बनाने में लग गए। बड़ी रियासतों जैसे जोधपुर, बीकानेर, जयपुर आदि के राजाओं के आधीन वहाँ पर लोक प्रिय शासन बना दिये गये। कुछ राज्यों के संघ बनाये। अन्त में 30 मार्च 1949 को राजस्थान के सभी राज्यों और संघों को मिला कर एक वृहत् राजस्थान बना दिया गया जिसमें सिरोही तथा अजमेर को छोड़कर राजस्थान का पूरा भाग, राजस्थान राज्य का अंग बन गया, जिसके प्रथम मुख्य मंत्री पं. हीरालाल शास्त्री और उनके मंत्री मण्डल में श्री शोभाराम काबिना मंत्री बने। ●

नीमराणा का अलवर में विलय

चौहा। वंशीय शासक का नीमराणा चीफशिप एक स्वतंत्र राज्य इकाई के रूप में सन् 1947 से १९५१ में चला आ रहा था। सन् 1897-98 में नीमराणा को सैटलमेंट के समय महाराज जयसिंह अग्रवर राज्य का अंग बनाने के लिए प्रयत्नररील थे। ३० गांवों वाले नीमराणा को इसके शासक ने अंग्रेजों के चीफशिप की स्टेट घोषित करा लिया। १५ अगस्त १९४७ को नीमराणा के तत्कालीन शासक श्री राजेन्द्र सिंह ने किले और महल पर तिरंगा झँड़ा फहराया एवं राष्ट्रगान कराया। इसलिए तब अलवर राज्य के नवरो में नीमराणा अंकित नहीं किया जाता था। श्री राजेन्द्र सिंह ने, अस्थायी विधान सभा, वास्ते राज्य-प्रदब्ध, नीमराणा चीफशिप एक्ट नं. २ दिनांक १५-१२-१९४७ को जारी करते हुए स्वयं को हिज हाईनेस नीमराणा घोषित करते हुए, एक ५ सदस्यीय मंत्रिमण्डल बनाया जिसमें श्री मुन्ना लाल वर्मा, श्री रामलाल बकील नारनौल आदि थे।

अलवर की कांग्रेस और जनता नीमराणा को मत्स्य में मिलाना चाहते थे, और नीमराणा शासक और क्षेत्रीय जनता उसे गुड़गाँवों में शामिल कराना चाहते थे। समाजवादी नेता विश्वम्भर दयाल शर्मा ने इसे मत्स्य राज्य में मिलाये जाने की मांग को लेकर आन्दोलन चलाया, जिस पर राजा राजेन्द्र सिंह ने उन्हें साधियों सहित देश निकाला दे दिया। अन्ततः नीमराणा भारत के गृह मंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल के प्रयास से मत्स्य संघ में शामिल कर दिया गया। मत्स्य के तत्कालीन प्रधान मंत्री बा. शोभाराम जी की भी इसमें सराहनीय भूमिका रही। नीमराणा का अलवर जिले में विलय अप्रैल १९४८ में किया गया। इसी प्रकार कोटकासिम को जो पहले जयपुर राज्य का एक हिस्सा था, आजादी मिलने के काफी समय बाद अलवर जिले में शामिल किया गया।

नीमराणा क्षेत्र के गांवों में राजस्थान बनने के बाद तक सन् १९५६ तक पुराना राजस्व जमा कार्यक्रम चलता रहा, जिस पर डॉ. रामनोहर लोहिया ने एक पत्र लिखकर दिसम्बर सन् १९५६ में नीमराणा के पुराने कानून को राजस्थान सरकार से समाप्त करवाया।

(प्रस्तुति-श्री हरिशंकर गोयल)

गोवा-मुक्ति-आंदोलन : अलवर का योगदान

12-08-1987 को गोवा भारत संघ का 25 वां राज्य बना। 19 दिसम्बर 1961 को पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन से आजाद होने के समय से अब तक गोवा-दमन-दियु एक ही प्रशासन के अधीन रहे हैं। अब दमन-दियु केन्द्र शासित प्रदेश हैं।

गोवा पर्यटन का भारत में एक विशेष स्थान है। यहां का पर्यटन उद्योग नागरिकों का जीवन आधार है। 3702 वर्ग कि. मीटर के क्षेत्रफल में वहां गोवा की पणजी राजधानी है, जिसकी जनसंख्या 11,68,622 है जिसमें पुरुष 5,93,563 व स्त्रियां 5,75,057 हैं, भाषा कोंकणी, मराठी हैं। साक्षरता 76.96 प्रतिशत है। 2800 से 3500 मि. मी. साल में वर्षा होती है।

गोवा ई.पू. तीसरी शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में था। दूसरी शताब्दी में कोंकण क्षेत्र पर सातवाहन राजवंश के शासक कृष्ण शातकर्णी का प्रभुत्व था। प्राचीन काल में गोवा का नाम गोयकपट्टन या गोमंत था- ये नाम महाभारत के भीष्म पर्व के आए हैं। 1471 से लेकर 20 साल तक गोवा ब्रह्मनी शासकों के अधीन रहा, लेकिन उसके बाद 1489 में बीजापुर के आदिलशाह ने इसे अपने अधीन कर लिया।

पुर्तगाली साहसी राजपाल आहवुकर्क ने बीजापुर के आदिलशाह से ही 25-11-1510 में गोवा छीन लिया और आहवुकर्क ने उसी दिन गोवा सेंट कैथरीन को समर्पित कर दिया। इस प्रकार गोवा-पुर्तगाली शासन में आया।

स्पेन के जेसुइट पार्टी फ्रांसिस जेवियर गोवा 1542 में आया, जो गरीबों के लिए 1552 में मृत्यु पर्यन्त कार्य करते रहे। उनका शब्द सुरक्षित रखा गया है। यहां पहला छापाखाना लगाया जिसमें सेंट जेवियर की ओर से लिखी 'डैकिंग किस्टा' थी। यहां इस शासन के विरुद्ध 1787 में खिंटे विद्रोह और 1823 में राने लोगों का विद्रोह भी हुआ। 1755 से 1824 तक राने (राणे) लोगों ने 14 बार विद्रोह किया और कुचले गए।

राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत :

पूर्ण स्वाधीनता की मांग सर्वप्रथम लुसी फ्रांसिसको गोमेस ने 1862 में की। नगर निगम के चुनावों में गड़बड़ी के प्रयत्नों के विरोध में 21-09-1880 को एक सार्वजनिक रैली की गई। मारगोवा चर्च के सामने रैली की गई। मारगोवा चर्च के सामने रैली पर गोली चली और 23 व्यक्तियों की मौत हो गई। रैली का नेतृत्व जोंस इव्रासियों डे-लायेला और रोकयू कोरिया अफोनसो ने किया।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरणा :

ज्यों-ज्यों भारत में स्वाधीनता आंदोलन तेज होता गया, त्यों-त्यों गोवा में आजादी की लड़ाई मजबूत होती गई। इस लड़ाई में लुइस डे मेंजे जेरोन्जा ने गणतंत्री शासन व्यवस्था आरंभ की और 18-6-1946 को यह स्वाधीनता संग्राम एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया जब समाजवादी गोवा आजादी के प्रेरक डॉ. राममनोहर लोहिया ने मरांव में सविनय अवश्य आंदोलन शुरू कर दिया।

1954 में इस आंदोलन को पहली सफलता तब मिली जब दमन के निकट स्थित दादण और नार हवेली को आजाद कराया गया। आजाद गोमंतक दल ने जो इस आंदोलन का दाहिना हाथ था, सशस्त्र लड़ाई जारी रखी। उसका पूर्ण विवरण हम आपको दे रहे हैं।

जय पुर्तगाली गर्वनर जनरल और पाकिस्तानी सेनाध्यक्षों के बीच हुई बैठक की सूचा दिल्ली पहुंची तो भारत सरकार ने अंततः इस संवंध में कार्यवाई करने का निर्णय लिया। 18-12-1961 को मेजर जनरल के पी. कैंडेथ के नेतृत्व में 'ऑपरेशन विजय' को कार्यकरी आरंभ कर दी गई। 19-12-1961 को कोई बड़ी लड़ाई लड़े यिना गोवा को मुक्त कर भारत संघ में शामिल कर लिया गया। 30-5-87 से पूर्ण राज्य का दर्जे वाले गोवा में अब आएम से घूम सकते हैं।

डॉ. राममनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति के लिए आंदोलन आरंभ किया और 1955 में और संगठनों को भी इसमें शामिल किया। गोवा मुक्ति के लिए 9-8-55 को अलवर से प्रथम जत्थे में रामनिवास भारद्वाज (भारद्वाज टेडिंग कं. होपसर्केस) शिंभुदयाल उर्फ शंभु ददा (चोरौदी पहाड़), कु. अमर सिंह (चिमरावली ठाकुर) लक्ष्मीचन्द्र बजाज (स्वतंत्रता सेनानी, समजवादी नेता जयपुर हाल बहरोड़) किशनलाल शर्मा पुत्र वैद्य महादेव प्रसाद (डागा भवन के सामने विद्यार्थी राजगढ़) शामिल हुए।

12-8-1955 में दूसरे मुक्ति जत्थे में स्व. दयाराम गुप्ता (बर्फखाने वाले), जयशिव लाल भास्कर एडवोकेट, स्व. कमलेश जौशी (पत्रकार) स्व. का. ठंद्राम हरिजन, डॉ. जगमाल सिंह (अजरका वाले), गुरु दयाल सिंह, हजारी सिंह, स्व. का. नवनीत लाल भाटिया शामिल हुए। यह सत्याग्रही जत्था अलवर में गोवा मुक्ति समिति के संयोजन पं. गिरधर शर्मा को ओर से भेजा गया।

13-08-1955 को 'अलवर पत्रिका' द्वारा गोवा मुक्ति संघर्ष के लिए अलवर की योगदान की 7 पुष्टों में जानकारी दी गई। अलवर पत्रिका कार्यालय में सत्याग्रहियों को दाखत दी गई। कैलाश मोदी अलवर पत्रिका के संपादक, लाला काशीराम, रामानंद अंग्रेवाल, कृपादास माथुर एडवोकेट, रामचंद्र उपाध्याय और पी.एस.पी. समाजवादी नेता उपस्थित थे।

सत्याग्रही ठिकाने पर पहुंचे इसके पहले ही पं. नेहरू के आह्वान पर 15-8-1955 को आंदोलन वापिस ले लिया गया कि भारत सरकार इस आजादी के लिए कार्य करेगी। जयशिव लाल भास्कर ने मुझे बताया कि पूना स्टेशन से पैदल चलकर आयोली दादोली सत्याग्रहियों के साथ गए। सड़क के गांवों में मकई की रोटी और साग, आम का अचार का ढेर सत्याग्रहियों को खिलाने के लिए लागा हुआ था।

खाना खाया, देश भक्ति के गीत गाते हुए 250 सत्याग्रही बढ़े। हमें 24 सत्याग्रही स्टेशनों से गुजरना था। 88 कि. मीटर का पैदल रास्ता पहुंच कर कमेटी के बताए स्थान गोवा क्षेत्र में पहुंचना था। पैदल यात्रा कड़वे तेल की मालिस की। गोवा से 15 कि.मी. नजदीक पहुंचे रात्रि 14-8-55 को, तभी आंदोलन स्थगित हो गया। इस जंगल में जौक थी। नमक की थैलियाँ, छड़ी-जौक को उछालने के लिए दी गई।

जो इस सत्याग्रह में गिरफ्तार हुए उन्हें जेल यात्रा सहनी पड़ी। 30 शहीद हुए। कोटा के पन्नालाल यादव भी उनमें से हैं। अलवर आगमन पर इन जत्थों का बड़ा भारी जुलूस स्टेशन से सारे शहर में निकाला गया।

(प्रसुति-श्री हरिशंकर गोयल)



स्वाधीनता- संग्राम के सेनानी
और सिपाही

आलेख एवं प्रस्तुति :
राधेश्याम सोमवंशी चिरकिन अलवरी



स्वाधीनता-संग्राम के सेनानी और सिपाही

□ राधेश्याम सोमवंशी, चिरकिन अलवरी

पं. सालिगराम नाजिम

पं. सालिगराम का जन्म 1890 में आगरा की एतमादपुर तहसील के बड़ी महासिंह गांव में हुआ। आप अपना पैतृक गांव छोड़कर अलवर में आकर रहने लगे। यहाँ पर अपनी शिक्षा मिडिल तक पूरी कर राज्य सेवा में लग गये। अपनी मेहनत व कार्य में दक्षता के कारण पटवारी से, कानूनों, नायबतहसीलदार व नाजिम बने। आप शुरू से ही स्वतंत्रता प्रेमी थे। सन् 1933 में महाराजा जयसिंह को राज्य से निर्वासित करने के विरोध में आ गये जिसके कारण आपको अपनी अच्छी नौकरी से हाथ थोना पड़ा। आप नौकरी छोड़कर मन्त्री का बड़ के पास भकान सेकर रहने लगे, जहाँ आपने रोजाना के लिए खंडसारी का धन्या शुरू किया। महाराजा जयसिंह को मृत्यु के बाद जो गतिविधियां राज-गदी के मामले में हुईं, उसी दौरान आपने कुछ साथियों एवं मित्रों के सहयोग से शिव मंदिर में एक मीटिंग कराकर कांग्रेस की स्थापना की, जिसके आप अध्यक्ष बने।

आप महाराजा की मृत्यु के बाद श्री तेज सिंह के विरोध में जो सभायें आदि हुई और उनमें पंडित जी की भी भागीदारी होने के कारण ही उन्हें गिरफ्तार कर 2 वर्ष की सजा दी गई, राज्यहाईकोर्ट में अपील करने पर वह आधी कर दी गई।

आपके पुत्र श्री रामचन्द्र उपाध्याय, भी कांग्रेस में शामिल होकर काम करने लगे। नेहरू परिवार की भाँति यह उपाध्याय परिवार के बाप-बेटे की जोड़ी भी कांग्रेस और प्रजामण्डल आजादी की लड़ाई का अगुआ बनकर उभरे।

गुरु वृजनारायणाचार्य

गुरुजी का जन्म सन् 1893 में अलवर के राजधाने के माफीदार पं. मोतीलाल के घर में हुआ। आप पंजाब विश्वविद्यालय की प्रभाकर तथा यहाँ की ऐंग्लो-वर्नार्क्यूलर परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय स्कूल में अध्यापक बन गये। यह आश्वर्य ही कहा जायगा कि आप ऐसे बातावरण में पलकर भी राष्ट्रीय विचारों से पूरी तरह प्रभावित थे और शुरू से ही गांधीजी के कार्यों में भी रुचि लेते थे। राज्य सेवा में होते हुये भी आप खादी पहनते और गांधी टोपी ओढ़कर स्कूल जाते थे। यही नहीं आपने गांधी जी की विलायती वस्त्रों की होली जलाने की आवाज भर अपने स्कूल के छात्रों की टोपियाँ जलवा दी। इसकी शिकायत राजा सहित उच्चाधिकारियों तक पहुँचने पर आपसे इसके बारे में सफाई देने और माफी मांगने की बात कही गई। स्वाभिमानी गुरुजी ने ऐसा न कर राज्य सेवा से ही त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद आपने जीविकोपार्जन के लिये आयुर्वेद परीक्षा उत्तीर्ण की और गुजरात में गांधीजी के पास रहकर वैद्य का धन्या अपनाया। आप सन् 1931-32 से ही कांग्रेस की गतिविधियों से जुड़ गये। आपने अ. भा. कांग्रेस के एक अधिवेशन में भी भाग लिया। आप अपना चिकित्सा कार्य चूल, फतहपुर, राजगढ़ आदि शेखावटी क्षेत्र में

भी कर चुके थे। सन् 1941 में अलवर के राजगढ़ कस्बे में आयोजित जागीर-माफी कानून के आप अध्यक्ष थे। आपने स्वंयं माफीदार होते हुये किसानों के अधिकारों व जागीरी जुलै औं शोषण के खिलाफ जोरदार भाषण दिया। अपने भूमिगत दिनों में व्यास जी आपके भर भर है। आप प्रजामण्डल तथा कांग्रेस के हर संघर्ष व गतिविधियों में शामिल होते थे। आप एक अचे कवि भी थे। आपके राजस्थान के यहें नेताओं से अच्छे और निजी सम्बन्ध थे जिनमें विहेनः श्री हरिभाऊ उपाध्याय, पं. हीरलाल शास्त्री, जयनारायण जी व्यास और माणिक्य लाल की आदि मुख्य थे। 20 जनवरी 1953 को आपका देहावसान हो गया।

श्री राधाचरण गुप्ता (टप्पल वाले)

अलीगढ़ के कस्बे टप्पल में श्री कहैया लाल जी के घर 1898 में जन्मे स्व. गुल जी अलवर में 1937 में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। इन्हें कांग्रेस सचिव बनाया गया। केदारनाथ गोयल ठेकेदार व गौरी चरण गुप्ता इनके सहयोगी रहे। अलवर में इस जिले से आये सात कानूनोंयान परिवारों को हरिशंकर गोयल एड्योकेट के परिवार ने इन्हें और कांग्रेस को सहयोग दिया। छात्र आन्दोलन में 1938 में इन्हें 2 वर्ष की सजा हुई और 1942 में भारत छोड़े। आन्दोलन में अलीगढ़ में लम्हों जेल यात्रा की। सन् 1972 में इन्हें ताम्र-पत्र से सम्मानित किया गया और अंग्रेजों द्वारा इनकी जागीर की भूमि जो जब्त की गई थी, आजादी के बाद टप्पल में जमीन वापिस मिलने पर उसे आपने कॉलेज व अस्पताल हेतु दान कर दी। इनका 16-10-93 को निधन हो गया।

देशभक्त विशंभर दयाल शर्मा

अलवर जिले का एक भाग राठ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि दूर सकते हैं, दूकते नहीं है। राठ क्षेत्र के कस्बे बहरोड़ में सन् 1893 में भारत के एक साहसी सपूत ने जन्म लिया जिसने युवा अवस्था में ही भारत माँ को स्वतंत्र कराने का संकल्प लिया और क्रांतिकारियों की जमात में शामिल हो गये। यह क्रांतिकारी थे विशंभर दयाल शर्मा जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की आयु में रामजस कॉलेज दिल्ली से विज्ञान स्नातक की डिग्री ली, किन्तु उसका उपयोग कभी नहीं किया। वे देश के प्रमुख क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आये और आजादी के संघर्ष में कूद पड़े।

23 दिसम्बर, 1912 को वायसराय लार्ड हड़िंग का जुलूस चांदनी चौक से गुजर रहा था। इस जुलूस पर वायसराय को निशाना बनाकर पंजाब नेशनल वैंक की इमारत की ओर से एक घम फैंका गया था जिसमें वायसराय घायल हो गये थे और अंगरक्षक मारा गया था। घम फैंकने वालों में जहाँ प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासविहारी थोस थे। वहाँ उनके साथ 19 वर्ष के नवयुवक विशंभर दयाल भी थे। यह क्रांतियुग का प्रारंभ था, विशंभर दयाल जब दिल्ली में घम प्रहार कर रहे थे तब भावी क्रांतिकारी चन्द्ररोद्धर छः वर्ष के तथा भगतसिंह मांत्र पांच वर्ष के थे। विशंभर ने अपने फरारी जीवन में क्रांतिकारियों की मुद्या पीढ़ी को अपना सहयोग दिया। चन्द्ररोद्धर आजाद की "हिन्दुस्तानी समाजादी प्रजातांत्रिक सेना" आर्थिक संकट में थी। अतएव विशंभर दयाल की अगुआई में 7 जुलाई, 1930 को चन्द्ररोद्धर आदि ने दिल्ली के पूर्व गाढोदिया स्टोर पर छूकती डालकर करोय 13, 250/- रुपये प्राप्त किये थे।

वायसराय लार्ड हार्डिंग पर बम प्रहार के बाद वायसराय लार्ड इर्विन की स्पेशल ट्रैन जो कोलहापुर से दिल्ली आ रही थी, निजामुदीन के पास बम फैंका गया था जिसमें इर्विन बाल-बाल बच गये थे। इस योजना में भी विशंभर दयाल शामिल थे।

क्रांतिकारी विशंभर दयाल अब तक करीब 19 वर्ष का फरारी जीवन बिता चुके थे। इन दिनों वे उज्जैन में एक साधु का छद्म वेश धारण कर जीवन बिताते हुए क्रांतिकारियों से सम्पर्क बनाये हुए थे। अब तक चन्द्रशेखर आजाद शहीद हो गये थे। भगतसिंह, राजगुरु व शुकदेव को भी फौसी लग चुकी थी। क्रांतिकारियों का नेतृत्व बिखर गया था। केवल विशंभर दयाल बचे थे कि 16 मार्च, 1931 को हुई पुलिस मुठभेड़ में वे घायल हो गये और गिरफ्तार कर उन्हें दिल्ली लाया गया। मुठभेड़ के समय वे अकेले थे और दोनों हाथों से गोलियाँ दाग रहे थे। उनका निशाना अचूक था किन्तु तभी एक गोली उनके पेट में लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। दिल्ली के अस्पताल में उन पर बहशियाना अत्याचार कर क्रांतिकारियों संबंधी सूचना पाने का अंग्रेज पुलिस ने भरसक प्रयास किया किन्तु उन्होंने साहसी बीर की भाँति सब कुछ सहा और कुछ भी नहीं बताया। 22 अप्रैल, 1931 के दिन मौका देखकर उन्होंने अपने पेट और सीने पर डॉक्टरों द्वारा लगाये गये तमाम टांकों को अपने हाथों से फाड़ डाला। खून वह निकला और वे भारत मां के चरणों में शहीद हो गये। राठ क्षेत्र और उनकी जन्म भूमि बहरोड़ ऐसे सपूत को पाकर धन्य हुई।

पं. हरनारायण शर्मा

पं. हरनारायण शर्मा का जन्म 1 अक्टूबर 1900 को अलवर में हुआ। आपके पिता पं. रामचन्द्र का देहान्त आपकी 5 वर्ष की आयु में ही हो गया। आपने हिन्दी संस्कृत का ज्ञान गुरुओं की पाठशालाओं में प्राप्त कर 18 वर्ष की आयु में सरकारी नौकरी की। आप शुरू में हिन्दूसभा तथा सेवा समितियों से जुड़े। अन्याय, अत्याचार व किसी भी बुराई को आप सहन नहीं कर सकते थे। सही बात के लिये अड़ जाने तथा दुष्टों से लोहा लेने में आप निःङ्र तथा मुँह फट थे। दुष्टों और दंगा-फसाद करने वालों से निपटने के लिए आप हमेशा लाठी लेकर चलते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसके उपयोग करने से भी नहीं चूकते थे। इसीलिये लोगों ने आपका जन-प्रिय सम्बोधन ही 'लट्टमार' कर दिया था। आप महाराजा जयसिंह के बाद राजगढ़ी के उत्तराधिकार के मामले में, तथा कांग्रेस की स्थापना करने वालों की गतिविधियों में मुखरता एवं सक्रियता के कारण जेल गये। सन् 1938 में आप फीस विरोधी आन्दोलन में भी जेल गये। बार फंड विरोध तथा सन् 1946 के दोनों आंदोलनों में भी जेल गये।

आप हरिजनोद्धार तथा लागवेगार को समाप्त करने के कार्यों में भाग लेते रहते थे। आपने सन् 1912 में अपना दाऊजी का मंदिर हरिजनों के प्रवेश हेतु खोल दिया जिसके कारण आपको जाति वहिष्कृत किया गया। आपने मीणों को जारायम पेशा घोषित करने का विरोध किया। 21 सितम्बर 1947 को आपका देहान्त हो गया।

श्री नन्दूराम मोदी

स्व. नन्दूराम मोदी का 10 अक्टूबर 1902 को जन्म श्री गंगासहाय मोदी (महावर वैश्य) के घर में हुआ। आप शुरू से ही सुधारवादी विचारों के व्यक्ति रहे। पहले आप आर्य समाज से

जुड़े और इसी कारण हरिजनोद्धार य स्वदेशा भावना स प्रारंत रहे। रीतिनीतियों के कट्टर विरोधी रहे। आपने मिश्रों के साथ हरिजनों ये कार्य किया। सन् 1932-33 के दिनों में हो रहे हिन्दू मुस्लिम दं काम किया। देश प्रेम य राष्ट्रीयता की भावना के कारण आप कांग्रेस लिये प्रयास करने वालों में अग्रणी रहे। कांग्रेस की गतिविधियों में आप जेल गये जहाँ कड़ी यातनायें सहीं। आपने सबसे पहले खादी पर ही प्रजामण्डल स्थापना हेतु पहली मीटिंग हुई। 1939 में आपने में श्री शोभाराम को हराया और सदस्य बने। आपके इस्तीफा देने पर में विजयी हुये।

आप सन् 1946 के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। आपने कांग्रेस किसी भी नेता से निकटता के प्रयास नहीं कर अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के गलियारों से दूर रहे। श्री रामानन्द अग्रवाल के कांग्रेस से अलग हो आपने भी पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अन्त में 1988 को हुआ।

मोदी कुंजविहारी लाल गुप्ता

आपका जन्म 1901 में कटूमर कस्बे में श्री जुगल किशोर मुंशी वे में विवाह हो जाने के बावजूद आपने अध्ययन जारी रख हिन्दी, उर्दू व प्रातः किया। राजस्व विभाग में कानूनों बने। कुछ समय पुण्य विभाग साहित्य पढ़ने के कारण आपको शुरू से ही लेखन की प्रेरणा मिली। अन्त में सुधारवादी विचारों से विशेष प्रभावित थे। आपको स्पष्टवादिता एवं गलत कर पाने के कारण राज्य सेवा से इस्तीफा देना पड़ा। आप ने सन् 1937 में राज्य होने वाली गतिविधियों खुलकर भाग लिया और कांग्रेस की स्थापना में सहायता कारणों से आप जेल भेजे गये। फीस विरोधी आन्दोलन में आपको गिरफ्तार सुनाई गई। आजादी के बाद अलवर में बनी अपनी ही पार्टी के नेताओं की घटना कारण आपके प्रेस व अखबार को सीज किया जिसके विरोध में आप खंडेलव अनशन पर बैठे। 21 सितम्बर 1949 को आपने राजस्थान भर के पत्रकारों सम्मेलन अलवर में कराया। 4 दिसम्बर 1953 को आपका देहावसान हुआ। आपके दोनों भाई, भतीजे आदि भी प्रजामण्डल और अन्य सामाजिक कार्यों में जुड़े रहे। श्री कृष्णचन्द्र और द्वारका प्रसाद तो क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं छात्र पूरी सक्रियता से आगे आये।

श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी

अलवर के स्वतंत्रता सेनानियों में त्रिपाठी जो का नाम बड़े सम्मान के साथ है। आपका जन्म मध्यप्रदेश के खालियाट स्थान पर सन् 1913 में हुआ किन्तु आप यहरोड़ था। आपके पिता का नाम रामस्वरूप था। अलवर को सामन्तशाही के बिना

से वे जुड़े, इसके साथ ही देश के प्रमुख क्रांतिकारियों से उनका निकट का सम्पर्क रहा। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उनकी मत भिन्नता अलवर के तत्कालीन आन्दोलनकारियों से रही। उनकी पती सुशीला त्रिपाठी भी आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती थी। अलवर में वे शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। वे हिन्दी व अंग्रेजी में एम.ए. थे। स्थानीय नेताओं से अपने मतभेदों के कारण देश की आजादी से पूर्व ही वे अलवर छोड़कर चले गये थे और दुर्भाग्य से फिर शेष जीवन में अलवर नगर में उनकी वापसी नहीं हो सकी। अलवर के बाद मद्रास, सहारनपुर में रहकर उन्होंने देश की आजादी के लिए कार्य किया।

त्रिपाठी के हृदय में ब्रिटिश सत्ता व सामन्तशाही के विरुद्ध आक्रोश था। उन्होंने अपनी देश भक्ति की अभिव्यक्ति साहित्य सूजन के माध्यम से भी अभिव्यक्त की थी। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने लिखा किन्तु काव्य और कथा उनके प्रिय विषय थे। आपका "बारक छाया" उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलन को सार्थक प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुआ जिसकी भूमिका लोकनायक जय नारायण व्यास ने लिखी थी। कई राज्यों में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। त्रिपाठी जी की अनेक कविताएं भी देश भक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण थी। पत्रकारिता में भी वे अग्रणी थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के मुख्य पत्र "हिन्दी प्रचारक", 'अर्जुन' सामाजिक 'रंगभूमि' सामाजिक "अरावली अलवर" "नया जीवन", "प्रदीप" व दैनिक नवयुग से वे जुड़े रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन मिलती थी। केन्द्रीय सहयोग योजना के अन्तर्गत भी उन्हें आर्थिक सहयोग मिला। अनेक वर्षों तक वे अपने जीवन की संध्या में जोधपुर श्री इन्दिरा जोशी (अध्यक्ष हिन्दी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय) के संरक्षण में रहे किन्तु अंतिम सांस उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व बहरोड़ में ही आकर ली। वे अपने पीछे अपनी एक मात्र पुत्री श्रीमती सुपमा को छोड़ गये हैं, जो सहारनपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। सन् 1984-85 में राजस्थान में साहित्य अकादमी ने उन्हें विशिष्ट साहित्यकार का सम्मान दिया। उनकी एक कविता की पंक्तियाँ देखिये-
जागो :

हल्दी घाटी की केसरिया मिट्टी रही पुकार।
वह चित्तौड़ बुलाता तुमको, उठा विजय मीनार।
अरावली की पर्वत माला, झारखण्ड के झाड़।
वह मरुभूमि बुलाती तुम को, कण कण रहा पुकार।
टीबो की चादर ओढ़े, यों बीते बरस हजार।

पं. भवानी सहाय शर्मा :

पं. भवानी सहाय शर्मा का जन्म पं रामचन्द्र रेलवे गार्ड के घर में 21 मार्च 1909 को हुआ। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा बांदीकुई से पूरी कर दिल्ली के रामजस कॉलेज में प्रवेश लिया। थोड़े ही समय बाद आप क्रांतिकारी साहित्य पढ़ते हुए ऐसे संगठन के घनाने की सोचने

जुड़े और इसी कारण हरिजनोद्धार य स्वदेशी भाषण से प्रेरित रहे य अन्यविद्यास एवं स्नायुक्त रीतिनीतियों के कट्टर यित्रोधी रहे। आपने मिठां के साथ हरिजनों के मौहल्ले में जाकर लिखा प्रश्न कार्य किया। सन् 1932-33 के दिनों में हो रहे हिन्दू मुस्लिम दंगों को रोकने के लिये झंते काम किया। देश प्रेम य राष्ट्रीयता की भाषण के कारण आप कांग्रेस की अलयर में स्थान के लिये प्रयास करने यालों में अग्रणी रहे। कांग्रेस की गतिविधियों एवं फौस यित्रोधी घटनों में आप जेल गये जहाँ कढ़ी यातानामें रहीं। आपने सबसे पहले टाढ़ी भंडार छोला। आपके मरण पर ही प्रजामण्डल स्थापना हेतु पहली मीटिंग हुई। 1939 में आपने अलयर नगरपालिका चुनावों में श्री शोभाराम को हराया और सदस्य बने। आपके इस्तीफा देने पर ही श्री शोभाराम उपमुख्यमंत्री में विजयी हुये।

आप सन् 1946 के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। आपने कांग्रेस के सत्ता में आने पर किसी भी नेता से निकटता के प्रयास नहीं कर अपने स्थाभिमान और स्मृद्यादिता के कारण सभा के गतियारों से दूर रहे। श्री रामानन्द अग्रवाल ये कांग्रेस से अलग हो जाने के कुछ समय बाद आपने भी पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आपका देहावसान 23 जून 1988 को हुआ।

मोदी कुंजविहारी लाल गुप्ता

आपका जन्म 1901 में कटूमर करख्ये में श्री जुगल किशोर मुंशी के घर में हुआ। 13 वर्ष में विवाह हो जाने के बावजूद आपने अध्ययन जारी रख हिन्दी, उर्दू व फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। राजस्व विभाग में कानूनों बने। कुछ समय पुण्य विभाग समाचार पत्र व राष्ट्रीय साहित्य पढ़ने के कारण आपको शुरू से ही लेखन की प्रेरणा मिली। आप आर्य समाज के सुधारवादी विचारों से विशेष प्रभावित थे। आपको स्पष्टवादिता एवं गलत बातों से समझौता न कर पाने के कारण राज्य सेवा से इस्तीफा देना पड़ा। आप ने सन् 1937 में राजगढ़ी के मामले में होने वाली गतिविधियों खुलकर भाग लिया और कांग्रेस की स्थापना में सहयोग दिया। इर्दीं कारणों से आप जेल भेजे गये। फौस विरोधी आन्दोलन में आपको गिरफ्तार कर कढ़ी सजायें सुनाई गई। आजादी के बाद अलवर में अनी अपनी ही पार्टी के नेताओं की खरी आलोचना के कारण आपके प्रेस व अखबार को सीज किया जिसके विरोध में आप खंडेलवाल धर्मशाला में अनशन पर बैठे। 21 सितम्बर 1949 को आपने राजस्थान भर के पत्रकारों का एक सफल सम्मेलन अलवर में कराया। 4 दिसम्बर 1953 को आपका देहावसान हुआ। आप के साथ आपके दोनों भाई, भतीजे आदि भी प्रजामण्डल और अन्य सामाजिक कार्यों में पूरी सक्रियता से जुड़े रहे। श्री कृष्णचन्द्र और छारका प्रसाद तो क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं छात्र आन्दोलनों में पूरी सक्रियता से आगे आये।

श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी

अलवर के स्वतंत्रता सेनानियों में त्रिपाठी जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। आपका जन्म मध्यप्रदेश के खालधाट स्थान पर सन् 1913 में हुआ किन्तु आपका मूल स्थान यहरोड़ था। आपके पिता का नाम रामस्वरूप था। अलवर की सामन्तशाही के विरुद्ध आन्दोलन

से वे जुड़े, इसके साथ ही देश के प्रमुख क्रांतिकारियों से उनका निकट का सम्पर्क रहा। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ही उनकी मत भिन्नता अलवर के तत्कालीन आन्दोलनकारियों से रही। उनकी पत्नी सुशीला त्रिपाठी भी आन्दोलनों में बढ़-चढ़ कर भाग लेती थी। अलवर में वे शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे। वे हिन्दी व अंग्रेजी में एम.ए. थे। स्थानीय नेताओं से अपने मतभेदों के कारण देश की आजादी से पूर्व ही वे अलवर छोड़कर चले गये थे और दुर्भाग्य से फिर शेष जीवन में अलवर नगर में उनकी वापसी नहीं हो सकी। अलवर के बाद मद्रास, सहारनपुर में रहकर उन्होंने देश की आजादी के लिए कार्य किया।

त्रिपाठी के हृदय में ब्रिटिश सत्ता व सामन्तशाही के विरुद्ध आक्रोश था। उन्होंने अपनी देश भक्ति की अभिव्यक्ति साहित्य सूजन के माध्यम से भी अभिव्यक्त की थी। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उन्होंने लिखा किन्तु काव्य और कथा उनके प्रिय विषय थे। आपका "बारक छाया" उपन्यास राष्ट्रीय आन्दोलन को सार्थक प्रेरणा देने वाला सिद्ध हुआ जिसकी भूमिका लोकनायक जय नारायण व्यास ने लिखी थी। कई राज्यों में इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। त्रिपाठी जी की अनेक कविताएं भी देश भक्ति की भावनाओं से परिपूर्ण थी। पत्रकारिता में भी वे अग्रणी थे। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास के मुख्य पत्र "हिन्दी प्रचारक", 'अर्जुन' सासाहिक 'रंगभूमि' सासाहिक "अरावली अलवर" "नया जीवन", "प्रदीप" व दैनिक नवयुग से वे जुड़े रहे।

स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण उन्होंने अनेक बार जेल यापाएं की। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेंशन मिलती थी। केन्द्रीय सहयोग योजना के अन्तर्गत भी उन्हें आर्थिक सहयोग मिला। अनेक वर्षों तक वे अपने जीवन की संध्या में जोधपुर श्री इन्दिरा जोशी (अध्यक्ष हिन्दी विभाग जोधपुर विश्वविद्यालय) के सरक्षण में रहे किन्तु अंतिम सांस उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व बहरोड़ में ही आकर ली। वे अपने पीछे अपनी एक मात्र पुत्री श्रीमती सुष्मा को छोड़ गये हैं, जो सहारनपुर में अपने परिवार के साथ रहती है। सन् 1984-85 में राजस्थान में साहित्य अकादमी ने उन्हें विशिष्ट साहित्यकार का सम्मान दिया। उनकी एक कविता की पंक्तियाँ देखिये-
जागो :

हल्दी घाटी की केसरिया मिट्टी रही पुकार।
वह चितौड़ चुलाता तुमको, उठा विजय मीनार।
अरावली की पर्वत माला, झारखण्ड के झाड़।
वह मरुभूमि चुलाती तुम को, कण कण रहा पुकार।
टीबो की चादर ओढ़े, यों बीते वरस हजार।

पं. भवानी सहाय शर्मा :

पं. भवानी सहाय शर्मा का जन्म पं रामचन्द्र रेलवे गार्ड के घर में 21 मार्च 1909 को हुआ। आपने अपनी प्राथमिक शिक्षा बांदीकुई से पूरी कर दिल्ली के रामजस कॉलेज में प्रवेश लिया। थोड़े ही समय बाद आप क्रांतिकारी साहित्य पढ़ते हुए ऐसे संगठन के बनाने की सोचने

लगे जो शक्ति दफ्टरी कर अंग्रेज सत्ता को देश से बाहर कर मारू भूमि को आजाद कर दे। इसी वीच आपका परिचय यिहार के कैलाशपति से हुआ जो हिन्दुस्तान सोरालिस्ट प्रिव्हेजन ऐसोसियेशन की दिल्ली शाखा के आर्गनाइजर थे। इस युवक ने दल के छर्चे के लिए विहार के डाकखाने से 5 हजार रुपये का गयन किया जिसके कारण यारंट निकले, अतः छिपकर दिल्ली में रहने लगे। कुछ समय बाद यह व्यक्ति मुख्यविर बन गया। सन् 1927 में भवानीसहाय जी को दिल्ली शाखा का सहायक आर्गनाइजर बनाया गया। दिल्ली के छर्चे बालान मौहल्ले में उमड़न स्कूल दल की गतिविधियों का अच्छा केन्द्र था। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री प्रीतेश्वर पातीवाल इस स्कूल में तब अध्यापक थे।

बचपन में पं. भवानी सहाय फो लोग छुट्टन नाम से योलते थे। जब वे दिल्ली में क्रांतिकारी संगठनों से जुड़कर कार्यरत थे, आप कहीं छुट्टन, कहीं रामप्रसाद, और रमनाथ नम लिखाते। सन् 1926 से 29 तक आप काफी सक्रिय रहकर काम कर रहे थे। पुलिस को आपने गतिविधियों का पता लग गया, और छुट्टन नाम भी जाहिर हो गया। इसी दौरान पिता का देहान हो गया। घर वालों ने आपका विवाह करने के लिये सगाई कर दी। उभर आप, शहीद चन्द्रशेखर के सानिध्य में पिस्तौल तमचे ठोक करने, उनकी सफाई आदि का काम देखते थे। आप ने साधियों को गोली छलाने, निशाना साधने, मोटर कार, मोटर साइकिल आदि चलाने की ट्रेनिंग भी देने का कार्य करते थे।

28 अगस्त 1931 में पंडित जी को दिल्ली पड़यन्त्र केस में गिरफ्तार किया गया। उन पर सरकार का तखा पलटने, गाड़ोदिया बैंक लूटने, बायसराय पर बम फेंकने आदि के अभियोग लगाये गये। हिरासत के दौरान पुलिस ने आपको मुख्यविर बनाने के लिए काफी प्रेरणा किया और शरीरिक एवं मानसिक यातनायें दी। इस केस में आप 8 माह जेल में रहे। दिल्ली पड़यन्त्र केस में आप चरी कर दिये गये पर उन्हें पुलिस के विरुद्ध अपराध के मामलों में 110 दस लगाकर हिरासत में रखा। बाद में 10 हजार की जमानत पर रिहा किये गये। 17 फरवरी 1931 को एक अन्य केस-लोशन कमीशन के नेता की गाड़ी के नीचे बम रखने के आरोप में गिरफ्तार कर मोरोलिया लॉक अप में भेज दिया। वहाँ से 26 जनवरी 32 को दो महीने के लिए नजरबद रखा। 21 अप्रैल 32 को रेग्यूलेशन 3/1818 के अन्तर्गत अनिश्चित काल के लिए दिल्ली जेल में नजरबद रखा, 1933 में मैनीताल जेल में भेजा। वहाँ से 5 वर्ष बाद दिल्ली लाया गया, जहाँ पर अजमेर के क्रांतिकारी ज्वाला प्रसाद शर्मा और झांसी के बी.जी. वैशम्यायन भी नजरबद थे। सन् 1939 में इन तीनों क्रांतिकारियों ने जेल में इस मांग को लेकर अनशन कर दिया कि या तो उन्हें नजरबदी का कारण बताया जाय अथवा रिहा किया जाय। मह अनशन 28 दिनों तक चला। इस मामले में महात्मा गांधी ने बायसराय से मुलाकात कर 19 मार्च 1939 को उन्हें 6 वर्ष 10 माह 28 दिनों के बाद सम्मानपूर्वक बिना शर्त रिहा करा दिया। रिहाई के बाद आप अलवर आ गये। लाला शंकर लाल की सहायता से कांग्रेस की स्थापना में मदद की। आप 1946 के प्रजामण्डल के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। पंडित जी प्रजामण्डल के पहले उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष रहे। आप राजगढ़ नगर पालिका के भी अध्यक्ष बने। आप प्रदेश कांग्रेस कार्य कारिणी के तथा अ.भा. कांग्रेस समिति के भी सदस्य रहे।

सन् 1952 से 57 तक थानागांजी से राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। 15 अगस्त सन् 1973 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्द्रागांधी ने उन्हें लाल किले पर ताप्र पत्र देकर सम्मानित किया। 7 अक्टूबर 1985 को आपका जयपुर में निधन हो गया।

पं. रामचन्द्र उपाध्याय

श्री रामचन्द्र उपाध्याय का जन्म अलवर के बयोबृद्ध नेता व स्वतंत्रता सेनानी श्री सालगराम पूर्व नाजिम के घर में 20 अक्टूबर 1912 को उत्तर प्रदेश की एतमादपुर तहसील के गढ़ी महासिंह में हुआ। आपके पिता इनको छोटी आयु में पूरे परिवार के साथ अलवर आकर राज्य के राजस्व विभाग में तहसीलदार नियुक्त किये गये। इसलिये आपको हाई स्कूल शिक्षा अलवर में ही हुई। उच्च शिक्षा हेतु आपने बनारस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया जहाँ से बी. ए., एल. एल. बी. परीक्षायें उत्तीर्ण की।

आप बनारस में ही राष्ट्रीय विचारों के रंग में रंग गये थे। खादी पहनते और वहाँ की कांग्रेस के निकट समर्क में रहते थे। सन् 1937 में अलवर आकर आपने बकालत शुरू की। आपके पिता को राज्य सरकार ने सिडीशस मीटिंग्स एक्ट के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसको पैरेकी करने के लिए श्री टीकाराम पालीवाल अलवर आये। सरकार ने उन्हें इजाजत नहीं दी। अतः स्वयं रामचन्द्र जी ने उनकी बकालत की। आप सन् 1946 के दोनों आंदोलनों में जेल गये। आप विधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे।

श्री शादी लाल गुप्ता

श्री नारायण दत्त गुप्ता के बड़े भाई श्री शादी लाल गुप्ता, प्रजामण्डल के शुरू से ही सक्रिय एवं समर्पित कार्यकर्ता रहे। वे अत्यंत सरल, मृदुभाषी और विवादों से दूर रहने वाले रहे हैं। प्रजामण्डल की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहते हुए वे उसके कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाते रहे। आंदोलनों में वे जेल गये। प्रजामण्डल में जब भी गुटवाजी होती वे सदैव संस्था हित में तटस्थ रहकर अपनी असरदार भूमिका निभाते थे। उनका राजनीतिक जीवन परिवार के उत्तर प्रदेश के कारोबार व व्यापार के दौरान शुरू हुआ। वहाँ से वे खादी पहनने लगे और आज 80-82 वर्ष की आयु में भी शुद्ध खादी का उपयोग करते हैं। वे सन् 1960-62 से ही जयपुर में रहकर अपना कारोबार करते हैं।

बाबू शोभाराम

अलवर की राजनीति में एक लम्बे समय तक पूरी तरह छाये रहने वाले, काफी लोकप्रिय, काफी विवादास्पद, पर अपने लक्ष्य के प्रति काफी सचेष्ट, जागरूक, दूरदर्शी और आज की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले श्री शोभाराम जिन्हें उनके अनुयायी-प्रशंसक 'बाबू जी' कहकर सम्मोहित करते थे, उनका जन्म राजगढ़ कस्बे की नगर पालिका में उस्ताज जी श्री बुद्धाराम के घर सन् 1914 में हुआ। आप ने अर्धशास्त्र में एम. ए. कर एल. एल. बी. की। आप गणित विषय में 10 वर्षों तक पढ़े हुये होने के बावजूद किसी भी प्रकार गणना में अच्छे-अच्छे गणितज्ञों से अधिक कुशाग्र थे।

शुरू में राजनीति में कोई दिलघस्पी नहीं रखते हुये, 1939 के पालिका चुनावों में

निर्दलीय छोड़े हुये और भोदी नंतुराम से हार गये। उनके इस्तीफा देने पर उसी बांड से डॉ. जी द्वारा सन् 1943 में पूना के आगा खाँ पैलेस में 21 दिनों की भूख हड़ताल से प्रभावित हो गया। आप भी 13 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठे। इसके बाद उन्होंने अपने निकट मिश्रो श्री एनड उपाध्याय तथा श्री कृष्ण दयाल माथुर के साथ बकालत छोड़कर पूर्ण कालिक प्रजामंडल कर्त्ता के रूप में कार्य करने का संकल्प लेकर राजनीति में प्रवेश लिया। इसके बाद आपने कालाकोट नहीं पहना। प्रजामंडल की गतिविधियों में इतने तल्लीन हो गये कि एक समय बैंडर प्रजामंडल एक दूसरे के पर्याय बन गये। प्रजामंडल के आप थोड़े समय बाद अध्यक्ष बने हैं और भूत्य राज्य के प्रधानमंत्री बनने तक इस पद पर रहे। आपकी अध्यक्षता में प्रजामंडल पूरे झज्जर राज्य के सभी अंचलों में जन-जन का संगठन बन गया। सन् 1946 के खेड़ा मंगलसिंह में डॉ. गिरफ्तार हुए। अगस्त, 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़े आन्दोलन का जनरल हरियाणा के काँटी गाँव से अलवर की सीमाओं से बाहर रहकर संचालन घ सत्त्वाग्रहों दर्पे भेजने का कार्य किया। आन्दोलन के समापन पर ही आप अलवर आये। आपने 1947 के साम्प्रदायिक दंगों को शान्त करने के लिये प्रयास किये और इस हेतु अपने साधियों को संसद फेन्ड्रीय नेताओं से मिले। राजस्थान की 4 रियासतों अलवर, भरतपुर, थोलपुर व करौली का यह मत्स्य संघ बना, आप उसके प्रधानमंत्री बने। जब यह संघ बृहत् राजस्थान में विलीन कर दिया गया आप श्री हीरालाल शस्त्रो मंडीमंडल में मंत्री थे। आप सन् 1952 से 1962 तक संसद रहे। 1967 से मृत्यु के समय (23 मार्च 1983) तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे, जिन् 1977 के 33 माह के विराम के असमय लगातार विधायक रहे। आप दो बार राजस्थान मंडीमंडल में कृषि, सहकारिता आदि महकमों के मंत्री रहे। आधिकारिक एवं सहकारिता मामलों में आप यह मौलिक य व्यापक चिन्तन था। आपने निरा भो महकमे का कार्यभार संभाला उसमें अपनी दृष्टि छाप दी। आप एक समय राजस्थान की राजनीति के 4 घट्टों में माने जाते थे। श्री गुरुराम्भ ने अलवर के मामलों में आपको यह ये विपरीत पाता भी नहीं हिलने देते थे। आप यह चालिटिक्स में अग्रिम रहे और आपने आपने युप से बाहर के प्रशिद्धि को कभी नहीं घटाया। ये मिश्र यन्नर राज्य रहा, उसे रमेश आगे बढ़ाया।

भाषणी सुर्खेता विषाटी

मास्टर जी का जन्म सन् 1912 में लक्ष्मणगढ़ के मौजपुर कस्बे में श्री मूलचन्द के घर में हुआ। 1933 में हाईस्कूल पास कर आप राजकीय स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किए गए। शिक्षक रहते हुये भी आप कांग्रेस की गतिविधियों में दिलचस्पी गुप्त रूप से लेते थे। 1938 के फीस विरोधी छात्र आन्दोलन में आप उसकी गतिविधियों से जुड़े हुये थे। छात्र उनसे मार्ग दर्शन लेते रहते थे जिसके कारण सी. आई. डी. रिपोर्टों के आधार पर आपका तबादला हरसौली कर दिया गया जिसे निरस्त कराने की आपने कोशिश की। वह नहीं होने पर आपने राज्य सेवा से मुक्ति पाकर प्रजामंडल तथा छात्र आन्दोलन में सक्रियता से काम किया जिसके कारण आप गिरफ्तार हुये। आपके पीछे से सी. आई. डी. के लोगों ने कांग्रेस ऑफिस पर कब्जा कर झंडा उतार कर पार्टी का घोर्ड हटा दिया और अपना ताला ठोक दिया। यह ध्यान रहे उस समय कांग्रेस कार्यकारिणी के 11 सदस्यों में 8 सी. आई. डी. के थे। मास्टर जी जब जेल से छूटकर आये, आपने द्वारका प्रसाद गुप्ता, छात्र नेता के साथ ऑफिस का ताला तोड़कर पुनः कब्जा कर झंडा लगा दिया। इस पर सरकार ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

मास्टर जी को 13-11-1940 को भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों से जबरन वार फंड वसूली का विरोध करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। आपने सन् 1941 की 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक सम्पन्न खादी प्रदर्शनी कराने में महत्वपूर्ण कार्य किया। गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई इसका उद्घाटन करने आये जिसमें राजस्थान व दिल्ली आदि के कई बड़े नेता आये। श्री हीरालाल शास्त्री के साथ वनस्थली विद्यापीठ की छात्रायें आईं जिनके व्यायाम प्रदर्शन से अलवर वासी बड़े प्रभावित हुये। प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन कराने में मास्टर जी की भूमिका सर्वाधिक रही। सन् 1941 में आपने राजगढ़ में जागीर माफी कानून कराई। 1945 में आप वर्धा में कार्यकर्ता शिविर में एक महीने तक वापु के सानिध्य में रहे। सन् 1946 के खेड़ा मंगलसिंह आन्दोलन के लिये आपने बाहर रहकर उसका संचालन किया तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों में उसकी पब्लिसिटी की। मास्टर जी अलवर के सबसे अधिक पत्रों के संबाददाता थे। अलवर से बाहर के बड़े नेताओं को आपके सबसे अधिक निजी सम्बन्ध थे। जबभी देशी राज्य प्रजा परिपद की ओर से उन्हें राजपूताना की किसी भी रियासत के जनान्दोलन अथवा संगठन के लिये बुलाया जाता वे वहाँ जाकर अपनी भूमिका बखूबी निभाते। अच्छे वक्ता, लेखक, पत्रकार तथा संगठक के रूप में आपकी गहरी छाप थी। सन् 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़े आन्दोलन में आप जेल गये। सन् 1947 के अंत में प्रजामंडल ने एक सत्ताहिक पत्र स्वतंत्र भारत निकाला जिसके आप सम्पादक थे। मत्स्य राज्य मंत्रीमंडल में आप मंत्री बने।

सन् 1952 से 1962 तक आप राज्य विधान सभा के सदस्य रहे और इसी बीच व्यास मंत्रिमंडल में मंत्री बनाये गये। सन् 1967 से 1972 तक आप सांसद रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भी रहे। 17 सितम्बर 1974 को आपका देहावसान हुआ। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती पुष्पा शर्मा 1985 से 1990 तक विधान सभा की अलवर से विधायक रही।

आपके पिताजी साला रामदयाल जी ने १९१४ में दिल्ली में कपड़े के धोक व्यापार का काम हुँ किया। अतः प्रारम्भिक शिक्षा गांव में प्राप्त कर आप परिवार के साथ दिल्ली जाकर वहाँ रहे तारे। यहाँ पर आपने हाईस्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ ही कॉलेज से अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके साथ ही आपको परिवार वालों ने अपने परिवर्के धन्ये में लगाने को कहा। आपने यह न कर १९३६ में कुण्ड में स्लेट का कारखाना स्थापित किया। इस धन्ये गये नमक सत्याग्रह हेतु दांडी भार्ष पर गये सत्याग्रहियों के परिवार खालों की देखरेख का जिम्मा अपने ऊपर लिया। आपने १९३३ से १९३९ तक अलवर में बाचतात्म, पुस्तकालय आदि खुलाये, आर्थिक तथा सब प्रकार से सहायता की और सन् १९४० से स्थानी रूप से अलवर में आकर रहने लगे। १९४५-४६ में आपने अकाल धौङ्हियों के लिये कार्य किये। सन् १९४२ के भारत दोङ्हो आन्दोलन के दौरान भूमिगत रहने वाले अनेक नेता व कार्पंती आपकी स्लेट फैक्टरी में रहकर अपनी गतिविधियों चलाते रहते थे। इनमें राजा महेन्द्र प्रताप, पं. श्रीराम, श्री हरिहर साला भार्गव एडवोकेट आदि थे। आप १९४५ में अलवर नगर पालिका के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। १९४६ के दोनों आन्दोलनों में आपको गिरफतार कर जेत भेज गया। १९४८ में आप अलवर राज्य के भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर के सलाहकार बने। मत्स्य के पुरुषार्थियों के पुनर्वास के लिये आपको यह जिम्मेदारी दी गई जिसे आपने एक कुशल और सफल प्रशासक के रूप में निभाई। आप अलवर जिला कांग्रेस के वर्षों तक अध्यक्ष तथा अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। सन् १९६२ में आप अलवर लोक सभा क्षेत्र से सांसद चुने गये। आप बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, परम उदार तथा सबको सहयोग देने वाले व्यक्ति थे। शिक्षा व सामाजिक क्षेत्रों में भी आपने जिम्मेदारियों निभाई खासतौर से हैपी स्कूल अलवर की बालहित कारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में। आपका देहान्त ता. ९ जुलाई १९७८ को हुआ। लाला जी अच्छे लेखक और विश्लेषक थे। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के बारे में आपकी सोच काफी गहरी और यथाप्रक थी। स्वभाव में आप मृदुभावी और सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। आप जनता के बीच रहकर, आमजन से बातचीत करने में आनन्दानुभव करते थे। सफल व्यवसायी, अध्ययनशील होते हुये भी आप प्रायः पैदल भ्रमण कर लोगों से मिलते, समस्याओं पर बहसें करते, आपने लोक सभा में अपनी भूमिका भली प्रकार से निभाई और सांसद के रूप में जनहित के कई कार्य कराये, जिन्हें लोग आज तक याद करते हैं।

श्री इन्द्रसिंह भार्गव 'आजाद'

श्री इन्द्रसिंह आजाद का जन्म अलवर में ५ जून १९१४ को भार्गव परिवार में हुआ। आपने हाईस्कूल तक शिक्षा पाई। छात्र जीवन से ही अपने ऊग्र एवं आजाद विचारों के लिये छात्रों एवं जनता में चर्चित रहे। आपको परिवार वालों ने आपकी आन्दोलनात्मक एवं छात्रों में योगावत फैलाने के कारण स्कूल के अध्यापकों की शिकायत पर दिल्ली भेज दिया। यहाँ आपके बहनोंई श्री दीनानाथ दिनेश रहते थे जो एक अच्छे कवि व गायक थे। श्री दिनेश ने गीता का हरिगोतिका

ठन्ड में एक ही सरल एवं सटीक अनुयाद किया था। आप दिल्ली में रहते हुये कांग्रेस के बड़े नेताओं के सम्पर्क में आये, जिनमें श्री आसफ अली, ला. शंकर लाल, इन्द्र विद्यावाचस्पति, आदि प्रमुख थे। आपने उन्हें अलबर में कांग्रेस की स्थापना के लिए युलाया। श्री शंकर लाल उन्हों के कहने से अलबर आने लगे। सन् 1938 के फीस विरोधी आन्दोलन में जेल गये। कांग्रेस की स्थापना हित शुरू से प्रयासरत रहे। याद में आप प्रजामंडल की स्थापना करने वालों में से एक थे। आप कांग्रेस के मंत्री भी बनाये गये। आप 1946 के दोनों आन्दोलनों में जेल गये। 1944 के शुरू के दिनों में आपने सफाई कर्मचारियों के खादान मोहल्ले में शिक्षण कार्य किया।

आजादी आने के याद जब यहाँ समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई आप उसके संस्थापकों में से एक थे। 19 अगस्त 1969 को आपका देहान्त हो गया।

श्री रामजीलाल अग्रवाल

अलबर ग्रन्थ प्रजा मंडल को एक प्रारंभिक एवं असम्युद्ध संगठन से जीवन्त एवं पूरी मुस्तैदी के साथ सक्रिय व जनसमस्याओं के प्रति समर्पित संवेदनशील संस्था बनाने में अपनी पूरी शक्ति-युद्ध लगा देने वाले युवा साथी रामजीलाल अग्रवाल का जन्म अप्रैल 1919 में यानसूर तहसील के नीमूचाणा परिवार में हुआ। आपकी शिक्षा अपने गाँव, यानसूर, कोटपूतली, अलबर, नीमच, कानपुर आदि शहरों में हुई जिसमें आपने बी. कॉम; एल. एल. बी. परीक्षायें उत्तीर्ण की। आपने राजपर्व कॉलेज से इन्टर परीक्षा वरीयता सूची से पास की जिसके कारण आपको छाप्रवृत्ति मिलती थी। श्री अग्रवाल का परिवार सबसे पहले अपने गाँव से मिलीटरी की कैनटीनों के रसद सप्लायर टेकेदार के रूप में बाहर, नीमच, ग्वालियर, भरु, कन्वेटा (बिलोचिस्तान) जैसे दूरस्थ स्थानों पर गया। आपको भी परिवार के साथ जहाँ-जहाँ ठेके होते वहाँ जाना पड़ता। इस प्रकार आपको प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के भारतीयों के प्रति रुख तथा उस ज़माने में आजादी के लिये किये जाने वाले स्वतंत्रता संग्रामों, आन्दोलनों आदि को अपने छात्र जीवन के दौरान कॉलेजों की छात्र यूनियनों के भार्फत देखने और उनमें पूरी सक्रियता से भाग लेने के अवसर मिले। आप में शोषण-उत्पीड़न के प्रति आक्रोश तो अपने गाँव में ही घटने वाले नीमूचाणा कांड को देखकर हो गया था। वे उस समय 9-10 वर्ष के ही थे, पर उस क्रूरतापूर्ण दमन-चक्र ने छोटे-बड़े सभी को हिलाकर रख दिया था, भारी विनाश के साथ।

आप अपने छात्र जीवन में स्टूडेंट फैडरेशनों में शामिल होकर कार्य करने लगे। इन संगठनों की क्रान्तिकारी गतिविधियों एवं उनमें आपकी बढ़चढ़कर भागीदारी के कारण आपको कई बार कॉलेज से निकाल भी दिया जाता था। आप इसी दौरान असरदार कम्युनिस्ट नेताओं के निकट सम्पर्क में आये। सन् 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान आपने सनातन धर्म कॉलेज, कानपुर के भवन पर तिरंगा झँडा हजारों छात्रों को जुलूस बनाकर ले जाकर फहराने का एलान किया। अंग्रेजों की सेना व पुलिस के जवानों ने आपके इस काम को न करने देने के लिये बल पूर्वक रोकने का प्रयास किया। आपके पीछे पूरे कानपुर तथा आसपास के नगरों के लगभग 15 हजार छात्रों की भारी भीड़ थी। पुलिस के द्वारा रोके जाने के आदेश-प्रयासों के बावजूद जब वे नहीं रुके तो उन पर निर्भमता से लाठी प्रहार किया गया, जिसमें वे बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें छात्र तिलक हाल की होने वाली मीटिंग स्थल पर ले गये। आपने होश आने पर

बड़ा जोशीला भाषण दिया। भाषण के बाद तिरंगा झंडा कॉलेज की वजाय सभा स्थल लिए हाल पर फराया गया। यह ठनके द्वारा सुझारूपन और धीरता की एक मिसाल थी।

ये छात्र आन्दोलन के दौरान गिरफ्तार हुये। ये उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों, मध्य भूमि के इन्दौर, ग्यालियर, महू आदि में छात्र संगठन के कार्यों से दौरे कर ठन्हें सक्रिय करते रहते थे। आपके साथ हॉस्टल में अनेक छात्र नेता रहते थे। श्री रामजी लाल का उनके बड़े भाई श्री सीताराम, जो स्वयं भी राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे, अपने टेके के कार्यों से काफी धन भेजते, जिसको श्री अग्रवाल ने हमेशा ही मियों को सहयोग देने और छात्र संगठनों पर व्यवहार किया। उनकी, मियों तथा साधियों पर सब कुछ निछावर कर देने की प्रवृत्ति तो आखिरी थक्कों तक रही।

भारत छोड़ो आन्दोलन में उन पर सभी तरफ से पावन्दियाँ लागने पर वे अपने गृह राज्य अलवर में सन् 1943 में आ गये और यहाँ आकर प्रजा मंडल में जान फूंक दी। श्री शोभाराम के साथ उन्होंने प्रजामंडल में जो किया, वह तो एक प्रकार से सन् 1943 से सन् 1947-48 तक इन के सर्वाधिक कार्यकलापों की कहानी है। कार्य और सहयोग और क्रियात्मक भागीदारी दो लागभग सभी बड़े-छोटे नेता कार्यकर्ताओं की थी, पर उसके हृदय-प्राण तो दो ही थे, श्री रामजीलाल और श्री शोभाराम जो सबको जगाकर काम में लगाये रखते थे। आपने प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को एक टीम के रूप में, सदैव कार्य में तत्पर रहने के लिए टोली के कुए पर एक बड़ा मकान लेकर उसमें सबको एक साथ रहने के लिए इकट्ठा कर लिया। वे सबको अपना साथी व अपना भाई और हर घड़ी का सहयोगी बनाकर बड़े प्यार और स्नेह देकर पालते थे। आप वर्षों प्रजामंडल के सैक्रेटरी रहे। सन् 1943 से आजादी आने के समय तक अनेक गाँवों में घूमे। सम्मेलन कराये। प्रजामंडल की शाखायें खोली। छोड़ा मंगल सिंह और गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलनों में जेल गये। देश को आजादी मिलने के उपरान्त आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। सन् 1957 में पंचायती राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत आप अलवर जिला परिषद के प्रमुख रहे। आप पत्रकारिता में भी उतने ही निपुण थे। कई पत्रों का सम्पादन किया। अन्याय, जुल्म, भ्रष्टाचार, साम्राज्याधिकता आदि के आप कट्टर विरोधी थे। अलवर के साम्राज्यिक दंगों में वे सबसे व्यक्तित्व होने वालों में एक थे। वे दंगों को रुकवाने में सरदार पटेल, नेहरू जी तथा अन्य नेताओं से बराबर पत्र व्यवहार करते, उनके पास डेलीगेशन ले जाकर कार्यवाही करने के लिए आग्रह करते। एक सम्पन्न परिवार में रहकर भी वे जीवन भर फक्कड़ रहे। वे अपने परिवार वालों के प्रति कुछ नहीं कर पाये। उन्हें राज्य के लाभों को लेने से भना करते थे। ऐसे कर्मठ, जागरूक और हरदिल अजीज साथी नेता का निधन 13 अक्टूबर, 1974 को जयपुर में हुआ।

श्री कृपादयाल माधुर

श्री कृपादयाल माधुर का जन्म 27 फरवरी 1916 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री छोराती लाल माधुर था। चार भाई, एक बहन में आप सबसे छोटे हैं। श्री कृपादयाल माधुर के पिता अलवर स्टेट की दीयानी अदालत में सरितेदार थे तथा दादाजी भी तहसीलदार थे। आपकी येदा यह है कि श्रीमती प्रेमचारी माधुर ने भी स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया था। यदि आज ये जीवित होती तो ये भी स्वतंत्रता सेनानी यहलाने का गौरव प्राप्त करती।

श्री कृपादयाल माथुर ने सन् 1932 में महाराजा कॉलेज जयपुर से हाईस्कूल, सन् 1934 में राजधिकारी कॉलेज अलवर से इंटरमिडियेट तथा सन् 1938 में आगरा कॉलेज आगरा से एल.एल.बी. पास की और अलवर आकर बकालात प्रारम्भ कर दी।

श्री माथुर ने वैसे तो भगतसिंह को फांसी लगने के बाद से ही अंगेजी अखबार पढ़ना प्रारम्भ कर राजनीति की गतिविधियों की जानकारी हसिल करना शुरू कर दी थी, और जयपुर प्रवास के दौरान, स्वतंत्रता आन्दोलन में कार्यरत विद्यार्थी साथियों के सम्पर्क में आये किन्तु गुलामी क्या होती है इसका अर्थ व अहसास इन्हें आगरा रहने पर ही हुआ। आगरा में दो विद्यार्थी ऐसे थे जिनका और अंग्रेजों का काफी बैर था। आगरा में गोरों की छावनी थी। जब भी अकेले दुकेले एक-दूसरे के सामने पड़ जाते, मार पिटाई कर देते।

आगरा कॉलेज में एक बार छात्र संगठन की सभा में अविश्वास प्रस्ताव पर वहस हो रही थी। दोनों ही पक्ष बोल रहे थे और एक-दूसरे की बात को नहीं समझा जा रहा था, काफी शोर शरणवा हो रहा था तब कॉलेज के अंग्रेज प्रिन्सीपल मि. फिल्डन ने गुस्से में आकर कह दिया कि 'इण्डियन्स डू नोट हैव डेमोक्रेसी सैन्स।' इतना सुनना था कि सारे छात्र एकदम चुप हो गए और सभी का सर शर्म से झुक गया। प्रिन्सीपल साहब को भी अफसोस हुआ। दूसरे दिन इस घटना की खबर सुखियों में छपी। आगरा में राष्ट्रीय स्तर के बड़े-बड़े नेता अक्सर ही आते रहते थे। उनके भाषण सुनते रहने से राजनीति का ज्ञान भी बढ़ने लगा। सन् 1937 में राष्ट्रीय एसेम्बली के चुनाव के समय वहाँ के विद्यार्थी साथियों के साथ चुनाव संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। वहस वहाँ से राजनीति का चस्का लग गया।

सन् 1939 में अलवर की म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव भी श्री कृपादयाल माथुर ने लड़ा किन्तु उसमें वे अपने प्रतिद्वंद्वी से हार गए थे, बाद में वे निर्विरोध चुन लिये गये।

सन् 1939 में प्रजामण्डल का रजिस्ट्रेशन अलवर राज्य में हो गया था। श्री कृपादयाल माथुर ने भी उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। स्टेट ने प्रजामण्डल पर कुछ पावन्दियाँ लगाई थीं जिनमें कार्यालय पर झण्डा न लगने की पाबन्दी मुख्य थी जिसके लिए गांधी जी को पत्र लिखा जिसके उत्तर में गांधी जी ने लिखा कि स्टेट जो पाबन्दी लगाती है मान ली जाये। भक्सद देश को विदेशी चुंगल से बचाना है। इस कार्य को ही प्राथमिकता दी जाये। तब से ही आपने प्रजामण्डल की गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया।

सन् 1941 में अक्टूबर माह में अलवर में प्रजामण्डल का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया। उस समय कृपादयाल माथुर प्रजामण्डल के उपमंत्री थे। सम्मेलन में देश व प्रान्त के बड़े-बड़े नेता आये तथा बनस्थली विद्यापीठ की यालिकाओं ने भी भाग लिया।

सन् 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के दौरान गांधी जी के आहवान पर अलवर में श्री कृपादयाल माथुर ने भी बकालात छोड़ दी थी। सर्व श्री शोभाराम तथा रामचन्द्र ठपाथाय ने भी इस दौरान ही बकालात छोड़ी थी और आन्दोलन में कूद पड़े थे। गांव-गांव अंग्रेजों के विरुद्ध नारे, सभाएं तथा जुलूस निकाले जाने लगे। विद्यार्थियों ने भी बढ़-चढ़ कर हिरसा लिया। शहर के टेलीफोन ऑफिस के तार काट दिये गये लैटर घक्सों में आग लगा दी गई। इन मामलों में पकड़े

गये विद्यार्थियों सर्वं श्री महावीर प्रसाद, श्री चिरंजी साल यर्मा तथा श्री हीरलाल भाटी के मुकदमों की पैरवी की। एक साल तक यकालत छोड़ने के पश्चात् एक कल्प के मुकदमों की पैरवी के लिए ये तिजारा चले गये और वहाँ पर प्रजामण्डल को संगठित किया। 1945 में तिजारा म्माल टाठन कमेटी के चेयरमैन बनाये गये। ये कमेटियाँ एक वर्ष तक चली याद में उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर चेयरमैन शिप से सामूहिक स्तीफे देकर वहिष्कार किया गया। तिजारा में भी प्रजामण्डल का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें भोपाल से श्री शक्ति अली, भरतपुर से श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी तथा इन्द्रीर से श्री बैजनाथ आये थे। तिजारा के शाहबाद कस्बे में विस्वेदारों का छोटी जातियों पर बड़ा आतंक था श्री कृपादयाल माथुर ने संघर्ष कर शोषण से मुक्त कराया। टपूकड़ा में भी पुलिस और तहसील के कर्मचारियों को दी जने वाली सुविधा से व्यापारियों को होने वाले नुकसान के विरोध में 400-500 लोगों के जुलूस की अगुवाई कर उस प्रथा को बन्द कराया गया तथा बेगार का पुतला जलाया गया।

2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में एक आम सभा प्रजामण्डल की होनी थी। सरकार ने 1 फरवरी को सर्वं श्री शोभाराम, हरिनारायण, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम आदि प्रमुख नेताओं को खेड़ा मंगल सिंह में गिरफ्तार कर लिया। अलवर में सर्वं श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, रामावतार, इन्द्रसिंह आजाद आदि को तथा तिजारा में भी जब श्री कृपादयाल माथुर एक जगह खबर सुन रहे थे श्री धासीराम के साथ इन्हें भी गिरफ्तार किया गया और रात को 11 बजे अलवर लाये गये। 12 व्यक्तियों को जेल भेजा गया। हीरलाल शास्त्री की मध्यस्थता करने पर सभी को 10 दिन बाद छोड़ दिया गया। 26 अगस्त 46 से उत्तरदायी शासन की मांग को लेकर संघर्ष करना था। इस कार्यक्रम को इन्हें लीड करना था। लेकिन सारे नेता पहले ही गिरफ्तार हो गए। प्रजामण्डल कार्यालय से आदेश मिला कि गिरफ्तार नहीं होना है। अतः श्री कृपादयाल माथुर भूमिगत हो गये। इस दौरान ये श्री भोती लाल के घर पर रहे। किन्तु कार्यक्रमानुसार ये 26 अगस्त की गिरफ्तार किये गये। श्रीकृपादयाल माथुर का मानना है कि आजादी के बाद कुछ नहीं हुआ जो लोग ऐसा कहते हैं सही नहीं है। बहुत बदलाव आया है। जीवन स्तर में काफी तरक्की आई है। लोगों में स्वाभिमान की भवना जागृत हुई है। उन्हें इस बात का दुख है कि गांधीजी के बाद चरित्र में गिरावट आई है।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता

राजस्थान सरकार के मंत्री पद पर रह चुके श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता का जन्म 30 जनवरी 1912 को गांव रामपुर तहसील बानसूर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री विहारी लाल है।

सन् 1921 में नौ वर्ष की छोटी आयु में पढ़ाई के लिए आपको राजगढ़ भेज दिया गया जहाँ से आपने मिडिल परीक्षा पास की तथा 1927 में आपने अलवर हाई स्कूल की परीक्षा पास की इसके बाद आप काशी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे। 1938 में आपने बकालत की परीक्षा पास की और आपने बानसूर में बकालत करना प्रारंभ कर दिया।

जब आप बनारस में अध्ययनरत रहे उस दौरान ही आपका संपर्क पंडित मदन मोहन मालवीय से हो गया और आप कांग्रेस की रीतीनीतियों के प्रति आकर्षित होते चले गये। 1930 से ही आपने खादी पहनना शुरू कर दिया। आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

1939 में श्री बद्री प्रसाद गुप्ता अलवर आ गये और प्रजामण्डल की गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। वैसे तो पूरे जिला को ही आप अपना कार्य क्षेत्र समझते रहे किन्तु बानसूर तहसील जहां आपका जन्म हुआ उसमें गांव-गांव में प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार विशेष रूप से किया।

2 फरवरी 1946 को गांव छेड़ा मंगल सिंह में जागीर विरोधी आम सभा के लिए जब वहां अलवर के अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात अलवर में भी तब की सामन्ती सरकार ने गिरफ्तारी की, जिसमें मोदी कुंजबिहारी लाल, इन्दरसिंह आजाद, रामावतार एडवोकेट के साथ आपको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तिजारा से कृपादयाल माधुर व धासीराम गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार 12 आदमी गिरफ्तार किये गए। इस गिरफ्तारी के विरोध में अलवर में पूरे आठ दिन तक हड्डताल रही।

अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आन्दोलन सामन्ती सत्ता के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण उसमें गरीब जनता जोवन निर्वाह की आम चीजों की बढ़ती कीमतों से व्रस्त तथा कपड़े की काला बाजारी से भारी परेशानी अनुभव कर रही थी तब प्रजामण्डल के आह्वान पर छेड़ा गया था। इसमें सत्याग्रह करते हुए बद्री प्रसाद गुप्ता को भी गिरफ्तार किया जो अन्य सत्याग्रहियों के साथ 2 सितम्बर 1947 को रिहा किये गये पर आन्दोलन 11 दिन तक चला था।

देश में आजादी के पश्चात् भी रजवाड़ों का शासन समाप्त नहीं हुआ था। यहां के सामन्तों, जागीरदारों का रवैया वही पुराने तरीके से चला आ रहा था।

देश में 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था फिर भी आजादी के 4 माह बाद भाह दिसम्बर में नारायणपुर कस्बे में प्रजामण्डल द्वारा आयोजित एक सभा को जब आप संबोधित कर रहे थे तब कुछ प्रतिक्रियावादियों ने आप पर लाठी तलवार से हमला कर दिया, जिसमें सर में आपके तलवार से भारी जख्म हुआ। प्रतिक्रियावादी तो आपको जान से मारने के इरादों से ही आये थे और अपने मकसद में सफलता प्राप्त करने के भुलावे में रह कर इन्हें मरा समझ कर चले गये थे। बेहोशी की हालत में अलवर पहुंचाये जाने पर प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं श्री फूलचन्द गोठड़िया, दयाराम आदि के सदप्रयत्नों से तथा समय पर उचित उपचार व्यवस्था से आप स्वास्थ्य लाभ कर सके। 1948 में आप नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किये गये। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता आजादी की लड़ाई से सदा जुड़े रहे तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेते रहे। आप बानसूर से 5 बार विधायक रहे और राजस्थान सरकार में समय तक मंत्री रहे।

महाशय चुनीलाल

महाशय चुनीलाल का जन्म तिजारा में हुआ। आपकी आयु 83 साल है। आपके पिता का नाम श्री डालचन्द है। आपको राष्ट्रीय आन्दोलन में कूदने की प्रेरणा तिजारा में मिली जब सन् 1943-44 में श्री शोभाराम, मा. भोल्लानाथ, रामचन्द्र उपाध्याय, नव्युराम मोदी आदि अनेक नेता प्रजामण्डल की मीटिंग करने तिजारा आये थे। उसके बाद ही आपका सम्पर्क धासीराम गुप्ता से

हुआ। जब ये नेता तिजारा में आये तो महाशय जी को बुलाया गया और कहा कि ये लंग प्रजामण्डल के नेता हैं इनके ठहरने को व्यवस्था करनी है। महाशय जी ने इनको अपने छन्दों ही ठहराया। पुलिस वाले आये और आपके चाचा से पूछा कि ये कौन अजनवी लोग तुम्हरे दर्जे ठहरे हैं। आपके चाचा ने आपको बुलाया, आपने घेघड़क होकर कहा कि ये कार्यकर्ता हैं उन्हें मेहमान हैं मीटिंग कराने आये हैं। तिजारा में मीटिंग हुई जिसमें आस-पास की काफी जत्ता भाग लिया। इस मीटिंग की अध्यक्षता सुमेर चन्द्र हलवाई ने की। मीटिंग में पुलिस नेतृत्व दमनात्मक कार्यवाही की।

महाशय चुन्नीलाल और इनके 3-4 साथियों ने फौज में भर्ती होने का निश्चय किया।¹² 3 साथियों के साथ फौज में भर्ती भी हो गये किन्तु फौज में भी अपनी बगावत करने की जरूर को नहीं छोड़ा। 2-3 घार सजा भी मिली। एक घार तो बाकामदा बगावत का चाँड़ ला जिसमें समरी कोर्ट मार्शल बैठाया गया। 28 दिनों की सजा मिली और सन् 1946 में फौज से निकाल दिया।

फौज से निकाले जाने के बाद महाशय जी तिजारा आ गये और गैर जिम्मेदार मिनिट्स कुर्सी छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इन्होंने 8-10 आदिमियों के जर्थे के लग सत्याग्रह किया तो मार-पीट करके रामगढ़ मोड़-पर छोड़ दिया। दूसरे दिन महल चैक में सत्याग्रह पर गए जर्थे में शरीक हो गये। वहां बड़ी संख्या में मिलट्री थी जिसने बंदूक तान खींची थी। यहां से आपको गिरफ्तार कर जेल में दूंस दिया गया।

जेल में आपसे माफी मांगने के लिए दबाव डाला। नहीं मांगी तो धास खुदवाई। जेल में खुराब खाना मिलने पर आपने खाना फेंक दिया और फिर भूख हड़ताल शुरू कर दी। वह भूख हड़ताल ठोक खाना मिलने पर ही टूटी। आप भी अन्य सत्याग्रहियों के साथ 2 सितम्बर को जेल से रिहा किये गये।

श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री रामानन्द अग्रवाल का जन्म 3 मई 1919 को ग्राम बलवाड़ी (हरियाणा) में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव तथा बाबल से एवं हाई स्कूल परीक्षा रेवाड़ी से पास की। इण्टरमीडिएट हिन्दू कॉलेज दिल्ली से कर वी.ए. व एल.एल.यी. लाहौर से प्रथम ब्रेंडों में की। लॉ में तो आपने गोल्ड मैडल प्राप्त किया। आपने प्रक्रारिता में जे.डी. योग्यता हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी कर आप सन् 1945 में गुडगांव में बकालत करने लगे। आप शुरू से ही जहां उच्च कोटि के मेधावी छात्र थे, वहां अच्छे डिवेलर, समाज सेवी एवं छात्र आंदोलन से जुड़े हुये थे। सन् 1946 के अन्तिम दिनों में आप अलवर में आकर दस दिन यात्रा करने लगे। आप प्रजामण्डल की गतिविधियों से जुड़ गये। अलवर में आप उस समय आये, जब प्रजामण्डल अपने सभी आंदोलन कर चुका था, और राज्य सरकार द्वारा पिछले आंदोलनों के समाप्ति पर दिये आधासनों की क्रियान्विती के लिये संघर्षरत था। राष्ट्रीय स्तर पर देश की आजादी की बात चल रही थी। आपने अलवर में बकालत करने का मन बनाया पर उसमें आपका मन नहीं लगा। आप पूरी तरह राजनीतिक गतिविधियों में लग गये। इसी दौरान प्रजामण्डल को अपना समाचार

पत्र स्वतंत्र भारत निकालने की अनुमति मिल गई। अतः आपने, अपने दो साथियों श्री नारायण दत व श्री शांतिस्वरूप डाटा के साथ सर्वोदय प्रेस के नाम से एक छापाखाना खोला। स्वतंत्र भारत जो मा. भोलानाथ जी के सम्पादन में निकलता था, वहां इस प्रेस से छपने लगा। इस पत्र के साथ, प्रेस से राष्ट्रीय विचारों का साहित्य प्रकाशन का काम शुरू करने के लिए लगाया 8-10 पुस्तकें छापी गई। यद्यपि आप को प्रकाशन और पत्रकारिता में गहरी दिलचस्पी थी, पर अधिक रुक्षान राजनीति में ही था। प्रेस का काम अपने साथियों पर छोड़कर आप दो अपना अधिकांश समय प्रजामण्डल के प्रचार-प्रसार कार्यों में लगाते रहते थे, गांवों में दौरे करना, जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोगों को संगठित करना, प्रजामण्डल के अन्तर्गत ही किसान सभा, मजदूर सभा आदि के निर्माण में लगे रहने में आपको बड़ा सुकून मिलता। इस दौरान आपने बुनकरों तथा गंगा मंदिर मुहल्लों में साक्षरता हेतु रात्रि पाठशालायें लगाई। आपने बुनकरों को कंट्रोल का सूत आदि दिलाकर बुनकरों के लिये पांडी बनाने के लिए समितियाँ बनाई ताकि वे यहां पूँजीपतियाँ के शोषण से मुक्ति पा सकें। सन् 1947 के शुरू से ही देश के विभाजन को लेकर साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। अलवर तो इसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बन रहा था। आपने यहां के प्रगतिशील नेताओं के साथ मिलकर दोनों सम्प्रदायों में एकता के लिए गांवों में जाकर लोगों को झगड़े नहीं करने के लिए प्रेरित किया। श्री रामजीलाल अग्रवाल इस काम में आप के सहयोगी थे। साम्प्रदायिक माहौल न बिगड़े इस के लिए आप दिल्ली के नेताओं को यहां की स्थिति सुधारने के लिए उनका ध्यान आकर्षित करते रहते थे।

15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाने के लिए आप सारे बाजारों में दिये बैंट कर लोगों को रोशनी करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। देश के बैंटवारे के समय पंजाब आदि से आनेवाले पुरुषार्थियों के सम्बन्ध में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। आपकी उस समय की सक्रियता एवं संगठन शक्ति के कारण ही आपको मत्स्य निर्माण के बाद मत्स्य स्टेट कांग्रेस के अस्तित्व में आने पर उसका जनरल सैक्रेटरी बनाया। सन् 1952 के चुनावों में कांग्रेस में रहकर 53 में उससे अलग होकर कम्युनिस्ट पार्टी में आ गये। पार्टी में रहते हुये आप तीन बार विधायक चुने गये। आप जिला कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रदेश पोर्टी के सचिव लम्बे असें तक रहे। 16 मई 1979 को आपका देहावसान हुआ।

श्री फूलचन्द गोठड़िया

श्री फूलचन्द गोठड़िया का जन्म रामगढ़ कस्बे के एक द्वाष्टाण परिवार में दिनांक 26 जनवरी 1923 को हुआ। इनके पिता का नाम श्री नानगराम था। गोठड़िया जी बालपन में ही सामन्ती शासन द्वारा किसानों पर वर्वर अत्याचार एवं भेट बेगार को देख सुनकर तीव्र आक्रोश से भर उठते थे। गोठड़िया जी ने 1939 से ही राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्हें रामगढ़ क्षेत्र में युवकों को संगठित कर स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने के लिए प्रेरित करने लगे।

बार फण्ड में रुपया न देने के लिए रामगढ़ में जन जागरण हेतु मीटिंग करने के लिए रामगढ़ के तत्कालीन पदाधिकारियों ने अलवर प्रजामण्डल के नेताओं को बुला तो लिया किन्तु सरकार के भय से भयभीत हो कर छिप गए। ऐसे समय में गोठड़िया जी ने अपने सहयोगियों से

रामगढ़ में प्रजामण्डल की सफाई मीटिंग परत्याने का श्रेष्ठ प्राप्त किया। ये रामगढ़ दृष्टि प्रजामण्डल के अध्यक्ष यना दिए गए।

रामगढ़ में बाह्यकारी धानेदार द्वारा साल्लू कुम्हार से 30 रुपये की रिवात लिए जानकारी मिलते हो धानेदार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। धानेदार अलवर भाग आए। दूसरे से सिंह ने इसकी जांघ की। दोपी पाए जाने पर धानेदार से रुपये ही यापस नहीं करवाए बर्त्ते उसका तायदाता भी कर दिया गया। इस मटना से गोठड़िया जी का नाम कस्ते में ही नहीं बर्ते आसपास के इलाकों में भी हो गया। फिर तो रामगढ़ में इनके सहयोगियों की एक दोत से सक्रिय टोम यन गई, जिसमें प्रमुख रूप से हरलाल मितल, रोशन लाल जैन, रमेश जैन, नन्द किशोर शर्मा, नन्द किशोर विजय, प्रकाश, युद्धलाल मितल आदि ने मिलकर पूर्ण-धूम का रामगढ़, गोविन्दगढ़, मुयारिकपुर, अलायड़ा, नौगांवा आदि में प्रजामण्डल कमेटियां बनाई तथा रामगढ़ के अलायड़ा गोविन्दगढ़ में भी द्वाक कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया।

1943 में इनकी कार्यकारिता स्थतंत्रता प्राप्ति के प्रति प्रतिवर्द्धता को देख कर गोठड़िया जी को अलवर राज्य प्रजामण्डल कार्यकारिणी का सदस्य बना लिया गया। इनना ही नहीं इनकी संगठनात्मक शक्ति को देखकर श्री रामजीलाल अग्रवाल ने इन्हें राज्य में संगठनात्मक कार्य हेतु अलवर में रह कर प्रजामण्डल का कार्य करने का निमंत्रण दिया। उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अलवर आ गए।

दिसम्बर 1945 के अन्तिम सप्ताह में उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी उम्मीदोंका परिषद के सम्मेलन में अलवर जिले से भेजे गए आठ डेलीगेस के दल में गोठड़िया जी भी एक डेलीगेट थे जिसमें आप उप्र के लिहाज से सवासे कम उप्र के थे।

1944 से 1946 तक बहरोड़, भुण्डावर, बानसूर, जाट बहरोड़, गण्डाला, पदमाड़ा आदि अनेक गांवों में भूख प्यास, नींद की परवाह किए बिना शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, दयाराम आदि के साथ इन्होंने दौरा कर प्रजामण्डल के कार्यालय खुलवाए। जागीरों के गांवों में प्रजामण्डल की आम सभाओं का निश्चय किया गया। इसके लिए गांव खेड़ा मंगल सिंह में 2 फरवरी 1946 को आमसभा करने का निर्णय लिया। 26 जनवारी को ही श्री शोभाराम, रामजीलाल, नानक चंद के साथ गोठड़िया जी रेल द्वारा राजगढ़ के लिए रवाना हो गये। कार्यकर्त्ताओं को जाटा, दाल, आलू, घर्तनआदि एक बैलगाड़ी में रखवा कर चल दिये। गाड़ी एक गांव में खड़ी कर कार्यकर्ता दो-दो की टोली में जेबों में भुने चने रख, प्राथमिक चिकित्सा का सामान साथ से अलग-अलग दिशाओं में गांवों में पर्चे बांटने के लिए चल पड़ते और जिस स्थान पर गाड़ी रुकती वहां शाम को मीटिंग करते। श्री लक्ष्मीनारायण के द्वक में शामियाना, फर्श, बांस आदि तथा लाला काशीराम, सर्व श्री पृथ्वीनाथ भार्गव बकील, कैलाश रायजादा, माया राम, हरसहाय, दयाराम, महावीर आदि 15-20 साधियों के साथ लेकर खेड़ा मंगल सिंह के लिए प्रस्थान किया। द्वक के पीछे-पीछे पुलिस की बस चल रही थी। खेड़ा मंगल सिंह के एक पुराने जीर्ण-शीर्ण मंटिर में अन्य साधी टिके थे, ये भी वहीं पर टिक गए। आधी रात के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई, उसे खटखटाया। खोल कर देखा तो श्री रामधन्द हरित तहसीलदार के साथ पुलिस थी। सर्व श्री शोभाराम, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, पं, हरिनारायण, रामजीलाल अग्रवाल को तो पुलिस

पकड़ से गई। मा. भोलानाथ महुवा से आने वाले थे उनको सन्देश भिजवाया कि वे नहीं आवें।

प्रजामण्डल के ऐलान के मुताबिक 2 फरवरी को मीटिंग होनी थी। जागीरदार का कहना था कि मीटिंग नहीं होने दी जाएगी। आखिर दिन को 1 बजे मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पृथ्वीनाथ भार्गव चक्रील ने की। गोठड़िया ने बड़ा जोशीला भाषण दिया। सर्व श्री कैलाश रायजादा, मायाराम, महावीर आदि ने भी भाषण दिये। ‘गैर जिम्मेदार मिनिस्टर कुर्सी छोड़े’ आन्दोलन की तैयारी का निर्णय लिया गया जिसके लिये 26 अगस्त 1946 का दिन निश्चित किया गया। 24 अगस्त 1946 को अपने सहयोगियों के साथ गोठड़िया जी रामगढ़ में 3000 लोगों के जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे जिस पर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया। गोठड़िया जी के दोनों हाथों में भारी चोट आई तथा उत्तर गये। श्री रोशन लाल का सर फट गया। तांगे में ढालकर इनको अलवर अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया। यहाँ इनका इलाज लगभग 15 दिन तक चला। एक डॉक्टर बांचू थे जो दिन में तो गोठड़िया जी के पलंग की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे लेकिन आधी रात के बाद अपने साथ एक छोटी सी भशीन लाकर इनके हाथों में घटके लगाते थे जिससे इनके हाथ सही हो सके बर्ना तब की सरकार के भरोसे ये अब तक अपंग ही रहते।

आन्दोलन 11 दिन तक जारी रहा। 600 के करीब गिरफ्तारियां हुई। सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार हो चुके थे। आन्दोलन जारी रखने कि लिए मा. हरिनारायण, सेठ धानसिंह लीलीवाले तथा चिरंजीलाल बुर्जावाले गोठड़िया जी के पास अस्पताल में परामर्श लेने आते थे। एक दिन तो ऐसा आया कि दूसरे दिन सत्याग्रह पर बैठने के लिए किसी भी जगह से सूचना नहीं आई। आन्दोलन में व्यवधान को आशंका हो गई। गोठड़िया जी के कहने से मा. हरिनारायण चौरौटी गए और दूसरे दिन 13 आदमियों का जत्था सत्याग्रह के लिए आ गया। ऐसा रहा है गोठड़िया जी का प्रभाव। साम्राज्यिक दंगों के दौरान अलवर राज्य प्रजामण्डल के सर्वश्री रामजीलाल अग्रवाल, मा. हरिनारायण सैनी, मायाराम, दयाराम, मौ. मोहम्मद इब्राहीम आदि साम्राज्यिक विरोधी दिमाग के लोगों के साथ गोठड़िया जी ने केवल विरोध ही नहीं किया बल्कि दिल्ली तक डेपूटेशन ले जाकर वहां के नेताओं को अलवर जिले से मेवां के भागने की सूचना भी दी।

साम्राज्यिक दंगों के दौरान नौगाँवां के कुछ लोगों ने तहसीलदार चन्द्रशेखर को एक जीप इस मकसद से भेंट की। इसके विरोध में गोठड़िया जी ने 11 दिन तक अनशन किया। अन्ततः तहसीलदार को वह जीप वापिस करनी पड़ी। उस जीप को बेचकर प्राप्त धन राशि से नौगाँवां की जनता की राय से कस्बे के बाहर एक स्कूल का निर्माण कराया जो आज भी चल रहा है।

गोठड़िया जी, श्री रामजीलाल अग्रवाल, श्री मायाराम, श्री दयाराम आदि के साथ गोकुल भाई भट्ट के साथ लेकर सरदार पटेल से भी मिले। लोकप्रिय मंत्रीमंडल में प्रजामण्डल को स्थान दिलाने की गज़ से पटेल ने मध्यस्थता करने के लिए गोकुल भाई भट्ट को नियुक्त किया। इस संबंध में अलवर महाराजा से मिलने वालों में गोकुल भाई भट्ट के साथ रामवतार एडवोकेट के अलावा गोठड़िया जी भी थे किन्तु समझौता नहीं हो सका। गोठड़िया जी 1946 तक रामगढ़ तहसील प्रजामण्डल के अध्यक्ष रहे हैं तथा 1943 से कांग्रेस छोड़ने तक अलवर प्रजामण्डल

कार्यकारिणी के सदस्य रहे। गोठड़िया जो यथपन से ही साम्राज्यिकता विरोधी, सामंत विदेशी, विदेशी शासन विरोधी होने के साथ-साथ शोषण और अत्याचार विरोधी भी हैं।

कलावती शर्मा

कलावती शर्मा का जन्म जनवरी 1923 में राजगढ़ कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम श्री मोहन लाल टींगड़ा था जो अलयर में कोतवाल के पद पर रहे थे। श्री टींगड़ा चोरों के पकड़ने में अपनी विशेष शैली के कारण मशहूर रहे थे। इनके पूर्वज महाराजा मंगलसिंह के दीवान थे।

सामन्ती शासन में पर्दा प्रथा अत्यन्त कठोर थी। फिर इनका तो दीवानी परिवार हीने के कारण वह प्रथा और भी सख्त थी। इन नियमों का पालन न करने वाली महिलाओं को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। पुरुषों के साथ सभा जुलूसों में जाना तो दूर की बात थी।

कलावती देवी शर्मा को राष्ट्रीय भावना के गानों को गाने में बड़ी रुचि थी। 'खूब तड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी' वाले गीत को गाते समय सोचा करती थी कि क्या महिलाओं ने राज्य किया है? वहा महिलाएँ राज्य करेंगी। अक्सर उन दिनों पुरुषों करते हैं प्रजामंडल की आम सभायें होती थीं जिनमें ये बालकपन में ऐसे राष्ट्रीय गीत गाया करती थीं। रितेदारों को यह बात पसंद नहीं थी। पिताजी को भी कर्तव्य भावना को प्राधिकरण देने की भावना के साथ-साथ सामन्ती शासनके कोष भाजन बनने का डर था। विद्यार्थी जीवन से ही इनका राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के कारण और पिताजी के निष्ठावान रियासती अफसर हीने के कारण इन्हें पारिवारिक लाडल्यार एवं सुख सुविधा से वंचित होना पड़ गया था किन्तु ये विचलित नहीं हुई। कलावती देवी शर्मा ने छात्र-छात्राओं के साथ खुलकर प्रजामंडल के कार्यक्रमों में भाग लेना प्रारम्भ कर दिया।

सन् 1939 में इन्हें कन्या मिडिल स्कूल में अध्यापिका बना कर रामगढ़ भेज दिया गया। रामगढ़ तो वैसे ही प्रजामंडल का गढ़ था। वहाँ पर भी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें सन् 1940 में नौकरी से निकाल दिया गया।

सन् 1940 में यद्यपि श्री मोहन लाल टींगड़ा कलावती देवी शर्मा के पिताजी, सेवा निवृत हो चुके थे फिर भी तत्कालीन महाराजा द्वारा उन पर दबाव डाला गया कि वे अपनी पुत्री को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोके अन्यथा उनकी पेंशन बंद कर दी जायेगी। पिता पर पड़े दबाव को भी नकारने और प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेना जारी रखने के कारण इन्हें घर से बिल्कुल ही निर्वासित कर दिया गया।

घर से निकाले जाने पर श्रीमती जयदेवी ने 'विड्लाट्रस्ट' की ओर से पिलानी में अध्ययन करने के लिए भेज दिया। पिलानी में ये 'हीरो' लड़की के नाम से विख्यात रही। सांस्कृतिक गतिविधियों के अतिरिक्त धाद-विवाद तथा धुड़ सवारी आदि में भाग लेती थी।

पिलानी में रहते हुए श्रीमती जानकी देवी बजाज ने कलावती देवी शर्मा को 'कस्तूरवा' प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत योरोवली (वम्बई) भेज दिया। योरोवली में ग्राम उडार, महिला जागरण, प्रीटि शिक्षा, चालिकाओं को शिक्षा तथा ग्राम सफाई, आदि का प्रशिक्षण लिया। 1942

में ये पुनः अलवर आ गई। इनके अलवर आने का पता इनके पिता जी को भी नहीं चलता था क्योंकि ये अपनी महिला मिश्नों श्रीमती गुप्ता, जगरानी आदि के घरों पर रहा करती थी। अलवर आकर मुण्डावर, रसगण और खैरथल आदि में 1942 में भूमिगत रह कर 'भारत छोड़ो आन्दोलन' में सक्रिय रह कर भाग लिया जिसमें पचें बांटना, पोस्टर लगाना तथा क्रान्तिकारियों तक गुप्त-संदेश पहुंचाना आदि का कार्य था।

सन् 1945 से 1946 तक कस्ये और गांधीं में प्रजामंडल की गति विधियों का प्रचार प्रसार कार्य कलावती देवी शर्मा ने किया। महिलाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, महिलाओं को शिक्षा के प्रति रुचि लेना आदि कार्य किये। सन् 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन' में महिलाओं के सत्याग्रही जत्थे लाने में पूरा सहयोग दिया।

महिलाओं में इनकी प्रमुख सहयोगी श्रीमती शान्ती गुप्ता, जगरानी, कैलाशवती उपाध्याय, रम प्यारी, ओमकार, रमादेवी पांडे, शान्ती गोठडिया, प्रेम प्यारी माधुर, श्रीमती रुकमणी देवी, कमलेश शर्मा, उमामाधुर, कमला डाटा, कमला जैन और विमला शर्मा आदि थी। सत्याग्रही महिलाओं को पकड़ने के लिये न तो उन दिनों सरकार के पास महिला पुलिस थी और न ही महिला सत्याग्रहियों को जेल में रखने की कोई व्यवस्था थी। इसलिये सरकार इन्हें ट्रकों में भर कर दूर दराज जंगलों में छोड़ आती थी जहां से प्रजामंडल के ट्रक पीछे-पीछे जाते हुए इन्हें बापिस ले आते थे और ये पुनः सत्याग्रह में शरीक हो जाती थी। कलावती देवी शर्मा पर धारा 144 तोड़ने पर लाठी चार्ज भी हुआ था।

भारत विभाजन के समय कलावती देवी शर्मा ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेवादल का गठन किया गया जिसके द्वारा आये हुए शंरणार्थियों को सरकार द्वारा आयोजित शरणार्थी शिविरों में पहुंचाने का कार्य किया। 1948 में कलावती देवी शर्मा को सेवादल की नायक रियुक्त कर जयपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भेजा गया। कलावती देवी शर्मा ने महिलाओं में चेतना जागृत करने के उद्देश्य से 1946 में महिला मंडल की स्थापना की। इतना ही नहीं अलवर, धानागाजी, बानसूर और लक्ष्मणगढ़ में समाज कल्याण खण्ड खुलवाये।

श्रीमती शान्ति गुप्ता

श्रीमती शान्ति गुप्ता का जन्म 25 अगस्त 1928 को बहरोड़ तहसील के ग्राम घीलोट में हुआ। आपके पिता लाला काशीराम अलवर के प्रतिष्ठित एवं प्रमुख कांग्रेसी थे। आपके दादा सेठ रामदयाल जी दानबीर कहलाते थे व दीन, हीन, गरीबों के प्रति बड़े उदार थे। अच्छा खाता परिवार था। नौकर-चाकर, रथ, बहल, बैलगाड़ी, ऊट, घोड़ा, सभी साधन उपलब्ध थे। आपने हिन्दी प्रभाकर परीक्षा पास की है।

बचपन में आप, बाबा जय जय राम जो रहने वाले तो बहरोड़ के थे, किन्तु कुण्ड में रहा करते थे के सम्पर्क में आई। बाबा जय जय राम उनके पास आने वालों को स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया करते थे तथा उनके मन में स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना पैदा किया, करते थे।

सन् 1942 में गांधी और घरों में चरखे के गोतों को सुनकर आपके मन में उमंग पैदा होती थी। मन में कुछ करने की इच्छा जागृत होती। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में छुट-पुट काम

भी किया। श्रीमती शान्ति गुप्ता ने मन में यादी पहनने की इच्छा जागृत हुई। आजने उन्हें नहीं अपनी इच्छा घुक्क की। आपको मां ने आपके पिता लाला काशीराम से जिस किया। उन्हें काशीराम स्वयं प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता थे। लाला जी ने कहा कि यह न करना किसी व्यक्ति पहनना शुद्ध करो और फुट समय याद ढाँढ़ दो। श्रीमती शान्ति गुप्ता ने प्रण किया कि वे दूसरे पहनना किसी भी परिस्थिति में नहीं ढाँढ़ेंगी। आज भी ये यादी के ही वस्त्र धारण करती हैं।

सन् 1943 में आपने राष्ट्रीय आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्ता तथा प्रगतिसोल्ट बिद्युत के पत्नी श्री नारायण दत्त गुप्ता जिनका भी परिवार सम्पन्न परिवार रहा, से चेपर्दी शादी की है। उन्हें चेपर्दी की शादी ने घर ही नहीं समाज और शहर में हल्लधल मचा दी। सामन्ती शासन में दिनें महिला को चेपर्दी रहना हेय दृष्टि से देखा जाता था किन्तु आपने अपने मुदुस्वभाव से सबूत प्रदान कर परिवार की अन्य महिलाओं का भी पर्दा धोरे-धोरे हुड़या दिया।

घर याहर राधा प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं की पत्रियों से सम्पर्क सापकर आपने सबूत एवं देश सेवा की प्रेरणा ली। किसी यात्रा की अड़चन आने पर ये अपने पिता लाला काशीराम से सहयोग लिया करती थी।

महिलाओं में जागृति साने तथा उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सबूते पहले श्रीमती शान्ति गुप्ता ने महावर महिलाओं की एक संस्था 'महावर महिला मण्डल' की स्थापना की, किन्तु यह संस्था अधिक दिनों तक घल नहीं पाई। सन् 1944 में श्रीमती जगणी के सहयोग से 'महिला जागृति संघ' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था में हर साल हरिकीर्तन के लिए महिलाओं को बुलाया जाता। थोड़ी देर हरिकीर्तन के बाद उन्हें देश वी स्वतंत्रता के बारे में बताया जाता। राष्ट्रीय भावना का पाठ पढ़ाया जाता तथा अंग्रेजों व सामन्ती शासन की बुराइयों को बताया जाता। देशी राज्य लोक परिषदों के प्रजामण्डल में परिवर्तन के पश्चात यह संस्था उदयपुर महिला मण्डल की शाखा में परिवर्तित हो गई। फिर तो पढ़ी लिखी महिलाओं का सहयोग भी मिलने लगा जिनमें शोभा भार्गव, सत्या अग्रवाल, उमा माधुर, कमला जैन, कलावती शर्मा, शान्ती गोठड़िया तथा प्रजामण्डल के ज्यादातर कार्यकर्ताओं की पत्रियां थीं, वे भी सदस्य बन गईं। सन् 1945 में देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में अलवर से जो आठ महिलाओं का दल उदयपुर गया था उसमें श्रीमती शान्ति गुप्ता भी एक थी। महिलाओं की साक्षरता के लिए अपने पिता श्री काशीराम गुप्ता के मकान में एक कामरे में स्कूल खोला गया जिसे चलाने में एस.एम.डी. स्कूल की अध्यापिकाओं एवं छात्राओं का सहयोग मिला। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता के मकान में भी निःशुल्क स्कूल चलाया गया जिसमें महिलाओं को सिलाई सिखाई जाती थी। हरिजनों की बस्ती में 'हरिजन सेवक संघ' द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में श्रीमती शान्ति गुप्ता स्वयं रात्रि में मिट्टी के तेल की लालटेन की रोशनी में हरिजन महिलाओं को पढ़ाती थी।

श्रीमती शान्ति गुप्ता ने प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये सभी आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। सन् 1946 में इनके पिता, पति तथा जेठ सभी जेंत चले गये तो उन्होंने पीछे रहकर श्री देश पाण्डे तथा श्रीमती रमा पाण्डे के निर्देशन में कार्य किया। अलवर रियासत के महाराजा के पास महिला पुलिस न होने के कारण महिलाओं को गिरफ्तार तो नहीं किया जाता मगर ट्रकों

में भरकर दूर-दराज जंगलों में ढोड़ दिया जाता था। श्रीमती शान्ति गुप्ता ने इन सभी आन्दोलनों में भाग लिया। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय पेहल, मुण्डावर, खैरथल, रसगाण आदि गांवों में कस्तूरबा ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित ग्राम सुधार, नारी उत्थान आदि का कार्य किया। सन् 1946 में श्रीमती कमला श्रोत्रिय के प्रयासों से अलवर में महिला मण्डल की स्थापना में भी आपका सहयोग रहा।

सर्वांगीय महाराजा जयसिंह की एक मात्र पुत्री इनके कार्य से बड़ी प्रभावित थी। उन्होंने छोटी मांजी महाराज के हारा मिलने की इच्छा का एक संदेश भिजवाया। श्रीमती शान्ति गुप्ता कोठी जनवासा गई थी, लेकिन वहाँ के तौर-तरीकों में 10 मिनट की मुलाकात के लिए तीन घण्टे खराब होते थे। महिला संगठन के सिलसिले में उनसे मिलना प्रारम्भ भी किया किन्तु जब पता चला कि राजघरने की रिवाजों की पाबन्दी में ये पर्दे से बाहर आने में मजबूर हैं तो फिर मिलना छोड़ दिया।

श्रीमती शान्ति गुप्ता शारीरिक अस्वस्थता के कारण चलने फिरने में असमर्थ हैं फिर भी आज भी जो सहयोग सामाजिक कार्यों में, राष्ट्रीय कार्यों में दे सकती हैं देती हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन

श्री महावीर प्रसाद जैन का जन्म अलवर राज्य की उप तहसील गोविन्दगढ़ में 10 जुलाई 1922 को हुआ। गांव में रह कर कक्षा 6 तक पढ़े किन्तु मेव आन्दोलन होने के कारण सन् 1933 में अलवर आना पड़ा तथा यहाँ से दसवीं तक पढ़े। श्री जैन को 16 वर्ष की आयु से ही क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने में रुचि हुई तथा क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने वालों का एक सर्किल बना लिया। इस संगठन को पहले 'अजर दल' नाम दिया, एक साल बाद 'नवहिन्द पटी' नाम रखा और 1941 में 'रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इण्डिया' नाम रखा गया, जिसके तकरीबन 50 सदस्य बन गये थे। इस संगठन का मुख्य कार्य था आगरा व दिल्ली से बिना प्रेस लाईन के पर्चे छपवाना, शहर में चिपकाना तथा महाराजा व अधिकारियों को भेजना जिससे राज्य व जागीरदारों द्वारा लगान, बेगर आदि के लिए किये जाने वाले अत्याचारों का पर्दा फाश करना मुख्य उद्देश्य था। दूसरे मामले में यह संगठन राज्य व जागीरदारों के विरुद्ध एक दल था। इस दल के लोगों को प्रोफेसर जंगबहादुर ने अलवर आकर बम, बारूद व गन कौटन आदि बनाना सिखाया था। बाहर से छपे पर्चे मंगाने में पकड़े जाने की आशंका से दल अब स्वयं ही अपने सदस्यों द्वारा टाईप व साईक्लोस्टाइल कर पर्चे छापने का कार्य करने लगा।

यह संगठन चेन टाईप था। सारे सदस्य एक दूसरे को नहीं जानते थे। श्री महावीर प्रसाद जैन और इनके दो साथी ही सारे सदस्यों को जानते थे। कार्य बढ़ गया था और पैसों की कमी आ गई थी। संगठन का कार्य बन्द न हो जाये इस उद्देश्य से श्री महावीर प्रसाद जैन अपने घर से 5 तोला सोने की जंजीर बिना घरवालों को बताये ले आये और अपने साथी हीएलाल व किशनलाल के द्वारा अलवर के क्रांतिकारी विचारधारा के अग्रणी नेता श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी के पास एक रिवाल्वर खरीद कर लाने के लिए भिजवाई। क्रांतिकारी पुस्तकों के माध्यम से जिन व्यक्तियों के सम्पर्क में आये उनसे चन्दा भी लिया जिनमें लाला काशीराम गुप्ता जो अलवर राज्य प्रजामंडल के सदस्य थे काफी आर्थिक सहयोग देते थे। अन्य सहयोगियों में हैडमास्टर श्री रमेशचन्द्र पन्त तथा मास्टर नन्दकिशोर जी व विश्वम्भर दयाल जी प्रमुख थे।

1942 में नेताजी सुभाष चन्द्र घोसा का विदेश से घोड़कास्ट था कि भारत का पैसा इन्हीं भी कीमत पर यार फॅण्ड में न जाये इस आदेश की पालना में यार फॅण्ड के लिए फॅड एस्ट्रीट करने के लिए योग्ये गये अमर सिंह राटोड़ नाटक के पटों को तथा कम्पनी याग में लाइंस प्रदानी योग्याह की दरियों आदि को जला दिया ताकि कोई मुनाफा न हो सके। 17-18 अक्टूबर 1942 की रात्रि को एक ग्रुप थैटफ के रेल के तार काटने व पोस्ट ऑफिस में आग लगने के निर्णय लिया गया जिसके तहत 20 अक्टूबर की रात को विजय मंदिर रोड़ को रेलवे लाइंस के तार काटे गये और 6-7 नवम्बर 42 की रात को पोस्ट ऑफिस व लैंटर वॉक्सों में आग लगाये गई। ये सारे कार्य यैसे तो याकी गोपनीय तरीके से किये गए किन्तु एक साधी की असाध्यता के कारण पुलिस को उसके भाइं से सम्बन्धित कागज का सुराग मिल गया इस कारन श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा हीरालाल भारतीय गिरफतार कर लिए गये। वे गिरफतारियां 10 व 11 नवम्बर 1942 को की गई।

तीन रोज तक इन्हें खड़ा रखा गया, सोने नहीं दिया गया ताकि ये लोग अपने अन्य साधियों तथा संगठन के बारे में बताला दें। जब पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें हथकड़ी लगा कर घसीटे हुए ट्रक तक ले गए और झाँझा-झोली कर ट्रक में कैंक दिया। उन्हें पर घारा 120 वी, 435,447, 379 आई.पी.सी. का चार्ज लगा कर 2 साल 9 माह की सजा के पर घारा 120 वी, 435,447, 379 आई.पी.सी. का चार्ज लगा कर 2 साल 9 माह की सजा के की सजा सुना दी गई। जेल में भी जेल मैन्युअल दिखाने पर तीनों ने तीन रोज की भूख हड़ताल की जिस पर 10-10 बोंदों की सजा दी गई और कालकोठरी में 15 दिन रखा। बाद में फाँसी जंगलों में अलग-अलग रखा। मास्टर भोलानाथ ने प्राइम मिनिस्टर से विद्यार्थी जीवन को बचाव न करने की अपील की तो महाराजा की सालगिरह पर 5 माह बाद इनको छोड़ा गया।

जेल से छूटने के बाद श्री महावीर प्रसाद जैन ने अहिंसात्मक आंदोलन करने का मानस बनाया और प्रजामंडल में विद्यार्थी भंच पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। श्री जैन 1944 में विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिये गये। पूरे राज्य के सभी हाई व मिडिल स्कूलों में विद्यार्थी कांग्रेस की शाखाएं खोली गई साथ ही विद्यार्थी कांग्रेस की स्थापना के लिए जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बीकानेर आदि स्थानों पर पत्र व्यवहार कर श्री जैन ने समर्क बढ़ाया।

1945 में पी. ई. एन कांक्रेस जयपुर में हुई जिसकी अध्यक्षता श्री सरोजनी नायडू ने की थी, श्री महावीर प्रसाद जैन उसमें सम्मिलित हुए थे। उनसे राज्य को विद्यार्थी कांग्रेस के उद्घाटन के लिए निवेदन किया किन्तु समयाभाव के कारण उन्होंने असमर्थता जताई। 1945 में ए. जे. एस. प्लूपिल्स को कांक्रेस में पं. जबाहर लाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी उनसे श्री जैन ने निवेदन किया तो उनके आदेश पर शेख अज़्जुल्ला ने विद्यार्थी कांग्रेस का उद्घाटन किया। चुनाव में कु. शुशीला (श्री हीरालाल शास्त्री की साली) अध्यक्ष चुनी गई तथा श्री महावीर प्रसाद जैन को उपाध्यक्ष चुना गया। राजस्थान विद्यार्थी कांग्रेस का एक संगठन खड़ा हो गया।

प्रजामंडल के तत्वाधान में योग्या मंगल मिंह में 2 अगस्त 1946 को होने वाले किसान सम्मेलन में 1.2.1946 को जय सारे प्रमुख नेता गिरफतार हो गये तो मास्टर भोलानाथ जिन्हें 2

फरवरी को आना था उन्हें महुआ रोड मुण्डावर स्टेशन पर ही रोकने के लिए श्री महावीर प्रसाद जैन श्री हरसहाय गुप्ता के साथ गए और वहाँ रोक कर दौसा चले गये।

राजा महेन्द्र प्रताप जिन्हें देश निकाला दिया गया था 25 वर्ष बाद महात्मा गांधी के प्रयत्नों से भारत वापिस आये थे, उनको आमंत्रित कर लाने की जिम्मेदारी श्री महावीर प्रसाद जैन पर टाली गई जिसमें वे सफल हो गये और विद्यार्थी कांग्रेस के तत्वाधान में 24 अगस्त 1946 को धारा 144 तोड़ते हुए छात्रों का करोब 1 मील लम्बा जुलूस निकाला गया जिसमें कई हजार की संख्या में विद्यार्थी व जनता थी। स्कूल व बाजार की पूरी हड़ताल रही। चारों बाजार और मुख्य स्थानों पर फौज थी। कैलाश दुर्ज तो मानों फौज वही छावनी ही बन गया। जुलूस नंगली के चौराहे से मुख्य बाजारों से होता हुआ सुभाष चौक में पहुंच कर सभा में बदल गया। सभा रात 12 बजे तक चली जिसकी अध्यक्षता श्री महावीर प्रसाद जैन ने की। रात्रि 2 बजे जब वे अपने साधियों के साथ घर जा रहे थे तो होपसर्कस से पहले ही 10-15 पुलिस के सिपाही, कोतवाल व मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार कर उसी रोज जेल के पागल खाने वाले बाईं में बन्द कर दिया।

26 अगस्त 1946 को गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में करीब 400 नेता-कार्यकर्ता बन्द किये गये थे उनके साथ उन्हें भी 2 सितम्बर 1946 को छोड़ दिया गया।
श्रीमती रामेश्वरी देवी

श्रीमती रामेश्वरी देवी का जन्म अलवर जिले के प्रतापगढ़ गांव में हुआ था। आपके पिता खेती बाड़ी और बौरगत का काम किया करते थे। आपके पिता का नाम श्री बलदेव चौधरी था। आपका विवाह 16 वर्ष की आयु में श्री रामजी लाल अग्रवाल के साथ हुआ जो नीमूचाणा के रहने वाले थे। आपके पति अपने विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गये थे। जब कभी वे गांव में आते थे तो अपने साथ झण्डे आदि ले आते। उन्हें देख परिवार वाले कहते थे कि यह हमको भी फँसवायेगा। मगर इनके पति को ये बातें विचलित नहीं करती थी। श्री फूलचन्द गोठड़िया का परिवार भी इनके साथ ही रहता था एक मकान में ही। मायाराम उनका भाई चन्द्रमणि आदि भी वहाँ रहते थे। अपने पति के साथ रहते हुए उनके बिचारों से आप भी प्रभावित हुईं और सन् 1940 से ही अपने पति के साथ स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। अलवर आकर आप श्रीमती जगरानी, प्रेम प्यारी माथुर, रामप्यारी, रुकमणी देवी, रमावार्द देश पाण्डे, कैलाशवती उपाध्याय, शान्ती देवी गोठड़िया, गोमती देवी, शोभा भार्गव, विद्यावती, कमलेश शर्मा, शान्तीगुप्ता, उमा माथुर, कलावती देवी शर्मा, कमला डाटा, कमला जैन, विमला शर्मा आदि के सम्पर्क में आने पर अपने मकान में अनगढ़ महिलाओं को पढ़ाने के लिए साक्षरता केन्द्र संचालन किया और खादी अपनाने के लिए कताई कक्षाएं भी चलाई। सन् 1943 में श्रीमती रामेश्वरी देवी ने खेत्रथल एवं तिजारा में कांग्रेसी महिलाओं का सम्मेलन और खादी प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा महिलाओं को खादी पहनने के लिए प्रेरित किया। आप उदयपुर में आयोजित राज्यों के प्रजामंडल सम्मेलन में अलवर से गये महिलाओं के प्रतिनिधि मंडल में भी गईं। सन् 1946 में प्रजामंडल द्वारा चलाये गये गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में अन्य महिलाओं के साथ खुल कर भाग लिया। पुलिस ने आपको तीन बार पकड़ कर दूर जंगलों में छोड़ा व्यक्तिशासन के पास महिलाओं के रखने के लिए जेल में व्यवस्था नहीं थी।

श्री नारायण दत्त गुप्ता का जन्म 15 मई 1924 को हुआ। इनके पितृजी का नाम श्री राम युमार जी गुप्ता था। आपने इंटरमीटिंग तक शिक्षा प्राप्त की है तथा हिन्दी में भूषण संस्कृत विशारद की परीक्षाएं भी पास की। श्री नारायण दत्त गुप्ता 1936 से 1941 तक मोगा में रहे हैं। ये यू. पी. में थे तो इन्होंने देखा कि यहाँ का 90% लोग स्वतंत्रता के फार्म में जुटा हुआ है। तो 1936 में ही आपने टाली पहचान शुरू कर दिया। आप सन् 1941-42 से ही राजनीति में संकेत होकर कार्य करने लग गए। सन् 1943 में अलवर के प्रमुख एवं प्रतिष्ठित नेता लाला कालान की सुपुत्री शान्ती गुप्ता से श्री नारायण दत्त गुप्ता ने आदर्श विवाह किया। अलवर के इतिहास में यह पहला विवाह हुआ था जो विना किसी पर्दा तथा बिना किसी दहेज के हुआ। यह प्रथम उम्मूलन का यह प्रथम और क्रांतिकारी सूत्रपाता था। इस विवाह की जहाँ इनके रितेदण्ड और महावर समाज में आलोचना हुई यहाँ शहर में घर्चा का विषय बन गया। ये लोग जब शहर में निकलते थे तो सोग इनकी ओर उगंली उठाते थे यद्योंकि सामन्ती शासन में महिलाओं का विवाह पर्दा रहना निन्दनीय माना जाता था। श्री नारायण दत्त गुप्ता महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनके हरिजन ढङ्गार कार्यक्रम से प्रभावित हुए। और अलवर में कुछ अनोद्धा कार्य करने का मन में विचार किया। उन दिनों रामन्ती शासन में हरिजनों की बड़ी दुरी दशा थी उनका जीवन पश्चिम से भी बदतर था। उन्हें पानी भरने के लिए कुओं पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, मन्दिरों में प्रवेश बंजिंत था, प्यास लगाने पर प्याऊ में भी अलग लोहे अथवा लकड़ी की नाली में पानी डाल कर पिलाया जाता था। सड़क पर चलते समय पगड़ी में पांच लगाकर 'बच्चों जिजमानों' कहते हुए निकलना बड़ता था। सबवर्ण जाति के स्पर्शों तो दूर इनको परछाई से भी बचकर निकला करते थे हरिजनों की जहाँ बसती है वहाँ पर सारे शहर की गंदगी का पहाड़ लगा रहता था। उस दुर्गन्धपूर्ण वातावरण में रहते हुए नारकीय जीवन को भोगने के लिए वे मजबूर थे।

अतः आपने 'हरिजन सेवक संघ' नामक एक संस्था का गठन किया। उस संस्था के माध्यम से उनके लिए पाठशाला चलाई गई जिसमें रात के समय उनको पढ़ाने का कार्य किया जाता। इस कार्य में इनके प्रमुख सहयोगी मा. हरिनारायण सैनी तथा इनकी धर्मपत्नी श्रीमती शान्ती गुप्ता थे। श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा मा. हरिनारायण सैनी पुरुषों को तथा श्रीमती शान्ती गुप्ता महिलाओं को पढ़ाने के लिए हाथ में मिट्टी के तेल की लालटेन लेकर जाया करते थे। बस्ती के वातावरण सुधारने के लिए सफाई अभियान चलाया गया और बस्ती के कूड़े को हटाया गय साथ ही उनमें स्वाभिमान की भावना के साथ-साथ राजनीतिक चेतना भी जागृत करने का कार्य किया गया। इनके निरन्तर अधक प्रयास का परिणाम यह निकला कि जहाँ हरिजन वर्ग में स्वाभिमान की भावना जागृत होकर वे स्तरीय जीवन यापन का स्वप्न संजोने लगे वहीं सबवर्ण वर्ग ने भी अपनी कट्टर रुद्धिवादिता को छोड़कर इनके साथ समर्क साधना प्रारम्भ कर दिया और एक दिन ऐसा आया जब हरिजन और सबवर्णों ने एक पंगत में बैठ कर खाना खाया। सन् 1946 में दीपावली के दूसरे दिन शहर के हृदय स्थल सुगनाद्वाई की धर्मशाला के पास स्थित राम-लक्ष्मण मंदिर में एक विशेष प्रकार के 'अन्नकूट' का निर्जय लिया गया। अन्नकूट का यह आयोजन एक मिसाल बन कर रह गया। श्री नारायण दत्त गुप्ता और उनके साधियों का यह एक

क्रांतिकारी कदम था। अलवर के जन-जीवन में यह एक चर्चा का विषय बन गया। इस अन्नकूट के आयोजन में हरिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उनकी वस्ती में नहने एवं कपड़े धोने के साथुन की व्यवस्था की गई। हरिजनों को साफ-सुधरे कपड़े पहन कर आने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अन्नकूट में हरिजन समाज के करीब 20 लोग आये थे जिनमें सर्व श्री कन्हैयालाल, बुद्धालाल साहजी, किशन लाल महन्त आदि प्रमुख व्यक्ति थे तथा सबर्णों एवं नेताओं में सर्वश्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, फूलचन्द गोठडिया, नथूराम मोदी, रामजीलाल अग्रवाल, मोदी प्रभुदयाल, प्रभुदयाल गुप्ता, रामजी लाल जैन हलवाई, नारायण दत्त गुप्ता, श्रीमती शान्ति गुप्ता मा. हरिनारायण सैनी, दयाराम आदि के साथ 50 लोगों ने हरिजनों के साथ एक पंगत में घैटकर हरिजनों के हाथों से परोसा गया चावल, कढ़ी, बाजरा आदि खाया। चावल बौहरा कच्चा भोजन माना जाता है जिसे उच्च जाति के लोग निम्न जाति के हाथों से परोसा हुआ खाने में एतराज करते थे। इस अन्नकूट सहभोज से जहां हरिजनों से परोसा हुआ खाने में आत्म-सम्मान की भावना बढ़ी, वहीं उच्च वर्ग के लोगों में भी छुआदूत के प्रति उदासीनता के भाव उत्पन्न हुए। हरिजनोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत श्री नारायण दत्त गुप्ता के साथ घटी एक रोचक घटना है। उन दिनों श्री गोकुल चन्द जाटव शिक्षित होने के उपरान्त भी पुश्टैनी धंधा ही किया करते थे। श्री गुप्ता ने उन्हें कार्यालय मंत्री बना कर हरिजन सेवक संघ में रख लिया। ग्राम पदमाड़ा की एक शिकायत पर कि वहां हरिजनों को कुए पर नहीं चढ़ने दिया जाता है गुप्ता जी गोकुल जाटव के साथ वहां गए। वहां गुप्ताजी के रिश्ते में एक फूफा रहते थे। उन्होंने गुप्ता जी से खाने को कहा तो दूसरे दिन सुबह खाना स्वीकार किया। गोकुल चन्द जाटव के रिश्तेदार थे वहां उनके निमंत्रण पर उनसे शाम की हां भर ली किंतु दूसरे दिन 12 बजे तक भी कोई बुलाने नहीं आया तो जानकारी करवाई। गुप्ता जी के उस फूफा ने कहा वताया, होयगो सुरो असनाई, चिमारन के साथ रहे उनके घर को खा ले, ऐसा कूं बुलार अपणों धर्म प्रिण्ठ नाय करणो। गांव वालों को समझाने पर वे हरिजनों को कुए से पानी भरने देने को राजी हो गए। श्री नारायण दत्त गुप्ता ने हरिजन उद्धार कार्य के साथ-साथ प्रजामण्डल द्वारा अपनाए गए विभिन्न आंदोलनों, सत्याग्रहों आदि में भी भाग लिया था। 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में श्री प्रहलाद राय धातरिया के साथ सन् 1946 में वे भी गिरफ्तार हुए थे।

श्रीमती शान्ति गोठडिया

श्रीमती शांति गोठडिया का जन्म फिरोजपुर झिरका के स्वामी परिवार में 2 मई 1922 को हुआ। आपका विवाह पंडित नानगराम शर्मा के पुत्र श्री फूलचन्द गोठडिया के साथ 1940 में हुआ। श्रीमती शांति गोठडिया के पति प्रगतिशील विचारों के अतिरिक्त अलवर राज्य प्रजामण्डल के सदस्य थे तथा 1943 से तो वे सक्रिय राजनीति से जुड़े गये थे। आप भी उनकी संगति में आकर महिलाओं के जागरूक करने तथा पर्दा प्रथा आदि का बहिष्कार करने का मानस बनाने लगी और अन्ततः सन् 1943 में रामगढ़ में ही प्रजामण्डल की एक सभा में मंच पर खड़े होकर पर्दा त्याग ने की घोषणा कर दी। श्रीमती शांति गोठडिया की इस साहसिक घोषणा से सभा में आये सभी ग्रामवासी आश्चर्य चकित हो गए। सभा स्थल से घर तक आने के रास्ते में दोनों ओर खड़ी महिलाएं इन्हें आश्चर्य मुद्रा से देखने, इशारा करने तथा ढोंटाकरी करने लगी। परिवार में और रिश्तेदारी में घोर विरोध का सामना करना पड़ा तथा रामगढ़ वासियों ने भी एक प्रकार से

માર્ગદરશ કરીનું હોય તે એવું હિત નથી કેનેં કંઈકા જગ ભી પ્રિયતાની હુદા
આપે પાણીનું હોય અનેટા હુદા ।

आप परामितीला रिश्वतें दो से धर्मों में ही थीं, अतः वर्ष में आकर ये श्रीनारदी चालौ, प्रेमजली कामुर, रामज्ञारी, रामज्ञारी देवी, गणजान्म देवराजांड, वैशाखायी ठाप्पाय, गोविंदै, रामेभगी, रोभा भागांय, पित्तायगी, कमलेश रामी, रामित्तुला, उमा मामुर, कस्तुवरी देवी राम, यमना दात्य, कमला जीन, विमला रामी आदि उग्रहक एवं रागनीतिक विकारक ही महिलाओं के सम्पर्क में आकर माटिला जागरूक एवं रागनीतिक गतिपिधियों में भाग लेने सकती। आप भी सामन्ती शासन के अलाप्त और विदेशी गता के विरोध में मुख्य हो उठी तथा मीठ राज्याभिलियों के गाथ घट् घट् कर हिस्ता होने लगी।

रानु 1946 के सन्धानाग्रह आंदोलन में आपने यद्धधड़ कर हिस्ता लिया। महिलाओं के गिरफ्तार करने के लिए न तो शासन के पास महिला पुलिस थी और न ही जेल में रखने के लिए महिला केंद्रियों द्वारा रखने के लिए अव्यवस्था थी, अतः अल्पवर राज्य की पुलिस महिला सत्त्वरहीनों को टूक में भर कर दूर दराज के गांयों में ढोड़ आती जहां से वापिस लाने की व्यवस्था प्रजामंडल के स्वयंसेवक य फार्मकर्ता किया थाते।

श्रीमती शांति गोठड़िया वड़ी साहसिक महिला रही है। एक ओर तो आर्थिक तंगी, दूसरी ओर पति का सारा समय प्रजामंडल के कायों में घृतीत होना, समय पर घर नहीं आना और कभी-कभी प्रजामंडल के संगठन के कायों में दो-दो तीन-तीन दिन घर नहीं आने, जिसका सामाजिक एवं राजनीतिक कायों में स्वयं को लिप्त रखने के बावजूद परियार की संभाल करते हैं कोई व्रटि नहीं रहने दी। अपने वच्चों को स्वयं ही पढ़ाया करती।

कभी दृश्यमान नहीं करवाया जिसका प्रतिफल यह है कि इन के सभी वच्चे शिक्षित हैं और सरकारी नौकरियों में हैं। भारत के स्वतंत्र होने के उपरान्त भी आप महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने के कार्य में लगी रही हैं। राजनीति में हिस्सा लेते हुए भी वच्चों की अच्छी देखभाल करने के लिए महिला मंडल ने श्रीमती शांति गोठड़िया को सम्मानित किया था। चार्दी का तमगा दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल का जन्म 15 सितम्बर 1909 को बानसूर तहसील के ग्राम हरसौरा में हुआ। आपके पिता जी का नाम श्री प्रभुदयाल जी था। आपने आठवीं कक्षा तक शिक्षा पाई है। मात्र 5 वर्ष की आयु में आपके सर से आपके पिता का साया उठ गया। इनका लालन-पालन इनके बड़े भाई ने किया और अलवर आकर बस गये। यहाँ रहकर आपने अध्ययन किया और आठवीं कक्षा पास की।

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल का वचपन का नाम लच्छीराम था। अलवर महाराजा जयसिंह को मृत्यु के उपरान्त उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर आपने श्री कल्याण सिंह को गद्दी दो आदि के नारे लगाये थे। ऐसे लोगों में आपका भी नाम था किन्तु आपके व्याय लच्छीराम सौदागर को पुलिस पकड़ ले गई।

श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल में छुआछूत और जाति-पांति का भेदभाव न था और न है। आपने सन् 1932 में ही राजगढ़ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसके अन्तर्गत ही 1934-35 में दो हरिजन पाठशालाएं और खोली। सन् 1938 में ये संस्थाएं आर्थिक कठिनाई के कारण बन्द हो गई जिन्हें सन् 1944 में पुनः चालू की गई। सन् 1933 में गंगाजी की सवारी के गंगोत्री में हरिजनों के साथ भोजन किया।

हल्दौर मण्डी जिला विजनोर में श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल गांधी जी के सत्याग्रह से बड़े प्रभावित हुए। आप श्री आसफ अली से मिले और अलवर में भी कांग्रेस कमेटी बनाने का निवेदन किया। श्री आसफ अली ने ट्रॉफिकल इंश्योरेन्स कम्पनी के मैनेजर श्री शंकरलाल से कहा। श्री शंकर लाल ने बस्वा के श्री बोहरा को कांग्रेस का सदस्य बनाने को नियुक्त किया। 73 सदस्य बनाये भी गये मगर वे मात्र कागज में ही रहे। किन्तु आपको दिल्ली जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सदस्य बनाया गया। अलवर कांग्रेस कमेटी की पहली बैठक मन्त्री का बड़े स्थित शिवजी के मंदिर में पं. सालिगराम की अध्यक्षता में हुई। इस मीटिंग में पं. सालिगराम को अध्यक्ष, इन्द्र सिंह आजाद को मंत्री तथा श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल को उप मंत्री बनाया गया। अलवर में एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया। जिसकी अध्यक्षता पं. सालिगराम ने की जिसमें वृजकिशोर चांदीवाले, सत्यदेव विद्यालंकार, प्रो. इन्द्र, बहन सत्यवती, कृष्ण नैयर आदि बड़े नेता आये। बहन सत्यवती का बड़ा जोशीला भाषण हुआ जिससे लोगों में जागृति पैदा हुई, सिडिशियस मीटिंग्स एक्ट के तहत 30-32 लोग भी गिरफ्तार हुए। घरवालों ने ऐसे कामों में भाग लेने से मना किया पर आपके नहीं मानने पर इनके बड़े भाई ने इनको घर से अलग कर दिया।

सन् 1940 से ही आपने ठेले पर रखकर खादी बेचना प्रारम्भ कर दिया और अक्टूबर सन् 1941 में एक खादी प्रदर्शनी भी लगाई जिसका उद्घाटन गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने किया। अखिल भारतीय चरखासंघ के सहयोग से नव्यराम मोदी के प्रयास से यह प्रदर्शनी लगी थी। सन् 1941 में राजगढ़ तहसील मुख्यालय पर किसानों की एक सभा अलवर राज्य प्रजामंडल के तत्वाधान में हुई। इसमें श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल ने मुख्य रूप से भाग लिया। इस सम्मेलन में जागीरी माफी के जुलमों को समात करने तथा किसानों को खालसा क्षेत्र की भांति पट्टे देकर खातेदारी हुक्के दिलाने की मांग की गई। इस सम्मेलन के सत्यदेव विद्यालंकार प्रमुख अतिथि थे।

9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। 10 अगस्त 1942 को एक मीटिंग अतिथि आश्रम के सामने रेल की पटरियों के पास गुत रूप से आदोजित की गई जिसमें खण्डेलवाल भी थे। इस मीटिंग में ही श्री कृपादयाल माथुर, शोभाराम एवं रमचन्द्र उपाध्याय ने बकालत ढोड़ने का निरचय किया। मीटिंग में मा. भोलानाथ, इन्द्र सिंह

आजाद भी थे। आन्दोलन तेज फर्टे का निर्गम हुआ गया। पुंजविहारी साल मेंदी के तृप्ति साधीनारायण छण्टेश्वराल साक्षा कारीगरम से मिले। मांडण में एक मीटिंग की। गांधी-गंडूप कर प्रजामण्डल तथा गांधी जी यांतों या प्रचार किया। राजस्थान के प्रदानकूट और प्रद परिषदों के वापंगतांओं के रामेलन में भी आपने भाग लिया। इस सम्मेलन में सर्वश्री दयालन च्यास, माणिक्य साल यांता, हीरालाल शास्त्री, राजवलादुर, हरलाल सिंह आदि नेता अपने आप प्रारम्भ से ही विध्या विद्या, मृत्यु भोज का वरिष्ठकार, अनमेल विद्याह विद्येष अद्वैता आदि कार्यों में भाग लेते रहे हैं। सन् 1946 में सुगनायाई धर्मराला के पास स्मित उन्नतस्थ के मंदिर में आयोजित अनकूट में भी आपने हरिजनों के साथ हरिजनों द्वारा परेस कद्दी, बाज, चायल खाया। श्री साधीनारायण छण्टेश्वराल तीन घार गिरफ्तार होकर जेल गये थे। यहाँ वह आपको फाल कोठरों में रख कर फाली यातना दी गई थी।

डॉ. शांतिस्वरूप डाटा

श्री शांतिस्वरूप डाटा का जन्म 17 अगस्त 1917 को रियाङ्गी में हुआ था। आजने प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी में हुई तथा दिल्ली के तिविया कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1939 में आपका विवाह श्रीमती गंगा देवी से हो गया। आपना परिवार उन गिने चुने परिवारों में से है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन का सुख चैन समर्पित किया। आपके पिता एवं भाई भी राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े रहे हैं। विवाह के कुछ समय बाद से ही आप राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़ गये थे। गुड़गांवां, दिल्ली, लाहौर, रायल पिंडी, पटौदी, फरीद कोट आदि में लाल्ही अवधि तक जेल यातनाएँ सही।

श्री शांतिस्वरूप डाटा 1944 में अलवर आये, पंजाब में रहते हुए इनके पुनः गिरफ्तार होने की आशंका थी। और जेल में रहकर वे वह सब कुछ नहीं कर सकते थे जो जेल के बाहर रह कर करने में समर्थ थे। 1944 में प्रजामण्डल का एक अधिवेशन खैरथल में आयोजित किया गया था, जिसमें जुगलकिशोर चतुर्वेदी, पं. भवानी सहाय शर्मा, काशीराम, शोभाराम, मा भोलानाथ आदि प्रजामण्डल के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया था। आपके खैरथल अधिवेशन के भाषण से सभी नेता प्रभावित हो गये और आपको अलवर रहकर कार्य करने का सभी नेताओं ने निर्मलण दिया। आप अलवर में रहकर प्रैविट्स करने के विचार से अलवर आये।

प्रैविट्स करने के साथ-साथ आप राजनीतिक गतिविधियों से भी जुड़े रहे। सन् 1945 में जाट बहरोड़ में आयोजित एक सभा में आपका भाषण बड़ा प्रभावशाली रहा। अलवर में आकास सबसे पहले आप श्री जगदीश प्रसाद जैन एडवोकेट के पास ठहरे उसके बाद अलवर के प्रमुख नेता लाला काशीराम जो इनके रिश्तेदार थे के पास आ गये। घण्टा घर के पास एक दुकान में आपने अपनी प्रैविट्स का कार्य प्रारंभ कर दिया।

श्री शांति स्वरूप डाटा में भाषण कला के साथ आन्दोलनों को चलाने का भी तजुर्या था क्योंकि अलवर आने से पूर्व आप राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न रहे थे और यह कार्य भी कर चुके थे। जब कि अलवर में कोई बड़ी गतिविधि न होने के अभाव में यहाँ के नेताओं को उतना अनुभव नहीं था

खेड़ा मंगल सिंह काण्ड से आपको अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन अलवर में दिखाने का मौका मिला। आप अपनी दुकान पर बैठे थे कि शहर कोतवाल बालूसिंह जो अक्सर आप के पास आते थे ने बताया कि खेड़ा मंगल सिंह में सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये हैं। आपको सोमंती शासन के इस दुःसाहस पर क्रोध आ गया और तत्काल दुकान बन्द कर तीन चार युवकों को साथ लेकर निकल पड़े। मोदी प्रभुदयाल तथा मोदी कुंजबिहारी लाल से कुछ रुपया लिया तथा श्री चन्दगीलाल गुप्ता एवं शादी लाल गुप्ता से 500 रुपये लिये। इस प्रकार करीब 1000 रुपया इकट्ठा कर अपने अभियान में लग गये।

उन चार युवकों के साथ रात भर आप स्कूल-कॉलेजों के छात्रावासों में घूमे। छात्रों के द्वारा खड़िया मिट्टी से शहर की सड़कों पर 'कल हड़ताल' लिखवाया। सारे शहर का बातावरण रात भर में ऐसा कर दिया, मानों किसी क्रांति की तैयारी हो रही है। अगले दिन सारा अलवर बन्द हो गया। बजाजा बाजार स्थित प्रजामण्डल के कार्यालय के सामने अपार जन समूह उमड़ आया। अलग-अलग कार्यकर्ता सभी तहसीलों में भेजे गये। संदेश भेजा कि जत्थे बना कर अलवर आयें। अलवर शहर में यह हड़ताल 8 दिन तक चली। रामगढ़, राजगढ़, बहरोड़ में भी एक दिन बाजार बन्द रहे। अलवर में बारह नेता गिरफ्तार हुये। बहरोड़ में दो नेता गिरफ्तार हुये। तीन-चार दिन तक जुलूस निकाले गये। कम्पनी बाग होपसर्केस सुभाष चौक आदि में आम सभायों की गई। रियासत के सभी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आये। सभाओं में 20-20 हजार की संख्या में लोग उमड़ पड़े थे, जिनके संचालन का दायित्व आप पर था। अलवर का यह संघर्ष बिना किसी योजना के घेमिसाल बन गया था।

डॉ. पट्टाभि सीतारमैया उस समय अखिल भारतीय देशी राज्य स्लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे, उनको, नेहरू जी को, जयनारायण व्यास तथा हीरा लाल शास्त्री को इस सम्बन्ध में जानकारी डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने दी। मध्यस्थता के लिए हीरालाल शास्त्री अलवर आये। शास्त्री जी अलवर महाराजा से मिले इसके उपरान्त हीरालाल शास्त्री और डाटा साहब जेल में गये। बन्दियों से मिले डाटा साहब ने शोभाराम आदि से बात की। महाराजा से हुए समझौते पर जनता की तरफ से डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने तथा गवर्नर्मेण्ट की तरफ से सर सिरेमल बाफका ने हस्ताक्षर किये। नेताओं की रिहाई पर बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। जनता ने अपने नेताओं की छूटने की खुशी में नोटें की मालाओं से लाद दिया, जगह-जगह स्वागत किये गये, सारे शहर में जुलूस घूमा। एक सभा का आयोजन किया गया। इसके पश्चात् आजाद हिन्द फौज के जनरल शाहनवाज को अलवर स्थाने का श्रेय भी डाटा साहब को जाता है।

अगस्त 1946 में उत्तरदायी शासन की भाँग ने जोर पकड़ लिया। डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने इसमें भी सक्रिय भूमिका निभाई। 'उत्तरदायी शासन लेकर ढोड़ेंगे' जैसे नारों से शहर, कस्तों की दीवारें रंग दी गईं।

22 अगस्त 1946 को सुभाष चौक में एक मीटिंग हुई। राजा महेन्द्र प्रताप सिंह एवं हकीम ब्रज लाल उसमें आमंत्रित थे वे पधारे थे। उस मीटिंग में हजारों की संख्या में लोगों ने शपथ ली कि उत्तरदायी शासन के लिए लड़ेंगे। 26 अगस्त से सत्याग्रह करने की घोषणा प्रजामण्डल ने की। किन्तु 24 अगस्त को ही रामगढ़ में एक शांति पूर्ण जुलूस में सरकार के

यद्यपि साथी धार्म के कारण गोठडिया एवं उनके 3-4 साथी शापल हो गये, हजारों में दिन का झण्डा फाढ़ दिया गया।

26 अगस्त 1946 को टरारदायी शासन की मांग को लेकर सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। इस सत्याग्रह आठ रोज तक चला। योजना के अनुसार राज्य को सभी तहसीलों से जत्येवं अप्रैल हो गए। इस आन्दोलन को रफ़ाल बनाने में भी डॉ. शांति स्वरूप डाटा की अहम् भूमिका ही।

यह दिन अलवर के इतिहास में एक यादगार दिन है जब डॉ. शांति स्वरूप डाटा ने यह के आठ घंटे शैवरलेट गाड़ी में लाडल स्पीकर लगा धीर्घ त्रिपोलिया में जनता को जागृत करते हुए आह्वान किया था 'करो या भरो' की तर्ज पर त्रिपोलिया के धार्म वाजारों में अपार जन समूह ठाठे भार रहा था। आपने घोषणा की कि 'अलवर रियासत का हर आदमी सचेत रहे'। इसने परधात् आपको गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए छाँथे-पांचवे दिन जेल सुपरिटेंडेंट मार्टिन से झगड़ा हो गया। आपको एक बड़ी धैरक में अकेले घन्द कर दिया गया। किन्तु बद में घहां से हटा दिया। आज 80 वर्ष की आयु में भी डॉ. शांति स्वरूप डाटा काफी अध्ययन करते हैं और देशहित के कार्यों में अपनी क्षमता को उपयोग कर रहे हैं। स्वाध्याय एवं लेखन में इस उम्र में भी आपकी गहरी रुचि है।

श्रीमती कमला जैन

श्रीमती कमला जैन का जन्म अलवर में 24 मई 1926 को हुआ। आपके पिता वा नाना की किशोरी लाल जैन था जो अलवर रियासत में सरकारी कर्मचारी थे किन्तु सामन्ती जुल्मों को देखकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे मूलतः कांग्रेसी विचारधारा के थे। भाई भागचंद जैन भी देश सेवा के प्रेमी थे। आपने बी.ए. तक शिक्षा प्राप्त की है।

घर में पिता वा भाई के देश सेवा में योगदान देने के कारण, उनकी विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण, आपके मन में भी देश एवं समाज सेवा का भाव जागृत हुआ।

1944 में जगरानी सक्सेना की पहल पर 'महिला जागृति संघ' नामक महिलाओं का एक संगठन बनाकर उसमें हरिकीर्तन आदि के बहाने महिलाओं को बुलाकर थोड़े देर हरिकीर्तन कर उन्हें सामन्ती शासन के जुल्मों तथा अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाली राजनीतिक गतिविधियोंकी जानकारी देने का आपने कार्य किया। 1946 में श्रीमती कमला जैन प्रजामण्डल की महिला शाखा को संयोजक रही तथा महिला मण्डल की सचिव भी रही हैं। श्रीमती शांति गुप्ता के साथ महिलाओं को पढ़ाने का कार्य भी किया।

गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो के आगस्त 1946 के आन्दोलन में आपने बड़-बड़ कर भाग लिया। सत्याग्रह के लिए आप जत्येवं के लिए महिलाओं को एकत्रित करती थीं और सत्याग्रह के लिए उन्हें प्रेरित करती। आपने अन्य महिलाओं के साथ सत्याग्रह में भी कई बार भाग लिया। इस आन्दोलन में भाग लेने के कारण आपको कई बार ट्रकों में भरकर अन्य सत्याग्रही महिलाओं के साथ जंगलों में छोड़ा गया क्योंकि सामन्ती सरकार के पास न तो महिलाओं को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस ही थी और न ही जेल में रखने के लिए

देते थे। आप अलवर के तत्कालीन महाराजा के पास अन्य महिलाओं के साथ लाठी चार्ज न करने की मांग लेकर वार्ता करने के लिये विजय मंदिर भी जाती थी। उन दिनों एक ओर तो सामन्ती राज्य सरकार प्रजामण्डल की गतिविधियों पर अंकुश लगाती थी दूसरी ओर स्वर्गीय महाराजा जयसिंह की पत्नी महिला मण्डल को चन्दा दिया करती थी।

श्री रोशन लाल जैन

श्री रोशन लाल जैन का जन्म संवत् 1976 में अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में हुआ। इनके पिता श्री भौरेलाल जैन सामन्ती शासन में पटवारी थे। आपने मिडिल तक पढ़ाई की है।

आप लगानु देने पर किसानों पर होने वाले अत्याचार तथा बेगर लेने के सामनी जुलमों को देख-देख कर मन ही मन में गुस्सा होते रहते थे और उस समय के शासन से घृणा करने लगे थे। आप सन् 1939 से ही सामन्ती शासन के विरोध में होने वाली गतिविधियों में भाग लेने लगे। रामगढ़ में शासन द्वारा वारफण्ड के लिए जवरन चन्दा उगाहने की शिकायत पर वहाँ के तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा अलवर के नेताओं जिनमें श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजी लाल अग्रवाल आदि थे, को बुलाकर गायब होने पर आपने श्री गोठड़िया जी के नेतृत्व में वहाँ उनकी मीटिंग करवाने की व्यवस्था की जिसमें आसपास के गांवों से काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। श्री रोशनलाल जैन और उनके साथियों ने गांव-गांव घूमकर नौगांवा, अलावड़ा, मुद्दारिकपुर आदि स्थानों पर प्रजामण्डल के कार्यालय खुलाने में सहयोग किया। इस कार्य में उनके साथ सर्व श्री नन्दकिशोर शर्मा, हरलाल, प्यारेलाल हरिजन, रमेश चन्द जैन आदि थे। श्री फूलचन्द गोठड़िया नेतृत्व किया करते थे। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए आप भी वहाँ गये थे। एक बार बेगर लेने का विरोध करने पर रामगढ़ के तत्कालीन नाजिम ने उन्हें तथा किशोरी लाल मास्टर को बन्द करवा दिया। दो रोज तक आप बन्द रहे।

अगस्त सन् 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में 24 अगस्त को रामगढ़ में आयोजित लगभग तीन हजार की संख्या में आये लोगों के प्रदर्शन में पुलिस द्वारा किये गए भीषण लाठी चार्ज में श्री रोशनलाल जैन का सर फूट गया, श्री रमेश चन्द की एक अंगुली टूट गई तथा श्री फूलचन्द गोठड़िया के दोनों हाथ कंधे पर से उत्तर कर लटक गये। श्री रोशन लाल जैन के मन में बड़ी टीस है कि वे जेल नहीं जा सके। अपने साथियों से जय से सत्याग्रह और जेल की यातनाओं का वर्णन सुनते तो रामांचित हो उठते।

इस प्रकार श्री रोशन लाल जैन ने बालपन से ही अंग्रेजी शासन के विरोध, सामन्ती शासन और जुलमों का विरोध किया। आज भी जन सेवा में आवश्यकता पड़ने पर सामने आने से नहीं चूकते हैं।

श्री चिरंजी लाल वर्मा

श्री चिरंजी लाल वर्मा का जन्म राजगढ़ में दिनांक 12 दिसम्बर 1924 को हुआ। आपके पिता श्री बुद्धलाल जी थे आपका सम्पर्क 1938 में विद्याध्ययन करते हुए राष्ट्रीय विचारधारा के

कुछ विद्यार्थियों से हुआ और गांधी, नेहरू तथा भगत सिंह आदि की जीवनियां पढ़ कर अपने भी मन में अपने देश को आजाद कराने की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। आपने असे विद्वाँ जीयन से ही आदी पहनना प्रारंभ किया।

सन् 1940 में राजपिंडी कॉलेज से ऐट्रिक की परीक्षा पास कर आप अध्ययन हेतु मुंबई कॉलेज आगरा में दाखिल हो गये। सन् 1942 के 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' 'करो या मरो' आदेशमें धारा समुदाय कूद पड़ा और आप उसमें सम्मिलित हो गये। छात्रों पर घुड़सवार तथा पेटल पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया। धायलों से धायसन अस्पताल भर गया। कॉलेज बंद कर दिये गये, हॉस्टल खाली करवाये गये। जिन छात्रों ने आनाकानी की उनका सामान कर्मों से निकाल कर फेंक दिया गया। आप भारतीय हॉस्टल में रहते थे। आपका सामान भी फेंका गया। आप अपने दो साथियों के साथ 'हिवट पार्क' के पास एक धर्मशाला में रहरे। यहां एक सेठ ने आजादी के लिए काम करते रहने को कहते हुए खाने पीने की व्यवस्था कर दी। धन का सहयोग भी दिया। इनके एक क्रांतिकारी साधी ने आपको यह स्थान दिखलाया जहां घम बनाने का कान होता था। यहां इन्हें विस्कोटक एवं ज्वलन शील सामग्री की जानकारी दी गई।

अलवर में आकर आप श्री महावीर प्रसाद जैन, हीरलाल भारतीय और रामजी लाल शर्मा जैसे क्रांतिकारी छात्रों के सम्बर्क आये। युग मंत्रायें हुई, योजनाएं बनी। श्री चिरंजी लाल वर्मा को डाकघर जो उस समय चर्चे रोड पर था उसमें आग लगाने तथा वर्तमान कलौंटर के निवास के पास स्थित लैटर वॉक्स तथा केडलगंज के लैटर वॉक्स को जलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसे रात्रि में वेश बदल कर अंजाम दिया गया। डाकघर में कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद विजय मंदिर के पास रेलवे लाइन के तार काटने की योजना बनी जिसमें भी वर्मा ने सहयोग किया जो अमावस्या की अंधेरी रात को किया गया।

श्री चिरंजी लाल वर्मा को जिस दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया उस दिन ही हीरलाल भारतीय एवं महावीर प्रसाद को रात्रि में गिरफ्तार किया गया। कुछ पकड़े गये साथियों में दो सरकारी गवाह घन गये तथा शेष भूमिगत हो गये या शहर छोड़ कर चले गए। तीनों को अलग-अलग थैरेकों में रख डराया-धमकाया गया। दूसरे दिन इनके मकान की तलाशी इनके भाई बाबू शोभा राम जो शहर के कांग्रेसी थे उनकी उपस्थिति में हुई जहां कुछ विस्कोटक एवं ज्वलन शील पदार्थ पाये गये। रात्रि को ही मजिस्ट्रेट मुकुट विहारी लाल को बुलवा कर व्यान लिये गये जिसमें श्री वर्मा ने स्वीकार किया कि यह कार्य उन्होंने देश की आजादी के लिए किया।

श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा इनके अन्य साथियों को कारागार में डाल दिया गया। तत्कालीन कलौंटर खुर्शीद आलमखान की अदालत में मुकदमा चला जिसके तहत श्री चिरंजी लाल वर्मा को 4 वर्ष 3 माह की विभिन्न धाराओं में सजा मिली। आपके मुकदमे की पैरवी सर्व श्री कृष्णायाल माधुर, शोभाराम, इन्द्रलाल मित्तल, रामचन्द्र उपाध्याय, बद्री प्रसाद गुप्ता, रामवतार शर्मा ने को जो प्रजामण्डल के नेता भी थे। श्री चिरंजी लाल वर्मा तथा अन्य साथियों के बाल कैंची से काट कर कैंदी की ड्रेस पहना अलग-अलग थैरेकों में डाल पंद्रह किलो अनाज प्रतिदिन पिसवाया जाता जो सुवह 8 घंटे से शाम 4 घंटे तक पीस, छान, तुलबाकर दिया जाता। वर्मा स्वयं को अपराधी कैंदी न समझ राजनीतिक कैंदी मानते थे। अतः अपने सरीखे अन्य साथियों

को सूंदेश भेज कर भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी। खबर जेल सुपरीण्टेंट के पास पहुँची और वे हाथ में चाबुक लिए वर्मा की कोठरी में आकर कारण पूछने लगे। कारण बतलाने पर बड़े आग बवूला हुए और वर्मा जी के पैरों में आड़ा डण्डा डालने को आदेश दिया। वर्मा के पैरों में एक कैंदी लुहार ने कड़े डाल कर एक दस सेर के लगभग लोहे का डंडा पिरोकर कड़ों को बन्द कर दिया जिससे चलने, फिरने, उत्तरने, चढ़ने, उठने, बैठने आदि में कष्ट होता। यह डंडा करीब एक हफ्ता पड़ा रहा और एक हफ्ता ही भूख हड़ताल भी जारी रही। महाराजा के आशासन पर भूख हड़ताल समाप्त की। जेल में वर्मा जी को प्रातः डेढ़ छातीक नाश्ते के लिए भुजे चने दोपहर और रात को तीन-तीन रोटियां और सब्जी दी जाती। एक पीतल का तस्ला और एक कटोरी बर्तन के नाम पर मिले थे। तस्ला पानी पीने तथा शौच आदि के काम में भी लिया जाता एवं सब्जी में कंकड़ तथा लट आदि आने पर पानी से ही रोटी निगली जाती और सोने के लिए दो फुट चौड़ा और 6 फिट लम्बा सीमेन्ट का चबूतरा एक चटाई और दो कम्बल मिले हुए थे। मार्च 1943 के अन्त में महाराजा तेजसिंह की साल निरह पर वर्मा जी एवं अन्य साथियों को रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद पुनः देहली चले गये।

देहली में एक वीमा कम्पनी में नौकरी करते हुए आपको राष्ट्रवादी एवं गांधीवादी नेता श्री रतनलाल शारदा, नवल प्रभाकर, डाक्टर खूबराम जाजौरिया से मुलाकात हुई और उनके माध्यम से उच्च स्तरीय नेता चौधरी ब्रह्मप्रकाश, सविता बहन, सुभद्रा जोशी तथा कांग्रेस सेवा दल का अच्छा संगठन बना लिया साथ ही सविता बहन की सहायता से कांग्रेस सेविका दल का भी गठन कर लिया। राजनीतिक गतिविधियों में वर्मा जी की गतिशीलता को देख कर उनको कर्हौल वाग सेवा दल का, उपकसान तथा जिला कांग्रेस का उप सचिव भी बना दिया। श्री चिरंजीलाल वर्मा किशन गंज देहली स्थित इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इन्टक) के कार्यालय में भी सार्वजनिक मंत्री की हैसियत से काम कर चुके हैं और श्री वी. डी. जोशी, श्रीमती सुभद्रा जोशी, मीर मुश्ताक अहमद के भी सम्पर्क में आए तथा श्री गुलजारी नन्दा के भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला।

सन् 1945 में श्री चिरंजीलाल वर्मा और उनके साथियों ने 'लाल किला ग्रुप' के नाम से एक संस्था बनाई जिसका सम्बन्ध क्रान्तिकारियों के ग्रुप से था। संस्था में 26 जनवरी 1946 को कुतुबमीनार पर तिरंगा फहराने का निर्णय लिया गया जिसकी जिम्मेदारी श्री चिरंजीलाल वर्मा को दी। उन दिनों कुतुब मीनार पर भीड़-भाड़ नहीं रहती थी।

ये साईकिल से प्रातः चार बजे चले, कुतुबमीनार के दो सरियों में झण्डे फहराये, सलामी दी, नीचे उतरे और साईकिल से ही घर आ गये। यह घटना उनके हृदय पटल पर अंकित है। उन दिनों ब्रिटिश सरकार ने 'कांग्रेस सेवा दल' को गैर कानूनी घोषित कर दिया। कर्हौल वाग कांग्रेस सेवा दल का प्रभारी होने के कारण वर्मा जी के गिरफ्तारी बारण जारी हो गये। स्थान घटलते रहने पर भी पकड़े गये जिसमें अर्धदण्ड की सजा मिली जिसे पार्टी ने चुकता किया। दिल्ली और पंच कुइया रोड के तिराहे के पास एक छोटे से मंदिर के परिसर में जो हरिजन वस्ती में था गांधी जी ठहरे थे। कांग्रेस सेवा दल को डगूटी अधिकातर गांधीजी के कमरे पर रहती थी जिसे ये अपना सौभाग्य समझते हैं। सामूहिक कताई कार्यक्रम में नेहरू, पटेल तथा राजेन्द्र वायू जैसे नेताओं के भी दर्शन लाभ हुए।

अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो' आंदोलन में आप अलवर जू गये और सत्याग्रह में भाग लेने पर गिरफ्तार किये गये। राज्य सरकार और प्रजामंडल न समझता होने पर अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी 2 सितम्बर 1946 को छोड़े गए। सत्याग्रह समाप्ति के बाद आप पुनः दिल्ली आ गए।

श्रीमती राम प्यारी

श्रीमती राम प्यारी का विवाह 13 वर्ष की आयु में अलवर के जाने माने नेता श्री शोभाराम से हुआ।

श्रीमती राम प्यारी ने 22 वर्ष की आयु में खादी पहनना प्रारम्भ कर दिया था तथा 25 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया जिस पर परिवार, रिश्तेदार और बिरादरी में बड़ी कड़ आलोचना हुई, मगर ये जरा भी विवलित नहीं हुई। यद्यपि श्रीमती राम प्यारी अधिक पढ़ी तिजो नहीं हैं तथापि महिला जागरण तथा अन्य कार्यक्रमों में अन्य महिलाओं को भरपूर सहभाग देती रही हैं।

फरवरी 1946 के खेड़ा मंगल सिंह आंदोलन में बाबू शोभाराम आदि को गिरफ्तार करने के बाद जब छोड़ा गया तब श्री हीरालाल शास्त्री को एक अंगूठी सोने की अपनी बेंट की थी उस समय सभा स्थल पर उस अंगूठी की नीलामी की गई थी जो 610 रुपये में श्री चांद पूरी वाले ने खरीदी थी। अंगूठी की कीमत मुश्किल से 30 रुपये होगी। जनता में इतना उत्साह और प्यार था अपने नेताओं के प्रति। अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो' आंदोलन के समय अपनी एक मात्र नहीं वच्ची को अपनी बहन के पास छोड़ कर आप उस आंदोलन में हिस्सा लेती। सत्याग्रहियों को पानी पिलाने, उनकी नाश्ते में गुड़-चना की व्यवस्था करने, उसे बेंटवाने तथा यह देखने में कि कोई रह तो नहीं गया आप पूरे-पूरे दिन व्यस्त रहती। साथ ही महिला सत्याग्रहियों के साथ जत्थे में शरीक होकर सत्याग्रह में भी भाग लिया करती। भाग लेने वाली महिलाओं में श्रीमती शान्ति गुप्ता, शान्ति गोठडिया, उमा माधुर, रामेश्वरी देवी, कमला जैन, कलावती देवी शर्मा, जगरानी, शोभा भार्गव आदि महिलाएं होती थीं। पुलिस पुरुषों के साथ तो ज्यादती करती थी मगर महिलाओं को वह न तो गिरफ्तार करती थी न जेल भेजती थी क्योंकि सरकार के पास न तो महिला पुलिस ही थी और न ही जेल में रखने की व्यवस्था ही। इसलिए महिलाओं और यच्चों को तो पकड़ कर ट्रक में बिठाकर दूर जंगल में छोड़ आती जहां से लाने की व्यवस्था प्रजामंडल ही अवसर किया करता। श्रीमती राम प्यारी स्वभाव की बड़ी सरल और सीधी सादी महिला हैं। इनके पति बाबू शोभाराम प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते थे तथा प्रदेश की सत्ता के विभिन्न मंत्री पदों पर रहे किन्तु श्रीमती रामप्यारी की सरलता एवं सालगी में कोई परिवर्तन नहीं आया जबकि सामान्य महिलाएं अपने पति के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने पर मद में घूर हो जाती हैं।

श्री हरीराम टाटा

श्री हरीराम टाटा का जन्म खैरपाल में 21 मई 1921 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री मंगलराम टाटा है जो व्यापार किया करते थे। आप ने धीरो कक्षा तक ही शिक्षा पाई है।

आप सन् 1942 के 'करों या मरो' आनंदोलन से प्रभावित होकर देश सेवा के काम के लिए प्रभावित हुए। आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा भी हरीराम डाटा को राजगढ़ के भवानी सहाय शर्मा तथा अलवर के नत्थूराम मोदी तथा अनेक कर्मठ नेताओं से मिली।

सामन्ती सरकार द्वारा जबरन बार फण्ड वसूल किये जाने के विरोध में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सन् 1945 में अलवर की रियासती सरकार ने तम्बाकू पर भारी महसूल बढ़ा दिया। इससे मैव किसानों में भारी असंतोष पैदा हो गया। मौलवी इद्राहीम, मौलवी सुलेमान तथा अब्दुल कहूस के नेतृत्व में महसूल बढ़ि के विरोध में प्रदर्शन किये गये जिसमें श्री हरीराम डाटा ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन में किशनगढ़ और खैरथल ग्राम के बीच राता नामक ग्राम में आंदोलनकारियों की भीड़ पर सामन्ती सरकार ने गोलियां चलाई जिसमें एक मैव किसान की घटना स्थल पर मौत हो गई और मौलाना इद्राहीम के पैर में सख्त चोट आई और अनेक व्यक्ति घायल हो गये। प्रजामंडल के कार्यक्रम के तहत मैव किसानों में जागृति पैदा करने का काम भी श्री हरीराम डाटा ने किया।

सन् 1943 में खैरथल में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी लगाने में आपने सहयोग दिया। इस अवसर पर भवानी सहाय जी को अगवानी के लिए एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। बाहर से अनेक नेता आए थे जिसमें भरतपुर के जुगल किशोर चतुर्वेदी, गोपीराम यादव तथा नानक घन्द आदि प्रमुख थे।

श्री हरीराम डाटा ने महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के लिए 1943 में एक प्राइवेट कन्या पाठशाला भी खुलवाई। इसी वर्ष ही प्रजामंडल की स्थापना खैरथल में हुई। आप प्रजामंडल के प्रचार-प्रसार के लिए गांव-गांव घूमे।

अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसों छोड़ो' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। आपने सत्याग्रह के लिए जैथं जुटाने का कार्य किया तथा स्वयं ने भी सत्याग्रह में भाग लिया। आंदोलन एवं सत्याग्रह के दौरान श्री हरीराम डाटा जेल भी गये और यातनाएं सही। 2 सितम्बर 1946 को आप भी अन्य नेताओं के साथ जेल से रिहा किये गये।

श्री छोटू सिंह आर्य एडवोकेट

श्री छोटू सिंह आर्य का जन्म 11 अगस्त 1921 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री गिरवर मल था जो केड़ल गंज में व्यापार करते थे। आपने ची. कॉम. (वाणिज्य) तक की पढ़ाई अलवर के राजर्य कॉलेज से की तथा 1947 में लखनऊ जाकर एम. कॉम. एल. एल. यो. की डिग्री प्राप्त की। 1945 से 47 तक पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आपके बड़े भाई स्वर्गीय श्री गमजोलाल आर्य भी प्रमुख एवं प्रतिष्ठित कांग्रेसी जनसेवी थे।

श्री आर्य 1939 में मास्टर भोलानाथ के समर्क में आये और उनकी प्रेरणा से प्रजामंडल के आंदोलनों से धीरे-धीरे जुड़ने लगे। 16 मार्च 1939 की रात्रि को बिपाठी, लट्टमार, इन्दर सिंह आजाद के जेल से छूटने पर 17.3.39 को प्रातः 8 बजे सुगना बाई की धर्मशाला में इनका स्वागत

फर एक जुलूस निकाला गया जो शहर के मुण्डा याजारों से रोता कांग्रेस कार्पालय आवार्द्धने भी 30 घण्टों के जल्दे का आपने नेहरू किया।

स्व. भान्टर नंदकिशोर जी ने आपका परिचय श्री महावीर प्रसाद जैन से करवाये ग्रानिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। 1942 के 'यहो या मरो' नारे की अनुपालन में उन्हें भी विद्यार्थी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। अन्य साहियोगियों के साथ मिलकर टोड़ थोड़ की एवं सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया। कम्पनी याग के सामने लॉन में तीन चबूतरे विनियोग पर गणगौर को सवारी पर गणगौर रखो जाती थी। उन पर फरवराणाने की दरियां बौहुद रहीं थीं जिनको आपने श्री महावीर जैन के साथ जला दिया। इतना ही नहीं राजपिं कॉलेज की तरफ से 'अमर सिंह राठोड़' नामक एक ड्रामा खेला जाना था जिसे उस समय के आर्थि निनिस्त्र अबुरुहमान ने बन्द करवा दिया जिससे उत्तेजित होकर आपने और आपके साथियों ने रवि की पांडाल में आग लगा दी।

श्री आर्य या यूनियन के प्रति रुद्धान विद्यार्थी जीवन से ही रहा है। आपने अपने साथियों के प्रयासों से राजपिं कॉलेज में 'विद्यार्थी यूनियन' स्थापित कराई जिसके आप प्रथम प्रेसिडेंट बने। स्व. श्री माया राम इसके प्रथम स्पीकर थे। इसके उद्घाटन के लिए श्री प्रकाश एम. एल. ए. (उस समय की सेन्ट्रल असेम्बली और आज की पार्लियामेण्ट) जो बाद में भाकिस्तान में हई कमिश्नर भी रहे के द्वारा उद्घाटन कराने का निश्चय किया किन्तु तत्कालीन प्राचार्य ने इसकी इजाजत नहीं दी तो कॉलेज में हड्डताल करवा दी और बाहर लॉन में ही यूनियन का उद्घाटन कराया गया। श्री छोट्सिंह आर्य 1945 में छाव जीवन में ही म्यूनिसिपल कमेटी के सदस्य बने।

आप हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। जिसके श्री गोकुल चंद जाटव मंत्री थे। सामाजिक चेतना के प्रतीक के रूप में राम-लक्ष्मण का मंदिर जो शहर के मध्य सुगना बाई धर्मशाला के पास स्थित है, में आयोजित अनकूट में हिस्सा लिया जिसमें मा. भोलानाथ, रामानन्द अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल, रामकुमार राम आदि के साथ ही कैलास नाथ भार्गव, धर्मचंद जैन, नन्दलाल अग्रवाल, किशन लाल डोरोली, रमेश शर्मा, ज्ञानचंद जैन, नवल किशोर, लक्ष्मण आदि आर्यवीरों ने भी हिस्सा लिया। अलवर में आर्यवीर दल की स्थापना में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें अलवर में ही आर्यवीरों की संख्या हजारों में थी।

26 अगस्त 1946 से गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन में जो अलवर राज्य प्रजामंडल की ओर से चलाया जा रहा था, आप प्रथम जल्दे में जिसमें श्री रामजीलाल अग्रवाल, दिव्य राम आदि थे सत्याग्रह पर बैठे और गिरफ्तार कर लिये गये। और 'भारत माता की जय' बोलते सत्याग्रहियों की निर्मम तरीके से पिटाई की तथा माफी मांगने को बाध्य करने लगे किन्तु सत्याग्रहियों के मुंह से एक ही आवाज 'भारत माता की जय' ही निकलती रही। जेल की कड़ी यातनाओं से आर्य अस्वस्थ हो गये तो इनकी माता जी कुछ नागरिकों को साथ लेकर अलवर महाराज तेजसिंह से मिलने गई और उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र पर ऐसे अत्याचार करों कर रहे हैं तब महाराजा तेज सिंह ने आपकी माता जी से कहा कि आप लिखकर न सही जुबानी ही कह दें कि मेरे पुत्र को माफ कर छोड़ दो हम छोड़ देंगे। लेकिन श्री आर्य की माताजी ने अपने पुत्र को छुड़ाने के लिये नहीं कहा। आखिर महाराजा ने आपको माता जी को प्राइम मिनिस्टर

बाफना के पास भेजा जिस पर बाफना ने हस्पताल के अधीक्षक एम. एम. कव्रे की छूटूटी श्री छोटूसिंह आर्य को दोनों समय मेडिकल चैकअप करने की लगाई।

अलवर में आर्य समाज के प्रचार-प्रसार में छोटूसिंह आर्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा के प्रति आपकी गहन आस्था है। वैदिक विद्या मंदिर जहाँ 5 हजार बालिकाएँ अध्ययनरत हैं और एक छात्रावास जिसमें 3 सौ छात्राएँ निवास करती हैं, आपकी लगन व निष्ठा का ही प्रतिफल है। आप दो बार राजस्थान विधानसभा के अलवर शहर से सदस्य चुने गए।

श्री राम स्वरूप गुप्ता

श्री रामस्वरूप गुप्ता का जन्म 15 सितम्बर 1923 को राजगढ़ में हुआ था। आपके पिता श्री राधाकिशन गुप्ता वौरगत का काम किया करते थे। सन् 1942 में जब आप पढ़ ही रहे थे, विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन में खुलकर मैदान में कूद पड़े। रेल की पटरी उखाड़ने के प्रयास में पुलिस ने आपको पकड़ लिया और विना कोई कारण बताये तीन दिन तक थाने में बिताये रखा।

आप राजगढ़ में रहते हुए पं. भवानी सहाय शर्मा, जिन्हें लोग प्यार से छुट्टन भी कहा करते थे, के सम्पर्क में आये और उनके मार्ग दर्शन में प्रजामण्डल के कार्यों का प्रचार-प्रसार करने में जुट गये। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह गांव में होने वाली सभा के प्रचार के लिए पांच दिन पूर्व से ही लग गये। श्री फूलचन्द गोठड़िया के साथ आप झंडा, विगुल, खाने के लिए गुड़ और चना जेवों में भरकर खेड़ा मंगल सिंह के पास के गांवों में महात्मा गांधी की जय धोषणा करते हुए पचें बांट-बांट कर गांव वालों को मीटिंग में आमंत्रित करते हुए घूमने लगे। जागीर के एक गांव में जब श्री रामस्वरूप गुप्ता और श्री गोठड़िया गांव के ठाकुर की कोठड़ी के सामने से तिरंगा लहरते वह महात्मा गांधी की जय बोलते हुए निकल गये तो दो मुरठंडे व्यक्ति हाथ में लाठी लिए इनके पास आये और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो कोठड़ी के सामने से तिरंगा लेकर और गांधी की जय बोलते हुए निकले।

चलो आपको ठाकुर साहब बुला रहे हैं तब श्री गोठड़िया जी ने कहा कि हम उनके नौकर नहीं हैं। ठाकुर साहब से जाकर कहो कि वे गांधी जी के आदमी हैं, सुनते ही फौरन वे खुद यहाँ आयेंगे। मुरठंडों ने कहा वे कैसे आ सकते हैं, इस जागीर के मालिक हैं। रामस्वरूप गुप्ता ने कहा, कहो तो सही। वे जितने कह कर वापिस आये इतने में इन लोगों ने सोचा कि इनसे उलझने में कहीं डल्टा-सीधा हो गया तो खेड़ा मंगल सिंह की सभा में विध पड़ेगा इस लिए इस गांव की सीमा से शीधता से बाहर हो गए। एक बार तो एक गांव के पास मुश्किल से 20 गज की दूरी पर एक शेर के भी दर्शन हो गये। खेड़ा मंगल सिंह की सभा से एक दिन पहले बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तारी के उपरान्त भी कई हजार की संख्या में श्रोता उमड़ पड़े। उस सभा वी अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने को जिसमें श्री फूलचन्द गोठड़िया का भाषण बड़ा जोरीला था।

गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसों छोड़ो आन्दोलन के तहत दिनांक 9 अगस्त 1946 यो श्री रामस्वरूप गुप्ता और अन्य साधियों ने एक बड़ा भारी जुलूस बो अमार भीड़

और जनता के जोश को देखकर पुलिस इनके पीछे पड़ गई और 15 अगस्त 1946 को श्री रामस्वरूप गुप्ता के हाथों में हथकड़ी पहना कर घसीटते हुए थाने में से जाकर बन्द कर दिया। वहाँ पर इनके दो साथी पं. वालाभमहाय तथा रामजीलाल शर्मा को भी बन्दी बना कर लापा गया।

जिन दिनों श्री रामस्वरूप गुप्ता जेल में थे, पंडित भवानी सहाय शर्मा को राजगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भवानी सहाय शर्मा की गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश बढ़ गया और उनके समर्थकों की भारी भीड़ ने तहसील पर धावा घोल दिया। तहसील पर से राज्य के पकरणी झण्डे को डार कर तिरंगा झंडा लगा दिया गया। उस दिन के बाद से राजगढ़ की तहसील पर राज्य का झंडा नहीं लगा। इस काण्ड में श्री रामस्वरूप गुप्ता के दो बड़े भाई श्री कर्नेहलाल और घोदन लाल को भी अलवर की सेण्ट्रल जेल में बन्द कर कड़ी यातनाएं दी गईं। श्री रामस्वरूप गुप्ता और इनके दोनों भाइयों को भी 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहाई मिली। श्री रामस्वरूप गुप्ता ने 19 दिन तक जेल में रह कर काफी यातनाएं भोगी। आज भी श्री गुप्ता सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते हैं।

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल वा जन्म तहसील बानसूर के नीमूचाना ग्राम में 13 मई 1931 को हुआ। आपके पिता श्री राधाकिशन थे जिनका व्यवसाय मिलिट्री कैन्टीन का था। आप एक धनाद्य परिवार से सम्बन्ध रखते हैं। आपके घर दो चार डाका भी पड़ चुका था। आप अलवर के प्रमुख नेता श्री रामजीलाल अग्रवाल के चाचा के लड़के हैं तथा श्री रामजी लाल जी की माता जी इनकी रिश्ते में मांसी है। श्री रामजीलाल अग्रवाल जब कभी गांव आते और प्रजा मंडल तथा देश की राजनीतिक गतिविधियों को बतलाया करते तो इनको सुन-सुन कर इनको बड़ा योग्य होता और सोचते कि हम भी वह कार्य करें जो श्री रामजीलाल अग्रवाल किया करते हैं।

अलवर में आकर ये प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के सम्पर्क में आये। ये भी अलवर आकर उस ही मकान में रहने लगे जिसमें श्री फूलचंद गोठड़िया तथा अन्य कार्यकर्ता रहते थे। अतः ये कांग्रेस के फर्मावरदार बन गए और उनके आदेश-निर्देशों पर प्रजामंडल के कार्यों में भाग लेने लगे।

तम्बाकू कर के मामले में मेवों द्वारा किये गये विरोध में हुए गोलीकांड के भी श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। ग्राम पटमाड़ा में तत्कालीन तहसीलदार श्री रामचन्द्र हरित द्वारा चारफण्ड वसूल करने के लिए उनके द्वारा किये गये जोर जवदंस्ती से भ्रुव्य नागरिकों ने उनके साथ मार पीट की उस घटना में आप भी शामिल थे। 2 फरवरी 46 को ग्राम खेड़ा मंगल सिंह में हुई भीटिंग में भी आप श्री पृथ्वीनाथ भागव आदि नेताओं के साथ श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल के ट्रक में बैठकर भाग लेने पहुँचे जिसमें श्री फूलचंद गोठड़िया तथा अन्य नेताओं के बड़े जोशीले भागण हुए।

अगस्त मन् 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसों छोड़ो' आन्दोलन में अपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँ। अलवर राज्य के प्रमुख नेता श्री शोभा राम को उनकी गिरफ्तारी के भय से प्रजामंडल ने अलवर राज्य में धार भेज दिया तो ये बहरोड के पास फांटी नामक गांव

जो पंजाब में पड़ता था, में रहने लगे थे। कैम्प बहरोड़ में लगाया गया था जिसमें शोभाराम जी के निर्देशन पर काम होता था। श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल अन्य दो साधियों श्री श्योप्रसाद नेता तथा हर सहाय के साथ वहाँ से जत्थे भेजने का कार्य करने लगे। इतना ही नहीं अलवर आकर भी सत्याग्रह में भाग लिया। सत्याग्रह में भाग लेने पर पुलिस के भारी लाठी चार्ज के कारण आपके बांये हाथ की तर्जनी अंगुली के दो पोर समाप्त हो गए। यह अंगुली अब मात्र एक पोर की ही है।

विद्यार्थी जीवन में सामंती शासन और विदेशी सत्ता से देश को मुक्त कराने में आपने अपना अधिक से अधिक समय दिया है। अल्पायु होने के कारण आप जेल नहीं भेजे गये, महिलाओं के साथ-साथ उनकी ही तरह अल्पायु बालकों को जंगलों में छोड़ दिया जाता था जहाँ से लाने की व्यवस्था प्रजामंडल कार्यकर्ता किया करते थे।

श्री गोपाल शरण माथुर

श्री गोपाल शरण माथुर एडवोकेट का जन्म तिजारा में 5 अगस्त 1922 को हुआ। आपके पिता श्री गुलाब सिंह माथुर ऑफिस कानूनगो थे। आपने कक्षा 5 तक शिक्षा गाँव से की व अलवर से इण्टरमिडियेट किया, स्नातक की परीक्षा कानपुर से तथा एल.एल.बी. की डिग्री आगरा से प्राप्त की है।

शिक्षा के दौरान आप गांधीजी को त्याग तपस्या से प्रभावित हुए तथा उनके विचारों से आपके अन्दर भी राष्ट्र की सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ। सामन्ती उत्पीड़न को देख सुन कर सामंती सरकार के प्रति आपके मन में भी रोप उत्पन्न हो रहा था।

सन् 1942 में जब आप कानपुर में पढ़ रहे थे, उस समय श्री रामजी लाल अग्रवाल भी वहाँ पढ़ रहे थे तब एक खादी प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें श्री रामजी लाल अग्रवाल के साथ आपने भी भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ी आन्दोलन में भी आपने भाग लिया था।

सन् 1944 से आपने वकालत करना प्रारंभ कर दी। सन् 1944 में ही आप श्री कृपादयाल माथुर तथा घासी राम गुप्ता के समर्क में आए और आपने प्रजामंडल की विधिवत सदस्यता ली। 1944 से ही आपने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया।

1946 'में गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिजारा प्रजामंडल के अध्यक्ष के आदेश पर एक सिपाही की तरह आपने उनके आदेशों का पालन किया। आपकी हेयूटी गांव-गांव पूम कर जर्तों के लिए आदमी जुटाने की थी। आप जत्थे अलवर सत्याग्रह में भेजते रहते थे। सन् 1947 में जब आदमी ने अपनी इंसानियत को भुला कर एक पशु का रूप धारण कर लिया तब आल्हा की तर्ज पर राष्ट्रीय गीत गाने वाले एक सज्जन श्री नानकचंद को साथ लेकर, घासीराम गुप्ता आदि के सहयोग से टपूकड़ा में मीटिंग की, फिर जिवाणा में की। लोगों में साम्राज्यिक एकता का भाव जागृत करने का काम किया। टपूकड़ा गोली काण्ड के बाद 1947 में आप अलवर आ गये।

श्री हजारी लाल सोनी

श्री हजारी लाल सोनी का जन्म माघ मास की अष्टमी वि. सं. 1972 को किशनगढ़ यास

में हुआ। आपके पिता श्री मामराज सोनी अपना पैतृक पन्था करते थे। आप कक्षा 2 तक ही शिक्षा ग्रहण कर सके। आपको प्रेरणा महात्मा गांधी के विचारों से मिली। अंग्रेजों ने अल्पवर्ष, शोषण, अनेक प्रकार के प्रतिवंध लगा कर जो देश को गुलाम बना रखा था उससे आपके मन में विद्रोह की भावना जागृत हुई। इसके बिरुद्ध आपने प्रचार, प्रसार तथा सभाओं आदि में भाले कर जनता को जाग्रत करने का कार्य बहुत कम आयु में शुरू कर दिया। अंग्रेजों की हिम्मत पर सामंती शासन भी जुल्म और अत्याचार करता था उससे भी आपके मन में रोप पैदा होता था।

अगस्त सन् 1946 में प्रजामण्डल द्वारा 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़े' आदेश तनाव करने का निर्णय लिया जिसमें सरकारी इमारतों पर झण्डा लगाने, तहसीलों पर अर्थी निकालने आदि के आदेश दिये गये। सरकार ने जुलूस जत्थों पर रोक लगा दी लेकिन आशे ऊरे साधियों के साथ वह सब किया जिसके कारण सामंती सरकार आतंकित हो गई और इनको और इनके साधियों को गिरफ्तार करने के लिए इनकी तलाश में लग गई। श्री हजारी लाल सोने अलवर आकर सत्याग्रहियों के जत्थों में शामिल हो गये। सत्याग्रह करने का सिलसिला कई दिनों तक चला। पुलिस पकड़ कर सत्याग्रहियों को दूर पहाड़ों में छोड़ आती।

साथी इनको वहां से लेकर आते थे पुनः जत्थों में शरीक हो जाते। एक दिन पुलिस गिरफ्तार कर इनको जेल में ले गई। वहां सत्याग्रहियों से माफी मंगवाने के लिए पुलिस जो जुल्म करती। थप्पड़ों और ठोकरों से बेहाल कर देती। सामंती सरकार द्वारा तरह-तरह के बटे दिये जाने के बावजूद भी श्री हजारी लाल सोनी टूटे नहीं, बल्कि आपका मनोबल और भी बढ़ा। 4-5 दिन जेल में रहने के बाद 2 सितम्बर 1946 को आप अन्य सत्याग्रहियों के साथ जेल से रिहा कर दिये।

श्री हरफूल

श्री हरफूल का जन्म संवत् 1976 में खैरथल कस्बे में हुआ। आपके पिता श्री रामजीलाल दुकानदारी किया करते थे।

खैरथल में आप की व्यवस्था ठीक न होने पर फिरोजपुर चले गये। वहां पर भी वे दुकानदारी करते थे। श्री हरफूल ने कक्षा 9 तक की शिक्षा पंजाब में ही पाई थी। श्री हरफूल के पिता फिरोजपुर में सरदार भगतसिंह की घोली में थे। भगतसिंह की फांसी के समय तक फिरोजपुर में रहे उसके बाद वापिस खैरथल आ गए। सच पूछा जाये तो श्री हरफूल को राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने की प्रेरणा अपने पिता द्वारा ही मिली।

खैरथल में आकर आप प्रजामण्डल के सदस्य बन गये तथा प्रजामण्डल के आदेश-निर्देश पर कार्य करने लगे। आप गांधी में जाकर प्रजामण्डल का प्रचार करते, गांधीजी के संदेशों को पहुंचाते, देश की राजनीतिक गतिविधियों से लोगों को जानकारी कराते। इसमें उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा किन्तु अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उन दिनों के सामन्ती शासन के जोर जुल्म का भी आप विरोध करते। 2 फरवरी को घोड़ा मंगलसिंह में आयोजित जागीर विरोध सभा में भाग लेने आप भी अलवर ट्रक में बैठ कर गये। हालांकि वहां भीटिंग से एक दिन पहले ही प्रजामण्डल के अलवर के प्रमुख नेता श्री श्री रामजीलाल

अग्रवाल, ला. काशीराम आदि को पहले गिरफ्तार कर लिया था मगर फिर भी मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की जिसमें श्री फूलचन्द गोठड़िया तथा दयाराम आदि के बड़े जोशीले भाषण हुए। सामन्ती शासन के दमन चक्र के बावजूद वहां भी काफी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए।

'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन जो अलवर प्रजामण्डल के निर्णयानुसार 26 अगस्त से प्रारम्भ हुआ उसमें भी श्री हरफूल ने हिस्सा लिया और दूसरे जात्ये में गिरफ्तार कर जेल भेजे गये। जेल में बड़ा जुल्म हुआ। माफी मांगने के लिए घण्टों धूप में खड़ा किया जाता, बेरहमी से मारपीट की जाती फिर भी कोई माफी मांगने को तैयार नहीं होता तो उस जमाने का कुछ्यात ढाकू बिरजूसिंह जो उस समय जेल में सजा भुगत रहा था उसके पास भेज देते। बिरजूसिंह लात, धूसों, ठोकरों से मार-मार कर लहू-तुहान कर देता। ये अत्याचार श्री हरफूल ने भी सहे मगर आपने माफी नहीं मांगी और 2 सितम्बर 1946 को सभी सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से छुटे। जेल से छूटने पर सभी सत्याग्रहियों का जनता ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। खैरथल में भी जनता ने मालाओं से लाद दिया।

श्री नन्द किशोर शर्मा

श्री नन्द किशोर शर्मा का जन्म विक्रमी संवत् 1978 में हुआ। आपके पिता लक्खीराम शर्मा रामगढ़ में खेती-बाड़ी का काम करते थे। 1938 में रामगढ़ में ही आपने एंगलो बर्नार्क्यूलर परीक्षा पास की।

रामगढ़ में रहते हुए आप तहसील में जमा न देने पर किसानों को काठ में कस कर सर पर 20 सेर का पंथर लिए धूप में खड़े देखते, गरीबों से बिना पारिश्रमिक सुबह से शाम तक भूखे रहकर जानवरों की तरह देगार में काम लिया जाते देखते तो आपके भी मन में इस निरंकुश शासन के विरुद्ध व्यावरत करने के भाव जागृत होते। आप रामगढ़ में रहते हुए वहां के जागरूक युवा फूलचन्द गोठड़िया जी के समर्क में आये और उनको अपना नेता मान लिया। बारफण्ड की जबरन यसूली के खिलाफ रामगढ़ की जनता को जागृत करने के उद्देश्य से आप प्रजामण्डल के प्रचार, प्रसार में जुट गए और गांव-गांव जाकर प्रचार करने लगे।

इस कार्य में आपको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांवों में जागीरदारों के आदमी पोस्टर नहीं लगाने देते, गाली गुफ्तार करते, यहां तक कि हाथा-पाई पर भी उत्तर आते, मगर आप विल्कुल भी भय नहीं खाते और अपना काम करते रहते। रामगढ़ के अलावड़ा, मुदारिकपुर, नौगांवा आदि स्थानों पर प्रजामण्डल कार्यालय खुलवाने में योगदान किया। गांव व घर बाले सरकार द्वारा पकड़ लिये जाने का भय दिखाते मगर आप विल्कुल भी विचलित नहीं होते। अगस्त 1946 को फूलचन्द गोठड़िया के नेतृत्व में 3000 की भीड़ का जुलूस निकाला गया जो गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ों के नारे लगा रहा था इसमें गोठड़िया के साथ आप भी थे।

जुलूस पर पुलिस द्वारा भीषण लाठी-चार्ज किये जाने से गोठड़िया जो के दोनों हाथ उत्तर गए रोशनलाल का सर फट गया और नन्द किशोर पर लाठियां पड़ी जिसमें हाथ का भौंपू

चकनाचूर हो गया आप भी घायल हुए फिर भी 26 अगस्त से अलवर में चालू हुए आन्दोलन में आपने सत्याग्रह में भाग लिया। जेल गये वहां आपने अनेक याताएं सही प्रभाव आप दे रखे। 9 दिन जेल में रहकर अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी 2 सितम्बर 1946 को जेल से छुटे।

श्री गूगन सिंह

श्री गूगन सिंह का जन्म ग्राम गाढ़वास तहसील मुण्डाखर में संवत् 1977 में हुआ। आपके पिता का नाम रूदसिंह है जो खेती का कार्य करते थे तथा गांव के नम्बरदार थे। आपके पांच में कोई स्कूल न होने से आप शाहजहांपुर में पढ़ने जाया करते थे जो उस समय अलवर रेस्ट में नहीं था।

आपको बचपन से ही गांधी जी की वातों को सुन-सुन कर देश के प्रति प्रेम भावना का ज्ञान हो गया था।

छोटे-छोटे आन्दोलन में भाग भी लेते रहे किन्तु रोजी रोटी का प्रश्न सामने आने पर अपने 1940 में इण्डियन आर्मी में भर्ती हो गए। आर्मी में रहते हुए आपने सिंगापुर, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, हांगकांग, आदि देशों की यात्रा की।

श्री गूगन सिंह नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में सुन-सुन कर तथा उनके द्वारा आजादी के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर उनके प्रति ब्रह्मा रखने लगे थे। पुर्ण में अंग्रेजों की पराजय होने पर आप जापान द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जब इण्डियन नेशनल आर्मी का गठन किया तो आप भी अन्य बन्दियों की भाँति इण्डियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। नेताजी के भाषण के प्रभाव से अनेक लोगों ने इण्डियन नेशनल आर्मी में भर्ती होना स्वीकार किया था।

अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए आपको फौजी टुकड़ी चटगांव तक आ गई थी लैंसिन जापान द्वारा हार स्वीकार किये जाने पर आप अंग्रेजों द्वारा बन्दी बना लिए गए वहां आप 7 माह तक सिंगापुर में कैद रहे। सिंगापुर से बन्दियों को भारत लाने के लिए जहाज में बैठने को सिर्फ हिन्दुस्तानियों के लिए कहा गया तो सभी ने मना कर दिया क्योंकि उस समय यह खतरा हो गया था कि कहाँ अंग्रेज इस जहाज को ही न ढुबो दें। अतः आप और आपके साथियों ने उस जहाज में अंग्रेजों को भी बैठाने की जिद की। आखिर अंग्रेज सरकार को फौजियों की यह मांग स्वीकार करनी पड़ी और जहाज में अंग्रेजों को भी बैठा कर भारत लाया गया जहां से सेन्टर में भेज दिये गये। पकड़े गये फौजी कैदियों की तीन श्रेणियां बनाई गईं। ब्लैक, व्हाईट और ग्रीन।

जिन्होंने परिस्थितिवश इण्डियन नेशनल आर्मी में जाना स्वीकारा उन्हें व्हाईट श्रेणी में नौकरी पर रखा। जिन्होंने जबर्दस्ती अंग्रेजों से जाना में जाना स्वीकारा उन्हें ग्रीन श्रेणी दे किया था। भाड़ा तथा कुष्ठ रूपया दे नौकरी से निकाला गया। किन्तु जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की भायना से इण्डियन नेशनल आर्मी में जाना स्वीकारा उन्हें ब्लैक लिस्ट करार देकर यिन कुष्ठ भी दिये नौकरी से निकाल दिया।

श्री गूगन सिंह ने देश की आजादी के लिए इण्डियन आर्मी में जाना स्वीकारा, अतः आपको ब्लैक श्रेणी में रख दिया कुष्ठ भी दिये नौकरी से निकाल दिया गया। आप 26 मार्च

1946 को अपने गांव आ गए। गांव आकर आप अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आनंदोलन में सक्रिय रहे।

श्री प्रकाश चन्द जैन

श्री प्रकाश चन्द जैन का जन्म रामगढ़ कस्बे में विक्रम संवत् 1986 की कार्तिक बदी अष्टमी को हुआ। इनके पिता का नाम श्री रूपकिशोर जैन है जो कस्बे में ही दुकानदारी किया करते थे। विदेशी शासन विरोधी अभियान में श्री प्रकाशचन्द जैन जुट गए और इन्हे तब्दीन हो कर जुटे कि पढ़ाई लिखाई छूट गई और कक्षा सात तक ही अध्ययन कर सके।

प्रजामंडल की सदस्यता अभियान में गांव-गांव में घूम कर पर्चे बांट कर तथा मीटिंगों में उपस्थित रह कर सदस्य संख्या बढ़ाने का कार्य किया। जिस किसी गांव में मीटिंग करनी होती तिरंगा झण्डा हाथ में लेकर, महात्मा गांधी की जय के नारे बोलते हुए पर्चे बांटते आसपास के गांवों में जनता को अधिक से अधिक लाने का प्रयास करते। यदि किसी गांव में सामन्ती चमचों द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों का विरोध किया जाता अथवा मीटिंग करने में कोई अड़चन पैदा करता तो बांह चढ़ा कर वे उनका मुकाबला करने को भी तत्पर रहते।

श्री प्रकाश चन्द जैन ने रामगढ़, गोविन्दगढ़, अलावड़ा, मुवारिकपुर आदि में प्रजामंडल के कार्यालय खुलवाये जिससे रामगढ़ कस्बे का नाम पूरे अलवर राज्य में चमका दिया। नवयुवकों को पराधीनता से मुक्ति पाने हेतु संघर्ष करने के लिए आह्वान करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहते। अलवर राज्य में आयोजित होने वले राज्य स्तर अथवा क्षेत्र स्तर के सभा, जुलूस, आनंदोलन आदि में जहां तक वन पड़ता हिस्सा लेते रहते थे। इसमें कभी चूक नहीं करते।

सन् 1945 में पी.ई.एन. कांग्रेस के जयपुर में आयोजित सम्मेलन में विद्यार्थी डेलीगेट की हैसियत से श्री प्रकाशचन्द जैन ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजनी नायडू ने की थी, जिसमें श्री जवाहर लाल नेहरू तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी भी आई थी। महात्मा गांधी और कांग्रेस का संदेश जन-जन में पहुंचाने तथा प्रजामंडल के कार्य में दिन-रात लगे रहने के कारण जहां इन की पढ़ाई-लिखाई चौपट हो गई वहीं धन्या भी चौपट हो गया और काफी विपक्षावस्था में आ गये थे।

26 अगस्त 1946 को 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आनंदोलन के प्राथमिक जर्ते में गिरफ्तार कर इन्हें भी जेल भेज दिया गया। जेल में इनको अनेक यातनाएं दी गई। माफी मांगने के लिए वे इन्हें हतोत्साहित करने का काफी प्रयास किया गया। चंलस द्वारा कुए से पानी खींचने तथा चक्की पीसने की कटदायक स्थिति का बड़ा ही भयानक तरीके से वर्णन किया गया। किन्तु श्री प्रकाशचन्द जैन इससे हतोत्साहित नहीं हुए, माफी नहीं मांगी।

सामन्ती जेल प्रशासन के अत्याचारों से भी प्रकाश चन्द जैन नहीं घबराये। जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना वास्तविक नाम न बताकर 'शेर बच्चा' बताया। इनके मुंह पर तमाचों की मार लगाई गई इस पर भी जय इन्होंने अपना असली परिचय तब चक्की का पाट इनके हाथ पर रख दिया। जब यातना को बेदना असहनीय हो गई तो श्री प्रकाश चन्द ने वह चक्की का पाट तत्कालीन जेल अधीक्षक मि. मार्टिन के पैरों पर पटक दिया। मार्टिन जल्दी ही गये

और काफी दिनों तक संगढ़ाते रहते थे। इस पटना के पश्चात श्री जैन को काल कोठड़ी में दल दिया। काल कोठड़ी की यातना बड़ी असर होती थी। एक छोटी सी कोठड़ी, जिसमें खेती की कोई गुंजाई नहीं, परे भी मुश्किल से प्रवारे जाते। घमगादङ्हों के निवास के कारण अब दुर्गन्ध ऊपर से मला-मूत्र के पात्र भी इसी कोठड़ी में और फिर वहाँ पर रहना दिमा जाता था। अन्य नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ ही इन्हें भी जेल से रिहा किया गया।

श्री मोती लाल शर्मा

श्री मोती लाल शर्मा का जन्म 19 सितम्बर 1926 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम पंडित छाजूराम है। आपने बी.ए. की डिग्री राजपिं कॉलेज में पढ़ते हुए 1952 में प्राप्त की तथा एल.एल.बी. की डिग्री 1980 में अलवर से ही प्राप्त की।

फरवरी 1946 के किसान आन्दोलन में जब सभी नेता गिरफ्तार हो गए आपने भी संक्रिया भूमिका निभाई। छात्रों का जुलूस लेकर निकलते, हड्डताल करवाते। आपको धमंपत्ति स्व श्रीमती कमलेश कुमारी भी राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेती थी। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की परेंट भी प्राप्त थी।

‘गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो’ आन्दोलन जो अगस्त 1946 में हुआ था। इसका नेतृत्व 26 अगस्त को श्री कृपादयाल माधुर को करना था वे काफी दिन पहले तिजारा से अलवर आए। श्री मोतीलाल शर्मा कॉलेज के छात्रों का एक विशाल जुलूस लेकर आये। हड्डताल की बजह से बाजार बन्द था। गली के पास सिटी मजिस्ट्रेट मुकुट विहारी लाल माधुर पुलिस के साथ मीजूद थे। जुलूस को रुकवाया गया। भोंपू से (उन दिनों लाउडस्पीकरों का चलन नहीं था) ऐलान करवाया कि शहर में धारा 144 लागू है, सभी लोग यहाँ से चले जाओ। वर्ना बन्द कर दिये जाओगे। भीड़ ने जोश से कहा हम बन्द होने आये हैं। उन्होंने 10 मिनट का समय दिया, भीड़ नहीं हटी, किर 5 मिनट का समय और दिया। सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गये थे। केवल मास्टर भोलानाथ ही भूमिगत रह कर आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। सूचना मिली मास्टर जी इस समय कांग्रेस कार्यालय में हैं। श्री मुकुट विहारी लाल माधुर सिटी मजिस्ट्रेट भय पुलिस कोर्स के आये। श्री मोती लाल शर्मा उधर से गुजर रहे थे, कुछ छात्र भी साथ थे। आपने मा. भोलानाथ से मिलना चाहा। थानेदार और मजिस्ट्रेट ने मना किया तो आपने छात्रों से कहा कि दूक को घेर लो और आग लगा दो। तब भोलानाथ जी ने मोती लाल शर्मा से कहा, देखना आन्दोलन ठप न पड़ जाये वर्ना सारे सत्याग्रहियों को सामंती सरकार जेल में सँड़ा देगी। आप भी इस ‘गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो’ आन्दोलन में 28-29 को गिरफ्तार हो गये। तब जेल में घुसने पर पंजों के बल बैठाया जाता ऊपर से थप्पड़ लगाए जाते। माफी न मांगने पर जेल के अन्दर चांदमारी की जाती। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी 2 सितम्बर को रिहा किये गये।

श्री जगन प्रसाद स्वामी

श्री जगन प्रसाद स्वामी का जन्म 10 फरवरी 1929 को गोविन्दगढ़ में हुआ। आपके पिता का नाम श्री अमरचन्द स्वामी है जो सेवा-पूजा किया करते तथा खेती का काम करते थे। आपने आठवीं तक की शिक्षा गोविन्दगढ़ में ही रहकर प्राप्त की तथा प्राइवेट दस्ती कक्षा पास की।

श्री स्वामी को बालपन से ही गाने में रुचि थी तथा राष्ट्रीय भावना के गीत आप बड़े शौक से गाते थे। ग्राम मौजपुर में आपकी बुआ रहती थी। एक बार मा. भोलानाथ मौजपुर में प्रजामण्डल की सभा करने आये। वे सभा की कार्यवाही से पूर्व भारत माता की प्रार्थना कराया करते थे। मंच से उन्होंने बच्चों के साथ भारत माता की प्रार्थना संस्करण गाई। मा. भोलानाथ जी आपसे बड़े खुश हुए पूछा क्या कर रहे हो। जब आपने कहा कि कुछ नहीं तो अपने साथ अलवर ले आये। अलवर आकर आप प्रजामण्डल के कार्यालय में रहने लगे। यह वर्ष 1945-46 की घटना है।

मा. भोलानाथ कई अखबारों के संवाददाता थे। श्री जगन्नारसाद स्वामी उनका काम करते, कुछ अखबारों का काम करते तथा जहां कहीं सभा होती तो मास्टर जी आपको भी साथ ले जाते थे। इस प्रकार राष्ट्रीय गतिविधियों से जुड़े। श्री स्वामी खेड़ा मंगल सिंह में भी जागीर विरोधी सभा के अवसर पर जो 2 फरवरी 1946 को हुई थी, भाग लेने पहुंचे थे।

इसके बाद पारिवारिक परिस्थितियों के कारण एक रिश्तेदार ने आपको अध्यापक की नौकरी दिला दी और आप ग्राम डल्हाड़ी चांदपुर में अध्यापक का कार्य करने लगे। गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन के पूर्व श्री जगन्नारसाद स्वामी के पास मा. भोलानाथ का पत्र आया कि परतंत्र भारत में अंग्रेजों की गुलामी में नौकरी करना अच्छी बात नहीं है, स्तीफा देकर फैरन अलवर आ जाओ। बस मास्टर जी के आदेश की अनुपालना में आप स्तीफा देकर अलवर आ गए। अगस्त 1946 में गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई और गिरफतार कर जेल भेज दिये गये। जेल में ले जाकर आपका एक अकेले वैरक में बन्द किया गया। वहां अत्यधिक मच्छर थे। अंधेरा तो था ही। सारी रात दरवाजे की जानियों के पास खड़े रह कर गुजारी। सुबह जेल अधीक्षक मार्टिन ने व्यंग्य में हाल-चाल पूछा। आपने मच्छर काटने की शिकायत की। दूसरे दिन आपको ऐसी कोठरी में बन्द किया जहां दस्तियों तक पानी भरा था। तीसरे दिन ऐसी कोठरी में भेजा जहां 20-25 और सत्याग्रही थे। आपके पिताजी आपसे जेल में मिलने गये तो वे रोने लगे, तब अधीक्षक जेल ने माफी नामा लिख कर देने को कहा, मगर आपने नहीं लिखा। इससे पूर्व भी आप 2-3 बार जेल गये थे। मत्स्य संघ बनने पर आप मा. भोलानाथ के पी.ए. रहे। बाद में आपने अध्यापक की नौकरी कर ली। आप साहित्य के साथ संगीत में रुचि ही नहीं रखते बल्कि माहिर भी हैं। आपने स्वर्वं को 'राम' और राष्ट्र को प्रति समर्पित कर रखा है। भारतीय राग-रागनियों में आपने भगवद् भक्ति के साथ-साथ राष्ट्र भक्ति के छोटे-छोटे छन्द रचे हैं जो दूर-दूर तक काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

श्री भंवर सिंह

श्री भंवर सिंह का जन्म 5 जुलाई 1920 को ग्राम जमालपुर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री शिवदान सिंह था। राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा के लिए आप अपना आदर्श श्री राम विहारी योस को मानते हैं। रोजी रोटी के लिए श्री भंवर सिंह 9.2.1941 को अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो गए और अंग्रेजों की तरफ से लड़ते समय जब अंग्रेजी फौजें जापानियों से हार गई तो आपको जापान सरकार ने कैद कर लिया।

श्री राम यिहारी की प्रेरणा से देश को विदेशी शासन से मुक्त कराने के लिए जो इण्डियन नेशनल आर्मी (आजाद हिन्द फौज) में 15 फरवरी 1942 को भर्ती हो गये। 1943 में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस भी जर्मनी से सिंगापुर आ गए। यहां आकर नेताजी ने भारत संघर्ष में आजाद हिन्द फौज में भर्ती की तथा युद्ध का अभ्यास कराया। देश को अंग्रेजों की गुलाम से मुक्त कराने के लिए हर सिपाही में एक अजीय ही प्रकार का जोरा था। श्री भंवर सिंह आर्मी फौज के साथ 1945 तक घर्मा यार्डर पर लड़ते रहे लेकिन जब अमेरिका ने हिंडरेंज, नागासाकी पर एटम घम डाले और उससे जो नरसंहार हुआ तो जापान ने हथियार ढाल दिए।

18 अगस्त 1945 को नेताजी को टोकियो बुलाया गया क्योंकि उन्होंने हथियार नहीं ढाले थे। उन्होंने तो हथियार ढालने से इंकार ही कर दिया था। नेताजी टोकियो नहीं आ पाये थे, मुझे था कि जिस जहाज से नेता जी आ रहे थे वह एक्सीडैट में नष्ट ही गया था। इसके बाद अंग्रेज फौज ने आजाद हिन्द फौज के जवानों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें श्री भंवर सिंह भी थे। उनमें फौजी वन्दियों को कड़ी यातनाएं दी गईं। गंदे काम कराये गए नालियां साफ कराई गईं, मैरें में जूठे बर्तन साफ कराये, राशन भी मात्र 5 ऑंस ही देते। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर सब वन्दियों को भारत भेज दिया गया। यहां आकर जब आपसे आजाद हिन्द फौज में भर्ती होने का कारण पूछा तो आपने फत्त्र के साथ कहा कि हमारे मुल्क को आजाद कराने की नीति से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हुए। इस पर आपको विना कुछ दिये फौज से निकाल दिया। 12 मई 1946 को अपने गांव में आ गए। 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो' आन्दोलन जो आगस्त 1946 में हुआ था उसमें भी आपने सत्याग्रहियों के जर्थे भेजने आदि में सक्रिय सहयोग दिया। अब जनहित के कार्य आज भी अपने ही नहीं आस-पास के गांवों में भी करते हैं। आपने अपने गांव जमालपुर में माताजी का मंदिर तथा बच्चों के स्कूल में एक कमरा भी बनवाया है। श्री भंवर सिंह को केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों से ही पेंशन प्राप्त हो रही है।

श्री रामजीलाल शर्मा (जैमन)

श्री रामजी लाल शर्मा का जन्म ग्राम मौजपुर तहसील बहरोड़ में विक्रम संवत् 1974 के चैत्रमास में हुआ। आपके पिता का नाम वैद्य रामधन शर्मा है। सामंती शासन के विरोध में भाग लेने के लिए आपको मा. भोलानाथ से प्रेरणा मिली। मा. भोलानाथ अक्सर ग्राम मौजपुर में प्रजामण्डल के प्रचार-प्रसार के लिए आते रहते थे उनके समर्पक में आने पर ही आपको ग्रामीय भावना का ज्ञान हुआ। आप भी आस-पास के गांवों में प्रजामण्डल तथा गांधी जी का प्रचार-प्रसार करने लग गए जिसमें जागोरदारों का विरोध सहन करना पड़ता भगर आप विवरित नहीं होते थे।

आपने बचपन से ही खादी पहनना प्रारंभ किया जो अभी तक जारी है और आपने जीवनकाल में धारण करने का व्रत लिए हुए हैं। सामंती शासन के विरोध की भावना के प्रचार-प्रसार में श्री रामजी लाल शर्मा, कन्हैयालाल एवं रामजीलाल पुत्र सुन्दर लाल शर्मा का साथ एवं काफी सहयोग रहा। 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो' आन्दोलन छेड़ा गया, इस में आप और आपके सहयोगियों ने उसमें सत्याग्रह के लिए जर्थे जुटाने के साथ स्वयं भी सत्याग्रह में भाग लिया।

जेव में मुट्ठी भर चने भर कर आप सत्याग्रह के लिए उत्तर पड़े और 28 अगस्त 1946 को गिरफ्तार कर लिए गये। जेल में आपको कठोर यातनाएं दी गई। माफी मांगने के लिए आप पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गए। आपको धूप में खड़ा किया गया, पंजों के बल मुर्गा बनाया गया पिछे भी आपने क्षमा-याचना नहीं की तो आपके सर पर चक्की के पाट रखे गए, मगर आप दूटे नहीं भारत माता की जय घोलते रहे।

छह दिन जेल में रहने के बाद 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको भी जेल से रिहा कर दिया गया।

श्री राम यादव

श्रीराम यादव का जन्म सन् 1923 ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री भैरुराम था। आपको नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के त्याग व बलिदान से प्रेरणा मिली। नेताजी ने अंग्रेजी शासन को जड़ से उखाड़ फेंकने की प्रेरणा अपने सिपाहियों ही नहीं देश की जनता की नस-नस में कूट-कूट कर भर दी थी। उनके भाषण और देश के प्रति उनके त्याग ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ आपके अन्दर जोश की लहर प्रवाहित कर दी जो आपके रोम-रोम में व्याप हो गई। उस जोश के परिणाम स्वरूप ही आप नेताजी सुभाष चन्द्र की आजाद फौज में एक सैनिक के रूप में भर्ती हो गए और उनके साथ ही मिलकर अंग्रेजी हुक्मत के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई लड़ी। आपकी वह फौजी दुकड़ी जिसमें आप सम्मिलित थे सिंगापुर से ब्रह्मपुत्र नदी तक जीतती हुई आ गई। लेकिन दुर्भाग्यवश जापान की हार हो गई और आपके सारे सपने यहीं समाप्त हो कर रहे गये। आजाद हिन्द फौज के बहादुर सिपाहियों ने यह युद्ध बहुत ही कम अम्बूनेशन के बल पर लड़ा था। यह अम्बूनेशन जापान ही सप्लाई करता था। जापान की हार और नेताजी के दुनिया से चले जाने के बाद आपको कैद कर लिया और भी आजाद हिन्द फौज के सभी सिपाहियों को अंग्रेजी हुक्मत ने कैद कर जेल में बन्द कर दिया। उसके बाद आपको जिगर गच्छ कैम्प कलकत्ता लाकर करीब आठ माह तक कैद में रखा। अंग्रेजी हुक्मत को यह तो पता था ही कि ये लोग नेताजी के साथी थे तो इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना तो निश्चित था ही। जेल में आपसे बहुत काम करवाया जाता तथा खाना भी बहुत खराब दिया जाता था और तो और आपको भगवान की प्रार्थना करने तक से रोका जाता था। इसके बाद आपको विना कुछ क्षिये अंग्रेजी हुक्मत ने रिहा कर दिया। आजाद हिन्द फौज से डिस्चार्ज होने के बाद आप अपने गांव आ गये। यहां आने के बाद भी आपने गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो वाले आनोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और तब से ही खादी पहनना भी शुरू कर दिया। सरकार जैव किसानों के पेड़ों पर नम्बर डाल रही थी तब आपने जैव बना-बना कर सत्याग्रह किया और उसमें 13 दिन अलवर जेल में रह कर अपनी मांग को मनवाया। आपको केन्द्र और राज्य दोनों से पेंशन प्राप्त हो रही है। श्रीराम यादव, समय-समय पर आज की पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के किस्से सुनाते रहते हैं तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की ओरता एवं त्याग बलिदान के बारे में अवगत कराते रहते हैं।

श्री तारा चन्द जैन

श्री तारा चन्द जैन का जन्म विक्रम संवत् 1980 में तहसील रामगढ़ में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री भीरलाल जैन है। मिडिल कक्ष पास की। शिक्षा के दौरान ही रामगढ़ वाले जनता को यारफण्ड के विरोध में जागृत करने के लिए सभा करने आये थे। भीरलाल, लाल काराराम, रामजी लाल अग्रवाल के सम्पर्क में आये। उनके विचारों को सुनकर आप भी वे प्रभावित हुए तथा राष्ट्र सेवा का विचार उत्पन्न हुआ और प्रजामण्डल के सदस्य बन गए।

श्री ताराचन्द जैन अपने साथियों श्री नन्दकिशोर विजय, हरलाल जैन, प्रभातीलाल हरनं, प्यारेललाल हरिजन, पांचाराम हरिजन के साथ नौगांवा, अलावड़ा, मुवारिकपुर, सलवड़ी, मंगलेशपुर, खेड़ी आदि गांवों में हाथों में झण्डे लिए हुए महात्मा गांधी की जय बोलते हुए जनता को जागृत करते हुए प्रजामण्डल का सदस्य बनाने लगे। जनता जागीरदारों से बड़ी भयभीत रहती थी। जागीर के विरोध में 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में आयोजित सभा में भाज लेने श्री ताराचन्द जैन ट्रूक में चैठाकर गये थे। उस मीटिंग में पृथ्वीनाथ भारव बकील जैन अध्यक्षता कर रहे थे उनके तथा फूलचन्द गोठड़िया व दयाराम आदि के बड़े जोशीले भाषण हुए थे। उस सभा में काफी संख्या में लोग एकत्रित थे।

प्रजामण्डल द्वारा 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरी कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन जो 26 अगस्त 1946 से प्रारम्भ हुआ था उस समय श्री ताराचन्द जैन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक जुलूस निकाला जिसमें जुलम का पुतला बनाकर उसकी अर्धी निकाली तथा रामगढ़ के मुख्य मार्गों से उस जुलूस को घुमा कर रामगढ़ तहसील के सामने उस अर्धी को रख कर पुतला जलाया गया। इस अवसर पर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया उसमें कुछ लोगों के काफी चोट आई। आपने सत्याग्रह में भाग लिया और गिरफ्तार किये गये। जेल में आपको यातनाएं दी गई थीं। आप घबराये नहीं। 9 दिन जेल में रहकर आप भी 2 सितम्बर को अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किये गये।

श्री सोहन राम

श्री सोहन राम का जन्म अलवर जिले के ग्राम जाट बहरेड़ में 13 फरवरी 1923 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री प्यारे लाल है। आप को राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सामंती शासन के अत्याचारों के विरुद्ध खड़ा होने की प्रेरणा सन् 1942 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के सिंगापुर में दिये गए भाषण से मिली। आजाद हिन्द फौज से वापिस अपने घर लौटने के बाद से आपने खादी पहनना प्रारंभ किया। जीवन यापन के लिए रोजी रोटी के लिए आप 1940 में अंग्रेजों की इण्डियन आर्मी में भर्ती हो गए। अंग्रेजों के हार जाने के कारण आपको जापानी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। वहां आपने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का भाषण सुना और अपने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के डेश से आजाद हिन्द फौज से असलाह चर्चारह हालांकि ज्यादा अच्छे नहीं थे किन्तु देश की आजादी का लक्ष्य सामने रखते हुए आपने इसकी परवाह नहीं की और पूरे तन-मन से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे।

आपको अंग्रेजी फौज ने गिरफ्तार कर लिया। वहां से आपको बन्दूक धारियों की निगरानी में कलकत्ता लाया गया। आपको और आपके अन्य साधियों के मन में यह भय चैठा दिया गया कि ये बन्दूक धारी भैनिक या तो हमें मार डालेंगे या यीच समुद्र में जहाज को ही डुबो देंगे। कलकत्ता पहुंच कर आपको और आपके साधियों को अलग-अलग गुटों में बांट दिया गया। चूँकि आपने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का साथ दिया था इसलिए आपको जेल में कठोर यातनाएं दी गई। जेल में रहते हुए आपसे गड्ढे खुदवाये गए मिट्टी डलवाई गई, खाने को भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। विरोध करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई। आप जेल में तीन साल रखे गए और विना एक पैसा दिये आपको 30.12.1945 को डिसर्वाज कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद आप चिपको आंदोलन से जुड़े और पेंड़ लगाने का कार्य किया।

अगस्त 1946 में प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन में तत्कालीन सामंती सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए। आंदोलन में आपने सत्याग्रहियों के जत्थे भेजने का कार्य किया तथा गांवों में घूम-घूम कर जनता को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आपको केन्द्र तथा राज्य से स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन मिलती है।

श्री मित्रसेन जैन

श्री मित्रसेन जैन का जन्म 26 जुलाई 1918 को तिजारा में हुआ। आपके पिता का नाम श्री हजारी लाल जैन है। जिन्हें लोग प्रायः मंत्री कहा करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा आपको भूतपूर्व विधायक एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री घासीराम अग्रवाल से मिली थी। आपने सन् 1941 में प्रजामण्डल शाखा तिजारा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी तथा तब से लेकर अब तक आप शुद्ध खादी के वस्त्र धारण करते हैं।

प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद से आप सामंती शासन की खिलाफत एवं देश की आजादी के लिए काम करने लगे और कस्बों में जब कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था, ऐसे समय में आप अपने कुछ साधियों जिनमें श्री चुनीलाल स्वर्णकार, सुमेरचन्द्र जैन, मनोहर लाल जैन, जगजीत सिंह जैन एवं घासी राम आदि के साथ गांव-गांव में घूम कर देश की आजादी के प्रति लोगों को जाग्रत करने तथा सामंती शासन के विरोध में लोगों को प्रोत्साहन करने का काम किया करते थे। इन कार्यों से कुपित होकर आपको कई धार धाने में बुलाया जाता एवं पिटाई भी कर दी जाती। एक दो धार तो तिजारा कस्बे की आम सभा के यीच में से पुलिस ने आकर अध्यक्ष की कुर्सी मेज तथा बैठने की फर्श तथा झण्डा आदि जब्त कर लिया। अलवर प्रजामण्डल द्वारा अगस्त 1946 में सामंती सरकार की अकुशलता के परिणाम स्वरूप आम जनता की परेशानी की समस्या को लेकर गैर-जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन में भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही। कुछ सत्याग्रही जब सत्याग्रह में भाग लेने अलवर जा रहे थे तब वह में बैठे सत्याग्रहियों को पुलिस उतार कर ले गई और धाने में लाकर बैठा दिया, उनमें श्री मित्रसेन जैन भी थे। पुलिस ने जब आपको तथा आपके साधियों को अलवर जाने से रोकना चाहा तो इस बात पर काफी विवाद हो गया और आपने धाने में ही सत्याग्रह करने का निश्चय किया और धरने पर बैठ गए। इस घटना की खबर कस्बे तथा गांवों में लगी तो काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और धाने को धेर लिया। इससे धानेदार डर गया और आप लोगों को छोड़ दिया गया।

आप अलवर आकर सत्याग्रहियों के जत्थे में शामिल हो गए और लादिया गेट वाले कवर्ही गेट पर आपको सत्याग्रह करते हुए 28 अगस्त 1946 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस समय सामंती सरकार के जेल प्रशासन ने काफी उत्पीड़ित किया तथा यातनाएं दी। प्रजामण्डल और रियासती प्रशासन के समझौता स्वरूप अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको भी 2 सितंबर 1946 को रिहा कर दिया गया। श्री मिश्रसेन जैन को राज्य सरकार की ओर से ताप्र पत्र निल्ल है एवं पेंशन भी मिल रही है। आप तिजारा नगर पालिका के 1959-60 में अध्यक्ष रहे हैं तथा नगर पालिका के ग्राम पंचायत में परिवर्तित होने पर उसके सरपंच भी चुने गए।

मास्टर हरिनारायण सैनी

मास्टर हरिनारायण सैनी का जन्म अलवर शहर में कार्तिक बढ़ी पंचमी संवत् 1931 को हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हरलाल सैनी है। मास्टरजी को 10 बर्ष की आयु में पढ़ने के लिए शाला में भेजा गया। प्रारंभिक शिक्षा आपने मिशन स्कूल में प्राप्त की। आप छात्र जीवन में एक मेधावी छात्र रहे हैं। सन् 1944 में आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की तथा एम.ए. तक की शिक्षा प्राइवेट परीक्षाएं दे कर प्राप्त की।

मास्टर हरिनारायण सैनी जब कक्षा 8 के विद्यार्थी थे तब प्रमुख आर्य समाजी तथा राजनीति में रुचि रखने वाले श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा श्री दयाराम के सम्पर्क में सन् 1937-38 के आस पास आये और सन् 1940 में प्रजामण्डल की सदस्यता का फार्म श्री नर्थूराम मोदी जी सदस्यता अभियान में जुटे हुए थे को भरकर दे दिया और विधिवत सदस्यता ग्रहण कर ली। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करने के विरोध में देश व्यापी आंदोलन उड़ गया। अलवर में भी इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। स्कूलों-कॉलेजों में हड्डाल हुई। इन्हें भी इस भौके पर सक्रिय रूप से भाग लेने का मौका मिला। इस आंदोलन में कुछ अतिउत्साही छात्रों ने टेलीफोन आदि के तार काट दिए तथा लैटर बॉक्सों में आग लगा दी। इस आंदोलन के बाद तो मास्टर जी का प्रजामण्डल के कार्यालय में रोजाना जाने का नियम सा बन गया। श्री दयाराम भी इनके साथ जाया करते थे। सन् 1942 से 44 तक तो यह कार्यक्रम अनवरत चलता रहा। भा. हरिनारायण सैनी बालपन से ही जाति-पर्वती, छुआदृत आदि में विश्वास नहीं रखते हैं। गांधी जी के अद्भूतोद्घार कार्यक्रम के तहत 1944 से 1946 तक दो स्कूलों में हरिजन छात्रों को पढ़ाने का कार्य किया। दिन में 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक तो तीजकी मोहल्ला स्थित स्कूल में तथा रात को खदाना मोहल्ला के स्कूल में कक्षा आठ तक के हरिजन सेवक संघ नाम संस्था के तत्वाधान में चलाये जा रहे थे, जिसके श्री नारायण दत्त गुप्ता जनरल सैकेटी थे। स्कूल चलाने के लिए चन्दा भी इकट्ठा किया जाता था जिसमें से हरिजन बालकों को स्वच्छ रखने के लिए साथून य डेस उपलब्ध करायी जाती थी। सन् 1946 में हरिजन सेवक संघ द्वारा सुगना याई धर्मशाला के पास स्थित राम लक्ष्मण मंदिर में अन्नकूट के आयोजन में आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिसमें हरिजनों के साथ सबर्णों ने एक पंगत में बैठकर उनके हाथ का परोसा गया चावल, कढ़ी, बाजरा खाया। यह घटना अलवर शहर में एक क्रांतिकारी घटना थी। श्री नारायण दत्त गुप्ता तथा श्री रामानन्द अग्रवाल व श्री शार्ति स्वरूप ढाटा ने जब सर्वोदय प्रेस खोला सन् 1947 से 1951 तक स्वतंत्र भारत अखबार इस प्रेस में छपता था। इस अखबार के सम्पादक मा. भीलानाथ

थे और सहायक सम्पादक के रूप में मा. हरिनारायण सैनी कार्य किया करते थे। मा. भोलानाथ को तो अधिक समय नहीं मिलता था वे तो राजनैतिक गतिविधियों में लिस रहते थे और 5-7 अखबारों के भी संचादाता थे। वे सिर्फ नोट्स देते थे और सैनी जी उनकी खबर बना कर कम्पोज करवाते और छपवाते थे। इनको पूरी रात ही काम करना पड़ता था। मायाराम जी प्रातः आकर सभी अखबारों पर पते आदि लिख कर डिस्पैच का मारा काम किया करते थे। अन्य अखबारों में भी खबरें देनी होती थी। अतः मा. हरिनारायण सैनी तथा दयाराम जी उन खबरों की कार्बन से नकल करने का काम किया करते थे। स्वतंत्र भारत में काम करने तथा प्रजामण्डल के कार्यालय में नित्य प्रति जाने से सम्पादक की जानकारी हुई। आपने महावर नवजीवन कार्यालय में सहायक का कार्य का सम्पादन किया। यहाँ से आपको सम्पादन के कार्य का अनुभव तथा रुचि उपजी।

श्री फूलचन्द गोठड़िया तथा मा. हरिनारायण सैनी को इनके रचनात्मक कार्यों के कारण, प्रजामण्डल के हितों को ध्यान में रखते हुए, इनके चाहने पर भी कार्यकारिणी ने इन्हें गिरफ्तार होने के आदेश नहीं दिए। बल्कि भूमिगत रहते हुये भी पार्टी का कार्य करते रहने के निर्देश मिलते रहे और इन्होंने आज्ञाकारी सैनिक की तरह उनका पालन किया। श्री फूलचन्द गोठड़िया की जहाँ संगठनिक शक्ति तथा आंदोलन को गति देने की अपूर्व क्षमता थी वहीं मा. हरिनारायण सैनी में अखबार के माध्यम से जनता में प्रचार तथा आंदोलन में बाहर से आये जर्त्यों की सुख-सुविधां तथा एकत्रित करने और रखने की क्षमता थी। मा. हरिनारायण सैनी फरवरी 1946 तथा अगस्त 1946 के आंदोलनों के जमाने में सत्याग्रहियों को ठहराने की व्यवस्था करते उन्हें खाने के लिए गुड़ और चनों की व्यवस्था करते तथा पुलिस को भ्रम जाल में रखकर सत्याग्रहियों को सत्याग्रह के स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते थे। महिला सत्याग्रहियों को दूर दराज जंगलों में रोज़ की पुलिस द्वारा छोड़ने पर उनको वापिस लाने की व्यवस्था करते। महिला कार्यकर्ताओं के महाराजा से वार्ता के लिए विजय मंदिर जाते समय तांगे के साथ-साथ साईकिल से जाकर सत्याग्रहियों की व्यवस्था करते। इस कार्य में वे श्री गोठड़िया जी से विचार विमर्श किया करते थे। गोठड़िया जी के अस्पताल में भर्ती रहने के समय बिना नागा उनसे मिलते और सलाह प्रशंसित करते। सत्याग्रहियों को संख्या कम पड़ने पर मास्टर जी ने बर्फखाने के कुछ आदिमियों को नौकरी छुड़वा कर सत्याग्रह में भेजा जिनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान प्राप्त कर रहे हैं।

श्री रामजी लाल सैनी

श्री रामजी लाल सैनी का जन्म 30 अक्टूबर 1925 को ग्राम हरसौली में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री नवधूराम सैनी है। आपने कक्षा पांच तक शिक्षा प्राप्त की है। रामजी लाल सैनी को गढ़ीय आंदोलन तथा सामंती शासन के विरोध की प्रेरणा शोभाराम, लाला काशीराम, मा. भोलानाथ, कृपाद्याल माधुर एडवोकेट आदि के द्वारा मिली। आप दस वर्ष तक प्रजामण्डल के सदस्य रहे तथा 1943 से खादी पहनना प्रारंभ किया।

रामजी लाल सैनी गढ़ीय आंदोलन के दिनों में लाहौर में ग्राम दरबारपुर (अजरका) के एक एवं साहय की हलवाई की दुकान में नौकरी किया करते थे। आप जय 16-17 वर्ष के पै

तब वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार करने पर उन पर धुरी तरह पथराव किया और घायल कर दिया फलस्वरूप आपको गिरफ्तार कर लिया गया और ऋषिप्रजा कॉलेज लाहौर में आपको डाल दिया गया। जेल में आप पर अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये। आपका कहने कि लाहौर जेल से पं. जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिना तथा अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया। लाहौर जेल में आप 3 माह 15 दिन रहे। इस दौरान आपका बेरहमी से काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजन भी न दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल में भी रहे। लाहौर जेल से रिहा होने के बाद श्री रम लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये और सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध करने लगे।

अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरी कुछोड़े' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करने पर आपको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया और माफी मांगने के लिए मार-पीट और अत्याचार किए गये लेकिन आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 को रिहा किये गए।

श्री दलीप सिंह यादव

श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ हुआ। आपके पिताजी का नाम देवी सिंह है। आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को अपने प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपने 1945 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पहार प्रारंभ किया और आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

आप रोजी-रोटी की तलाश में भारतीय सेना में भर्ती हो गये थे। अंग्रेजों की पराजय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से रक्षणे के लिए प्रेरणा मिली और आप आजाद हिन्दू फौज में भर्ती हो गए। नेताजी की कमान में सिंगापुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके पश्चात सन् 1945 में अपने घर आ गए।

अपने घर आने पर आप शोभाराम, भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्री प्रसाद गुप्ता आदि सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से अलवर के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ने लगे। प्रजामण्डल के कार्यों में सक्रिय योगदान देने लगे। साथ में बहरोड़ तहसील के प्रभुदयाल डवा दुर्गाप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतराम यादव जिनकी उपनाम राजा मनोहर यादव हैं, धासीराम या गण्डाला ग्राम तथा चिरंजी लाल महाशय मांजरी खुर्द, नन्दराम यादव भूपसेड़ा, हरचन्द व शश महाशय भीटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, झावर यादव, हुड़िया खुर्द, मुरलीधर यादव श्री राम पण्डित आदि वहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड़ चाले रूपविहारी मंडल किसानों को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचारों के विरोध में खट्टा होने के लिए जारी करने का काम किया।

सामंती शासन में गरीब जनता की जब अत्याचार रहते-सहते कमर ही टूट गई तो मनवाने के लिए आंदोलन किया। जेल जाने पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला जाता

लेकिन आप सभी लोग जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी वब तक जेल में ही रहने का प्रयत्न लेते थे। अगर कोई साथी घबराकर दूटने लगता तो उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की गेटी उसे दे देते थे। होएलाल शास्त्री और अलवर महाराजा के समझौते के कारण सभी सत्याग्रहियों को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने पर अलवर की जनता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं से लाद दिया। जनता द्वारा ऐसा पार पाकर जेल की सभी यातनाओं का दर्द काफूर हो गया।

जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (वहरोड़) का निर्विरोध सरपंच चुन लिया। आज तक आप दरेज प्रधा विरोध, शहरव विरोध, नशीले पदार्थ सेवन विरोध करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा, बालिका शिखा, दलित एवं मजदूरों को शोषण मुक्ति जैसे कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं।

श्री तुलाराम जैन

श्री तुलाराम जैन का जन्म 11 अप्रैल, 1927 को तिजारा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हजारोलाल जैन है जो बोहरगत किया करते थे। आप एम.ए.बी.एड. हैं तथा व्याख्याता के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं। आपके दो बड़े भाई मनोहर लाल और मित्रसैन भी 1941 से ही प्रजामण्डल और उसके आंदोलनों से जुड़े रहे। इसके साथ ही राजपिंडी कॉलेज में अध्ययन करते हुए आप महावीर प्रसाद जैन के सम्पर्क में आये जो क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे थे। महावीर प्रसाद जैन की राष्ट्रीय भावना और साहसिक सूझ बूझ ने आप में एक नई शक्ति का संचार किया।

आपने सन् 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप खादी के इतने भक्त रहे कि सन् 1948 में अपनी शादी के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट बनवाया था। किन्तु 1950 के बाद एजकोय सेवा में आने के बाद यह सब छूट गया। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत कुछ अनोखा करने की इच्छा को लेकर गांधीजी के अद्वृतोद्धार आंदोलन के तहत अपने तिजारा कस्बे में दीवान घाले गावाजी के तिबारे पर सर्वजातीय फूलडोल सम्मेलन किया और बिना भेदभाव सब लोगों ने उनके हाथों से जलपान और ठंडाई ग्रहण की। अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आनंदोलन में भी आपने भाग लिया। 28 अगस्त 1946 को बिना किसी के कहे सुने सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो लादिया गेट पहचं कर नारे लगाना शुरू कर दिया।

बचपन के आदमियों की तो पुलिस पकड़ कर जेल से गई भगव विद्यार्थियों को एक ट्रक में भर कर सरिस्का के गहन बन में ले जाकर छोड़ा। जब मरजी से कोई नहीं उतरा तो थके देहर बाहर फेंक दिया गया।

30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रही जत्थे में शरीक हो गए। इस दिन आपको पकड़ कर केन्द्रीय कारगार में बन्द कर दिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार सर्जी की जा रही थी। सत्याग्रहियों पर लाठी, डंडों और धूतों की ठोकरों वा प्रदोग किया जाने सामाजिक विवरण के साथ मारपीट की जाती रहा इन्हें आतंकित।

तब वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार करने पर उन पर बुरे तरह पथराव किया और उन्हें धायल कर दिया फलस्वरूप आपको गिरफतार कर लिया गया और ऋषियाज कॉलेज लाहौर जेल में आपको डाल दिया गया। जेल में आप पर अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये। आपका कहना है कि लाहौर जेल से पं. जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया। लाहौर जेल में आप 3 माह 15 दिन रहे। इस दौरान आपको बेरहमी से काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल में भी रहे। लाहौर जेल से रिहा होने के बाद श्री रामजी लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये और सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध करने लगे।

अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करने पर आपको पकड़ कर जेल में डाल दिया गया और माफी मांगने के लिए मार-पीट और अत्याचार किए गये लेकिन आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 को रिहा किये गए।

श्री दलीप सिंह यादव

श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ में हुआ। आपके पिताजी का नाम देवी सिंह है। आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपने 1945 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पहनना प्रारंभ किया और आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

आप रोजी-रोटी की तलाश में भारतीय सेना में भर्ती हो गये थे। अंग्रेजों की पराजय पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से मुक्त कराने के लिए प्रेरणा मिली और आप आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए। नेताजी की कमाण्ड में सिंगापुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके पश्चात सन् 1945 में अपने घर आ गये।

अपने घर आने पर आप शोभाराम, भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्री प्रसाद गुप्ता आदि के सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से अलवर के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ने लगे। प्रजामण्डल के कार्यों में सक्रिय योगदान देने लगे। साथ में बहरोड़ तहसील के प्रभुदयाल डवानी, दुर्गाप्रसाद, गंगासहाय, सम्पतराम यादव जिनकी उपनाम राजा मनोहर यादव हैं, धासीराम यादव गण्डाला ग्राम तथा चिरंजी लाल महाशय मांजरी खुर्द, नन्दराम यादव भूपसेड़ा, हरचन्द व झूथा महाशय भीटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, झावर यादव, हुड़िया खुर्द, मुरलीधर यादव, श्री राम पण्डित आदि व्यक्ति से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड़ वाले रूपविहारी माथुर व कैलाश माथुर के साथ गांव-गांव घूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया तथा मजदूर किसानों को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचारों के विरोध में खड़ा होने के लिए जागृत करने का काम किया।

सामंती शासन में गरीब जनता को जब अत्याचार सहते-सहते कमर ही टूट गई तो मांगे मनवाने के लिए आंदोलन किया। जेल जाने पर माफी मांगने के लिए दवाव डाला जाता था

लेकिन आप सभी लोग जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी तब तक जेल में ही रहने का प्रण लेते थे। अगर कोई साथी घवराकर दूटने लगता तो उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की रेटी उसे दे देते थे। हीरालाल शास्त्री और अलबर महाराजा के समझौते के कारण सभी सत्याग्रहियों को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने पर अलबर की जनता ने यहां जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं से लाद दिया। जनता द्वारा ऐसा प्यार पाकर जेल की सभी यातनाओं का दर्द काफूर हो गया।

जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (बहरोड़) का निर्विरोध सरपंच चुन लिया। आज तक आप दरेज प्रथा विरोध, शराब विरोध, नशीले पदार्थ सेवन विरोध करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा, बालिका शिक्षा, दलित एवं मजदूरों को शोषण मुक्ति जैसे कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं।

श्री तुलाराम जैन

श्री तुलाराम जैन का जन्म 11 अप्रैल, 1927 को तिजारा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हजारीलाल जैन है जो बोहरगत किया करते थे। आप एम.ए.बी.एड. हैं तथा व्याख्याता के पद से सेवा निवृत्त हुए हैं। आपके दो बड़े भाई मनोहर लाल और मित्रसैन भी 1941 से ही प्रजामण्डल और उसके आंदोलनों से जुड़े रहे। इसके साथ ही राजपिंडी कॉलेज में अध्ययन करते हुए आप महावीर प्रसाद जैन के सम्पर्क में आये जो क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे थे। महावीर प्रसाद जैन की राष्ट्रीय भावना और साहसिक सूझ बूझ ने आप में एक नई शक्ति का संचार किया।

आपने सन् 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप खादी के इतने भक्त रहे कि सन् 1948 में अपनी शादी के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट बनवाया था। किन्तु 1950 के बाद राजकीय सेवा में आने के बाद यह सब छूट गया। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत कुछ अनोखा करने की इच्छा को लेकर गांधीजी के अछूतोद्धार आंदोलन के तहत अपने तिजारा कस्बे में दोबान वाले बाबाजी के तिवारे पर सर्वजातीय फूलडोल सम्मेलन किया और बिना भेदभाव सब लोगों ने उनके हाथों से जलपान और ठंडाई ग्रहण की। अगस्त 1946 में अलबर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में भी आपने भाग लिया। 28 अगस्त 1946 को बिना किसी के कहे सुने सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो लादिया गेट पहंच कर नारे लगाना शुरू कर दिया।

वयस्क आदमियों की तो पुलिस पकड़ कर जेल ले गई मगर विद्यार्थियों को एक ट्रक में भर कर सरिस्का के गहन बन में ले जाकर छोड़ा। जब मरजी से कोई नहीं उतरा तो धक्के देकर बाहर फेंक दिया गया।

30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रही जत्थे में शरीक हो गए। इस दिन आपको पकड़ कर केन्द्रीय कारगार में बन्द कर दिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती की जा रही थी। सत्याग्रहियों पर लाठी, डंडों और बूटों की ठोकरों का प्रयोग किया जाने लगा था। जेल में लोगों के साथ मारपीट की जाती तथा इन्हें आतंकित किया जाता ताकि वे माफी मांग कर चले जायें।

तब वहां दो अंग्रेज अफसरों के दुर्व्यवहार करने पर उन पर युरी तरह पथराव किया और उन्हें घायल कर दिया फलस्वरूप आपको गिरफ्तार कर लिया गया और प्रध्यपिराज फॉलोज लाहौर जेल में आपको छाल दिया गया। जेल में आप पर अंग्रेजों ने बड़े अत्याचार किये। आपका कहना है कि लाहौर जेल से पं. जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य अग्रणी नेताओं के हस्तक्षेप पर आपको रिहा किया गया। लाहौर जेल में आप 3 माह 15 दिन रहे। इस दौरान आपको वेरहमी से काल कोठरी में बन्द कर दिया जाता। भर पेट भोजन भी नहीं दिया जाता था। आप 15 दिन अस्पताल में भी रहे। लाहौर जेल से रिहा होने के बाद श्री रामजो लाल सैनी अपने गांव वापिस आ गये और सामंती शासन के अत्याचारों का विरोध करने लगे।

अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करने पर आपको पकड़ कर जेल में छाल दिया गया और माफी मांगने के लिए मार-पीट और अत्याचार किए गये लेकिन आप विचलित नहीं हुए। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से 2 सितम्बर 1946 को रिहा किये गए।

श्री दलीप सिंह यादव

श्री दलीप सिंह यादव का जन्म 10 सितम्बर 1921 के ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड़ में हुआ। आपके पिताजी का नाम देवी सिंह है। आप नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपने 1945 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पहनना प्रारंभ किया और आज भी आप खादी ही पहनते हैं।

आप रोजी-रोटी की तलाश में भारतीय सेना में भर्ती हो गये थे। अंग्रेजों की पराजय पर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषणों से प्रभावित होकर आपको अपने मुल्क को गुलामी से मुक्त कराने के लिए प्रेरणा मिली और आप आजाद हिन्दू फौज में भर्ती हो गए। नेताजी की कमाण्ड में सिंगापुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके पश्चात सन् 1945 में अपने घर आ गये।

अपने घर आने पर आप शोभाराम, भोलानाथ, भवानी सहाय, बद्री प्रसाद गुप्ता आदि के सम्पर्क में आये और उनकी प्रेरणा से अलवर के राजनीतिक आंदोलनों से जुड़ने लगे। प्रजामण्डल के कार्यों में सक्रिय योगदान देने लगे। साथ में बहरोड़ तहसील के प्रभुदयाल डवानी, दुर्गाप्रसाद, गंगासहाय, सम्पत्तराम यादव जिनकी उपनाम राजा मनोहर यादव है, धासीराम यादव गण्डाला ग्राम तथा चिरंजी लाल महाशय मांजरी खुर्द, नन्दराम यादव भूपसेड़ा, हरचन्द व दूर्योश महाशय भीटेड़ा, सुखदेव यादव, गगन सिंह यादव, झावर यादव, हुड़िया खुर्द, मुरलीधर यादव, श्री राम पण्डित आदि बहुत से देश भक्त नेताओं के साथ तथा बहरोड़ चाले रुपबिहारी माथुर व कैलाश माथुर के साथ गांव-गांव घूमकर प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया तथा भजदूर किसानों को जागरूक किया सामंती शासन के अत्याचारों के विरोध में खड़ा होने के लिए जागृत करने का काम किया।

सामंती शासन में गरीब जनता की जब अत्याचार सहते-सहते कमर ही ढूट गई तो मार्गे मनवाने के लिए आंदोलन किया। जेल जाने पर माफी मांगने के लिए दबाव डाला जाता था

लेकिन आप सभी लोग जब तक भारत को आजादी नहीं मिलेगी तब तक जेल में ही रहने का प्रण सेते थे। अगर कोई साधी घबराकर टूटने लगता तो उसे दिलासा देते थे तथा अपने हिस्से की रोटी उसे दे देते थे। हीरालाल शास्त्री और अलवर महाराजा के समझौते के कारण सभी सत्याग्रहियों को 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा किया गया। जेल से रिहा होने पर अलवर की जनता ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। जगह-जगह फूल मालाओं से लाद दिया। जनता द्वारा ऐसा प्यार पाकर जेल की सभी यातनाओं का दर्द काफूर हो गया।

जनता ने आपको ग्राम गण्डाला (वहरोड़) का निविंरोध सरपंच चुन लिया। आज तक आप दहेज प्रथा विरोध, शराय विरोध, नशीले पदार्थ सेवन विरोध करते हुए समाज की सेवा कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा, बालिका शिखा, दलित एवं मजदूरों को शोषण मुक्ति जैसे कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं।

श्री तुलाराम जैन

श्री तुलाराम जैन का जन्म 11 अप्रैल, 1927 को तिजारा में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री हजारीलाल जैन है जो घोहरगत किया करते थे। आप एम.ए.बी.एड. हैं तथा व्याख्याता के पद से सेवा निवृत हुए हैं। आपके दो बड़े भाई मनोहर लाल और मित्रसैन भी 1941 से ही प्रजामण्डल और उसके आंदोलनों से जुड़े रहे। इसके साथ ही राजर्षि कॉलेज में अध्ययन करते हुए आप महावीर प्रसाद जैन के समर्क में आये जो क्रांतिकारी दल के सदस्य रहे थे। महावीर प्रसाद जैन की राष्ट्रीय भावना और साहसिक सूझ बूझ ने आप में एक नई शक्ति का संचार किया।

आपने सन् 1945 से खादी पहनना प्रारंभ किया था। आप खादी के इतने भक्त रहे कि सन् 1948 में अपनी शादी के अवसर पर भी शुद्ध खादी का सूट बनवाया था। किन्तु 1950 के बाद ऐकीय सेवा में आने के बाद यह सब छूट गया। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत कुछ अनोखा करने की इच्छा को लेकर गांधीजी के अछूतोदार आंदोलन के तहत अपने तिजारा कस्बे में दीवान बाले बावाजी के तिबारे पर सर्वजातीय फूलडोल सम्मेलन किया और बिना भेदभाव सब लोगों ने उनके हाथों से जलपान और ठंडाई ग्रहण की। अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी आपने भाग लिया। 28 अगस्त 1946 को बिना किसी के कहे सुने सत्याग्रही जत्थे में शामिल हो लादिया गेट पहंच कर नारे लगाना शुरू कर दिया।

वर्यस्क आदमियों की तो पुलिस पकड़ कर जेल ले गई मगर विद्यार्थियों को एक ट्रक में भर कर सरिस्का के गहन बन में ले जाकर छोड़ा। जब मरजी से कोई नहीं उतरा तो धके देकर बाहर फेंक दिया गया।

30 अगस्त 1946 को तीसरे दिन आप फिर सत्याग्रही जत्थे में शरीक हो गए। इस दिन आपको पकड़ कर केन्द्रीय कारागार में बन्द कर दिया गया। प्रशासन की ओर से लगातार सख्ती की जा रही थी। सत्याग्रहियों पर लाठी, डंडों और बूटों की ठोकरों का प्रयोग किया जाने लगा था। जेल में लोगों के साथ मारपीट की जाती तथा इन्हें आरंकित किया जाता ताकि वे माफी मांग कर चले जायें।

मगर आप टृटे नहीं समाचार सुनकर आपके पिताजी आपको कपड़े देने के बहाने जेल में आये तो उन्होंने कहा कि यहां आ गए सो तो ठीक है मगर माफी मांग कर मत आना। इससे आपका साहस और भी दृढ़ हो गया। 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको भी जेल से रिहा कर दिया गया। श्री तुलाराम जैन इसे अपना दुर्भाग्य ही मानते हैं कि उन्हें मात्र तीन दिन ही जेल में रहने का अवसर मिला। आपको ताम्र-पत्र भी मिला है और पेशन भी मिल रही है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्ता

श्री लक्ष्मी नारायण का जन्म सन् 1926 में ग्राम बुर्जा में हुआ। आपके पिता का नाम स्व. श्री रामचन्द्र मोदी है। आपने यशवंत स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। राष्ट्रीय आनंदोलन से जुड़ने एवं सामंती शासन का विरोध करने में ये श्री भाया राम को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आप उनके सम्पर्क में आये और प्रजामण्डल के कार्य करने लग गये। आपने प्रजामण्डल के प्रचार-प्रसार में भारी योगदान किया। उमरेण थानागाजी आदि क्षेत्रों में श्री घासीराम के साथ प्रसार के लिए जाया करते थे। तब आपको जागीरदारों के लोगों द्वारा डराया-धमकाया जाता था मगर आप उससे विचलित नहीं होते थे। आप राजगढ़ भी उस समय उपस्थित थे जब वहाँ की तहसील से सामन्ती शासन का झण्डा उतारा गया जो देश की आजादी तक दुवारा नहीं लग सका। गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आनंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। लादिया गेट वाले दरवाजे से कच्चहरी परिसर की ओर सत्याग्रहियों के साथ जेय में मुट्ठी भर चने भर कर आप भी जाते थे। पहले तो आप को दूर जंगलों में ही अन्य लड़कों के साथ पुलिस छोड़ती रही। एक बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस दूर छोड़ तो आई मगर उनके दल को यापिस आने के कोई साधन नहीं मिला। भूखे-प्यासे जैसे-तैसे ये लोग अकबरपुर पहुंचे। अकबरपुर में फर्म प्रभुदयाल मिश्रीलाल के श्री मिश्रीलाल ने सबको खाना खिलाया और फिर यातायात का साधन उपलब्ध करवा कर अलवर पहुंचाया। अलवर आकर दूसरे दिन भी फिर सत्याग्रह में शामिल हो गये तो गिरफ्तार कर लिए गये। जेल में खाना सही न मिलने पर 2-3 दिन की भूख हड़ताल रखी। डाक्टर ने बहुत कहा कि दूध ले लो वर्ना मर जाओगे मगर आपने कहा कि जब अन्य साथी खायेंगे तो वह भी खायेंगे।

आखिर समझौता हुआ, खाना ठीक ढंग का मिलने लगा तब ही आपने भी अन्य साथियों के साथ खाना प्रारंभ किया। आप जेल में 3-4 दिन रहे। अन्य साथियों के साथ आप भी जेल से बाहर आये।

श्री भवानी सहाय

श्री भवानी सहाय का जन्म कार्तिक माह विक्रम संवत् 1976 में ग्राम माजरी खुर्द तहसील घहरोड़ में हुआ। आपके पिता का नाम श्री सुलतान सिंह था। आपने सन् 1944 में प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की तथा तब से ही खादी पहनना प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आनंदोलन से जुड़ने और सामंती सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा आपको श्री शोभाराम एवं मास्टर भोलानाथ से मिली। आप इन दोनों के सम्पर्क में आये और देश को आजाद कराने एवं

राज्य की सामंती सरकार के शोषण एवं अत्याचार से जनता को मुक्त कराने की मन में ठान ली। इस उद्देश्य को लेकर आप गांव-गांव में घूमे। हाथ में तिरंगा झण्डा लेकर भहात्मा गांधी की जय बोलते हुए जब आप गांवों में जाते तो आपको जागीरदारों के आदमियों से भी विरोध का सामना करना पड़ता। गांवों के लोग जागीरदारों के आदमियों से दहशत खाते थे।

जब अलवर राज्य में राज्य के अकुशल य भ्रष्ट अधिकारियों एवं मिनिस्टरों के कारण मेहंगाई और कालाबाजारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी तो अलवर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने भी खुलकर हिस्सा लिया और सत्याग्रही जत्थे में शरीक होकर आंख में गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। यह आंदोलन 26 अगस्त 1946 से प्रारंभ हुआ था। जेल में रहकर भी आपको अनेक यातनाएं सहन करनी पड़ी। आपको सुबह शाम अन्य सत्याग्रहियों के साथ पंक्ति में बैठा दिया जाता और माफी मांगने के लिए दबाव डाला जाता। माफी मांगने से इंकार करने पर ढंडों से पिटाई की जाती। यह क्रम जब तक जेल में रहे निरन्तर चलता रहा। 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से मुक्त किये गये। श्री भवानी सहाय ने अलवर की बहरोड़ तहसील में जगह-जगह प्रजामण्डल की स्थापना में सहयोग दिया, स्वतंत्रता आंदोलन तथा सामंत विरोधी आंदोलन की गति देने के लिए आपने चंदा एकत्र करने तथा दूध, धी, अनाज आदि के माध्यम से सहायता की तथा गांव-गांव धूमकर जनता में धूआढूत एवं ऊंच-नीच का भेदभाव समाप्त कर सभी लोगों को विना किसी वर्ग भेद के एक मंच पर एकत्रित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। आपने अपना अधिकतर समय उस कार्य के लिए ही अर्पित किया है। आपकी सेवायें विशेष रूप से सराहनीय रही हैं। श्री भवानी सहाय को राज्य सरकार से पेंशन मिल रही है।

श्री कृष्णचन्द्र खण्डेलवाल

श्री कृष्णचन्द्र खण्डेलवाल का जन्म कटूमर तहसील लक्ष्मणगढ़ में 14 अगस्त 1918 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री भूराताल है। जो भूरजी पोद्वार दादा के नाम से जाने जाते थे। आपका मोदी परिवार क्षेत्र में नामी परिवार है तथा आपके दादा मुंशी जुगलकिशोर बड़े ख्यातनाम व्यक्ति रहे हैं। आपको बचपन में किशन कहकर दुलाया जाता था।

आपके दादा और पिता राज्यसेवा में रहे थे। आपके दादा मुंशीजी के देहावसान के पश्चात आपके पिताजी व्यवसाय और खेती में संलग्न रहे। आपने प्रारम्भ में चटशाला में गुरुजी से शिक्षा ली तथ्यक्षात् सरकारी स्कूल में पढ़े।

सन् 1933 में 18 वर्ष की आयु में विद्या अध्ययन के लिए आप अलवर आ गए। पहले प्राइवेट तत्पक्षीत राजकीय मिडिल स्कूल में प्रवेश लिया। अलवर के बरिष्ठ कांग्रेसी मोदी कुंजविहारी आपके रिश्ते में चाचा लगते थे। उनके पास ही आप रहे। यहां पहले से ही आपके बड़े भाई द्वारका प्रसाद भी पढ़ते थे जो प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे थे और इस ही क्रम में जेल भी गये थे। चूंकि मोदी कुंजविहारी लाल अलवर के प्रतिष्ठित कांग्रेसी नेता थे, इस कारण श्री कृष्णचन्द्र पर भी इसका असर पड़ा और आपने भी राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना प्रारम्भ किया। जब आप मिडिल कक्षा में पढ़ते थे तब आपका सम्मर्क कई ऐसे

साधियों से रहा जो जन जागरण और राष्ट्रीय आनंदोलन की विशेष चर्चा किया करते थे। इनमें श्री कृष्ण चरण मित्तल आपके विशेष सहयोगी रहे। आप और आपके साथी मित्तल तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कर्नल सी. डब्ल्यू. एल. हार्वे की 'टू पेट्रियोट' के नाम से गुमनाम पत्र लिखते। इन पत्रों में राज्य की स्थिति जनता के काटों, अभावों का विवरण होता था। इस कार्य में राजर्यिं कॉलेज के मास्टर नन्दकिशोर तथा मास्टर विशाम्भर दयाल आपका सहयोग करते थे। इन पत्रों का प्रेषण काफी समय तक रहा। पत्रों को पढ़कर हार्वे की इच्छा मिलने को हुई। पत्र द्वारा मिलने की सूचना व समय लिया और उनकी कोठी पर जाकर बातों की। इसके बाद पत्रों का सिलसिला बन्द हो गया। श्री कृष्ण चन्द्र खण्डेलवाल का सम्पर्क विशेष रूप से मास्टर लक्षण स्वरूप त्रिपाठी, मास्टर वंशीधर शर्मा से रहा। आपने 'नवहिन्द पार्टी' का भी गठन किया और इसके माध्यम से प्रशासन को सदा भयाक्रान्त रखा। आपकी रुचि क्रांतिकारी कार्यों की रही है। इसके लिए खासतौर से कृष्ण चन्द्र शर्मा, हीरालाल, श्रीराम शर्मा का गहरा साथ रहा। आपने और आपके साधियों ने अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एकान्त स्थान की खोज में पहाड़ों में घूमना शुरू किया और अन्ततः भूरासिंह के पहाड़ों में एक गुफा मिल गई जिसे अनुकूल बनाने में काफी समय लगा।

आपने अगस्त 1942 की क्रान्ति में सक्रिय भाग लेने का निर्धय किया। रेल की पटरियां उड़ाड़ने, पोस्ट ऑफिसों में आग लगाने के लिए नये साधियों की भर्ती की गई। कुछ पकड़े गये और शेष भूमिगत हो गए। श्री कृष्णचन्द्र खण्डेलवाल भी आगरा पहुंच कर एक वैश्य होस्टल में भर्ती हो गए जहां आप थीमार हो गए। वहां से भरतपुर चले गए और गांवों में भ्रमण करने लगे। आपके बड़े भाई के निधन के कारण आपको अलवर आना पड़ा और स्वंयं को पुलिस के हवाले कर दिया। मुकदमा चला किन्तु पुलिस ने केस वापिस लै लिया। श्री कृष्ण चन्द्र खण्डेलवाल को अभी पिछले दिनों राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सम्मान पेंशन स्वीकार की है तथा ताप्र-पत्र से सम्मानित किया है।

आपने मोदी कुंज विहारी लाल का 'अलवर पत्रिका' तथा 'खण्डेलवाल जगत' पत्रिकाओं के सम्पादन में हाथ यटाया तथा स्वतंत्र हिन्दी मासिक 'महिला जागृति' का प्रकाशन व सम्पादन किया। अलवर राज्य समाजवादी पार्टी का गठन कर राज्य संगठन के मंत्री रहे। बाद में यह संगठन प्रजा समाजवादी पार्टी में परिणत हो गया।

श्री प्रभुदयाल यादव

मंत्री जी के नाम से ख्याति प्राप्त श्री प्रभुदयाल यादव का जन्म संवत् 1970 के कार्तिक मास (सन् 1913) में ग्राम डवानी, पोस्ट बूढ़ावाल, तहसील बहरोड़ जिला अलवर में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री रामलाल यादव है। वैसे तो छात्र जीवन में ही श्री प्रभुदयाल यादव अंग्रेजों एवं सामन्ती अत्याचारों की घटनाएं पढ़ सुन कर ही कुछ कर गुजरने को कसमसाते रहते थे लेकिन जय ये अलवर के अग्रणी नेता श्री शोभाराम के सम्पर्क में आये तो उनको अपना राजनैतिक गुरु मानकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े उनके निर्देशन में कार्य करने लगे।

सन् 1937 में प्रान्तीय परिषदों के चुनाव के समय प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण की। देहाती वातावरण में गरीब लोग वैसे ही हाथ करधा द्वारा खादी(दोवटी) घर पर ही बुनकर पहना

करते थे सो आप बचपन से ही खादी पहनते थे किन्तु गांधीजी के स्वदेशी आंदोलन के पश्चात तो आपने खादी पहनना अपने जीवन के लिए अनिवार्य कर लिया। आपने गांव-गांव घूम-घूम कर अंग्रेजों एवं राजाशाही के अत्याचारों के विरुद्ध जनजागरण हेतु सम्मेलन व जलसे आदि किए। इस समय अंग्रेजों तथा राजाशाही के डर से गांवों में घुसने ही नहीं दिया जाता था। कहीं-कहीं तो खाना छोड़ पानी भी डर के मारे कोई नहीं पिलाता था। तहसील मुण्डावर के ग्राम पद्माड़ा में एक नम्बरदार को रियासत के एक तहसीलदार ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का आरेप लगाकर गिरफ्तार कर लिया और उसकी एक आंख भी फोड़ दी गई। श्री शोभाराम के नेतृत्व में सैंकड़ों कार्यकर्त्ताओं ने आंदोलन किया और नम्बरदार को छुड़वाया जिसमें आपभी थे। आप को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने तथा जानकारी का इतना शौक था कि पंजाब प्रान्त की नाभा रियासत के गांव रिवाड़ी में कांग्रेस के मशहूर नेता शौकत अली व नियाकत अली को सुनने के लिए 50 किलोमीटर पैदल ही गए। अली बंधु तो नहीं आए पर सभा को अन्य नेता श्री मनोहर लाल सक्सेना ने सम्बोधित किया। तत्कालीन पंजाब प्रान्त की नाभा रियासत का एक गांव कांटी 'जो अब हरियाणा की अटेली मण्डी के पास है उसको ही अलवर रियासत के प्रजामण्डल का एक शिविर बनाया गया। यह स्थान बहरोड़ के पास लगता है। अलवर रियासत जब कोई अंकुश लगाती थी तो यहां से ही रणनीति बनाई जाती थी।

वहां पर लोगों के खाने पीने और कार्य कलापों का भार श्री प्रभुदयाल के ताऊ प्रहलाद जी जो भागत जी के नाम से जाने तो थे संभालते थे। कार्यकारिणी के अन्य सदस्य जिनमें प्रमुखतया श्री श्याम मनोहर शर्मा, रामेश्वर राजपूत और डाक्टर उमराव सिंह आदि कांटी के ही थे। पंडित रूपनारायण दोसोद तहसील मुण्डावर और हरचंद महाशय गांव भीटैड़ा के भी थे। कांटी की एक धर्मशाला कार्य कलापों का स्थान थी। डाक्टर उमराव सिंह सत्याग्रहियों का उपचार करते थे।

आपको एक बार नारनौल जेल में भेजने के लिए गिरफ्तार कर लिया पर जेल के दरवाजे पर लाकर अज्ञात कारणों से छोड़ दिया गया। दूसरी बार गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसौं छोड़ो आंदोलन में जो अलवर प्रजामण्डल द्वारा अगस्त 1946 में चलाया था, आप 27 अगस्त 1946 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। आप अन्य सत्याग्रहियों के साथ रिहा किए गए। श्री प्रभुदयाल यादव को जेल भेज दिए जाने पर काफी कष्ट सहने पड़े। आपको नंगा कर तपती फर्श पर भरी दोपहरी में लिटाया गया और बड़ी निर्ममता से कोड़े बरसाए गए जिससे चमड़ी तक उथड़ गई। फिर सीधा खड़ा कर हाथों को आगे पसरवाकर दोनों हाथों पर चक्की के पाठ रख दिए। गिरने पर फिर डण्डे कोड़े बरसाये। आपकी चोटें देखकर श्री हीरालाल शास्त्री काफी दुखी हुए। उन्होंने जेल अधीक्षक को काफी डांटा वे बाद में दुखी हुए।

पंडित अनन्तराम शर्मा

पंडित अनन्तराम शर्मा का जन्म 10 अगस्त 1924 को गांव खोहरा (मलायली) तहसील सक्षमणगढ़ में हुआ। आपके पिता का नाम श्री श्रवणलाल शर्मा है। आपने प्रारंभिक शिक्षा ग्राम खोहरा में पाई तथा लक्ष्मणगढ़ में मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

आपके पिता गांव खोहरा में जागीदार के खेत पर खेती कर जीविकोपार्जन करते थे। अनन्त राम के बाल मन पर आपके पिता एवं अन्य किसानों पर किये जाने वाले जुल्मों का भारी असर पड़ा तथा जागीदार व सामंत विरोधी भावनाएं इनमें भरती चली गई और दसवीं कक्षा की परीक्षा की प्राइवेट तैयारी में लगे। अनन्तराम के मन में प्रतिशोध की भावनायें उभरने लग गईं।

आप सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए किन्तु ग्रामीय भावना में ओत-प्रोत आपके मन को शांति नहीं मिली। आप स्कूल में भी 'विश्वामित्र' तथा 'अर्जुन' अखबारों में से देश में चल रही अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों के छपे समाचारों को पढ़ कर उनमें चेतना पैदा करते रहे। फलस्वरूप आपकी इन गतिविधियों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखा गया और आपने नौकरी छोड़ कर राजनीति में सक्रिय भाग लेकर देश की सेवा करने का दृढ़ निश्चय किया। ग्राम खोहरा में प्रजामण्डल की एक आम सभा का आयोजन किया गया जिसमें अलवर प्रजामण्डल से शोभाराम, रामजी लाल अग्रवाल, फूलचंद गोठड़िया आदि वडे नेता गए थे। इन नेताओं ने जागीरदारी प्रथा के विरोध में ओजस्वी भाषण दिया। इस सभा की अध्यक्षता पंडित अनन्तराम शर्मा ने की। शर्मा द्वारा गांव में प्रजामण्डल की सभा कराने, अलवर से नेताओं को घुलाने तथा सभा की अध्यक्षता करने पर जागीर के अधिकारियों ने इन्हें कारत की जमीन देने से इकार करने के साथ-साथ गांव से निकल जाने के आदेश दे दिये।

अनन्त: अनन्त राम शर्मा को अपना गांव छोड़ा पड़ा और अपने परिवार को लेकर अलवर आ गए। अलवर में टोली का कुआं मोहस्ते में उस मकान में रहने लगे जिसमें रामजीलल अग्रवाल, फूलचंद गोठड़िया आदि रहते थे। ग्राम खेड़ा मंगलसिंह में 2 फरवरी 1946 को आयोजित होने वाली सभा में भाग लेने के लिए 1 फरवरी 1946 को खादी भण्डार के सामने टक खड़ा कर श्री फूलचंद अलवर से और कार्यकर्ताओं लाला काशीराम, पृथ्वीनाथ भार्गव बकील आदि को लेने आये थे आप भी उनके साथ खेड़ा मंगल सिंह गए। रात में ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तथा दो तारीख की सभा को गैर कानूनी करार देकर नहीं करने देने के इरादे से मजिस्ट्रेट रामचन्द्र हरित वहां पर मौजूद रहे। साथ में भारी पुलिस फोर्स भी थी। मार हजारों की संख्या में किसानों को उपस्थिति देखकर मजिस्ट्रेट की हिम्मत सभा को गैरकानूनी घोषित करने की नहीं हुई।

सभा 2 फरवरी को निश्चित समय पर जिसकी अध्यक्षता पृथ्वी नाथ भार्गव बकील ने की, हुई जिसमें अनन्त राम शर्मा ने भी उस जन्म में भाषण दिया। अनन्त राम शर्मा ने प्रजामण्डल द्वारा चलाये गये अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसी छोड़ो' आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गए, जहां से 2 सितम्बर 1946 को रिहा किये गए। अनन्तराम शर्मा ने मत्त्य संघ घनने पर वारा लैवर सहकारी समिति का गठन किया और पत्थर मजदूरों को शोषण से मुक्ति दिलाई। आपने सहकारी क्षेत्र में भी काम किया और छह वर्ष तक भूमि विकास धंक के चेयरमैन रहे।

श्री छगन लाल सोनी

श्री छगन लाल सोनी का जन्म फरवरी 1926 को मुवारिकपुर में हुआ। आपके पिता जीया का नाम श्री मुवारिकपुर है। सामन्ती शासन के अत्याचारों के अमानुपी व्यवहार ये

गांव के निर्पन, अद्यूत, किसानों के प्रति देख-देख कर आपके मन में विद्यार्थी जीवन से ही आक्रोश उमड़ता रहता था। बार फण्ड के विरोध में जनता को जागृत करने के लिए रामगढ़ में सभा आयोजित की गई जिसमें अलबर के प्रमुख नेता श्री शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल श्री फूलचन्द याँहरा अनेक नेता आये थे। उनके भाषणों की भीटिंग के बाद उस दिन ही प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण कर ली।

प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्री छगनलाल सोनी ने इसकी सदस्य संख्या बढ़ाने का ग्रत लिया जिसके लिए आप अपने सहयोगी श्री मक्खन लाल जैन, किरोड़ी लाल, उमराव लाल आदि के साथ-साथ गांव-गांव में जाकर प्रचार-प्रसार करने लगे।

अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो' आन्दोलन जो अलबर प्रजामण्डल द्वारा आयोजित किया गया उसमें भी आपने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आप सत्याग्रहियों के जात्यों में शामिल होने लगे। कई दिन तो पुलिस आपको पकड़-पकड़ कर दूर जंगलों में छोड़ती रही। एक बार तो सरिस्का धाटी से पैदल ही चलकर आये और दूसरे दिन फिर सत्याग्रह में शामिल हो गए। पुलिस द्वारा अश्व गैस के गोले छोड़े गए थे जिसका एक गोला तो आपकी जांघ में लगा जिसका निशान आज भी मौजूद है। लादिया गेट पर सत्याग्रह करते हुए, आपको पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया।

जेल में भी आपको अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। जोरावर सिंह उन दिनों जेल पर थे। माफी मांगने के लिए मारपीट कर मजबूर करते, मगर आपने माफी नहीं मांगी। जेल में खराब खाना दिये जाने पर आपने अन्य सत्याग्रहियों के साथ भूख हड्डताल कर दी, जिसके कारण आपको काल कोठरी में डाल दिया गया जहां आप कई दिनों तक रहे। जब खाना ठीक मिलने लगा तभी आपने अपनी भूख हड्डताल तोड़ी। अन्ततः 2 सितम्बर 1946 को अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी रिहा किए गए।

श्री मुरली

श्री मुरली का जन्म ग्राम दरबारपुर में हुआ। आपकी आयु 80 वर्ष के लगभग है। आपके पिता का नाम झण्डूराम था। गांव में कोई स्कूल न होने के कारण आप कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। रोजो-रोटी के लिए सन् 1940 में इण्डियन आर्मी में भर्ती हो गए। मात्र 15 रु. माहबार पर आप अंग्रेजों की तरफ से जापान के विरुद्ध लड़ने के लिए सिंगापुर अपनी बटालियन के साथ भेजे गये।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए आई. एन. ए. अर्थात् आजाद हिन्द फौज का निर्माण प्रारम्भ हुआ। अपने देश को अंग्रेजों के पंजों से मुक्त कराने के लिए आप भी अपनी भर्जी से आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने लगे। फौज को जापान की तरफ से काफी सहायता प्रदान की गई थी। हिन्दुस्तानियों के दिल में अपने मुल्क को आजाद कराने का जोश था। वह फतह का डंका यजाती हुई देश के आजाद होने का स्वप्र साकार करने के लिए विजय पर विजय प्राप्त कर रही थी कि तभी एक अफसर के अंग्रेजों से सांठ-गांठ करने और तमाम सैनिक ठिकानों, गोला वाल्द के गोदामों का

राज बताने के कारण वह सपना चकनाचूर हो गया और अंग्रेजों ने जापान पर अंधाधुंध गोलारामी प्रारम्भ कर दी। जापान की हार हो गई। आजाद हिन्द फौज के सैनिक घंटी बना लिए गये जिनमें श्री मुरली भी थे। अंग्रेजों ने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों पर घड़े जुल्म किए। आप कई महीने तक अंग्रेजों की कैद में रहे।

श्रीमती सत्यवती अग्रवाल

श्रीमती सत्यवती अग्रवाल का जन्म 26 जनवरी, 1926 को अलवर में हुआ। आपके पिता का नाम श्री चुनीलाल गुप्ता था। आपने इंग्लिश में इन्टर के अतिरिक्त हिन्दी में प्रभाकर व साहित्य रत्न की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। श्रीमती सत्यवती अग्रवाल का छात्र जीवन से ही समाज सेवा तथा देश प्रेम के प्रति रुझान रहा है। इस कारण ही श्रीमती शांति गुप्ता, शोभा भार्गव, जगरानी आदि महिलाओं से सम्पर्क साथ कर 'नारी जागृति भंडल' नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य देश सेवा, समाज सेवा, नारी उत्थान आदि जैसे कार्य थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आपने आपनी सहयोगियों की आर्थिक रूप से भद्र की। इसके अतिरिक्त महिलाओं की शिक्षा के प्रति रुचि जागृत की तथा स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से सिलाई आदि सिखाने के लिए लाला काशीराम तथा दब्री प्रसाद गुप्ता के भक्तानों पर केन्द्र स्थापित किये। इसके साथ-साथ ही महिलाओं में राष्ट्रीय भावना भरने का काम भी किया जाता था। आपके और आपकी संस्था द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक सेवा के कार्यों से अलवर रियासत के तत्कालीन प्रमुख अधिकारी भी प्रभावित थे तथा आपके कार्यों की सराहना करते थे। श्रीमती सत्यवती अग्रवाल, सामाजिक सेवा के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन तथा राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी ही नहीं रखती थी उनमें रुचि भी रखती थी। अलवर की सामंती सरकार के शोपण की नीति को आप भी धृणा की दृष्टि से देखती थीं। इस कारण ही आप अलवर प्रजामण्डल के आंदोलनों को पूरा सहयोग व समर्थन देती थीं। अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल के आहान पर 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में आपने भी अन्य महिलाओं श्रीमती शांति गुप्ता, शोभा भार्गव, कलावती शर्मा, श्रीपती गोठड़िया आदि के साथ सत्याग्रह में भाग लिया और उसमें गिरफतार हुई। चूंकि उस समय अलवर स्टेट में महिलाओं को रखने की जेल में व्यवस्था नहीं थी, इसलिए महिलाओं को ट्रक में भरकर दूर जंगलों में छोड़ दिया जाता था जिन्हें वापिस लाने के लिए प्रजामण्डल के साथी व्यवस्था करते थे।

श्री जयनारायण गुप्ता

श्री जयनारायण गुप्ता का जन्म ग्राम बहरोड़ जाट में शक संवत् 1870 में हुआ। आपके पिता का नाम श्री मूलचन्द गुप्ता था। श्री जयनारायण गुप्ता को आंदोलनात्मक समाचारों को सुन-सुन कर तथा प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के प्रचार-प्रसार को देख सुनकर और अंग्रेजी शासन की झूरता तथा सामनी शासन आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा मिली। आपने खादी पहनना तो संवत् 1888 से ही प्रारंभ कर दिया किन्तु प्रजामण्डल की विधिवत् सदस्यता संवत् 1890 में ग्रहण की।

प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात् आप हाथ में तिरंगा लेकर महात्मा गांधी को जय बोलते हुए गांव-गांव में छोटी-छोटी जन सभा कर सामंती शासन के विरुद्ध अलवर

जगाते हुए तथा लोगों को स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से अवगत करा विदेशी शासन से मुक्ति के लिए चेतना जागृत करते हुए धूमने लगे।

इस कार्य में आपको कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। अगस्त 1946 में प्रजामण्डल के आहान पर गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सत्याग्रह करते हुए आपको गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया। आप जेल में करीब एक हफ्ता रहे और अन्य सत्याग्रहियों के साथ आपको 2 सितम्बर 1946 को जेल से रिहा कर दिया गया।

श्री जयनारायण गुप्ता ने आजादी के उपरान्त 10 वर्षों तक सरकारी विकास कार्यों में भाग लेकर अनेक विकास कार्य करवाये।

श्री नन्द किशोर

श्री नन्दकिशोर का जन्म फाल्गुन सुदी 14 विक्रम संवत् 1974 को तिजारा में हुआ। आपके पिता का नाम गुमानीराम है। आपने कक्षा नौ तक शिक्षा प्राप्त की है। आप बचपन से ही ऐसे लोगों और साथियों की सोसायटी में रहे जहां देश प्रेम की चर्चा होती रहती थी। साथ ही आपको अखबार पढ़ने का भी शौक था जिससे आपके विचारों में देश के प्रति अपने कर्तव्य की भावना का ज्ञान हुआ और देश को आजाद कराने की भावना प्रबल हो उठी। नन्द किशोर प्रजामण्डल के सदस्य बने और अपने साथियों वैद्य हरमुख, श्यौजीराम के साथ गांवों में धूम-धूम कर हाथ में तिरंगा लेकर, महात्मा गांधी की जय बोलते हुए, लोगों को देश को आजाद कराने का पाठ पढ़ाते हुए प्रजामण्डल का सदस्य बनने के लिए प्रचार-प्रसार करने लगे। महात्मा गांधी के हरिजन उद्घार कार्यक्रम के अन्तर्गत जाति-पाँति, छुआ-छूत, ऊंच-नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए आपने और आपके साथियों ने चन्दा एकत्रित कर कस्वे के दीवान बाला मकान में एक आयोजन किया जिसमें सभी वर्ग और सभी वर्ण के लोग एकत्रित हुए। हरिजन भाईयों के हाथों परोसे गए प्रसाद एवं शर्वत आदि ग्रहण किया। सन् 1945 में अलवर की रियासत सरकार द्वारा तम्बाकू पर भारी महसूल वृद्धि के परिणाम स्वरूप हुए मेव आन्दोलन में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम की गिरफ्तारी राता गांव में हुई थी। उस समय भी नन्द किशोर वहां गए थे। नन्द किशोर ने अगस्त 1946 में प्रजामण्डल अलवर द्वारा आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। आप आन्दोलन के दूसरे दिन महल चौक के सत्याग्रही जट्ठे में शामिल हो गए। जेल में ले जाने के बाद खासी अच्छी पिटाई की गई जिसके परिणाम स्वरूप आपकी कमर में चोट लगी और बेहोश हो गए। आपको सामान्य चिकित्सालय जो तब अलैक्जैण्टर अस्पताल कहलाता था, एक दिन रखा गया। माफी मांगने के लिए सभी सत्याग्रहियों पर रोज दबाव डाला जाता था और नहीं मांगने पर पिटाई का सिलसिला शुरू हो जाता था।

श्रीमती विमला शर्मा

श्रीमती विमला शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1932 को अलवर में हुआ आपके पिता का नाम राम्पूदत शास्त्री है। शास्त्री जी विद्वान् थे तथा अलवर राज्य की सेवा में अधिकारी पद पर थे। आपका विवाह सन् 1949 में पानीपत निवासी डॉ. किशन चन्द्र शर्मा के साथ हुआ। श्रीमती

विमला शर्मा की वालपन से ही राष्ट्रीय, राजनैतिक, एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने में रुचि रही। मात्र 14 वर्ष की आयु में आपने अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाए गए 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं ढोड़ो' आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। उन दिनों विवाहित महिला ही नहीं लड़कियों को भी घर से बाहर निकलने तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेने की खुली धूट नहीं थी। किन्तु आपने रमा वाई देशपाण्डे, कलावती शर्मा, शांतिगुप्ता, उमा माधुर, शोभा भार्गव, कमला डाटा, कमला जैन, रामेश्वरी देवी आदि के साथ सत्याग्रहों में खुलकर भाग लिया। आपको धारा 144 तोड़ने तथा सत्याग्रह करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया किन्तु चूंकि उस जमाने में अलवर की जेल में न तो महिलाओं को रखने और न ही पुलिस (महिला पुलिस) की व्यवस्था थी अतः आपको अन्य महिला सत्याग्रहियों के साथ इक में भरकर 8-10 किलोमीटर दूर जंगलों में छोड़ दिया जाता था। जहां से बापिस आने के लिए बाहन व्यवस्था न होने पर कई घार पैदल भी अलवर आना पड़ा। आप भूखी प्यासी घर आतीं तथा दूसरे दिन पुनः सत्याग्रह में शामिल हो जातीं। कभी-कभी पुलिस से छिप कर आपकी सहयोगी महिलाएं आपके घर पर भी छुप जाती थीं जहां पर एक अधिकारी का निवास स्थान होने के कारण पुलिस बाले बहां नहीं पहुंचे पाते थे। आपकी इन गतिविधियों के कारण आपके पिता ही नहीं अपितु अन्य परिवार जन को यातनाओं का शिकार होना पड़ा। आपके पिता स्व. शम्भु दत्त शास्त्री को तो अलवर राज्य से बाहर चले जाने के आदेश तक दे दिये थे, किन्तु श्रीमती विमला शर्मा के कदम ऐसी विपत्तियों में भी नहीं लड़खड़ाए और आपने स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा।

कुंवर वलवन्त सिंह

चौहंतर वर्षीय कुंवर वलवन्त सिंह का जन्म ग्राम व पोस्ट माजरा कान्हावास में हुआ। आपके पिताजी का नाम तोताराम है। तोताराम आर्य समाज के लीडर एवं भजनोपदेशक थे, इस कारण ही थे आर्य मुसाफिर के नाम से जाने जाते थे। वे देश की स्वतंत्रता के लिए गांव-गांव जाकर प्रचार भी किया करते थे। कुंवर वलवन्त सिंह को आजादी के लिए कार्य करने की प्रेरणा अपने पिता तथा राय गोपीलाल, मास्टर भोलानाथ, आदित्येन्द्र आदि से मिली जिन्हें वे अपना गुरु भी मानते हैं।

ग्रन् 1942 में थे अंग्रेजों भारत ढोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। महाराय भगवान दास के साथ रेयाटी में अंग्रेजों के खिलाफ यागवत की। पुलिस पकड़ कर मजिस्ट्रेट के सामने से गढ़े। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपीं तुम बचो हो माफी मांग लो। किन्तु कुंवर वलवन्त सिंह ने मारी नहीं मांगी, नतों जितन 10 फोटों की सजा के साथ गुड़गांया जेल में भी रहना पड़ा।

आपके पिताजी भी जेल में थे। पुलिस आये दिन इनको गांव में तलाश करते। वे उन रोज़ भरते थे। रोज़-रोज़ के पुलिस आगमन से तंग होकर एक रोज आपकी माँ ने दुखी होकर या किं खेटा एक दो फिरंगी मार कर तुम भी मर जाओ, मैं तो रोज-रोज की पुलिस तंगी से तंग या चुम्ही हूँ। अनन्त माँ के दुख से दुखी हुए और हृषिकर चलाना सीख पर अंग्रेजों की मारने पर उत्तरप मन में रख कर इंतिहन आमों में भर्ती हो गये।

ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग वर्मा में हो गई। वर्मा में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज बना ली थी। आजाद हिन्द फौज में सुभाष ब्रिगेड नं. 1 गुरीला रेजीमेण्ट के आत्मयाती दस्ते में आपको संगाया गया। अंग्रेजों के साथ बड़े जोश से लड़ाई लड़ी, आप पर नेताजी की यड़ी कृपा रही। वे आपको वहादुर लड़का कहकर पुकारते थे। आपने अपने साथियों के साथ मिलकर कालादान दर्दे से होकर मौड़क में अंग्रेजों की पोस्ट पर झण्डा लहरा दिया। इतना ही नहीं आजाद हिन्द फौज ने इम्फाल तथा मणिपुर पर भी कब्जा कर लिया। आपको गैलेन्ट्री मैडल, सरदारे जांग भी मिला है, जो अशोक चक्र के समान है। नागासाकी तथा हिरेशिमा पर बम ढाले जाने के कारण जापान ने हथियार ढाल कर अपनी हार मान ली, मगर आजाद हिन्द फौज के जवान तब तक लड़ते रहे जब तक उनके पास हथियार रहे। हथियार बरसद यंद होने के कारण आजाद हिन्द फौज के सैनिक कमजोर पड़ गए तथा अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिए गए।

आजाद हिन्द फौज के जवानों को मांडला, सिंगापुर, फिलीपाइन्स, इण्डोनेशिया आदि जेलों में रख गया। देहली के लाल किले में आजाद हिन्द फौज के जवानों पर मुकदमा चलाया गया और कुंवर चतुरवंत सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाए गए गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सों छोड़ो आंदोलन में भी आपने भाग लिया। आप भी सत्याग्रह में शामिल हुए। जेल की सजा के साथ-साथ 10 कोड़ों की मार भी सहन की। अन्य सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से रिहा किए गए।

श्री हरसहाय गुप्ता

श्री हरसहाय गुप्ता का जन्म 11 फरवरी 1927 को रामगढ़ में हुआ। आपके पिता श्री रामजीवन गुप्ता दुकानदारी का काम किया करते थे। आपने बी. ए. एल. एल. बी. तक की शिक्षा ग्रहण की है।

जब आप अलवर में अध्ययनरत थे तब श्री महावीर प्रसाद जैन के सम्पर्क में आये और यहीं इनकी प्रेरणा से आपको राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ने का मौका मिला। रामगढ़ में रहते हुए आप तत्कालीन सामन्ती सरकार द्वारा किसानों पर जमा वसूली के लिए किये जाने वाले जुल्मों तथा गरीब लोगों को सुवह से शाम तक भूखे रह कर बेगार में बिना कुछ पारिश्रमिक काम करते देखते थे, तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता था तथा ऐसी जुल्मी सामन्ती सरकार को उखाड़ फेंकने का मन में निश्चय किया करते थे।

श्री हरसहाय गुप्ता 1942 में श्री महावीर प्रसाद जैन के क्रान्तिकारी संगठन के अन्य सदस्यों के साथ पोस्ट ऑफिस तथा लैटर वॉक्स में आग लगाने के कार्य में सहयोगी रहे। 1943 में आपने एक विद्यार्थी संगठन बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। आप राजगढ़ के पं. भवानी सहाय तथा अलवर के रामजीलाल अग्रवाल के सम्पर्क में आये तथा राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी हासिल करने लगे तथा उनकी प्रेरणा से कार्य करने लगे। 1943 से ही आपने खादी पहनना प्रारम्भ कर दिया। श्री हरसहाय गुप्ता 1945 में अलवर आ गये। आपने अध्ययन के साथ-साथ नियमित रूप से प्रजामण्डल के कार्यों में भी सहयोग दिया। गांवों में जा-जा कर

प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया। साथ ही मीटिंग करके लोगों को जागृत किया तथा गढ़ीय भावना को जगाया।

खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन जो 2 फरवरी 1946 को हुआ था जिस समय अलवर के प्रमुख नेता शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, आदि को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब आप वहाँ थे।

मास्टर भोलानाथ को भी आना था। उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए आप मण्डावर रेलवे स्टेशन पर एक और साथी के साथ गए तथा भोलानाथ को घटना का व्यौरा बताते हुए उनसे वहाँ जाने को मना किया और मास्टर जी के साथ ही दौसा चले गये। इनको यालक होने के कारण नहीं पकड़ा गया। मास्टर जी कई अखबारों के संबाददाता थे जिनमें कई तो राष्ट्रीय स्तर के अखबार थे। समाचार एकत्रित कर प्रेसों में छपने के लिए देने का कार्य करते।

1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरो कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोभाराम को गिरफ्तारी के भय से अलवर राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया गया था तब बहरोड़ के पास कांटी नामक गांव में जाकर उन्होंने अपना निवास किया। वह स्थान पंजाब राज्य की सीमा में पड़ता था। बहरोड़ में एक कैम्प लगाया गया जिसमें शोभाराम के निर्देशानुसार कार्य होने लग गया था। आप अलवर की गतिविधियों की सूचना बहरोड़ कैम्प में देने जाते थे तथा उन खबरों को विभिन्न अखबारों में छपने की व्यवस्था भी करते थे। खबरों के प्रकाशन का कार्य आपने बड़ी ताज़ीनता से किया। आप जेल नहीं गये क्योंकि जेल में उठने आदमी गिरफ्तार कर लिए कि उसके बाद स्थान नहीं होने के कारण पुरुष सत्याग्रहियों को भी महिलाओं के साथ जंगल में छोड़ा जाने लगा। इस प्रकार श्री हरसहाय गुप्ता ने सामंती शासन को उछाड़ फेंकने में अहम् भूमिका निभाई।

श्री राव रणजीत सिंह

राव रणजीत सिंह यादव का जन्म 23 जुलाई 1914 को अलवर जिले के बूढ़ी बावल कस्बे में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राव चुन्नीलाल यादव था। आप अपने गांव में व्यवसन में गाय चराया करते थे। अट्ठारह वर्ष की आयु में 23 दिसम्बर 1932 को आप सेना में भर्ती हो गये।

आप अपना प्रेरणा स्रोत महान् स्वतंत्रता सेनानी रास विहारी बोस को मानते हैं, इसके बाद नेता जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आप व्यवसन से ही खादी पहनते आये हैं और अभी भी पहनते हैं। आपका कहना है कि खादी पहनने से गर्व का अहसास होता है।

दूसरे विश्वयुद्ध में आप अंग्रेजों की तरफ से लड़े किन्तु इस युद्ध में अंग्रेजी फौज को जापानी फौज ने परास्त कर दिया और 2 लाख 20 हजार फौज के जवानों को जापान ने बद्दी बना लिया। उस समय अंग्रेज अफसर भारतीय सेना को जापान के रहम पर छोड़ कर भारत आ द्युये। उस समय जापान के 'तोजू' ने रास विहारी बोस को बुलवा कर भारतीय फौज को एक सूत में बांधने का आद्वान किया। रास विहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 'शौनान' सिंगापुर पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की। 25 अगस्त

1943 को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज की कमान अपने हाथ में ली। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने घोषणा की तथा सभी सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि खून की आखिरी धूंद तक आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। 2 सितम्बर 1943 को आजाद हिन्द फौज सरकार का शिविर शैनान के स्थान पर रंगून बदल दिया तथा 4 फरवरी 1944 को नेताजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा नारा दिया कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। सेना को संवोधित करते हुए नेताजी ने कहा, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' जापान ने जनधन का अपार सहयोग किया। भयंकर लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये। एक गोली श्री यादव को भी लगी तथा पीछे से पढ़े एक घम के छोटे से टुकड़ों से थे और उनके अन्य साथी भी घायल हो गये, मगर हौसला पस्त नहीं होने दिया। हाथ में तिरंगा थामे इम्फाल, नागाहिल, मणिपुर पर कब्जा करते हुए कलकत्ता तक अभियान सफल रहा। किन्तु याद में खाना, हथियार, वाहन, संचार साधनों का अभाव होता गया। आजाद हिन्द फौज के जवान कई-कई दिन भूखे रहने के कारण लड़ने में अक्षम हो गये। 6 व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व नागासाकी को एटम बमों के द्वारा तहस-नहस कर दिया गया। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के लिए आजाद हिन्द फौज मजबूर हो गई। अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बड़ी यातनाएं दी गई। चावलों में सफेदी (कली) मिला कर खाना दिया गया जिससे खूनी दस्त हो गये। हजारों सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। दस-दस दिनों तक धूप में बाहर खड़ा किया गया। सर्दियों में पूरी रात बाहर खुले में रखा गया। खुदाई करवाना, जूते साफ करवाना जैसे काम कराये गये। यादव को चार बार जेल यातनाएं सहनी पड़ी। अन्तिम जेल यात्रा लाल किले में जनवरी 1946 में 27 दिन की थी।

श्रीमती शोभना (शोभा) भार्गव

श्रीमती शोभना भार्गव को घर पर शोभा के नाम से ही प्यार से संवोधित किया करते थे अतः ये शोभा के नाम से ही जानी जाती रही हैं। आपका जन्म अलवर में 20 मार्च 1928 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री पृथ्वीनाथ भार्गव है जो अलवर के प्रख्यात वकील के साथ-साथ अलवर प्रजामण्डल के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खेड़ा मंगलसिंह की ऐतिहासिक सभा की, श्री शोभाराम रामजीलाल अग्रवाल आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अध्यक्षता की।

श्रीमती शोभना भार्गव को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा श्री शोभाराम से ही मिली जबकि आपकी आयु मात्र 12 वर्ष की थी। आपके पिता श्री पृथ्वीनाथ वकील भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे और उस समय इनके पिताजी का घर पर ऑफिस ही प्रजामण्डल का ऑफिस था। खादी पहनने की प्रेरणा भी उस उम्र में आपके पिताजी ने दी थी, तब उनको इसके महत्व का भी पता नहीं था। किन्तु स्वतंत्रता मिलने और विवाह होने के कारण वह छूट गया।

आपने अपने गुरु श्री रघुवीर शरण भट्ट की प्रेरणा से 'महिला मण्डल' की स्थापना में योगदान किया।

यह संस्था प्रारम्भ में सामाजिक उत्थान के लिए बनी थी जिसकी अध्यक्षता के लिए स्व. लाला काशीराम की पुत्री श्रीमती शान्ति गुप्ता को चुना गया। उस समय साक्षरता की बहुत आवश्यकता थी, यद्यपि आज भी है उसमें अन्य महिलाओं ने भी अपना योगदान किया। एक

प्रजामण्डल का प्रचार-प्रसार किया। साथ ही मीटिंग करके लोगों को जागृत किया तथा राष्ट्रीय भवना को जगाया।

खेड़ा मंगलसिंह आंदोलन जो 2 फरवरी 1946 को हुआ था जिस समय अलवर के प्रमुख नेता शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल, काशीराम, भवानी सहाय शर्मा, आदि को पुलिस ने गिरफ्तार किया था तब आप वहाँ थे।

मास्टर भोलानाथ को भी आना था। उनको गिरफ्तारी से बचाने के लिए आप मण्डावर रेलवे स्टेशन पर एक और साथी के साथ गए तथा भोलानाथ को घटना का व्यौरा बताते हुए उनसे वहाँ जाने को मना किया और मास्टर जी के साथ ही दौसा चले गये। इनको यालक होने के कारण नहीं पकड़ा गया। मास्टर जी कई अखबारों के संवाददाता थे जिनमें कई तो राष्ट्रीय स्तर के अखबार थे। समाचार एकत्रित कर प्रेसों में छपने के लिए देने का कार्य करते।

1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोभाराम को गिरफ्तारी के भय से अलवर राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया गया था तब वहरोड़ के पास कांटी नामक गांव में जाकर उन्होंने अपना निवास किया। वह स्थान पंजाब राज्य की सीमा में पड़ता था। वहरोड़ में एक कैम्प लगाया गया जिसमें शोभाराम के निर्देशानुसार कार्य होने लग गया था। आप अलवर की गतिविधियों की सूचना वहरोड़ कैम्प में देने जाते थे तथा उन खबरों को विभिन्न अखबारों में छपने की व्यवस्था भी करते थे। खबरों के प्रकाशन का कार्य आपने बड़ी ताज्जीता से किया। आप जेल नहीं गये क्योंकि जेल में उन्हें आदमी गिरफ्तार कर लिए कि उसके बाद स्थान नहीं होने के कारण पुरुष सत्याग्रहियों को भी महिलाओं के साथ जंगल में छोड़ा जाने लगा। इस प्रकार श्री हरसहाय गुप्ता ने सामंती शासन को उखाड़ फेंकने में अहम् भूमिका निभाई।

श्री राव रणजीत सिंह

राव रणजीत सिंह यादव का जन्म 23 जुलाई 1914 को अलवर जिले के बूढ़ी बावल कस्बे में हुआ। आपके पिता का नाम स्वर्गीय राव चुन्नीलाल यादव था। आप अपने गांव में व्यवसन में गाय चराया करते थे। अट्टारह वर्ष की आयु में 23 दिसम्बर 1932 को आप सेना में भर्ती हो गये।

आप अपना प्रेरणा स्रोत महान् स्वतंत्रता सेनानी रास विहारी बोस को मानते हैं, इसके बाद नेता जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आप व्यवसन से ही खादी पहनते आये हैं और अभी भी पहनते हैं। आपका कहना है कि खादी पहनने से गर्व का अहसास होता है।

दूसरे विश्वयुद्ध में आप अंग्रेजों की तरफ से लड़े किन्तु इस युद्ध में अंग्रेजी फौज को जापानी फौज ने परास्त कर दिया और 2 लाख 20 हजार फौज के जवानों को जापान ने बन्दी बना लिया। उस समय अंग्रेज अफसर भारतीय सेना को जापान के रहमों करम पर छोड़ कर भारत आ सूपे। उस समय जापान के 'तोनू' ने रास विहारी बोस को चुलबा कर भारतीय फौज को एक मूँह में धंधने का आह्वान किया। रास विहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 'शौनान' सिंगापुर पूर्वी एशिया के प्रवासी भारतीयों के एक सम्मेलन में आजाद हिन्द फौज की स्थापना की। 25 अगस्त

1943 को नेताजी सुभाष चन्द्र योस ने आजाद हिन्द फौज की कमान अपने हाथ में ली। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने घोषणा की तथा सभी सैनिकों ने प्रतिज्ञा की कि खून की आखिरी बूंद तक आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। 2 सितम्बर 1943 को आजाद हिन्द फौज सरकार का शिविर शैनान के स्थान पर रंगून बदल दिया तथा 4 फरवरी 1944 को नेताजी ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी तथा नारा दिया कि दिली चलो, दिली चलो। सेना को संबोधित करते हुए नेताजी ने कहा, 'तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' जापान ने जनधन का अपार सहयोग किया। भवंकर लड़ाई में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिये। एक गोली श्री यादव को भी लगी तथा पौछे से पड़े एक वम के छोटे से टुकड़ों से खे और उनके अन्य साथी भी धायल हो गये, मगर हैसला पस्त नहीं होने दिया। हाथ में तिरंगा थामे इम्फाल, नागाहिल, मणिपुर पर कब्जा करते हुए कलंकता तक अभियान सफल रहा। किन्तु याद में खाना, हथियार, वाहन, संचार साधनों का अभाव होता गया। आजाद हिन्द फौज के जवान कई-कई दिन भूखे रहने के कारण लड़ने में अक्षम हो गये। 6 व 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा व नागासाकी को एटम बमों के द्वारा तहस-नहस कर दिया गया। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण करने के लिए आजाद हिन्द फौज मजबूर हो गई। अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बड़ी यातनाएं दी गई। चावलों में सफेदी (कली) मिला कर खाना दिया गया जिससे खुनों दस्त हो गये। हजारों सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। दस-दस दिनों तक धूप में बाहर खड़ा किया गया। सर्दियों में पूरी रात बाहर खुले में रखा गया। खुदाई करवाना, जूते साफ करवाना जैसे काम कराये गये। यादव को चार बार जेल यातनाएं सहनी पड़ीं। अन्तिम जेल यात्रा लाल किले में जनवरी 1946 में 27 दिन की थी।

श्रीमती शोभना (शोभा) भार्गव

श्रीमती शोभना भार्गव को घर पर शोभा के नाम से ही प्यार से संबोधित किया करते थे अतः ये शोभा के नाम से ही जानी जाती रही हैं। आपका जन्म अलवर में 20 मार्च 1928 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री पृथ्वीनाथ भार्गव है जो अलवर के प्रख्यात वकील के साथ-साथ अलवर प्रजामण्डल के चरित्र कार्यकर्ता थे, जिन्होंने खेड़ा मंगलसिंह की ऐतिहासिक सभा की, श्री शोभाराम रामजीलाल अग्रवाल आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अध्यक्षता की।

श्रीमती शोभना भार्गव को राष्ट्रीय अंदोलन में भाग लेने की प्रेरणा श्री शोभाराम से ही मिली जबकि आपको आयु मात्र 12 वर्ष की थी। आपके पिता श्री पृथ्वीनाथ वकील भी राष्ट्रीय अंदोलन से जुड़े थे और उस समय इनके पिताजी का घर पर ऑफिस ही प्रजामण्डल का ऑफिस था। खादी पहनने की प्रेरणा भी उस उम्र में आपके पिताजी ने दी थी, तब उनको इसके महत्व का भी पता नहीं था। किन्तु स्वतंत्रता मिलने और विवाह होने के कारण वह छूट गया।

आपने अपने गुरु श्री रघुवीर शरण भट्ट की प्रेरणा से 'महिला मण्डल' की स्थापना में योगदान किया।

यह संस्था प्रारम्भ में सामाजिक उत्थान के लिए बनी थी जिसकी अध्यक्षता के लिए स्व. लाला काशीराम की पुत्री श्रीमती शान्ति गुप्ता को चुना गया। उस समय, साक्षरता की बहुत आवश्यकता थी, यद्यपि आज भी है उसमें अन्य महिलाओं ने भी अपना योगदान किया। एक

बार एक महिला के साथ अन्याय हुआ था, उसके विरोध में अलवर महाराज से मिलने के लिए एक दल महिलाओं का गया था। आप उसमें भी थीं उस घटना के बाद ही आपमें निर्भीकता उत्पन्न हुई और आपने प्रजामण्डल की सदस्यता ग्रहण कर ली। यह संस्था बाद में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गई थी।

आप उदयपुर में देशी राज्य परिषद के अधिवेशन में भेजे गए डेलीगेशन में अलवर से भेजी गई, महिलाओं में से एक थी। यह अधिवेशन पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ था।

आपने राष्ट्रीय आंदोलन में खुल कर भाग लिया। हड़ताल करवाना, स्कूल और कॉलेजों में झण्डा उठा कर नारे लगाते हुए चलना, सभी मीटिंग में भाग लेना आदि कार्य किये। अगस्त 1946 के 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुसीं छोड़ो' आंदोलन जो अलवर प्रजामण्डल के आह्वान पर चलाया गया उसमें सत्याग्रही जत्थो में आपने भी भाग लिया।

आपको भी अन्य सत्याग्रहियों महिलाओं के साथ जेल में व्यवस्था न होने के कारण जंगलों में छोड़ा गया, जहां वे अन्य महिलाओं के साथ बापिस आकर पुनः सत्याग्रह में सम्मिलित हो जाती।

सुश्री उमा माथुर

सुश्री उमा माथुर का जन्म 1 नवम्बर 1929 को तिजारा में हुआ। आपके पिता छज्जू सिन्हा अलवर रियासत में तहसीलदार थे।

6-7 साल की आयु में आपको तथा डॉ. घनश्याम दास माथुर की पुत्री बनी (घर का प्यार का नाम) को मिस झण्डा सिंह पढ़ने के लिए उन दिनों न्यूतेज टॉकिज के पास एक स्कूल था, उसमें ले गई थी। उस समय जब कभी बाजार में नारों का शौर सुनाई देता तो आप रोमांचित हो उठती और स्कूल छोड़ कर उन लोगों के साथ भाग लेती। नार लगाने में आपको आनन्द आता।

1942 के द्यात्र आंदोलन में भी आपने भाग लिया। आपके दोनों भाई सर्व श्री दी. सिन्हा एवं पी. सिन्हा देहली में अध्ययनरत थे, अलवर आ गये थे। उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस समय उनकी मात्र 13 साल की आयु तो थी ही, वे रेल तथा तार च टेलीफोन के तार काटने में प्लास आदि पकड़ने का कार्य किया करती थी। पोटेशियम परमैगेनेट और ग्लीसरीन इनको दी गई, जिसको पोटली या कागज में लपेट कर हैटर बक्सों में आग लगाई, पोस्टर पम्पलीट आदि चिपकाये। भूरसिंदू के पास एक गुफा थी जिसमें टाइपराईटर रखा हुआ था, पर्चे छपने का कार्य वहाँ से किया जाता था।

इनके पिता, डॉ. घनश्याम दास और अलवर रियासत के कोतवाल जोरावर सिंह परम मित्र थे। जोरावर सिंह अक्सर घर आते और इनके पिताजी से इन भाई-वहनों को इन गतिविधियों में भाग लेने से रोकने को कहते थे। पी. सिन्हा के तो बारंट का भी हवाला देते थे, मगर दोस्ती के नाते गिरफ्तार न करने का अहसान भी धरते थे। मगर इनके पिताजी ने इनकी ऐसे कार्यों में "होने से नहीं रोका, क्योंकि वे स्वयं भी राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे। उमा माथुर के

भाई पी. सिन्हा तो अपने पिताजी से अवसर कह देते थे कि आप लोग तो गुलाम देश में हुए हैं मगर मौत आजाद देश में पाने का गौरव हासिल करेंगे। उमा माथुर ने सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अनमेल विवाह रुकवाया, जिसमें एक अधेड़ उम्र के पुरुष के साथ एक अल्पायु की लड़की का विवाह हो रहा था, इसी प्रकार ही जवान मुस्लिम महिला की एक अल्पायु के साथ होने वाले विवाह को भी रुकवाया। इस कार्य में मुख्य भूमिका जगरानी की थी।

1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन में उमा माथुर ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये पम्फलेट आदि चिपकाती तथा सिगरेट के टीन के डिब्बों में चूड़ियां रखकर अफसरों के मकानों पर चुपके से धर आती। सत्याग्रह के लिए महिलाओं को एकत्रित करने का कार्य किया।

इनके एक जत्थे को श्रीमती रमाबाई देश पाण्डे ने लीड किया था जिसमें श्रीमती शांति गुप्ता, कलाकृती देवी शर्मा, शोभा भार्गव, शांति गोठड़िया, रामेश्वरी, रामप्यारी, विजया माथुर के अलावा उमा माथुर स्वयं कई अन्य महिलाएं भी थीं। इन लोगों को पुलिस ने ट्रक में भरकर पाण्डुपोल के पास छोड़ दिया। उन दिनों प्रजामण्डल के पास कोई खास साधन तो थे नहीं, इन्हें बापिस्त लाने के लिए जो साधन उपलब्ध होते उनसे ही ये आते थे। जनता का उन दिनों का प्यार और व्यवहार बड़ा सराहनीय रहा। तांगे वाले भी बड़े प्यार से बैठाकर लाया करते थे सत्याग्रहियों को। दूसरे दिन फिर ये सत्याग्रह में शरीक हो जाती थीं। उमा माथुर, श्रीमती शांति गुप्ता तथा महिलाओं के साथ महाराजा से लाठी चार्ज न करने की मांग लेकर वार्ता के लिए विजय मंदिर जाया करती थी। उमा माथुर ने राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेकर अत्यंत कष्ट सहे। वचन से ही पढ़ाई छूटने के कारण बी.ए. प्राइवेट किया। एम. ए. जयपुर से किया, फिर बकालत की डिग्री ली, आर्थिक कष्ट भी उठाये।

श्री के. वी. रायजादा

श्री के.वी रायजादा का जन्म अलवर शहर में 12 मई 1919 को हुआ। पिता का नाम रघुवर चरण रायजादा है। आपने सातवें तक शिक्षा नोबिल्स स्कूल अलवर में तथा इसके परचात जयपुर में पाई। आपने इण्टर की परीक्षा राजर्थी कॉलेज अलवर से पास की तत्पद्धात बी.ए. एल.एल.बी. एवं एम.ए. बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी से 1938 से 1943 तक रह कर यी। आपने शासकीय हमीदिया कॉलेज भोरनाल में बकालत करते हुए पार्टटाइम ग्रोफेसर लॉ वा घार्ड करते सन् 1948 में एल.एल.एम. की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर स्पैन मैडल सहित पास की।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय बड़े-बड़े नेताओं विशेषतः लोकनायक जयप्रकाश नारायण से भी आपका संपर्क रहा। अनेक क्रांतिकारी एवं गांधीवादी कार्यकर्ताओं के साथ सक्रिय राजनीति में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ तथा सन् 1942 में आपने एक दिन जेल में भी रहना पड़ा। श्री रायजादा ने सन् 1944 से अलवर प्रजामण्डल के लोगों में भाग लेना ग्रांम किया। शोभागम के कहने पर प्रजामण्डल की सक्रिय सदस्यता भी ग्रहण कर ली। उनके साथ सैकड़ों गांवों का दौरा भी किया। आप बताते हैं कि वह ऐसा समय था जब प्रजनन्तर के

कार्यकर्त्ताओं को गांवों में कोई भोजन के लिए भी नहीं पूछता था। एक-एक घर से एक-एक रोटी लेकर भूख शांत करनी पड़ती थी।

आपने हरिजन उद्घार के कार्यक्रमों में भी सक्रिय भूमिका निभायी। हरिजनों में शिक्षा प्रसार, सुधार व संगठन का कार्य किया। अनेक दर्यों तक हरिजन सेवा संघ के मंत्री रहे। कृष्णदत्त पालीवाल भूतपूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश एक बार पाठशाला में आये थे आपके कार्य से प्रसन्न होकर आपको 15.6.46 को एक प्रशंसा पत्र भी स्वयं की हस्तालिपि में लिख कर दे गये थे। अन्नकूट के अवसर पर इस घर्ष ही के डलगंज स्थित राम-लक्ष्मण के मंदिर में हरिजनों को प्रवेश ही नहीं कराया बल्कि सर्वों के साथ बिठा कर प्रसाद भी खिलाया गया। यह प्रयास इतना सफल रहा कि ऐसा मालूम होता था कि सारा शहर ही इसमें शिरकत करने आ पहुंचा। इस कार्य में नारायण दत्त गुप्ता, मा. हरिनारायण सैनी का सहयोग विशेष रूप से रहा। फरवरी सन् 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में एक सभा को आयोजन करने का प्रजामण्डल ने कार्यक्रम घोषित कर लिए किन्तु मा. भोलानाथ यहां पर नहीं थे उनके पास समाचार भिजवाया गया कि वे यहां नहीं आवें अन्यथा गिरफ्तार कर लिए जावेंगे। नियत तिथि को अलवर की सामंती सत्ता की आशा के प्रतिकूल सभा हुई जिसकी अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव बकील ने थी। उस समय की रायजादा की स्पीच बड़ी ही प्रभावकारी रही अगस्त 1946 में अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाये गए 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन के समय आपकी द्व्यूटी ग्राम कांटी जो अलवर की सीमा से लगता हुआ तथा नाभा स्टेट में था, शोभाराम के साथ सत्याग्रहियों को इकट्ठाकर भेजने की लगाई गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए कार्यकर्त्ताओं को निर्देश थे कि अलवर राज्य की सीमा में न जायें। भूलबाश एक बार रायजादा निकल गए। गांव वालों ने आपको घेर लिया और भाषण देने के लिए कहा। गांव वालों ने कहा कि हमारे होते हुए आपको कोई गिरफ्तार कर ले किसी की मां ने ऐसा दूध नहीं पिलाया। आप को अलवर के सक्रिय आंदोलन में भाग लेने की बड़ी राधा थी। आपका कहना था कि जब शोभाराम यहां पर हैं तो मुझे अलवर जाने दीजिए। उस विवाद में वहां के नेता मा. श्याम मनोहर ने आपसे कहा कि आप अनुशासन में बंधे हैं आप नहीं जा सकते। मगर हम कांटी वालों पर शोभाराम का बंधन है। यहां से एक दल भेजना है उसका नेता बनाकर हम आपको भेजेंगे मगर अफसोस उस जर्त्ये के जाने से पूर्व ही आंदोलन स्थगित कर दिया गया।

आप अलवर छोड़ कर भोपाल गये। आपने वहां बकालत शुरू कर दी। इस समय शोध कार्य में रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री थीसिस लिख रहे हैं रायजादा के हजारी शिष्यों में कुछ हाईकोर्ट जज बने, कुछ विधि मंत्री कुछ विद्यालयों में डीन ऑफ द कैकलटी ऑफ लॉ बने। महां तक कि उच्चतम न्यायलय में बकील ही नहीं अपितु जज के पद पर भी आपके शिष्य रहे हैं।

श्रीमती कमला देवी डाटा

श्रीमती कमला देवी डाटा का जन्म 1932 की वसन्त पंचमी को वास्कृपाल नगर (अलवर) में हुआ। आपके पिता का नाम श्री यमकुमार आर्य है। वे आर्य समाजी विवाह धारा

के व्यक्ति थे तथा मोगा मण्डी (पंजाब) की व्यापार समिति के कई साल तक अध्यक्ष भी रहे। आपकी शैक्षिणिक योग्यता पंजाब यूनिवर्सिटी से हिन्दी रत्न तक की है। यद्यपि वालपन में श्रीमती कमला डाटा अपने परिवार के साथ मोगा मण्डी (पंजाब) चली गई थी किन्तु पिताजी को अस्वस्थता के कारण परिवार के साथ पुनः अलवर आना पड़ा। यद्यपि स्वदेशी अपनाओं आन्दोलन के समय घर-घर सूत कातने का नारा जोरों पर था किन्तु आपके घर में तो पहले से ही सूत कातने का काम आपकी माता जी करती थीं जिससे खादी तैयार करवाई जाती थी और सारा घर खादी पहनता था जिसमें आप स्वयं भी सम्मिलित थी। आपके बड़े भ्राता नारायण दत्त गुप्त का विवाह उस समय के प्रमुख कोग्रेसी लाला काशीराम की सुपुत्री शांतिदेवी गुप्त के साथ विना पर्दे के हुआ जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि सामन्ती शासन में धनाड्य धराने की बहू-बेटियों को बिना पर्दा किए निकलने पर अच्छा नहीं समझा जाता था। यद्यपि ऐसी शादी से परिवार एवं संबंधियों में विशेषकर स्त्रियों में काफी रोष था किन्तु परिवार का भुलप वर्ग प्रसन्न था, आपकी भी यह अच्छा लगा। भाभी की प्रेरणा से आप आजादी के आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। स्कूल में हड्डाल करवाने, नारे लगाने में आगे रहती थी। आपके मन में आजादी के लिए एक तड़प सी थी। बस अंग्रेज चले जाएं थही मनोकामना थी। सन् 1946 के अलवर प्रजामण्डल द्वारा चलाए गए 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आन्दोलन में पूरे 10 दिन तक आपने सक्रिय भूमिका निभाई। आप सत्याग्रही जटियों में शामिल होती। पुलिस अन्य महिलाओं के साथ आपको भी पकड़ कर दूर-दराज के जंगलों में छोड़ आती, वहाँ से कभी-कभी तो पैदल भी आना पड़ता। 9 मार्च 1946 को आपका विवाह रेवाढ़ी के कर्मठ कार्यकर्ता महाशय भगवान दास जी के पुत्र प्रेमस्वरूप डाटा से हुआ। आपके सासुर एवं पति आजादी के आन्दोलन में कई बार जेल जा चुके थे। आपने भी विवाह विना पर्दा प्रथा के किमा तथा समुराल में महिलाओं में शिक्षा प्रसार, अंधविश्वासों को दूर करना आदि कार्यों में रुचि लेने लगी जो अभी भी चालू है।

श्रीमती कौशल्या देवी

श्रीमती कौशल्या देवी का जन्म ग्राम टोडा नागर तहसील लक्ष्मणगढ़ में 31 अक्टूबर 1927 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री दलजी राम है। आपके पिता खेती करते थे साथ ही युर्जा विकाने के कामदार भी थे। श्रीमती कौशल्या देवी का विवाह अप्रैल 1940 में खोहण (मलावली) के निवासी पंडित श्रवण लाल के सुपुत्र श्री अनन्त राम के साथ सम्पन्न हुआ। यह भी भाष्य की विडम्बना ही रही कि श्रीमती कौशल्या देवी का पीहर ग्राम टोडा नागर जागीर का एक गांव था, वहाँ आपको समुराल खोहण (मलावली) भी एक जागीर का ही गांव था।

जागीरदारों द्वारा महिलाओं से बेगार ली जाती और उन्हें काम के बदले पैसे देना तो दूर उन्हें भूखे पेट ही दिन भर काम करने को भजवूर करने के घटनाक्रम य समुराल य पीहर दोनों जगह ही देखकर आपको भारी मानसिक बेदना होती थी। श्रीमती कौशल्या देवी के पति भी सामन्ती शासन के विरोधी एवं अंग्रेजों के विरोधी थे। वे गांव-गांव धूमकर प्रजामण्डल फैलायकर्ताओं के रूप में जागीर विरोधी एवं सामन्ती शासन विरोधी प्रचार किया करते थे। आप भी महिलाओं को जागीरी जुल्मों के विरोध में संगठित करने लगी जितना परिस्थान यह हुआ कि

इनके श्वसुर ने इनके जागीर विरोधी गतिविधियों से रुट होकर इन्हें इनके पांहर टाडानागर भज दिया। आप पीहर जाकर भी जब जागीरदारों के जुलमों की घर्चां कर उन्हें संगठित करने लगी तो इनके पिता जो कि माफीदार के नौकर थे अपनी नौकरी तथा अन्य सुविधा छिन जाने के दर से आपसे रुट रहने लगे और अन्ततः आपको आपके पिता ने ससुराल भेज दिया।

आपके पति भी जागीर विरोधी विचारधारा के होने के कारण इनके ग्राम खोहए (मलाकली) जागीरदार की आंख का कांटा बन गए और उसने उन्हें ग्राम छोड़ने को विवश कर दिया। आखिरकार श्रीमती कौशलत्या देवी अपने पति श्री अनन्तराम के साथ अलवर आ गई तथा मौहल्ल दोली का कुआ में डॉक्टर गंगावच्छा के मकान में रहने लगे, जिसमें पहले से ही प्रजामण्डल के कार्यकर्ता श्री रामजीलाल अग्रवाल, फूलचन्द गोठड़िया, मायाराम आदि रहते थे।

इस मकान में रहने वाले सभी पुरुष-महिलाओं का काम ही एक प्रकार से विदेशी शासन और सामन्ती सत्ता के जुलमों के विरोध में वातावरण तैयार करना था। आप भी श्रीमती शांति गोठड़िया, रामेश्वरी देवी, रामप्पारी, आदि के साथ जलसे-जुलूसों में भाग लेने लगी।

प्रजामण्डल अलवर द्वारा 1946 में आयोजित 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आनंदोलन में आपने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं के जर्त्यों के साथ आप भी सत्याग्रह में शामिल होने लगी। पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने लगी किन्तु जेल में महिलाओं को रखने का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं होने के कारण इन्हें ट्रकों में भरकर कभी कालीघाटी, कभी तालवृक्ष, कभी बानसूर के पास दूर-दूर स्थानों में छोड़ने लगी। किन्तु महिलाएं वहां से भी पैदल अथवा जो भी साधन मिलते वापिस आ जाती। इस प्रकार आप इस आनंदोलन में, जब तक यह चला, भाग लेती रही।

श्री विशम्भरदयाल मोदी :

श्री विशम्भरदयाल मोदी का जन्म खैरथल कस्बे में 3 जुलाई 1932 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री गोपीराम मोदी है। श्री विशम्भर दयाल मोदी की ससुराल रामगढ़ में है और आपके ससुर और श्री गोठड़िया की मित्रता ही नहीं थी परिवारिक संबंध भी थे। श्री गोठड़िया ने कन्यादान में 'गांधी चरखा' दिया था। इस चर्खे ने ही आपको गांधी भक्त बना दिया। श्री मोदी के परिवारजन यद्यपि इनको सामन्ती शासन के भय से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकते थे तथापि चोरी छुपे ये नेताओं के साथ हो लेते थे। एक बार खैरथल में प्रजामण्डल की एक मीटिंग हुई थी जिसमें अलवर से श्री शोभाराम, नत्यूराम मोदी, कुंजविहारी लाल मोदी, दयाराम बगैरह गये थे। जागीरदारों ने मीटिंग करने पर एतराज किया था। श्रोताओं को भीड़ तो काफी थी मगर जागीरदारों के भय से फर्श पर कोई नहीं बैठा था। फर्श के आस-पास ही चारे ओर लोगों की भीड़ जमी रही थी, जब तक मीटिंग समाप्त नहीं हो गई। विशम्भर दयाल मोदी ने खैरथल कस्बे और उसके आस-पास गांवों में प्रजामण्डल का प्रचार किया और जिसमें इनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। 2 फरवरी को खेड़ा मंगलसिंह ग्राम में जागीर पिरोधी सभा के आयोजन के समय आप भी अलवर से जाने वाले ट्रक में गये थे और मीटिंग में भाग लिया था। उस मीटिंग की अध्यक्षता पृथ्वीनाथ भार्गव वकील ने की। नेता तो पहले ही

सरकार द्वारा गिरफतार कर लिये गये थे। 26 अगस्त 1946 में 'गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो' आंदोलन जो प्रजामण्डल ने चलाया उसमें भी श्री बिशभरदयाल मोदी ने भाग लिया था। सत्याग्रह में भाग लेने पर आपको भी पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया था। वहां काफी लोग थे। सुपरिएटेण्डेण्ट जेल मार्टिन नाम का एक अंग्रेज था वह बड़ा जालाद था। सत्याग्रहियों से माफी मंगवाने के लिए बड़ा जुल्म करता था। वहां कपड़े उत्तरवा कर केवल कच्चा बनियान में सत्याग्रहियों को 21-21 बतें पड़वाता। उन दिनों विरजूसिंह नाम का डाकू भी बन्द था उससे इनी मार पड़वाई कि लहुलुहान हो गये। इलाज के लिए अस्पताल लाये गये। ठीक होने पर फिर जेल में आ गए। 2 सितम्बर 1946 को अन्य बन्दी सत्याग्रहियों के साथ आप भी जेल से छुटे। जनता ने सभी सत्याग्रहियों का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया।

श्री रमेश चन्द्र जैन

रमेश चंद्र जैन का जन्म कस्या रामगढ़ में संवत् 1979 में हुआ। आपके पिता भौंरे लाल जैन पटवारी थे। रमेश चंद्र जैन रामगढ़ में होने वाली प्रजामण्डल की गतिविधियों में स्वतः ही भाग लेने लग गये। यद्यपि आपके पिता अलवर राज्य सरकार के कर्मचारी थे तथापि उन्होंने इनकी गतिविधियों में भाग लेने की रुचि को हतोत्साहित नहीं किया क्योंकि वे स्वयं भी राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे। बार फण्ड के जबरन बसूली से जब अलवर राज्य की सारी जनता ब्रस्त थी तब अलवर शहर के प्रमुख कांग्रेसी नेता शोभाराम, मा. भोलानाथ, रामजीलाल अग्रवाल आदि को जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से रामगढ़ प्रजामण्डल के पदाधिकारियों ने उनको बुला तो लिया किन्तु उनकी सभा आयोजित करने के बजाय गिरफतारी के भय से छुप गए तब फूलचंद गोठड़िया के नेतृत्व में उनकी सभा करने की व्यवस्था की जो काफी सफल रही जिसमें काफी संख्या में लोग आये।

2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल सिंह में आयोजित जागीर विरोधी सभा में आप भी वहां गये और सभा में हिस्सा लिया। 1944 में राजस्थान एवं मध्य भारत की रियासतों के कार्यकर्ताओं के अलवर में गिरधर आश्रम में होने वाले सम्मेलन को देखने-सुनने के लिए आप अपने साथियों के साथ रामगढ़ से आये।

26 अगस्त 1946 को गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आंदोलन के प्रजामण्डल के कार्यक्रमानुसार भी 24 अगस्त 1946 को रामगढ़ में वेगार का पुतला बना कर एक अर्थी जुलूस निकाला गया जिसे कस्बे में धुमाकर रामगढ़ तहसील के सामने जलाया गया। फूलचंद गोठड़िया के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। उस जुलूस पर पुलिस ने भारी लाठी चार्ज किया जिसमें रोशन लाल का सर फूट गया गोठड़िया के दोनों हाथ कंधे से उत्तर गये तथा रमेश चंद्र जैन के हाथ की अंगुली टूट गई। सभी घायलों को तांगें में भवानी सहाय राजगढ़ वाले लेकर आये और अस्पताल में भर्ती कराया। 3-4 दिन आप अस्पताल में भर्ती रहे।

भौलाना मोहम्मद इद्राहीम

मौ. मो. इद्राहीम का जन्म किशनगढ़ तहसील के ग्राम इयामा का में हुआ। आपने उर्दू, फारसी, अरबी भाषाओं का ज्ञान देखबन्द यू.पी. से पाया। वे कुरान शरीफ तथा मुस्लिम धर्म

ग्रन्थों के पूरे ज्ञाता थे और पूरी निष्ठा के साथ अपने मजहबी उसूलों व नियमों के पाबन्दी होते हुये भी राष्ट्रीय भावों से सरावोर रहकर पूरे गैरजानिवादार थे। आप शुरू से अलवर राज्य प्रजामण्डल की गतिविधियों से जुड़े रहे। मौ. कुहूस के साथ आपने राता गांव में तम्बाकू पर बढ़े महसूल का विरोध किया। किसानों की बढ़ी कान्फ्रेंस में जय वे तथा अनेक मेव नेता कांग्रेस के शीर्ष नेता बाबू शोभाराम, रामजीलाल अग्रवाल तथा साधी द्याराम आदि थे, तब वहाँ पर गोली चली। मौ. साहब को मिलीटरी वालों ने बंदूकों को बटों से पीटपीटकर जखमीकर जेल में डाल दिया। आपको जेल में काफी असें तक रखा गया। आप पर माफी मांगने के लिए काफी दबाव डाला तथा सताया व परेशान किया, मगर मेवात का यह निडर शेर अपनी आन बान पर अड़ा रहा। बेटे की मौत पर भी विचलित नहीं हुआ।

मौलवी साहब हमेशा ही हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए काम करते रहे। वे एक बड़े प्रभावशाली वक्ता और विचारक थे। आप सन् 1952 से 57 तक राजस्थान विधान सभा के सदस्य भरतपुर कामा विधान सभा क्षेत्र से रहे। सन् 1970 में आप का देहान्त हो गया। मेवात को आपके जैसा सुलझा और निःस्वार्थ नेता और कार्यकर्ता नहीं मिला, जो फकीरी हालत में रहकर अवामकी सेवा करता था। सन् 1947 के दंगों में उजड़े और घर बार छोड़कर बाहर चले जाने वालों मेवों को फिर से बसाने में मौलवी साहब ने जो काम किये वे आज भी लोगों की जबान पर हैं।

मौलाना मो. सुलेमान

मौलाना मो. सुलेमान का जन्म 1917 में चौ. शेरदल के घर किशनगढ़ तहसील के इस्माइलपुर के पास बाझौट ग्राम में हुआ। आठ वर्ष की उम्र में ही आपको दीनी (थार्मिक) तालीम के लिये दिल्ली के मदरसे, सुभानिया में दाखिल कराया, जहां से आपने उर्दू, अरबी, फारसी का अच्छा इलम हासिल किया। इसके बाद आप मदरसा अमीनिया से शिक्षा पूरी कर लौटे।

राष्ट्रीय विचारों की प्रेरणा आप को अपनी पढ़ाई के दौरान ही उस्ताद किफायतुल्ला से मिली। वे मशहूर कांग्रेसी व सच्चे बतन-परस्त थे। उन्हें अंग्रेजों से सख्त नफरत थी।

मौलाना सुलेमान अलवर राज्य प्रजामण्डल की हर तहरीक व संघर्ष में साथ रहे आप जेल भी गये। आप अब भी कांग्रेस के हर कार्य में अगुआ रहते हैं।

ला. धासीराम गुप्ता

आपका जन्म सन् 1912 में तिजारा के अग्रवाल व्यापारी परिवार में हुआ। अलवर से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर आपने बनारस विश्वविद्यालय से इण्टरमीडियेट किया। वहाँ से राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित हुए। तिजारा में श्री कृपादयाल माथुर के साथ अपने ही कस्बे के कई मित्रों के सहयोग से तहसील प्रजामण्डल की स्थापना की, जिसके आप वर्षों अध्यक्ष रहे। इसी कारण 1946 में आप उदयपुर में आयोजित देशी राज्य लोकपरिषद के अधिवेशन में प्रतिनिधि बनकर गये। सन् 1943 में तिजारा पालिका द्वारा बढ़ाई गई चुंगी दरों के आन्दोलन में नेतृत्व करने के बाद। आपको ढेढ़ मास की सज्जा दी गई। आप 46 के प्रजामण्डल के दोनों आन्दोलनों में भी

जेल गये। सन् 1952 से 1957 तक आप तिजारा विधान सभा क्षेत्र से चुनकर विधायक रहे। आपका देहावसान 5 मार्च 1984 को हुआ।

श्री दयाराम गुप्ता

श्री दयाराम गुप्ता का जन्म सन् 1926 में अलवर के प्रसिद्ध बर्फखाना परिवार के ला. ग्यासी राम के घर में बासकृपाल नगर में हुआ। आप शुरू के 10-11 वर्षों तक परिवार के साथ प.पी. के बिजनीर, हल्दौर आदि कस्बों में रहे। सन् 1937 के बाद परिवार द्वारा अलवर में हीरा आइस फैक्टरी के नाम से कारखाना लगाने के बाद यहाँ आ गए और शिक्षारत रह सन् 1944 में हाई स्कूल परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण की। श्री दयाराम बचपन से ही राजनीतिक सामाजिक व आर्थिक व ऐतिहासिक साहित्य पढ़ने में अपना पूरा समय विताते थे। उनका स्थाध्याय का यह क्रम अन्तिम क्षणों तक चला। वे सभी विषयों का साहित्य संग्रह करने व उसे बड़ी गहराई से -निशान लगाकर, नोट लेकर पढ़ने के आदी थे। हर विषय में वे किसी से भी चुनौती पूर्ण ढंग से बहस व चर्चा करने को तैयार रहते थे। मार्क्सवाद उनका सबसे प्रिय विषय था। वे साम्यवादी आन्दोलन को पूरी तरह समर्पित थे।

वे प्रजामण्डल में जब तक रहे, उसके हर आन्दोलन में पूरी तरह भाग लेते रहे, एक अति निःड़, निष्पावान और सच्चे सिपाही के रूप में। वे सन् 46 के आन्दोलन में जेल जाने वालों के प्रथम दिन ही गिरफ्तार हो गये। यहाँ गोली कांड के समय वे पुलिस व मिलीटरी की फायरिंग में बाल बाल बचे। वे गोवा के मुक्ति आन्दोलन में गये, रस्ते में अनेक कठिनाइयों को छेलते हुए। श्री दयाराम निःड़ता, हिम्मत और अपनी बात पर पत्थर की तरह मजबूत रहने के गुणों में वेमिसाल थे। उन्हें काम और अपने लक्ष्य के प्रति कदूरता भी एक निः्वृही सन्त की भाँति थी। वे कार्य करके भी कभी यह नहीं चाहते थे कि कोई उनको उसका श्रेय दे। वे शुरू से मजदूरों, किसानों तथा शोषित वर्गों के जबरदस्त पक्षधर थे। इसके लिये वे अपने ही परिवार के कारखाने में हड़ताल करने में भी मजदूरों के साथ रहे।

अपने विश्वासों के साथ समझौता न करना, अन्याय के बिरुद्ध हर किसी से जूँझ जाना, अधिकारी ही चाहे कोई भी, उसको पूरी निःड़ता के साथ खरी खोटी सुनाने में भी वे कभी नहीं चूकते थे। भव और पस्तहिम्मती तो इस, चिरयुवा कार्यकर्त्ता के पास भी नहीं फटकते थे। वे समाज को आमूलचूल परिवर्तन के अनेक सपने लिये सन् 1992 में शारीरिक तौर पर शान्त हो गये, पर उनके अन्दर की आग कभी नहीं बुझ पाई।

वे यद्यपि अच्छे, व्यापारी या निर्माता नहीं बन पाये पर उनको खान उद्योग हो, चाहे कृषि व्यवसाय या व्यापार सभी की गहरी जानकारी थी। वे एक ही शब्द में चलते किरते एनसाइक्लोपीडिया थे। वे जिस खनिज उद्योग की बुनियाद परिवार के लिये लगा गये, उनके सुरोग्य पुत्रों, चि. सतीश एवं राजीव के संचालन में सफलता की ओर हैं।

श्री मायाराम वालोनी

श्री मायाराम का जन्म गढ़वाल के टिहरी गांव में श्री गोपालदास के घर सन् 1922 में हुआ। अपनी आगे की शिक्षा हेतु वे कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में पढ़ने लगे जहाँ आपना

परिचय छात्र आन्दोलनों के दौरान स्व. रामजीलाल अग्रवाल से हुआ। यह शुरूआती परिचय फिर तो ऐसा बना कि दोनों को एक गहरी दोस्ती में बाँध गया। जब श्री अग्रवाल अलवर आये, वे भी अपने भाई चन्द्रमणि तथा माताजी के साथ अलवर आ गये और उनके परिवार के सदस्य के रूप में रहने लगे। श्री अग्रवाल के साथ प्रजामण्डल से जुड़े और उसके कार्यालय सहायक बनकर कार्य करने लगे। उन्हें छात्रों में काम करने के लिए राजर्पिं कॉलेज में प्रवेश दिलाया, जहाँ से उन्होंने बी.ए. पास किया। इसी बीच मत्स्य का निर्माण हो गया। मत्स्य के भरतपुर कोटे से मंडी श्री युगलकिशोर चतुर्वेदी की पुत्री सुश्री इंदिरा से आपका विवाह हो गया। श्री शोभाराम ने इस सुयोग्य युवक को अपना निजी सचिव बना लिया। उनके साथ, वे कार्य करते हुए सरकारी सेवा में आ गये और पहले राज्य प्रशासनिक सेवा में आये और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए, आई.ए.एस. हो गये। जिलों में कलेक्टर, कई विभागों में निदेशक सचिवालय में सचिव आदि पदों पर रहते हुए आपने अच्छा नाम अर्जित किया।

श्री मायाराम प्रजामण्डल के आन्दोलनों में जेल भी गये। आपके पुत्र श्री अरविन्द एक आई.ए.एस. अधिकारी हैं। उनकी पती श्री इन्दिरा मायाराम राजस्थान विधान सभा की सदस्या हैं।

श्री बाबू प्रसाद मोदी

श्री कुंजबिहारी लाल मोदी के सगे छोटे भाई श्री बाबूप्रसाद का जन्म सन् 1903 में कटूमर में हुआ। आपने प्रजामण्डल के जनान्दोलनों के दौरान लक्ष्मणगढ़ के वसेठ, जावली, तसई आदि गांवों में किसानों के बीच काम किया। जागीरदारों के जुलमों के खिलाफ आपने किसानों व अनुसूचित जाति के गरीबों को राहत दिलाने के भी काम किए। 1943 में लक्ष्मणगढ़ तहसील प्रजामण्डल की स्थापना की। लक्ष्मणगढ़ के सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना में भी आपका सर्वाधिक योगदान रहा, जिसके आप 10 वर्षों तक अध्यक्ष रहे। सन् 1946 के दोनों आन्दोलनों के दौरान आपने तहसील के कार्यकर्ताओं को उनमें सहयोग व समर्थन जुटाने में बढ़चढ़ कर भाग लिया। आपके साथ लक्ष्मणगढ़ के काशीराम पंसारी, पं. विहारी लाल शर्मा, श्री अनन्तराम शर्मा, श्री रामसिंह एडवोकेट, खेड़ली के मोतीलाल लखेरा आदि सहयोगी कार्यकर्ता रहे। आप तहसील से जत्थे भेजते रहे। जिस दिन आप एक जात्था लेकर जा रहे थे, उसी दिन सन् 1946 के अगस्त आन्दोलन का समझौता श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा कराने की घोषणा हो गई।

आप तहसील लक्ष्मणगढ़ पंचायत के प्रथम अध्यक्ष बने और पंचायत समिति के सदस्य चुने गए।

आपके पुत्र मोदी कान्तिचन्द्र एडवोकेट तथा विलाव मोदी भी शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। आपका पूरा ही परिवार शुरू से आज तक कांग्रेस से जुड़ा रहकर उसके लिए काम करने में लगा रहता है।

श्री शिव प्रसाद वर्मा

नेताजी के नाम से प्रसिद्ध श्री शिवप्रसाद वर्मा का जन्म अलवर के सेढ़ का टीला मोहल्ले में सन् 1920 में हुआ। आप सन् 1945-46 से प्रजामण्डल की गतिविधियों में पूरी सक्रियता के

साथ लगे रहे। आपने सन् 1946 के दोनों आंदोलनों में बढ़चढ़ कर भाग लिया। अगस्त आंदोलन का संचालन बाहर से रहकर करने के लिए जब श्री शोभाराम अलवर की सीमा से बाहर कँटी गये तो आप उन के साथ गये और पूरी दिलचस्पी व लगान के साथ सत्याग्रही भेजते तथा बाबू शोभाराम के सन्देश सेकर वे इधर उधर जाते थे। हर आंदोलन, चुनाव प्रचार तथा अन्य कामों में जोश व तत्परता से से लगे रहने के कारण लोग उन्हें नेताजी कहकर स्नेह से सम्मोहित करते थे। उन्होंने अपने कुछ साधियों के साथ सन् 1951 में 'आगे बढ़ो' तथा बाद में सत्यवक्ता साताहिक निकाला। सन् 1996 में आपका देहान्त हो गया।

डॉ. हरिप्रसाद शर्मा

20 नवम्बर 1921 को खैरथल में जन्मे डॉ. हरिप्रसाद ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.एम.सी. को उपाधि प्राप्त की और कानपुर में तेल के प्रतिष्ठित व्यवसायी होते हुए 1942 के गांधी जी के भारत छोड़ी आंदोलन से प्रभावित हो स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हुए। मृदुभाषी डॉ. शर्मा भारत छोड़ी आंदोलन में गिरफ्तार हुए और सन् 1942-43 में छह माह कारबास में रहे। बाद में भारत छोड़ने की शर्त के साथ विजय लक्ष्मी पंडित द्वारा दी गई जमानत पर रिहा हुए और अमेरिका चले गये जहां उन्होंने एम.ए. व पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में भारत (खैरथल) वापिस आये। डॉ. शर्मा 1962 से 1971 तक मुण्डावर से विधायक, 1971 से 1977 तक लोकसभा व 1985 से 88 तक राज्य सभा सदस्य और 1981 से 1985 तक जिला प्रमुख के पद पर रहे।

श्री दत्ताराम गुप्ता

श्री दत्ताराम का जन्म 8 जुलाई 1921 को हुआ। शुरू से ही आप राष्ट्रीय गतिविधियों में दिलचस्पी लेते रहते थे। सन् 1940-41 में जब पंडित भवानीसहाय शर्मा जेल से छुटकर आए और उनका खैरथल में स्वागत हुआ, आप उनसे प्रभावित होकर प्रजामण्डल के सदस्य बनकर उसकी गतिविधियों से जुड़ गए और थोड़े समय बाद खैरथल प्रजामण्डल कार्यकारिणी के सदस्य बना दिए गए। सन् 1946 के अगस्त आंदोलन में गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों का मुतला जलाने के कारण जेल भेजे गए। आंदोलन के समापन पर सभी अन्य बंदियों के साथ रिहा किए गए।

आप तब से अब तक लगातार राजनीतिक व समाजिक कार्यों में पूरी तरह सक्रिय रहे हैं। अपनी इसी प्रकार की सेवाओं के कारण आप कई बार खैरथल नगरपालिका के सदस्य चुने गए और उसके अध्यक्ष तथा अन्य पदों पर रहे हैं।

श्री पृथ्वीनाथ भार्गव

आप यद्यपि राजनीतिक गतिविधियों में अपनी भागीदारी तो अपनी अलवर से बाहर शिक्षा के दौरान ही करने लगे थे पर यहां पर आप का नाम खेड़ा मंगलसिंह के आंदोलन से ही प्रकाश में आया। आप अलवर नगरपालिका के अध्यक्ष भी ला. काशीराम के इस्तीफा देने के बाद बने। एक शान्त, धैर्यवान तथा विनम्र कार्यकर्ता के रूप में आप सभी के आदर के पात्र बने रहे। आपकी पुत्री शोभा उर्फ़ शोभना भार्गव शुरू से ही उत्साही व लग्न शील कार्यकर्ता रही।

छात्र जीवन से ही वह राजनीति में भाग लेती रही। सत्याग्रह आन्दोलन में गिरफ्तार होकर जंगलों में कष्ट सहती हुई पुनः सत्याग्रही बनकर आगे आ जाती।

आप खेड़ा मंगलसिंह में उस समय मौजूद थे, जब राज्य सरकार ने श्री शोभाराम जी आदि को 2 फरवरी 1946 की रात को गिरफ्तार कर लिया था। आपके नाम चूंकि कोई बारंट आदि नहीं था, अतः आप दूसरे दिन वहाँ रहे और वहाँ दोपहर को होने वाली आम सभा की अध्यक्षता आपने की।

सन् 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आप जेल गए। आपके पिता श्री माधो प्रसाद जी अलवर के एक प्रसिद्ध बकील थे। आप अपने अध्ययन काल के दौरान अलवर से बाहर की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय थे। आपके बारे में अलवर राज्य की सी.आई.डी.सदैव सर्तक रहती थी। उच्च शिक्षा हेतु बाहर रहते समय जब आप अलवर में अपने गांव में आते थे उस समय भी सी.आई.डी.उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखती थी।

श्री प्रहलाद राय धातरिया

ला. प्रहलाद राय धातरिया, मूलतः बड़ोंद कस्बे के निवासी थे, पर उनका परिवार काफी समय पहले से दिल्ली में जा चसा था और इनके परिवार के कुछ संदस्य कलाकार में भी काफी अच्छा कारोबार करते थे। यह धराना सिंगापुर भलाया में भी काम करता था। धातरिया परिवार ने अलवर में हैपी स्कूल का भवन बनाकर दिया था। राज्य सरकार ने इसीलिए शिक्षा कार्यों में ऐसा योगदान करने के लिए सेठ प्रहलाद राय धातरिया को देशोपकारक की उपाधि से सम्मानित किया। सेठ जी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यों में दिलचस्पी लेते थे, और इसी कारण आप अलवर राज्य प्रजामण्डल की गतिविधियों को लिए धन की सहायता करते हुए स्वयं भी उनमें हिस्सा लेने लगे सन् 1946 के गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में आप जेल गए और विरोध स्वरूप अपनी देशोपकारक की उपाधि लौटा दी।

श्री हजारी लाल सेठ

ला. प्रहलाद राय की भाँति अलवर जिले के एक अन्य प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, सेठ हजारी लाल मौढ़नवाले। वे प्रजामण्डल के नेताओं के साथ अवसर रहते थे। उन्हें आर्थिक सहायता देते और कई व्यक्तियों के घरों पर अनाज की बोरियाँ तथा अन्य सामान पहुँचाते। एक बार आपने लगभग आधा दर्जन नेताओं को बाहर से लाकर हाथ की घड़ियाँ भेंट की। खाते पीते धनी होते हुए भी आप वडे मस्त व्यक्ति थे।

प्रजामण्डल को उन दिनों काफी अच्छे धनी सजनों का हर प्रकार से सहयोग मिलता था। अलवर शहर के ऐसे व्यवसायी व व्यापारी वर्ग के व्यक्तियों में श्री प्रभुदयाल मोदी से काफी अच्छा सहयोग मिलता था, जिनकी पूरे व्यापारी वर्ग में प्रतिष्ठा थी। महावर प्रेस के ला. रामकुमार राम, प्रकाशन, प्रचार में सहयोग देने के साथ-साथ प्रजामण्डल के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। इसी प्रकार केडल गंज मण्डी के गुड़वाला परिवार के श्री प्रभुदयाल गुप्ता, वर्फाणा के श्री चंदगोलाल गुप्ता, श्री कुंजविंहारी मोदी के छोटे भाई रंगविहारी मोदी, छोटू सिंह जी एडवोकेट के घडे भाई श्री रामजी लाल आर्य, थानागांजी तहसील के आगर के श्री गूजरमल गुप्ता,

थानागाजी के प्रतिष्ठित वकील मं. नन्दकिशोर शर्मा, लीली लक्ष्मणगढ़ के सेठ थानसिंह जी, छेड़ली के श्री अजीराम, भोरी किशनगढ़ के श्री रामजौलाल गुप्ता, बासकृपालनगर के श्री ताहवन्द गुप्ता, नारायणपुर के युवा साथी श्री गंगालहरी पारीक व सत्येन्द्र पारीक, लक्ष्मणगढ़ के श्री विश्वभार दयाल विजय, जो याद में राज्य सेवा करते हुए राज. राज विद्युत मण्डल के चीफ इंजीनियर पद से सेवा निर्वत हुए, श्री कृपादमाल माथुर के भतोजे श्री कैलाश नारायण माथुर जिन्होंने प्रजामण्डल के कार्यों में भाग लिया और उसे मजबूती दी। श्री रोशनलाल बुकसेलर व श्री रामदयाल जैन हलवाई भी प्रजामण्डल के अच्छे सहयोगी व कार्यकर्ता रहे थे। श्री रोशनलाल जैन राजगढ़ की जागीर माफी कान्फ्रेंस में शामिल हुए थे।

अलवर के प्रदुषद्वयकियों में प्रो. जी.एस. जैमन, ला. इन्द्रलाल मित्तल, लाला रामावतार एग्ज एडवोकेट आदि ने भी अपनी सेवाओं से प्रजामण्डल को काफी आगे बढ़ाने में मदद की। इसी प्रकार मजदूर किसानों तथा साधारण कहे जाने वाले हजारों लोगों ने भी प्रजामण्डल के सत्याग्रहों में भाग लिया। इसकी जानकारी पुस्तक के परिशिष्ट भाग में जेल जाने वालों की सूची से प्राप्त की जा सकती है। मा. भोलानाथ जी के साधियों में मौजपुर के श्री रेवड़मल मास्टर, श्री मोतीलाल सैनी, मैनेजर चोदन राम सैनी, चोराई पहाड़ के अनेक किसान जिनमें श्री सुखराम पटेल, अलवर के श्री कन्हैया लाल सैनी मिस्त्री आदि को आवश्यकता पड़ने पर याद करते ही गैर जिमेदार मिनिस्टरों कुर्सी छोड़ो आन्दोलन में जेल गये और कुछ ने बाहर रहकर अनधक सेवायें की। ऐसी ही जाने-अनजाने हजारों आजादी की कामना करने वालों के कार्यों भावनाओं एवं क्रियात्मक सहयोग से ही अलवर का आजादी का संघर्ष आगे बढ़ा। आओ हम उन्हें सादर नमन करें।

हमारे बाहर के वे स्वतंत्रता सेनानी जिन पर हमें गर्व है-

15 अगस्त 1947 को देश के स्वतंत्र होने पर विभाजन जनित आजादी की अदला-बदली के कारण पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी अलवर में आये जिन्होंने अपनी वहाँ की सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता के बाद के दिनों में अलवर जिले की अनेक प्रकार से सेवायें की हैं। इन साधियों की यद्यपि हमारे यहाँ के आजादी के संघर्षों में सीधी भागीदारी नहीं रही, पर इन्होंने देश के अन्य भागों में रहते हुए राष्ट्रीय आन्दोलन में अविम्मणीय योगदान किया, जिसके कारण इन्हें भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने इनकी सेवाओं के लिए गोप-पद तथा पेंशनें देकर सम्मानित किया है। इन साधियों में सर्व श्री हरूमल तोलानी, स्व. वयद्वी वजीर चन्द, श्री सेवकराम राजोरिया तथा अन्य साथी हैं। हमें इनकी सेवाओं पर गर्व है और हम इन्हें भी उतना ही सम्मान देते हैं, जितना हमारे यहाँ के सेनानियों को देते हैं।

श्री हरूमल मूलत: सिन्ध प्रान्त, जो आजकल पाकिस्तान का एक भाग है, के रहने वाले हैं। भारत विभाजन से पूर्व आप बचपन से ही कांग्रेस की गतिविधियों में हिस्सा लेने लग गए थे। आप इहले गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। पर उस समय भी आप मजदूरों, किसानों तथा आम जनता के कार्यों में हमेशा ही संघर्षरत रहते थे। इसी कारण आप पाकिस्तान बनने से पूर्व अंग्रेजों की जेलों में कई साल तक जेल में रहे। इसी कारण आप केन्द्र सरकार की ओर से

केन्द्रीय पेंशन ले रहे हैं। आप आज 80 वर्ष की आयु में भी मैं लगे रहते हैं।

आपकी ही तरह बछड़ी बजीर चन्द्र भी पाकिस्तान में आप की शुरू से ही गांधी जी के विचारों से प्रभावित रहे। सन् कांग्रेस छोड़ दी तो आपने भी उनके साथ कांग्रेस के पुराने किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर, सा तरह यहाँ के पुरुषाधीन किसानों के सवाई जमा आदि

श्री सेवकराम राजोरिया भी हरूमल जी और बछड़ी जी में कांग्रेस के हर आन्दोलन में पूरी सक्रियता से जुट गये। हरियाणा क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले थे। आपके पिता, पहले फाजिलका गये। वहाँ जब कोई काम नहीं मिला तो गया। आप सिन्ध के हैदराबाद सत्याग्रह में कई बार जेल गए। की स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिल रही है। आजकल आप जिला किसान सभा के अध्यक्ष हैं और भारतीय कम्युनिस्ट कुँवर मोहम्मद अशरफ

अलवर की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए कौं और कृतित्व को समझना बहुत जरूरी है। यद्यपि उनका जन्म हुआ और अपनी एम.ए. की डिग्री अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से सहायता और प्रेरणा से उच्च शिक्षा हेतु इंग्लैण्ड गए और न जाकर वहाँ पर अध्यापन भी किया, पर वे भारतीय राजनीति से जयसिंह की जुविली के समय कुछ समय तक उनके निजी मेहमानों की देखभाल के विशेषाधिकारी रहे। उन्होंने यहाँ की अध्ययन किया। सन् 1947 के साम्राज्यिक दंगों के दौरान रहनुमाई करने में सक्रिय भूमिका निभाई। वे उच्च कोटि के संगठक भी। अलवर की राजनीति में और खासतौर से आजादी को सदैव याद किया जायगा। उन्होंने बाहर रहकर यहाँ की रामजीलाल जी अग्रवाल, कृपादयाल जी, दयाराम गुप्ता आदि को ये देश और विदेश के कई विश्वविद्यालयों में इतिहास के शितहसील के तर्सई गांधी का मूल निवासी था। ●



अलवर में स्वाधीनता-संघर्षः महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज

- ♦ नीमूचाणा-कांड और महात्मा गांधी
- ♦ नीमूचाणा-कांड पर 'मतवाला' का मत
- ♦ महाराजा जयसिंह का निष्कासन :
- प्रेमचंद जी की सम्पादकीय टिप्पणी
- ♦ महाराजा जयसिंह के निष्कासन के बारे में
- 'अर्जुन' (दिल्ली) में प्रकाशित समाचार
- ♦ अलवर के प्रधानमंत्री के नाम नेहरू जी का पत्र
- ♦ अलवर में राजद्रोह : नवज्योति(अजमेर) की टिप्पणी
- ♦ अलवर राज्य प्रजामंडल के उद्देश्य और नियम
- ♦ महात्मा गांधी और अलवर-मा. भोलानाथ
- ♦ अलवर में स्वतंत्रता संग्राम :
- जेल गये सेनानियों की सूची
- ♦ राजशाही से लोकशाही की स्थापना सम्बन्धी अधिसूचनाएँ
- ♦ सरदार पटेल की अलवर यात्रा और मत्स्य-संघ का निर्माण:
- 'राजस्थान क्षितिज' की प्रेस रपट।

जलियांवाला बाग के हत्याकाण्ड से सभी परिचित हैं। इस हत्याकाण्ड ने अंग्रेजी शासन के प्रति भारतीय जनता के विश्वास को जड़ मूल से हिला दिया। जनरल डायर ने इस बाग में आयोजित नागरिकों की एक सभा को फौज द्वारा घेर लिया और मशीनगन की अंधा-धुंध गोलियां चला कर सैकड़ों स्त्री-पुरुषों और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। भारत में ब्रिटिश शासन पर कभी न मिट्टने वाला कलंक का टीका लग गया और उसने जब इस अन्याय का समुचित प्रतिकार नहीं किया तो गांधीजी को असहयोग आन्दोलन का सूखपात करना पड़ा, जिसने भारतीय इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। जलियांवाला बाग शहीदों का स्मारक और पुण्य-तीर्थ बन गया है। जिस धरती पर शहीदों का रक्त पड़ा उसकी मिट्टी को माथे पर लगा कर कौन देशभक्त कृतकृत्य नहीं होगा।

जलियांवाला हत्याकाण्ड से मिलता-जुलता काण्ड सन् 1925 की 14 मई को राजस्थान की अलवर रियासत के नीमूचाणा गांव में घटित हुआ। उस समय महाराज जयसिंह अलवर की गढ़ी पर थे। उनकी निरंकुशता से प्रजा बुरी तरह पीड़ित थी। उन्हीं दिनों रियासत में भूमि का नया घन्दोबस्तु हुआ। किसानों के बिस्वेदारी अधिकार छीन लिए गए और लगान पहले से ढ्योढ़ा कर दिया गया। राजपूत किसानों ने अपनी एक कमेटी संगठित की और उसके द्वारा न्याय प्राप्त करने के लिए वैधानिक प्रयत्न करने लगे। महाराजा और ब्रिटिश अधिकारियों को तार, आवेदन पत्र आदि दिए।

महाराजा को इस पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने नीमूचाणा गांव पर फौजकशी करने का हुक्म दे दिया। फौज और पुलिस के सैकड़ों आदमियों ने, जिनमें धुड़सवार भी शामिल थे, नीमूचाणा गांव को घेर लिया। चार मशीनगन और दो तोपें उनके साथ थीं। फौज ने राजपूत किसानों की सभा पर चांगे ओर से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। सभा को न तो गैर-कानूनी घोषित किया गया और न उसे बिखरने का आदेश दिया गया। गोली चलाने में इस बात का कोई लिहाज नहीं रखा गया कि कम से कम प्राण हानि हो। करीब दो घंटे तक गोलियां चलती रही। 42 मिनट तक लेविस गन ने गोलियां चलाई। पुलिस के सिपाहियों ने गांव को लूटा और आग लगा दी। घायलों को कोई मदद नहीं दी गई।

इस काण्ड में जान-माल की भारी क्षति हुई। 19 व्यक्ति, जिनमें स्त्रियां भी थीं, अपने पर्यां में गोली से मारे गये, 18 घायल हुए और 9 का पता नहीं लगा। 353 झौंपड़ियां नष्ट हो गई और 71 पशु जल गये। उस समय के अनुमान के अनुसार 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की सम्पत्ति नष्ट हुई। हतोहतों की जो संख्या ऊपर दी गई है, वह उन लोगों की है जिनके नाम जात हुए, दरअसल इस हत्याकाण्ड में एक सौ से अधिक आदमी मारे गए और दो सौ घायल हुए।

इस घटना के बाद बहुत से व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनके साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें मांग लेने के लिए बिवश किया गया। कुछ पर मुकदमा चलाया

गया। उनको अपनी सफाई का अवसर नहीं दिया गया। दो को बीस वर्ष, एक को 10 वर्ष, और अन्य दो को पांच-पांच वर्ष सख्त कैद की सजाएं दी गई। दो बन्दी जेल के अत्याचारों के कारण जेल में ही शहीद हो गए।

महाराजा ने इस हत्याकाण्ड पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, किन्तु सत्य छिपा नहीं रह सका। ब्रिटिश सरकार ने भी इस काण्ड के प्रति आंखें मूँद ली और महाराजा को एक शब्द भी नहीं कहा। कांग्रेस की उस समय यह नीति थी कि देशी रियासतों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न किया जाए। किन्तु जब विवरण गांधीजी के पास पहुँचा तो उन्होंने 'यंग इण्डिया' में Dyerism Double Distilled (दोहरी डायर शाही) शीर्षक से एक टिप्पणी लिखी। उसका अनुवाद इस प्रकार है:-

“अलवर के विषय में मेरे पास इतना व्यौरा नहीं है कि कुछ लिख सकूँ। मेरी बात या लेख पर निजाम साहब की तरह अलवर महाराज भी तिरस्कार के साथ हंस सकते हैं। अब तक जो बातें प्रकाशित हुई हैं, वे यदि सच हैं तो इसे दोहरी डायर शाही ही समझना चाहिए। किन्तु, मैं जानता हूँ कि फिलहाल मेरे पास इसकी कोई दबा नहीं है। इन भीषण आरोपों के सम्बन्ध में कम से कम जांच कराने के निमित्त समाचार पत्रों वाले जो उद्योग कर रहे हैं, उसे मैं आदर की दृष्टि से देख रहा हूँ।”

इस काण्ड की जांच के लिए एक जांच कमेटी बनी। उसके अध्यक्ष श्री मणिलाल कोठारी और भन्नी श्री रामनारायण चौधरी हुए। राजस्थान सेवा-संघ की ओर से श्री हरिभाई किंकर, पं. लादूराम जोशी और श्री कन्हैयालाल कलमंत्री गुप्त रूप से घटना स्थल पर पहुँचे। खुले तौर पर तो कोई बहां जा नहीं सकता था। इतनी बड़ी नाकाबन्दी राज्य की ओर से थी। ये तीनों कार्यकर्ता काफी मूल्यवान सामग्री जुटा लाये थे। उनके जाने से पीड़ित ग्रामीणों को भी आश्वासन मिला था।

सन् 1925 के अन्त में कानपुर में कांग्रेस का व्यार्थिक अधिवेशन हुआ। उसके साथ ही देशी राज्य-परिषद का भी अधिवेशन हुआ। उसके नेताओं की प्रार्थना पर इस परिषद के लिए नीमूचाणा हत्याकाण्ड के बारे में गांधीजी ने स्वयं अपने हाथ से एक प्रस्ताव का मसविदा तैयार किया। प्रस्ताव का मसविदा अंग्रेजी में था, जिसका अनुवाद नीचे दिया जा रहा है-

“देशी राज्यों की प्रजा की यह परिषद अलवर राज्य के भीतर नीमूचाणा की अमानुषिक घटनाओं पर खेद प्रकट करती है कि राज्य ने अपनी पुलिस और अफसरों द्वारा किए गए घोर अत्याचारों और अनियमितताओं के कारणों और व्यौरों की खुली और निष्पक्ष जांच करने की अनुमति न देने का दुरग्राह किया है।

यह परिषद अनेक शोकदाथ कुदम्बों, आहत व्यक्तियों और उन लोगों के प्रति, जो कानून और व्यवस्था के नाम पर अपनी सम्पत्ति के नष्ट कर दिए जाने के कारण गृहीत हो गए हैं, रादिंक सहानुभूति प्रकट करती है और चाहती है कि वह नीमूचाणा के लोगों की इस संकट के समय कुछ फारंगर सहायता फरने में समर्थ हो।”

यही नहीं, गांधीजी ने देशी राज्य प्रजा-परिषद को रियासती जनता के नाम एक छोटा सा सूर्तिदायक संदेश भी दिया। संदेश हिन्दी में था। संदेश की शब्दावली यह थी-

“प्रत्येक भनुव्य अपना धन्वन्तर काट सकता है। यदि हम इस सामान्य नियम को समझ लें और उसका पालन करें तो सब दुःख को जड़ काट सकते हैं। कोई जालिम मजलूम को सहाय के बगैर उत्सु नहीं कर सकता है। इतना पाठ सीख लें तो कैसा अच्छा होगा।”

नीमूचाणा हत्याकाण्ड के सम्बन्ध में गांधीजी ने जो दिलचस्पी ली और रियासती कार्यकर्ताओं और जनता का जो मार्ग दर्शन किया, उससे बड़ी हिमत घंथी। नीमूचाणा हत्याकाण्ड ने राजाओं की निरंकुशता और अत्याचारों के प्रति रियासती जनता में तीव्र रोप और असंतोष उत्पन्न किया। अन्त में अलवर महाराजा को भी इसी जीवन में उसका फल भोगना पड़ा। किसी और प्रसंग को लेकर ब्रिटिश सरकार उन पर कुपित हुई और उन्हें रियासत से निर्वासित कर दिया गया। उनकी मृत्यु निर्वासित अवस्था में ही पेरिस में हुई।

नीमूचाणा हत्याकाण्ड के बारे में कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार किया, गांधीजी ने 30 जुलाई 1925 के हिन्दी ‘नवजीवन’ में प्रकाशित अपने एक लेख में इसका स्थीकरण किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की देशी रियासतों के सम्बन्ध में क्या मर्यादायें हैं और व्यक्तिगत रूप से कांग्रेसजन रियासती प्रजा की किस प्रकार मदद कर सकते हैं। गांधीजी ने लिखा था-

लोग जिसे ‘अलवर हत्या काण्ड’ कहते हैं उसके सम्बन्ध में कलकत्ते की कांग्रेस कार्य समिति में श्री जमनालाल जी बजाज ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया था कि एक जांच समिति नियत को जाये। वर्षों से कांग्रेस की यह परम्परा चली आई है कि वह देशी राज्यों के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप न करे। कार्य-समिति के सदस्यों ने अनुभव किया कि यह परम्परा अच्छी है और उसको तोड़ना नादानी होगी। तब श्री जमनालाल बजाज जी ने इस पर जोर न दिया। फिर भी मैंने उनसे कहा था कि मैं ‘यंग इण्डियां’ में इस प्रश्न की चर्चा करूँगा और अपनी इस जाती रूप के कारण बताऊँगा कि क्यों कांग्रेस को देशी रियासतों की भीतरी बारों में दखल न देना चाहिये। यदि कोई चाहे तो इसे समय साधकता या समय-नीति ख्याल कर सकता है। यह बात खुलम-खुला कबूल कर लेनी होगी कि खुद ब्रिटिश इलाकों में कांग्रेस अपने आदेशों का पालन करने की जितनी सत्ता रखती है, उन्हीं भी देशी राज्यों में उसके पास नहीं है। इसलिए दूरदर्शिता कहती है कि जहां कर्म, यदि नादानी नहीं तो व्यर्थ प्रयत्न हो, वहां अकर्म ही श्रेष्ठ होता है। पर यदि अकर्म दूरदर्शिता-पूर्ण हो तो वह लाभकारी भी है। कांग्रेस देशी राज्यों को तंग करता नहीं चाहती। वह तो उन्हें मदद करना चाहती है। वह उनको नष्ट करना नहीं चाहती, उनमें सुधार करना चाहती है और कांग्रेस यह करती है उनसे दूर रहकर, अपनी सदिच्छा की सरगमी का परिवर्य देकर।

परन्तु कांग्रेस के अलाग रहने का यह अर्थ नहीं है कि कांग्रेसी अपनी तरफ से कुछ न करें। जिनका देशी राज्यों से कुछ भी सम्बन्ध है, वे अवश्य ही अपने प्रभाव का उपयोग करेंगे। स्थानिक समितियां दुखी लोगों की सहायता और रहनुमाई कर सकती हैं, जहां तक यज्ञ-सत्ता

से उनका संधर्य न हो। और न कांग्रेस किसी कांग्रेसी के काव्यों पर अंकुश ही रखती है या उसे नियमित ही करती है। क्योंकि वे जब कोई काम वहां करते हैं तब कांग्रेसी की हैसियत से नहीं करते हैं। यह न होना चाहिए कि उनके काम को कांग्रेस का काम दिखाया जाय।

तब क्या देशी राज्यों की प्रजा कांग्रेस से, जो कि एक राष्ट्रीय संस्था होने का दावा रखती है, किसी तरह की सहायता की उम्मीद न करे? मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर अंशतः होगा 'नहीं'। वे किसी तरह की प्रत्यक्ष सहायता की आशा न करें। हाँ अप्रत्यक्ष सहायता उन्हें जरूर मिलती है, क्योंकि जिस दर्जे तक कांग्रेस कार्यक्षम और शक्तिशाली होती है उसी दर्जे तक देशी राज्यों की दशा अच्छी होती है। कांग्रेस का नैतिक प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कोने कोने में हुए विना नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में मैं आशा करता हूँ कि अलवर के दुःखी लोग इस बात को समझ लें कि यदि कांग्रेस उन्हें कोई सीधी सहायता नहीं पहुँचा सकती तो इसका कारण इच्छा का अभाव नहीं, बल्कि क्षमता और अवसर का अभाव है।"

एक भाई ने गांधी जी से यह प्रश्न पूछा-

अलवर राज्य मालवीय जी को अकेले भीमूचाणा काण्ड की तहकीकात करने की इजाजत दे रहा था, फिर भी उन्होंने उसे नहीं किया। क्या यह उनकी भूल नहीं? राज्य की ओर से आर्थिक सहायता मिलने के कारण दब जाना और अपने फर्ज से चूकना, नैतिक साहस प्रकट करने में हिचकना और तहकीकात के मिले भौके को गंवाना-पंडितजी जैसे नेता के लिए क्या अनुचित नहीं है?

गांधीजी ने 27 अगस्त 1925 के 'नवजीवन' में इस प्रश्न का उत्तर यों दिया:-

"मैंने अखबारों में पढ़कर पंडितजी के विषय में लिखा था। प्रश्नकर्ता ने जल्दवाजी से उल्टा अनुमान किया है। पंडितजी को अलवर जाने की तथा तहकीकात करने की इजाजत मिली ही नहीं। अलवर नरेश के अधिकारियों ने डायरशाही चलाई है और अलवर नरेश ने खुली तहकीकात को रोककर राजमुकुट के त्रेज को कम कर दिया है। पंडितजी इतने भीरु नहीं है कि तहकीकात का भौका उन्हें मिले और वह उसे खोयें। कोई स्वप्न में भी यह ख्याल न लावे कि पंडितजी द्रव्य के लिए आत्मा को बेच देंगे।" ●

नीमूचाणा कांड पर 'मतवाला' का मत

नीमूचाणा-काण्ड ने सारे देश के समाचार-पत्रों का ध्यान आकर्षित किया था और उनमें इस निर्मम हत्याकांड की निवा की गयी थी। कलकत्ता से प्रकाशित 'मतवाला' उस युग का प्रमुख साहित्यिक-पत्र था। महाकवि निहला तथा पांडेय बेचैन शर्मा उग्र जैसे वरिष्ठ साहित्यकार इस पत्र से जुड़े हुए थे। -सम्पादक

कहाँ हैं माननीय मालवीय जी महाराज? आवें, इस मौके पर उन्हीं की तो जरूरत है, क्योंकि पंजाब हत्याकाण्ड के समय पहले थे ही पंजाब के पीड़ितों की सेवा के लिए दौड़े थे। अब आज व्यापों नहीं दौड़े, जाकर आबू-पर्वत पर अलवर नरेश से पूछते कि क्या दिल्ली से मरीनगन मांगाने के लिए ही आपको हिन्दू-विश्वविद्यालय से सम्मानवर्धक उपाधि दी गई थी? अलवर नरेश हिन्दू-विश्वविद्यालय के कनवोकेशनों में भाषण देने के समय तो प्रजाहितैषणा की साक्षात् मूर्ति बन जाते हैं और अब आपने यह सर्वापेक्षा शिक्षित नरेश होने का कैसा सुन्दर आदर्श संसार के सामने रख दिया? भारत के प्रतिनिधि बनकर विलायत जाने और भारतीय अधिकार पर ओजस्वी भाषण देनेवाले का क्या यही असली रूप है? क्या यह ओडायरशाही सीखने के लिए ही विलायत गये थे? खोल रखना है इतिहास विभाग और एकत्र कर रखना है इतिहासज्ञ विद्वानों का समूह क्या इसीलिए कि हिन्दू राजाओं के इतिहास में जो बात कभी किसी काल में न हुई हो, उसे ही कर दिखाया जाय? इतिहासज्ञों ने नमकहलाली दिखाने के लिए कहाँ किसी इतिहास- प्रसिद्ध प्रजाध्यांसक राजा का आदर्श तो नहीं ढूँढ़ निकाला? क्या कहीं ऐतिहासिक खोज में यह भी निकल आया कि किसी हिन्दू राज्य के एक सारे गाँव को प्रजा भाड़ में कच्चे चने की तरह भूंज डाली गई? तब तो इस अद्वितीय खोज की सूचना विटिश गवर्नमेण्ट को दे देनी चाहिए ताकि वह एक और लम्घा 'पुछला' लगा दे अथवा हिन्दू-विश्वविद्यालय के सिनेट-हाल में मालवीयजी महाराज से लगवा दे। यह सब हो या न हो, पर इतना तो जरूर हो गया कि रियासत के इतिहास-विभाग को एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घर में ही मिल गई, जिसे सदियों बाद तक इतिहास-पाठक आँखें फाड़-फाड़कर पढ़ेंगे और चकित होकर कहा करेंगे कि अलवर राज्य ने अपने तैयार कराये हुए इतिहास के लिए और कहीं उल्लेखनीय घटना ढूँढ़ने न जाकर घर ही में घटना घटित कर अपना इतिहास बना डाला। अखिल भारतवर्षीय क्षत्रिय-महासभा को भी अपने रेकार्ड में यह दर्ज कर लेना चाहिये कि उसके एक महत्वपूर्ण कमीशन के भूतपूर्व सभापति प्रजापालन में बड़े सुदक्ष हैं। नरेन्द्रमण्डल के अलंकार-स्वरूप अलवर नरेश के लिये याजिव भी यही था कि मण्डल के सामने एक ऐसा आदर्श रख देते, जिसे देख नरेन्द्र भी मुँह याकर रह जायें। नरेन्द्रमण्डल को चाहिए कि अलवर-नरेश को धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अधिकारियों से मुफ्त ही मरीनगन पाने का रास्ता साफ कर दिया है। इस महापाप का प्रत्यक्ष प्राप्तिकरण भी हो सकता है। एक-दो लाख का चन्दा हिन्दू-विश्वविद्यालय के नाम घोषित कर दिया जाय। फिर मालवीयजी के सिवा ऐसे हत्याकाण्डों पर कौन हो-हल्ला मचा सकता है। अब छाहे कॉसिलों में प्रश्न पूछे जायें या पत्रों में अलवर-नरेश की सम्मता की दुहाई देकर इस ऐमांचकारी घटना पर दिल के फफोले फोड़े जायें, कोई परिणाम नहीं हो सकता। होगा भी तो

सन्तोष जनक नहीं। क्योंकि इसका परिणाम तो अत्याचारी का सर्वनाश ही होना चाहिए।

डायर और ओडायर से जो नहीं बन पड़ा था, कोहाट के कसाई जिसे पूरा नहीं कर सके थे, उसे अलवर के शिक्षित नरेश ने कर दिया। बास्तव में अलवर की दानवी लीला की कथा सुनकर परलोक में डायर की आत्मा फड़क उठी होगी और विलायत में सर माइकेल ओडायर भूमियों पर ताब देता होगा। बहुत दिनों के बाद पृथ्वी पर राक्षसी लीला की पुनरावृत्ति देखकर राक्षस-मण्डली ताण्डव नृत्य करती होगी और अलवर राज्य के नर-राक्षसों का स्वास्थ्य सुरा पान कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता होगा।

पाठक, नीमूचाणा वस्ती की निरपराध प्रजा को अलवर के राजा ने तोपों और मशीनगनों से उड़वा दिया है। उनके घरों पर किरासन तेल छिड़ककर उनमें आग लगवा दी है। इसके बाद दिमाग ठण्डा करने के लिए आप आबू की चोटी पर गये हैं। कितने ही नीमूचाणा के निवासी लखपती अपने प्रजावत्सल नरेश की कृपा से आज पथ के भिखारी हो रहे हैं। शरीर पर केवल एक बस्त्र के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं रह गया है। मदोन्मत्त नर-राक्षसों ने निर्दयतापूर्वक समस्त ग्राम की प्रजा को भुट्टे की तरह भून डाला है।

मालूम होता है, अलवर पर साढ़े साती की दया-दृष्टि पड़ गई है। रूस के अत्याचारी जारी की तरह इस राजसत्ता के ध्वंस का समय भी आ गया है चरना बैठे बैठाये यह घोर पाप-प्रवृत्ति उनके सिर सवार न होती। गरीबों की आह, मजलूमों का करुणा-क्रन्दन अवश्य ही जगन्नियता के कानों तक पहुँचेगा और ऐसी नृशंस राजसत्ता का एक-एक कण ध्वंस होगा। एवमस्तु।

-मतवाला (कलकत्ता) 6 जून 1925

महाराजा जयसिंह के निष्कासन के सम्बन्ध में प्रेमचंद जी की सम्पादकीय टिप्पणी

जिस वक्त भारत धर्म-महामंडल ने महाराजा अलवर को 'राजर्षि' की उपाधि प्रदान की थी, उसे इसकी क्या खबर होगी कि एक दिन ऐसा आयगा, जब महाराजा साहब को जबरन संन्यास लेना पड़ेगा। अलवर के राज्य में वर्षों से कुप्रबन्ध चला आता था। राजर्षि के खर्च का पारावार न था और राज्य की आमदनी उसके लिए पूरी न पड़ती थी। अन्याधुन्य कर्ज लेकर, तरह-तरह के कर लगाकर, कर्मचारियों के बेतन रोककर, किसी तरह काम चल रहा था। प्रजा के सुख-दुख की परवा किसे थी। उसका जीवन तो केवल राजकोप ही की पूर्ति के लिए बना हुआ था। आखिर पैमाना लबरेज हो गया और महाराजा साहब को संन्यास लेना पड़ा। महाराजा साहब काश्मीर के विषय में हमने सुना कि जिन दिनों काश्मीर राज्य में दंगे हो रहे थे और मुसलिम प्रजा अपने हिन्दू भाइयों के जान-माल को तबाह कर रही थी, उस समय महाराज साहब अपनी नृत्यशाला में बैठे वेश्याओं का नाच देख रहे थे। इतिहास में ऐसी मिसालें पहले भी आ चुकी हैं, 'नीरो' की कथा प्रसिद्ध है। नृत्यकला की ऐसी जबरदस्त उपासना हमारे देशी रजवाड़े ही कर सकते हैं।

भाराराजा अलवर के विषय में ऐसी कोई बात तो नहीं सुनने में आयी, लेकिन यह तो सभी जानते हैं कि जिन दिनों अलवर में पुलिस गोलियाँ चला रही थी, महाराजा साहब काशी और प्रयाग में लीडरी के मजे लूट रहे थे, और अच्छे-अच्छे व्याख्यान दे रहे थे। यह वह बकूत था, जब राजा साहब को अलवर और मेवों के बीच में होना चाहिए था। अब वह जमाना नहीं रहा (कम से कम देशी रजवाड़ों के लिए। अंग्रेजी सरकार की बात छोड़िए) कि राजा साहब चाहे प्रजा पर जुल्म करें, चाहे उनके कर्मचारी प्रजा का गला किताना ही रेतें, प्रजा उसे ईश्वर की इच्छा और दीनबन्धु की आज्ञा समझकर चुपचाप सहती चली जाय। जब प्रजा राजा के लिए जान देती है तो राजा भी प्रजा के लिए जान देता है। जो राजा अपनी प्रजा को केवल भेड़-बकरी समझता हो, उसकी प्रजा भी राजा को भीद़ या भेड़िया ही समझती है। मगर राज का पद ही कुछ ऐसा अनर्थकारी है कि आदमी को सामने की चीज़ नहीं सूझती। अपनी आँखों देख रहे हैं कि जर्मनी का कैंसर अभी तक डेनमार्क में निर्वासित पड़ा हुआ है, जार का क्या हाल हुआ, स्पेन के राजा की क्या गत हुई, पुर्तगाल के राजा कहाँ भागे, लेकिन फिर भी आँखें नहीं खुलती। अगर हमारे महाराजों की यही नीति रही तो वह दिन दूर नहीं है, जब इन सबों का निशान दुनिया से मिट जायगा और दुनिया को इसका बिलकुल खेद न होगा।

□ हंस- मई 1933

महाराजा जयसिंह के निष्कासन के बारे में ‘दैनिक अर्जुन’ (दिल्ली) में प्रकाशित समाचार

महाराजा अलवर १५ वर्ष तक रियासत
में नहीं जा सकेंगे
एडमिनिस्ट्रेटर की भारत सरकार
को रिपोर्ट
भारत-सरकार की सहमति ?

दिल्ली 22 अगस्त

महाराज अलवर रियासत से निकाले जाने के बाद लन्दन चले गये थे—भागर, यहां से वापिस आकर आजकल आप पहाड़ी स्थलों की सैर में मशरूफ हैं।

‘रियासत’ अखबार को मालूम हुआ है कि मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर ने भारत-सरकार को यह रिपोर्ट की है—“यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिये कम से कम 15 वर्ष चाहिये। इन वर्षों में महाराज अलवर को रियासत की सीमा में नहीं आना चाहिये और यदि महाराज यहां आये तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर दुरा असर पड़ेगा।”

बताया जाता है कि भारत-सरकार ने इस 15 वर्ष की मियाद पर अपनी सहमति दे दी है। परिणामतः महाराजा साहब 15 वर्ष तक रियासत में कदम नहीं रख सकेंगे। (अर्जुन 25-8-1934)

महाराज अलवर अनिश्चित काल के लिये निर्वासित सुधार के लिये दो साल कम हैं
भारत-सरकार की विज्ञप्ति

शिमला 31 अगस्त-

भारत-सरकार के राजनीतिक-विभाग ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की है कि—“महाराज अलवर का अपनी रियासत से निर्वासन अनिश्चित काल है। सरकार का ध्यान कुछ वक्तव्यों की

ओर खेंचा गया है जिनमें लिखा है कि महाराज अलवर आगामी मार्च मास में अपनी रियासत में लौट आयेंगे। महाराज के अलवर स्टेट से जाने के बाद सरकार ने जिम्मेवारी ली थी कि वह रियासत की आर्थिक दशा को सुधार देगी, शासन को सुव्यवस्थित कर देगी और जनता को समृद्ध बना देगी। दो साल के छोटे से असे में उक्त व्यवस्था हो सकने की कोई आशा नहीं है। अतः महाराजा का निर्वासन अनिश्चित काल के लिये है।” (अर्जुन 3-9-1934)

महाराज अलवर कर्जे की वसूली के लिये रियासत से निकाले गये हैं ?
एक गुप्त रहस्य का भण्डाफोड़

शिमला 6 सितम्बर

यह सूचना पहले दी जा चुकी है कि महाराजा साहब अलवर अनिश्चित काल के लिए अपनी रियासत में प्रवेश न कर सकेंगे। अब इस सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ है कि भारत-सरकार ने रियासत अलवर को काफी रुपया कर्जे के रूप में दिया है और सरकार यह चाहती है कि रियासत की आर्थिक अवस्था अच्छी हो जाय। इसलिये उसने फैसला किया है कि महाराज अलवर को उस समय तक रियासत में न जाने दिया जाय, जब तक कि रियासत की आर्थिक अवस्था में सुधार नहीं हो जाता।

इसके अतिरिक्त सरकार को यह शिकायत है कि महाराजा अलवर के शुभचिन्तकों ने घर्तमान एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसलिये सरकार इन अवस्थाओं में महाराजा को वापिस अलवर नहीं आने देगी।”
(अर्जुन 7-9-1934)

अलवर के प्रधानमंत्री के नाम नेहरूजी का पत्र

अक्टूबर 1937 ई. के आरंभ में अलवर में राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी के बाद यह पत्र नेहरू जी ने अलवर के प्रधानमंत्री को लिखा था। -सम्पादक

इलाहाबाद

21, अक्टूबर 1937

प्रिय महोदय,

मुझे पता लगा है कि अलवर में कुछ साल पहले राजद्रोही-सभा और प्रकाशन निवारक कानून (प्रिवेशन आफ सेडिशन मीटिंग्स एण्ड पब्लिकेशन एक्ट) नाम का एक कानून बनाया गया था और वह अभी भी लागू है। इस कानून के अन्तर्गत न केवल सार्वजनिक सभाएँ वर्जित हैं बल्कि निजी स्थानों पर तथा टिकट लगाकर की जाने वाली सभाएँ भी नहीं हो सकती। इस कानून के अन्तर्गत पाँच व्यक्तियों का कहीं इकट्ठे मिलना ही सार्वजनिक सभा माना जाता है। यह बड़ी असाधारण बात है और सभा-सम्मेलन के सामान्य अधिकार को बहुत ही असाधारण रूप में सीमित किया गया है। भारत की वर्तमान स्थिति के यह कितना अनुरूप है, यह विचार करने का मैं आपसे अनुरोध करूँगा। मुझे पूरा यकीन है कि अलवर राज्य अपनी गणना उन राज्यों की श्रेणी में नहीं करना चाहेगा जिन्हें बड़ा प्रतिगामी माना जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आपकी सरकार इस कानून को रद करके अलवर के लोगों को सभा-सम्मेलन करने और विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करेगी। ऐसा किया गया तो लोग उसकी सराहना ही करेंगे, यह निश्चय है।

भवदीय

जवाहर लाल नेहरू

अलवर में राजद्रोह

अलवर में नेताओं की गिरफ्तारी पर नवज्योति (अजमेर) ने अपने 31 अक्टूबर 1937 के अंक में एक बड़ी टिप्पणी प्रकाशित की। पत्र के तत्कालीन सम्पादक श्री रामनारायण चौधरी का अलवर के स्वाधीनता संघर्ष से निकट संबंध था -सम्पादक

अलवर में राजनैतिक जीवन के अंकुर पैदा हो रहे थे कि शासन का भारी हाथ, प्रतीत होता है, उनको दबोच देने के लिये टूट पड़ा है। हम नहीं समझ सकते कि ऐसी कौन सी गंभीर स्थिति पैदा हो गयी थी कि जिसके कारण एक नहीं, दो नहीं, दस व्यक्तियों को गिरफ्तार करना अनिवार्य हो गया। गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों की सूची पर दृष्टि डालने से मालूम होता है कि गिरफ्तारियों करने में विवेक से काम नहीं लिया गया, क्योंकि ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में नगण्य ही कहा जा सकता है। इसका यही अर्थ हो सकता है

बताता है कि दमन थोड़े असें के लिये कारण हो सकता है, वह हमेशा के लिए लोकमत को नहीं दबा सकता। यदि अलवर के चारों ओर चीन की दीवार खड़ी कर दी जाये, तो भी पड़ोस की घटनाओं के असर से अलवर-वासी प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकते। उनमें राजनीतिक आकांक्षाएं जागृत होंगी और यदि उनको पूरा नहीं किया गया, तो असंतोष का बढ़ना अनिवार्य है। आज का यह असंतोष तभी शांत हो सकता है, जब कि उसकी उचित आकांक्षाओं को संतुष्ट कर दिया जाये। हम दूर क्यों जायें, विटिश-भारत का उदाहरण हमारे सामने है। कांग्रेस कठोर दमन के बाद भी आज जीवित ही नहीं है, वह सात प्रांतों में हुक्मत कर रही है। ऐसी दशा में हम चाहेंगे कि अलवर के सत्ताधीश थोड़ी दूरदर्शिता से काम लें और प्रजा की वैध हलचलों को दमन द्वारा रोकने का दुस्साहस न करें। दमन संघर्ष को आमंत्रित करता है, जिसके कठु संस्मरण राजा-प्रजा के पारस्परिक संबंधों पर बहुत खराब असर डालते हैं और यह तो निर्विवाद सत्य है कि जब चारों ओर संघर्ष और कलह का दौर-दौरा है, तब राजा-प्रजा के संबंधों का मधुर बने रहना कितना जरूरी है।

व्यापि, गिरफ्तारशुदा व्यक्तियों का मामला अदालत के सामने विचाराधीन है और उसके औचित्य-अनौचित्य के बारे में विशेष नहीं कहा जा सकता है, तथापि कुछ बातें ऐसी हैं कि हम उनको यों ही दृष्टि से ओझल नहीं होने दे सकते। हम समझते हैं कि कोई भी निष्पक्ष आदमी इस बात से इन्कार न करेगा कि अभियुक्तों को अपनी सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिये। किन्तु, जिस ढंग से मुकदमे को सुनवाई हो रही है, वह अत्यंत आपत्तिजनक है और शंका पैदा करती है कि अभियुक्तों को शुद्ध न्याय मिल सकेगा अथवा नहीं। पहली बात तो यह है कि अदालत की बैठक बंद करमे में होती है और जनता के आदमियों को उसमें नहीं जाने दिया जाता। हमने खुद ने प्राइम मिनिस्टर से मुकदमे की कार्यवाही की रिपोर्ट करने के लिये अपना प्रतिनिधि भेजने की इजाजत चाही थी, किंतु खेद है कि उन्होंने हमारे पत्र की पहुंच तक स्वीकार करने का सौजन्य नहीं दिखाया। इससे भी बड़ी बात यह हुई है कि प्राइम मिनिस्टर ने बाहर के बकीलों को अभियुक्तों की ओर से पैरवी की इजाजत नहीं दी। हम मानते हैं कि अभियुक्तों को अपनी पसंद का बकील नियुक्त करने का पूरा हक है और यदि उस हक से उनको बंचित किया जाता है तो यह न्याय और निष्पक्षता नहीं है। अलवर में अब तक जैसा राजनीतिक प्रतिगामिता का बातावरण रहा है और अधिकारियों का आतंक और दबदबा जिस हद तक कायम है, उसको देखते हुये यह आशा नहीं की जा सकती कि स्थानीय बकील अभियुक्तों की निर्भयता के साथ पैरवी कर सकते हैं। ऐसी दशा में बाहर के बकीलों की सहायता और भी जरूरी हो जाती है। राज्य की परंपरा के नाम पर बाहर के बकीलों पर प्रतिबंध लगाना हास्यास्पद ही प्रतीत होता है। प्रथम तो इस बात के उदाहरण मौजूद हैं कि राज्य की अदालतों में बाहर के बकीलों ने पैरवी की है। दूसरे, जब प्राइम मिनिस्टर से लगाकर अनेक छोटे-बड़े कर्मचारी बाहर से आकर रियासत में नौकरी कर रहे हैं तो समझ में नहीं आता कि बकीलों पर ही क्यों बंदिश लगाई जाती है। यदि अलवर वासियों के हितों की इतनी ही चिंता है तो पहले सब कर्मचारियों को अलग कर दिया जाना चाहिये। कम से कम प्राइम मिनिस्टर महोदय को, जो सात हजार मील दूर समुद्र पार से यहाँ तशरीफ लाये हैं। यह शोभा नहीं देता कि वे अभियुक्तों को अपनी पसंद का बकील केवल

इसीलिये नियुक्त न करने दें कि वह रियासत से बाहर का रहने चाला है। इसी प्रसंग में हम एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहेंगे। यदि, हमारे संवाददाता का यह कथन सही है कि पुलिस के कर्मचारी अपने गवाहों को अदालत से उठ-उठ कर मुकदमे की सारी कार्यवाही से अवगत कर देते हैं, तो कहना होगा कि कानून की दृष्टि से यह अत्यंत आपत्तिजनक बात हुई है। जो भी इसके लिये जिम्मेदार हो, उससे हमारी राय में जवाब तलब किया जाना चाहिये और अपना फैसला लिखते समय न्यायाधीश महाशय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिये कि इस्तगासे के गवाहों के बयान कहां तक विश्वसनीय हो सकते हैं।

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि ये गिरफ्तारियाँ 13 जून की सभा के सिलसिले में हुई हैं और अभियुक्तों पर सन् 1921 के राजद्रोहात्मक सभा-बंदी कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा रहा है। 13 जून की सभा का छपा हुआ विवरण हमारे सामने है। उसको पढ़ने पर यही पता चलता है कि वक्ताओं ने राजगद्वी के प्रश्न का स्वर्गीय महाराजा की वसीयत के अनुसार निर्णय करने की मांग की थी। भाषण में हमको कोई भी राजद्रोहात्मक उद्गार नहीं मिले। किन्तु अलवर राज्य का उक्त कानून इतना व्यापक है कि साधारण से साधारण बात को भी राजद्रोह करार दिया जा सकता है। उदाहरण के लिये निम्न घाव्यांशों को देखिये-

‘जब तक अन्यथा साधित न कर दिया जाये, इस कानून के अनुसार पांच से अधिक आदमियों की सभा सार्वजनिक सभा समझी जायेगी। ऐसी कोई सार्वजनिक सभा नहीं की जायेगी, जिसमें किसी ऐसे विषय पर विचार हो, जिससे शांति-भंग होने का अंदेशा हो, अथवा जिसका विषय राजनैतिक हो, अथवा जिसमें ऐसे विषयों के बारे में लिखित या मुद्रित सामग्री दिखाई जाये, या बाँटी जाये। किसी भी सार्वजनिक सभा में ऐसे विषयों पर विवाद या व्याख्यान न होंगे, जो अलवर राज्य के, उसकी सरकार के, उसके शासक के, उसके सर्वसत्ताधीश के अथवा सप्राट और उनकी सरकार के अथवा भारत के किसी देशी राजा के हितों के विरुद्ध हों।’

पाठक देखेंगे कि अलवर रियासत के इस कानून के सर्व-व्यापी अर्थों से कौन अद्यता बच सकता है। मजा यह है कि इस कानून में न तो राजनैतिक विषयों की परिभाषा दी गयी है और न यह बताया गया है कि कौन सी बात अलवर राज्य के हितों के विरुद्ध है। इस समय अलवर का शासन प्रबंध सार्वभौम सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण में चल रहा है। यह आश्चर्य की बात है कि उसके प्रतिनिधि ने इस अत्यन्त प्राचीन और दकियानूसी कानून का सहारा लेना उचित समझा है। यह कानून तो आये दिन टूटा रहता है। कांग्रेस की सभाएं होती हैं और उनमें राजनैतिक विषयों पर चर्चा होती है। लोगों की यह शंका बिल्कुल निराधार नहीं मालूम होती कि कांग्रेस के बढ़ते हुये प्रचार को रोकने के लिये ही यह मामला चलाया गया है। यदि 13 जून की सभा में वास्तव में आपत्तिजनक भाषण हुये थे, तो उन पर उसी समय कार्यवाही की जा सकती थी। कांग्रेस के लिये होने वाली सभा के ठीक तीन दिन बाद ही गिरफ्तारियों का होना लोगों की उक्त धारणा को पुष्ट करता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दे। क्या हम आशा करें कि इस मामले में अंत में विवेक की विजय होगी और लोगों को उनकी उचित हलचलों के लिये दंडित न किया जायगा? ●

अलवर राज्य प्रजामण्डल के उद्देश्य और नियम (1938-39)

अलवर राज्य प्रजामण्डल के ये नियम उसके गठन के बाद एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किये गये थे। इन नियमों के आधार पर तत्कालीन राजाशाही ने प्रजामण्डल का पंजीकरण करने से इनकार कर दिया। उद्देश्यों में परिवर्तन तथा कुछ अन्य शर्तों के साथ प्रजामण्डल का पंजीकरण अगस्त 1940 में किया गया। नियमों की पुस्तिका लक्ष्मी प्रिंटिंग प्रेस, बेलनगंज, आगरा में मुद्रित की गई थी। -सम्पादक

1. नाम :

इस संस्था का नाम "अलवर राज्य प्रजामण्डल" होगा। और इसका प्रधान कार्यालय अलवर में रहेगा।

2. उद्देश्य :

अलवर राज्य की छवियाया में उचित और वैध उपायों द्वारा अलवर राज्य में ऐसी शासनप्रणाली प्राप्त करना, जिसमें शासक जनता के प्रति ज़िम्मेदार हो।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये मण्डल अलवर राज्य की जनता की सामाजिक और आर्थिक दशा को ठीक करने के लिये उपाय करेगा और सभी उचित और शान्तिमय साधनों द्वारा जनता की शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न करेगा।

मण्डल का मज़ाहबी और साम्भादायिक मामलों से कर्तव्य कोई ताङ्क न होगा।

3. क्षेत्र :

इस मण्डल का क्षेत्र समस्त रियासत अलवर होगा।

4. संगठन :

मण्डल का संगठन नीचे लिखे तरीके से होगा।

- (क) इकाई मैम्बर्स जो दफा 5 के अनुसार भर्ती होंगे।
- (ख) डिस्ट्रिक्ट मण्डल जो प्रत्येक निजामतों में शाखा के रूप में स्थापित होंगे।
- (ग) मण्डल का वार्षिक अधिवेशन।
- (घ) मण्डल की कार्यकारिणी कमेटी।

नोट- इस संगठन में ये कमेटियां भी शामिल होंगी जो

- (क) बराहे रास्त मण्डल की जनरल कमेटी या बर्किंग कमेटी द्वारा स्थापित की जाय।
- या-

(ख) जो कमेटियां निजामत मण्डलों द्वारा उन कवायद के मुताबिक स्थापित की जांय जो इस सम्बन्ध में वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत हुई हों।

5. मैम्बरशिप :

हर स्वी पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो और जो दफा 2 में लिखित उद्देश्य में विश्वास रखता हों, इस मण्डल का सभासद हो सकेगा। इब्लाई मैम्बर को वार्षिक चन्दा मैम्बरी देना होगा और मण्डल का फार्म भरना होगा।

ऐसे मैम्बर का नाम उस मण्डल के रजिस्टर में दर्ज किया जायगा जहाँ वह रहता है या कारोबार करता है।

रियासत से बाहर का वाशिन्दा मण्डल का सभासद न बन सकेगा।

प्रत्येक मैम्बर को भर्ती हो जाने पर लिखित प्रमाण-पत्र दिया जायगा।

मैम्बरी का साल पहली जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा।

6. डिस्ट्रिक्ट :

मण्डल के नीचे लिखे डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनके हैंडकवार्टर उनके मुहाज में दर्ज हैं।

नम्बर	डिस्ट्रिक्ट	हैंडकवार्टर	नम्बर	डिस्ट्रिक्ट	हैंडकवार्टर
1	अलवर	अलवर	11	रामगढ़	रामगढ़
2	मालाखेड़ा	मालाखेड़ा	12	गोविन्दगढ़	गोविन्दगढ़
3	बहादुरपुर	बहादुरपुर	13	तिजारा	तिजारा
4	थानागाझी	थानागाझी	14	टपूकड़ा	टपूकड़ा
5	नारायणपुर	नारायणपुर	15	किशनगढ़	खैरथल
6	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	16	मुंडावर	हरसौली
7	राजगढ़	राजगढ़	17	बहरोड़	बहरोड़
8	लछमनगढ़	लछमनगढ़	18	माँडण	माँडण
9	कटूमर	कटूमर	19	बानसूर	बानसूर
10	खेड़ली	खेड़ली			

7. वार्षिक अधिवेशन :

मण्डल का वार्षिक अधिवेशन उस समय और स्थान पर होगा जो कार्यकारिणी समिति निश्चय करें।

(क) वार्षिक अधिवेशन का सभापति प्रतिनिधियों द्वारा चुना जायगा और वही मंडल का उस वर्ष के लिए सभापति होगा।

- (ख) यार्थिक अधियेशन के लिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट अपने यहां से प्रति 20 साधारण सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के हिसाय से चुन कर भेजेगा।
- (ग) प्रतिनिधि फीस 2/- रुपया होगी और टिस्ट्रिक्ट का सैक्रेटरी प्रतिनिधि का प्रमाणपत्र देगा।
- (घ) यार्थिक अधियेशन में आगामी वर्ष का कार्यक्रम, नीति और साधन निर्धारित होंगे।
- (ङ) 5 प्रतिनिधियों की संख्या किसी भी प्रतिनिधि का नाम सभापति के लिये तज्ज्योज्ज घर सफती है। समस्त प्रतिनिधियों की सूची, मण्डल का जनरल सैक्रेटरी अधियेशन की तारीछ से 1 मास पूर्व नियमानुसार प्रकाशित करेगा।
- (च) यार्थिक अधियेशन का व्यय और प्रयन्त्र उस डिस्ट्रिक्ट के जिम्मे होगा जहां अधियेशन हो। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट को इच्छानुसार स्वागत कारिणी समिति बनाने का अधिकार होगा।

8. कार्यकारिणी कमेटी :

कार्यकारिणी समिति की संख्या पदाधिकारियों सहित 35 होगी, जो नीचे लिखे तरीके से वार्थिक अधियेशन में चुनाव द्वारा नियुक्त की जायगी।

- (क) अलवर 6, राजगढ़ 3, तिजारा 3, बहरोड़ 3, सूर्यमनगढ़ 2, रामगढ़ 2, किरातगढ़ 2, मुँडावर 2, यानसूर 2, मालाटेड़ा 1, बहादुरपुर 1, नारायणपुर 1, प्रतापगढ़ 1, कट्टूपर 1, खेड़ली 1, गोविन्दगढ़ 1, टपुकड़ा 1, भौदण 1, थानागाज़ी 1
- (ख) कार्यकारिणी का कोरम कुल सदस्यों की संख्या का पांचवां भाग होगा।
- (ग) कार्यकारिणी ही प्रजामण्डल के प्रत्येक कार्य की जिम्मेदार होगी और मण्डल के कार्यक्रम, नीति, साधन का संचालन करेगी। समयानुसार मण्डल के नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार भी कार्यकारिणी को होगा। यार्थिक यजट भी यही कमेटी पास करेगी।

9. पदाधिकारी :

- (क) मण्डल के सभापति के अतिरिक्त एक डिप्टी प्रेसीडेण्ट, एक प्रधानमंत्री, तीन मंत्री और एक कोयाध्यक्ष पदाधिकारी होंगे, जिनको कार्यकारिणी समिति चुनेगी। इनका निप्रलिखित कर्तव्य होगा:-
- (ख) प्रधानमंत्री सभापति के आधीन रहते हुए मण्डल के प्रधान कार्यालय का इन्वार्ज होगा और वार्थिक अधियेशन और कार्यकारिणी की कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करने और प्रकाशित करने का जिम्मेदार होगा।
- (ग) प्रत्येक मंत्री नीचे लिखे विभागों का इन्वार्ज होगा और वे प्रधान मंत्री के अधीन रहेंगे।

1. कृषि विभाग
2. आर्थिक विभाग
3. प्रचार विभाग

(घ) खजांची-

मण्डल के आय-व्यय का हिसाब रखेगा।

10. डिस्ट्रिक्ट मण्डल :

- (क) वार्षिक अधिवेशन के लिए डिस्ट्रिक्टों से चुने हुए प्रतिनिधि ही डिस्ट्रिक्ट मण्डलों के सदस्य और पदाधिकारी होंगे। जिनकी संख्या कम से कम 7 होगी। यदि किसी स्थान पर 7 प्रतिनिधि न हों तो इस संख्या को पूर्ण करने के लिए इक्कदाई सदस्यों में से पूर्ति की जा सकेगी।
- (ख) समस्त डिस्ट्रिक्ट मण्डल राज्य प्रजामण्डल के कंट्रोल और निगरानी में रहेंगे और अपनी हृदूद में राज्य प्रजामण्डल के कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयत्नशील रहेंगे और वे समयानुसार अपने-अपने नियम भी बना सकेंगे। वशर्ते वे नियम इस विधान के विरुद्ध न हों और बिना स्वीकृति राज्य प्रजामण्डल रायज न हों।
- (ग) हर डिस्ट्रिक्ट मण्डल वार्षिक अधिवेशन से एक मास पूर्व अपने कार्य की रिपोर्ट राज्य प्रजामण्डल के प्रधानमंत्री को भेजेगा।
- (घ) हर डिस्ट्रिक्ट अपने इक्कदाई सदस्यों के चन्दे में से तीन चौथाई प्रधान कार्यालय में भेजेगा और एक चौथाई अपने यहां रखेगा और समस्त सदस्यों की सूची अधिवेशन से 2 मास पूर्व प्रधान कार्यालय में भेजेगा।
- (ङ) समयानुसार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को प्रधान कार्यालय की स्वीकृति से अतिरिक्त चन्दा बसूल करने का अधिकार होगा।

मंत्री

अलवर राज्य प्रजामण्डल



महात्मा गांधी और अलवर

□ मा. भोलानाथ

अलवर में स्वाधीनता-संघर्ष के एक बरिष्ठ नेता मा. भोलानाथ जी का यह महत्वपूर्ण लेख हमें उनकी पत्री श्रीमती पुष्पा शर्मा से प्राप्त हुआ है। अलवर के स्वाधीनता-संघर्ष में राष्ट्र के सर्वोच्च नेता महात्मा-गांधी ने जो दलचस्पी ली, प्रस्तुत लेख से इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है -सम्पादक

मेरी यह मान्यता रही है कि पूज्य महात्मा गांधी से बड़ा कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ है, जिसने भारत में इतने कार्यकर्ता पैदा किये हैं। स्व. लोकनायक जयनारायण जी व्यास के सम्बन्ध में लेख लिखते हुए भी मुझे यही ध्यान आया था कि राजस्थान में श्री जय नारायण व्यास और भारत में महात्मा गांधी ने अदने-से-अदना कार्यकर्ता को सम्मान दिया और उसे धूल से उठाकर महलों तक पहुंचा दिया। मेरी इस मान्यता का उदाहरण में स्वयं हूँ।

विद्यार्थी जीवन से हमने पूज्य महात्मा जी का नाम सुन रखा था। बचपन से ही यह बड़ी प्रबल इच्छा थी कि उनके दर्शन किये जाएँ। अलवर, जहाँ मैं पढ़ता था, के भाराराजा जयसिंह उस समय राष्ट्रीय आन्दोलन को अपने राज्य में पनपने देना नहीं चाहते थे। गांधी टोपी का प्रचार न हो, इसलिये उन्होंने स्कूलों और कॉलेज में पगड़ी पहनना अनिवार्य कर दिया था। उन्होंने सन् 1930 में अलवर में इंटर कॉलेज, इसलिये खोला कि यहाँ के कुछ छात्र जो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वे सत्याग्रह में भाग लेते थे और कांग्रेस गैर कानूनी घोषित हो गई थी। चूंकि यह कॉलेज बहुत जल्दी में जुलाई-अगस्त 1930 में खुला था फिर भी इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध कराने में राज्य को बड़ी सफलता मिली, इसलिये महाराज को कॉलेज खोलने पर सब तरफ से बड़ी बधाइयाँ दी गईं।

समय का फेर है कि स्वयं महाराजा जयसिंह अलवर राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण पोलिटिकल विभाग के कोप-भाजन बन गये। उन्होंने इलाहाबाद में पं. मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई यूनिटी कान्फ्रेंस में भाषण दिया और इसी दौरे से जब बनारस होकर (अलवर) लौटे तो "रामनाम" का दुपट्टा ओढ़कर स्टेशन से शहर तक गर्मी के भौसम में पैदल आये। इससे अलवर की प्रजा में महाराज के प्रति विशेष आकर्षण पैदा हुआ और सोगों का ध्यान भी राष्ट्रीय आन्दोलन की तरफ विशेष रूप से गया।

महाराजा जयसिंह को मई 1933 में अलवर से पहले 3 माह के लिये और बाद में सदा के लिये नियमित कर दिया गया। सोगों में यह प्रचार बड़े जोरों से हुआ कि महाराजा को कांग्रेस में शामिल हो जाने के कारण अंग्रेज सरकार ने अलवर से निकाल दिया है, इसलिये महाराजा के समर्थन में यड़ी-यड़ी सभायें हुईं।

मैं उस समय मैट्रिक का इन्तिहान देकर आया था। इन्तिहान से लौटने पर स्थानीय जगानाथ जी के मंदिर की सीढ़ियों से मैंने सर्व-प्रथम आम सभा में भाषण दिया। सोगों को एक विद्यार्थी होने के नाते मेरा यह भाषण बहुत पसन्द आया और ये मुझे भी एक छोटा सा नेता मानने

लगे। यहाँ से मेरा सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। अलवर में उन दिनों जो भी महाराजा जयसिंह की बातें करते थे, वे सब कांग्रेस के समर्थक समझे जाते थे। इस प्रकार के आन्दोलन व चर्चा को खत्म करने के लिये राजपूताना के ए. जी. जी. ने अलवर में एक बड़ा दरबार किया और ऐलान किया कि महाराजा जयसिंह के घापिस आने को जो भी व्यक्ति चर्चा करेंगे, उन्हें राजद्रोही समझा जायेगा और उसे सख्त सजा दी जायेगी। इस दरबार को देखकर जो भी व्यक्ति लौटे, वे वडे दुखी मालूम पड़ते थे, इस सख्त आदेश से। अब कांग्रेस की चर्चा लुक-छिप कर होने लगी।

उधर देश का बातावरण दिनों-दिन गर्म होता जा रहा था। महात्माजी ने हरिजनों के सवालों को लेकर अनशन किया और अलवर के लोगों ने भी हरिजनों के मौहल्लों में जाना प्रारम्भ किया। वहाँ पर सभायें करना तथा हवन करना, ठंडाई पीना एक प्रकार से कार्यक्रम बन गये। इस प्रकार लोग स्वतः महात्मा जी की ओर झुकने लगे।

फिर भी महात्मा जी और कांग्रेस, अलवर के लिये बहुत दूर की चीजें थीं। हम लोग लुक-छिप कर दिल्ली में कांग्रेस की हलचल देख आया करते थे। 'बन्दे मातरम्' 'गांधी तू आज हिन्द की एक शान बन गया' ये गीत जंगलों व पहाड़ों में लुक-छिपकर गाया करते थे।

1934 में विहार में भूकम्प आया। भूकम्प-पीड़ितों में राहत-कार्य करने के बाद देशरल राजेन्द्र बायू दिल्ली आये। उस समय महात्मा जी भी हरिजन कॉलोनी में किंग्स वे पर ठहरे हुये थे। मैं भी उस सभा में सम्मिलित हुआ और उसी में सर्वप्रथम मैंने महात्मा जी के दर्शन किये। श्री राजेन्द्र बायू और राजगोपालाचार्य को भी सर्वप्रथम मैंने उस सभा में देखा।

राजगोपालाचार्य ने श्री राजेन्द्र बायू के सम्बन्ध में जो शब्द उस समय कहे, वे आज भी मुझे याद हैं। उन्होंने अंग्रेजी में संक्षिप्त भाषण देते हुये कहा कि "आज हम देश के महान व्यक्ति का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि, जब 3-4 मील पर महात्मा गांधी ठहरे हुये हैं, तब आपने राजेन्द्र बायू को उनकी मौजूदगी में महान व्यक्ति कैसे बताया? इस पर मैं आपसे कहता हूँ कि महात्मा जी 'महात्मा' हैं और राजेन्द्र बायू आदमी (Man)। इसलिये मैं कहता हूँ कि राजेन्द्र बायू महान व्यक्ति (Great Man) हैं।" और इतना कहकर वे बैठ गये। मेरे दिमाग पर इस भाषण का बड़ा असर पड़ा और मैं महात्मा जी को देखने फिर गया। इस प्रकार मेरा झुकाव कांग्रेस की ओर दिनों-दिन होता गया। लोगों में राष्ट्रीय भावनायें इस तरह काम करने लगीं और वे उस समय का इन्तजार करने लगे जबकि वे अपने उद्दारों को खुले तौर पर प्रकट कर सकें।

अलवर राज्य का क्षेत्र पुराने राजपूताना प्रान्त में होते हुए भी अखिल भारतीय कांग्रेस के विधान के अनुसार अलवर राज्य दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का एक जिला था। इसलिये दिल्ली कांग्रेस के नेता लाला शंकरलाल जी, प्रो. इन्द्र जी, नायरजी, सत्यबती जी, पार्वती देवी डिडवाना, मौलाना इमदाद कांग्रेस के काम से बहुधा अलवर आते रहते थे। सन् 1937 में इन्होंने अलवर शहर में कांग्रेस की बाकायदा स्थापना करके एक कमरे पर तिरंगा झंडा लगा दिया। इस पर राज्य सरकार बड़ी चौंकी। लाला शंकरलाल जी की अध्यक्षता में एक सभा पुरजन-विहार गार्डन में की गई। इसमें शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्तियों को, जिनमें अधिकांश महाराजा जयसिंह

के समर्थक समझे जाते थे, दूसरे दिन पकड़ लिया गया और पैरों में डंडा-बेड़ी डालकर जेल में बन्द कर दिया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उस समय महाराजा जयसिंह का स्वर्गवास पेरिस में निर्वासित अवस्था में हो गया था। नये महाराजा तेजसिंह अलवर की गद्दी पर बैठ गये थे।

सन् 1937 में कांग्रेस ने (ब्रिटिश भारत के) प्रान्तों में पद ग्रहण कर लिया, इससे अलवर की जेल में कैद बन्दियों में बड़ा उत्साह पैदा हुआ। उन्हें लम्बी-लम्बी सजायें दी गई थीं। उन कार्यकर्ताओं ने डंडा-बेड़ी पहनकर सजायें काटी। महात्मा जी को भी इस दमन-चक्र की सूचना दी गई। वे बड़े दुखी हुए।

सन् 1938 में हरिपुरा कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास किया गया कि देशी राज्यों में कांग्रेस कमेटियों के बजाय स्थानीय प्रजामंडल संगठित किये जायें। अलवर में चौधरी रामनारायण जी के प्रयत्न से अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। प्रजामंडल की स्थापना से सरकार और भी अधिक चौंकी और इकट्ठे हो प्रजामंडल के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए सभा हुई ही थी कि पुनः कार्यकर्ताओं को उसी पुराने राजद्रोह के कानून के अन्तर्गत पकड़ कर, डंडा-बेड़ी डालकर जेल में बन्द कर दिया गया। हालांकि सन् 1937 के कुछ बन्दी अभी तक जेल से नहीं छूटे थे।

श्री जयनारायण व्यास, श्री हरिभाऊ उपाध्याय, श्री जमना लाल बजाज, व श्री रामनारायण जी चौधरी आदि के माध्यम से इस दमन चक्र के बारे में महात्मा जी से निरन्तर सम्पर्क रखा गया। श्री व्यास जी, प्रजामंडल के बन्दियों की जाँच करने जब अलवर आये तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया, परन्तु श्री रामनारायण चौधरी फिर भी अलवर में आ गये। श्री हरिभाऊ उपाध्याय प्रकट रूप में अलवर में दाखिल हुए।

सन् 1938 में ही, जयपुर राज्य प्रजामंडल ने सेठ जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में प्रजामंडल की स्थापना के लिये सत्याग्रह किया। जयपुर की पड़ौसी रियासत होने के कारण जयपुर के आन्दोलन का अलवर में भी असर हुआ। सेठ जी को अलवर की सरहद में जयपुर के अधिकारी छोड़ गये। इस पर अलवर में विद्यार्थियों ने हड्डताल की और राष्ट्रीय आन्दोलन को अन्तर्राज्यीय गति मिली।

लुधियाना में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक-परिषद का अधिवेशन पं. जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन से देशी राज्यों के आन्दोलन को बड़ी गति मिली। परन्तु प्रजामंडलों को मान्यता अधिकतर राज्यों में नहीं दी गई। जयपुर में जमनालाल जी जैसे प्रभावशील नेतृत्व के होते हुए भी प्रजामंडल को मान्यता नहीं दी गई। जयपुर की भौति अन्य राज्यों में भी प्रजा के संगठन अपनी-अपनी मान्यता के लिये संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं दिनों सभी रियासतों में 'रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट' जारी किये गये और इन संगठनों की रजिस्ट्री कराना राज्य सरकारों ने अनिवार्य कर दिया। बरना ये संगठन गैरकानूनी माने जाने लगे। सभी प्रजामंडलों ने अपने-अपने संगठनों को रजिस्टर्ड कराने की दरखास्तें सम्बन्धित राज्य सरकारों को दी।

परन्तु राज्य सरकारों ने रजिस्ट्री की नई-नई शर्तें लगाई। कई राज्यों में तो प्रजामंडल नाम पर ही एतराज किया गया, कई ने उत्तरदायी शासन को उद्देश्य भानने से इन्कार किया। झंडा तथा बाहर के राज्यों से सम्बन्ध न रखने की शर्त पर राज्य सबसे ज्यादा जोर देते थे।

हम लोगों ने भी अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री की दरखास्त उस समय के चीफ मिनिस्टर को फरवरी सन् 1939 में दी, परन्तु 'अलवर राज्य प्रजामंडल' की रजिस्ट्री डेढ़ साल की लिखा-पढ़ी के बाद सन् 1940 के अगस्त मास में हुई। इस बीच जयपुर, भरतपुर, जोधपुर के प्रजामंडल, प्रजापरिषद अथवा लोक-परिषद नाम से रजिस्टर्ड हो गये।

अलवर सरकार ने जब प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं की, तब मैंने श्री हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा महात्मा जी को लिखा कि अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। उनका पहला उत्तर राजकोट से ता. 9 अप्रैल 1939 का आया, जिसमें लिखा था,-

"आपका ता. 23 मार्च, 1939 का पत्र मिला, इस बारे में सब बातें हरिभाऊ उपाध्याय जी से हो गई हैं। कृपा करके उनसे पूछ लीजिये।"

आपका,

मो. क. गांधी

चौंक यह पत्र मेरे नाम बापू जी का, प्रथम पत्र था, इसलिये उन्होंने विनम्रतापूर्वक, इसमें लिखा है, "कृपा करके" और "आपका"।

इधर हमारा पत्र-व्यवहार चीफ मिनिस्टर से चलता रहा, सेकिन उन्होंने प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं की और यह शर्त लगाई कि प्रजामंडल के उद्देश्य की धारा "उत्तरदायी शासन" के बजाय "जनता का शासन में प्रगतिशील सहयोग" कर दिया जावे। इस पर मैंने पुनः महात्मा जी को पूज्य बापू जी, सम्बोधित करते हुए पत्र लिखा, जिसका उत्तर इस प्रकार, बम्बई से 5, जून, 1939 का आया।

"प्रिय भाई भोलानाथ,

उम्हारा पत्र मिला। उद्देश्य में परिवर्तन अब न किया जाय। जयपुर में क्या होता है, देखा जाय।

बापू का आशीर्वाद।"

स्परण रहे कि उस समय जयपुर राज्य प्रजामंडल का भी जयपुर सरकार से प्रजामंडल का रजिस्ट्रेशन करने का झगड़ा चल रहा था। उस पर कई तरह की पाबन्दियाँ लगाई जा रही थीं, जैसे बाहर की संस्था से प्रजामंडल का कोई सम्बन्ध न हो। जयपुर से बाहर का रहने वाला उसका पदाधिकारी न हो। प्रजामंडल का कोई झंडा न हो आदि। सेठ जमनालाल जी इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिये पूज्य बापू जी ने लिखा "जयपुर में क्या हो रहा है, देख लिया जाय।"

इसके पश्चात् ता. 19 जुलाई, 1939 को चीफ मिनिस्टर का पत्र आया कि "His Highness's Government have now decided that certain additional Conditions must be imposed in the case of political bodies, such as the Alwar Rajya

Praja Mandal before registration under the act can be accorded. These conditions shortly be made public.... in the circumstances..... my letter No. 162 - c dated the 20th May 1939, must now be considered as cancelled."

इस पत्र के आने के बाद लगभग एक साल तक प्रजामंडल की रजिस्ट्री का काम खटाई में पड़ा रहा। जयपुर में उस समय राजा ज्ञाननाथ चीफ मिनिस्टर थे। उनका सेठ जमनालाल वजाज से बड़ा संघर्ष रहा। यद्योंकि ता. 5 जून, 1939 के पत्र में महात्मा जी लिख चुके थे कि, 'जयपुर में क्या होता है, देख लिया जाय' हम भी जयपुर का इन्तजार करते रहे। साल भर तक सभी प्रजामंडल, प्रजा-परिषद या लोक-परिषद इसी प्रकार परेशान रहे।

आखिर ता. 17 अप्रैल, 1940 को राजा ज्ञाननाथ ने जयपुर प्रजामंडल की रजिस्ट्री कर दी और असाधारण गजट में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित कर दी-

"As a result of long and protracted discussions between the Prime Minister, Jaipur State and Seth Jamana Lal Bajaj, President of the Jaipur Rajya Praja Mandal, which were initiated at the request of the Seth Sahab, Jaipur Government have decided to accept the application of the Praja Mandal for registration."

इस गजट में बाहर का कोई आदमी पदाधिकारी न हो, इस शर्त के बारे में आगे लिखा गया-

"The Government however having regard for the position of Seth Jamna Lal Bajaj made a special exception in the case in relation to the clause regarding office-bearers, but without it being considered as a precedent for the future."

इस गजट के प्रकाशित होने पर मैंने महात्मा जी को लिखा कि जयपुर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्रेशन कुछ शर्तों के साथ हो गया है, परन्तु अलवर के अधिकारी अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिन शर्तों के साथ जयपुर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री की गई है, उससे भी सख्त शर्तें लगा रहे हैं, यानी वे कह रहे हैं कि अलवर राज्य प्रजामंडल का ठहरेश्य "ठत्तरदायी शासन" न होकर "जनता का शासन में प्रगतिशील सहयोग" होना चाहिये। इस पर महात्मा जी ने ता. 30 मई 1940 के सेवाग्राम से भेजे गये अपने पत्र में लिखा-

भाई भोलानाथ,

मेरा ऐसा ख्याल है कि तुम्हारे ता. 26 अप्रैल, 1940 के खत का उत्तर मैंने भेजा था। आज सब खत देख रहा हूँ। इसमें यह भी मिला। अब क्या हाल है बताइये'

बापू का आशीर्वाद

महात्मा जी के इस पत्र के उत्तर में मैंने फिर लिखा कि अलवर राज्य सरकार रजिस्ट्री की निम्नलिखित शर्तें लगा रही हैं-

- (a) This Association shall have no affiliation to any political body such as, All India State's People Conference in future. (It is presumed that this means that the Praja Mandal will not be affiliated to any political body

out side the Alwar state.)

- (b) No office bearer of the Praja Mandal shall be the office bearer of the out side political body.
- (c) Praja Mandal shall not install any political flag.
- (d) No one who is not a resident of the Alwar state shall be eligible for membership of the Mandal.
- (e) Finally, The object of the Praja Mandal shall be "To attain by all peaceful and legitimate means the Progressive association of the People with the State administration of the State."

इस पर महात्मा जी ने मुझे अपने पत्र दिनांक 9 जून 1940 में, सेवाग्राम से लिखा—
‘भाई भोलानाथ,

तुम्हारा पत्र मिला। मैं पाता हूँ कि दीवान की इच्छा ही प्रजामंडल को यालने की है। कहीं तो हमें दृढ़ रहना ही है। इंडे का आग्रह छोड़ना है तो छोड़ो। रिस्पोंसीबल गवर्नमेंट को गोल कबूल करें। अखिल भारतीय कांग्रेस से सम्बन्ध के बारे में क्या नीति अखिलायर करनी है, यह निर्णय जवाहरलाल जी से करा लो। मैं कुछ दुविधा में हूँ।

बापू का आशीर्वाद।

यह पत्र एक लिफाफे में आया था। उस पर भी महात्मा जी ने अपने हाथ से इस प्रकार लिखा था—

श्री भोलानाथ मास्टर,
प्रजामंडल,
Ulwar (Raj.)

इस पत्र से पहले जो पत्र आये वे पोस्ट कार्ड थे। उन पर भी अपने हाथ से ही पता उन्होंने लिखा था और अलवर की Spelling (हिंजे) 'A' से शुरू करने की यजाय 'U' से प्रारम्भ की थी।

इसी बीच में भरतपुर प्रजापरिषद की रजिस्ट्री भी उपरोक्त शर्तें कबूल करने पर ही गई और कुछ दिनों बाद जोधपुर लोक-परिषद की रजिस्ट्री भी ही हो गई। इन दोनों गण्यों के अधिकारियों ने 'प्रजामंडल' नाम को ही स्वीकार नहीं किया, इसलिये उन्होंने प्रजापरिषद और लोक-परिषद नाम रखे।

हम लोग 'उत्तरदायी शासन' को उद्देश्य कबूल करने के लिये बराबर जोर देते रहे। इस पर अलवर गण्य के चीफ मिनिस्टर मि. हार्वें का ता. 2 जुलाई 1940 का आयू से निप्पलिखित पत्र आया—

“Dear Sir,

1. Please refer to your letter No. 77, dated the 29th June, 1940.
2. I informed you quite clearly in my letter No. 232-C/173-39 dated the 30th of May, 1940 that registration could not be accorded to the Alwar Raj Praja Mandal until it accepts a definition of its aims and

objects the words already communicated to you more than once, namely, "The Progressive association of the people with the Administration of the State." These words have not so far been accepted by the Praja Mandal and His Highness's Government is not, therefore prepared to accord its registration.'

उपरोक्त, ता. 2 जुलाई, 1940 के, मेजर हार्वे, चीफ मिनिस्टर के पत्र की सूचना, मैंने महात्मा जी को दी तो उन्होंने कुछ खित्र मन, सेवाग्राम से ता. 13.7.1940, को लिखा-

"भाई भोलानाथ,

तुम्हारा पत्र मैं कल पढ़ सका। मैंने लिखने का निश्चय तो किया ही था। कैसे रह गया, मैं नहीं कह सकता। लेकिन हुआ सो ठीक ही हुआ। तुम्हारे कामों में दखल न देना ही काफी समझा जावे। बापू के आशीर्वाद।"

इस पत्र के आने पर dead-lock (डेड लॉक) हो गया। हमारी इस लिखा-पढ़ी से लोकनायक जयनारायण जी व्यास, हरिभाऊ जी उपाध्याय, व रामनारायण जी चौधरी भी बरबर सूचित रहे।

यहाँ प्रसंग वश में श्री हरिभाऊ जी, श्री जयनारायण जी व्यास, व श्री रामनारायण जी चौधरी के पत्रों का हवाला भी देना चाहता हूँ।

ता. 16 जून, 1940 को अजमेर से श्री हरिभाऊ जी ने लिखा-

"जब सरकार प्रजामंडल की रजिस्ट्री आपकी शर्तों पर नहीं कर रही है तो आपके सामने तीन मार्ग हैं-

- (1) प्रजामंडल को बन्द रखकर रचानात्मक काम में लग जाना। विरोध-स्वरूप प्रजामंडल को बन्द रखना।
- (2) सत्याग्रह करना। विना रजिस्ट्री कराये प्रजामंडल को चलाना।
- (3) सरकार की शर्तों पर रजिस्ट्री करा लेना।

मुझको पहला मार्ग ही ठीक जंचता है। दूसरे मार्ग पर चलने की शक्ति व संगठन आपके पास हो, तो बात दूसरी है। तीसरी को अंगीकार करना हो तो पूज्य महात्मा जी की सलाह ले लेनी चाहिये। मेरा मतलब भरतपुर व सिरोही जैसा समझौता कर लेना हो तो।

ता. 17 जून, 1940 को इसी सिलसिले में श्री रामनारायण जी चौधरी का पत्र भी इस प्रकार आया-

"भाई भोलानाथ जी,

महात्मा जी के पत्र का अर्थ आपने ठीक ही किया। उनसे बात करने की वैसे मेरी जरूरत नहीं मालूम पड़ती। आप सीधा ही काम चला लें तो अच्छा है। फिर भी आप लोगों का आग्रह हो तो मैं बापू जी से बात कर लूँगा।..... यह भी लिखें कि मुझे किन प्रश्नों पर महात्मा जी से उत्तर लेना है।"

ता. 28 जून '1940 को दिल्ली से श्री रामनारायण जी चौधरी का फिर पत्र आया। उसमें उन्होंने लिखा-

"पूज्य महात्मा जी से अलवर के बारे में बातें हुईं। आपको सीधा उत्तर तो वे देंगे ही। आप लोगों की भौजूदा स्थिति तथा देश विदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, उन्होंने राय दी है कि अगर इससे आपको कार्य में और प्रजामंडल को बल संचय करने में सुविधा हो तो 'Progressive Association of the people with the Administration of the State' का ध्येय रख कर फिलहाल प्रजामंडल की रजिस्ट्री करा ली जावे।

इसके पश्चात ता. 9 जुलाई 40 को श्री चौधरी जी ने एक दूसरा पत्र लिखा और उसमें चीफ मिनिस्टर को लिखे जाने वाले पत्र का मसविदा भी साथ भेज दिया। पत्र इस प्रकार था-

"पत्र मिला। प्रधान मंत्री के लिये जवाब का मसविदा भेजता हूँ। आवश्यक सुधार कर लें। आबू के बारे में मुझे कोई विशेष समाचार नहीं मिले हैं।

स्मरण रहे कि ता. 3 सितम्बर, 39 को दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो गया था और 8 नवम्बर को प्रान्तों में कांग्रेस सरकारें द्वारा पदत्याग का दिन आ गया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह की वैयारियाँ महात्मा जी की ओर से प्रारम्भ किये जाने की चर्चा शुरू हो गई थी।

श्री रामनारायण जी चौधरी की सलाह से राज्य की शर्तों पर रजिस्ट्री कराने का अन्तिम पत्र 31 जुलाई 40 को लिखा दिया गया और ता. 1, अगस्त 1940 को अलवर राज्य प्रजामंडल को रजिस्टर्ड कर दिया गया।

अलवर राज्य प्रजामंडल की रजिस्ट्री हो जाने के बाद मैंने महात्मा जी से प्रजा मंडल के लिये आशीर्वाद माँगा। इस पर महात्मा जी का निम्न पत्र ता. 20 अगस्त '1940 का सेवाग्राम से मिला जिसमें लिखा था-

"भाई भोलानाथ,

मेरे ख्याल है, मैंने तुमको आशीर्वाद भेजे हैं। लेकिन तुम्हारा पत्र मेरे सामने है, इसलिये यह लिखता हूँ। तुम्हारे कार्य में सफलता मिले।

बापू के आशीर्वाद।"

प्रजामंडल की रजिस्ट्री के बाद दूसरे महायुद्ध का जोर बढ़ता जा रहा था। प्रजामंडल ने देहातों में अपना काम बढ़ाया। उस समय सभी राज्यों की सरकारें युद्ध के लिये बड़ी सखी से युद्ध का चन्दा (War Fund) वसूल करने लगी। इस चंदे की वसूली के लिये (राज्य की) वहसीलों के अधिकारी मारपीट करते थे। अलवर के देहातों से बड़ी शिकायतें आई। सारे भारत में शिकायतें थी। महात्मा जी बाइसराय से मिलने दिल्ली गये। युद्ध के चंदे की वसूली में कोई गई व्यादतियों की शिकायतें बाइसराय से भी की। उसी समय मैंने एक पत्र महात्मा जी को लिखा। उसके उत्तर में उनका जो महत्वपूर्ण पत्र मेरे पास आया वह इस प्रकार है-

"भाई भोलानाथ,

आपका पत्र मिला। वहाँ की उपाधि (तकलीफ) में जानता हूँ। मैं नहीं जानता क्या हो सकता है। तजवीज तो कर रहा हूँ, लेकिन फल की कम आशा है। लोगों में विरोध की शक्ति है तो विरोध अवश्य करें। ऐसा न समझा जाय कि मैं ऐसी ज्यादतियाँ बरदाश्त करने की सलाह दे सकता हूँ। लोग भले ही टूट जायें, परन्तु बलात्कार के बश कभी न हों।

बापू के आशीर्वाद।"

कितना बड़ा गुरुमंत्र था यह हमारे लिये। इसके आधार पर हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र में टिके रहे और देशी राज्यों की ज्यादतियों का विरोध किया।

भाग-2

महात्मा जी और अलवर की खादी प्रदर्शनी

प्रजामंडल की रजिस्ट्री के बाद पूज्य महात्मा जी से मेरा जो दूसरा पत्र-व्यवहार हुआ वह अलवर में खादी प्रदर्शनी के बृहद् आयोजन के सम्बन्ध में था अलवर शहर में पहली बार इतना बड़ा आयोजन बड़ी धूमधाम से हुआ। अलवर राज्य में इससे बड़ा सार्वजनिक व राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को दर्शाने वाला प्रदर्शन कभी नहीं हुआ था।

यह प्रदर्शनी एक अक्टूबर से 5 अक्टूबर, 1941 तक हुई। अखिल भारतीय चत्वाँ संघ की राजस्थान शाखा के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन करने के लिए पूज्य महात्मा जी ने श्री महादेव भाई को भेजा था, जिससे समस्त राजस्थान में इस प्रदर्शनी का महत्व बढ़ गया। यह प्रदर्शनी पाँच दिनों तक चली, जिसमें प्रदर्शनी के अतिरिक्त आम सभाओं में भाषण, महिला सम्मेलन, कवि सम्मेलन के आयोजन भी किये गये। वनस्थली विद्यापीठ की छात्रायें श्री हीरालाल जी शास्त्री के साथ प्रथम बार अलवर आईं। इन बालिकाओं के सार्वजनिक व्यायाम का प्रदर्शन अलवर के लिये अद्युत चीज थी।

महादेव भाई के उद्घाटन भाषण ने तो अलवर में क्रान्ति की लहर ही फूँक दी। उनका विशाल जुलूस एक देशी रथ में निकाला गया जो यहाँ पर आमतौर से दशहरे के अवसर पर रामचन्द्र जी की सवारी का जुलूस निकालने के लिये काम में आता है। महादेव भाई को इस रथ में बैठाया गया तो उन्होंने इस पर बड़ा संकोच प्रकट किया। इसका जिक्र उन्होंने आम सभा के अपने भाषण में भी किया। महादेव भाई ने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की निम्न पंक्तियों सुनाईं जिन्हें सुनकर जनता विद्वल हो गईं-

रथ भावे आमी देव, पथ भावी आमी

मूर्ति भावे आमी देव, हाँसे अन्तरयामी।

इन पंक्तियों को बोलते हुये, महादेव भाई का भव्य व्यक्तित्व प्रकाशित हो रहा था।

उन्होंने कहा कि एक देवता के रथ में मेरा जो जुलूस निकाला गया है, वह मेरे जैसे छोटे व्यक्ति का जुलूस नहीं है, यह उस महान आत्मा की करामत है, जो सेवाग्राम में बैठी है और जिसका सन्देश लेकर मैं अलवर आया हूँ। इन शब्दों ने अलवर की जनता के हृदयों में हिलोरे पैदा कर दी।

परन्तु महादेव भाई ने आम सभा में इस बात पर खेद भी प्रकट किया कि इस विशाल प्रदर्शनी में राष्ट्रीय झंडा क्यों नहीं था। उन्होंने जोश में यहाँ तक कह दिया कि यदि मुझे जुलूस प्रारम्भ होने से पहले यह पता लग जाता कि प्रदर्शनी में राष्ट्रीय झंडा नहीं होगा, तो मैं इस जुलूस में शामिल ही नहीं होता।

यहाँ यह स्मरण रहे कि इस प्रदर्शनी का आयोजन चर्खा संघ के सहयोग से अलवर राज्य प्रजामंडल ने अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने के लिये किया था और प्रजामंडल पर उसके रजिस्ट्री के समय 1 अगस्त, 1940 को ही पाबन्दी लगा दी गई थी कि वह अपना कोई झंडा काम में नहीं लेगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन रजिस्ट्रेशन के 13 महीने बाद किया गया था। अलवर म्युनिसिपल बोर्ड ही राजस्थान में पहला बोर्ड था, जिसमें प्रजामंडल के सदस्यों का बहुमत था उसने 500 रुपये की सहायता इस प्रदर्शनी को दी जो तब तक ऐसी प्रदर्शनी को किसी राज्य में नहीं मिली थी। अलवर के तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर हार्वे ने अंग्रेज होते हुए भी इस प्रदर्शनी को काफी सहायता दी। महाराजा तेजसिंह जी ने भी अपनी शुभकामनायें भेजी।

इस प्रदर्शनी का संयोजक मैं ही था और अलवर राज्य प्रजामंडल का मंत्री भी। प्रजामंडल के मंत्री की हेसियत से इन्हीं मेजर हार्वे के कार्यकाल में मैं दो बार भारत रक्षा कानून में जेल भी गया। परन्तु इस उदारचित्त अंग्रेज ने प्रजामंडल की रजिस्ट्री हो जाने के बाद अपना रुख बदल लिया और प्रदर्शनी के काम में पूरा सहयोग दिया।

इस खादी प्रदर्शनी के सिलसिले में जो पत्र व्यवहार हुआ उसका जिक्र करना यहाँ यहुत आवश्यक होगा, जिससे उस समय की राजनीति पर प्रकाश पड़ता है और महात्मा जी का सीधा असर हमारे राज्य की राजनीति पर दिखाई देता है।

प्रदर्शनी का विचार हमारे मन में श्री देशपाण्डे के ता. 17.8.41 के पत्र से आया जिसमें उन्होंने लिखा था “गत 4-5 वर्षों में रियासतों के राजनैतिक आन्दोलनों की वजह से राजस्थानी जनता में काफी जागृति आई है। उस जागृति को बनाये रखने के लिये प्रजामंडलों के सामने रचनात्मक कार्यों के सिवाय और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। पूर्य गांधीजी भी इस बात पर जोर देते हैं। चर्खा संसाह में प्रजामंडलों को अपनी सारी शक्ति इन रचनात्मक कार्यों को बढ़ाने में, विशेषतः खादी प्रचार में लगा देनो चाहिये।”

इस पर मैंने श्री देशपाण्डे जी को अलवर में खादी प्रदर्शनी करने के लिए लिखा और उन्हें आशासन दिया कि अलवर म्युनिसिपल बोर्ड से भी कुछ सहायता प्राप्त हो जाएगी। मैंने उन्हें अलवर बुलाया। इस पर उनका उत्तर आया, “मैं ता. 27 या 28 को अलवर आ सकूँगा। तब तक सब पूरी तैयारी कर रखें। अधिकारियों से भी बातें कर लें। स्थान भी निश्चित कर लें। प्रदर्शनी का ढांचा भी मैंने सोच रखा है। वह जमा दी जावेगी।”

इससे पहले श्री देशपांडे जी का एक पत्र और आया जिसमें कार्यकर्ताओं से महात्मा जी व खादी के सम्बन्ध में लेख माँगे। इसके उत्तर में मैंने एक लेख लिखा जो चर्खा संघ की तरफ से प्रकाशित किया गया।

खादी प्रदर्शनी की इस तैयारी में किस प्रकार की दिलचस्पी बड़े-बड़े नेताओं ने ली, इस बारे में मैं ऊपर लिख चुका हूँ। परन्तु पूज्य महात्मा जी की दिलचस्पी किस प्रकार पैदा हुई, उसका संक्षेप में जिक्र करना आवश्यक है।

खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए मैंने पूज्य महात्मा जी से निवेदन किया कि वे अपना प्रतिनिधि अलवर भेजें। इस कार्य में मैंने उस समय के राजस्थान के बड़े नेता श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय और श्री रामनारायण जी चौधरी से भी मदद चाही। श्री जमनालाल जी बजाज को भी पत्र लिखा।

आखिर में मैंने महात्मा जी को फिर लिखा कि वे श्री महादेव भाई को इस कार्य के लिये अलवर भेजने की कृपा करें। पहले तो वे तैयार नहीं हुये। इस लिये मैंने इस कार्य के लिये व्यक्तिगत जिम्मेदारी श्री कृष्णदास जी जाजू, श्री हरिभाऊ उपाध्याय व श्री रामनारायण जी चौधरी पर डाली। उनके जो पत्र इस सम्बन्ध में आए उनके उदाहरण यहाँ देना मैं उचित समझता हूँ।

6 सितम्बर '1941 को श्री रामनारायण जी चौधरी ने लिखा कि, "पहला नाम राजकुमारी अमृत कौर का सबसे उपयुक्त होगा। शायद बापू भी तैयार हो जावें।..... जाजू जी या महादेव भाई शायद आ नहीं सकेंगे। हाँ, सेठ जमनालाल जी शायद आ जावें। वे रहेंगे भी सब तरह ठीक!"

हरिभाऊ जी ने 12.9.41 को लिखा, "प्रदर्शनी का उद्घाटन किससे कराना चाहते हो, मुझे जल्दी सूचित कीजिये।"

13.9.41 को श्री कृष्णदास जी जाजू ने लिखा, "खुशी की बात है कि आप वहाँ प्रदर्शनी कर रहे हैं। इधर से कोई प्रदर्शनी में पहुँच सके ऐसी आशा नहीं। मैं ता. 15 को गुजरात-काठियावाड़ के दौरे पर जा रहा हूँ। महादेव भाई इधर बहुत कम रहते हैं। राजकुमारी जी शिमला में हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किसी पास रहने वाले को बुलाना चाहिये। श्री डॉ. गोपीचन्द भार्गव को लिख दीजिये।"

16.9.41 को श्री जमनालाल जी बजाज का पत्र नैनीताल से मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था, "प्रिय भोलानाथ जी, आपका ता. 6.9.41 का पत्र मुझे मिला। बीच में अलमोड़ा चला गया था। एक अक्टूबर को खादी प्रदर्शनी करने का निश्चय किया है, जानकर खुशी हुई। आशा है आपकी प्रदर्शनी पूर्णतया सफल होगी। स्टेट आपके साथ सहकार कर रही है, जानकर प्रसन्नता हुई। इस समय में अलवर पहुँचता तो मुझे खुशी होती परन्तु स्वास्थ्य के कारण न आ सकूँगा। इस समय मेरा आना संभव नहीं होगा। जमनालाल बजाज का बन्देमातरम्!"

परन्तु खुशी की बात है कि इसी बीच में मेरे अनुरोध पर पूज्य महात्मा गांधी ने एक पत्र श्री किशोरी लाल मशरूलाला के द्वारा ता. 10.9.41 को भिजवाया। वह इस प्रकार है—
"श्री भोलानाथ जी,

पूज्य बापू जी आपके लिये योग्य व्यक्ति को तलाश कर रहे हैं। निरिचित होने पर खबर देंगे।

आपका-किशोरी लाल मशरुवाला''

पूज्य बापू का यह सन्देश श्री किशोरी लाल मशरुवाला के द्वारा प्राप्त होने पर हमारे यहाँ उत्साह की लहर दौड़ गई। बड़े-बड़े नेताओं के प्रयत्न से जो काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया, वह मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्त्ता के प्रयत्न से सरल हो गया।

मैंने श्री किशोरीलाल मशरुवाला के पत्र की सूचना श्री देशपांडे जी, जो उस समय राजस्थान चर्चा संघ के मंत्री थे, को दी, जिनके प्रयत्न से यह प्रदर्शनी हो रही थी। श्री देशपांडे जी ने 14.9.41 को लिखा-

“प्रिय श्री भोलानाथ जी,

सप्रेम बन्दे!

आपका 14.9.41 का पत्र मिला। यह देखकर खुशी हो रही है कि अलवर राज्य वाले प्रदर्शनी में सहयोग दे रहे हैं। मैं ता. 22 को अलवर आने की कोशिश कर रहा हूँ। पूज्य बापू जी अलवर किसी को अवश्य भेज देंगे। ऐसा लगता है।..... श्री लादूराम जी जोशी ने अलवर आना स्वीकार कर लिया है। श्री हरिभाऊ उपाध्याय जी आयेंगे। श्री शास्त्री जी को लाने की कोशिश करेंगा। श्री जयनारायण च्यास आज यहाँ आये। वे भी प्रदर्शनी में अलवर आने का भरसक प्रयत्न करेंगे।”

उन दिनों माननीय राजेन्द्र बाबू भी वधाँ में थे। मैंने उन्हें भी पत्र लिखा। उन्होंने ता. 16.9.41 को बजाजवाड़ी से निम्नलिखित पत्र लिखा-

“प्रिय भोलानाथ जी मास्टर,

आपका ता. 10.9.41 का पत्र मिला। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने गांधी जयन्ती के उपलक्ष में खादी प्रदर्शनी का आयोजन किया है। इसमें आपको रियासत और अलवर म्युनिसिपल बोर्ड से भी सहायता मिल रही है। खादी प्रचार और दूसरे प्रकार के रचनात्मक कामों में किसी प्रकार का विरोध होना ही अस्वाभाविक है और रियासत तथा म्युनिसिपैलिटी ने सहायता देकर कर्तव्य का पालन किया है। इसके लिये उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय लेक है।

मुझे खेद है कि मैं पिछले अढ़ाई महीने से बीमार हूँ और स्वास्थ्य सुधारने के लिये यहाँ आया हूँ। अभी तक तबियत ठीक नहीं है और इसकी आशा नहीं कर सकता हूँ कि मैं अक्टूबर तक स्वस्थ होकर अलवर जाने लायक हो सकूँगा। आप से निवेदन है कि आप क्षमा करेंगे।

आपका-
राजेन्द्र प्रसाद”

सब तरफ से निराश होने के बाद यकायक ता. 18.9.41 को सेवाग्राम से लिखा हुआ श्री मशरुवाला का निम्नलिखित भावना प्रधान पत्र मिला-

श्री भोलानाथ जी, श्री महादेव भाई ता. 1 अक्टूबर को आपके कार्यक्रम के लिये अलवर पहुँचेंगे। पूज्य बापू जी ने लिखवाया है कि चूँकि वे हाल ही में निमोनिया की बीमारी से उठे हैं,

अभी बहुत अशक्य हैं, इसलिये बहुत श्रम न दिया जावे। बहुत न घुमाया जावे और बहुत भारी कार्यक्रम उनके बास्ते न बनाया जावे। कृपया उनके स्थास्थ्य को सेंधालें। अलवर के विषय में कोई खास सूचना देने लायक हो तो उन्हें नीचे लिखे पते पर पत्र भेजें-

आपका

किशोरीलाल भशरुवाला ॥

इस पत्र के पहुँचते ही राजस्थान के सभी नेता अलवर की तरफ आकर्पित हो गये। श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय ने लिखा-

“ श्री महादेव भाई के आने के समाचार से तो अब प्रदर्शनी का काम चौगुने उत्साह से हो रहा होगा । ”

एक दूसरे पत्र में श्री हरिभाऊ जी ने लिखा कि “मेरा स्वास्थ्य खराय हो गया है। मेरा शरीर भले ही यहाँ रहे, मेरा सारा प्राण व आत्मा आपके ही पास रहेगी। श्री महादेव भाई के वहाँ पधारने से बढ़कर शुभ क्या हो सकता है। पूज्य वापू के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के रूप में उन्हें ही समझना चाहिये। आप जानते ही हैं कि मैं खादी को महात्मा जी की सबसे बड़ी देन मानता हूँ। ”

ता. 26.9.41 को सिरोही से श्री गोकुल भाई भट्ट ने लिखा-

“ श्री भोलानाथ जी,

जब कि श्री महादेव भाई वहाँ पधार रहे हैं तो मैं क्या संदेश भेजूँ? पूज्य महात्मा जी के बे सन्देश वाहक हैं और सारी दुनिया को महात्मा गांधी ने एक अमूल्य सन्देश सत्य-अहिंसा का दिया है। यह संदेश हमारी संस्थाओं में ओत-प्रोत हो जाना चाहिये। ”

श्री रामनारायण जी चौधरी ने ता. 21.9.41 को वर्धा से लिखा-

“ श्री महादेव भाई यहाँ (वर्धा) आकर अलवर जायेंगे। श्री महादेव भाई के साथ आने का आपका आग्रह मुझे भी वहाँ खोंच रहा है। ”

ता. 28.9.41 को दूसरे पत्र में श्री रामनारायण जी चौधरी ने लिखा-

“ श्री महादेव भाई कल ही आये हैं। मेरी उनसे अलवर के सम्बन्ध में बातें हो गई। मेरी बहुत दिनों से कोशिश थी कि पूज्य वापू से अलवर का सीधा और निकट का सम्बन्ध हो, वह सफल हो गई। महादेव भाई पर उनका पूरा विश्वास है। अब आप लोगों पर निर्भर हैं कि इस सम्बन्ध को मजबूत बनायें। ”

“ महादेव भाई को मैंने राजी कर लिया है कि वे जुलूस निकालने पर आपत्ति न करें। जुलूस ठंड के समय निकाला जावे। ”

श्री हीरालाल जी शास्त्री तो और भी प्रसन्न हुये। वे उन्हें बनस्थली ले जाने के लिये प्रयत्नशील हो गये। उन्होंने ता. 21.9.1941 को लिखा-

“ श्री महादेव भाई कब पहुँचेंगे और वे यहाँ कब तक ठहरेंगे। उनका पूरा प्रोग्राम लिखे की कृपा करें। इस अवसर पर बनस्थली की लड़कियों से दूसरे प्रदर्शन कराने हैं। 15-16

तद्विकायों से कम से काम नहीं चलेगा। इस सम्बन्ध में बाद में लिखूँगा।"

आखिर श्री हीणलाल शास्त्री ने भी श्री महादेव भाई के राजपूताना के इस प्रथम दौरे का लाभ उठाया और उन्हें अलवर आने से पहले यनस्थली ले गये।

श्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को भी श्री महादेव भाई के अलवर आगमन की बड़ी खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि श्री महादेव भाई की माफंत हम भी भरतपुर के दमन के समाचार पूज्य वापू के पास पहुँचावेंगे। इस समय यड़ा दमन का दौर-दौरा यहाँ चल रहा है।

उड़ीसा के देशी राज्यों के नेता श्री सारंगदास ने लिखा कि-

"Mahatmaji is the one great man of our land who has shown us the way. We must follow his directions religiously without a question or a murmur." उनका पत्र लम्बा था जिसे उन्होंने हिन्दी में अनुवाद करके पढ़ने के लिये कहा।

श्री महादेव भाई के अलवर आने के समाचार मिलने पर दिल्ली के बड़े-बड़े नेता प्रो. इन्द्र, सत्यवती देवी, श्री कृष्ण नव्यर, श्री सत्यदेव विद्यालंकार, श्री रामगोपाल विद्यालंकार आदि अलवर आने का लोभ संघरण नहीं कर सके। ये लोग अलवर पधारे और इन्होंने आम सभाओं में प्रभावशाली भाषण दिये।

यद्यपि ता. 18.9.1941 का श्री किशोरी लाल मशरूवाला का पत्र मिल गया था कि हमारे काम के लिये श्री महादेव भाई ता. 1 अक्टूबर को अलवर पहुँच रहे हैं, परन्तु यहाँ यह अफवाह फैल गई कि श्री महादेव भाई अलवर नहीं पहुँच रहे हैं। इस पर एक तार श्री मशरूवाला को दिया, जिस पर ता. 28.9.41 का उनका तार मिला, "No fear Mahadeo Bhai attending Mashruwala."

कितना ध्यान, हमारा पूज्य वापू ने रखा। इसके बाद तो स्वयं महादेव भाई का ता. 29.9.1941 का लिखा हुआ पत्र आया, जिसमें लिखा था-

"प्रिय श्री भोलानाथ जी,

मैं ता. 1 अक्टूबर को दोपहर को अलवर पहुँचूँगा। ता. 2 तक रहूँगा। मेरे लिए उद्घाटन समय के व्याख्यान के कार्य को छोड़कर और कुछ न रखिये। मैं व्याख्यानों से ऊब जाता हूँ। दोपहर में करीब एक घंटे का आराम मैं चाहूँगा। मुझे जुलूस पसन्द नहीं है। उससे मुझे अवश्य चचाइये। खाने-पीने मैं मुझे कोई खास चीज नहीं चाहिये। दाल, चावल, रोटी, सब्जी काफी है। गाय का दूध दही मिलेगा तो अच्छा है। तीन को मुझे दिल्ली पहुँचना है।

आपका

महादेव भाई!"

पूज्य महात्मा जी के अलवर के सम्बन्ध में हमारे मधुर संस्मरण आज भी अलवर के लोगों को याद हैं।

उत्तरार्द्ध

इस प्रकार अलवर के सार्वजनिक जीवन को सक्रिय बनाने में पूज्य महात्मा गांधी जी का हमें सहयोग व आशीर्वाद मिला। सन 1942 के अगस्त में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रारम्भ हो

गया। कई चकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। हड़ताल व गिरफ्तारियों का तांता बंधा रहा। फरवरी सन् 1943 में जब पूज्य महात्मा जी ने आगा खाँ महल में अनशन किया तो अलवर में भी उनकी सहानुभूति में श्री शोभाराम जी ने 13 दिनों का उपवास महात्मा जी की दीर्घायु की कामना करते हुए किया।

सन् 1944 में महात्मा जी जेल से छूटकर आये। उन्होंने कांग्रेस को सक्रिय रखने के लिये नया नारा दिया। कांग्रेस कार्यसमिति के अधिकांश सदस्य उस समय जेल में थे। डॉ. सैयद महमूद व आसाम के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बारदोलाई ही जेल से बाहर थे। सेवाग्राम में समग्र ग्राम-सेवा शिविर एक मास के लिये चलाया गया। इस शिविर में सम्मिलित होने में भी सेवा ग्राम गया और एक मास तक वहाँ रहा। एक मास तक वराबर वहाँ रहने के कारण रोजाना पूज्य महात्मा जी के भाषण सुनने के अवसर मिले। उस समय वे मौन-ब्रत धारण किये हुये थे, केवल प्रार्थना सभा में बोलते थे।

मैंने 2, फरवरी 1945 को पूज्य महात्मा जी से अलवर के लिए रवानगी से पहले एक मुलाकात की। अपने कुछ प्रश्न पहले उन्हें लिख कर दिये, जिनके उत्तर भी उन्होंने मुझे लिखकर दिये। वे आज भी मेरे पास एक धाती के रूप में सुरक्षित हैं। ये प्रश्नोत्तर उस समय की हमारी संगठन की स्थिति पर बखूबी प्रकाश डालते हैं।

प्रथम प्रश्न में मैंने उनसे पूछा था कि हम जागीरदारों के विरुद्ध सत्याग्रह करना चाहते हैं। आपकी क्या आज्ञा है? इस पर उन्होंने उत्तर दिया-

1. सब कुछ कर सकते हो, मेरे कहने से कुछ भी नहीं। मेरी सलाह है कि वहाँ की परिस्थिति को देखकर तुम्हीं विचार कर सकते हो।
2. द्वितीय प्रश्न में मैंने पूछा था कि सत्याग्रह शुरू करने से पहले एक बड़ा सम्मेलन करना चाहते हैं, उसमें आप श्रीमती सरोजनी देवी को भेजने का कष्ट करें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया— सरोजनी देवी दीमार पड़ गई है, दूसरे किसी को ले लें।
3. तीसरे प्रश्न का उत्तर— सत्याग्रह करने वाले हैं तो जागीरदारों से शुद्ध सत्याग्रह करो। अगर आधार नहीं है तो जो हजम हो सके वह करो।
4. चौथे प्रश्न में मैंने महात्मा जी से अलवर आने की प्रार्थना की। इसके उत्तर में उन्होंने लिखा— अगर मैं देहली जा सका तो अलवर वासियों से अवश्य मिलूँगा।
5. पाँचवें प्रश्न में मैंने लिखा था, हम अधिकारियों से मिलकर समस्याओं का हल निकालना चाहते हैं। इस पर उन्होंने उत्तर दिया—

शासकों से मिलने में तनिक भी वाधा नहीं। अगर वे इसमें सहायता करें।

अन्त में इसी पत्र में उन्होंने मुझे निम्न प्रकार सलाह दी-

“इसमें कुछ भी मेरे नाम से प्रकट करने के लिये नहीं है। सिर्फ तुम्हारी समझ के लिये है।

कितना अगाध प्रेम हमारे संगठन और व्यक्तिगत मेरे प्रति इस प्रश्नोत्तर में है।

मुझे दुःख है कि पूर्ण महात्मा जी का अलवर आने का बादा पूरा नहीं हुआ। परन्तु अलवर की समस्या उनके सामने अन्तिम समय तक रही।

सन् 1946 में अन्तरिम सरकार बनी। 1947 में देश में हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुये। अलवर भी इन दंगों का प्रमुख केन्द्र रहा। महात्मा जी को इससे बड़ा दुःख हुआ। यहाँ के हजारों मेव एवं छोड़कर भागने लगे। उस समय भी उन्होंने एक स्पेशल मिलिटरी गाड़ी में यहाँ के हालात जानने के लिये श्री जयनारायण जी व्यास, श्री वृपभान (पंजाब) तथा दक्षिण के एक कार्यकर्ता श्री चारी को अलवर भेजा।

अलवर में बड़े भयंकर दंगे हुये। यहाँ पर सन् 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भी बड़े समारोह के साथ नहीं मनाया जा सका। अलवर के उस समय के मुख्यमंत्री डॉ. एन. बी. खेर महात्मा जी के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी रैली कराई। हिन्दू महासभा के नेता अलवर को अपनी गतिविधियों का खास केन्द्र मानने लगे। हिन्दू-मुस्लिम के बीच मेवात के साम्राज्यिक भावनायें, एक दूसरे के विरोध में खून खराबे तक पहुँच गई थीं।

स्वयं महात्मा जी अलवर की सीमा पर घासेड़ा गाँव में आये, और मेवों को समझाया कि वे अपने-अपने घरों को वापिस जावें।

28 जनवरी को मैं श्री जयनारायण जी व्यास, श्री देश पांडे और श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय अलवर के पूरे समाचार देने के लिये विरला हाऊस गये। प्रार्थना सभा के बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी वात बड़े ध्यान से सुनी और अलवर व भरतपुर के साम्राज्यिक दंगों पर बड़ा खेद प्रकट किया। उनको इस वात से बड़ा दुःख हुआ कि रियासत के अधिकारी दंगों का दमन करने के बजाय उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं।

कौन जानता था कि दो दिन बाद ही यही दंगे उनकी हत्या के कारण बनेंगे, व्योंगी 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी गई। सारे भारत में यह शोक समाचार विजली की तरह फैल गया कि इस कांड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ है। अलवर में चौंक उनकी रैली हो चुकी थी, इसलिये अलवर के अधिकारियों पर शक किया गया कि इस हत्या में कहीं उनका भी हाथ न हो।

हत्या के तुरन्त बाद ही महाराजा अलवर तथा उस समय के मुख्यमंत्री डॉ. एन. बी. खेर को दिली खुला लिया गया और उन्हें वहीं रोक दिया गया। इन दोनों के अलवर आने पर पावन्दो लगा दी गई।

अलवर का शासन भारत सरकार ने संभाल लिया। अलवर महाराजा का मंत्रिमंडल बरखास्त कर दिया गया। श्री के. बी. लाल को एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर हवाई जहाज से भेजा गया। साथ में भारत सरकार ने बड़ी तादाद में टैंक भेजे। रेडियो से ऐलान कराया गया कि अलवर रियासत का शासन भारत सरकार की स्टेट मिनिस्टरी ने संभाल लिया है। अलवर में कफ्यू लगा दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर ने अलवर में कांग्रेस के नेताओं तथा अन्य संग्रान्त नागरिकों को खुलाकर ऐलान किया कि अलवर का शासन भारत अब भारत सरकार ने संभाल लिया है। इस

कार्यवाही से अलवर में खुशी की लाहर दौड़ गई, क्योंकि लोग हिन्दू-मुस्लिम दंगों से तंग आ गये थे। किसी का भी जान-माल सुरक्षित नहीं था।

हम लोगों का एक शिष्टमंडल सरदार पटेल से मिला। अलवर के हालात से उन्हें अवगत कराया। सरदार पटेल ने स्वयं अलवर आने का बादा किया। 25 फरवरी को सरदार पटेल हवाई-जहाज से अलवर पधारे और एक विशाल सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। देशी रियासतों को चेतावनी देते हुये अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने कहा कि राजपूतों की तलवार को अब भंगी की झाड़ से ज्यादा नहीं समझना चाहिये। अब श्रम की महिमा होगी। इस चेतावनी से देशी राज्यों में तहलका भव गया।

राजस्थान के चार राज्यों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली को मिलाकर मत्स्य यूनियन नाम से संघ बनाया गया, जिसकी राजधानी अलवर बना। मुझे भी इस मंत्रिमंडल में एक मंत्री बनने का सुअवसर मिला। भरतपुर में भी हिन्दू मुस्लिम दंगे हुये थे। इसलिये अलवर के बाद भरतपुर रियासत पर भी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा टैंकों के साथ जाकर अधिकार कर लिया गया।

देशी राज्यों के कार्यकर्ता यह मानते हैं कि महात्मा जी की हत्या ने और अलवर के महाराज को दिल्ली में नजरबन्द किये जाने ने देशी राज्यों के शासकों को भयभीत कर दिया और उन्होंने अपनी रियासतों के स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म कर यूनियन बनाने की स्वीकृतियाँ दे दी।

यद्यपि महात्मा जी मुझ से किये गये बादे के मुताबिक अलवर नहीं आ सके, परन्तु उनकी आत्मा हमारे साथ रही। उत्तरदायी शासन, जिसकी प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये उन्हें हम अलवर दुलाना चाहते थे, वह हमें ही नहीं सारा देशी रियासतों को प्राप्त हो गया। महात्माजी स्वयं रियासती प्रजा थे और रियासती शासक के राज्य में परवरिश पाये थे। अन्त समय में अपने प्राणों की आहुति देकर वे विटिश भारत के साथ हम देशी-राज्यों के लोगों को भी आजाद कर गये। ●

अलवर में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान

विभिन्न अवसरों पर जेल गये सेनानियों की सूची

- I. सन् 1937 में कांग्रेस का झांडा फहराने पर गिरफ्तार किये गये व्यक्ति-
(1) पं. हरनारायण शर्मा (2) श्री कुंजबिहारी लाल मोदी, (3) श्री सालिगराम पूर्व नाजिम, (4) अब्दुल गफूर जमाली, (5) डॉ. मोहम्मद अली, (6) श्री लक्ष्मीराम सौदागर।
- II. सन् 1938 में छात्रों की फीस बढ़िया का विरोध करने पर गिरफ्तार कर जेल भेजे गये व्यक्ति-
(1) पं. हरिनारायण शर्मा, (2) श्री लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, (3) श्री इन्द्रसिंह आजाद, (4) श्री नवथूराम मोदी, (5) श्री राधाचरण
- III. कांग्रेस दफ्तर पर पुनः कब्जा करने व झाण्डा फहराने पर 30-10-38 को गिरफ्तार व्यक्ति-
(1) मा. भोलानाथ जी, (2) श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता
- IV. द्वितीय विश्व युद्ध के लिये जवान चन्दा वसूली का विरोध करने पर 13-11-40 को डी.आई.आर के तहत गिरफ्तार व्यक्ति-
(1) पं. हरिनारायण शर्मा, (2) मा. भोलानाथ जी
- V. सन् 1942 में डाकखाना जलाने के आरोप में गिरफ्तार युवा-
(1) श्री चिरंजी लाल वर्मा, (2) श्री हीरालाल यादव, (3) श्री महावीर प्रसाद जैन
- VI. म्यूनिसिपल टैक्सों का विरोध करते हुये तिजारा में 1943 में गिरफ्तार -
(1) श्री घासीराम गुप्ता
- VII. खेड़ा मंगल सिंह में जागीरी जुल्मों का विरोध करते हुए सभा करने गये व्यक्तियों की ता. 2-2-1946 को गिरफ्तारी-
(1) श्री शोभाराम (2) श्री भवानी सहाय शर्मा, (3) श्री कुंज बिहारी लाल मोदी,
(4) श्री रमचन्द्र उपाध्याय, (5) श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, (6) लाला काशी राम,
(7) लाला घासी राम गुप्ता तिजारा (8) श्री हरनारायण शर्मा (9) श्री कृष्णदयाल माथुर
(10) श्री इन्द्र सिंह आजाद, (11) श्री रामाचतार गुप्ता एडवोकेट
(12) श्री रामजीलाल अग्रवाल

ये सभी प्रजामण्डल के नेता व कार्यकर्ता थे इनके साथ पुलिस ने एक श्री रमदयाल गार्ड को गिरफ्तार कर लिया जो 3-2-1946 को माफी मांग कर छूट आये। इनका प्रजा मण्डल से कोई सम्बन्ध नहीं था अतः सरकार द्वारा यह प्रचार किया गया कि गिरफ्तार लोगों में से एक ने

मांफी भाग ली। सरकार ने यह गिरफ्तारियों के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान भ्रम फैलाने के लिये ऐसा किया।

यह ध्यान रहे कि उपरोक्त गिरफ्तारियाँ कानून की किसी धारा के तहत न कर प्राइमिनिस्टर के आदेश पर की गई, जो सरासर अन्यायपूर्ण थी।

VIII. गैर जिम्मेदार मिनिस्टरों! कुर्सी छोड़ो आन्दोलन के सिलसिले में ता. 18-8-1946 से सत्याग्रह के समापन तक गिरफ्तार व्यक्ति-

- (1) श्री रामस्वरूप गुप्ता, राजगढ़ (2) श्री बाला राम, राजगढ़ (3) श्री रामजी लाल पुत्र श्री रामगोपाल (4) श्री रामसुख पुत्र श्री राधाकिशन (5) श्री भवानी सहाय शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र (6) श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री कान्तिचन्द्र (7) श्री रामजी लाल अग्रवाल पुत्र श्री रामरिठपाल (8) श्री लक्ष्मीनारायण खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रभुदयाल (9) श्री सम्पत राम पुत्र श्री भवानी राम (10) श्री माया राम पुत्र श्री गोपाल राम (11) श्री नारायणदत्त पुत्र श्री रामकुमार आर्य (12) श्री छोटू सिंह आर्य पुत्र श्री गिरवर राम (13) श्री शादी लाल पुत्र श्री राम कुमार आर्य (14) श्री देवी सहाय पुत्र श्री मूल चंद (15) श्री दयाराम गुप्ता पुत्र श्री ग्यासीराम (16) श्री रामचन्द्र उपाध्याय पुत्र श्री सालगराम नाजिम (17) श्री पृथ्वीनाथ भार्गव पुत्र श्री भाधोप्रसाद (18) लाला काशीराम गुप्ता पुत्र श्री रामदयाल (19) श्री बद्री प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री विहारी लाल (20) श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री बद्री प्रसाद (21) डॉ. शांति स्वरूप डाटा पुत्र श्री भगवान दास (22) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (23) मा. भोलानाथ पुत्र श्री मूलचन्द (24) श्री नल्थूराम पुत्र श्री राम सहाय, राजगढ़ (25) श्री बोदन राम पुत्र श्री छोटू राम (राजगढ़) (26) श्री दिनेश चन्द पुत्र श्री हरवर्खा (27) श्री रामशरण उर्फ लीलाराम पुत्र श्री राम सहाय (28) श्री मोती लाल पुत्र श्री नन्द लाल (29) श्री छगनं लाल पुत्र श्री जगनाथ (30) श्री रामकिशन पुत्र श्री गणेश (31) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री राधरमण (32) श्री केदारनाथ पुत्र श्री जगदीश चन्द (33) श्री कन्हैया पुत्र श्री राधाकिशन (34) श्री रतन लाल पुत्र श्री गणतराम (35) श्री राम प्रसाद पुत्र श्री धूरजी (सभी राजगढ़) (36) श्री प्रह्लाद राय पुत्र श्री विहारी लाल (37) श्री मूलचन्द पुत्र श्री हरफूल (38) श्री कृपादयाज माथुर पुत्र श्री खैराती लाल (39) श्री रामजी लाल पुत्र श्री हीरालाल (40) श्री उमाशंकर पुत्र श्री रघुनाथ (41) श्री मुंशी लाल पुत्र श्री इयाम लाल (42) श्री सियाराम पुत्र श्री सीताराम प्रतापगढ़ (43) श्री दाताराम खैरथल (44) श्री मोती लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल (45) श्री महेश चन्द पुत्र श्री प्रभुदयाल (46) श्री आनन्द चन्द्र पुत्र श्री प्यारे लाल (47) श्री मिश्री लाल पुत्र श्री वेदगम खैरथल (48) श्री लालजी पुत्र श्री मामराज (49) श्री मनोहर सिंह पुत्र श्री चन्द्र सिंह गण्डाला (50) श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री देवी सिंह (51) श्री रामसहाय पुत्र श्री किशन सहाय (52) श्री इयोराम पुत्र श्री नेतराम माजरी खुर्द (53) श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री दलेलराम (54) श्री चिम्पन लाल पुत्र श्री गणेश राम (55) श्री मातादीन पुत्र श्री कालंगराम (56) श्री

भवानीसहाय पुत्र श्री सुल्तान (57) श्री रामनारायण पुत्र श्री गोविन्द राम (58) श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री जयराम डवानी (59) श्री सरदारा पुत्र श्री भोजाराम मांजरी खुर्द (60) श्री शंकर पुत्र श्री मंगतू (61) श्री रघुवर पुत्र श्री मनालाल हरसौली (62) श्री सूरजभान पुत्र श्री घनसीराम ढूंढारिया (63) श्री मातादीन पुत्र श्री हरगोविन्द, वहरेड़ (64) श्री मूलाहम पुत्र श्री सेवाराम ऊंटवाल (65) श्री लल्लूराम पुत्र श्री महावीर प्रसाद हरसौली (66) श्री सूरज भान पुत्र श्री रामनारायण माजरी खुर्द (67) श्री रामनारायण पुत्र श्री सीताराम (68) श्री राम पुत्र श्री जयसिंह (69) श्री सूरज पुत्र श्री विश्वम्भर देव भरेड़ (70) श्री केहर सिंह पुत्र श्री सुखदेव मांजरी खुर्द (71) श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री रामचन्द्र बुर्जा (72) श्री मातादीन पुत्र श्री रघुनाथ उलाडिया (73) श्री गिरवर राम पुत्र श्री धनाराम माजरी खुर्द (74) श्री नवधूराम पुत्र श्री रामदयाल वहरेड़ (75) श्री प्रभाती पुत्र श्री सूरजभान डवानी (76) श्री राम पुत्र श्री मूला द्वाडिया (77) श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री सोयखा प्रताप बास अलवर (78) श्री रथोदान पुत्र श्री रामनारायण हरसौली (79) श्री रथोदयाल पुत्र श्री देवी सहाय (80) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री सौराज गण्डाला (81) श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री बृजलाल माजरी खुर्द (82) श्री नन्द लाल पुत्र श्री जगन्नाथ नहन्या (83) श्री रामजी लाल पुत्र श्री लाल यखा, अलवर (84) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री रामपाल डवानी (85) श्री रामचन्द्र पुत्र श्री मन्त्रीराम धासी (86) श्री सुखलाल पुत्र श्री मंगतू राम तिजारा (87) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल (88) श्री चुन्नी लाल पुत्र श्री डालचन्द (89) श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री नवधीराम राजगढ़ (90) श्री जगता पुत्र श्री हरजी माजरी (91) श्री राधेश्याम पुत्र श्री प्रसादी लाल अलवर (92) श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री किशन वहादुर (93) श्री रामकिशन पुत्र श्री भोराम किशनगढ़ (94) श्री मित्रसैन पुत्र श्री हजारी लाल तिजारा (95) श्री हजारी लाल पुत्र श्री मामराज किशनगढ़ (96) श्री मातादीन पुत्र श्री गंगाराम (97) श्री जगत सिंह पुत्र श्री कोतीलाल तिजारा (98) श्री ईश्वर मल पुत्र श्री रामदयाल (99) श्री जगन्नाथ पुत्र श्री अमर चन्द गोविन्दगढ़ (100) श्री रामजी लाल पुत्र श्री ओमकार अकबरपुर (101) श्री अनन्त राम पुत्र श्री क्षवण लाल खोहरा (102) श्री रामावतार पुत्र श्री ओमकार खैरथल (103) श्री मूलचन्द पुत्र श्री रथोनारायण लक्ष्मणगढ़ (104) श्री झावरसिंह पुत्र श्री मंगल सिंह मूँडिया (105) श्री जगन्नाथ सिंह पुत्र श्री दिलसुख माँडन (106) श्री बखसाथु पुत्र श्री सुआ (107) श्री उमराव सिंह पुत्र श्री मोहन लाल मूँडिया (108) श्री रामप्रसाद पुत्र श्री रामधन (109) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री सुखदेव (110) श्री मामन पुत्र श्री भोला मूँडिया (111) श्री हरजी राम पुत्र श्री मंगल खैरथल (112) श्री गमचरण पुत्र श्री दौलतराम अकबरपुर (113) श्री मुकट सिंह पुत्र श्री शोभाराम मूँडिया (114) श्री कल्हूराम पुत्र श्री मंगल (115) श्री चन्दर सिंह पुत्र श्री नानगराम (116) श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री रामदयाल (117) श्री सिरियाराम पुत्र श्री बगरी (118) श्री मूला पुत्र श्री लेखू (119) श्री विश्वम्भर दयाल पुत्र श्री माम खाँ (120) श्री विश्वम्भर दयाल पुत्र श्री गोपी लाल

(121) श्री रामजी लाल पुत्र श्री श्योसहाय मौजपुर (122) श्री कहैया लाल पुत्र रुद्रमल (123) श्री राम पुत्र श्री मलखान मूँडिया (124) श्री सूरजसिंह पुत्र मामराज किशनगढ़ (125) श्री प्रभुदयाल पुत्र बुद्धाराम हुडिया (126) श्री किशन लाल पुत्र श्री चुनी लाल अकबरपुर (127) श्री रामजी लाल पुत्र श्री रामधन मौजपुर (128) श्री घासीराम पुत्र श्री रिछपाल अकबरपुर (129) श्री प्रभुदयाल पुत्र श्री कमल नयन भाढ़न (130) श्री मुरारी लाल पुत्र श्री हरी राम खैरथल (131) श्री श्योप्रसाद पुत्र श्री ओमकार मांडन (132) श्री रामप्रसाद पुत्र श्री महादेव हुडिया (133) श्री जगन सिंह पुत्र श्री तुलाराम (134) श्री रामजी लाल पुत्र सुन्दर लाल मौजपुर (135) श्री मूलचन्द पुत्र सीताराम डूमरोली (136) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री देवी सहाय (137) श्री परताराम पुत्र नत्थूराम (138) श्री विसराम पुत्र श्री जयनारायण (139) श्री गंगाराम पुत्र श्री प्रानसुख गण्डाला (140) श्री सम्पत राम पुत्र श्री दौलत राम (141) श्री लोटन पुत्र श्री दौलत राम (142) श्री घासीराम पुत्र श्री चुन्नाराम (143) श्री प्रभुदयाल पुत्र गिरधारी डूमरोली (144) श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री रामसहाय गण्डाला (145) श्री सोताज पुत्र नत्थूराम (146) श्री धर्म चन्द पुत्र श्री घासी अकबरपुर (147) श्री गोरथन पुत्र श्री मामराज (148) श्री जयनारायण पुत्र श्री वेगराम डूमरोली (149) श्री जंगली पुत्र श्री शोबक्स कणवास (150) श्री यादराम पुत्र श्री श्योराम डूमरोली (151) श्री छोटे लाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण डूमरोली (152) श्री काशी पुत्र श्री बिहारी लाल (153) श्री दीनदयाल पुत्र श्री नत्थूराम (154) श्री रामसहाय पुत्र श्री मुंशी सिंह (155) श्री कुन्दन लाल पुत्र ममल राम (156) श्री श्योराम पुत्र हरीराम नगीना (157) श्री ताराचन्द पुत्र श्री बद्री प्रसाद बास कृपालनगर (158) श्री भगवान दास पुत्र श्री सन्तोष खैरथल (159) श्री नत्थूराम पुत्र श्री बोदन राम (160) श्री बेडा डेडराज पुत्र श्री रामसाय साधोली (161) श्री बिहारी लाल पुत्र श्री भीरेलाल लक्ष्मणगढ़ (162) श्री मदन लाल पुत्र श्री राम सहाय अलबर (163) श्री देवी प्रसाद पुत्र श्री अध्योप्रसाद (164) श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री बुद्धाराम (165) श्री राम पुत्र श्री मंगल साधोली (166) श्री मूला राम पुत्र श्री मामराज हरसौली (167) श्री प्रहलाद पुत्र श्री दन्ताराम (168) श्री मञ्जु पुत्र श्री नन्दलाल (169) श्री शहर चन्द पुत्र श्री रामसुख (170) श्री नानगराम पुत्र श्री भूरा (171) श्री शिव लाल पुत्र श्री नवेला (172) श्री शिव कुमार पुत्र श्री नवेला (173) श्री शिव कुमार पुत्र श्री मदन लाल माढ़न (174) श्री मागीलाल पुत्र श्री हरदयाल (175) श्री रघुबीर प्रसाद पुत्र श्री मंगीलाल (176) श्री मामराज पुत्र श्री नेतराम (177) श्री रामजीलाल पुत्र श्री खेडमल (178) श्री वज्रंगा पुत्र श्री मत्तालाल (179) श्री रामजी लाल पुत्र श्री मूलचन्द (180) श्री डिप्टी पुत्र श्री रामधन महाराज यास (181) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री प्यारे लाल रामगढ़ (182) श्री हरलाल पुत्र श्री मंगल राम (183) श्री जगदीश पुत्र श्री भूरजी खेड़ली (184) श्री बोदन लाल पुत्र श्री गोकल राम नौगाँवां (185) श्री नन्दराम पुत्र श्री बन्सीराम भगैसडा (186) श्री अलय राम पुत्र श्री मूलचन्द खेड़ली (187) श्री नन्दराम पुत्र श्री माखन नौगाँवां (188) श्री

एवं तु श्री गिरावर्ण रमणद (189) श्री गंगेश पुत्र श्री ओमरार महात्मयाम (190)
श्री दद्धरद तु श्री भैर लाल रमणद (191) श्री गृह्णा पुत्र श्री इत्तर भग्नसद्वा
(192) श्री इत्तर सिंह पुत्र श्री एकनारायण गिरावर्ण याम (193) श्री रमोदान पुत्र श्री
दद्धरद रमणद (194) श्री एंटेलास पुत्र श्री नारायण नगदा (195) श्री च्यारे लाल
पुत्र श्री इंस रमणद (196) श्री गिरावर्ण पुत्र भागीरथ याहार्ड (197) श्री
दद्धरद पुत्र श्री थेनो प्रमाद महात्मय याम (198) श्री देवर चन्द्र पुत्र श्री गृजरमल
रमणद (199) श्री प्रभाती पुत्र श्री इंस पद्मलाल (200) श्री रमोदानरायण पुत्र श्री हुरनत
(201) श्री कन्देया लाल पुत्र श्री मुखलीपर लक्ष्मणद (202) श्री जगनीयन पुत्र श्री
हुन्नल्लाय अलवर (203) श्री मृत्युन्नद पुत्र श्री रमन लाल नागल (204) श्री याला
साय पुत्र श्री यशा धानगांधी (205) श्री रामशिरात तुर श्री अगनन्दी लाल अलवर
(206) श्री गंगामहाय पुत्र श्री अमन लाल अमलीनुर (207) श्री बुन्न विहारी पुत्र श्री
बुल गिरावर अलवर (208) श्री गृह्णा पुत्र श्री भैर समसनुर (209) श्री भूष पुत्र
श्री नदू हकटी (210) श्री राम प्रसाद पुत्र श्री रमोदान मारवानुर (211) श्री जवाहर
पुत्र श्री लक्ष्मण यहार्ड (212) श्री धर्मेश्वर पुत्र श्री भवनी महाय नारायुग (213)
श्री एकनारायण पुत्र श्री जोटी मरतानुर (214) श्री अमर सिंह पुत्र श्री मंगीराम (215)
श्री रम प्रसाद पुत्र श्री गोरेन (216) श्री रारेन पुत्र श्री चन्द्र (217) श्री छोट पुत्र
श्री देवीसहाय (218) श्री महरो पुत्र श्री जोयन (219) श्री धामीराम पुत्र गणेशी लाल
निलग (220) श्री हरमुख राम पुत्र श्री धारानन्दन (221) श्री रामजी लाल पुत्र श्री
नहराहम अलवर (222) श्री गुलाराम पुत्र श्री हजारी लाल तिजारा (223) श्री चंगली
पुत्र श्री सर समलानुर (224) श्री चुम्पी लाल पुत्र श्री रामनारायण दिगावड़ा (225) श्री
लाला पुत्र श्री पत्रा (226) श्री श्रीराम पुत्र श्री धर्मचन्द (227) श्री दबू राम पुत्र श्री
भीमा (228) श्री हजारी पुत्र श्री हरीश चन्द (229) श्री रमला पुत्र चौथला (230) श्री
जदनारायण पुत्र श्री हरीपन्द्र (231) श्री कन्देया राम पुत्र श्री रामनारायण मुगलपुरा
(232) श्री एंटे साल पुत्र श्री गोरेन (233) श्री राम पुत्र श्री देवन सिंह (234) श्री
साल चन्द पुत्र श्री साधुराम अजरफा (235) श्री सूरजा पुत्र श्री गिरधारी हरसौली
(236) श्री रमजी लाल पुत्र श्री नत्थूराम (237) श्री जगदीरा पुत्र श्री गंगा लहरी
(238) श्री टेकचन्द पुत्र श्री रामनारायण (239) श्री गिम्बू दयाल पुत्र श्री रामदयाल
(240) श्री सोला राम पुत्र श्री मंगलराम (241) श्री जयनारायण पुत्र श्री मूलचन्द
यहार्ड (242) श्री तोता राम पुत्र श्री दोपचन्द (243) श्री जयनारायण पुत्र श्री कन्देया
लाल (244) श्री हर चन्द पुत्र श्री शोलाल (245) श्री इश्वर चन्द पुत्र श्री रामचन्द्र
अलवर (246) श्रीराम पुत्र श्री मोहरहम सोनाली (247) श्री मातादीन पुत्र श्री
केसाहेम पदमाड़ा (248) श्री सुलतान पुत्र श्री नत्थूराम (249) श्री देवी सिंह पुत्र श्री
हरयक्ष (250) श्री राम नाथ सिंह पुत्र श्री भोलानाथ (251) श्री प्रभाती पुत्र श्री चन्दा
(252) श्री गंगासहाय पुत्र श्री सावल दास घोड़ली गंज (253) श्री दीनदयाल पुत्र श्री
कुन्न लाल (254) श्री हरफूल पुत्र श्री रामजी लाल खैरथल (255) श्री बोदन पुत्र

श्री मूल्या नागल खोटिया (256) श्री रामगन्दर पुत्र श्री मंगतृष्ण नहिल पुरु (257)
श्री मूलधन्द पुत्र श्री जोधाराम शोदानपुरा (258) श्री योरेन्द्र पुत्र श्री मंगत राम माहयास
(259) श्री यद्दी पुत्र श्री शंकर लाल भगव का आस (260) श्री फूल सिंह पुत्र श्री
सेवाराम द्वेरथल (261) श्री भवाना पुत्र श्री चुम्पा गादोज (262) श्री गोपाल पुत्र श्री
सालगराम नागल खोटिया (263) श्री फाल्ल्या पुत्र श्री कहैया राम गाहोज (264)
श्री रामानन्द पुत्र श्री हरनारायण नौहालपुरा (265) श्री नत्थू राम पुत्र श्री मनसुख गादोज
(266) श्री घन्द पुत्र श्री डपकार, नौहालपुरा (267) श्री मरादेव पुत्र श्री सुखारम
नागल, खोहण (268) श्री यिहारी पुत्र श्री रूपा माहिम पुरा (269) श्री रामनत पुत्र
श्री रूपलाल गाहोज (270) श्री उगसाराम पुत्र श्री हरनारायण भगवाड़ी (271) श्री
सोहन लाल पुत्र श्री गोपाल, शोदानपुरा (272) श्री सहदेव पुत्र श्री देवगराज (273)
श्री सुलतान पुत्र राम (274) श्री अमर घन्द पुत्र श्री गोविन्द राम (275) श्री नेहराम पुत्र
श्री सूरजराम यगवाड़ी (276) श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री भोहन (277) श्री बाल किशन
पुत्र श्री राम लाल (278) श्री राम करण पुत्र श्री परसा यगवाड़ी (279) श्री जयराम
पुत्र श्री लंदाराम (280) श्री नत्थूराम पुत्र श्री रघुराम (281) श्री गिल्लाराम पुत्र
श्री बसेराम जठपावाद (282) श्री मनोहर लाल पुत्र श्री तेजराम यगलाड़ी (283)
श्री मुखराम पुत्र शोनारायण जटयाडा (284) श्री गोरपन पुत्र मेहर सिंह बगवाड़ी
(285) श्री ओमकार पुत्र श्री जयाहर (286) श्री मायाराम पुत्र श्री नन्दा (287)
श्री गोरपन पुत्र श्री नारायण जटयाडा (288) श्री जोता पुत्र श्री सालगा गल्लाना
(289) श्री हरि नारायण पुत्र श्री लालजो (290) श्री शोनारायण पुत्र श्री केशर सिंह
बगवाड़ी (291) श्री भगवान पुत्र श्री रामनारायण गादोज (292) श्री तारचन्द पुत्र श्री
बक्सीराम अलयर (293) श्री श्री रामकुमार पुत्र श्री रामप्रसाद किशनगढ़ धास (294)
श्री प्रभाती लाल पुत्र श्री छुट्टन लाल रामगढ़ (295) श्री मूल घन्द पुत्र श्री सोहन
लाल, किशनगढ़ धास (296) श्री लालराम पुत्र श्री गोरपन (297) श्री रामजीवन
पुत्र श्री रूड़मल (298) श्री छुट्टन पुत्र श्री कुन्दन यदोरा (299) श्री भगवान पुत्र श्री
रामरत्न धौरोटी (300) श्री कालू राम धौरोटी (301) श्री चाला पुत्र श्री बसन्ता
(302) श्री सूखा पुत्र श्री रामसहाय (303) श्री मंगल पुत्र श्री लादू (304) किशन
लाल पुत्र श्री राम सहाय (305) मूल्या पुत्र श्री छोटूराम (306) धीसा पुत्र श्री हरजी
(307) श्री मोहन लाल पुत्र श्री सूरज (308) श्री मन्दू पुत्र श्री सालगा (309)
श्री धीसा पुत्र श्री हरजी (310) श्री मोजी पुत्र श्री हरजी (311) श्री छोटे लाल पुत्र श्री
रामसहाय (312) श्री गैरू धवस पुत्र श्री धन्ना (313) श्री मक्खन लाल पुत्र श्री मोहन
प्रसाद (314) श्री उमराव पुत्र श्री लट्टू मेव दुगानी का आस (315) श्री विश्वनाथ पुत्र
श्री मांगेलाल नौगाँवां (316) श्री छग्न लाल पुत्र श्री मुनालाल मुरारी पुरा (317) श्री
सुगन घन्द पुत्र श्री नत्थू नौगाँवां (318) श्री देवी सिंह पुत्र श्री गोपी राम (319) श्री
किशोरी लाल पुत्र श्री राम प्रसाद मुवारिकपुर (320) श्री रतन लाल पुत्र श्री बद्री
प्रसाद उमरैरेण (321) श्री संता पुत्र श्री रामचन्द्र नारायण (322) श्री इन्द्र सिंह पुत्र श्री
दुर्गा प्रसाद (323) श्री विश्वबर दयाल श्री नारायण

IX.	ग्राम राजा भें गिरफ्तार व्यक्ति	दिनांक गिरफ्तार	हिल हुये
1.	मैलधी अद्दुल पुरूष	31-3-46	(पारिस्थान भेज दिये गये)
2.	श्री. अद्दुल मसूर	31-3-46	
3.	श्री रवीनद	31-3-46	
4.	श्री अद्दुल राजा	31-3-46	
5.	मोहम्मद रमेज	31-3-46	
6.	अलतजा यन्दा	31-3-46	9-5-46
7.	मोहम्मद याँ	2-4-46	4-6-46
8.	मेलधी मोहम्मद इयाहीम	2-4-46	
9.	श्री अरारपा	2-4-46	6-6-46
10.	मुमेर याँ	2-4-46	
11.	फत्ती	2-4-46	6-6-46
12.	सुजा	2-4-46	
13.	बूर मोहम्मद	2-4-46	
14.	सुलेमान याँ	9-4-46	

MAHARAJA AND PREMIER OF ALWAR ASKED TO REMAIN OUTSIDE STATE

A NOTIFICATION in the Gazette of India Extraordinary dated New Delhi, February 7, 1948 says :

All available members of the negotiating committee of the States which have individual representation in the Constituent Assembly, having been individually consulted by the Governor General, and having considered the material placed before them in regard to the activities of the R.S.S.S in Alwar State, the possible complicity of this organisation in the assassination of Mahatma Gandhi and other serious crimes with the support or connivance of the State administration, agree that there are *prima facie* grounds for :

1. asking His Highness the Maharaja of Alwar and Dr. Khare, Prime Minister of Alwar, to remain outside Alwar State temporarily in order that there should be no question of the investigations of the allegations being in any way prejudiced, and.

- 2 the Administration of the State being carried on, as a temporary measure, by an Administrator appointed by the Ministry of States.
- 3 The Government of India accept the above advice and have decided that His Highness the Maharaja of Alwar and Dr. Khare, Prime Minister of Alwar, should remain outside Alwar State and have appointed an Administrator to carry on the administration of the State as a temporary measure Arrangements have been accordingly made with immediate effect.

दिनांक 6 फरवरी की शाम अलवर शहर पर दो वायुयान चकर लगाते देखे गए। रात को रेडियो पर स्थानीय जनता ने सुना कि महाराजा अलवर को अलवर से बाहर रहने का हुक्म हुआ है, और अलवर के दीवान डॉ. खरे पर दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने शहर से बाहर जाने पर पावंदी लगा दी है।

तत्कालीन वायसराय लार्ड भाउण्ट्यैटन ने अलवर राज्य के प्रति उस आरोप को बीकानेर आदि महाराजाओं के सामने रखा, जिसके सबूत उनके पास काफी थे कि गांधी जी को हत्या में अलवर राज्य और उसके अधिकारियों का काफी हाथ है। वायसराय के इस कथन पर महाराजा अलवर ने तुरन्त ही डॉ. एन. बी. खरे को प्रधान मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया और उस समय तक अलवर से बाहर रहना स्वीकार किया जब तक केन्द्रीय सरकार पूरी जांच पड़ताल करती। यह भी स्वीकार किया कि इस दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधि के, बी. लाल सेठ, अलवर के एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे।

RULER'S COMMUNICATION TO STATE MINISTRY

The Maharaja of Alwar in communication to the States Ministry says
New Delhi, February 7, 1948.

Government of India, Ministry of State Notification No. F. 200-P-48 dated February 7, 1948 has been handed over to me by the Secretary to the Government of India, Ministry of States, in the presence of the Governor-General and the Hon'ble the Minister for States I am shocked to note the contents of this document referring to the activities of the R.S.S. in Alwar State, the possible complicity of this organisation in the assassination of Mahatma Gandhi and other serious crimes with the support of connivance of the State administration It is extremely painful for me even to think that such an allegation should have been against my State As however the allegation is so grave, I do not wish to interfere in the least in the proposed investigations of the allegations and wish the position of my State to be cleared as best as possible It is therefore ordered that the services of Dr. Khare the Prime Minister of the state be dispensed with The administration of the state will be carried out by an administrator appointed for the period of the inquiry The Administrator should be given full co-operation by the Services, both civil and Military. I shall voluntarily reside outside Alwar State during the period of the inquiry which should not in any way be prejudiced

दिनांक 25 फरवरी 1948 को सरदार पटेल अलवर आये। हवाई अड्डे पर उनका स्वागत एडमिनिस्ट्रेटर, के. बी. लाल सेठ, राजपूताना रोजनल कॉसिल के गोकुल भाई भट्ट, स्व. जपनारायण व्यास अलवर राज्य प्रजामण्डल के अध्यक्ष पं. भवानी सहाय शर्मा, एडमिनिस्ट्रेटर अलवर के सलाहकार लाला काशीराम व श्री शोभाराम आदि ने उनका स्वागत किया। उन्होंने गार्ड ऑफ आनर्स का निरक्षण किया। शाम को आम सभा में जनता के बीच भाषण देकर उन रघुपूतों को शान्त किया जो केन्द्र सरकार की कार्यवाही से उत्तेजित थे। सरदार ने साफ कहा महाराज अलवर यदि निर्दोष पाये गये तो उन्हें शीध्र ही वापिस गद्दी पर बैठा दिया जायगा। पर अलवर अलग अस्तित्व रखकर चल नहीं पायगा। इस निश्चय के अनुसार महाराज तेजसिंह 15 मार्च 1948 को सकुशल अलवर आये।

ORDER SERVED ON DR. KHARE

The District Magistrate passed the following order which was served or Dr. Khare :-

WHEREAS I am satisfied from information received that Dr. N. B. Khare, Prime Minister of Alwar State, at present residing at Keeling Lane, Delhi, has acted in a manner prejudicial to the public safety and maintenance of public order by furthering or promoting in Alwar State the activities of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh which has been declared an unlawful organisation.

AND WHEREAS, it is necessary to maintain prevent him from acting in any manner prejudicial to the public safety or maintenance of Public Order.

Now therefore, I, M. S. Randhawa, District Magistrate, Delhi, in exercise of the powers vested in me by section 4 (1) (b) of the Punjab Public Safety Act, 1947, as made applicable to Delhi province hereby make this written order directing the said Dr. N. B. Khare to reside or remain within the area of Delhi Province for a period of one month from today.

This order shall take effect immediately and has been passed ex parte in face of an emergency



सरदार पटेल की अलवर-यात्रा और मत्स्य-संघ का निर्माण

यह प्रेस रपट ऋषि जैमिनी कौशिक द्वारा सम्पादित 'राजस्थान क्षितिज' के अप्रैल 1948 ई. के अंक में प्रकाशित हुई थी। -सम्पादक

25 फरवरी 1948 को ग्यारह बजे सरदार पटेल का चायुयान अलवर पहुँच गया। ठीक सबा ग्यारह बजे वह अलवर के हवाई अड्डे पर उत्तर आया। हवाई जहाज से उत्तरते ही अलवर की जनता सरदार पटेल के दर्शनार्थ उमड़ पड़ी और वह मिलिटरी द्वारा बनाये गये धेरे को तोड़कर हवाई जहाज के निकट पहुँच गई। उसने उन्हें धेर लिया। वह खुश थी कि आखिर हमारी भी गुलामी दूर होने वाली है। उसने अपने ग्राता का जयजयकार किया, 'सरदार पटेल की जय'.....

हवाई अड्डे पर आपके स्वागत के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटर, राजपूताना रेजनल कॉसिल के श्री गोकुलभाई भट्ट, श्री जयनारायण व्यास, अलवर राज्य प्रजामण्डल के सभापति श्री भवानीसहाय थे। सरदार पटेल ने गुरुखा फौज की ओर से पेश किये गये 'गार्ड ऑफ औनर' का निरीक्षण किया। शाम को सरदार पटेल ने जनता के बीच भाषण दिया। आपके साथ श्री सेठ, ला. काशीरामजी गुस्सा, श्री जयनारायण व्यास, सुश्री भीरावेन पटेल, और श्री त्रिवेदी थे। सरदार पटेल ने अलवर की जनता के बीच जो भाषण दिया, वह उनकी सिंह गर्जना नहीं थी, वह देखकर हमें अत्यन्त आश्वस्त हुआ। वे बड़े संयम से शांतिपूर्ण चित्त से बोल रहे थे। आपने जो कुछ कहा, वह भारतीय इतिहास में भारत की एकता के प्रति एक मात्र स्तुत्य चेष्टा मानी जायेगी। आपने कहा, "आपको जो आजादी मिली है, उसकी पहचान क्या है आपको? क्या वह हजम हो सकेगी? क्या आप उसकी रक्षा कर सकेंगे? आजादी की रक्षा केवल बन्दूक से नहीं होती। वह तो तभी संभव है जबकि आप स्वतंत्र नागरिक का कर्तव्य पालन करने लगें। पहले यह बात थी कि केवल राजपूतों के ऊपर देश की रक्षा का भार था। पर आज भारतीय फौज में सब प्रान्तों के बीर युवक शामिल हो चुके हैं। इन राजपूतों के पास तलबारें हीते हुए भी क्यों तो देश गुलाम हुआ और क्यों ये राजा भी गुलाम हो गये? इसलिये आज इसका एकमात्र उत्तर यही है कि हम अपनी आजादी की रक्षा तभी कर सकेंगे कि अपनी जातियाँ हम भूल जायें। जिस राजधर्म में सेवा की भावना नहीं है, वह राजधर्म नहीं। राजा तो अपने को जनता के ट्रस्टी समझें। हमने आजादी का दाम पाकिस्तान स्वीकार करके दिया है, पर अब यह कीमत अपनी स्वतंत्रता की नहीं देना चाहते कि ये राजा यहाँ-वहाँ अपने स्वतंत्र राज्य कायम कर देश को अनेक दुकड़ों में बांट दें। अब तो शेष देश को हमें एक बनाना है। ऐसी हालत में जो हिन्दू-मुस्लिम सांप्रदायिक भावना रखते हैं, वे इस देश को दो में से किसी एक का भी नहीं रहने देंगे और अगर कोई राजा यह समझता है कि हमारी केन्द्रीय सरकार कमज़ोर है और उससे फायदा उठाकर हम स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेंगे, तो मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि भारतीय सरकार इतनी मजबूत है कि वह दुनिया के किसी भी राष्ट्र से मुकाबला कर सकती है। मैं पूछता हूँ कि अगर अंग्रेजों को तलबार-बालों को ही राज्य सोपना था, तो वे इन तलबार के धारण करने वालों को राज्य क्यों नहीं सौंप गये? मैंने और

गांधीजी ने तो कभी तलवार या बन्दूक हाथ में नहीं पकड़ी। इसलिये मैं तो यहाँ यही कहने आया हूँ कि हमें आपस में ख्लेश से नहीं, प्वार से रहना है। तलवारों का जमाना अब गया, कभी वे सेवा करती होंगी, अब तो उस तलवार से भंगी की झाड़ू अधिक सेवा करती है और मैं उसे ही अच्छी समझता हूँ तो आप यह गाँठ बाँध लें कि रियासतों का आपस का सहयोग ही रियासतों की बहबूदी कर सकता है, आपस में मिलकर ही वे अपनी उन्नति के साधन जुटा सकती हैं, अन्यथा, जिस रियासत में एक सिपाही को 27 रु. मिलें, वह क्या राज हुआ? हिन्दुस्तान अब हवाई वेग से आगे चल रहा है। राजपूताना को भी सारे हिन्दुस्तान के साथ आगे चलना है। न अब आपमें से किसी को शराब पीना है, न अफीम खाना है, न टूटी-फूटी तलवार बगल में रखना है। 15 अगस्त के बाद जो झगड़े हुये, वे तो स्वतंत्रता की प्रसव-वेदना के रूप में थे। अब आपका कर्तव्य है कि उस जन्मी स्वतंत्रता को भजबूत बनायें।"

सरदार पटेल ने भाषण में प्रतिक्रियावादी राजपूतों को शांत किया कि यदि अलवर महाराज पर कोई दोष नहीं हुआ तो उन्हें वापिस अलवर की गद्दी पर बैठा दिया जायेगा। परन्तु अलवर अब अपना अलग अस्तित्व रखकर जीवित न रह सकेगा.....

इसी निश्चय के अनुसार अलवर-शासक श्री सवाई तेजसिंह जी 15 मार्च सन् 1948 को सकुराल अलवर लौट आये।


भंगी की झाड़ू और तलवार : सरदार पटेल का स्पष्टीकरण

सरदार पटेल के भाषण के बाद अलवर के कुछ बड़े राजपूत सरदार उनसे नई दिली मिलने गये। भेंट के पहले उनकी तलाशी ली गई कि कहीं सशस्त्र साजिश तो नहीं है। भेंट के दौरान राजपूतों ने कहा कि आपने ठीक नहीं कहा कि झाड़ू और तलवार एक ही चीज है। कहीं एक ही घाट पर शेर और बकरी ने पानी पिया है? सरदार पटेल ने उन्हें तुरन्त जवाब दिया कि मैं देखूँगा कि ये सब शेर बकरी हो जाते हैं, अन्यथा मैं इन बकरियों को इतना खाना दूँगा कि वे शेर बन जायें।

उधर 9 फरवरी को भरतपुर का शासन भी केन्द्र ने अपने हाथ में ले लिया था। किन्तु भरतपुर महाराजा को भरतपुर में ही रहने की आज्ञा दे दी गई थी। इधर जांच-पड़ताल के साथ-साथ रियासती विभाग देश भर की रियासतों के एकीकरण की योजना को ध्यान में रखते हुये, राजस्थान की रियासतों की समस्या हल करने में संलग्न था। इस दिशा में महाराजा धौलपुर ने सूत्य कदम उठाया और धौलपुर के अविलंब विलय करने की स्वीकृति दे दी..... और 10 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का संयुक्त राज्य 'मत्स्य-संघ' के नाम से पोषित हो गया। इसमें महाराजा धौलपुर राजप्रमुख और अलवर महाराजा उपराजप्रमुख हुए। 6 मन्त्रियों में से प्रधानमंत्री भी अलवर से ही लिया गया। ऐसी हालत में भरतपुर को यही संतुष्टि दी गई कि भरतपुर में ही मत्स्य प्रदेश का उद्घाटन किया जायेगा। सरदार पटेल की अस्वस्य हालत के कारण श्री गाड़गिल के हाथों उद्घाटन करना तय किया गया। इस शुभ समारोह की तिथि 17 मार्च 1948 निश्चित की गई।

चारों राज्यों की जनता हर्ष से फूली न समाती थी। अलवर के चप्पे-चप्पे पर दीवाली मनाने का आयोजन किया जा रहा था। भरतपुर का सारा नगर इस नई धूम के लिये सजाया गया

1941-जागीर माफी कानकेस्स, राजगढ़





महिला सत्याग्रही, अगस्त 1946

प्रथम पंक्ति में- जगरानी माधुर, प्रेमप्यारी माधुर, रामप्यारी, रूबमणि देवी, रमाबाई देशपाण्डे,
कैलाशवति उपाध्याय, शान्तिदेवी गोठड़िया, गोमती देवी, रामेश्वरी देवी अग्रवाल।
पीछे की पंक्ति में- शोभा भार्गव, सुन्दरी देवी, शान्ति गुप्ता, उमा माधुर,
कलावती देवी, कमला डाटा, कमला जैन, विमला शर्मा



श्री रामजीलाल अग्रवाल, प्रजामण्डल की सभा को सम्बोधित
करते हुए। मंचासीन श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (1946)



नारायणपुर की सभा (1946) में जागीरदारों द्वारा किये गये हमले में घायल श्री बद्रीप्रसाद गुला



अलंपर हवाई अड्डे पर विमान से उतरते
हए सरदार वल्लभ भाई पटेल (1948)



श्री भग्वानी सलाय शर्मा, श्रीमती इन्दिया गांधी से
ताप्र-पत्र लेते हुए

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



स्व. प्रज्ञनानन्दयानचाँद



स्व. लक्ष्मणस्वरूप त्रिपाठी



स्व. मोदी कुंजविहारीलाल पुरा



स्व. मोदी नथभग्वान



स्व. मा. भोलानाथ



स्व. बावू श्रीभाराम



स्व. रामजी लाल अग्रवाल



स्व. लाला काशीसाम



स्व. इन्दर सिंह आजाद

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह



स्व. श्री रामानन्द अग्रवाल



स्व. श्री दयाराम गुप्ता



स्व. श्री विहार लाल शर्मा



स्व. मोदी चाबूप्रसाद,
लक्ष्मणगढ़



स्व. गोपालशरण मायुर,
तिजारा



स्व. श्री चालश्री वजीर चंद




स्व. रामजीलाल शर्मा जैमन,
राजगढ़



स्व. रामजीलाल सैनी,
हरसौली

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



सुश्री कलावती शर्मा



श्रीमती गंगा डाटा



श्रीमती शान्ति गुर्जा



श्रीमती कमला डाटा



श्रीमती कमला जैन



श्रीमती शोभा भार्गव



श्रीमती रामप्रमारी शोभाराम



श्रीमती शान्ति गोठड़िया



श्रीमती विमला शर्मा

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



श्री लक्ष्मीनारायण खेंडेलवाल



डॉ. शान्तिस्वरूप डाटा



श्री बबू प्रसाद गुप्ता



श्री कृपादयाल मावुर



श्री फूलचन्द गोठड़िया



श्री महावीर प्रसाद जैन



श्री चिंतंजीलाल वर्मा



श्री नारायणदत्त गुप्ता




श्री हस्मल तोलानी

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



दॉ हरिप्रसाद शर्मा



श्री रामस्वरूप गुप्ता



श्री महाशय चुंदीलाल



अनन्तराम शर्मा



श्री सुलेमान खाँ



मित्र सेन जैन



श्री हरि राम डाया



श्री कैलाश विहारी रायजादा



श्री सेवक राम राजोरिया

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समा



श्री कृष्ण चंद्र खण्डेलवाल



श्री प्रभुदयाल यादव ढकारी




श्री हास्मुख आर्य



श्री तुलाराम जैन



श्री प्रकाश चन्द जैन



श्री लक्ष्मीनारायण, चुर्जावाला



श्री ताराचन्द जैन, रामगढ़




कुंचर बलवंत सिंह




श्री रोशन लाल जैन, रामगढ़

अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98




श्री डीगराम



श्री हरपूल



श्री सोहन राम



श्री भैंवर सिंह



श्री हजारी लाल सोनी



श्री जगन प्रसाद स्वामी



श्री श्रीराम यादव



रव रणजीत सिंह यादव



श्री नन्द किशोर शर्मा

जयन्ती समारोह

अलवर जिला स्वर्ण



श्री मोतीलाल शर्मा



श्री



श्री हमस्वरूप जी



श्री भवानी सहाय




श्री छगन लाल सोदी



श्री दुष्यंत सिंह यादव



श्रीमती गुलाबय देवी




श्रीमती रमदेव जी अमरनाथ


अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



श्री डीगराम




श्री हरपूल



श्री सोहन राम



श्री भंवर सिंह



श्री हजारी लाल सोनी



श्री जगन प्रसाद स्वामी



श्री श्रीराम यादव



राव रणजीत सिंह यादव



श्री नन्द किशोर शर्मा


अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, 1997-98



श्री मोतीलाल शर्मा



श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल



श्री गूरजन सिंह



श्री रामस्वरूप जी



श्री भवानी सहाय




श्री छगन लाल सोनी



श्री दलीप सिंह यादव



श्रीमती गुलाब देवी



श्रीमती सत्यवती अग्रवाल



सम्मानित महिला स्वतंत्रता सेनानी-समिति के अध्यक्ष श्री निरंजन लाल डाय के साथ



स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती शान्ति गुप्ता को सम्मानित करते हुए



स्वाधीनता-स्वर्णजयन्ती दौड़ (10 मई 1998) को सम्पोषित करते हुए¹
मुख्य अतिथि कुंवर नटवर सिंह एवं समिति अध्यक्ष श्री निरंजन लाल छाटा

अलवर जोला
स्वामीनाथ स्वर्णजयन्ती समारोह समिति
द्वारा आयोजित

श्रेष्ठ पुत्र आनंदलक्ष्मण के चरके सत्यार्थी नांगा
परिवर्ग गत्वा व इष्टेन (₹18 कूर्स) द्वारा



गोचा सत्याग्रहियों का सम्मान, 18 जून 1998




सत्याग्रही श्री किशन चंद शर्मा का सम्मान करते हुए


अलवर जिला स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति



श्री निरंजन लाल डाटा
अध्यक्ष



श्री फूलचन्द गोरड़िया
उपाध्यक्ष



श्री महेन्द्र शास्त्री
उपाध्यक्ष



श्री जगन्मंदिर ताल
सचिव



श्री हरिनारायण सैनी
ग्रन्थ सम्पादक



डॉ. जीवन सिंह मानवी
संयुक्त सचिव



श्री राधेश्याम सोमवंशी
विरक्तिन अलवरी संयुक्त सचिव



श्री बी.एम. शुक्ला
कोपाध्यक्ष



श्री भगीरथ भार्गव



स्वाधीनता-स्वर्णजयन्ती दौड़ को सम्बोधित करते हुए सचिव प्रो. जुगमंदिर तायल - 10 मई 1998



बायें से दायें- सर्वश्री चिरकिन अलवरी, श्री निरंजन लाल डाटा, श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
श्री फूलचन्द गोठड़िया, श्री भागीरथ भार्गव
10 मई 1998 को आयोजित स्वाधीनता स्वर्णजयन्ती दौड़ का पुरजन विहार (कम्पनी बाग) में समाप्त

मॉडर्न सर्विस स्टेशन

स्टेशन रोड, अलवर
की ओर से

स्वाधीनता की 50 वीं रथर्ण जयन्ती

के

शुभावसर पर सभी देश वासियों को

हार्दिक शुभकामनाएं

★ अशोक अग्रवाल



24230 (टेली)

33-01

332676 (फोन)



21318
① 22250

मैं नारायणी एकलपांडी इण्डस्ट्रीज

(नारायणी ग्रांड शुद्ध राररों तेल एवं राररों खाल ये उत्पादित प्राप्त उत्पादक)

एफ-92-95 खेरडा इण्डस्ट्रीयल एरिया,
सर्वाइमाधोपुर
की ओर से
घमारे राष्ट्र की

स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह

के

शुभ अवसर पर

सभी देश वासियों के

उज्ज्वल भविष्य एवं सुख समृद्धि के लिए

हार्दिक शुभकामनाये।



याद रखें-

- ◆ 4 स्ट्रोक वाहन - पर्यावरण मित्र, पैट्रोल खर्च कम
- ◆ 2 स्ट्रोक वाहन - पैट्रोल खर्च अधिक, पर्यावरण के शत्रु

दुपहिया वाहन खरीदने वालों को चेतावनी

वाहन खरीदने से पहले जाँच कर लें-

व्या 2 वर्ष वाद प्रदूषण कानून के कड़ाई से लागू होने पर, आपका वाहन सड़क पर चल सकने का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा? दो स्ट्रोक वाले अधिकांश वाहन निर्धारित माप-दंडों से अधिक धुआँ उगलने के कारण सड़क पर चलाये जाने योग्य प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

वे कबाड़ खाने में पड़े धूल चाटेंगे

दुपहिया वाहन वही खरीदें जो 2 वर्ष बाद भी सड़क पर

शान्त से सिर ऊँचा उठा कर चलाया जा सके।

हीरो हॉंडा दुपहिया वाहन सभी प्रदूषण नियमों पर खरा उतारते हैं।

हीरो-हॉंडा 4 स्ट्रोक की
सुपर टैक्सोलॉजी के कारण
सड़कों पर निर्धारित मात्रा से
अधिक धुआँ उगलते हैं।



भारत में 4 करोड़ से अधिक दुपहिया
वाहन सड़कों पर चलते हैं उनमें
प्रतिवर्ष 30 लाख दुपहिया वाहन
सड़कों पर और दौड़ने लगते हैं।

हीरो-हॉंडा प्रदूषण मुक्त
पर्यावरण मित्र वाहन है।

जानकारी के लिए सम्पर्क करें-

मॉडर्न मशीनरी रेटार्स

स्टेशन रोड, अलवर (राज) ① 337234, 332650


स्वतंत्रता दिवस की 50 वीं स्वर्ण जयन्ती के
 शुभावसर पर
 देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को,
 जिनके तप, त्याग एवं वलिदान से हम आज स्वतंत्र हैं,
 शत-शत नमन

विधि मार्बट्ट्स

508, लाजपत नगर, अलवर

① 0144-332750 (निवास)
 0144-335689 (निवास)

- अशोक अग्रवाल
प्रतापगढ़ वाले





(S) 332988
① 341923
(R) 332933

M/S RAMESH CHAND KAILASH CHAND

रमेश चन्द कैलाश चन्द

(Bankers & Commission Agents)

A-16, New Mandi Yard, Alwar-301001 (Raj.)

हमारी ओर से

राष्ट्र की

स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती

के

शुभ अवसर पर

देश एवं सभी देशवासियों

के उज्ज्वल एवं समृद्धिमय जीवन

की अनेकानेक हार्दिक शुभ कामनायें

★ कैलाश चंद खंडेलवाल



With Best Compliments &

All Good Wishes

From

NATIONAL BUSHINGS

Manufacturers of :

Quality Bronze Bushes

Office & Factory :

Opposite Community Hall
Road No. 2 Jubilee Bass,
Alwar- 301001 (Raj.)



Office 333876

Resi : 342665



*With Best Compliments &
All Good Wishes
From*

RST/CST No. 0204/02276 w.e.f. 25-3-96
RTAL No. 1204

Fax 0144-337703

Office : 337713,
337785

Res. : 337284, 20837
Works : 81499



Sharda Udyog

Manufacturers of :

QUALITY EDIBLE OILS & CAKE

Office :

Behind Old Power House
Alwar : 301001 (Raj.)

Works :

B-35, M.I.Area
Alwar - 301030



अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह
के समाप्ति

के शुभ अवसर पर

RST/CST NO 205/903
R T A L NO 611

Shop:- 332141, 332142
Resi - 337441, 339437

मैं. गेंदमल ज्ञान चन्द

(कमीशन एजेंट्स)

सी-10, नवीन मंडी यार्ड, अलवर-301001 (राज.)

की ओर से
सभी देश वासियों को
हार्दिक बधाइयाँ एवं मंगल भविष्य
की शुभकामनायें

★ गेंदमल



अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह
के समापन के शुभावसर पर

RST/CST No.0204/02044SPL
RTAL No. 410-KUML No. 286

Shop : 332962, 332778
Resi : 333410 (BK)
337405(DK)

मैं. यूजेन्ड्र छुमाक एण्ड कम्पनी

G-12 नवीन मंडी यार्ड, अलवर

अपनी ओर से आप सभी

को

अनेकानेक हार्दिक शुभकामनायें अर्पित करते हैं।

और देश तथा उसके सभी नागरिकों के

मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं



With Best Compliments & All Good Wishes

From

SONI FILTERS

Cotton Filter Cloth, Belting Cloth

&

Other Industrial Cloth

10/269, Khalasi line, KANPUR



Phones : 255709, 255710

Fax : 0512-559038



बागानों में पैक
आसाम की असली ताज़ा चाय

बिरला चाय

जयश्री टी एण्ड इन्डस्ट्रीज लि., नई दिल्ली- 110005

PHONES: 528055, 529779

FAX: 7533747 TLX.: 66589

GRAMS: JAYTEAGARD,

Distributors:

MADRAS AGENCIES

KEDAL GANJ, ALWAR

© 20127

की ओर से

भारत राष्ट्र की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती

के शुभावसर पर सभी देश वासियों के उज्ज्वल भविष्य एवं

सुखमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ

अनेक हार्दिक बधाइयाँ

(Office) 332600, 332302

© (Resi) 337528

ALWAR CEMENT SERVICE

अलवर सीमेंट सर्विसेज

(विक्रम सीमेंट के अधिकृत वितरक)

(C&F AGENTS FOR VILKRAM CEMENT)

Rnb Building Near Railway Crossing, Alwar-301001

Authorised Transporters
&
Labour Contractors

भारत की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के
पावन अवसर पर समस्त देश वासियों
को

अपनी हार्दिक शुभकामनायें अर्पित करते हैं।



तार- सरसों बाला

दुकान : 332080, 332182

निवास : 20233, 337167

महावीर प्रसाद नरेन्द्र कुमार एण्ड कम्पनी

(कमीशन एजेंट्स)

ए-11 नवीन मंडी यार्ड, अलवर-301001 (राज.)

एवं

सम्बद्ध संस्थान

महावीर प्रसाद नरेन्द्र कुमार

(कमीशन एजेंट्स)

ए-11 नवीन मंडी यार्ड, अलवर-301001 (राज.)

की ओर से

भारत राष्ट्र की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती

के शुभावसर पर सभी देश वासियों के उज्ज्वल भविष्य एवं

सुखमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ

अनेक हार्दिक बधाइयाँ

- महावीर प्रसाद



देश की आजादी की 50 वीं सालगिरह के शुभावसर पर
अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह
के सभी आयोजनों की सफलता के लिए
अलवर के सभी व्यापारियों किसानों एवं श्रमिक बन्धुओं
की ओर से
हार्दिक शुभकामनायें एवं दधार्दि

महेन्द्र गुप्ता
मुख्य सचिव

अजय अग्रवाल
अध्यक्ष

| केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति (रजि.) |

**Kedal Ganj Vyaparik Sanchalan Samiti
(Regd.)**

(Registered under Non Trading Companies Act.)

Navin Mandi Yard, Alwar- 301001 (Raj.)

☏ 0144-333060



*With Best Compliments
&*

All Good Wishes

From

(Off.) 337757, 24023

 (Res.) : 333352, 330175


SACHIN GENERAL FINANCE COMPANY

(Motor & General Finance)

Office :

Opposite U.I.T. Bhagat Singh Circle

Road No. 2, Alwar



R.S.T./0204/01880/26-12-92
C.S.T./0204/01880/12-2-93

 332613 (Office)
332522
337613 (Resi.)

Maa SANTOSHI GRIT UDHVYOG

Manufacturers of :
*Stone Ballast,
Stone Dust, Crusher Grit etc.*

Office : Delhi Road (Near Petrol Pump) Alwar- 301001
Regd. : Office & Works : Vill. Bahali Teh. Rajgarh (Alwar)

की ओर से

भारत राष्ट्र की स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती

के

शुभावसर पर सभी देश वासियों के उज्ज्वल भविष्य एवं

सुखमय जीवन की शुभकामनाओं के साथ

अनेक हार्दिक बधाईयाँ





R.S.T./C.S.T. No. 0205/02572

Shop 23506
Resi. 333300

ON INDIA'S GOLDEN JUBILEE CELEBRATIONS,

With BEST COMPLIMENTS


AND GOOD WISHES

FROM

Anup Jewellers

Dealers in : All Kinds of GOLD Ornaments

Bazaza Bazar, Alwar-301001



स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती समारोह
के
शुभावसर पर
समस्त देश वासियों को हमारी ओर से
हार्दिक शुभकामनाएं

मैं. राम अवतार गोपालिया एण्ड ब्रादर्स

जनरल मर्चेंट्स एण्ड कमीशन एजेन्ट्स
G-B-23, नवीन कृषि उपज मण्डी,
अलवर-301001

म 332644, 332827 (दु.) 332004 (नि.)

एवं

सहयोगी प्रतिष्ठान

श्री के. डी. गोपालिया एण्ड कम्पनी
सुमन गोपालिया एण्ड संस

श्याम व सारथी पशु आहार

के


(प्रतिष्ठित उत्पादक)

मन्नाका रोड, अलवर

म 332664

- प्रो. राम अवतार गोपालिया






FIREX

*Save
Money
& Time
use*

RAMMING MASS IS A NOVAL MONOLITHIC REFRACTORY MATERIAL. IT IS A REPLACEMENT FOR FIRE BRICKS AND FIRE CLAY USED IN REPAIR AND LINING OF FURNACE

RAMMING MASS FOR CUPOLA, ROTARY & INDUCTION FURNACE METAL INOCULANTS, FLUXES & CHEMICALS



For further details, please contact :

FIREX CHEMICALS LIMITED

Office : 238, Subhesh Nagar, (N.E.B.) Alwar : 301001 (Raj.)

Fax - 0144-332714

Phone- 332714, 332595 Office at Alwar
01464-20046 (Rajgarh)

With Best Compliments From -

Gram: TATA DIESEL

(O) 0144 - 330814, 332654

Fax 0144 - 336989

(R) 0144 - 332528, 337542

MATSYA AUTOMOBILES Ltd.

Authorised Dealers of :

All Tata Diesel Vehicles
for Eastern Rajasthan.

Sales & Works:

1646-47 Tijara Road, Alwar

Regd. Office :

37-A, Lajpat Nagar, Alwar-301001 (Raj.)

Ganga Deen Gupta

Chairman &
Managing Director



CST No. 0205/00086/Central
RST No. 0205/00086
RTAL. No. 967

(Off.) 333048
(Fact.) 81418-419
Fax : 81419

NIRMAL INDUSTRIES LIMITED

(निर्मल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड)
C-161, M.I.A. Alwar -301030 (Raj.)
Office:- H-9, Navin Mandi Yard,
Alwar 301001 (Raj.)

भारत राष्ट्र की
स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती
के शुभअवसर
पर हमारी ओर से
नागरिकों की सुख-समृद्धि एवं
उज्ज्वल भविष्य
की कामना करते हुये
हार्दिक शुभकामनायें।

★ निर्मल कुमार गुप्ता



RST NO. 0204/00317
CST NO. 0204/00317
RTAL NO. 134 KUML NO. 243

Off: 332991
Resi: 337928

GANGA LAHARI GULAB CHAND

(Bankers & Commission Agents)

गंगालहरी गुलाब चन्द

(वैकर्य एण्ड कमीशब एजेंट्स)

A-4, New Mandi Yard, Alwar-301001

राष्ट्र की स्वाधीनता की
स्वर्ण जयन्ती समारोह के समापन अवसर पर
हम समस्त देशवासियों की भावनाओं
के साथ पूरी तरह अपनी शुभकामनायें

आप सभी के उज्ज्वल भविष्य एवं
देश के विकास के लिये प्रस्तुत करते हैं।



अलवर जिला स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह
के समापन के
शुभावसर पर

मैं. ओम प्रकाश संजय **न्हमार**

(ग्रेन मर्चेंट्स एण्ड कमीशन एजेंट्स)

ई-9, नवीन मंडी यार्ड, अलवर-301001 (राज.)

सभी देश वासियों को
अपनी हार्दिक शुभकामनायें
आर्पित करते हुये
मंगलमय भविष्य एवं सुखसमृद्धि
की कामनाओं के साथ

* ओमप्रकाश अग्रवाल



आफिस : 332809, 332038
निवास : 335519, 330019



RST/CST No.0204/01279/SPL

⑦ 332558, 332594(Shop)

R.T.A.L No. 395

331108 (Resi)

मै. गांगोलीलाल लक्ष्मीलालयण

(बैंकर्स एण्ड कमीशन एजेंट्स)

ए-15, नवीन मण्डी यार्ड, अलवर (राज.)

एवं

RST/CST 0204/01725

(दूकान) : 332558

R T.A.L No. 598

: 332594

K.U. M L No. 291

(निवास) : 331103

मै. बाबू लाल भुकेश कुमार

(बैंकर्स एण्ड कमीशन एजेंट्स)

एफ एण्ड चौ-७, नवीन मण्डी यार्ड, अलवर (राज.)

की ओर से

स्वाधीनता स्वर्ण जयन्ती समारोह

के समापन अवसर पर समस्त

देश वासियों को अनेकानेक शुभकामनायें



★ महेन्द्र कुमार गुप्ता

With Best Compliments &

All Good Wishes

From



Rajasthan Bhopal Transport Co.

(Tanker & Truck Owners)

Delhi Office :

ZP - 47, Maurya Enclave
Pritampura,
New Delhi-110034
Phons : 7223303, 7234657

Alwar Office :

569, Lajpat Nagar,
Alwar- 301001 (Raj.)
Phons : 330480
Fax : 337152

Daily Service Guwahati, Bangai Guar

&

All over Assam.



Prop. Suman Kumar Gupta

*With Best Compliments
&
All Good Wishes
From*

Shree Shakuntala Oil Products

Manufacturers of :

High Quality Mustard Oil & Cake

Old Industrial Area, ITI Road- Alwar 301001 (Raj.)

Mill 332169, 332202, 332614

N Mandi: 332002, 332182

Resi. 330643, 336675

Fax: 0144-332608



With Best Compliments

&

All Good Wishes



From



ORIGINAL AUTO AGENCIES

Authorised Distributors :

for Alwar District

VALVOLINE CUMMINS LTD.

Deals in :

All kinds of Lubricants, Industrial Oil, Grease etc.

Branch Off :

Village- Karoth, Teh.- Rajgarh (Alwar)

① 01464-20088

Head Off :

Gulab Kunj, Near Rly. Station, Alwar- 301001
Ph. 332613, 332522, (R) 337613



*With Best Compliments &
All Good Wishes*

From

CAMBRIAN MINERALS & CHEMICAL PVT. LTD.

**Kafa Engineers And
Consultants Pvt. Ltd.**

*Projects Consultants & Engineers and
Turn Key Projects execution for Power House
Chimney, Boiler Furnace, furnaces for Fertilizer Plants,*

DM Plant Lining jobs.

**Manufacturers for constructional Refractory,
Industrial Ceramics & Porcelain items :**

ADDRESS:-

**4 KM STONE BURJA ROAD,
ALWAR-301001 (RAJ.) INDIA**

**0144-88224,
FAX NO. : 0144-337805, 22907
CABLE :- CAMBRIAN**



C.S.T/R.S.T. No 0205/0036

(Off.) 332463, 332198
① (Res) 337978

मै. प्यानेलाल जयभगवान

(जनरल मर्चेंट्स एण्ड कमीशन एजेंट्स)

F-5 नई अनाज मंडी अलवर- 301001

एवं सहयोगी संस्थान

R.S.T/C.S.T. 0204/02265

R.T.A. No. 1187

मै. के. के. सिंघल एण्ड संस

(जनरल मर्चेंट्स एण्ड कमीशन एजेंट्स)

F-5, नई अनाज मण्डी, अलवर-301001

ऑफिस-332463

निपास-337978, 332198

की ओर से

देश की स्वाधीनता के स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर

सभी व्यापारियों, किसानों एवं

मजदूर भाइयों को हार्दिक बधाई

With Best Compliments

&

All Good Wishes

From

ANKESH MARBLES (P) LTD.

Manufacturers of :

Marble Slabs & Tiles

Factory & Office

247,257, M.I Area,
Near Ashok Leyland,
Alwar . 301001 (Raj.)

Phones :

Factory : 81404
Resi : 331080, 21224



With Best Compliments &

All Good Wishes

From

Otto Bushings

NON FERROUS PEOPLE

Old Station Road, Alwar-301001




Fact : 0144-20417

0144-336417

Fax : 0144-336417

Resi : 0144-331017, 344017



*On India's Golden Jubilee Celebrations,
With Best Compliments and Good Wishes*

From

22042 (O)
330129(R)
21556 (R)

Goyal Furniture Works



The House of All Kinds of Steel,
Wooden & Moulded
Furniture & Electrical Goods

Near Meo Boarding, Road No. 2, Alwar- 301001 (Raj.)

Under One Roof

**KURL-ON
MATTRESS**

ITALICA

MOULDED FURNITURE

SUPREME

RILAXON

KHAITAN

FURFEEL



-*Hukam Chand Goyal*
-*Mahendra Goyal*
-*Vinod Goyal*

फै
र्म
के
में
22



राम प्रताप कट्टा एण्ड सन्स सर्फ

बंजारा बाजार, अलवर (राज.) फोन 21769, 22393 फैक्स : 331057

सहयोगी प्रतिष्ठान

रामप्रताप कट्टा एण्ड सन्स ज्वैलर्स प्रा. लि.

191, चौड़ा रास्ता, ताड़केश्वर मंदिर के सामने, जयपुर

टैलीफैक्स : 0141-317387

भारत की स्वाधीनता के
स्वर्ण जयन्ती समारोह के अलभ्य अवसर पर
समस्त देश वासियों को हमारी ओर से
सोने-चांदी जैसी चमकदार एवं खिलखिलाती
अनेकानेक हार्दिक शुभकामनायें



स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के शुभावसर पर

समस्त देशवासियों के उज्ज्वल भविष्य

एवं

सुख समृद्धि की कामनाओं के साथ

हमारी हार्दिक बधाइयाँ

अपने दुधारू

पशुओं के स्वास्थ्य एवं अधिक मधुर एवं पौष्टिक दुग्ध पाने

के लिए

सदैव सर्वश्रेष्ठ

बांड पशु

ही

प्रयोग में लायें

आदान

विजय डाटा

भगवती सदन, स्वामी दयानन्द मार्ग, अलवर

① 332850, 332922, 332321, 20930

फैक्स : 332320

*On India's Golden Jubilee Celebrations,
With Best Compliments and Good Wishes From*

HIMSHREE CHEMICALS

① 332131(R) 335668 (O)

Factory :

E-282 (B) M.I.A., Alwar (Raj.)

Manufacturers of :

Calcium Chloride
Powder & Lumps

Quality
PUNCTUALITY
HONESTY
OUR CREDIT

Office :

256, Lajpat Nagar, Alwar (Raj.)

Resi : 237, Subhash Nagar, Alwar (Raj.)

KUNAL SAINI

Aditya SAI

With Best Compliments from

R.S.T No. 444/99/ALW/B/ Dated 5-12-80
C.S.T No. 5108/ALW/B/ Dated 7-3-81
S.S.I. 17/02/PMT/SSI-09246

Off. 332613, 332522
Resi. 337613
Fact. 20088

ओउम्

ORIGINAL MINERAL INDUSTRIES

Manufacturers of :

**Soap Stone Dolomite, Lime Stone, Marble Calcite
Powders, Marble & Dolomite Chips etc.**

Factory:

Karoth
Rajgarh, Alwar Road
P.O Rajgarh
Alwar (Raj.)

Office:

Gulab Kunj
Near Railway Staion
Alwar-301001 (Raj.)

&

R.S.T No 460/69/ALW/B
C.S.T No. 5415/ALW/B/ Dated 13-4-82

Off. 332613, 332522
Resi. 337613

Alwar Lime Stone Supply Co.

Offsite: Gulab Kunj Near Rly. Station, Alwar-301001

Manufacturer & Supplier-

*Lime, Hydrated Lime,
Marble, Dolomite, Calcite, Soap Stone Powder,
Marble Chips, Stone Ballast, Crusher, Grit, etc*

With Best Compliments & Heart felt Good Wishes From:-

ISO 9002 CERTIFICATION

A FORMAL RECOGNITION OF OUR
COMMITMENT TO EXCELLENCE AND
TESTIMONY TO THE INTERNATIONAL
QUALITY SYSTEM



ISO 9002 CERTIFIED UNIT

QUALITY MANUFACTURER :

- ★ AUTO CABLES
- ★ BATTERY CABLES
- ★ DOMESTIC & INDUSTRIAL WIRES & CABLES.
- ★ SUBMERSIBLES PUMP CABLES.
- ★ TELEPHONE CABLES UPTO 50- PAIRS.
- ★ T.V. ANTENNA CABLES.
- ★ SOUND SPEAKER CABLES FOR CARS, THEATRES ETC.
- ★ COMPLETE WIRING HARNESS FOR ANY VEHICLE.
- ★ HEAD LIGHT/TAIL LIGHT BULB HOLDERS.
- ★ PVC TAPE (NON ADHESIVE) AND SLEEVE.
- ★ PVC ADHESIVE TAPE OF 1/2 INCH & 3/4 INCH WIDTH.
- ★ BATTERY SNAP COUPLERS (PATENTED DESIGN).
- ★ BATTERY BOOSTER CABLE SETS.



THE MADHUR GLASS & CHEMICAL INDUSTRIES (CABLE DIVISION)

Regd. Office:

29-B, OLD INDUSTRIAL AREA,
ALWAR-301001(RAJ.)
Phone:-0144-332209,332609
Fax:-0144-332608

Branch Office:
271, Bagh Kari Khan, Padam Nagar
Kishan Gunj, Delhi-110007
Phone:- 011-735648,7773889
Fax-011-7082337, / /